पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) सीआईएनः L40101DL1989GOI038121
पंजीकृत कार्यालयः बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली– 110 016
फोन नं.: 011–26560121, फैक्सः 011–26601081
कॉरपोरेट ऑफिसः "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सेक्टर–29, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)
फोन नं.: 0124–2822000, 2823000, फैक्सः 0124–2571990
वेबसाइटः www.powergrid.in, ईमेल आईडीः investors@powergrid.co.in

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक निम्न कार्य करने हेतु **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल प्रणाली ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (भारतीय समय अनुसार)** आयोजित की जाएगीः

सामान्य कारोबारः

1. निदेशक मन्डल की रिपोर्ट, उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त, उन पर विचार तथा उसे स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रथम एवं द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान को ध्यान में लाना तथा अंतिम लाभांश घोषित करना।
3. श्री विनोद कुमार सिंह (डीआईएन 08679313) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो आवर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त हुए तथा पात्र होते हुए स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव दिया।
4. श्री एम. ताज मुकर्रम (डीआईएन 08097837) के स्थान पर निदेशक नियुक्ति करना, जो आवर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त हुए तथा पात्र होते हुए स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव दिया।
5. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष कारोबार :

6. **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के अधीन निदेशक के रूप में श्री अभय चौधरी (डीआईएन 07388432) को नियुक्त करना**

   विचार करने एवं उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों एवं किसी भी अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमानुसार, श्री अभय चौधरी (डीआईएन 07388432), जिन्हें दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 25–11/17/2019–च्छ के माध्यम से दिनांक 01 नवंबर, 2020 को या उसके बाद माननीय राष्ट्रपति द्वारा निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया और दिनांक 01 नवंबर, 2020 से प्रभावी अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिन्होने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तहत वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण किया, जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ, उन्हें एतदद्वारा आवर्तन (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्त होने के अधीन निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया है"।

7. **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

   विचार करने एवं उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः

   "संकल्प किया गया कि कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 एवं किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त कंपनी (ट्रांसमिशन और टेलीकोम कारोबार हेतु) के संयुक्त लागत लेखापरीक्षा के रूप में मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार और मैसर्स बंदोपाध्याय भौमिक एंड कं., लागत लेखाकार का पारिश्रमिक दोनों फार्मों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा, यथा लागू करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, कंपनी की नीति के अनुसार यात्रा एवं जेब खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी और 12,500/– (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) का अतिरिक्त पारिश्रमिक जमा यथा लागू कर का भुगतान मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को किया

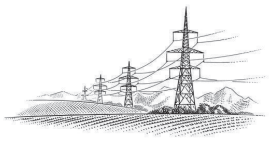

जाएगा, अतः समग्र रूप से कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समेकन और सुविधा के लिए शीर्ष लागत लेखापरीक्षा की एतद्द्वारा मंजूरी एवं पुष्टि की जाती है"।

8. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बीस किश्तों/प्रस्तावों तक निजी स्थानन के तहत प्रतिभूत/अप्रतिभूत, आपरिवर्तनीय, गैर–संचयी/संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य/कर मुक्त डिबेंचर/बॉण्ड जारी करके घरेलू बाजार से ₹ 6,000 करोड़ तक का धनराशि संग्रहण

विचार करना और उचित समझे जाये, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

(i) "संकल्प किया गया कि कंपनी (सूचीपत्र और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) में पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 23(1)(ख), 42 और 71 तथा यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, यथा संशोधित सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008 सहित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) नियम और विनियम, या अन्य लागू कानूनी प्रावधान और कंपनी के अंतर्नियम ज्ञापन और कंपनी के बहिर्नियम ज्ञापन के अनुसरण में एतदद्वारा पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान घरेलू बाजार में ₹ 6,000 करोड़ तक संग्रहित करने, एक या एक से अधिक किश्तों में किन्तु निजी स्थानन के अंतर्गत प्रतिभूत/अप्रतिभूत, आपरिवर्तनीय, संचयी / गैर–संचयी, मोचन योग्य, कर–योग्य / कर मुक्त डिबेंचर ("बॉण्ड") जारी करने के माध्यम से बीस किश्तों / प्रस्तावों से अधिक नहीं पर सामान्य कॉरपोरेट प्रयोजन तथा बॉण्ड हेतु निदेशक मंडल/निदेशकों की समिति द्वारा अनुमोदित अन्य उद्देश्य हेतु पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं को अंतर कॉरपोरेट ऋण प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है"।

(ii) "आगे यह संकल्प किया जाता है कि बॉण्ड हेतु निदेशक मंडल/निदेशक समिति/बॉण्ड हेतु निदेशक मंडल/निदेशक समिति द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारियों को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और इसे हमेशा प्रत्येक निर्गम/बॉण्ड की किश्त के विस्तृत नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने, बॉण्ड निर्गम हेतु कार्य करने, शुल्क जमाध्भुगतान करने, यथा आपेक्षित ऐसे प्रस्ताव पत्र, दस्तावेज, प्रलेख और लिखत आदि वितरित/दर्ज और निष्पादित करने तथा एक या एक से अधिक किश्तों में किन्तु बीस किश्तों / प्रस्तावों से अधिक नहीं पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत, आपरिवर्तनीय, संचयी / गैर–संचयी, मोचन योग्य, कर–योग्य / कर मुक्त बॉण्ड के निजी स्थानन के माध्यम से घरेलू स्त्रोत से वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 6,000 करोड़ तक निधियाँ संग्रहित करने हेतु आवश्यक सभी ऐसे अन्य अधिनियमों, प्रलेखों और कार्यों के लिए अधिकृत माना जाएगा"।

(iii) "आगे यह संकल्प किया जाता है कि निदेशक (वित्त) / कंपनी सचिव को मामूली संशोधन, यदि कोई हो, और पूर्वोक्त संकल्प (संकल्पों) को प्रभावी करते हुए यथा आवश्यक, उचित, समीचीन या प्रासंगिक ऐसे सभी अधिनियमों, प्रलेखों और कार्यों को करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

कृते एवं निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

(मृणाल श्रीवास्तव)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः बी–9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016.

(सीआईएनः L40101DL1989GOI038121)

दिनांकः 26.08.2021

नोट्सः

1. इस वर्ष भी, कोविड –19 के प्रभाव को कम के लिए, कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा जाता है") के परिपत्र में पठित दिनांक 13 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्र के माध्यम से और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र में पठित दिनांक 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र के माध्यम से सामान्य स्थान पर सदस्यों की स्वयं उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("सहायक महाप्रबंधक") के आयोजन की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएमके माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. सामान्य परिपत्र सं. 20/2020, दिनांकित 5 मई, 2020 के खंड 3ए II के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त संलग्न सूचना के मद 6 से 8 में दर्शाए गए विशेष कार्य को अपरिहार्य माना जाता है और अतः इस नोटिस का हिस्सा बनाया जाता है।

3. चूंकि, यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और इस सूचना के माध्यम से उपस्थिति स्लिप नहीं भेजी गई है।

4. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सेबी सूचीबद्धता विनियमों और सचिवीय मानक के विनियम 36(3) के अनुसरण में, श्री विनोद कुमार सिंह (डीआईएन 08679313), निदेशक (कार्मिक) और श्री. एम. ताज मुकर्रम (डीआईएनः 08097837), निदेशक (वित्त) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उपर्युक्त मद सं. 3 और 4 के तहत पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहे हैंय और श्री अभय चौधरी (डीआईएन 07388432), निदेशक (परियोजना) अतिरिक्त निदेशक जो उक्त मद सं. 6 के तहत नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, कंपनी के अंतर्नियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, इस नोटिस के साथ संलग्न हैं।

5. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंध नहीं है।

6. वार्षिक आम बैठक में निष्पादित विशेष कारोबार से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

7. संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों (यथा वैयक्तिकों/एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अतिरिक्त) को अपने बोर्ड या शासी निकाय संकल्प/प्राधिकरण आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से या रिमोट ई–वोटिंग वोट के माध्यम से वोट करके भेजना अपेक्षित है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण संवीक्षक को einward.ris@kfintech.com को मार्क करके प्रति के साथ ईमेल savitajyoti@yahoo.com पर भेजा जाए।

8. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही शुक्रवार, 10 सितंबर, 2021 से शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगे।

9. वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निदेशक मंडल ने 12 दिसंबर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में, प्रति 10/– रु (चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का /37.50) के 3.75 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश (बोनस हेतु समायोजित) की घोषणा की थी, जिसका भुगतान 8 जनवरी, 2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निदेशक मंडल ने 1 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति 10/– रु (चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का /30प्रतिशत) के 3.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश (बोनस हेतु समायोजित) की घोषणा की थी, जिसका भुगतान 30 मार्च, 2021 को किया गया था। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किए हैं या नहीं भुनाए हैं, वे डुप्लीकेट वारंट प्राप्त करने या पुनर्वेधीकरण करने हेतु, जैसा भी मामला हो, कंपनी के पंजीयक और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटेक") से संपर्क कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निदेशक मंडल ने 17 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में ₹3.00 प्रति शेयर (यथा चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर / 30प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की थी। यदि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश को वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो ऐसे लाभांश का भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती के अधीन, शुक्रवार, 8 अक्टूबर, 2021 को निम्नानुसार किया जाएगाः

   i. सभी लाभकारी स्वामियों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल"), सामूहिक रूप से "डिपॉजिटरी" द्वारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले डेटा के अनुसार डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में गुरुवार 9 सितंबर, 2021 को कार्य–समय की समाप्ति तक"

   ii. सभी सदस्यों को भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में (वैध ट्रांसमिशन या कंपनी के पास दर्ज किए गए स्थानान्तरण अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद, यदि कोई हो) शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को कार्य–समय की समाप्ति तक।

10. यथा संशोधित सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण हेतु प्राप्त अनुरोध के मामले को छोडकर 1 अप्रैल, 2019 से डीमैट रूप में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। उक्त को ध्यान मे रखते हुए और भौतिक शेयरों से सम्बद्ध सभी जोखिमों को समाप्त करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुगमता हेतु, भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को डीमैट रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिनटेक से संपर्क कर सकते हैं।

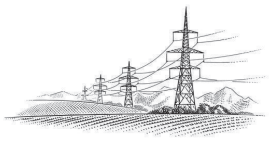

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अदावी अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अदावी अंतरिम लाभांश को क्रमशः 19 नवंबर, 2020 और 30 अप्रैल, 2021 को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, 2013 की अदावी आवेदन राशि को 13 जनवरी, 2021 को एचडीएफसी बैंक और 14 जनवरी, 2021 को आईसीआईसीआई बैंक के साथ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है। आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट (www.powergrid.in) पर 22 सितंबर, 2020 (पूर्व वार्षिक आम बैठक की तिथि) को कंपनी के पास निहित अदत्त और अदावी राशियों का विवरण अपलोड किया है और साथ ही कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास दायर किया है।

12. वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अदावी अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अदावी अंतरिम लाभांश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार क्रमशः अक्टूबर, 2021 और मार्च, 2022 में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरण हेतु देय होंगे।

13. सदस्यों का ध्यान अधिनियम की धारा 124 (6) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिस हेतु कंपनी को सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश 07 (सात) निरंतर वर्षों या उससे अधिक तक अदत्त या अदावी रहे, आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। यथा संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 में पठित अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार, कंपनी ने सभी शेयरों जिसके संबंध में जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा या भुगतान नहीं किया गया है, हस्तांतरण के लिए कार्रवाई शुरू की है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम पर हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी शेयरों के विवरण का पता लगाने के लिए वेब–लिंकः http://www-powergrid.in/investor relation/investor services पर जाएं।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएवंएजी) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या इस तरह से जैसा कि कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में तय किया जा सकता है, पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। कंपनी के सदस्यों ने 22 सितंबर, 2020 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने लेखा इकाइयों की जांच हेतु वास्तविक यात्रा और जेब खर्चों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों हेतु लेखापरीक्षा शुल्क हेतु ₹1.33 करोड़ जमा लागू करों का लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मैसर्स टी आर चड्ढा एंड कंपनीय मैसर्स उमामहेश्वर राव एंड कंपनीय मैसर्स बी एम चतरथ एंड कंपनी और मैसर्स पी एस डी एंड एसोसिएट्स को सी एंड एजी द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्य वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक तय करने के लिए बोर्ड को अधिकृत कर सकते हैं।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोनध्मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबन्धित परिवर्तनों को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) को, यदि उनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और केफिनटेक को यदि शेयर उनके द्वारा भौतिक रूप में रखे गए हैं, सूचित करें।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत अनुमत कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों को कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का फॉर्म नं. एसएच–13 कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को दाखिल करना होगा। डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में, संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास नामांकन दाखिल करना होगा।

17. भौतिक रूप में एकाधिक फोलियो में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को शेयरों के समेकन के लिए आवेदन करें।

18. संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट करने का हकदार होगा।

19. इस नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और धारा 189 में संदर्भित रजिस्टर, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रसार की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। वे सदस्य जो एजीएम के समक्ष रखे जाने वाले किसी भी मामले या लेखा के संबंध में निरीक्षण या कोई जानकारी की मांग करते है, से अनुरोध है कि वे 22 सितंबर, 2021 को या उससे पहले investors@powergrid.co.in पर ईमेल के माध्यम से कंपनी से संपर्क करें ।

20. उल्लिखित एमसीए परिपत्रों और 12 मई, 2020 के परिपत्र में पठित 15 जनवरी, 2021 के सेबी के परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से उन सदस्यों को ही अग्रेषित की जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनीधडिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 कंपनी की वेबसाइट www.powergrid.in; स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और KFINTECH की वेबसाइट https://evoting@kfintech-com/ पर भी उपलब्ध है।

21. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती प्रयोजन हेतु अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

22. वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों पर कर योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों को देखें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/केफिनटेक (भौतिक प्रणाली में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट प्रणाली में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें।

पैन के साथ एक निवासी वैयक्तिक शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वे 9 सितंबर, 2021 को या उससे पहले 11:59 बजे तक https://ris-kfintech-com/form15/ पर उक्त को अपलोड करके स्रोत पर कर की गैर–कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म सं. 15G/15H में घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20प्रतिशत की उच्च दर से काटा जाएगा।

अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन भारत और उनके निवासी देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो https://ris-kfintech-com/form15/ पर उक्त अपलोड करके कर संधि लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है। उपरोक्त घोषणाओं और दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा 9 सितंबर, 2021 को या उससे पहले रात 11:59 बजे तक जमा करना अपेक्षित है।

23. वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान किया गया है जिसमें कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

24. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रियाः

1. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में भाग लेने के लिए वीसीध्ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी

   क) सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या अपने ई–वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

      i. यूआरएल https://emeetings.kfintech.com टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर (क्रोम/फायरफॉक्स/सफारी) लॉन्च करें।

      ii. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें (यथा, ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड)।

      iii. लॉग इन करने के बाद "वीडियो कॉन्फ्रेंस" विकल्प पर क्लिक करें।

      iv. बैठक में भाग लेने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एजीएम कार्यक्रम में प्रदर्शित होने वाले कैमरा आइकन पर क्लिक करें।

   ख) जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे ई–वोटिंग निर्देशों में दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

   ग) सदस्यों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

   घ) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खोली जाएगी और एजीएम की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।

   ड.) जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे https://emeetings.kfintech.com पर KFINTECH से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800–345–4001 पर कॉल कर सकते हैं। कृपया अपना नाम, डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी/फोलियो नं. और आपके सभी संचारों में ई–वोटिंग इवेंट नंबर कोट करें।

2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल वही संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर हैं, एजीएम में वोट करने के हकदार होंगे।

3. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन हेतु माना जाएगा।

4. संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

25. एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की प्रक्रियाः

i. समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 में पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 44 और सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचआ/सीएफडी/सीएमडी/

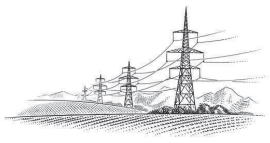

सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा के संबंध में सदस्यों को इस सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। ई–वोटिंग के निर्देश निम्नांकित हैं।

ii. "सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई–वोटिंग सुविधा" पर, सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के अनुसरण में, ई–वोटिंग प्रक्रिया को सभी वैयक्तिक डीमैट खाताधारकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने हेतु अपने डीमैट खातोंधडिपॉजिटरीध्डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से सक्षम किया गया है।

iii. वैयक्तिक डीमैट खाताधारक ई–वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) के साथ पुनः पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी अपडेट करें।

iv. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित वोटिंगअवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभ : मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 9:00 बजे

रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति : गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को अपराह् 5:00 बजे

v. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यथा शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

vi. कोई भी व्यक्ति जो भौतिक रूप में शेयर धारित करता है और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारित करता है, वह मअवजपदह/ज्ञथ्प्छज्म्ब्.बवउ पर एक अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए केफिनटेक के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यथा शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो भौतिक रूप में शेयर धारित करता है और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारित करता है, वह evoting@KFINTECH.com पर एक अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए केफिनटेक के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

vii. डीमैट प्रणाली में प्रतिभूतियां धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में और जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करते हैं, "डीमैट प्रणाली में प्रतिभूतियां धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि" के तहत नीचे उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

viii. रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम की प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया हैः

चरण 1: डीमैट प्रणाली में शेयर धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी ई–वोटिंग प्रणाली तक एक्सैस।

चरण 2: भौतिक और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों में डीमैट प्रणाली में धारित करने वाले शेयरधारकों के मामले में केफिनटेक ई–वोटिंग प्रणाली तक एक्सैस।

चरण 3: एजीएम में भाग लेने और एजीएम में वोट करने के लिए केफिन प्रणाली पर कंपनी की वर्चुअल मीटिंग (एजीएम) में शामिल होने का एक्सैस।

चरण 1 का विवरण नीचे दिया गया है:

I) डीमैट प्रणाली में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट प्रणाली में प्रतिभूति धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	**1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता:** i. यूआरएल : https://eservices-nsdl-com ii. आईडीईएएस अनुभाग के अंदर ष्लॉगिनष् के अंतर्गत ष्लाभार्थी स्वामीष् आइकन पर क्लिक करें। iii. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, ष्ई–वोटिंग पर एक्सेसष् पर क्लिक करें। iv. कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा। **2. आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए आपंजीकृत उपयोगकर्ता** i. रजिस्टर करने के लिए ीजजचेरूध्ध्मेमतअपबमे.देकस.बवउ लिंक पर क्लिक करें। ii. "आइडीईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें iii. आवश्यक फील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें। iv. बिन्दु 1 में दिए गए चरणों का पालन करें। **3. वैकल्पिक रूप से एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर सीधे एक्सेस** i. यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें ii. "शेयरधारक/सदस्य" भाग के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें। iii. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यथा एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। iv. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम, यथा केफिनटेक चुनने का अनुरोध किया जाएगा। v. सफल चयन पर, आप सीधे रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए केफिनटेक ई–वोटिंग पृष्ठ पर पहुँच जायेंगे।
सीडीएसएल के साथ डीमैट प्रणाली में प्रतिभूति धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1. Easi/Easiest चुनने वाले मौजूदा उपयोगकर्ता i. यूआरएलः https://web-cdslindia-com/myeasi/home/login पर या यूआरएलः www.cdslindia.com पर जाएँ ii. New System डलमेंप पर क्लिक करें iii. अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। iv. उपयोगकर्ता को ई–वोटिंग मेनू दिखाई देगा। मेनू में ईएसपी यथा केफिनटेक ई–वोटिंग पोर्टल के लिंक होगा । v. अपना वोट डालने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। 2. Easi/Easiest न चुनने वाले उपयोगकर्ता i. रजिस्टर करने का विकल्प ii. https://web-cdslindia-com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है iii. आवश्यक फील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें। iv. बिन्दु 1 में दिए गए चरणों का पालन करें। 3. वैकल्पिक रूप से सीडीएसएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर सीधे एक्सेस i. यूआरएलः www.cdslindia.com ii. अपना डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डाले। iii. प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। iv. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, यथा केफिनटेक के लिए लिंक प्रदान किए जाएगा जहां ई–वोटिंग चल रही है।

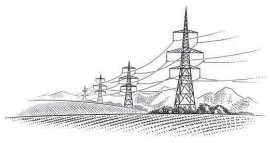

अपने डीमैट खातों/ डिपॉजिटरी भागीदार की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	i. आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएलध्सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ii. एक बार लॉग–इन करने के बाद, आप ई–वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। जब आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आप सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँच जाएँगे, जिसमें आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। iii. कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता – केफिनटेक के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें इससे आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के अपना वोट डालने के लिए केफिनटेक की ई–वोटिंग वेबसाइट पहुँच जाएँगे

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडीध्पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध Forgot user ID और/अथवा Forgot Password विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यथा एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट प्रणाली में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के पास धारित प्रतिभूतियाँ	कृपया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें।
सीडीएसएल के पास धारित प्रतिभूतियाँ	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें या 022–23058738 या 022–23058542–43 पर संपर्क करें।

चरण 2 का विवरण नीचे दिया गया है:

II) डीमैट प्रणाली में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक माध्यम में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विधि।

(क) जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनीधडिपॉजिटरी सहभागी (सहभागियों) के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें केफिनटेक से एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें ई–वोटिंग इवेंट नंबर (ईवीएएन), यूजर आईडी और पासवर्ड का विवरण शामिल होगा। उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

i. https://evoting-kfintech.com/ यूआरएल टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करें:

ii. लॉगिन क्रेडेंशियल (यथा यूजर आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें। भौतिक फोलियो के मामले में, यूजर आईडी ईवीएएन (ई–वोटिंग इवेंट नंबर) •••• होगी, उसके बाद फोलियो नंबर होगा। डीमैट खाते के मामले में, यूजर आईडी आपकी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी होगी। हालांकि, यदि आप ई–वोटिंग के लिए केफिनटेक के साथ पहले से पंजीकृत हैं, तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

iii. इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, ष्लॉगिनष पर क्लिक करें।

iv. अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक बड़ा अक्षर (A&Z), एक छोटा अक्षर (az), एक संख्यात्मक मान (0–9) और एक विशेष वर्ण (@, #, $, आदि) के साथ न्यूनतम 8 वर्ण शामिल होंगे। प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर अपने संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को अपडेट करने के लिए कहेगी। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए एक गुप्त प्रश्न और अपनी पसंद का उत्तर भी चुन सकते है। यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और आप अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

v. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।

vi. सफल लॉगिन पर, प्रणाली आपको "ईवीएएन" यथा 6151–वार्षिक आम बैठक चुनने के लिए कहा जाएगा फिर "सबमिट" पर क्लिक करना होगा।

vii. वोटिंग पृष्ठ पर, "FOR/AGAINST" के तहत कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाता है) दर्ज करें या वैकल्पिक रूप से, आप अंशतः "FOR" और अंशतः "AGAINST" में कोई भी संख्या दर्ज कर सकते हैं लेकिन उक्त "FOR/AGAINST" में कुल संख्या को मिलाकर आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। आप एबस्टेन विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि सदस्य "FOR" या "AGAINST" का इंगित नहीं करता है, तो इसे ष्एबस्टेनष माना जाएगा और धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

viii. एकाधिक फोलियो/डीमैट खाते धारित करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/डीमैट खातों के लिए अलग से वोट प्रक्रिया का चयन करेंगे।

ix. नोटिस के प्रत्येक मद के लिए अलग से वोटिंग करनी होती है। यदि आप किसी विशिष्ट मद पर अपना वोट नहीं डालना चाहते हैं, तो इसे अपवर्जित माना जाएगा।

x. फिर आप एक उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डाल सकते हैं और "Submit" पर क्लिक कर सकते हैं।

xi. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए "OK" वरना संशोधित करने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें। एक बार जब आप संकल्प (संकल्पों) पर वोट कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वोटिंग अवधि के दौरान, सदस्य संकल्प(संकल्पों) पर वोट करने तक जब चाहे लॉग इन कर सकते हैं।

xii. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को भी बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रमाणित असल प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजना अपेक्षित है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को मअवजपदह/ापिदजमबी को चिन्हित प्रति साथ ईमेल आईडी vitajyoti@yahoo.com पर संवीक्षक को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए और उनकी ओर से वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन छवि नाम प्रारूप ष्ब्वतचवतंजम छंउमत्रूम्अमद छव." में होनी चाहिए।

(ख) जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी (सहभागियों) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, और जिस हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग निर्देशों की सेवाएँ प्राप्त नहीं की जा सकती है, उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगाः

i. जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जिस हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग निर्देशों की सेवाएँ प्राप्त नहीं की जा सकती है, वे https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx लिंक पर अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर केफिनटेक के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई–वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर को कैप्चर करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ii. वैकल्पिक रूप से, सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग निर्देश भेजने हेतु भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण पत्र की प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन प्रति के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व–सत्यापित पैन प्रति और क्लाइंट मास्टर प्रति प्रदान कर अनुरोध भेज सकते है।

iii. ई–वोटिंग निर्देश प्राप्त करने के बाद, कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए उपरोक्त सभी चरणों का पालन करें। .

चरण 3 का विवरण नीचे दिया गया हैः

III) बैठक के दौरान वीसीध्ओएवीएम और ई–वोटिंग के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत और भौतिक के अतिरिक्त अन्य सभी शेयरधारकों के लिए निर्देश।

i. सदस्य को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए वीसी/ओएवीएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य कंपनी/केफिनटेक से प्राप्त ईमेल में दिए गए ई–वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com/ पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस टैब पर क्लिक करें और कंपनी के ईवीईएन को चुनें। वीडियो सिंबल पर क्लिक करें और बैठक में शामिल होने के लिए बैठक के शिष्टाचार को स्वीकार करें। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे ऊपर उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

ii. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले प्रारभ हो जाएगी।

iii. सदस्यों को गूगल क्रोम (अधिमानित ब्राउजर), सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स 22 के साथ लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

iv. सदस्यों को वीसीध्ओएवीएम के परिचालन हेतु वेबकैम में पहले से एक्सेस करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सदस्य अपने संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो क्षति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

v. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग को वीसी/ओएवीएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। सदस्य अपना वोट डालने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित वोटिंग आइकन पर क्लिक कर सकते हैं।

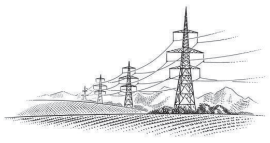

vi. एक सदस्य वोटिंग की केवल एक प्रणाली यथा रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोटिंग के माध्यम से, का विकल्प चुन सकता है। यदि कोई सदस्य दोनों प्रणालियों से वोट डालता है, तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट मान्य होगा और वार्षिक आम बैठक में वोट को अमान्य माना जाएगा।

vii. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 2000 सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।

viii. संस्थागत सदस्यों को वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

1. **अन्य निर्देश**

I. **वक्ता पंजीकरणः** जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहते हैं, वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक के लिए वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे ीजजचेरूध्ध्मउममजपदहे.ापिदजमबी.बवउ पर जा सकते हैं और केफिनटेक से प्राप्त मेल में दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन पर, 'वक्ता पंजीकरणश चुनें जो मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 से बुधवार, 22 सितंबर, 2021 तक खुलेगा। सदस्यों को बैठक से पहले एक श्कतार संख्याश प्रदान की जाएगी। कंपनी वार्षिक आम बैठक में वक्ताओं को केवल उन सदस्यों तक सीमित रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिन्होंने वार्षिक आम बैठक के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर स्वयं को पंजीकृत किया है।

II. **अपना प्रश्न पोस्ट करें:** जो सदस्य बैठक से पहले अपने प्रश्न पोस्ट करना चाहते हैं, वे ीजजचेरूध्ध्मउममजपदहे.ापिदजमबी.बवउ पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। कृपया केफिनटेक से प्राप्त मेल में दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें। सफल लॉगिन पर, श्पोस्ट योर क्वेश्चनश विकल्प चुनें जो मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 से बुधवार, 22 सितंबर, 2021 तक खुलेगा।

III. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट के संबंध में किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, सदस्य https://evoting.kfintech.com (केफिनटेक वेबसाइट) के डाउनलोड भाग में उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं। या निम्न पर संपर्क कर सकते हैं:

श्री एस.वी. राजू, उप. महाप्रबंधक

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबावली, वित्तीय जिला,

नानकरंगुडा, हैदराबाद 500 032

टोल–फ्री नंबरः 1–800–309–4001

ई–मेलः einward.ris@kfintech.com

IV. वे सदस्य, जिनके नाम शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 जो कट–ऑफ तिथि है, को लाभार्थी के रजिस्टर/लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं, इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों पर वोट करने के हकदार हैं। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि हेतु सदस्य नहीं है, वे इस सूचना को सूचना के उद्देश्य से ही मानेगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प (संकल्पों) पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

V. यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आम बैठक नोटिस भेजे जाने के बाद लेकिन ई–वोटिंग की कट–ऑफ तिथि को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, तो वह नीचे बताए गए अनुसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:

प. यदि सदस्य का मोबाइल नंबर फोलियो नंबरध्डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के एवज में पंजीकृत है, तो सदस्य MYEPWD <Lisl> ई–वोटिंग इवेंट नंबर, फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी 9212993399 पर एसएमएस भेज सकता है

1. एनएसडीएल के लिए उदाहरणः

2. MYEPWD <Lisl> IN12345612345678

3. सीडीएसएल के लिए उदाहरणः

4. MYEPWD <Lisl> 1402345612345678

5. भौतिक के लिए उदाहरणः

6. MYEPWD <Lisl> XXXX1234567890

ii. यदि सदस्य का ई–मेल पता या मोबाइल नंबर फोलियो नंबरध्डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के एवज में पंजीकृत है, तो https://evoting.kfintech.com/ के होम पेज पर, सदस्य श्वतहवज ूेंवतक" पर क्लिक कर सकते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन दर्ज कर सकते हैं।

iii. उन सदस्यों को जिन्हे वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान किसी तकनीकी सहायता या समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, उनसे अनुरोध है कि केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1–800–309–4001 पर या evoting@kfintech.com पर संपर्क करें।

VI. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणाम वार्षिक आम बैठक के बाद स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले जाएंगे।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 6

रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के अधीन निदेशक के रूप में श्री अभय चौधरी (डीआईएन 07388432) को नियुक्त करना

श्री अभय चौधरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 25–11/1722019–पीजी दिनांकित 22 अक्टूबर, 2020 के तहत कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होने दिनांक 1 नवंबर, 2020 से कार्यभार ग्रहण किया था। कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 31क के अनुसार, निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकों को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है और वे शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नियुक्त किया जाएगा। तदनुसार, बोर्ड ने परिसंचलण द्वारा संकल्प के माध्यम से श्री अभय चौधरी को 1 नवंबर, 2020 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया। श्री अभय चौधरी आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्य से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें श्री अभय चौधरी को पावरग्रिड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में श्री अभय चौधरी की उपरोक्त नियुक्ति, उन्हे कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 31के में पठित अधिनियम की धारा 152 के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के नाते आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना अपेक्षित है।

श्री अभय चौधरी के पास पावरग्रिड में 1069 शेयर हैं।

कंपनी के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का वित्तीय रूप से या अन्यथा इस संकल्प से सरोकार या हित नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह सिर्फ कंपनी के निदेशक औरध्या शेयरधारक हैं।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल साधारण संकल्प के रूप में मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।

श्री अभय चौधरी का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

मद संख्या 7

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर की जाएगी। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, बोर्ड को लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते समय उन्हें देय पारिश्रमिक को अनुमोदित करना होगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के बाद पारिश्रमिक को आम बैठक द्वारा अनुसमर्थित किया जाएगा। तदनुसार, जैसा कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कंपनी के संयुक्त लागत लेखा परीक्षकों के रूप में (i) मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार और मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कं, लागत लेखाकार को ₹2,50,000/– के पारिश्रमिक पर प्रत्येक लेखा परीक्षक द्वारा समान रूप से साझा किए जाने वाले लागू कर पर नियुक्त किया। उपरोक्त पारिश्रमिक यात्रा और जेब खर्चों को छोड़कर है, जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी की नीति के अनुसार की जाएगी औरय (ii) मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड सहयोगी, लागत लेखाकार को यात्रा और जेब खर्चों रहित ₹ 12,500/– (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) के अतिरिक्त पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कंपनी की समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए समेकन और इसे सुविधाजनक बनाने हेतु शीर्ष लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का वित्तीय रूप से या अन्यथा इस संकल्प से सरोकार या हित नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह सिर्फ कंपनी के निदेशक औरध्या शेयरधारक हैं।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल साधारण संकल्प के रूप में मद संख्या 7 में निर्धारित संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 8

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बीस किश्तोंध्रस्तावों तक निजी स्थानन के तहत प्रतिभूतध्अप्रतिभूत, आपरिवर्तनीय, गैर–संचयीध्संचयी, प्रतिदेय, कर योग्यध कर मुक्त डिबेंचरध्बॉण्ड जारी करके घरेलू बाजार से ₹ 6,000 करोड़ तक का निधियन संग्रहण

पावरग्रिड के निदेशक मंडल द्वारा 17 जून, 2021 को आयोजित अपनी 393वीं बैठक में पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनियों, बॉण्ड्स हेतु निदेशक मंडल/निदेशक समिति द्वारा अनुमोदित अन्य उद्देश्यों और सामान्य कॉरपोरेट प्रयोजन हेतु अंतर कॉरपोरेट ऋण प्रदान करने के लिए पावरग्रिड पूंजीगत व्यय आवश्यकता के वित्तपोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निधियों की आवश्यकता के आधार पर बीस किश्तों में में ₹ 6,000 करोड़ (लगभग) तक घरेलू/बाहरी/विदेशी स्रोतों से निजी स्थानन के तहत प्रतिभूत/अप्रतिभूत, आपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य/कर–मुक्त, रुपया सम्बद्ध बॉण्ड्स/बॉण्ड्स संग्रहित करने हेतु अनुमोदित किया गया।

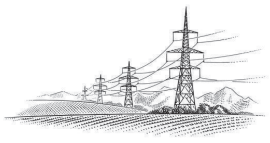

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 8,000 करोड़ से ₹ 10,000 करोड़ की राशि को अपेक्षित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में माना जा रहा है। 70:30 के ऋण इक्विटी संमिश्रण के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आंतरिक संसाधनों से ऋण और शेष राशि के रूप में ₹ 5,600 करोड़ – ₹ 7,000 करोड़ की राशि संग्रहित किए जाने का अनुमान है।

वर्तमान में, पावरग्रिड घरेलू बॉण्ड्स को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा उच्चतम क्रेडिट रेटिंग (एएए) पर रेट किया गया है। ब्याज की दरें निजी स्थानन पर बॉण्ड्स के विशेष प्रस्ताव हेतु बाजार में प्रवेश के समय प्रचलित बाजार स्थितियों पर निर्धारित की जाती हैं (योग्य संस्थागत खरीदार/खरीदारों को प्रस्ताव सहित)। वर्तमान में, कंपनी द्वारा घरेलू बॉण्ड्स के माध्यम से उधार लिया जा रहा था, जो कि एएए रेटेड कॉरपोरेट बॉण्ड्स पर लागू प्रचलित ब्याज दरों के तुलना–योग्य है। पूर्व अनुसार, प्रस्तावित उधारों पर ब्याज प्रतिफल भी एएए रेटेड कॉरपोरेट बॉण्ड्स की प्रचलित ब्याज दरों की ब्याज दरों के तुलनीय होने की परिकल्पना की गई है।

वित्त वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित उधार कुल उधार सीमा ₹ 1,80,000 करोड़ के भीतर होगा।

कंपनी के कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार का वित्तीय रूप से या अन्यथा इस संकल्प से सरोकार या हित नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह सिर्फ कंपनी के निदेशक औरध्या शेयरधारक हैं।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विशेष संकल्प के रूप में मद संख्या 8 में निर्धारित संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल द्वारा

(मृणाल श्रीवास्तव)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 0161

(सीआईएनः L40101DL1989GOI038121)

दिनांकः 26.08.2021

पुनर्निर्वाचन की मांग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

1. **32वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः चुनाव की मांग करने वाले निदेशकः**

I.

नाम	श्री विनोद कुमार सिंह
डीआईएन	08679313
जन्म तिथि एवं आयु	1 जून, 1963 ६ 58 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	1 फरवरी, 2020
शैक्षणिक योग्यता	
	दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज (XISS), रांची से स्नातकोत्तर प्रबंधन
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री विनोद कुमार सिंह ने अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत वर्ष 1985 में बहुराष्ट्रीय कंपनी में की एवं उसके बाद शीर्ष पीएसयू, एनएचपीसी में कार्य किया। 1992 में पावरग्रिड में शामिल होने के बाद, उन्होंने समामेलन, टर्नअराउंड और कल्चर बिल्डिंग सहित एचआर के सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों, साइटों, आरएचक्यू और कॉर्पोरेट सेंटर में भी कार्य किया। निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त होने से पूर्व, उन्होंने वरिष्ठ महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) के रूप में प्रमुख परियोजनाओं जैसे क्षमता निर्माण, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं के पुनर्गठन, कर्मचारियों के लिए लर्निंग एवं विकास से संबंधित रणनीतिक गठबंधनों के कार्यभार के साथ–साथ बाह्य ग्राहक के रूप में कार्य किया।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद (अंशकालिक)	पीटीसी इंडिया लिमिटेड
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यताध्अध्यक्षता	शून्य
धारित शेयरों की संख्या	25

II.

नाम	श्री एम. ताज मुकर्रम
डीआईएन	08097837
जन्म तिथि एवं आयु	25 जुलाई, 1962 / 59 वर्ष
नियुक्ति की तिथि	4 जुलाई, 2020
शैक्षणिक योग्यता	एमबीए वित्त (फाइनेंस), उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री एम. ताज मुकर्रम ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में एनटीपीसी लिमिटेड में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में की। उन्होंने वित्तीय सहमति, जोखिम प्रबंधन, कोषागार प्रबंधन, परियोजनाओं में वित्तीय समुचित सावधानी बरतने, दीर्घकालिक वित्तीय योजना, निवेश मूल्यांकन, पूंजीगत बजट और संसाधन संग्रहण जैसे वित्त एवं लेखा के मुख्य क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने पूरे देश में विभिन्न परियोजना स्थलों और क्षेत्रीय मुख्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्य भी किया।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद (अंशकालिक)	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यताध्अध्यक्षता	शून्य
धारित शेयरों की संख्या	शून्य

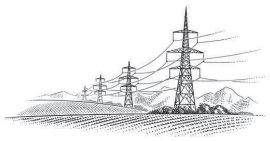

2. Director being appointed at the 32nd Annual General Meeting

2.	32वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक की नियुक्ति
नाम	श्री अभय चौधरी
डीआईएन	07388432
जन्म तिथि एवं आयु	1 जुलाई, 1964 / 57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक और आईएमटी गाजियाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	इस समानुदेशन को करने से पूर्व, वह कंपनी में सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के साथ कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक और विनियामक प्रकोष्ठ) थे। विद्युत क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्होंने ईएचवी सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में परिचालन और अनुरक्षण कार्यपालक दोनों के साथ–साथ निर्माण इंजीनियर के रूप में विभिन्न क्षमताओं में कारी किया है। उन्होंने 2015–17 से पूर्वोत्तर के कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1991 में पावरग्रिड में शामिल होने से पूर्व, वह लगभग 6 वर्षों तक एनटीपीसी में कार्यरत थे।
अन्य कंपनियों में निदेशक पद (अंशकालिक)	1. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड
2. पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड	
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	
4. पावरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	
5. सीकर–प्प अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	
6. फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड	
7. पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	
8. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	
9. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड	
10. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	
अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यताध्अध्यक्षता	शून्य
धारित शेयरों की संख्या	1069

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है

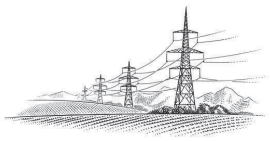

विषय–सूची

1. नोटिस 01
2. संदर्भ सूचना 17
3. शेयरधारकों को पत्र 18
4. एकीकृत रिपोर्ट 20
5. निदेशकों का परिचय 22
6. वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची 25
7. पावरग्रिड का कार्य निष्पादन 26
8. पंच–वर्षीय सारांश 27
9. निदेशकों की रिपोर्ट 30
10. अनुलग्नक I – प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 49
11. अनुलग्नक II – व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 83
12. अनुलग्नक III – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) में आवश्यक विवरण 95
13. अनुलग्नक IV – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत सी एंस एजी की टिप्पणियां 101
14. अनुलग्नक V – सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 104
16. अनुलग्नक VI – निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट 108
17. अनुलग्नक VII - निगमित अभिशासन पर प्रमाणपत्र 133
18. अनुलग्नक VIII - प्रपत्र सं. एओसी – 2 134
19. अनुलग्नक IX - प्रपत्र सं. एओसी – 1 140
20. अनुलग्नक X – कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट 143

तुलन पत्र 183 लाभ और हानि विवरण 199

इक्विटि में परिवर्तन के विवरण 202

नकदी प्रवाह विवरण 204

टिप्पणियां 207

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 301

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक 305

समेकित वित्तीय विवरण 310

संदर्भ सूचना

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः 40101DL1989GOI038121

पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 फोन नंबर – 011–26560121, फैक्स – 011–26601081	**कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी** श्री मृणाल श्रीवास्तव
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय "सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सेक्टर 29, गुड़गांव – 122 001 (हरियाणा) फोन नंबर – 0124–2822000, 2823000, फैक्स – 0124–2571990	वेबसाइटः www.powergrid.in ई–मेल आईडीः investors@powergrid.co.in
समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु	
सांविधिक लेखा परीक्षक 1. मैसर्स टी आर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बी–30, कुठियाला बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001 ईमेलः कमसीप/जतबींकीं.बवउ 2. मैसर्स उमामहेश्वर राव एंड कंपनी, सनदी लेखाकार फ्लैट नंबर 5–एच, डी ब्लॉक, 8–3–324, येल्लारेड्डीगुडा लेन, अमीरपेट एक्स रोड्स, हैदराबाद, तेलंगाना–500073 ईमेलः नबवीलक/नउतबें.बवउ 3. मैसर्स बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार रुसेंटर पॉइंटरु, चौथी मंजिल, कमरा नंबर–440 21, हेमंत बसु सारणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700001 ईमेलः bmccal@bmchatrath-in 4. मैसर्स पी एस डी एंड एसोसिएट्स, चा सनदी लेखाकार र्टर्ड एकाउंटेंट्स 808, टॉवर–ए, ओमकार अल्टा मोंटे, पठानवाड़ी मलाड ईस्ट, मुंबई–400097 ईमेलः चतोीऋचेक/तमकपाउिंपस.बवउ	लागत लेखा परीक्षक 1. मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड सहयोगी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, "सीएमए प्राइड", ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 6, क्रम सं. 16/6 एरंडवाना कंपनी ऑप। एच.एस.जी. समाज, एरंडवाना, पुणे –411004 ईमेलः dvjasso@dvjasso.com 2. मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट्स, बी–125, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019. ईमेलः bbhco1994@gmail.com
रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटः **सामान्य शेयरः** **केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरंगुडा, हैदराबाद – 500 032 दूरभाषः 040–67162222, फैक्सः 040–23431551 टोल फ्री नंबर 1800 345 4001 | ईमेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com बॉण्डः बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062. दूरभाषः 011–29961281–283, 26051061, 26051064 टेलीफैक्सः 011–29961284 ई–मेलः beetalrta@gmail.com, beetal@beetalfinancial.com	बैंकर्स भारतीय स्टेट बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक्सिस बैंक लिमिटेड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड इंडस इंड बैंक लिमिटेड
शेयर और बॉण्ड यहां सूचीबद्ध हैंः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बीएसई लिमिटेड	
डिपॉजिटरीः नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	
डिबेंचर न्यासी	
बॉण्ड सीरीज XIX से LXVIII इश्यू हेतु, भारत सरकार बॉण्ड आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, भूतल , 17, आर. कमानी मार्ग, बॉलार्ड एस्टेट, मुंबई – 400 001 फोनः 022–40807000, फैक्सः 022–66311776, ईमेलः itl@idbitrustee.com	

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,



मेरी तरफ से आपके और आपके प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं।

पिछला आधा साल कठिनाईयों भरा रहा, वास्तव में कई तरह से हमारी परीक्षा ली गई और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी का प्रदर्शन इन कठिन समय में भी अनुकरणीय रहा है।

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य निष्पदकता

कोविड–19 का हमारे सभी हितधारकों पर काफी प्रभाव पड़ा है। हमने कोविड–19 के चलते कई सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को खो दिया। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। हमने अपने मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को आर्थिक एवं अन्य पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा योजनाओं के तहत कई उपाय किए हैं और लाभों को संशोधित किया।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, जैसा कि पूरा देश कोविड–19 लॉकडाउन में चला गया, प्रतिबंधित आवाजाही और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण चुनौतियां बढ़ गईं। हमने अपने व्यावसायिक कार्यों में प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से उपायों को अपनाया। हमने अपने कार्यस्थलों पर ठेका मजदूरों के साथ–साथ अपने सब–स्टेशनोंध्कार्य स्थलों के आसपास के जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की। हमारे कर्मचारियों और ठेका कर्मियों का 100प्रतिशत टीकाकरण करने के लिए हमारे सभी प्रतिष्ठानों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।

पावरग्रिड परिवार की अथक प्रतिबद्धता ने संगठन को वित्त वर्ष 2020–21 में चुनौतियों से उबरने में सहायता की है। हम अनुकरणीय प्रदर्शन के साथ वित्त वर्ष 2020–21 की लेखाबंदी करने में सक्षम हैं, जिसे आपके साथ साझा करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है।

आपकी कंपनी ने समूह स्तर पर 7,403 सर्किट किमी (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइन, 27,624 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) परिवर्तन क्षमता और 13 नए सबस्टेशन जोड़े। वित्त वर्ष 20–21 के अंत में, पावरग्रिड और इसकी सहायक कंपनियों की कुल ट्रांसमिशन संपत्ति 1,70,685 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन, 261 सबस्टेशन और 4,37,523 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता थी। परिचालन के स्तर पर, आपकी कंपनी ने वर्ष हेतु ट्रिपिंग प्रति लाइन की संख्या 0.36 के साथ 99.78प्रतिशत प्रणाली की उपलब्धता बनाए रखी है जो पांच वर्षों में सबसे कम थी। प्रचलित महामारी की स्थिति के चलते उत्पन्न विभिन्न बाधाओं को देखते हुए यह और भी अधिक प्रशंसनीय है।

वित्तीय स्तर पर, समूह हेतु वर्ष के लिए कुल आय 6प्रतिशत बढ़कर ₹ 38,671 करोड़ से ₹ 40,824 करोड़ हो गई और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 9प्रतिशत बढ़कर ₹ 11,059 करोड़ से ₹ 12,036 करोड़ हो गया। आपकी कंपनी ने समेकित आधार पर ₹ 11,284 करोड़ का पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) और ₹ 21,467 करोड़ की पूंजीकृत संपत्ति प्राप्त की। नए निवेश के लिए लाभांश भुगतान और प्रतिधारित आय को संतुलित करने की हमारी नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 20–21 हेतु ₹ 9.75 प्रति शेयर (बोनस के लिए समायोजित) का लाभांश घोषित किया गया था जिसमें भुगतान किए गए 6.75 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश और ₹ 3 प्रति शेयर का प्रस्तावित अंतिम लाभांश शामिल तहा जिसे आपके अनुमोदन पर भुगतान किया जाएगा। वर्ष हेतु कुल लाभांश और लाभांश वितरण कर ₹ 6,801 करोड़ है जो पिछले वर्ष के 54प्रतिशत की तुलना में कर पश्चात लाभ का लगभग 57प्रतिशत होगा।

आपकी कंपनी टीबीसीबी के तहत ₹ 515.84 करोड़ के कुल वार्षिक स्तर के प्रशुल्क के साथ 5 अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाओं में सफल रही, जो अक्षय ऊर्जा की निकासी की सुविधा प्रदान करेगी।

जिन समुदायों में यह काम करती है, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान ₹ 233.79 करोड़ के सीएसआर बजट के मुकाबले ₹ 240.48 करोड़ व्यय किए। वर्ष के दौरान ₹ 179.77 करोड़ मूल्य की 119 नई सीएसआर परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं।

एक साथ उज्जवल भविष्य के लिए

आपकी कंपनी ने टीबीसीबी डोमेन में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने पर ध्यान देना जारी रखा है और कंपनी का लक्ष्य अंतर–राज्यीय और इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली में उपलब्ध निवेश विकल्पों को और पूंजीकृत करना है।

क्षमता संमिश्रण में नवीकरणीय प्रवेश बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयास में सहायता करने हेतु, आपकी कंपनी ने लद्दाख में 10गीगावॉट के अक्षय ऊर्जा पार्कों से निकासी के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की और प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में 30 गीगावॉट और राजस्थान में 25 गीगावॉट की आरई परियोजनाएं अंतर–राज्यध्अंतर–राज्य क्षेत्र में निवेश के अवसर पैदा कर रही हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि हेतु ₹ 3,03,758 करोड़ के परिव्यय के साथ एक सुध ाार–आधारित और परिणाम–सम्बद्ध योजना, पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना की घोषणा की है जिसका लक्ष्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। हमारा मानना है कि यह योजना हमारे लोगों के लिए बिजली वितरण प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी और आपकी कंपनी को राज्य के भीतर ट्रांसमिशन, वितरण बुनियादी ढांचे, स्मार्ट मीटरिंग आदि के सुदृढ़ीकरण में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगी।

आपकी कंपनी का लक्ष्य अफ्रीका के उभरते बाजारों में अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करना है और अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के तहत केन्या में निवेश करने के लिए और कदम उठाना हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेपाल के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए, संयुक्त उद्यम का गठन (50:50) 400केवी डी/सी गोरखपुर – न्यू बुटवल (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय भाग के निर्माण के लिए पावरग्रिड और एनईए के बीच चल रहा है।

आपकी कंपनी गैर–संचरण आय की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने टेलीकॉम और परामर्शी क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने के अवसरों पर विचार कर रही है।

भविष्य में, आपकी कंपनी व्यापार वृद्धि, क्षेत्रीय विकास और परिवर्तनकारी पहल हेतु अपार अवसर देखती है। मुझे विश्वास है कि कंपनी अपने अति अनुभव के साथ आगामी अवसरों और चुनौतियों को नए जोश और अनुभव के साथ सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

कंपनी की ओर से, मैं आपके निरंतर समर्थन और आपके विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि हम इन चुनौतीपूर्ण समय में एक साथ पारस्परिक संबंध बनाए हुए है, मैं आश्वस्त करता हूं कि कंपनी इसी प्रकार से अपना कार्य करना जारी रखेगी।

शुभकामनाओं सहित

भवदीय,

श्रीकांत

(के. श्रीकांत)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 26 अगस्त, 2021

स्थानः नई दिल्ली

एकीकृत रिपोर्ट

वित्तीय पूंजी

एसेट कैपिटलाइजेशन*
₹ 21,467 करोड़

पूंजी निवेश*
₹ 11,150 करोड़
(नकद आधार पर)

सकल अचल संपत्ति*
₹ 2,41,498 करोड़

कुल आय*
₹ 40,824 करोड़

कर के बाद लाभ*
₹ 12,036 करोड़

प्रतिधारित कमाई



ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन्स*
वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 7403 सीकेएम और 31 मार्च, 2021 को कुल 1,70,685 सीकेएम जोड़ा गया



ईएचवीएसी और एचवीडीसी सब–स्टेशन*
वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 13 नए सब–स्टेशन और 31 मार्च, 2021 तक कुल 261 सब–स्टेशन जोड़े गए



परिवर्तन क्षमता*
वित्त वर्ष 2020 के दौरान 27,624 एमवीए जोड़े गए–31 मार्च, 2021 तक 21 और कुल 4,37,523 एमवीए



हस्तांतरण प्रणाली
उपलब्धता 99.78:
(प्रति पंक्ति ट्रिपिंग घटकर 0.36 हो गई, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है)



दूरसंचार नेटवर्क कवरेज
71,673 किलोमीटर, पिछले वित्त वर्ष के दौरान 66,922 किलोमीटर से अधिक।
100: बैकबोन उपलब्धता

बौद्धिक पूंजी



कॉपीराइट और पेटेंट
ईएचवीध्यूएचवी उपकरण कंडीशन मॉनिटरिंग और हेल्थ असेसमेंट के लिए विकसित दो इन–हाउस सॉफ्टवेयर टूल्स के लिए कॉपीराइट प्राप्त हुआ। एक सॉफ्टवेयर टूल "ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए प्रणाली और पद्धति" के लिए पेटेंट दायर



प्रौद्योगिकी विकास
- 400/220kV मलेरकोटला सबस्टेशन पर आईईसी 61850 प्रक्रिया बस आधारित सुरक्षा, स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली के साथ पूर्ण डिजिटल सबस्टेशन चालू किया गया।
- सीपीएसई कॉन्क्लेव के तहत 400/220 केवी भिवाड़ी सबस्टेशन पर पहले स्वदेशी रूप से विकसित 400ाट ऑप्टिकल करंट ट्रांसफॉर्मर और डिजिटल सबस्टेशन घटकों ने भेल के साथ सफलतापूर्वक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की
- पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (PARTeC) संगठन के आंतरिक अनुसंधान, विश्लेषण, परीक्षण और अंशांकन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।



एनटीएएमसी और आरटीएएमसी
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर पारेषण प्रणाली के दूरस्थ संचालन की सुविधा प्रदान करना। सब–स्टेशनों का रिमोट मैनेजमेंट बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। वित्त वर्ष 20–21 के अंत तक कुल 242 सब–स्टेशन रिमोट से संचालित किए जा रहे हैं।



आपदा और संकट प्रबंधन
प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त विद्युत अवसंरचना की शीघ्र बहाली में सक्षम

*समेकित आधार पर

एकीकृत रिपोर्ट

मानव पूंजी



कर्मचारी 8766
(31.03.2021 को)



विविधता और समावेशन
679 महिला कर्मचारी पीडब्ल्यूडी श्रेणी में 208 व्यक्ति कार्यरत



भर्ती
वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 309 भर्तियां



MOU के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास कोष, विद्युत क्षेत्र में 6000 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद।



प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यदिवस
7.23 वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान

सामाजिक और रिलेशनशिप कैपिटल



COVID–19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों को राहत प्रदान करना – विभिन्न डिस्कॉम बिजली विभागों को अप्रैल और मई 2020 के महीने के लिए बिलिंग में एक बार की समेकित छूट उपभोक्ताओं को समाप्त करने के लिए समान है।



सीएसआर
2020–21 के दौरान ₹240.48 करोड़ खर्च किए।
(चतमेबतपइमक की निर्धारित सीमा के विरुद्ध)
₹ 233.79 करोड़)



कौशल विकास
अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अनुसार 1033 प्रशिक्षुओं को विभिन्न ट्रेडों में लगाया गया है।



राज्यों को योगदान
87,409 गांवों के विद्युतीकरण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है (लगभग 44 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन प्रदान किया गया है।)



मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया और एमएसई पर जोर। सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार प्राप्त एमएसई से वार्षिक खरीद का लक्ष्य (आदेश 2012)

प्राकृतिक पूंजी



प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
1998 से जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग आधारित रूट ऑप्टिमाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए वन की भागीदारी को 60% से अधिक कम करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया।



ऊर्जा प्रबंधन
बीईई ग्रेड–I एनर्जी सर्विस कंपनी के पास ऊर्जा दक्षता समाधान प्रदान करने के लिए प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकोंध्ऊर्जा प्रबंधकों का बड़ा पूल है।



उत्सर्जन नियंत्रण
कंपनी कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है। 70 से अधिक स्थानों पर और प्रगति पर 66 स्थानों पर 6 मेगावाट से अधिक के रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट स्थापित किए गए।



कचरे का प्रबंधन
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत MoEFCC द्वारा बनाए गए नियमों/मानदंडों के अनुसार खतरनाक और अन्य कचरे का निपटान किया जाता है।

निदेशकों का परिचय



श्री के. श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री के. श्रीकांत (57 वर्ष), (डीआईएनः 06615674) हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वह प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव से सीएमए और पीजीडीएम (वित्त) हैं। उनके पास बिजली क्षेत्र में दीर्घकालिक वित्तीय योजना, निवेश मूल्यांकन, पूंजी बजट तैयार करने, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से संसाधन संग्रहित करने, कॉर्पोरेट खातों, वाणिज्यिक, विनियामक मामलों और उद्यम संसाधन योजना प्रणाली के क्षेत्रों में 34 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें अगस्त, 2019 में सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती सीमा गुप्ता
निदेशक (परिचालन)



श्रीमती सीमा गुप्ता (59 वर्ष), (डीआईएनः 06636330) हमारी कंपनी की निदेशक (परिचालन) हैं। इस कार्य से पहले, वे कंपनी में कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र–I) थीं। वह दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीसीई) से स्नातक इंजीनियर हैं और आईएमटी से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी हैं। उन्हें बिजली क्षेत्र में 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने कंपनी में वाणिज्यिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कॉर्पोरेट योजना, कॉर्पोरेट निगरानी समूह, केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता, क्षेत्र के प्रमुख आदि जैसे बहु–अनुशासनात्मक कार्यों को संभाला है। 1991 में पावरग्रिड में शामिल होने से पहले, उन्होंने एनटीपीसी में लगभग 7 वर्षों तक काम किया। उन्हें मार्च, 2018 में हमारे बोर्ड में निदेशक (परिचालन) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री विनोद कुमार सिंह
निदेशक (कार्मिक)



58 वर्षीय श्री विनोद कुमार सिंह (डीआईएनः 08679313) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज (एक्सआईएसएस), रांची से स्नातकोत्तर प्रबंधन किया है। उन्होंने 1985 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ पेशेवर करियर की शुरुआत की और उसके बाद प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम एनएचपीसी में काम किया। 1992 में पावरग्रिड में शामिल होने के बाद से, उन्होंने समामेलन, टर्नअराउंड और कल्चर बिल्डिंग सहित एचआर के सभी पहलुओं में विभिन्न स्तरों, साइटों, आरएचक्यू और कॉर्पोरेट सेंटर में काम किया है। निदेशक (कार्मिक) के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने वरिष्ठ महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) के रूप में प्रमुख परियोजनाओं जैसे क्षमता निर्माण, एनईआर राज्यों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं के पुनर्गठन, कर्मचारियों के लिए सीखने और विकास से संबंधित रणनीतिक गठबंधनों को संभालने के साथ–साथ बाहरी ग्राहक के तौर पर काम किया है। उन्हें फरवरी, 2020 में हमारे बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री एम. ताज मुकररुम
निदेशक (वित्त)



श्री एम. ताज मुकर्रम (59 वर्ष), (डीआईएनः 08097837) हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से वित्त में एमबीए किया है। श्री एम. ताज मुकर्रम ने 1984 में एनटीपीसी लिमिटेड में एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने वित्तीय सहमति, जोखिम प्रबंधन, कोषागार प्रबंधन, परियोजनाओं के वित्तीय उचित परिश्रम, दीर्घकालिक वित्तीय योजना, निवेश मूल्यांकन, पूंजी बजट और संसाधन जुटाने जैसे वित्त और लेखा के मुख्य क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने देश भर में विभिन्न परियोजना स्थलों और क्षेत्रीय मुख्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में काम किया था। उन्हें जुलाई, 2020 में हमारे बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री अभय चौधरी
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री अभय चौधरी (57 वर्ष), (डीआईएनः 07388432) हमारी कंपनी के निदेशक (परियोजनाएं) हैं। इस कार्य को करने से पहले, वह कंपनी में सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के साथ कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक और नियामक प्रकोष्ठ) थे। वह एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और आईएमटी गाजियाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी हैं। विद्युत क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्होंने ईएचवी सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में परिचालन और अनुरक्षण कार्यकपालक के साथ–साथ एक निर्माण इंजीनियर दोनों के रूप में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। उन्होंने 2015–17 से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया। 1991 में पावरग्रिड में शामिल होने से पहले, वह लगभग 6 वर्षों तक एनटीपीसी में थे। उन्हें नवंबर, 2020 में हमारे बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री एम. एन. वेंकटेशन
स्वतंत्र निदेशक

श्री एम.एन. वेंकटेशन (65 वर्ष) (डीआईएनः 02126022), बी.कॉम, एफसीए प्रबंधन और वित्तीय परामर्श में विशेषज्ञता रखने वाले एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उनके पास पेशे में 37 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें 30 से अधिक वर्षों के लिए बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक शामिल हैं। वे 2002 से 2008 तक इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के निदेशक रहे हैं। वर्तमान में, श्री वेंकटेशन एम.आर. नारायण एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, चेन्नई के वरिष्ठ भागीदार हैं। उन्हें जुलाई, 2019 में हमारे बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।





श्री दिलीप निगम
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री दिलीप निगम (डीआईएनः 02990661) ने एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकॉक, थाईलैंड से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एम.टेक किया है। उनकी विशेषज्ञता सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में है। कुछ वर्षों तक निजी क्षेत्र में काम करने के बाद, वह 1987 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में शामिल हो गए। उन्होंने 16 वर्षों तक मंत्रालय के पवन ऊर्जा कार्यक्रम में काम किया, जब देश में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां शुरू की गईं। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र (C&WET) अब NIWE की स्थापना की गई थी। मंत्रालय में, उन्होंने सौर ऊर्जा कार्यक्रमों में 18 वर्षों तक काम किया है। श्री निगम वर्तमान में मंत्रालय में सलाहकार/वैज्ञानिक "जी" (राष्ट्रीय सौर मिशन) के रूप में कार्यरत हैं और देश में सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं से सारोकार कर रहे हैं।

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, 1995 बैच, उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, (डीआईएनः 03426753) विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और एम.टेक किया है। उन्होंने किंग्स कॉलेज, लंदन से सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में और लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी, एमएससी भी किया है। । लगभग 25 वर्षों के करियर में, उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव है। विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे सवा दो वर्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। इस स्थिति ने उन्हें राज्य में शासन के सम्पूर्ण क्षेत्र का व्यापक अनुभव दिया। उन्हें नीति निर्माण और कार्यान्वयन का भी व्यापक अनुभव है। उन्होंने दो वर्ष से अधिक समय तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर और मनोरंजन कर के रूप में पद संभाला थाय ये विभाग राज्य के कर राजस्व में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। प्रशासन की चरम सीमा पर उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में उप–मंडल मजिस्ट्रेट से लेकर मुख्य विकास अधिकारी से लेकर कलेक्टर से लेकर संभागीय आयुक्त तक लगभग हर क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी काम किया। वह ऊर्जा एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं। उन्हें नवंबर, 2020 में हमारे बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री दीपक कश्यप
मुख्य सतर्कता अधिकारी

भारतीय रेल यातायात सेवा के 1986 बैच के अधिकारी श्री दीपक कश्यप (59 वर्ष) पावरग्रिड के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी ऑनर्स में स्नातक किया है और सीवीओ, बीएसएनएल, डीआरएम, दक्षिण पूर्व रेलवे, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक / सामान्य उत्तर रेलवे, सदस्य / रेल भूमि विकास प्राधिकरण, और निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उनके पास प्रशासनिक, स्थापना, सतर्कता, परिचालन, राजस्व, निविदा और संबद्ध विषयों में विविध अनुभव हैं। उन्हें भारतीय रेलवे की लोकप्रिय ऑनबोर्ड पत्रिका "रेल बंधु" की अवधारणा और कमीशन के लिए भी श्रेय दिया जाता है। उन्हें मई 2019 में पावरग्रिड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

15 अगस्त, 2021 को वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची				
क्र.सं.	नाम (श्री / सुश्री / श्रीमती)	पदनाम	स्तर	विभाग / कार्य / क्षेत्र / परियोजना
कॉर्पोरेट केंद्र				
1	ए.पी. गंगाधरन	ईडी	ई9	एसेट मैनेजमेंट, एलडी एंड सी, सेफ्टी सेल
2	राजेश कुमार	ईडी	ई9	सीएमजी
3	मुकेश खन्ना	ईडी	ई9	वाणिज्यिक और नियामक प्रकोष्ठ
4	बी अनंत शर्मा	ईडी	ई9	संविदा सेवाएं, सामग्री प्रबंधन
5	सुनील अग्रवाल	ईडी	ई9	कॉर्पोरेट योजना
6	डॉ. सुबीर सेन	सीओओ	ई9	सीटीयूआईएल
7	अशोक पाल	सीओओ	ई9	सीटीयूआईएल
8	के.के. श्रीवास्तव	ईडी	ई9	डीएमएस
9	ए.के. सिंघल	ईडी	ई9	इंजीनियरिंग– (एस / एस, टीएल, सिविल, कॉस्ट), टीबीसीबी सेल
10	पी. जयचंद्रन	ईडी	ई9	इंजीनियरिंग–एचवीडीसी, क्यूए एंड आई, एफक्यूए
11	पी.वी. नाथ	ईडीध्सीआईएसओ	ई9	ईआरपी एंड आईटी, सूचना सुरक्षा
12	टी.सी. सरमा	ईडी	ई9	ईएसएमडी, सीएसआर
13	प्रमोद कुमार	ईडी	ई9	एफ एंड ए
14	सतीश चंद्र	ईडी	ई9	एचआर
15	वाई.के. दीक्षित	ईडीध्सीओओ	ई9	इंटरनेशनल बिजनेस, बीडीडी एंड पीआई, ऊर्जा एमजीएमटी। विभाग
16	अरुण के मिश्रा	ईडी	ई9	एनएसजीएम–पीएमयू, प्रौद्योगिकी विकास, स्मार्ट ग्रिड ज्ञान केंद्र
17	राजीव कुमार	सीईओ	ई9	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
18	एस.सी. अग्रवाल	सीओओ	ई9	टेलीकॉम
19	ए आनंद	उप सीवीओ	ई9	सतर्कता
क्षेत्रीय प्रमुख				
20	ए.के. मिश्रा	ईडी	ई9	उत्तरी क्षेत्र– I, फरीदाबाद
21	कैलाश राठौर	ईडी	ई9	उत्तरी क्षेत्र– II, जम्मू
22	संजय गुप्ता	ईडी	ई9	उत्तरी क्षेत्र– III, लखनऊ
23	असित कुमार मैती	ईडी	ई9	पूर्वी क्षेत्र – I, पटना
24	ए. बारात	ईडी	ई9	पूर्वी क्षेत्र– II, कोलकाता
25	आर.के. त्यागी	ईडी	ई9	उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांग
26	अनूप कुमार	ईडी	ई9	दक्षिणी क्षेत्र – I, सिकंदराबाद
27	एस. रवि	ईडी	ई9	दक्षिणी क्षेत्र – II, बेंगलुरु
28	रविंदर कुमार एस.	ईडी	ई9	पश्चिमी क्षेत्र – I, नागपुर
29	पी.सी. गर्ग	ईडी	ई9	पश्चिमी क्षेत्र – II, वडोदरा
अन्य प्रमुख				
30	बिमलेंदु शेखर झा	ईडी	ई9	व्यापक टी एंड डी योजना– अरुणाचल प्रदेश
31	नवीन श्रीवास्तव	ईडी	ई9	एनईआरपीएसआईपी, गुवाहाटी
32	आलोक	ईडी	ई9	ओडिशा परियोजनाएं, भुवनेश्वर
33	एस.के. दंभरे	ईडी	ई9	चंपा एसध्एस
अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर				
34	महेंद्र कुमार सिंह	ईडी	ई9	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
35	अविनाश एम पावगी	ईडी	ई9	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड
36	राम नरेश सिंह	ईडी	ई9	दामोदर घाटी निगम
37	उपेंद्र पांडे	ईडी	ई9	गुजरात ऊर्जा ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31.03.2021 के अनुसार निधियों के स्रोत (%)

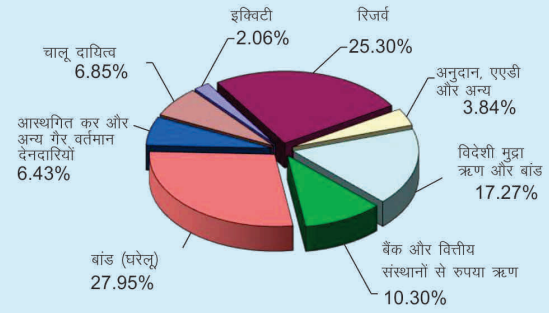

31.03.2021 को निधियों का आवेदन (%)

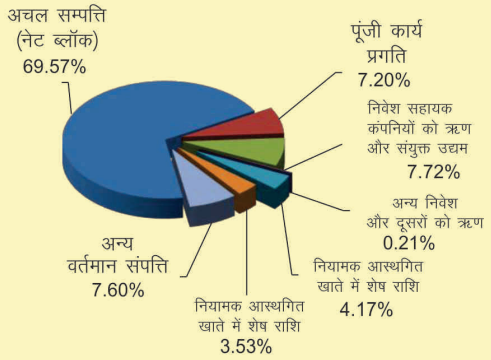

इक्विटी और रिजर्व

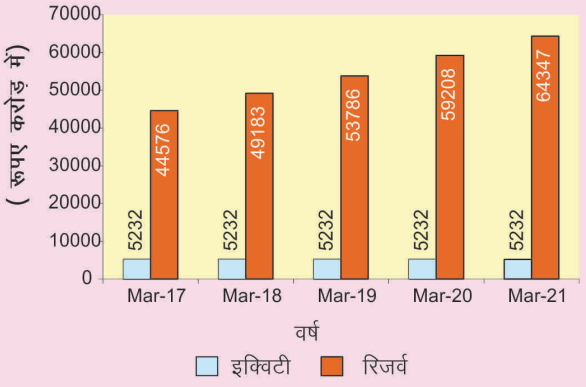

ऋण इक्विटी अनुपात (%)

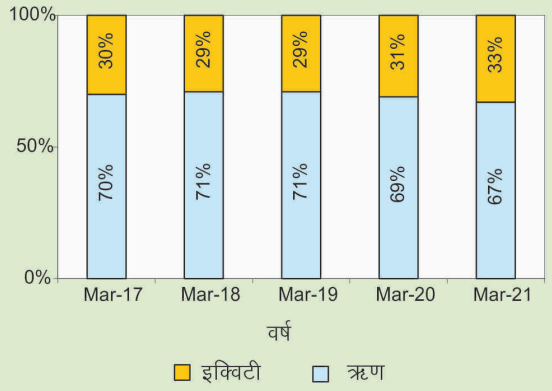

आय ब्रेक–अप (%) – 2020–21

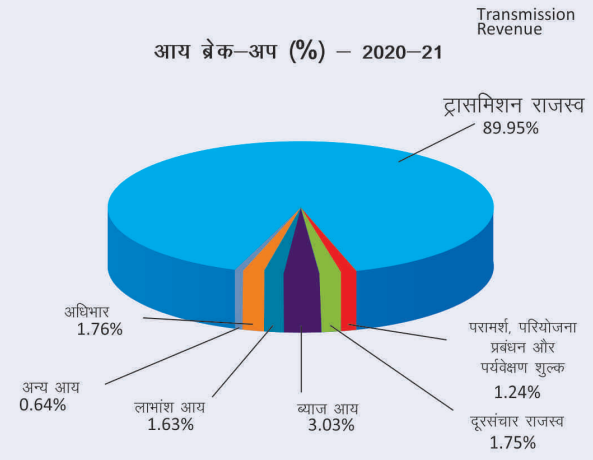

राजस्व का वितरण (%) – 2020–21

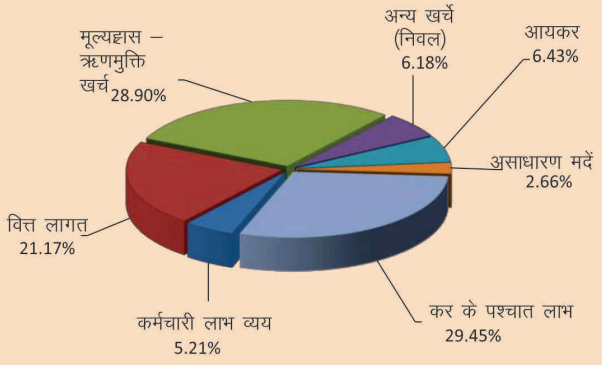

पंच–वर्षीय सारांश–एकल

परिचालन संबंधी परिणाम

₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17
(क) कुल आयः					
परिचालन से राजस्व					
ट्रांसमिशन राजस्व	**36,120.92**	33932.94	32616.99	28447.16	24411.66
अन्य परिचालनात्मक राजस्व – ट्रांसमिशन	**336.00**	943.41	227.95	48.66	218.62
परामर्श राजस्व	**501.28**	610.98	610.93	662.18	582.43
टेलीकॉम राजस्व	**707.45**	698.21	663.25	606.59	497.36
परिचालन से राजस्व	**37,665.65**	36,185.54	34,119.12	29,764.59	25,710.07
अन्य आय	**2,861.46**	2132.43	1498.95	1001.73	866.63
कुल आय	**40,527.11**	38,317.97	35,618.07	30,766.32	26,576.70
(ख) व्ययः					
कर्मचारी लाभ व्यय	**2,110.74**	1959.47	1783.57	1599.09	1377.13
वित्तीय व्यय	**8,501.01**	9813.62	9091.42	7590.66	6303.83
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**11,711.68**	11073.18	10200.67	9091.25	7662.80
अन्य व्यय	**2,498.97**	2824.35	3053.43	2215.70	1733.11
कुल व्यय	**24,822.40**	25670.62	24129.09	20496.70	17076.87
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि	**15,704.71**	12647.35	11488.98	10269.62	9499.83
असाधारण मद	**1,078.64**	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि	**14,626.07**	12647.35	11488.98	10269.62	9499.83
कर व्ययः					
वर्तमान कर	**2,529.11**	2230.74	2489.43	2169.01	1988.45
आस्थगित कर	**560.03**	1288.83	(3465.87)	3140.15	2680.23
	3,089.14	3519.57	(976.44)	5309.16	4668.68
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्वावधि हेतु लाभ	**11,536.93**	9127.78	12465.42	4960.46	4831.15
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष–आय / (व्यय) (निवल कर)	**398.85**	1683.40	(2526.87)	3284.19	2689.00
कर पश्चात लाभ	**11,935.78**	10811.18	9938.55	8244.65	7520.15
अन्य व्यापक आय	**25.36**	(104.02)	(16.30)	8.03	49.83
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	**11,961.14**	10707.16	9922.25	8252.68	7569.98
लाभांश	**6,821.99**	4425.92	4514.87	3034.33	1313.12
लाभांश कर	–	858.69	909.57	610.64	264.76
(क) आस्तियां					
सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**232130.94**	213210.18	195833.62	175478.10	148318.72
सकल अमूर्त आस्ति	**2153.38**	1980.66	1959.07	1622.15	1411.46

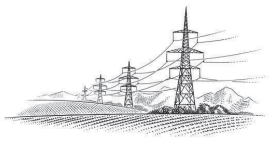

FINANCIAL POSITION

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020–21	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17
	234284.32	215190.84	197792.69	177100.25	149730.18
घटाएँः अल्प संचित मूल्यह्रास	**57340.82**	45354.41	33932.71	23489.90	14222.22
निवल आस्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	**176943.50**	169836.43	163859.98	153610.35	135507.96
निवेश की जाने वाली संपत्ति	**0.03**	0.03	0.03	0.03	0.03
पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	**17896.67**	30180.08	33364.02	30261.17	35806.80
विकास के तहत अमूर्त आस्ति	**74.86**	219.55	214.06	45.95	77.33
गैर शुरू वित्तीय आस्तियां					
निवेश	**4265.36**	3763.66	2756.53	1608.24	1327.55
ऋण	**10474.09**	12783.75	10708.99	8253.12	3618.41
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियां	**(*) 4447.44**	4106.80	4548.37	866.35	836.95
अन्य गैर – वर्तमान आस्तियां	**4874.42**	6127.18	5065.44	5645.51	6346.78
वर्तमान आस्तियां	**(*) 24749.21**	18,409.12	17872.31	12300.20	11050.05
नियामक आस्थगित खाता शेष	**10606.35**	10123.06	8083.27	11304.22	7975.80
कुल आस्तियां	**254331.93**	255549.66	246473.00	223895.14	202547.66
(ख) देयताएँ					
उधारी					
गैर शुरू उधार	**129080.07**	135421.11	131039.51	122420.32	110963.17
गैर शुरू उधारों की वर्तमान परिपक्वता अवधि	**12171.41**	9558.53	10746.85	7792.64	6234.74
	141251.48	144979.64	141786.36	130212.96	117197.91
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं	**3587.01**	3515.63	3897.44	459.60	352.24
गैर वर्तमान प्रावधान	**461.93**	424.71	368.15	716.87	789.56
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**11941.88**	11381.85	10093.02	13558.89	10418.74
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	**345.10**	361.04	486.57	457.16	575.20
वर्तमान देयताएं	**29582.95**	29089.61	32114.14	26899.93	24759.13
घटारू गैर शुरू उधारों की शुरू परिपक्वता अवधि	**12171.41**	9558.53	10746.85	7792.64	6234.74
निवल वर्तमान देयताएं	**17411.54**	19531.08	21367.29	19107.29	18524.39
आस्थगित राजस्व	**9754.15**	10916.02	9457.03	4967.41	4882.37
कुल देयताएं	**184753.09**	191109.97	187455.86	169480.18	152740.41
(ग) निवल मूल्य					
इक्विटी शेयर पूंजी	**5231.59**	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59
अन्य इक्विटी	**64347.25**	59208.10	53785.55	49183.37	44575.66
निवल मूल्य	**69578.84**	64439.69	59017.14	54414.96	49807.25

FINANCIAL POSITION (CONTD.)

विवरण	2020–21	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17
नियोजित पूंजी	**172109.76**	159155.94	149618.15	139010.62	121798.88
(निवल अचल आस्ति. निवल वर्तमान आस्ति)					
(घ) अनुपात					
नियोजित पूंजी को निवल लाभ (प्रतिशत)	**6.93**	6.79	6.64	5.93	6.17
निवल मूल्य से निवल लाभ(प्रतिशत)	**17.15**	16.78	16.84	15.15	15.10
प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया निवल मूल्य (₹)	**13.30**	12.32	11.28	10.40	9.52
ऋण इक्विटी अनुपात (#)	**67रू33**	69रू31	71रू29	71रू29	70रू30
वर्तमान अनुपात	**0.84रू1**	0.63रू1	0.56रू1	0.46रू1	0.45रू1
प्रति शेयर आय (बुनियादी और तनुकृत ईपीएस) (₹)	**22.81**	20.67	19.00	15.76	14.37
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**133.00**	123.17	112.81	104.01	95.20
प्रति शेयर लाभांश (₹)	**13.04**	8.46	8.63	5.80	2.51
नकद आधार पर पूंजीगत व्यय (टीबीसीबी सहित) (₹ करोड़ में)	**11,150**	15,313	25,807	25,791	24,429
(ड.) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी					
ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई (सीकेटी)	**162,565**	156,884	153,075	148,149	139,077
सबस्टेशनों की संख्या	**250**	244	242	234	219
परिवर्तन क्षमता (एमवीए)	**421,173**	400,269	365,282	331,163	289,543
कर्मचारियों की संख्या ($)	**9,258**	9,583	9,886	9,465	9,346
ट्रांसमिशन नेटवर्क उपलब्धता (प्रतिशत)	**99.76प्रतिशत**	99.82प्रतिशत	99.71प्रतिशत	99.81प्रतिशत	99.79प्रतिशत

(*) 'बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों सहित।

(#) ऋण–इक्विटी अनुपात की गणना के लिए, ऋण देयता दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता अवधि भी शामिल करता है।

($) एफटीबी कर्मचारियों सहित

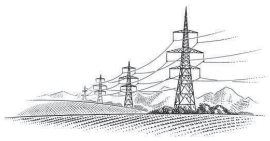

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी के निष्पादन पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ 32वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

कोविड–19 के चलते समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। चूंकि बिजली एक आवश्यक सेवा है, आपकी कंपनी ने कोविड–19 की चुनौतियों का सामना किया और बिजली के विश्वसनीय संचरण को सुनिश्चित किया और अपने परिचालन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का एक और वर्ष पूरा किया।

सभी स्तरों पर उपलब्धियों का अवलोकन करते हुए कंपनी के कार्य निष्पादन पर प्रकाश डाला गया है:

- वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रणाली उपलब्धता 99.78 प्रतिशत हासिल की। ट्रिपिंग प्रति लाइन घटकर 0.36 रह गया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है।
- वर्ष के दौरान अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइनों के 7,403 सर्किट किमी (सीकेएम), 27,624 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) परिवर्तन क्षमता, 13 नए सबस्टेशन (सहायक और अधिग्रहण सहित) जोड़े गए।
- वित्तीय वर्ष 20–21 में कंपनी द्वारा पूंजीकृत परिसंपत्तियां समेकित आधार पर ₹ 21,467 करोड़ थी।
- शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएंरू
  - ±800केवी, 6000 मेगावाट, रायगढ़–पुगलूर–त्रिचूर एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत बाइपोल 1 और संबद्ध एचवीएसी और एचवीडीसी लिंक जो दक्षिणी क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 3,000 मेगावाट के अंतर–क्षेत्रीय बिजली अंतरण को सक्षम बनाता है।
  - वीएससी एचवीडीसी लिंक का एक सममित मोनोपोल एचवीडीसी लाइनों और एचवीडीसी केबलों के साथ ± 320केवी, 2000 MW, पुगलूर–त्रिचूर एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत कमीशन किया गया है।
  - तुमकुर (कर्नाटक) में 2000MW के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और बनासकांठा (गुजरात) में 700MW से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली।
- मौजूदा और साथ ही नए सबस्टेशनों के लिए प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 20–21 में 6,282 किमी ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीवॉट) स्थापित किया गया था।
- चरण– प्प के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावॉट) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण योजना से जुड़ी 5 टीबीसीबी परियोजनाओं में सफलता प्राप्त हुई। उपरोक्त 5 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं का वित्त वर्ष 20–21 में अधिग्रहण किया गया है। इन 5 परियोजनाओं का कुल वार्षिक स्तरीकृत प्रशुल्क ₹ 515.84 करोड़ है।
- आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत, आपकी कंपनी ने, भेल के सहयोग से, 400/220 केवी भिवाड़ी सबस्टेशन पर डिजिटल सबस्टेशन घटकों (प्म्वे और ैब्।क्।) के साथ भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 400केवी ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक शुरू किया है।
- आपकी कंपनी ने आईईसी 61850 प्रोसेस बस आधारित सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली के साथ एक पूरी तरह से डिजिटल 400/220 केवी सबस्टेशन (बस बार सुरक्षा सहित) शुरू किया है। 400/220 केवी मलेरकोटला सबस्टेशन पर इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है।
- एकल आधार पर, वित्त वर्ष 20–21 के दौरान कंपनी की कुल आय ₹ 40,527.11 करोड़, वित्त वर्ष 20–21 के दौरान 5.77 प्रतिशत और कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी) ₹ 11,935.78 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 10.40प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 20–21 हेतु घोषित ₹ 9.75 प्रति शेयर का लाभांश। पिछले वर्ष के ₹ 7.5 प्रति शेयर की तुलना में शेयरधारकों के अनुमोदन (बोनस के लिए समायोजित) के लिए अनुशंसित ₹ 6.75 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश और ₹ 3 प्रति शेयर का अंतिम लाभांश।
- आपकी कंपनी ने देश में कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद, वित्त वर्ष 20–21 में बिलिंग के 103.78 प्रतिशत की उल्लेखनीय संग्रह दक्षता हासिल की है।
- प्लैट्स टॉप 250 ग्लोबल ऊर्जा कंपनी रैंकिंग 2020 के तहत लगातार 7वें वर्ष 'एशिया पैसिफिक में सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक यूटिलिटी' के रूप में प्रदर्शित और विश्व स्तर पर चौथी सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के रूप में नियोजित।
- आपकी कंपनी 7 भारतीय संगठनों के साथ एटीडी (एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट) बेस्ट अवार्ड 2021 विजेता सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू थी।

1. वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 20–21 में, कंपनी ने शानदार वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। एकल आधार पर पिछले वित्त वर्ष 19–20 की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर सभी आंकड़े इकाइयों में हैं जैसा कि दर्शाया गया है)

विवरण	2020–21		2019–20		वर्ष–दर–वर्ष
	₹ (करोड़)	यूएस + (मिलियन)	₹ (करोड़)	यूएस + (मिलियन)	विकास (प्रतिशत)
राजस्व					
ट्रांसमिशन (ट्रांसमिशन) शुल्क	36,456.92	4,960.13	34,876.35	4,745.08	4.53
परामर्श–सेवाओं की बिक्री	501.28	68.20	610.98	83.13	–17.95
टेलीकॉम	707.45	96.25	698.21	94.99	1.32
अन्य आय	2861.46	389.31	2132.43	290.13	34.19
कुल आय	40,527.11	5,513.89	38,317.97	5,213.33	5.77
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	11935.78	1,623.92	10811.18	1,470.91	10.40
प्रति शेयर आय	₹ 22.81	0.31(US $)	₹ 20.67	0.28 (US $)	10.35
प्रति शेयर बही मूल्य	₹ 133.00	1.81 (US $)	₹ 123.17	1.68 (US $)	7.98
सकल अचल संपत्ति	234284.32	31,875.42	215190.84	29,277.67	8.87
दीर्घावधि उधार'	141251.48	19,217.89	144979.64	19,725.12	–2.57
निवल मूल्य	69578.84	9,466.51	64439.69	8,767.30	7.98
ऋण इक्विटी अनुपात		67:33	69:31		
निवल मूल्य पर वापसी	17.15 प्रतिशत	16.78 प्रतिशत			

*दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता सहित। 31.03.2021 को यूएस $1= ₹ 73.50 पर सुविधा संपरिवर्तन

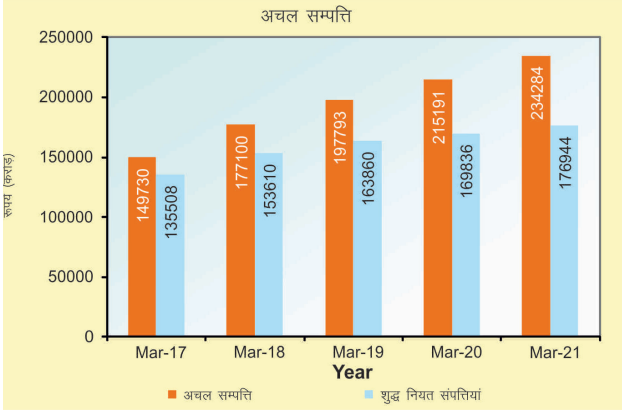

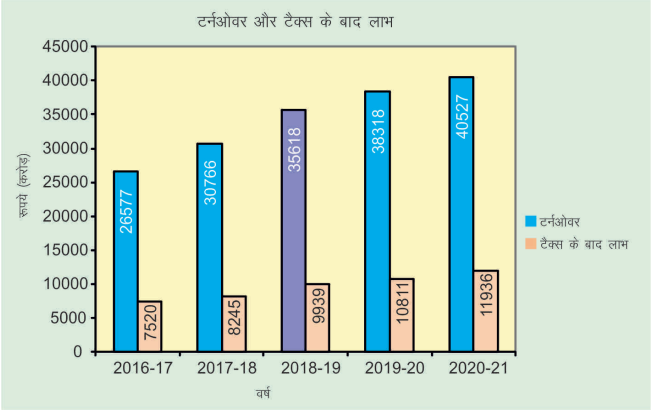

1.1. जारी लाभांश भुगतान और बोनस शेयर

वित्तीय वर्ष 20–21 के लिए ₹ 6.75 प्रति शेयर भुगतान (बोनस के लिए समायोजित) के पहले और दूसरे अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, ₹ 3 प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 9.75 प्रति शेयर (बोनस के लिए समायोजित) है, जबकि वित्त वर्ष 19–20 में यह ₹ 7.5 था। वर्ष के लिए कुल लाभांश भुगतान राशि ₹ 6,801.07 करोड़ (अंतरिम लाभांश ₹ 4,708.43 करोड़ सहित) है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद किया जाएगा। पिछले वर्ष के 54 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के लिए कुल भुगतान अनुपात 57 प्रतिशत था।

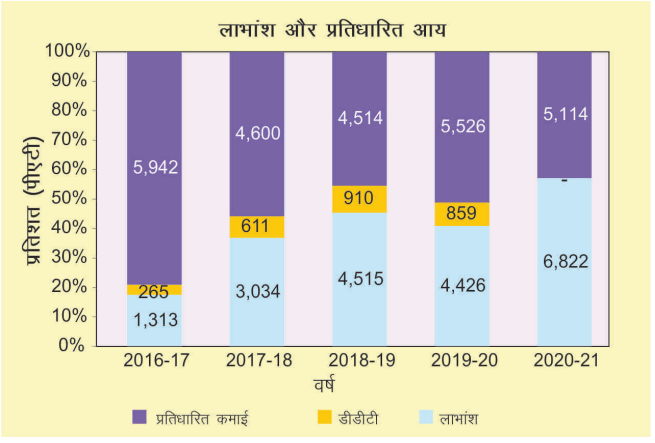

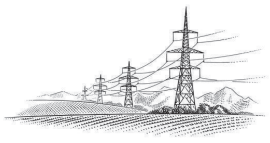

इसके अतिरिक्त, अपनी स्थापना के बाद से पहली बार, आपकी कंपनी ने 1रू3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं, अर्थात, अपने शेयरधारकों को प्रति ₹ 10/- (दस रुपये मात्र) के अंकित मूल्य के प्रति 3 (तीन) इक्विटी शेयर हेतु प्रति ₹ 10/- (दस रुपये मात्र) के अंकित मूल्य के प्रति 1 (एक) इक्विटी शेयर। बोनस शेयर जारी करने के बाद, कंपनी की चुकता पूंजी बढ़कर ₹ 6975.45 करोड़ हो गई है।

1.2. रिजर्व में स्थानांतरण

वित्तीय वर्ष 20–21 के लिए लाभ का विनियोग इस प्रकार किया गया हैरू

क) सामान्य रिजर्वः ₹ 6,000.00 करोड़

ख) स्व–बीमा रिजवः ₹ 278.79 करोड़

1.3. भारत सरकार की शेयरधारिता

वर्ष के दौरान, भारत सरकार की शेयरधारिता 51.34 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।

2. महत्वपूर्ण विकास

2.1. प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से सहायक कंपनियों का अधिग्रहण

2011 से, कंपनी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के आबंटन के लिए भारत सरकार द्वारा अनिवार्य टीबीसीबी प्रक्रिया में भाग ले रही है। इस प्रकार अर्जित की गई परियोजनाओं को कंपनी की परियोजना–विशिष्ट पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में रखा गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अक्षय ऊर्जा से जुड़ी पांच आईएसटीएस परियोजनाओं में सफल रही। इनमें से दो परियोजनाओं का वित्त वर्ष 20–21 में अधिग्रहण किया गया था।

31 मार्च 2021 तक, आठ टीबीसीबी सहायक कंपनियां कुल टीबीसीबी ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह से क्रियाशील थीं, जिसमें 7,264 सीकेएम के साथ 59 ट्रांसमिशन लाइनें और 16,050 एमवीए की कुल परिवर्तन क्षमता के साथ 7 सबस्टेशन शामिल थे। संचयी रूप से, कंपनी, वित्तीय वर्ष 20–21 के अंत में, 22 टीबीसीबी सहायक कंपनियों के स्वामित्वाधीन थी, जिसका विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडी एवं ए) में प्रदान किया गया है।

एक अलग भाग एमडी एवं ए में संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों की वित्तीय समीक्षा पर शामिल किया गया है।

2.2. श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन प्रणाली (एसएलटीएस) का पावरग्रिड में स्थानांतरण

प्रमुख एसएलटीएस परियोजना को पावरग्रिड द्वारा भारत सरकार की पीएमडीपी योजना के तहत परामर्श के आधार पर कार्यान्वित किया गया था। यह परियोजना गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए लद्दाख क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ती है। परियोजना के घटक में बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली 375 किमी की ट्रांसमिशन लाइन और द्रास, कारगिल, खलत्सी और लेह में 66केवी इंटर–कनेक्शन प्रणाली के साथ–साथ चार नए अत्याधुनिक 220/66केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन शामिल हैं। यह परियोजना 31 जनवरी, 2019 को शुरू की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को 03 फरवरी, 2019 को समर्पित की गई थी।

जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन पर, एसएलटीएस को एक अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) के रूप में फिर से नामित किया गया है और 31 अक्टूबर, 2019 (दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के गठन की तारीख) से पावरग्रिड में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.3. जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (जेपीएल) का अधिग्रहण

जेपीएल ख्पॉवरग्रिड (26प्रतिशत) और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (74प्रतिशत) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को हिमाचल प्रदेश में 1000 मेगावाट करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से उत्पन्न बिजली के लिए 5 अक्टूबर, 2006 में शामिल किया गया था। आस्ति में 449 सीकेएम (400 केवी डी / सी करचम–वांगटू– अब्दुल्लापुर ट्रांसमिशन लाइन और वांगटू में 400 केवी बास्पा–नाथपा झाकरी ट्रांसमिशन लाइन की एलआईएलओ) की दो ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं जो अप्रैल 2012 से वाणिज्यिक परिचालन के अधीन हैं।

आपकी कंपनी ने ₹ 354.50 करोड़ के कुल प्रतिफल पर जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जिस हेतु 25 मार्च, 2021 को जेपीएल पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कंपनी का नाम जेपी पावरग्रिड लिमिटेड से पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल) में बदल दिया गया है।

2.4. सीटीयू कार्यों का पृथक्करण

आपकी कंपनी को 1998 से केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) के रूप में नामित किया गया था। शुरू में इस उद्देश्य के लिए शामिल पावरग्रिड की एक सहायक कंपनी को सीटीयू के रूप में नामित करके, इसे भारत सरकार की एक अलग कंपनी के रूप में स्थापित करके, भारत सरकार ने सीटीयू कार्यों को पावरग्रिड से अलग करने का निर्णय लिया है।

आपकी कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) को भारत की 'केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता' के रूप में 01 अप्रैल 2021 को सीटीयू के सभी कार्यों का निर्वहन करने हेतु शामिल किया, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। आपकी कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक डीम्ड ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी बनी हुई है। चूंकि सीटीयू कार्य वाणिज्यिक उन्मुख नहीं हैं, सीटीयू कार्यों के पृथक्करण से कंपनी के व्यवसाय परिचालन पर भौतिक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा नहीं है।

2.5. पावरग्रिड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (PGInvIT) के माध्यम से ट्रांसमिशन आस्तियों का मुद्रीकरण:

कंपनी के विकास के लिए भविष्य की पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु संसाधन संग्रहित करने हेतु, आपकी कंपनी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) मॉडल के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया है। यह भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है और आपकी कंपनी प्दअप्ज संरचना के माध्यम से परिसंपत्ति पुनर्चक्रण करने वाली पहली सीपीएसई है।

भारत सरकार द्वारा दी गई संस्वीकृति के अनुसार, आपकी कंपनी ने 5 टीबीसीबी स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से परिचालन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया, जिसका सकल ब्लॉक मूल्य लगभग 7,200 करोड़ रुपये था, जिसमें 3699 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 3 सबस्टेशन शामिल थे, जिनकी मई 2021 में एमवीए परिवर्तन क्षमता 6630 थी।

विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–ए में दिए गए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल हैं।

3. परिचालन निष्पादन

3.1. आस्ति प्रबंधन

31 मार्च 2021 को, कंपनी की कुल ट्रांसमिशन आस्ति, जिसमें इसकी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, में 1,70,685 ckm की कुल 1,321 ट्रांसमिशन लाइनें, 4,37,523 MVA की कुल परिवर्तन क्षमता वाले 261 सबस्टेशन शामिल हैं। आस्ति में 1,429 ट्रांसफार्मर, 14 स्टेटकॉम और 3 स्टेटिक वीएआर कम्पेसाटर (एसवीसी), 4 सीरीज रिएक्टर के अतिरिक्त कई थाइरिस्टर नियंत्रित सीरीज कम्पेसाटर (टीसीएससी) / फिक्स्ड सीरीज कम्पेसाटर (एफएससी) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 20–21 में, कंपनी ने 0.36 पर निहित प्रति लाइन ट्रिपिंग की संख्या के साथ ट्रांसमिशन नेटवर्क की 99.78प्रतिशत उपलब्धता हासिल की। वर्ष के दौरान शुरू की गई वार्षिक अनुरक्षण योजना के लिए वेब–आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी करने वाली सक्रिय अनुरक्षण प्रबंधन प्रथाओं ने कंपनी को कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद अपने बड़े और अत्यधिक जटिल ट्रांसमिशन आस्ति नेटवर्क के उच्च परिचालन निष्पादन को प्राप्त करने में मदद की है। आपकी कंपनी सुधार के लिए कमियों की पहचान करने, प्रमुख पहलों को साझा करने और इष्टतम परिचालन निष्पादन प्राप्त करने के लिए परिचालन निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतकों पर आंतरिक बेंचमार्किंग भी करती है।

कोविड–19 के चलते 06 सबस्टेशनों पर आपकी कंपनी की आंतरिक अनुरक्षण टीमों द्वारा जीआईएस सबस्टेशन उपकरणों की मरम्मत से प्रणाली में उत्पन्न होने वाली लंबी रुकावटों को रोका गया और इसके परिणामस्वरूप काफी लागत की बचत हुई। छह एचवीडीसी कन्वर्टर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की गई और एक 765 केवी लाइन रिएक्टर की मरम्मत स्थल पर की गई, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हुई। यह पहली बार था, कि आपकी कंपनी द्वारा 765 केवी श्रेणी के रिएक्टर की ऑन–साइट मरम्मत की गई।

± 2×250MW एचवीडीसी विंध्याचल बैक–टू–बैक और 1500 मेगावाट ± 500केवी एचवीडीसी रिहंद–दादरी का नवीनीकरण उन परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है जिन्होंने 25 से अधिक वर्षों से भारतीय विद्युत प्रणाली की सेवा की है। एचवीडीसी प्रणालियों का नवीनीकरण जो भारत में पहली बार किया जा रहा है, इन एचवीडीसी परिसंपत्तियों के परिचालन इसके कार्य को लगभग 10 वर्षों तक बढ़ा देगा, जिससे कम लागत पर निरंतर बिजली आपूर्ति के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा।

गलत स्थान की सही पहचान करने के लिए वित्त वर्ष 20–21 में 43 ट्रांसमिशन लाइनों में अत्याधुनिक, ट्रैवलिंग वेव बेस्ड फॉल्ट लोकेटर (टीडब्ल्यूएफएल) लगाए गए थे। इसके साथ आपकी कंपनी की 95 महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइनों में बेहतर फॉल्ट लोकेशन और जल्द बहाली के लिए टीडबल्यूएफएल स्थापित है।

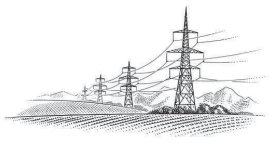

कंपनी पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन परिचालन एवं अनुरक्षण अध्ययन (आईटीओएमएस) में भाग ले रही है, जो एक वैश्विक ओ एंड एम बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 32 प्रमुख वैश्विक ऊर्जा ट्रांसमिशन उपयोगिता शामिल हैं, जहां यह लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है।

3.2. राष्ट्रीय ट्रांसमिशन आस्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएएमसी), मानेसर और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन आस्ति प्रबंधन केंद्र (आरटीएएमसीएस)

आपकी कंपनी के ट्रांसमिशन प्रणाली के दूरस्थ परिचालन और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न मापदंडों की निगरानी की सुविधा के लिए, गुरुग्राम, हरियाणा के पास मानेसर में एनटीएएमसी की स्थापना की थी और देश भर में विभिन्न स्थानों पर आरटीएएमसी की स्थापना की थी। ट्रांसमिशन आस्तियों की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों द्वारा चौबीसों घंटे इन अत्याधुनिक केंद्रों का परिचालन किया जाता है।

कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 20–21 के दौरान सबस्टेशनों का दूरस्थ प्रबंधन बेहद फायदेमंद साबित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, आठ (8) अतिरिक्त उच्च स्तरीय वोल्टेज (ईएचवी) सबस्टेशनों को रिमोट ऑपरेशन के लिए एनटीएएमसी के साथ एकीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 20–21 के अंत में कुल 242 सबस्टेशन इन परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्रों से दूर से परिचालित किए जा रहे हैं।

3.3. नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना

आपकी कंपनी ट्रांसमिशन लाइनों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग करती है जैसे ट्रांसमिशन लाइनों की एरियल पटरोलिंग, थर्मो–विजन स्कैनिंग, कोरोना कैमरा, हाई रिजॉल्यूशन वीडियो, डिजिटल कैमरा, ट्रांसफॉर्मर की एप्लिकेशन–आधारित निगरानी, रिएक्टर और लाइनों की पटरोलिंग और परिसंपत्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से डेटा का समय पर अद्यतन।

आपकी कंपनी ने आईईसी 61850 प्रक्रिया बस आधारित सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली के साथ एक पूर्ण डिजिटल सबस्टेशन (बस बार सुरक्षा सहित) शुरू किया है और 400/220 केवी मलेरकोटला सबस्टेशन पर पारंपरिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली की रेट्रोफिटिंग द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। यह तकनीक इंजीनियरिंग में बहुत अधिक लचीलापन, तेज कमीशनिंग, डाउन टाइम और लागत कम करना, उन्नत निदान और आस्ति प्रबंधन के दौरान ट्रबलशूटिंग में आसानी प्रदान करती है।

3.4. साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा पहल का नेतृत्व कंपनी में सूचना सुरक्षा विभाग के माध्यम से मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) करते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय और कंपनी के 213 सबस्टेशन आईएसओः 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है और सीईआरटी–इन और एनसीआईआईपीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और मॉक–ड्रिल में भाग लेती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी नामित सांविधिक निकायों, अर्थात् भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी–इन) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) के साथ निकट संपर्क में कार्य करती है। इन संस्थानों द्वारा समय–समय पर जारी की गई सलाह का अनुपालन किया जाता है और अन्य ट्रांसमिशन क्षेत्र उपयोगिता के साथ साझा किया जाता है। पावरग्रिड को विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई है।

3.5. सुरक्षा

आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने और कार्य की सर्वोत्तम संभव सुरक्षित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि सभी ज्ञात सुरक्षा कारकों को मानकों के अनुसार यथा लागू सीमा सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के उपकरण डिजाइन, निर्माण, परिचालन और मशीनरी के अनुरक्षण के दौरान ध्यान में रखा जाता है।

सुरक्षा नीति, नियम और दिशानिर्देश व्यापक प्रसार के लिए हिंदी, अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में निर्देश, नोटिस प्रकाशितध्अधिसूचित करके कार्यान्वित किए जाते हैं और नियमित रूप से त्रि–स्तरीय सुरक्षा सेटअप (कॉर्पोरेट केंद्र, क्षेत्र और साइट स्तर) द्वारा निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा के लिए संविदात्मक प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और सभी कार्य एजेंसियों द्वारा समय–समय पर उनकी प्रतिक्रिया के साथ सुरक्षा प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए संशोधित किया जाता है।

नई तकनीक को अपनाना अर्थात इंडक्शन जोन के आसपास काम करने वाले व्यक्ति को अलर्ट करने के लिए इंडक्शन हेलमेट और बैंड का उपयोग साइटों पर सुरक्षा के लिए अपनाया जा रहा है। पीएससी खंभों पर चढ़ने और टॉवर निर्माण के दौरान स्थिति में सहायता करने के लिए पीएससी खंभों और टॉवर निर्माण कार्यों पर चढ़ने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए विकसित किया जा रहा है।

विभिन्न ओ एवं एम और निर्माण स्थलों पर सभी संविदा कर्मियों और पावरग्रिड कर्मचारियों के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा ६ निरीक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग और मॉक–ड्रिल किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, लगभग 400 निर्माण स्थल निरीक्षण, ठेकेदार कर्मचारियों के लिए लगभग 2,900 सुरक्षा–प्रशिक्षण सत्र, पावरग्रिड कर्मचारियों के लिए लगभग 800 सुरक्षा–प्रशिक्षण सत्र और लगभग 920 मॉक–ड्रिल किए गए।

सभी साइटों पर स्थानीय भाषाओं में दैनिक सुरक्षा ब्रीफिंग और पेप–टॉक वितरित किए गए ताकि कर्मचारियों को काम से जुड़े खतरों और उन्हें कैसे पहचाना जाए तथा सुरक्षा उपाय जिससे किसी भी घटना को रोका जा सकता है, के बारे में शिक्षित किया जा सके। उपरोक्त के अतिरिक्त, कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को शामिल करते हुए सुरक्षा दिवस और पखवाड़े समारोह आयोजित किए जा रहे हैं जो सुरक्षा के पालन के लिए जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं।

4. आपदा प्रबंधन

कंपनी के पास आपदा से पहले और बाद की स्थितियों के दौरान त्वरित कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त बिजली बुनियादी ढांचे की त्वरित बहाली के लिए एक ष्आपदा और संकट प्रबंधन योजनाष् है। यह आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभागों की भूमिकाओंधजिम्मेदारियों के साथ–साथ संकटों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से और कुशलता से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर संकटध्आपदा प्रबंधन के एक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की निविष्टियों के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान सभी चक्रवातों की शुरुआत से पहले प्रारंभिक कदम उठाए। अग्रिम तैयारी और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण प्रमुख चक्रवातों जैसे अम्फान, निसारगा, निवार और बुरेवी के दौरान आपकी कंपनी के ट्रांसमिशन नेटवर्क को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कंपनी ने प्रभावित राज्यों की ट्रांसमिशन और वितरण उपयोगिताओं को उनके क्षतिग्रस्त ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क की शीघ्र बहाली के लिए सहायता और सामग्री प्रदान करके अपना पूरा समर्थन दिया।

5. परियोजना कार्यान्वयन

कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए मार्च और अप्रैल 2020 के महीने में लॉकडाउन और इस हेतु सहायता और सामग्री की आवाजाही पर प्रतिबंध ने वर्ष के दौरान परियोजना निर्माण गतिविधियों को प्रभावित किया था। परियोजना निर्माण पर कोविड–19 के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। स्थिति से निपटने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान साइट पर कर्मियों को विभिन्न सहायता प्रदान की गई।

कोविड–19 के चलते उत्पन्न बाधाओं के बावजूद, आपकी कंपनी की मजबूत परियोजना प्रबंधन प्रथाओं के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20–21 में लगभग 6,580 सीकेएम ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनें, लगभग 27,320 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 9 नए सबस्टेशन शामिल हुए। इसमें 866.05 सीकेएम शामिल है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन टीबीसीबी सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष के दौरान ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों, 6,420 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 3 नए सबस्टेशन जोड़े गए।

इसके अतिरिक्त, प्रभावी ग्रिड प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों (आरएलडीसी)/राज्य लोड डिस्पैच केंद्रों (एसएलडीसी) के साथ वॉइस और डेटा संचार का समर्थन करने के लिए वर्ष के दौरान लगभग 6,282 किलोमीटर ओपीजीगावॉट नेटवर्क जोड़ा गया था।

कमीशन की गई प्रमुख ट्रांसमिशन आस्तियां

अंतर–क्षेत्रीय रेखाएं

- ± 800केवी रायगढ़ – बाइपोल–I (पोल–I और पोल–II, 3000 MW) के साथ पुगलूर एलसीसी एचवीडीसी लिंक

बांग्लादेश के साथ संबंध

- 400 केवी डी/सी बहरामपुर (पीजी) – भेरामेरा (बदेश) लाइन (दूसरी डी/सी लाइन) – भारत का हिस्सा

ट्रांसमिशन प्रणाली अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क से जोड़ना

- 400केवी डी/सी तुमकुर (पावागड़ा) पीएस – देवनहल्ली (केपीटीसीएल) (क्वाड) लाइन
- 400केवी डी/सी हिरियुर – मैसूर लाइन
- 400केवी डी/सी बनासकांठा पीएस – बनासकांठा (पीजी) लाइन

दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड के सुदृढ़ीकरण के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली

- 400केवी डी/सी पुगलूर एचवीडीसी स्टेशन – पुगलूर लाइन
- 400केवी डी/सी पुगलूर एचवीडीसी स्टेशन – अरासुर लाइन
- उत्तर त्रिचूर एचवीडीसी स्टेशन पर 400केवी डी/सी उत्तर त्रिचूर – कोचीन लाइन का एलआईएलओ
- ±320केवी वीएससी एचवीडीसी पुगलूर – उत्तर त्रिचूर (केरल) लिंक (1000 मेगावाट का एक सममित मोनोपोल)

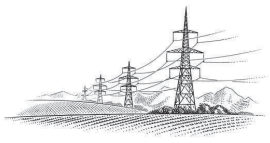

अन्य महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइनें

- पी.के.बारी एसध्एस और सिलचर एसध्एस पर अतिरिक्त लाइन 400केवी डी/सी लाइन। 400 केवी डी/सी पी.के. बारी – सिलचर लाइन।
- 400केवी डी/सी एनएनटीपीएस स्विच यार्ड – अरियालुर (विल्लुपुरम) लाइन
- 400केवी डी/सी राजारहाट – पूर्णिया लाइन (ट्रिपल स्नोबर्ड)–बैलेंस भाग
- 400केवी एसध्सी (क्वाड) टिहरी जनरल – टिहरी पूलिंग स्टेशन लाइन

टीबीसीबी लाइन्स

- अंतरराज्यीय परियोजनाएं
  - 765केवी डी/सी रांची (नया) – मेदिनीपुर लाइन (ईआरएसएस–XVIII)
  - मेदिनीपुर एसध्एस (ईआरएसएस–XVIII) में 400 केवी डी/सी चंडीथला–खड़गपुर लाइन के दोनों सीकेटी का एलआईएलओ
  - चंदौती एसध्एस (ईआरएसएस–XXI) में 400 केवी डी/सी नबीर–द्वितीय – गया लाइन के दोनों सीकेटी का एलआईएलओ
- अंतर्राज्यीय परियोजनाएं – (पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड)
  - एलआईएलओ 765केवी एसध्सी मैनपुरी – जवाहरपुर एसध्एस. में जीआर नोएडा लाइन
  - 400केवी डी/सी आगरा दक्षिण–फतेहाबाद (765केवी) लाइन के एक सर्किट का 400केवी फिरोजाबाद एसध्एस पर एलआईएलओ
  - 220 केवी फिरोजाबाद (220 केवी) का एलआईएलओ – 400केवी फिरोजाबाद एसध्एस पर आगरा (765 केवी पीजी) लाइन
  - 132केवी एस/सी एत्मादपुर–बरहान लाइन का 400केवी फिरोजाबाद एसध्एस पर एलआईएलओ
  - 132केवी डी/सी फिरोजाबाद (400केवी) – नरखी लाइन

  31 मार्च 2021 तक, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों की अंतर–क्षेत्रीय बिजली अंतरण क्षमता 90,090 मेगावाट थी और राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर–क्षेत्रीय बिजली अंतरण क्षमता 105,050 मेगावाट थी।

6. नई परियोजनाओं का पूंजी निवेश, निधि संग्रहण और निवेश अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, कंपनी ने नकदी आधार पर ₹ 11,150 करोड़ का समेकित पूंजी निवेश किया। इस निवेश को वित्तपोषित करने के लिए, कंपनी ने और केंद्रीय वित्तीय सहायता (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) से बॉण्ड्स और सावधि ऋणों के माध्यम से ₹ 6,010 करोड़, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/आपूर्तिकर्ताओं के ऋण के माध्यम से ₹ 1,589 करोड़, आंतरिक संसाधनों से ₹ 3,516 करोड़ और विद्युत प्रणाली विकास निधि से प्राप्त अनुदानों के माध्यम से ₹ 35 करोड़ संग्रहित किए।

वर्ष के दौरान, विनियमित प्रशुल्क प्रणाली (आरटीएम) के तहत ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए लगभग ₹ 1,092 करोड़ प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान टीबीसीबी तंत्र के तहत अनुमानित ₹ 1,700 करोड़ की परियोजनाओं का भी अधिग्रहण किया।

7. वाणिज्यिक हाइलाइट्स

अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों का बंटवारा सीईआरसी (अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान में अधिसूचित राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के अनुरूप समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में, सीईआरसी (अंतर राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 परिचालन में हैं। ये नियम सीईआरसी (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2010 के स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से लागू हुए। शेयरिंग विनियम, 2020 के अनुसार, कंपनी, केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) देश में सभी आईएसटीएस लाइसेंसधारियों की ओर से बिलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क एकत्र करने और उन्हें 31 मार्च, 2021 तक संवितरित करने के लिए जिम्मेदार थी।

कंपनी ने देश में कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद वित्तीय वर्ष 20–21 में सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया और 103.78 प्रतिशत बिलिंग की उल्लेखनीय संग्रह दक्षता हासिल की।

कोविड–19 के प्रभाव के चलते वित्तीय संकट से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों को राहत प्रदान करना:

राज्य की उपयोगिताओं का राजस्व विद्युत की कम मांग और लॉकडाउन अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में समग्र कमी से प्रभावित हुआ। उनकी कठिनाई को कम करने के लिए और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2020 और मई 2020 के बिलिंग में ₹ 1,078.64 करोड़ की एकमुश्त समेकित छूट के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न डिस्कॉमधविद्युत विभागों को अंतिम

उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए राहत प्रदान की गई थी। 24 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान देय बिलों और आत्मानिर्भर भारत योजना के तहत पीएफसी और आरईसी की चलनिधि इन्फ्यूजन (अर्क) योजना के माध्यम से प्राप्त सभी भुगतानों के लिए अधिभार की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई थी। आत्मनिर्भरयोजना के तहत, आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान ₹ 2,623.26 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिससे वर्ष के अंत में बकाया राशि में काफी कमी आई है।

8. सीमा पार अंतरसंबंध

वित्तीय वर्ष 20–21 में, मुजफ्फरपुर (भारत) – ढलकेबार (नेपाल) 400केवी डीसी लाइन को इसके रेटेड वोल्टेज पर अपग्रेड किया गया था। वर्ष के दौरान भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ सीमा–पार अंतरसंबंधों के माध्यम से संचयी विद्युत हस्तांतरण क्षमता बढ़कर लगभग 4,230 मेगावाट हो गई।) 400 केवी डीसी गोरखपुर (भारत) – न्यू बुटवाल (नेपाल) (क्वाड) ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नेपाल के साथ अंतरसंबंध के लिए अतिरिक्त लिंक कार्यान्वयन के तहत, 400 केवी डीसी जिग्मेलिंग (भूटान) – अलीपुरद्वार (भारत) (क्वाड) ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से भूटान के साथ हैं। भारत सरकार ने आपकी कंपनी को 765 केवी डीसी कटिहार–परबोतीपुर–बोरर ट्रांसमिशन लाइन को लागू करने का आदेश दिया है जो बांग्लादेश के माध्यम से बिहार और असम राज्यों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इस लाइन के कार्यान्वयन के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा जारी है।

9. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई), कनेक्टिविटी, दीर्घकालिक पहुँच (एक्सेस) (एलटीए) और मध्यम अवधि की खुली पहुंच (मीडियम–टर्म ओपन एक्सेस) (एमटीओए) का एकीकरण

कंपनी ने केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) के रूप में, विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों (66.5 गीगावॉट) के ग्रिड एकीकरण के लिए एक व्यापक ट्रांसमिशन योजना विकसित की थी। इन ट्रांसमिशन योजनाओं को प्रगतिशील तरीके से लागू करने के लिए लिया जा रहा है। कंपनी, सीटीयू के रूप में, विभिन्न आवेदकों को कनेक्टिविटी, दीर्घकालिक पहुँच (एक्सेस) (एलटीए) और मध्यम अवधि की खुली पहुंच (मीडियम–टर्म ओपन एक्सेस) (एमटीओए) के प्रसंस्करण और अनुदान के लिए नोडल एजेंसी भी थी।

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, लगभग 70,931 मेगावाट की मात्रा के लिए 162 पात्र आवेदकों को (31 मार्च, 2021 को लगभग 3,00,324 मेगावाट की मात्रा के लिए संचयी 742 आवेदक) और लगभग 9,916 मेगावाट की मात्रा के लिए 38 आवेदकों को एलटीए प्रदान किया गया (31 मार्च, 2021 को लगभग 1,24,653 मेगावाट की मात्रा के लिए कुल 313 आवेदक)।

साथ ही, ट्रांसमिशन क्षमता में उपलब्ध मार्जिन के आधार पर, लगभग 936 मेगावाट की कुल मात्रा के लिए 7 आवेदकों को एमटीओए भी प्रदान किया गया है (31 मार्च, 2021 को लगभग 17,248 मेगावाट की कुल मात्रा के लिए संचयी 158 आवेदक)।

आपकी कंपनी सीटीयू नहीं रह गई है और सीटीयूआईएल को भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सीटीयू के लिए चिन्हित किए गए सांविधिक कार्यों को करने के लिए अधिसूचित किया गया है और सीईआरसी द्वारा सीटीयू को सौंपे गए अन्य कार्यों को भी 01 अप्रैल, 2021 से अधिसूचित किया गया है।

10. अन्य व्यवसाय

10.1 टेलीकॉम व्यवसाय – 'पॉवरटेल'

आपकी कंपनी अपने एकीकृत लाइसेंस के तहत राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और इंटरनेट सेवा प्रदाता–श्रेणी श्एश (आईएसपी–'ए') सेवा प्राधिकरण के तहत पॉइंट–टू–पॉइंट लीज्ड लाइन बैंडविड्थ सेवाएं, इंटरनेट लीज के रूप में कई सेवाएं प्रदान कर रही है। लाइन, टॉवर को–लोकेशन, एमपीएलएस आधारित आईपी–वीपीएन, एसडी–वैन, डीडीओएस आदि को अपने अखिल भारतीय उच्च क्षमता नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी हिस्सों में स्थापित किया गया है।

वित्त वर्ष 20–21 के दौरान, कंपनी का टेलीकॉम नेटवर्क कवरेज पिछले वर्ष के अंत में 66,922 किमी से बढ़कर 71,673 किमी हो गया और वर्ष के लिए टेलीकॉम की उपलब्धता 100प्रतिशत थी। कंपनी ने अपने ग्राहकों को उनके उन्नयन और अन्य ग्राहक सेवा अनुरोधों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करके कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान समर्थन दिया।

कंपनी नए व्यवसायों की भी खोज कर रही है जैसे डेटा केंद्रों की स्थापना, टेलीकॉम उद्देश्यों के लिए ट्रांसमिशन टावरों का उपयोग, आदि। विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ पड़ोसी देशों की सीधे सेवा करने की दृष्टि से, आपकी कंपनी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम विभाग (डीओटी) से लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा प्राधिकरण प्राप्त करने का प्रस्ताव कर रही है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी को टेलीकॉम व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए भारत सरकार और सीईआरसी से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में दिए गए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल हैं।

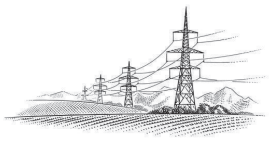

भारत नेट

आपकी कंपनी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिकल्पित श्भारत नेटश चरण–I परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है, इस प्रकार डिजिटल इंडिया के लिए भारत सरकार की पहल में बहुमूल्य योगदान दे रही है।

कंपनी ने चरण–I के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कंपनी को आवंटित 10,838 जीपी में से वित्त वर्ष 20–21 के अंत तक 10,739 जीपी के लिए ओएफसी रखी है। कार्यक्षेत्र 5 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के 39 जिलों में फैला हुआ है।

10.2 परामर्श सेवाएँ

आपकी कंपनी, जो विश्व की सबसे बड़ी विद्युत ट्रांसमिशन उपयोगिताओं में से एक है, ने भारत और विदेशों में अपने मुख्य क्षेत्रों जैसे विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं, उप–संचरण प्रणाली, वितरण प्रबंधन, लोड प्रेषण और संचार में विशेषज्ञता विकसित की है। अपनी क्षमता और अनुभव का लाभ उठाते हुए, भारत और विश्व भर में कई ग्राहकों को परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं।

घरेलू बाजार

आपकी कंपनी, भारत सरकार की ओर से एक सलाहकार के रूप में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम में इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली (33केवी और उससे अधिक) को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू कर रही है और ट्रांसमिशन को और मजबूत करने के लिए श्व्यापक योजनाश लागू कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्त वर्ष 20–21 में 22 नए परामर्श कार्य प्राप्त किए। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख परामर्शी कार्यों में शामिल हैं:

- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को उनके खुर्जा एसटीपीपी से 765/400 केवी अलीगढ़ एसएस (पीजी) के 400 केवी स्विचयार्ड और अलीगढ़ एस/एस में 400 केवी टर्मिनल बे तक 400 केवी डी/सी लाइन के कार्यान्वयन के लिए परामर्श
- 220केवी डी/सी पांडियाबिली–समागरा ट्रांसमिशन लाइन की बहाली के लिए ओपीटीसीएल को परामर्श सेवाएं।
- लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) को 500 मेगावाट एलटीएचपीएल तीस्ता VI एचईपी से पावरग्रिड रंगपो पूलिंग स्टेशन और रंगपो में संबद्ध बे तक 220 केवी डी/सी समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों के टर्नकी निष्पादन के लिए परामर्श सेवाएं।
- पावरग्रिड सबस्टेशनों पर 220 केवी टर्मिनल बे के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न नवीकरणीय (पवन और सौर) डेवलपर्स के साथ 05 परामर्श समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

अंतरराष्ट्रीय बाजार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, कंपनी नेपाल, बांग्लादेश, युगांडा और फिजी में विभिन्न ग्राहकों को परामर्श प्रदान करती रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 132केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण के लिए फिजी में नए परामर्श कार्य प्राप्त किए।

कंपनी अफ्रीका50 के साथ चर्चा कर रही है, जो एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत केन्या में ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के निर्माण में निवेश के लिए अफ्रीका में 28 संप्रभु सरकारों और दो केंद्रीय बैंकों और अफ्रीकी विकास बैंक के स्वामित्व वाला एक निवेश मंच है।

10.3. ऊर्जा प्रबंधन

सतत विकास के लिए ऊर्जा बचत पहलू के महत्व को समझते हुए, आपकी कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों में ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा दक्षता और सतत विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ऊर्जा बचत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रही है। साथ ही निजी एजेंसियों, जैसे उद्योग, संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता, आदि हेतु आपकी कंपनी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के निवेशध्कार्यान्वयन के लिए एक बीईई ग्रेड–प ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) है और प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकोंध्ऊर्जा प्रबंधकों का एक बड़ा पूल है जो पूरी तरह से ऊर्जा दक्षता समाधान प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा दक्षता और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए सीएसआईआर–नीरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन विभिन्न प्रतिष्ठानों में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा।

10.4. ईवी चार्जिंग मूलसंरचना

कंपनी अपने स्वयं के उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाकर और देश भर में फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके ई–मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्यारह (11) अतिरिक्त ईवी फास्ट–चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए। अब, पावरग्रिड दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि और कोझीकोड में 16 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का परिचालन कर रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर और शिलांग में अतिरिक्त 24 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर काम चल रहा है। पावरग्रिड (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) इंडिया स्कीम फेज–II के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के तहत शिलांग में 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रहा है।

ऊर्जा व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न र निगमों, डिस्कॉम्स, मेट्रो रेल प्राधिकरणों आदि के साथ चर्चा चल रही है।

11. गुणवत्ता प्रबंधन

कंपनी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, पीएएस 99रू2012 के अनुसार एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के साथ संरेखित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास और अनुरक्षण किया है और आईएसओ 9001रू2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की आवश्यकताओं को एकीकृत किया गया है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा तीसरे पक्ष द्वारा की गई थी और पावरग्रिड ने सभी मानक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। सामाजिक जवाबदेही मानक, एसएरू 8000, आईएसओ: 50001 के अनुसार ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ: 27001 के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुरक्षण के लिए भी प्रणालियों की लेखापरीक्षा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, संविदा की शर्तों के लिए संविदाकारों को आईएसओ आवश्यकताओं के अनुरूप एक गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद, सभी निरीक्षण, उप–विक्रेता मूल्यांकन और अन्य गुणवत्ता संबंधी गतिविधियाँ एक सुनियोजित तरीके से की गईं, जिसमें कोविड –19 के कम प्रभाव के दौरान वर्चुअल यात्राओं और गंभीर कोविड –19 के प्रभाव के दौरान वर्चुअल यात्राओं दोनों का उपयोग किया गया था। निर्माण के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान सभी सरकारी दिशानिर्देशों / विनियमों पर विचार करते हुए लगभग 17,000 निरीक्षण कॉल प्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया।

12. प्रौद्योगिकी विकास

आपकी कंपनी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में सबसे आगे रही है और विद्युत ट्रांसमिशन में तकनीकी उत्कृष्टता की खोज में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास गतिविधियों का परिचालन करती है।

पिछले वर्षों में, पावरग्रिड ने अपनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से संगठन की आंतरिक अनुसंधान, विश्लेषण, परीक्षण, अंशांकन और लगातार बढ़ती परिसंपत्ति प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं ने इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (आईईडी), फासर मापन इकाइयों (पीएमयू) के अनुपालन परीक्षण, इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र माप और विश्लेषण इत्यादि के गतिशील परीक्षण, अनुरूपता परीक्षण इत्यादि के लिए बाहरी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं।

वर्ष के दौरान, आत्मानिर्भर भारत अभियान पावरग्रिड को बढ़ावा देने के लिए, भेल के सहयोग से, पावरग्रिड के 400ध्220केवी भिवाड़ी सबस्टेशन पर डिजिटल सबस्टेशन घटकों (आईईडी और एससीएडीए) के साथ भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 400केवी ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। यह सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजना सबस्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आपकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड (2डी) विश्लेषण के लिए एक इन–हाउस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है जिसका उपयोग पावर ट्रांसमिशन लाइनों में डिजाइन सत्यापन में किया जा सकता है।

कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, 'ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के स्वस्थ मूल्यांकन के लिए प्रणाली और पद्धति' के लिए एक पेटेंट आवेदन दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त, यूएचवी/ईएचवी उपकरण की स्थिति की निगरानी और स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए विकसित दो इन–हाउस सॉफ्टवेयर प्रणाली यथा ट्रांसफॉर्मर ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली (टीओसीएमएस) और पावरग्रिड एसेट लाइफ मैनेजमेंट प्रणाली (पीएएलएमएस) के लिए कॉपीराइट प्राप्त हुआ है।

13. डिजिटल परिवर्तनः

आपकी कंपनी ने अधिक पारदर्शिता और व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करते हुए कागज रहित कार्य करने की दिशा में कई डिजिटल पहल की हैं। इन पहलों ने कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों द्वारा घर से काम करने की सुविधा के दौरान व्यापार की निरंतरता को सक्षम किया।

कंपनी ने मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्यूसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक ई–निविदा पोर्टल–प्राणित स्थापित किया है। इसके साथ, पावरग्रिड अब भारत का एकमात्र संगठन है जिसके पास सैप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (एसआरएम) पर ई–प्रोक्योरमेंट समाधान है।

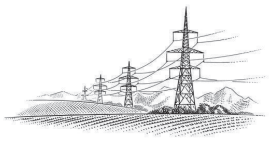

प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, बिलों के सत्यापन और भुगतान जारी करने, संसाधनों को अनुकूलित करने की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए रणनीतिक स्थानों पर पावरग्रिड भुगतान प्रसंस्करण और सुविधा केंद्रों (पीपीपीएफसी) के माध्यम से केंद्रीकृत विक्रेता बिल प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं।

कंपनी ने सफलतापूर्वक एसएपी ग्राहक केंद्र विशेषज्ञता (सीसीओई) प्रमाणपत्र हासिल किया है। यह दर्शाता है कि कंपनी के पास हमारे ईआरपी कार्यान्वयन में निरंतर सुधार और नवीनता लाने के लिए ज्ञान, क्षमता और ढांचा है।

14. भारत सरकार की योजनाओं के लिए योगदान – ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) / प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) –2015 के तहत कार्य

डीडीयूजीवाई / पीएमडीपी योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे का काम जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के 2 जिलों में प्रगति पर है और पीएमडीपी के तहत जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 6 परियोजनाओं के इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन कार्य प्रगति पर हैं।

अब तक, ग्रामीण बिजली के बुनियादी ढांचे और घरेलू विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार के डीडीयूजीजेवाई / पीएमडीपी के तहत, कंपनी ने देश के 10 राज्यों के 95 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के काम को लागू किया है। 87,409 गांवों (अर्थात आंशिक रूप से विद्युतीकृत और गैर–विद्युतीकृत गांवों) के विद्युतीकरण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है और लगभग 44 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

15. भारत सरकार की पहल में भागीदारी

15.1 'मेक इन इंडिया' का प्रचार

कंपनी ने निरंतर उपायों के माध्यम से ट्रांसमिशन प्रणाली के विकासध्परिचालन के लिए विभिन्न वस्तुओं की स्थानीय सोर्सिंग को प्रोत्साहित किया है।

पावरग्रिड के प्रयासों से, पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई विदेशी निर्माताओं द्वारा जीआईएस, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, स्टेटकॉम, ओपीजीगावॉट, आदि जैसे उपकरणों के लिए नए संयंत्र और सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जिससे व्यापक विक्रेता आधार और एक अधिक कुशल आपूर्ति श्रृंखला के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 16–17 में ट्रांसमिशन संबंधित उपकरणों के आयात को 12.23प्रतिशत से घटाकर वित्त वर्ष 20–21 में 2.60 प्रतिशत करने में सक्षम है।

कंपनी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, एमएसई फर्मों और मौजूदा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करके अपने विक्रेता आधार के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

15.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देना

कंपनी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती रही है। कंपनी (i) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (एक एनएसई – सिडबी जेवी), (ii) मींड़ सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (एम1एक्सचेंज) और (iii) ए ट्रेड्स लिमिटेड (इनवॉइसमार्ट) के तीनों (03) उपलब्ध ट्रेड रिसीवेबल ई–डिस्काउंटिंग प्रणाली (TReDS) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है।

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए पावरग्रिड के बोली दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

सरकार की उपरोक्त नीति के संदर्भ में, भारत में, वित्त वर्ष 20–21 के दौरान एमएसई (एससी / एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद का कुल पात्र मूल्य ₹ 2,332 करोड़ था। एमएसई (एससीध्एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से कुल खरीद ₹ 1,085 करोड़ (46.51प्रतिशत) थी। कंपनी ने नवंबर, 2018 में अपने संशोधन के साथ पठित सार्वजनिक खरीद नीति (आदेश 2012) के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद में से 25प्रतिशत की अनिवार्य खरीद का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए एमएसई (एससी / एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक खरीद का कुल पात्र मूल्य ₹ 1,100 करोड़ की सीमा में होने का अनुमान है।

वर्ष के दौरान, अभिनव और गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूक्ष्म और लघु निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए, कोविड –19 महामारी के चलते वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित किए गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन वर्चुअल बैठकों/वेबिनार में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी थी। कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उप–विक्रेताओं के रूप में विकसित किया गया है और विभिन्न उपकरणों के लिए घटकों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित किया गया है।

16. सतत वृद्धि

आपकी कंपनी की गतिविधियां प्रकृति में गैर–प्रदूषणकारी हैं और उनके पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य हैं। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) के सिद्धांतों को आपकी कंपनी व्यवसाय परिचालन में शामिल कर रही है और ईएसजी पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वोच्च महत्व देना जारी रखे हुए है।

कंपनी वैश्विक आवश्यकताओं के साथ अपने स्थिरता संबंधी पहलुओं को संरेखित करने के लिए कदम उठा रही है और एमएससीआई, एफटीएसई और एसएंडपी ग्लोबल सीएसए द्वारा वार्षिक रूप से किए गए मूल्यांकन सर्वेक्षणों में भाग ले रही है, जिसमें कंपनी को इलेक्ट्रिक सेगमेंट के तहत ईएसजी से संबंधित अपने विभिन्न मापदंडों को और उसके अंतरराष्ट्रीय साथियों को बेंचमार्क करने का अवसर मिलता है।

आपकी कंपनी ई–मोबिलिटी के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं के सहयोग से विद्युत वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के उपयोग और विकास के लिए विद्युत वाहनों को अपनाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने 70 से अधिक स्थानों पर 6 एमडब्ल्यूपी से अधिक के रूफटॉप सोलर पीवी संयंत्र स्थापित किए हैं, जो संचयी रूप से सालाना लगभग 8 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे प्रति वर्ष लगभग 8000 मीट्रिक टन के Co2 उत्सर्जन में कमी आई है। 66 स्थानों पर 5 मेगावाट अतिरिक्त रूफटॉप सोलर पीवी प्रणाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

16.1 पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन

पावरग्रिड, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, अपने पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) में उल्लिखित परिहार, न्यूनीकरण और शमन के मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय से जुड़े किसी भी अवशिष्ट पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभावों को संबोधित करता है, जिसे 1998 में विकसित किया गया था और जिसका समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

2009 में विश्व बैंक और 2017 में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसी प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा क्रमशः देश प्रणाली (यूसीएस) और कंट्री सेफगार्ड प्रणाली (सीएसएस) के उपयोग की नीति के तहत ईएसपीपी प्रावधानों की स्वीकृति ई एवं एस सुरक्षा प्रबंधन के लिए कार्यान्वयन रिकॉर्ड हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

पावरग्रिड, भारतीय विद्युत क्षेत्र में सतत रिपोर्टिंग में अग्रणी, ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित/स्वीकृत "ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों (कोर)" के आधार पर सितंबर 2020 में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अपनी छठी द्विवार्षिक स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जो स्वतंत्र मान्यता प्राप्त आश्वासन प्रदाता द्वारा विधिवत मान्य है।

कंपनी, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) दक्षिण एशिया के साथ साझेदारी में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) एजेंडा 2030 के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कई पहल की है और कुल 17 में से 11 एसडीजी के साथ अपनी गतिविधियों को पहले ही संरेखित कर चुकी है।

16.2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, आपकी कंपनी ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों का परिचालन करती है। परियोजनाओं की कल्पना हितधारकों के परामर्श मुख्यतः इसके परिचालन के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में से की जाती है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 20–21 के लिए ₹ 233.79 करोड़ (पिछले तीन वर्षों के औसत पीबीटी का 2प्रतिशत) के निर्धारित सीएसआर बजट से अधिक ₹ 240.48 करोड़ का व्यय किया है। इसके अतिरिक्त, ₹ 179.77 करोड़ की 119 नई सीएसआर परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। परियोजना–वार विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–ग में दिया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोविड –19 के चलते पीएम केयर फंड में ₹ 70 करोड़ का योगदान दिया। पूरे देश में सबस्टेशनोंधनिर्माण स्थानों के आसपास के 276 स्थानों पर लगभग 2.80 लाख लाभार्थियों को पके हुए भोजन के 1.52 लाख से अधिक पैकेट, लगभग 1850 मीट्रिक टन राशन सामग्री, 8530 पीपीई किट और अन्य सामान उपलब्ध कराने की दिशा में ₹ 28.05 करोड़ की परियोजनाएं भी शुरू की। कंपनी ने पंजाब, मिजोरम, सिक्किम और लद्दाख राज्यों के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए कोल्ड चेन उपकरणों की खरीद के माध्यम से कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान की।

कंपनी ने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ और उत्तर प्रदेश राज्य में उनके चयनित मेडिकल कॉलेजों में हब और स्पोक मॉडल टेली–आईसीयू की स्थापना का समर्थन किया है। कंपनी ने महिला एवं बाल अस्पताल, एसीटीआरईसी परिसर, टीएमसी, नवी मुंबई में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर विकसित करने के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) का भी समर्थन किया है।

कंपनी ने श्री बद्रीनाथ धाम शहर को आध्यात्मिक स्मार्ट हिल के रूप में पुनर्विकास के लिए गुजरात में केवड़िया शहर के एकीकृत विकास और 2.5 किमी, 10 मीटर चौड़ी सड़क और सार्वजनिक भवन के अग्रभाग के निर्माण के साथ–साथ संबद्ध कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

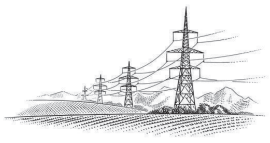

17. अभिशासन

17.1 सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, श्सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005श के अनुसार आपकी कंपनी में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट, क्षेत्रीय मुख्यालयों और अन्य कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को नामित किया है।

कंपनी ने अपना स्वयं का वेब आधारित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी विकसित किया है, जो सभी आरटीआईध्अपीलों की वास्तविक समय निगरानी द्वारा आरटीआईध्आवेदक को अपील के समय पर उत्तर की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए विभिन्न आरटीआई रिपोर्टों के स्वतरू निर्माण की सुविधा भी प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 20–21 में, कंपनी को लगभग 1000 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय पर संसाधित किया गया। कंपनी के सीपीआईओध्पीआईओध्अपील अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता सत्र आयोजित किए गए ताकि उन्हें आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा सके।

कंपनी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार स्वतः प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा भी किया है और पावरग्रिड वेबसाइट पर तीसरे पक्ष की रिपोर्ट भी प्रकाशित की है।

17.2. पारदर्शिता और सतर्कता समारोह के लिए प्रतिबद्धता

कंपनी अपने प्रबंधन कामकाज में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और नैतिकता के सिद्धांतों की अगुवाई करती है। आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग निवारक, सक्रिय और साथ ही दंडात्मक सतर्कता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में सर्वोत्तम नैतिक प्रथाओं का पालन किया जाता है।

सतर्कता निवारक पर जोर

संगठनात्मक प्रक्रिया को मजबूत करने और संगठन की विभिन्न प्रणालियों और गतिविधियों में कदाचार को कम करने के लिए सतर्कता निवारक पर जोर दिया जाता है। सतर्कता निवारक सही प्रकार की प्रणालियों पर केंद्रित है या उसमें अवसरों की पहचान करने और संभावित खतरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से सक्रिय दृष्टिकोण को फिर से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, 56 औचक निरीक्षण, 30 प्रक्रिया–ऑन–लाइन निरीक्षण और 17 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार के निरीक्षण किए गए। सतर्कता निरीक्षणों और टिप्पणियोंधसिफारिशों के अनुसरण में, कई प्रणाली सुधार लागू किए गए हैं।

क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में सतर्कता निवारक कार्यशालाएं

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, कॉर्पोरेट केंद्र के साथ–साथ कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में गैर–सतर्कता कर्मियों के लिए विभिन्न निवारक सतर्कता कार्यशालाएं, वेबिनार आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं में अन्य बातों के साथ–साथ संविदा प्रबंधन, सीडीए नियमों के प्रावधान, नियमों और नीतियों का अनुपालन, सामान्य अनियमितताएं, वास्तविक मामलों के आधार पर केस स्टडी पर विचार–विमर्श, गुणवत्ता पहलुओं के साथ–साथ नैतिकता प्रबंधन शामिल है जो कर्मचारियों को नैतिक दुविधा की पहचान करने और उससे निपटने में सक्षम बनाता है।

सतर्कता जागरूकता

पावरग्रिड में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक (केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया, जो इस वर्ष के विषय "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" के अनुरूप, कोविड–19 से संबंधित सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पूरे जोश के साथ मनाया गया।

पावरग्रिड के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पावरग्रिड द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं सहित कुल 392 गतिविधियाँ, बच्चों के लिए निबंध, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 6000 व्यक्तियों ने भाग लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के संदेश को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में एफएम चौनल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया। सीसी और सभी क्षेत्रों में आयोजित विक्रेता बैठकों के माध्यम से हितधारक भी शामिल थे।

सभी स्थानों पर लगभग 7400 पावरग्रिड कर्मचारियों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

पावरग्रिड (कैंडोर) के सतर्कता विभाग के जर्नल का विमोचन अपने कॉर्पोरेट केंद्र, गुरुग्राम में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह के दौरान किया गया। आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, पत्रिका को कर्मचारियों और आम जनता के लिए डिजिटल रूप (ई–कैंडोर) में जारी किया गया था।

17.3. नागरिक चार्टर

कंपनी के लिए एक नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जो अपने दृष्टि, मिशन और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। कंपनी प्रोफाइल, प्रतिबद्धताओं, नागरिकों से अपेक्षाएं, एकीकृत प्रबंधन नीति, सेवाओं की पेशकश, मूल्यों और सेवाओं के मानकों, सूचना तक पहुंच और शिकायत निवारण से युक्त नागरिक चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

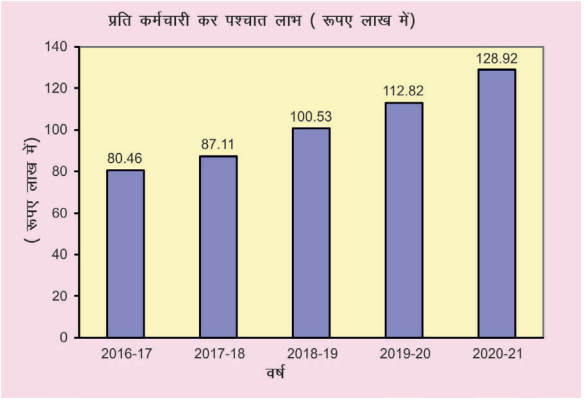

18. कार्मिकः हमारी मूल शक्ति

आपकी कंपनी का मानना है कि वर्ष दर वर्ष उत्कृष्ट वित्तीय और परिचालन परिणाम देने में सक्षम और प्रेरित कार्यबल इसकी मुख्य ताकत है। मानव संसाधन प्रक्रिया और प्रणालियों को एक समान, सहयोगी, स्वस्थ, सुरक्षित वातावरण में संगठनात्मक व्यावसायिक उद्देश्यों, कंपनी के मूल मूल्यों के अनुरूप बिजली पेशेवरों को प्राप्त करने, पोषित करने और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। निरंतर सीखने, साझा करने और विकास की संस्कृति के विकास पर जोर दिया जाता है।

31 मार्च, 2021 को, कंपनी की कर्मचारियों की संख्या 8,766 थी, जबकि 31 मार्च, 2020 को 8,990 थी, जो संविदा पर कर्मचारियों के लिए अनन्य है। 31 मार्च 2021 तक महिलाओं ने अपने कुल कार्यबल का 7.74प्रतिशत का गठन किया।

18.1 मानव संसाधन विकास

मानेसर में कंपनी द्वारा स्थापित पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) न केवल अपने कर्मचारियों के लिए बल्कि बाहरी हितधारकों को भी कई तरह के शिक्षण समाधान प्रदान कर रहा है।

वर्ष के दौरान, कोविड–19 के प्रभाव को देखते हुए, कंपनी द्वारा आंतरिक सुविधाओं के साथ–साथ प्रीमियम शैक्षणिक संस्थानों और भारत और विदेशों में सीखने के केंद्रों के माध्यम से वर्चुअल प्रणाली का उपयोग करते हुए 620 प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदान किए गए प्रशिक्षण और विकास की श्रेणी में कार्यकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण कार्यक्रम के अतिरिक्त कर्मचारियों को व्यावहारिक/प्रबंधकीय/व्यवहार/नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाहरी एजेंसियों के लिए नवीनीकृत कार्यक्रम शामिल हैं।

क्षमता विकास के लिए पीएएल में उपलब्ध अपने लोगों की क्षमताओं और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए, वित्त वर्ष 2020–21 में, कंपनी द्वारा परामर्श के आधार पर अन्य बिजली उपयोगिताओं के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान, पावरग्रिड ई–लर्निंग पोर्टल, प्रज्ञान में कंपनी की जानकारी पर विभिन्न आंतरिक विकसित वीडियो/पाठ–आधारित ई–लर्निंग और रिफ्रेशर कोर्स अपलोड किए गए हैं। 500 कर्मचारियों के पहले बैच ने हार्वर्ड मैनेज मेंटर प्रोग्राम पूरा कर लिया है और बाद में 500 कर्मचारियों के दूसरे बैच को इस प्रोग्राम के लिए नामांकित किया गया है।

पावरग्रिड को पीएमआई, यूएसए के पंजीकृत शिक्षा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है और प्रमाणित परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम के 3 बैच ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं।

एईजीसीएल (असम), एमईईसीएल, एमईपीडीसीएल, एमईपीटीसीएल (मेघालय), टीएसईसीएल (त्रिपुरा) आदि जैसे NER राज्य उपयोगिताओं के लिए सीबीआईएस–एनईआरपीएसआईपी योजना के तहत कॉर्पोरेट–एचआरडी कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा लेखांकन और वित्त पर बुनियादी / उन्नत स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के अनुसार 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं को विभिन्न व्यापार में कार्यशील किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ), पावर सेक्टर स्किल काउंसिल (पीएसएससी) और कौशल के लिए पावरग्रिड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 25 स्थानों पर बिजली क्षेत्र में 6000 बेरोजगार युवाओं को विकास प्रशिक्षण दिया गया है।

आईआईआईटी बैंगलोर द्वारा 50 कर्मचारियों को डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुकूलित 15 महीने के पीजीडीएम कार्यक्रम के लिए प्रायोजित किया गया है।

18.2. कर्मचारी कल्याण

कंपनी उद्योग की प्रवृत्ति के अनुसार और अपने कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कल्याणकारी नीतियों को लगातार अपडेट कर रही है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम दिशानिर्देश पेश किए और कोविड–19 के चलते सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

कोविड–19 के चलते चिकित्सीय देखभाल, सुरक्षा और जीवन शैली प्रबंधन पर कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस अवधि के दौरान कई वेबिनार/वार्ताएं आयोजित की गईं। प्रभावित कर्मचारियों और आश्रितों के लिए विभिन्न स्थानों पर आइसोलेशन सुविधाएं स्थापित की गईं।

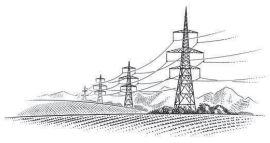

कोविड–19 परीक्षण के लिए नमूनों का घरेलू संग्रह, विभिन्न सुविधाएं जैसे, टेली–मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श और पीएफ–ट्रस्ट के सदस्यों को गैर–वापसी योग्य अग्रिम का प्रावधान पेश किया गया।

पावरग्रिड और सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड–19 से संबंधित सूचनाओं की आसान पहुंच और प्रसार के लिए इंट्रानेट पर एक समर्पित कोविड संचार वेबपेज / वेब रिपॉजिटरी बनाया गया है। जिसमें विभिन्न परिपत्रों, दिशानिर्देशों, एसओपी, क्या करें और क्या न करें आदि सहित प्राधिकरण शामिल है।

आपकी कंपनी ने उपलब्धि उन्मुख उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रिवार्ड और मान्यता योजना शुरू की है – प्रतिफल (पावरग्रिड द्वारा उच्च उपलब्धियों और लर्निंग को बढ़ावा देकर टीम और वैयक्तिकों को रिवार्ड देना और प्रशंसा करना)।

18.3. शिकायत निवारण

पावरग्रिड में, शिकायत निवारण को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। आपकी कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के व्यापक मानकों के भीतर अपने कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत निवारण करती है। इसके लिए एक श्कर्मचारी शिकायत पोर्टलश स्थापित किया गया है। कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के व्यवस्थित और त्वरित निवारण के लिए कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों को नामित किया है

18.4. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

पावरग्रिड ने एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कानूनी प्रावधानों की सुरक्षा के लिए एक अलग आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया है।

आरक्षण प्रकोष्ठ संपर्क अधिकारी की सहायता करता है जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा की देखभाल करता है। संपर्क अधिकारी यह भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के बीच जाति, धर्म और विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव न हो। पावरग्रिड के सभी प्रतिष्ठानों में कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग संपर्क अधिकारी नामित किया गया है। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति के संबंध में सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों को लागू करती है। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निरीक्षण भी किया जाता है। मुद्दों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए अनुसूचित जाति ६ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संघ के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर बैठक भी की जाती है।

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान महिला कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए कई प्रशासन से संबंधित मुद्दों को उठाया है जैसे कि 'कैफेटेरिया में स्किप–द–क्यू' और कॉर्पोरेट सेंटर में गर्भवती महिलाओं के लिए पार्किंग स्लॉट निर्धारित करना आदि। कोविड–19 के चलते, सभी महिला कर्मचारियों के कार्य का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

कोविड–19 अवधि के दौरान गर्भवती महिला कर्मचारियों और छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिए "फ्लेक्सी टाइमिंग" और "वर्क फ्रॉम होम" विकल्प दिए गए हैं।

19. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (प्रतितोष, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी में लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) हैं। पावरग्रिड पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों को लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों और कानूनध्अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षणध्कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। महिला सशक्तिकरण, विकास और लिंग संवेदीकरण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लैंगिक उत्पीड़न की एक शिकायत दर्ज की गई थी और दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में शिकायत का निपटान कर दिया गया है।

20. राजभाषा का कार्यान्वयन (राजभाषा)

पावरग्रिड ने राजभाषा "हिंदी" को बढ़ावा देने के लिए, सभी स्तरों पर अपने कार्यों में हिंदी के उपयोग को एकीकृत और बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। वित्त वर्ष 2020–21 में पावरग्रिड की प्रत्येक संस्थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए हिन्दी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा आदि के साथ दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकों सहित विभागीय बैठकों पर विशेष बल देने के साथ पूरे वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। हिंदी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं। साथ ही, कर्मचारियों को हिंदी के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, आंतरिक पत्रिकाओं के लिए लेखध्लेखन देने, पुस्तकालय की किताबें पढ़ने आदि के लिए विभिन्न अवार्ड और रिवार्ड योजनाएं शुरू की गई हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी के कार्यालयों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के संबंध में, विभिन्न अवसरों पर माननीय संसद की राजभाषा समिति द्वारा किए गए विभिन्न निरीक्षणों और चर्चाओं के दौरान पावरग्रिड के प्रयासों की भी सराहना की गई।

21. हितधारकों की नियुक्ति

सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, पावरग्रिड फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन के माध्यम से सूचना हेतु रियल टाइम एक्सेस प्रदान कर अपने वर्चुअल दर्शकों के साथ जुड़ने में सबसे आगे रहा है। वेबसाइट पर एक समर्पित संचार लाउंज भी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए एकमुश्त समाधान प्रदान करता है।

आंतरिक हितधारकों के लिए, विभिन्न संचार माध्यम जैसे, ई–पत्रिकाएं, 'कम्युनिके' और श्सीयूई'; डिस्प्ले पत्रिका श्लाउंजश, लघु फिल्म वीडियो, क्रिएटिव और डिजिटल तिमाही पत्रिकाओं का उपयोग नियमित रूप से विकास, परिलब्धियों, कारीक्रमों और प्रबंधन और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है।

पावरग्रिड परिवार के बीच आशा, रिकवरी और ब्रांड नागरिकता व्यवहार की सकारात्मक कहानियों का प्रसार किया जा रहा है, और इस तरह के ठोस प्रयासों ने उद्योग से मान्यता प्राप्त की है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र पत्रिका द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की टीम कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस को भारत की शीर्ष 30 कॉर्पोरेट संचार टीमों की सूची में 18 वें स्थान पर रखा गया है।

22. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में प्रस्तुत किया गया है।

23. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) के तहत निर्धारित व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट, अनुलग्नक–II में दी गई है और वह इस रिपोर्ट का भाग है।

24. लेखापरीक्षकों

24.1. कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। मैसर्स टी आर चड्ढा एंड कं। एलएलपी, मैसर्स उमामहेश्वर राव एंड कं।, मैसर्स बी एम चतरथ एंड कंपनी एलएलपी और मैसर्स पी एस डी एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक अयोग्य रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट स्व–व्याख्यात्मक है और बोर्ड द्वारा किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

24.2. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों (एकल और समेकित) पर श्शून्यश टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। सीएजी की टिप्पणियां अनुलग्नक–प्ट में प्रस्तुत है।

24.3. सचिवीय लेखापरीक्षा

कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक–V के तौर पर प्रस्तुत है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अवलोकन किया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधान और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.1. के प्रावधानों का अनुपालन वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया था कि पावरग्रिड, भारत सरकार की कंपनी होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी ने आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है।

24.4. कंपनी के लागत लेखापरीक्षक

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष 2020–21 के लिए मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार और मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कं., लागत लेखाकार को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

25. बोर्ड और समितियां

25.1. कंपनी का बोर्ड

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, श्री एम. ताज मुकर्रम ने निदेशक (वित्त) के पद का कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 03.07.2020 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार श्रीमती सीमा गुप्ता, निदेशक (परिचालन) दिनांक 04.07.2020 को निदेशक (वित्त) पद के अतिरिक्त प्रभार कार्यमुक्त हुई।

श्री अभय चौधरी ने 1.4.2015 से निदेशक (परियोजना) के पद का कार्यभार ग्रहण किया। 1 नवंबर 2020 को श्री राजीव कुमार चौहान 31 अक्टूबर, 2020 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर निदेशक (परियोजना) पद से कार्यमुक्त हुए।

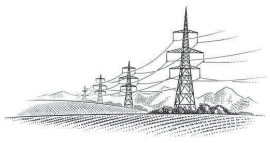

श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और श्री दिलीप निगम, वैज्ञानिक श्जीश, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को 5 नवंबर, 2020 और 5 जनवरी, 2021 को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री तन्मय कुमार, संयुक्त. विद्युत मंत्रालय के सचिव 18 मार्च, 2020 से 5 नवंबर, 2020 तक पावरग्रिड के बोर्ड में थे।

श्री मनोज के. मित्तल, श्री सुनील कुमार शर्मा और श्रीमती ए.आर. महालक्ष्मी, स्वतंत्र निदेशकों ने 11 सितंबर, 2020, 22 जुलाई 2021 और 25 जुलाई 2021 को 03 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

बोर्ड ने श्री राजीव कुमार चौहान, श्री तन्मय कुमार, श्री मनोज के. मित्तल, श्री सुनील कुमार शर्मा, श्रीमती ए.आर. महालक्ष्मी कंपनी को उनके योगदान और समर्थन के लिए प्रशंसा की।

कंपनी अधिनियम और कंपनी के नियम के प्रावधानों के अनुसार, श्री विनोद कुमार सिंह (डीआईएनः 08679313) और श्री एम. ताज मुकर्रम (डीआईएनः 08097837), की निदेशकों के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैंय और श्री अभय चौध री की निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्ति को वार्षिक आम बैठक के नोटिस में शामिल किया गया है।

25.2. बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुई। बोर्ड की बैठकों में तारीखों और उपस्थिति का विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

25.3. बोर्ड की समितियां

कंपनी में परिचालन सुविधा के लिए लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की संबंध समिति और अन्य समितियां हैं। उपरोक्त समितियों की संरचना और कार्यक्षेत्र कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट अनुलग्नक–टप् के तौर पर संलग्न है, और सेबी एलओडीआर, 2015 की अनुसूची ट अनुच्छेद ई के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–टप्प् के तौर पर संलग्न है।

25.4. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत श्स्वतंत्र निदेशकश का पद धारण करने के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है और प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से धारा 149 (7) के तहत आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई।

सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची ट अनुच्छेद श्गश खंड (10)(प) के अनुसार, नरेश कुमार सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों ने निदेशकों की योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया है, जो वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मंडल में थे।

25.5. निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो बोर्ड, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इसकी समितियां और निदेशक के निष्पादन के मूल्यांकन का प्रावधान करती है।

अधिनियम की धारा 134(3) (पी) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन पर एक बयान का उल्लेख करने की आवश्यकता को उन सरकारी कंपनियों के लिए भी समाप्त कर दिया गया है, जहां निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है जो अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना माध्यम से अधिनियम की अनुसूची प्ट में संशोधन किया है, इससे सरकारी कंपनियों को गैर–स्वतंत्र निदेशकों के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता और बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट मिली है, यदि संबंधित विभागों या मंत्रालयों ने इन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है।

कंपनी हर वर्ष बिजली मंत्रालय (एमओपी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करती है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर–वित्तीय मानकों पर किया जाता है। कंपनी और निदेशक मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा एमओपी के साथ किए गए एमओयू के संदर्भ में किया जाता है।

सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, 3 सितंबर, 2020 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

25.6. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178 के प्रावधानों के तहत निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति हमारी वेबसाइट https://www.powergridindia.com/sites/default/files/Investor_Relation/Reports_Filings/Code_of_Conduct_Policies/04_Remunerationप्रतिशत20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

26. अनुपालन

26.1. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 में पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अनुसार 'ऊर्जा पर वार्ता, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय' से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–III में दी गई है।

26.2. जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन ढांचे की जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में दी गई प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल है।

26.3. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने व्यवसायों के व्यवस्थित और कुशल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी आस्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाना, त्रुटि रिपोर्टिंग तंत्र, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी और पूर्णता शामिल है।

26.4. कंपनी का वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) में पठित धारा 92(3) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https//www.powergrid.in/sites/default/files/Draft&MGT&7_20&21&Finalप्रतिशत20Version.pdf पर देखा जा सकता है।

26.5. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश इस रिपोर्ट से जुड़े वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का भाग है।

26.6. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में निर्दिष्ट संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण, निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–VIII के रूप में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के नोट संख्या 56 पर आकर्षित किया जाता है जो संबंधित पार्टी प्रकटीकरण को निर्धारित करता है।

26.7. सहायक और संयुक्त उद्यम

31 मार्च 2021 को कंपनी की 24 सहायक और 10 संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं।

हमारी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल है और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–IX के रूप में निर्धारित प्रारूप एओसी–1 में भी संलग्न है।

26.8. लाभांश वितरण नीति

सेबी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम), के विनियम 43ए के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी। तदनुसार, नीति को मानकों और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए अपनाया गया था जिसे बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण औरध्या कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को बनाए रखने के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट: https://www.powergrid.in/sites/default/files/Dividendप्रतिशत20Distribution प्रतिशत20Policy.pdf पर भी उपलब्ध है।

26.9. महत्वपूर्ण सामग्री आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी के परिचालन की स्थिति और परिचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश नहीं हैं।

27. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) और 134(5) के तहत आवश्यकतानुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रस्थान के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

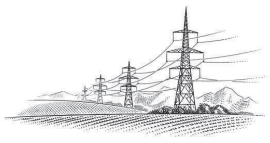

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्ति सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त संरक्षण किया थाय

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया थाय

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थेय

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28. पुरस्कार और सम्मान

- वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी फोर्ब्स की श्द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्टश में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में दूसरे स्थान पर रही। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 सूची में वैश्विक स्तर पर 305वें स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 200 वंचित महिलाओं के सतत विकास के लिए कोविड–19 महामारी और कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रतिउत्तर में परिवर्तनकारी प्रदर्शन के लिए स्कॉच–सिल्वर पुरस्कार प्राप्त किया।
- ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, भारत द्वारा 2020 के लिए औद्योगिक सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- सीएसआर के लिए कोविड प्रतिक्रिया श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीनटेक पुरस्कार प्राप्त किया।
- लर्निंग और विकास में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के सम्मान में, कंपनी ने लर्निंग और विकास में उत्कृष्टता के लिए एसएचआरएम एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है।

29. आभार

निदेशक मंडल सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भारत सरकार का, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, क्षेत्रीय विद्युत समितियां, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, और अन्य संबंधित सरकार को अपनी गहरी सराहना व्यक्त करना चाहता है। केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विभागध्एजेंसियाँ जिनके सक्रिय सहयोग के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम की उपलब्धियाँ संभव नहीं होती।

हमारे मूल्यवान ग्राहकों, राज्य सरकारों और राज्य बिजली उपयोगिताओं और अन्य ग्राहकों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने विभिन्न परामर्श कार्यों किए और उन्हें संभालने के लिए कंपनी की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया है। बोर्ड कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए संविदाकारों, विक्रेताओं और सलाहकारों के योगदान की भी सराहना करता है।

निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों और मार्गदर्शन को भी स्वीकार करते हैं। बोर्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को उनकी सहायता, कंपनी में निरंतर विश्वास और विश्वास के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निष्पादन में योगदान करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए समर्पित प्रयासों और मूल्यवान सेवाओं की हमारी गहन सराहना करना चाहता हूं। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, विशेष रूप से चल रही महामारी की स्थिति के दौरान, अनुकरणीय और प्रशंसा के योग्य है। मैं कार्यकारी टीम को उनके मजबूत नेतृत्व, उनके समर्थन के लिए कर्मचारी संघों और हमारे सभी कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता, उत्साह और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

श्रीकांत

(के. श्रीकांत)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 26 अगस्त, 2021

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. भारतीय विद्युत क्षेत्र का अवलोकन

किसी राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए बिजली सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में से एक है। देश के सतत आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त विद्युत अवसंरचना का विकास आवश्यक है। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता होने के बावजूद, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1,208 केडब्ल्यूएच (वित्त वर्ष 2019–20) थी जो 3,200 केडब्ल्यूएच से अधिक के विश्व औसत की तुलना में काफी कम है। कम खपत का आधार और एक अच्छे दीर्घकालिक जीडीपी विकास पूर्वानुमान का अर्थ है कि निकट भविष्य में बिजली की मांग बढ़ेगी।

ऊर्जा सुरक्षा और सतत दीर्घकालिक विकास के लिए, भारत सरकार अपनी विभिन्न नीति और सुधार पहलों के माध्यम से संबंधित ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे के विकास के साथ–साथ स्वच्छ और हरित बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना की सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

पारंपरिक और नवीकरणीय सहित मिश्रित बिजली उत्पादन स्रोतों की उपस्थिति के साथ भारत का बिजली क्षेत्र बहुत गतिशील और विविध है; एक समकालिक रूप से संचालित राष्ट्रीय ग्रिड जिसमें अंतर–क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और राज्य ग्रिड, एक जीवंत बिजली बाजार और अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने वाला वितरण क्षेत्र शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में अधिकतम ऊर्जा और ऊर्जा घाटे में काफी कमी आई है। अधिकतम ऊर्जा और ऊर्जा की कमी मुख्य रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ट्रांसमिशन प्रणाली के विस्तार और श्वन नेशन–वन ग्रिड–वन फ्रीक्वेंसीश की उपलब्धि के कारण कम हुई है, जिसके कारण भारत में एक जीवंत बिजली बाजार का निर्माण हुआ है।

वर्ष के दौरान, देश में इस क्षेत्र में काफी वृद्धि देखी जा रही है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

(स्रोतः सीईए, पोसोको)

	वित्तीय वर्ष 15–16	वित्तीय वर्ष 19–20	वित्तीय वर्ष 20–21	विकास (1–वर्ष)	विकास (वि. व. 16–वि. व. 21) सीएजीआर
उत्पादन					
कुल स्थापित क्षमता (आरई सहित) गीगावॉट	305.16	370.11	382.15	3.25 प्रतिशत	4.60 प्रतिशत
नवीकरणीय क्षमता जीडबल्यू	45.92	87.03	94.43	8.50 प्रतिशत	15.51 प्रतिशत
कुल उत्पादन (आरई सहित) बीयू	1,173.17	1389.1	1381.86	–0.52 प्रतिशत	3.33 प्रतिशत
आरई स्रोतों (बीयू) से उत्पादन	65.78	138.32	147.25	6.46 प्रतिशत	17.49 प्रतिशत
क्रॉस–बॉर्डर पावर एक्सचेंज (बीयू)	10.68	15.68	18.74	19.52 प्रतिशत	11.90 प्रतिशत
हस्तांतरण					
ट्रांसमिशन लाइन (सीकेएम)	3,41,551	4,25,071	4,41,821	3.94 प्रतिशत	5.28 प्रतिशत
परिवर्तन क्षमता (एमवीए)	6,58,949	9,67,893	10,25,468	5.95 प्रतिशत	9.25 प्रतिशत
अंतर–क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता (मेगावाट)	58,050	1,02,050	1,05,050	2.94 प्रतिशत	12.59 प्रतिशत
अंतर–क्षेत्रीय विद्युत अंतरण (बीयू)	117.03	197.21	214.77	8.90 प्रतिशत	12.91 प्रतिशत
बिजली बाजार					
अल्पावधि लेनदेन (संख्या)	44,634	50,948	69,036	35.50 प्रतिशत	9.11 प्रतिशत
अल्पावधि लेनदेन (ऊर्जा लेनदेन) बीयू	98.09	117.36	123.67	5.38 प्रतिशत	4.74 प्रतिशत
बिजली आपूर्ति की स्थिति					
अधिकतम मांग (जीडबल्यू)	153.37	183.8	190.20	3.48 प्रतिशत	
(मांग)	4.40 प्रतिशत				
(मांग)					
अधिकतम मांग–मेट (गीगावॉट)	148.46	182.53	189.40		
घाटा (प्रतिशत)	3.2 प्रतिशत	0.7 प्रतिशत	0.4 प्रतिशत		
ऊर्जा मांग (बीयू)	1114.41	1291.01	1,275.53	–1.20 प्रतिशत	
(मांग)	2.74 प्रतिशत				
(मांग)					
ऊर्जा मेट (बीयू)	1090.85	1284.44	1,270.66		
घाटा (प्रतिशत)	2.1 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत	0.4 प्रतिशत		

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में बिजली और ऊर्जा घाटे में काफी कमी के बावजूद, देश के कई हिस्सों में राज्यों में ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे की अपर्याप्त वृद्धि और राज्य बिजली उपयोगिताओं की खराब वित्तीय स्थिति के कारण बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वितरण क्षेत्र के लिए, भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय के तहत 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता और विश्वसनीय 24•7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य उपयोगिताओं की सुविधा के लिए एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) जैसी कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीएलवाई), श्प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजनाश (सौभाग्य) के तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण, डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना (उदय), सबके लिए किफ़ायती एलईडी द्वारा उन्नत लाइट (उजाला) को आत्मानिर्भर भारत योजना के तहत ऊर्जा और पहल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में वृद्धि

पिछले 5 वर्षों के दौरान, थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन दोनों में परिवर्धन द्वारा संचालित देश में स्थापित उत्पादन और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, देश में अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।

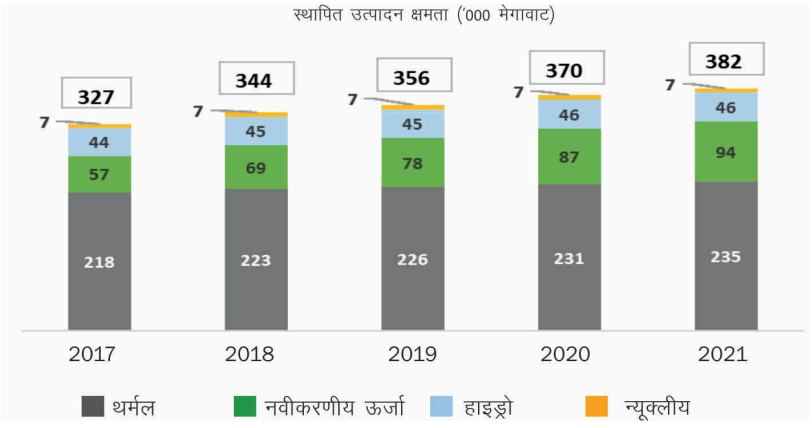

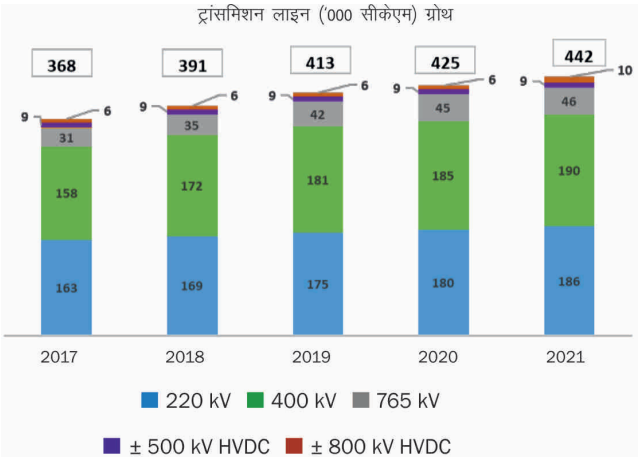

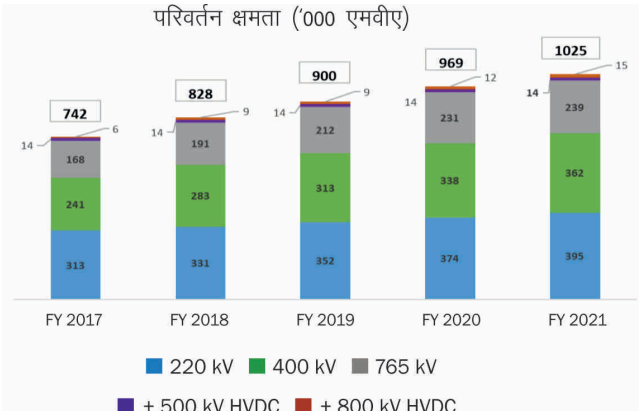

(स्रोतः सीईए)

सेक्टर आउटलुक और प्रमुख विकास चालक

बिजली की सार्वभौमिक पहुंच, उपभोक्ता आय में वृद्धि, शहरीकरण, आवास, रेलवे और मेट्रो, औद्योगिक गतिविधियां भारत की बिजली की मांग को वर्ष–दर–वर्ष बढ़ाने के लिए हैं।

वैश्विक औसत की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की कम खपत देश में बिजली की मांग में सतत वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत भारत सरकार ने 2025 तक प्रति व्यक्ति खपत 1,616 किलोवाट प्रति घंटा की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त, जून 2017 में सरकार द्वारा प्रकाशित मसौदा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) में वर्ष 2040 तक देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत को बढ़ाकर 2,911 – 2,924 किलोवाट प्रति घंटा करने की परिकल्पना की गई है।

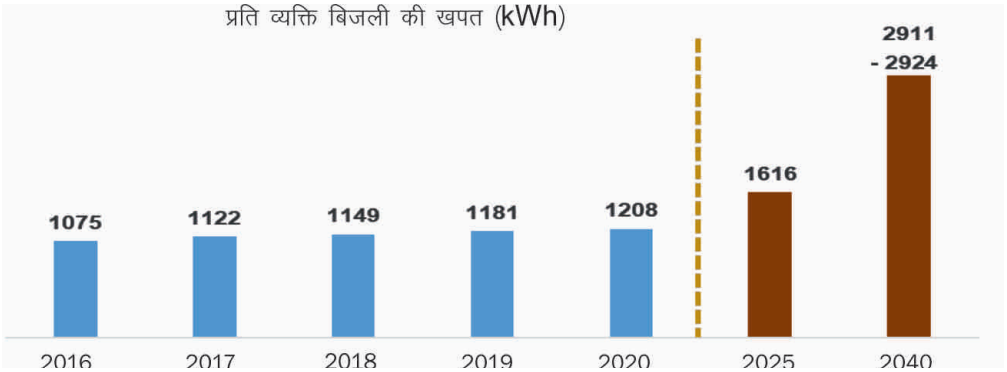

(स्रोतः सीईए, एनईपी मसौदा एवं एनआईपी)

- भारत में आरई क्षेत्र ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और यह आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और यह ऊर्जा नियोजन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।
- भारत अपने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन पथ की दिशा में काम कर रहा है। इस संबंध में, जैसा कि विचार राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) में प्रस्तुत किया गया है, देश का लक्ष्य गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों के आधार पर वर्ष 2030 तक कुल स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2029–30 (जनवरी 2020) के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण पर अपनी रिपोर्ट में 2029–30 तक 817 गीगावॉट की स्थापित उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की है, जिसमें से आरई लगभग 445 गीगावॉट (55 प्रतिशत) होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2029–30 के दौरान अनुमानित सकल बिजली उत्पादन (बीयू) 2,518 बीयू होने की संभावना है, जिसमें से 805 बीयू (32 प्रतिशत) का योगदान आरई द्वारा किए जाने की उम्मीद है।

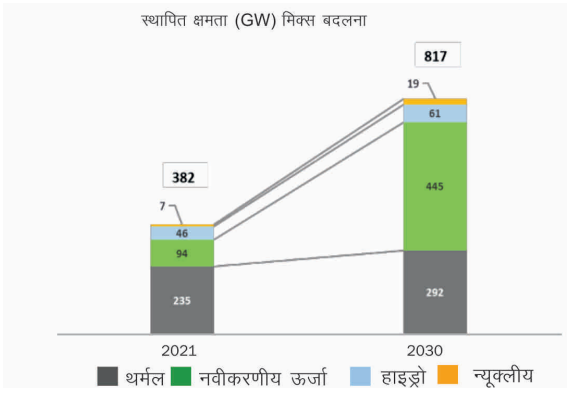

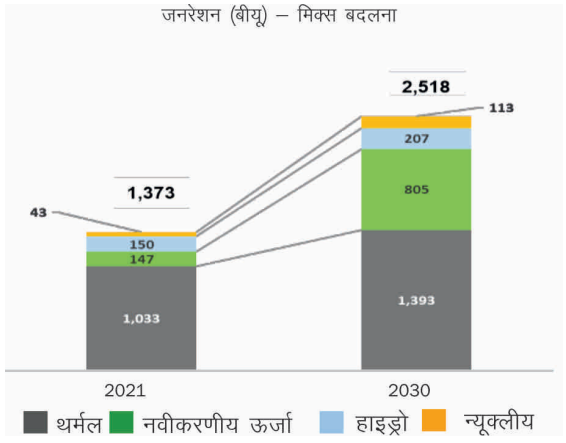

(स्रोतः सीईए)

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), भारत सरकार ने विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 22–25 के दौरान ₹ 17 लाख करोड़ के संचयी पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की है। एनआईपी के तहत निर्धारित बिजली क्षेत्र के लिए श्विजन 2025श में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी घरों, उद्योग, वाणिज्यिक व्यवसायों, कृषि के लिए 24×7 स्वच्छ और सस्ती बिजली
  - कुल क्षमताः 583 गीगावॉट (थर्मलः 50 प्रतिशत, नवीकरणीयः 39 प्रतिशत, हाइड्रोः 9 प्रतिशत, परमाणुः 2प्रतिशत)
  - आरई शेयर में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में थर्मल के हिस्से में गिरावट
  - प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 1,616 केडब्ल्यूएच की वृद्धि
  - खपत में आरई हिस्सेदारी बढ़ाकर ~20 प्रतिशत

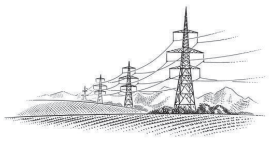

- ग्रिड ऊर्जा भंडारण और अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना
- डिस्कॉम्स में सुधार – सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली वितरण, लागत प्रतिबिंबित प्रशुल्क, व्यापक मीटरिंग, सब्सिडी में खुली पहुंच
- छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन
- सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए स्मार्ट मीटरिंग
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी संबंधित सेवाएं
- ईवी चार्जिंग मूलसंरचना

2. ट्रांसमिशन क्षेत्र

विद्युत प्रणाली मूल्य श्रृंखला में ट्रांसमिशन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरई समृद्ध राज्यों से अक्षय ऊर्जा (आरई) स्रोतों के एकीकरण सहित उत्पादन स्टेशनों को जोड़ने, बढ़ती मांग से प्रेरित देश की ट्रांसमिशन प्रणाली का महत्वपूर्ण गति से विस्तार हुआ है।

2022 तक 175 गीगावॉट और 2030 तक 445 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य प्राप्त करने की देश की दृष्टि भी अंतरराज्यीय और अंतर–राज्य दोनों स्तरों पर ट्रांसमिशन क्षमता के अतिरिक्त विकास के अवसर प्रदान करती है। बिजली क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और विनियामक सुधारों पर सरकार के जोर से व्यापार के नए अवसर आने की उम्मीद है।

3. अवसर और खतरे/चुनौतियां

भारत सरकार ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के विकास को जल्दी शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो भारतीय विद्युत क्षेत्र के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति और सुधारों के माध्यम से आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों के मुद्दों को लगातार संबोधित कर रही है। वितरण क्षेत्र में सुधार पर सरकार के ध्यान के परिणामस्वरूप बढ़ती बिजली की बढ़ती मांग– बिजली में अंतिम बिन्दु; आरई क्षमता के अतिरिक्त; पारंपरिक उत्पादन स्रोतों में क्षमता के अतिरिक्त; आरई एकीकरण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सीमा–पार संपर्क और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भारत में बिजली ट्रांसमिशन के विकास प्रेरकों की संभावना है।

कोविड –19 के प्रभाव के चलते भारतीय बिजली क्षेत्र या बिजली ट्रांसमिशन आवश्यकताओं की दीर्घकालिक दिशा को बदलने की उम्मीद नहीं है, हालांकि महामारी के फैलने से लॉकडाउन, या तार्किक व्यवधान हो सकते हैं, जिससे अल्पावधि में परियोजना निष्पादन समय सीमा प्रभावित हो सकती है। लॉकडाउन में प्रगतिशील छूट और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी लॉकडाउन के कारण व्यर्थ हुए समय का लाभ उठाने के लिए सभी प्रयास कर रही है और अपने व्यवसाय में किसी बड़े व्यवधान की परिकल्पना नहीं करती है। सरकार द्वारा घोषित आत्मानिर्भर भारत योजना संविदाकारों को उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए राहत भी प्रदान करता है।

ट्रांसमिशन (ट्रांसमिशन):

(i) आरई एकीकरण द्वारा संचालित अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन और स्थायित्व को संबोधित करने के लिए वर्ष 2030 तक 445 गीगावाट, नियोजित उत्पादन क्षमता (817 गीगावाट) के 50प्रतिशत से अधिक के आरई लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिसंबर 2022 तक देश ने 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए ₹ 36,000 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 66.5 गीगावॉट के लिए एक व्यापक ट्रांसमिशन योजना विकसित की गई थी। अब तक, ₹ 20,200 करोड़ की ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रदान की जा चुकी हैं और लगभग ₹ 9,300 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई है। और, शेष परियोजनाएं योजना और चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं।।

इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता (सौर और पवन) का दोहन करने के लिए, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2020 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में लद्दाख में सौर ऊर्जा पार्क के विकास की घोषणा की। इसे आगे बढ़ाते हुए, 10 गीगावॉट परियोजना (लेह के पांग और न्योमा क्षेत्रों में 5 गीगावॉट प्रत्येक) की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का व्यवहार्यता मूल्यांकन भी किया गया है और भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है। इस परियोजना को दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव, पहला चरण पांग–कैथल एचवीडीसी लिंक के माध्यम से 5 गीगावाट आरई बिजली की निकासी के साथ 12 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और दूसरा चरण, 5 गीगावॉट न्योमा–काशीपुर एचवीडीसी के माध्यम से कार्यान्वयित किया जा रहा है।

नवीकरणीय स्रोतों के अंतरविराम के कारण, बीईएसएस के बड़े पैमाने पर परिनियोजन के माध्यम से तेज रैंप दरों और पीकिंग लोड आवश्यकताओं के अनुसार प्रणाली की स्थिरता को व्यवस्थित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, देश को आरई क्षमता के बढ़ते प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा 2030 तक बीईएसएस सहित लगभग 27 गीगावाट/108 गीगावाट ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आवश्यकता की पहचान की गई है।

(ii) राज्यांतरिक ट्रांसमिशन

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पहुंच के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी हासिल करने हेतु राज्यांतरिक ट्रांसमिशन प्रणाली के समान विकास की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विशेष राज्य के लिए प्रति व्यक्ति बिजली खपत आकांक्षाएं मांग पक्ष की आवश्यकता के साथ मेल खाने के लिए राज्यांतरिक नेटवर्क के परिदृश्य का पता लगाने के लिए निर्धारित हैं। भारत सरकार द्वारा पुनरुत्थान वितरण योजना की शुरूआत के साथ, ट्रांसमिशन नेटवर्क आवश्यकताओं को सक्षम करने में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 की अवधि के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन में लगभग ₹ 2 लाख करोड़ के निवेश के अवसरों की भी परिकल्पना की गई है। टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से 30.06.21 को आपकी कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में पहली राज्यांतरिक टीबीसीबी परियोजना (पॉवरग्रिड जवाहर–फिरोजाबाद टीआर प्रणाली) शुरू की है और यूपी एवं राजस्थान राज्य में परियोजनाओं (लगभग ₹ 1500 करोड़) के लिए भी बोली लगा रहा है।

भारत सरकार की चल रही पहल और मांग वृद्धि अनुमानों ने संभावित राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम और परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग समाधान आदि पर परामर्श सेवाओं के विस्तार जैसे अन्य विभिन्न तरीकों के माध्यम से राज्यांतरिक स्पेस में निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिया है।

(iii) सीमा पार अंतःसंबंध

भारत द्वारा पड़ोसी देशों के साथ सीमा–पार बिजली हस्तांतरण अंतर–सरकारी द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से हो रहा है, जो सीमा पार परस्पर संपर्क, प्रणाली परिचालन आदि की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र में संसाधनों को मौजूदा सीमा पार अंतःसंबंध के अतिरिक्त और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस दिशा में, भारत सरकार और सीईआरसी द्वारा क्रमशः षविद्युत के सीमा पार व्यापार पर दिशानिर्देशष और (विद्युत के सीमा पार व्यापार) विनियम, 2019 जारी किए गए हैं।

भारत अपने पड़ोसी देशों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ विभिन्न विद्युत अंतर्संबंधों के माध्यम से लगभग 4230 मेगावाट की संचयी बिजली हस्तांतरण क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। इस दिशा में, नवंबर 2020 में भारत और नेपाल के बीच मुजफ्फरपुर–धालकेबार ट्रांसमिशन लाइन को 400 केवी के रेटेड वोल्टेज पर सफलतापूर्वक चार्ज किया गया था। 400 केवी डी/सी बेहरामपुर (पीजी)–भेरामेरा (बीश्देश) ट्रांसमिशन लाइन (दूसरा डी/सी) को शुरू करके लिंक को और मजबूत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आपकी कंपनी को विनियमित प्रशुल्क प्रणाली (आरटीएम) के तहत प्रतिष्ठित 765 केवी काठीहार (बिहार) – परबोतीपुर (बांग्लादेश) – बोरर (असम) परियोजना सौंपी है। इसके अतिरिक्त, नेपाल के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए, 400 केवी डी/सी गोरखपुर–न्यू बुटवल ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से के निर्माण के लिए पावरग्रिड और एनईए के बीच संयुक्त उद्यम (50रू50) का गठन किया जा रहा है।

अतिरिक्त सीमा–पार लिंक के माध्यम से शक्ति के पारस्परिक आदान–प्रदान को बढ़ाने के लिए इन अंतर्संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार इन देशों के साथ अंतर्संबंध स्थापित करने के लिए म्यांमार और श्रीलंका के साथ चर्चा कर रहा है। अगले कुछ वर्षों में विद्युत अंतरण क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाकर लगभग 6,450 मेगावाट करने की योजना है। इनसे बिजली के सीमा पार व्यापार के लिए नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

(iv) अन्य उभरते अवसर

केंद्र सरकार ने वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक पांच वर्षों की अवधि में ₹ 3,03,758 करोड़ के परिव्यय के साथ पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना– सुधार आधारित और परिणाम आधारित योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना की परिकल्पना सभी डिस्कॉम/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थायित्व में सुधार के लिए की गई है और इसमें लगभग 25 करोड़ परिवारों के लिए बिजली फीडर से लेकर उपभोक्ता स्तर तक वितरण क्षेत्र में एक अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग इकोप्रणाली शामिल होगा। यह पहल अन्य तरीकों के साथ–साथ संभावित राज्यों को परामर्श सेवाएं/हैंडहोल्डिंग जैसे पूंजी निवेश के अवसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

स्मार्ट सिटी, डिजिटलीकरण, रेलवे विद्युतीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, मांग पक्ष प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे अन्य विकासों के साथ–साथ भारतीय बिजली क्षेत्र के बदलते परिदृश्य और ग्राहकों पर ध्यान देने के साथ डिस्कॉम्स वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार, व्यवसाय के अवसर पैदा कर रहा है, जो कि परामर्शदाता और टेलीकॉम के क्षेत्र के साथ–साथ बैटरी स्टोरेज, वितरण, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट सिटी, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे आदि के नए क्षेत्र में हो सकता है।

परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए विद्युत गतिशीलता में परिवर्तन एक आशाजनक वैश्विक रणनीति है। भारत उन मुट्ठी भर देशों में से है जो वैश्विक EV30/30 अभियान का समर्थन करते हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सुलभ और मजबूत नेटवर्क एक आवश्यक पूर्व– महत्वाकांक्षी परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सक्षम नीतियां स्थापित की हैं।

आपकी कंपनी, अपने विशाल अनुभव और राज्यों के साथ उत्कृष्ट संबंधों के साथ उभरते हुए अवसरों को साकार करने में सबसे आगे है।

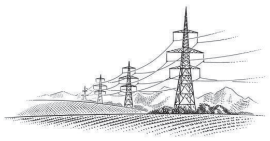

4. कंपनी का परिदृष्य

(i) ट्रांस मिशन

आपकी कंपनी, भारत की प्रमुख विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी, मुख्यतरू अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन क्षेत्र में कार्य कर रही है और विश्व की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। कंपनी के मजबूत और बड़े पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क (प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से हासिल की गई सहायक कंपनियों के साथ) के साथ–साथ अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों, यथा टेलीकॉम, परामर्श आदि पर निदेशक की रिपोर्ट में चर्चा की गई है।

आपकी कंपनी इस क्षेत्र में अग्रणी है। ऊपर चर्चा की गई भारतीय विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि के अवसरों को देखते हुए, आपकी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार क्षमता का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए तैयार है।

आपकी कंपनी वर्ष 1998 से भारत की केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) के सांविधिक कार्यों का निर्वहन कर रही थी। भारत सरकार ने 'सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड' (सीटीयूआईएल), एक सरकारी कंपनी और पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी को 'केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता' (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित किया है। 1 अप्रैल, 2021 से विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार सीटीयू के सभी कार्यों को करने और उनका निर्वहन करने के लिए आपकी कंपनी अधिनियम के तहत एक डीम्ड ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी बनी रहेगी और आकस्मिक तथा उससे जुड़े कार्यों का निर्वहन करेगी।

सीटीयू कार्य वाणिज्यिक उन्मुख नहीं हैं और इसलिए कंपनी के व्यवसाय परिचालन पर भौतिक प्रभाव पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है।

(ii) टेलीकॉम

आपकी कंपनी ने मुख्य रूप से सुरक्षित और विश्वसनीय ग्रिड परिचालन हेतु महत्वपूर्ण संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक अखिल भारतीय फाइबर ऑप्टिक–आधारित संचार नेटवर्क स्थापित किया है। इस प्रकार उपलब्ध टेलीकॉम अवसंरचना की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग अन्य बातों के साथ–साथ टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं, आईटी कंपनियों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकारें, रक्षा प्रतिष्ठान आदि सहित विभिन्न ग्राहकों को वाणिज्यिक टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

टेलीकॉम आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में से एक है और इसे जनता के सशक्तिकरण के माध्यम से विकास और गरीबी में कमी के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में पहचाना गया है, जो इसकी बढ़ती पहुंच, उपकरणों और समाधानों का बेहतर नेटवर्क अपनाना जो सिस्टम के डिजिटलीकरण, प्रक्रिया और सभी क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ाता है, को दर्शाता है। यह 2030 हेतु सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के प्रमुख तत्वों में से एक है। सूचना और ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के साथ–साथ नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विभाजन के अंतर को कम करना महत्वपूर्ण है।

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और ओटीटी कंपनियों और गिरते खुदरा प्रशुल्कों की पेशकश की डिजिटल उत्पादों एवं सेवाओं ने पिछले वर्षों में डेटा की खपत में लगातार वृद्धि हुई है। कोविड –19 के चलते, टेलीकॉम खंड लाभार्थी रहा है क्योंकि घर से काम करने और सामाजिक दूरी होने से विशेष रूप से शिक्षा, बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों, स्वास्थ्य देखभाल आदि के क्षेत्रों में डेटा की खपत के लिए विस्तार हुए है. , जिससे भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी आई है।

टेलीकॉम क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति जैसे 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन टू मशीन (एम2एम) इंटरफ़ेस, आदि न केवल टेलीकॉम सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए बल्कि टेलीकॉम आधारित सेवाओं का भी विस्तार करने के लिए टेलीकॉम नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता में तेजी लाएंगे जिससे पावरग्रिड जैसे सेवा प्रदाताओं के लिए विकास के अवसर प्रदान करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर सरकार के बढ़ते जोर, प्रचलित भू–राजनीतिक वातावरण द्वारा त्वरित डेटा स्थानीयकरण में वृद्धि से अन्य टेलीकॉम सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होने की अपेक्षा है। इस क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए, आपकी कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली टेलीकॉम सहायक कंपनी का गठन किया है। टेलीकॉम व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए भारत सरकार और सीईआरसी से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

आपकी कंपनी टेलीकॉम क्षेत्र में नए व्यवसाय के अवसर तलाश रही है, अर्थात विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ पड़ोसी देशों को सीधे सेवा देने के लिए डेटा केंद्रों, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) बैंडविड्थ व्यवसाय की स्थापना आदि। पावरग्रिड ने अपने मौजूदा एकीकृत लाइसेंस में आईएलडी सेवा प्राधिकरण प्रदान करने के लिए टेलीकॉम विभाग (डीओटी) को आवेदन किया है। आपकी कंपनी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है और मौजूदा मार्गों में नई बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाकर, नए मार्गों और नए स्थानों को जोड़कर अपने अखिल भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क को लगातार बढ़ा रही है। तदनुसार, आपकी कंपनी 200 जी आधारित डीडब्ल्यूडीएम प्रणाली स्थापित कर रही है और एसडी–वैन और डी–डॉस सुविधा के साथ अलग 100 जी इंटरनेट नेटवर्क स्थापित कर रही है।

(iii) परामर्श – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय

आपकी कंपनी ट्रांसमिशन, सब–ट्रांसमिशन और टेलीकॉम सेक्टर में अपनी मजबूत इन–हाउस विशेषज्ञता के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को परामर्श सेवाएं दे रही है। घरेलू स्तर पर, इसके ग्राहकों में विभिन्न सरकारी एजेंसियां और विभाग, सीपीएसई, राज्य और निजी बिजली उपयोगिताओं, एनएचएआई और राज्य विभागों जैसी सरकारी संस्थाएँ और भारतीय रेलवे और अन्य शामिल हैं। आपकी कंपनी इंजीनियरिंग समाधान और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए पावरग्रिड की परामर्श सेवाएं प्रदान करके अक्षय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स द्वारा स्थापित किए जा रहे आरई उत्पादन संयंत्रों से संबंधित ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आपकी कंपनी ने अब तक विभिन्न ग्राहकों को परामर्श, परियोजना प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करके एशिया, अफ्रीका, सीआईएस देशों और एशिया–प्रशांत में फैले 21 देशों में फूटप्रिंट स्थापित किया है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिताओं, विश्व बैंक, एडीबी, आईएफसी और भारत सरकार जैसी बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियां शामिल हैं। आपकी कंपनी अपने परिदृश्य के अनुसार– उभरते बाजारों में लीडरशिप के साथ वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी बनने के लिये और अपने महारत्न सीपीएसई से भारत की वैश्विक आउटरीच आकांक्षाओं के भाग के रूप में विद्युत ट्रांसमिशन में भी वैश्विक अवसरों की तलाश कर रही है। आपकी कंपनी अपने पिछले अनुभव के आधार पर, लगातार अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और सीआईएस देशों में अवसरों के लिये लगातार मार्ग प्रशस्त कर रही है।

पिछले वर्ष, आपकी कंपनी ने अफ्रीकी महाद्वीप में पीपीपी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अफ्रीका के साथ एक समझौता किया था, इस दिशा में अफ्रीका के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से पीपीपी प्रणाली के तहत केन्या में निवेश के लिए और कदम उठाए गए हैं।

विश्व के विभिन्न हिस्सों में कोविड –19 के चलते बार–बार लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों ने अभिरुचि की अभिव्यक्ति और पूर्व प्रस्तुत प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्वाह को प्रभावित किया है। कंपनी को आशा है कि वैश्विक सुधार के साथ कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी।

निदेशकों की रिपोर्ट में आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन और कार्यान्वयन के तहत कार्यों की नवीनतम स्थिति पर चर्चा की गई है।

(iv) ऊर्जा प्रबंधन

सरकार ऊर्जा की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बीईई ग्रेड –1 ईएससीओ (ऊर्जा सेवा कंपनी) है और इसमें ऊर्जा लेखा परीक्षकों का व्यापक पूल है। कंपनी ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में नियमित रूप से अवसर तलाश रही है। राज्यों के लिए अपशिष्ट ऊर्जा, कृषि और प्रेरण मोटर प्रतिस्थापन परियोजनाओं में अवसर मौजूद हैं। आपकी कंपनी आने वाले वर्ष में विभिन्न राज्यों और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ इन क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने की आशा करती है और ऊर्जा प्रबंधन कार्य करने के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने का इरादा रखती है।

(v) अन्य उभरते अवसर

क्षेत्रीय ज्ञान, अनुभवी पेशेवरों के बड़े पूल और भारत सरकार और राज्य सरकारों के विश्वास से प्रेरित, कंपनी नियमित रूप से वितरण, रेलवे विद्युतीकरण, और नए क्षेत्रों जैसे ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ग्रिड, ईवी फास्ट–चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विद्युत से संबंधित आसन्न क्षेत्रों में विभिन्न उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रही है और वितरण एवं ग्रिड बैटरी भंडारण में स्मार्ट ग्रिड में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं। पावरग्रिड उन्नत संचार और प्रौद्योगिकी केंद्र (पीएआरटीईसी) जो आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया हैं। इस सुविधा ने अनुसंधान, विश्लेषण, परीक्षण और अंशांकन के लिए विस्तारित विशेषज्ञ सेवाओं की शुरूआत की है और इस अवसर को आगे ले जाने की अपेक्षा भी है। सीटीयू का दर्जा समाप्त करने के साथ, आपकी कंपनी अब सौर ऊर्जा उत्पादन में भी व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रही है।

5. ट्रांसमिशन प्रणालियों के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण में प्रमुख कठिनाईयां/सामना की गयी चुनौतियां/खतरारू

5.1 वनों, कृषि भूमि, शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ–साथ अन्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) का संरक्षण, विद्युत अंतरण की आवश्यकता से मेल खाती लाइनों की अंतरण क्षमता का उन्नयन, सबस्टेशनों के लिए भूमि की उपलब्धता और अधिग्रहण, देश में ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास में चिंता का प्रमुख क्षेत्र हैं।

क) आईएसटीएस के विकास, परिचालन और अनुरक्षण में प्रमुख बाधाएं और चिंताएं, और आपकी कंपनी के प्रयास हैंरू

I. निर्माण में चुनौतियां

क) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दे;

ख) सबस्टेशन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में कठिनाई;

ग) अविलंब वन मंजूरी;

घ) ट्रांसमिशन लाइन निर्माण गतिविधियों और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपर्याप्त कुशल जनशक्ति।

ड.) नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण।

II. परिचालन और अनुरक्षण में चुनौतियां

आपकी कंपनी अपने विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क का प्रबंधन कर रही है जो उम्र बढ़ने के साथ–साथ विस्तार और जटिल होता जा रहा है। ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी का लक्ष्य परिचालन दक्षता में सुधार लाना है।

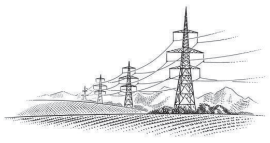

ख) उपरोक्त चुनौतियों / चिंताओं को दूर करने / कम करने की पहल

आपकी कंपनी भारतीय विद्युत प्रणालियों में नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती के साथ–साथ परिनियोजन के माध्यम से उपरोक्त चिंताओं को दूर करने/कम करने के लिए विभिन्न पहल कर रही है, जिन पर नीचे चर्चा की गई हैरू

क) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) बाधाओं को संबोधित करनारू

आपकी कंपनी उच्च वोल्टेज स्तर, विशेष रूप से डिजाइन किए गए टावरों और नई तकनीकों को अपना रही है ताकि आरओडब्ल्यू आवश्यकता को अनुकूलित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की बिजली वहन क्षमता को धीरे–धीरे बढ़ाया जा सके। आपकी कंपनी द्वारा की गई कुछ तकनीकी पहल इस प्रकार हैंरू

- **आधुनिक तकनीकों के उपयोग का रूट एलाइन्मेंट और विस्तृत सर्वेक्षण**

  सर्वेक्षण आरओडब्ल्यू का आकलन करने और सबसे छोटे मार्ग के चयन के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन की लागत को अनुकूलन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण इलाके के प्रकार के आधार पर इष्टतम नींव का चयन, भूस्खलन, जलमग्न होने की संभावना वाले क्षेत्र , नदी पार करने वाली टावरों की संख्या को कम करते हुए निर्माण के साथ–साथ कानून–व्यवस्था की दृष्टि से पहुंच/प्रवेश आदि ट्रांसमिशन लाइन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निष्पादन के चरण में, साइट चयन के दौरान उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए मामूली बदलाव के साथ–साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों और निपटान से बचने के लिए रूट एलाइन्मेंट को जोड़ा जाता है।

  आपकी कंपनी रूट एलाइन्मेंट यथा जीआईएस/जीपीएस, सैटेलाइट इमेजिंग आदि हेतु आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है जिसमें सही प्रकार से विस्तृत मानचित्रण, स्थान और भौगोलिक विवरण के साथ जमीनी रुपरेखा बनाने में सहायता मिली।

- **बल्क विद्युत अंतरण हेतु उच्च वोल्टेज को अपनाना**

  765 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों, ±800 केवी एचवीडीसी जैसी उच्च क्षमता ट्रांसमिशन प्रणाली की शुरू करने के प्रति मेगावाट विद्युत अंतरण के लिये आरओडब्ल्यू आवश्यकता में काफी कमी की जा सकेगी। दक्षिणी क्षेत्र में थोक विद्युत अंतरण के लिए, रायगढ़ से पुगलूर के बीच ±800 केवी 6000 मेगावाट एचवीडीसी लिंक शुरू किया जा रहा है। केरल को 2000 मेगावाट बिजली के अंतरण के लिए, आपकी कंपनी आरओडब्ल्यू मुद्दों की देखभाल के लिए अत्याधुनिक ±320 केवी एचवीडीसी वीएससी प्रौद्योगिकी को आंशिक रूप से संकीर्ण आधारित टावरों का उपयोग करके और आंशिक रूप से 320 केवी डीसी एक्सएलपीई केबल के साथ भूमिगत है।

  आपकी कंपनी ने 1200 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज (यूएचवी) एसी प्रौद्योगिकी के विकास हेतु, विश्व में उच्चतम ट्रांसमिशन वोल्टेज स्तर पर, 1200 केवी यूएचवीएसी राष्ट्रीय परीक्षण स्टेशन की सफलतापूर्वक स्थापना की है और 1200 केवी सिंगल और डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन भागों से संबद्ध 1200केवी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों का उपयोग करते हुए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया है। 1200केवी राष्ट्रीय परीक्षण स्टेशन के माध्यम से विद्युत प्रवाह सफलतापूर्वक शुरू हुआ है। इससे भारत में यूएचवी श्रेणी के उपकरणों की उपलब्धता आसान हुई है। 1200केवी यूएचवीएसी उपकरण के प्रदर्शन की निगरानी के लिए दीर्घकालिक क्षेत्र परिचालन और परीक्षण किए जा रहे हैं।

- **मौजूदा और नई लाइनों में उच्च निष्पादन वाले कंडक्टरों का उपयोग**

  उसी ट्रांसमिशन कॉरिडोर से अधिक विद्युत ले जाने की क्षमता वाले विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन के उच्च निष्पादन कंडक्टर नए समानांतर कॉरिडोर का सृजन करने और दुर्लभ भूमि, आरओडब्ल्यू और वन संसाधनों के संरक्षण आदि के को सुकार बनाता है। उपरोक्त लाभों को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने कुछ मौजूदा लाइनों के पुनरू परिचालन के लिये पहलें की हैं जहां विद्युत प्रवाह बाधाओं में कठिनाईयां आ रही है। आपकी कंपनी ने मल्टी–सर्किट स्ट्रेच में क्वाड/ट्रिपल बंडल एसीएसआर कंडक्टरों के बजाय ट्विन एचटीएलएस कंडक्टरों का उपयोग किया है। कंपनी ने उच्च क्षमता वाले एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर यथा एल59 कंडक्टर (पारंपरिक एसीएसआर कंडक्टर की तुलना में ~ 25–30 प्रतिशत अधिक क्षमता वाले) और एसीएसएस टाइप एचटीएलएस कंडक्टर तैनात किए हैं।

- **उपयुक्त प्रकार के टॉवर का चयन**

  ट्रांसमिशन लाइन टॉवर का उचित डिजाइन और निर्माण न केवल परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है; बिजली व्यवस्था का सुरक्षित और विश्वसनीय परिचालन लेकिन परियोजना की लागत और आरओडब्ल्यू के संरक्षण में भी बहुत महत्व है। भिन्न पवन क्षेत्रों, विन्यास, जटिलताओं और वोल्टेज स्तरों आदि हेतु लगभग 250 की एक बड़ी संख्या में टॉवर डिजाइन विकसित किये गये हैं और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में समस्या का समाधान करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा वन और स्कार्स आरओडब्ल्यू आदि के संरक्षण में अपने प्रयास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त, 220 केवी, +/– 320 केवी एचवीडीसी, 400 केवी और 765 केवी वोल्टेज स्तर के लिए पोल संरचनाओं

को भी सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया गया है और गंभीर आरओडब्ल्यू बाधाओं वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। ट्रांसमिशन लाइनों के भूमि उपयोग को कम करने के लिए संकीर्ण आधार टॉवर भी विकसित किए गए हैं।

ख) सबस्टेशन के निर्माण के लिए भूमि का प्रबंधन

भूमि अधिग्रहण और संबंधित पुनर्वास और पुनरूनिपटान की समस्याओं को कम करने और सबस्टेशन भूमि की आवश्यकता को कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) और हाइब्रिड सब–स्टेशन जैसी नई तकनीकों में निवेश करके लगातार उन्नति और सुधार किया है, जिसके लिए पारंपरिक एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) की तुलना में काफी कम भूमि की आवश्यकता होती है। वर्ष 2007 में अपना पहला जीआईएस शुरू करने के बाद, आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ, वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में 45 जीआईएस सबस्टेशनों का स्वामित्व किया

इसके अतिरिक्त, कई सबस्टेशनों में, जहां अतिरिक्त क्षमता (बेज) बनाने की आवश्यकता होती है, अक्षय उत्पादन के लिए बिजली निकासी की सुविधा हेतु, आपकी कंपनी ने स्पेस का कुशलतापूर्वक और त्वरित उपयोग करने के लिए हाइब्रिड तकनीक की हिमायत की।

ग) वन स्वीकृतियों की चुनौतियों पर काबू पाना

समय पर वन मंजूरी, जहां भी लागू हो, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी के ठोस प्रयासों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार के विभिन्न सक्रिय निर्णय से विशेष रूप से ट्रांसमिशन लाइनों सहित रैखिक परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। इसके अतिरिक्त, वन मंजूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और समयबद्ध बनाने से संबंधित वन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाने में भी मदद मिली। वन मंजूरी प्रक्रिया में सरकार को प्रतिफल का भुगतान भी शामिल है, जिससे हरित आवरण को बढ़ाने की सुविधा मिलती है क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल का उपयोग वन कवर विकसित करने के लिए किया जाता है।

घ) निर्माण गतिविधियों में अपर्याप्त कुशल जनशक्ति के मुद्दों को संबोधित करनारू

देश में समग्र कौशल विकास, विशेष रूप से विद्युत ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के क्षेत्र में, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और निरंतर रूप से युवाओं को प्रशिक्षु बनाया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, हालांकि कोविड के चलते प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही, लेकिन आपकी कंपनी को आशा है कि यह फिर से गति पकड़ लेगी।

ड.) नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में क्षमता निर्माणरू

नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विशेष रूप से फॉल्ट करंट लिमिटिंग सीरीज रिएक्टर, स्टेटकॉम आदि के क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता बनाने के लिए, आपकी कंपनी ने विशेष रूप से स्टेटकॉम के क्षेत्र में कई इकाइयों के मामले में भारत से कम से कम एक इकाई की आपूर्ति करने पर जोर दिया। इस रणनीति ने विभिन्न निर्माताओं की विनिर्माण क्षमताएं बनाई हैं और कम से कम 3 इकाइयां भारत में स्टेटकॉम वाल्व का निर्माण शुरू कर चुकी हैं।

ग) परिचालन और अनुरक्षण दक्षता का विकास

आपकी कंपनी नवीनतम अत्याधुनिक अनुरक्षण प्रथाओं के उपयोग के माध्यम से अपने ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को लगातार बनाए रखने के लिए तैयार है। अनुरक्षण गतिविधियों को पहले से अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाता है और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार लाइव लाइन या शटडाउन अनुरक्षण के माध्यम से प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए एक श्वार्षिक अनुरक्षण योजनाश को चुना जाता है।

ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और नवीनीकरण के प्रबंधन में आपकी कंपनी के सक्रिय दृष्टिकोण ने विशेष रूप से कोहरे, प्रदूषण और अन्य प्राकृतिक कारणों से लाइनों के ट्रिपिंग को कम किया है। सॉफ्टवेयर टूल, ट्रांसफॉर्मर ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली (टीओसीएमएस), एनटीएएमसी और आरटीएएमसी पर प्रचालनरत है। आपकी कंपनी ने बेहतर परिचालन प्रदर्शन के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को अपनाया है और इस दिशा में आपकी कंपनी द्वारा निम्नलिखित नवीनतम तकनीकों को अपनाया गया हैरू

(i) सॉफ्टवेयर आधारित ट्रांसफॉर्मर स्वास्थ्य अनुक्रमण प्रणाली का विकास और परिचालनः

आपकी कंपनी में ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों की अधिक संख्या है, जो एक ट्रांसमिशन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति हैं। इन महत्वपूर्ण और महंगे उपकरणों की स्थिति की निगरानी प्रमुख महत्व की है और इसलिए, अधिक कुशल तरीके से उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए, आपकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर उपकरण विकसित किया है जो मूल्यांकन की गई स्थिति के आधार पर उनके स्वास्थ्य को रैंक करता है। यह सॉफ्टवेयर प्रणाली, पावरग्रिड एसेट लाइफ मैनेजमेंट प्रणाली (पीएएलएमएस), चालू है और परिसंपत्ति प्रबंधकों को समय पर और उचित निर्णय लेने में सक्षम बना रहा है। कंपनी भविष्य में ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने पर विचार कर रही है।

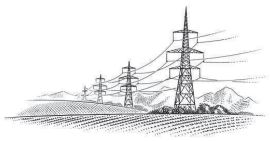

(ii) ट्रांसमिशन लाइनों की बेहतर उपलब्धता के लिए नवीनतम तकनीक को अपनाना

- दोषों की पहचान करने के लिए गिम्बल माउंटेड एलआईडीएआर (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग), थर्मो–विजन कैमरा, कोरोना कैमरा, हाई रेजोल्यूशन वीडियो और डिजिटल कैमरा से युक्त हेलीकॉप्टर का उपयोग करके आपकी कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों की एरियल पैट्रोलिंग की जा रही है।

  आपकी कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइनों की निगरानी के लिए एक एप्लिकेशन विकसित किया है। एपीपी के माध्यम से टावरों की पेट्रोलिंग व खामियों को दूर करने को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह वास्तविक समय के आधार पर डेटा को अद्यतन करने में मदद करता है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्थानों की प्रभावी निगरानी की जाती है।

- **ट्रांसमिशन लाइन अरेस्टर**

  आपकी कंपनी सदैव ट्रांसमिशन आस्तियों के परिचालन और अनुरक्षण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में प्राथमिकता देती है। देश में पहली बार 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन अरेस्टर (टीएलए) को दक्षिणी क्षेत्र की ट्रांसमिशन लाइनों में डिजाइन और शुरू किया गया है बिजली के कारण ट्रिपिंग को रोका जा सके जो ट्रांसमिशन लाइनों की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार करता है।

- **ऑनलाइन फॉल्ट लोकेटर**

  ट्रैवलिंग वेव ऑनलाइन फॉल्ट लोकेटर को गलत स्थानों के सटीक आकलन के लिये कई उच्च क्षमता वाली लाइनों में कार्यान्वयित किया गया है। इससे कम से कम समय में दोषों की पहचान करके ट्रांसमिशन लाइनों के डाउनटाइम को कम करने में मदद मिली है।

- **डिजिटल टेली संरक्षण प्रणालीः**

  विश्वसनीय टेली–संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क पर डिजिटल प्रोटेक्शन कपलर का उपयोग किया जा रहा है। इससे टेली सुरक्षा प्रणाली की शोर प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हुआ है, जिससे ट्रिप ट्रांसफर योजना के खराब होने की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया गया है।

  सबस्टेशन उपकरणों के लिए अत्याधुनिक स्थिति निगरानी तकनीकों का उपयोग प्रारंभिक चरण में दोषों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इनमें ट्रांसफॉर्मर/रिएक्टर बुशिंग्स और करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए चर आवृत्ति कैपासिटी और टैन–डेल्टा मापन, सर्किट ब्रेकर्स के लिए डायनेमिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, सर्ज अरेस्टर्स के लिए तीसरा हार्मोनिक रेसिस्टिव करंट मापन, सबस्टेशन उपकरण की थर्मो–विजन स्कैनिंग, जीआईएस में आंशिक डिस्चार्ज मापन आदि शामिल हैं। प्रारंभिक अवस्था में दोषों का पता लगाने में ये तकनीकें बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। अग्रिम रूप से निवारक/सुधारात्मक कार्रवाई की गई और बड़ी विफलताओं को टाला गया। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर तेल पैरामीटर जांच, ट्रांसफॉर्मर/रिएक्टरों का डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस (डीजीए), पार्टिकल काउंट्स, इनहिबिटर कंटेंट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर/रिएक्टरों की समस्या और जीवनवृद्धि के निदान के लिए बहुत उपयोगी हैं, जिन्हें आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयित किया है।

- **श्रृंखला रिएक्टर का कार्यान्वयनः**

  अंतर्संबंध में वृद्धि और उत्पादन / भार की एकाग्रता के कारण शॉर्ट सर्किट स्तर में वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में, ये शॉर्ट सर्किट स्तर उपकरणों की अधिकतम क्षमता तक पहुंच रहे हैं जो कि परिचालन में हैं और जिसकी भविष्य में वर्तमान क्षमता से परे जाने की उम्मीद है। हाल के वर्षों में, आपकी कंपनी ने मौजूदा सबस्टेशनों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बल्लभगढ़ और मंडोला सबस्टेशनों में 4 सीरीज रिएक्टर स्थापित और शुरू किए हैं।

- **रेजिन इंप्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग्स और बुशिंग्स से संबंधित अन्य विकासों का परिचयः**

  बुशिंग विफलताओं के कारण ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों की विफलता को रोकने के लिए, पावरग्रिड ने पहले ऑयल इंप्रेग्नेटेड पेपर (ओआईपी) बुशिंग्स के बजाय रेजिन इंप्रेग्नेटेड पेपर (आरआईपी) बुशिंग को अपनाया था, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों की विफलता में उल्लेखनीय कमी आई है। 400 केवी वोल्टेज स्तर के ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों पर रेजिन इंप्रेग्नेटेड पेपर (आरआईपी) बुशिंग को अपनाने और परिचालन पर प्राप्त लाभों और प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने 800 केवी ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों में भी प्रारम्भ के लिए 800 केवी आरआईपी बुशिंग के विकास की सुविधा प्रदान की है। इन बुशिंग्स से विफलता की एक अप्रत्याशित घटना में परिणामी नुकसान को कम करने की उम्मीद है।

  इसके अतिरिक्त, रेजिन इंप्रेग्नेटेड सिंथेटिक्स (आरआईएस) / रेजिन इंप्रेग्नेटेड फाइबरग्लास (आरआईएफ) बुशिंग्स के विकास और ओआईपी और आरआईपी बुशिंग्स पर उनके अतिरिक्त लाभों के साथ, पावरग्रिड अब भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी आरआईएस / आरआईएफ बुशिंग को अपनाने का इरादा रखता है।

- **डिजिटल सबस्टेशनः**

  भिवाड़ी और नीमराणा सबस्टेशनों पर प्रोसेस बस टेक्नोलॉजी पर प्रायोगिक परियोजनाओं से अनुभव प्राप्त करते हुए, आपकी कंपनी ने उन्नत ऑटोमेशन प्रणाली के साथ पारंपरिक सुरक्षा और नियंत्रण योजनाओं को फिर से स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसके एक भाग के रूप में, पावरग्रिड ने 16 दिसंबर, 2020 को पंजाब के मलेरकोटला में आईईसी 61850 प्रोसेस बस पर आधारित भारत का पहला 400 केवी डिजिटल सबस्टेशन शुरू किया। इसके साथ पावरग्रिड पूर्ण डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ एक पूर्ण सबस्टेशन को पुनरू लगाने के लिए विश्व में बहुत कम उपयोगिताओं में से एक बन गया है।

  साथ ही आपकी कंपनी प्रोसेस बस तकनीक पर आधारित चंडीगढ़ में एक डिजिटल सब–स्टेशन स्थापित कर रही है। नई योजना से कम से कम फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ बड़ी मात्रा में तांबे के केबलों को बदलकर कार्बन फुटप्रिंट में कमी के अतिरिक्त अनुरक्षण को आसान बनाने, शूटिंग की परेशानी को आसान बनाने और किसी भी घटना के मामले में बहाली के समय को कम करने की उम्मीद है।

- आपकी कंपनी ने ग्रिड विश्वसनीयता और वोल्टेज स्थिरता सीमा में सुधार के लिए 400केवी ग्रिड में कई अत्याधुनिक स्टेटिक सिंक्रोनस कम्पेसाटर (एसटीएटीसीओएम) स्थापित किए हैं। कंपनी ने पश्चिमी क्षेत्र में सोलापुर, औरंगाबाद, सतना और ग्वालियर, उत्तरी क्षेत्र में लखनऊ और नालागढ़, पूर्वी क्षेत्र में रांची, राउरकेला, जेपोर और किशनगंज; और दक्षिणी क्षेत्र में उदुमलपेट, त्रिची, हैदराबाद और एनपी कुंटा में स्टेटकॉम्स शुरू किए हैं।

  इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में एक थाइरिस्टर नियंत्रक रिएक्टर (500 एमवीएआर) भी कुरुक्षेत्र एचवीडीसी स्टेशन के स्थिर और गतिशील वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए लागू किया जा रहा है।

- **एचवीडीसी का नवीनीकरणः**

  +/– 2×250 मेगावाट एचवीडीसी विंध्याचल और +/– 500 केवी, 1500 मेगावाट एचवीडीसी रिहंद– दादरी का नवीनीकरण उन परियोजनाओं के जीवन का विस्तार करने के लिए किया जा रहा है जिन्होंने 25 से अधिक वर्षों से भारतीय विद्युत प्रणाली की सेवा की है। इन एचवीडीसी टर्मिनलों के केवल अप्रचलित उपकरण और प्रणाली को बदला जा रहा है और मौजूदा प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा रहा है। एचवीडीसी प्रणाली का नवीनीकरण भारत में पहली बार किया जा रहा है और यह एक नया और सीखने का अनुभव होगा। मरम्मत का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है। यह आपकी कंपनी की इन एचवीडीसी संपत्तियों के परिचालन जीवन को लगभग 10 वर्षों तक बढ़ा देगा।

- **अनुरक्षण विशेषज्ञ समूह का गठनः**

  ट्रांसफॉर्मर के लिए कंपनी विशेषज्ञ समूहों में कुशल जनशक्ति के निरंतर सुधार और वृद्धि के एक भाग के रूप में, एचवीडीसी विशेषज्ञ समूह, जीआईएस, स्विचगियर, एसवीसी / स्टेटकॉम आदि का गठन जनशक्ति की क्षमता को सुदृढ़ करने और प्रणाली की शीघ्र बहाली के मामले में किया गया है।

5.2 कोविड महामारी के चलते, भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रांसमिशन इकाइयों और सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में चिन्हित किया गया था और इसलिए उन्हें लॉकडाउन से छूट दी गई थी। परिचालन के स्तर पर, कंपनी ने अपनी इकाइयों के परिचालन और अनुरक्षण के लिए दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल जारी किए और यह सुनिश्चित किया कि इसकी ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उन्नत उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना कार्यान्वयन के स्तर पर, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और जनशक्ति की उपलब्धता के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने और आर्थिक गतिविधियों की प्रगतिशील शुरुआत के बाद, परियोजना कार्यान्वयन में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए और उन्हें कम करने के लिए, भारत सरकार ने 25 मार्च, 2020 तक निर्माण ाधीन ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि के संबंध में पांच महीने का विस्तार दिया है। भारत सरकार ने उपयोगिताओं की बकाया राशि के परिसमापन की सुविधा के लिए उपायों की भी घोषणा की है।

महामारी के चलते वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के परिचालन या लाभप्रदता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड 19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी किसी भी भौतिक परिवर्तन के लिए स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगी।

6. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन

जैसा कि कई अध्ययनों से स्थापित किया गया है, ट्रांसमिशन परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हैं, क्योंकि इसमें निहित स्थायित्व के कारण सबसे इष्टतम लाइन संरेखण चुनने के साथ–साथ भूमि से जुड़े संभावित सामाजिक मुद्दों से बचने के लिए सबस्टेशन साइट को अंतिम रूप देना है। हालांकि, एक जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में हम अपने पूर्व स्थापना दिनों से ही अच्छी तरह से

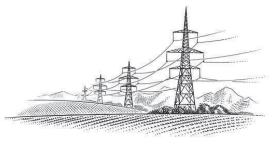

परिभाषित पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) के अनुरूप सतत विकास के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईएसपीपी पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और इसे संबोधित करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को निर्धारित करता है। यह पुनर्स्थापन के प्रावधान के साथ बचाव, न्यूनीकरण और शमन के स्पष्ट रूप से परीक्षित सिद्धांतों पर संगठनात्मक और परियोजना स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। ईएसपीपी के व्यापक कवरेज और सामग्री का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे विश्व की दो प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों यथा विश्व बैंक और एडीबी ने क्रमशः 2009 और 2017 में अपनी यूस ऑफ कोंट्री सिस्टम (यूसीएस) और कोंट्री सेफगार्ड सिस्टम (सीएसएस) नीति के तहत स्वीकार किया है और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे एआईआईबी, केएफ़डबल्यू आदि द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है।

कंपनी पर्यावरण के प्रति जागरूक है इसलिए हम भूमि अधिग्रहण के अधिदेश से परे जाते हैं और ईएसपीपी के प्रावधानों के अनुसार इसकी परियोजनाओं का विस्तृत पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं। ईएसपीपी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) विकसित करना है जिसमें परियोजना से जुड़े सभी संभावित ई एंड एस प्रभावों और स्पष्ट जिम्मेदारी आवंटन के साथ उनके संभावित शमन उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार अंतिम रूप दी गई ईएमपी को संविदाकारों द्वारा भी इसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संविदा की शर्त का हिस्सा बनाया गया है।

भूमि के मुद्दों का प्रबंधन हाल के दिनों में एक प्रमुख चुनौती बन गया है और इस तरह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि हासिल करना तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इस संबंध में भी, आपकी कंपनी ने भूमि क्षेत्र को कम करने के लिए एआईएस पर जीआईएस को तरजीह देने जैसी तकनीकी पहलों के अतिरिक्त कई सक्रिय निर्णय भी लिए हैं जैसे भूमि अधिग्रहण के अनैच्छिक तरीके का उपयोग करने के बजाय प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से भूमि हासिल करना, लागू अधिनियम के प्रावधान को कार्यान्वयित करना जिसके परिणामस्वरूप सुचारू रूप से और इसके सबस्टेशन के लिए भूमि का प्रतिरोध मुक्त अधिग्रहण होगा आदि।

लगातार बढ़ती हुई ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) प्राप्त करना देश के सभी क्षेत्रों में अधिकतर सभी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला एक विशाल रूप धारण कर चुका है। हालांकि, कई राज्यों द्वारा एमओपी दिशानिर्देशों के अनुसार टॉवर बेस के लिए भूमि के मुआवजे और आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए भूमि के घटते मूल्य की अनुमति देना इस समस्या को दूर करने और परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में काफी मददगार साबित हुआ है। आपकी कंपनी न केवल इस तरह की पहल की हिमायत करने में सबसे आगे है, बल्कि उन राज्यों में इस तरह के अतिरिक्त मुआवजे के वितरण में भी प्रदर्शन किया है, जिन्होंने पहले ही इस उपाय को अपनाया है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र में सतत रिपोर्टिंग में अग्रणी होने के नाते, आपकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे जवाबदेही ।।1000ो (2008) और ।।1000 ।च (2018) के आधार पर स्वतंत्र मान्यता प्राप्त आश्वासन प्रदाता द्वारा विधिवत सत्यापित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित/स्वीकृत ष्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) स्टेंडर्ड (कोर)ष के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–19 हेतु अपनी छठी द्विवार्षिक स्थायित्व रिपोर्ट सितंबर, 2020 जारी की। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) दक्षिण एशिया के साथ साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) एजेंडा 2030 के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कई पहल की हैं और कुल 17 में से 11 एसडीजी के साथ अपनी गतिविधियों को पहले ही संरेखित कर लिया है।

7. राजस्व संबंधी जोखिमः

भारत में नियामक संरचना का निरंतर विकास हो रहा है और विनियामक परिवर्तन, यदि कोई हो, हमारे व्यापार, परिचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए समय–समय पर आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं।

आपकी कंपनी अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाओं को या तो विनियमित प्रशुल्क तंत्र (आरटीएम) या प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्गों के माध्यम से लागू करती है। मुख्य रूप से, टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से तलाश किया जाता है और सीईआरसी द्वारा अपनाया जाता है और आरटीएम परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा प्रचलित प्रशुल्क नियमों के अनुसार विवेकपूर्ण जांच के बाद निर्धारित किया जाता है।

विभिन्न आरटीएम परियोजनाओं के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित तत्व – वार प्रशुल्क और सीईआरसी द्वारा टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए अपनाए गए प्रशुल्क को सीईआरसी शेयरिंग विनियमों के अनुसार देश में विभिन्न डीआईसी द्वारा एक साथ जोड़ा और साझा किया जाता है।

प्रशुल्क विनियम, 2019

आपकी कंपनी की परिसंपत्ति के ट्रांसमिशन प्रभार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है और प्रशुल्क मानदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होते हैं। सीईआरसी की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च, 2019 को प्रशुल्क ब्लॉक 2019–24 के लिए बिजली के अंतर–राज्यीय प्रसारण के लिए उपयोग की जाने वाली संचार प्रणाली सहित ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए लागू प्रशुल्क विनियमों को अधिसूचित किया गया, जो 01.04.2019 से प्रभावी है और 31.03.2024 तक लागू रहेगा।

सीईआरसी शेयरिंग विनियम

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों और हानियों की साझेदारी) विनियम, 2010, जो 01.07.2011 से प्रभावी हुए हैं, में ट्रांसमिशन प्रभारों की साझेदारी के लिए कार्यप्रणाली शुरू करके कनेक्शन बिंदु (पीओसी) प्रभारों और हानियों की गणना का प्रावधान किया गया।

साझा विनियम, 2010 में छह संशोधन किए गए थे। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों ने न्यायालय में उपरोक्त साझेदारी प्रविधि को चुनौती दी थी और जिसके अंतिम निर्णय की अब भी प्रतीक्षा है। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, उपरोक्त सभी राज्य उक्त विनियम के अनुसार भुगतान कर रहे हैं।

सीईआरसी अधिसूचना सं. एल–1/250/2019/सीईआरसी दिनांकित 4 मई, 2020, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों की साझेदारी) विनियम, 2020 के सामने आया। ये नियम सभी नामित आईएसटीएस ग्राहकों, अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (डीआईसी), राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी), क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) और क्षेत्रीय विद्युत समितियां (आरपीसी) पर लागू होते हैं। इन विनियमों के तहत साझा करने की पद्धति मासिक वास्तविक भार प्रवाह परिदृश्य के आधार पर पूर्व पद के आधार पर होगी। ये नियम सीईआरसी (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2010 के स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी हुए।

कमीशनिंग में ताल मेल में कमी

समन्वित प्रयासों के सर्वोत्तम संभव होने के बावजूद, कुछ उत्पादन परियोजनाओं के अमल में आने में देरी के कारण संबंधित ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में उत्पादन इकाइयों की कमीशनिंग में अंतर हो सकता है।

सीईआरसी ने अपने साझा विनियम 2020 में उत्पादन और/या अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के साथ अन्य ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों द्वारा विकसित किए जा रहे आईएसटीएस प्रणाली के साथ ताल मेल में कमी को ठीक करने के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित की है। यदि कमीशनिंग में ताल मेल में कमी होने के कारण ट्रांसमिशन परिसंपत्ति को नियमित सेवा से रोका जाता है, तो आपकी कंपनी प्रशुल्क विनियमों और साझा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक परिचालन की तारीख और ट्रांसमिशन शुल्क के भुगतान के अनुमोदन के लिए सीईआरसी से संपर्क कर सकती है।

डिस्कॉम्स और आईपीपी की तनावपूर्ण वित्तीय स्थितियों के बावजूद, हाल के दिनों में आपकी कंपनी द्वारा बकाया राशि की वसूली काफी अच्छी रही है। भारत सरकार ने श्आत्मनिर्भर इक्विटी इन्फ्यूजन स्कीमश जैसे उपायों की शुरुआत की और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अन्य सुधारों ने बकाया राशि की वसूली में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के पास त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में राज्य विद्युत उपयोगिताओं के साथ भुगतान सुरक्षा तंत्र है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों से पिछले 12 महीनों के लिए आपकी कंपनी की औसत मासिक बिलिंग के 105प्रतिशत को कवर करते हुए एलसी स्थापित करना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2001–02 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो अक्टूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने इन टीपीए के विस्तार को 10 वर्ष की और अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को छोड़कर लगभग सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने टीपीए के विस्तार के समझौतों को निष्पादित किया है और टीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए उनके साथ मामला चल रहा है। टीपीए में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य संस्था उपयोगिता द्वारा वर्तमान देय राशि के भुगतान में कोई चूक होती है, तो 90 दिनों से अधिक की बकाया राशि को राज्य के आरबीआई खाते से काट लिया जा सकता है और संबंधित सीपीएसयू को भुगतान किया जा सकता है। देय राशि का भुगतान न करने और एलसी की स्थापना न करने की स्थिति में सीईआरसी विनियमों के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा बिजली के नियमन का भी प्रावधान है; एलसी की स्थापना और ट्रांसमिशन शुल्क के भुगतान में चूक के मामले में ट्रांसमिशन सेवा समझौता (टीएसए) को समाप्त करने के लिए, ग्राहकों से देय राशि की वसूली में सुधार के लिए आपकी कंपनी द्वारा समय–समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने, आत्मानिर्भर भारत योजना के तहत, डिस्कॉम्स वित्तीय के लिए तरलता लाने के लिए ₹ 90,000 करोड़ आबंटित किए हैं।

टेलीकॉम और परामर्शदाता से व्यापारिक आय के संबंध में, ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंध बकाया प्राप्तियों की नियमित निगरानी द्वारा किया जाता है और वसूली के लिए उपभोक्ता से अनुसरण किया किया जाता है।

8. जोखिम प्रबंधन संरचना

कंपनी के व्यवसाय परिचालन और विकास उद्देश्यों से जुड़ी अनिश्चितताओं और जटिलताओं का प्रबंधन करने के लिए, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा लागू किया गया है। ईआरएम जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, सुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं/जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है।

आपकी कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का विधिवत गठन किया है और एक मुख्य जोखिम अधिकारी नामित किया है। उक्त समिति केपीआई और प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की समीक्षा करने के लिए त्रैमासिक बैठक करती है और जहाँ भी आवश्यक हो, व्यावसायिक प्रक्रिया दक्षता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय प्रदान करती है। ईआरएम दृष्टिकोण ने कंपनी को संगठन के भीतर रणनीतिक निर्णय लेने में सुधार करने और जोखिम कम करने में भी मदद की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और पर्याप्तता

पावरग्रिड में लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नियंत्रणों की पर्याप्तता, सामग्री जांच, वित्तीय औचित्य पहलुओं और अनुपालन कार्यान्वयन तंत्र को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक आंतरिक नियंत्रण तंत्र है। समान अनुपालन के लिए लेखा तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देशों का लगातार पालन किया जाता है।

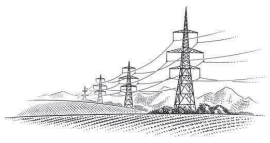

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 179 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल द्व ारा आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अर्ध–वार्षिक आधार पर नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभवी लागत/सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ निकट समन्वय में की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नजर और नियंत्रण में हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण/प्रणाली कार्य करते हैं। कॉर्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता को आश्वस्त करने के लिए प्रणाली लेखापरीक्षा और प्रबंधन लेखापरीक्षा भी करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा योजना से लिया गया है।

लेखा परीक्षा समिति की नियमित अंतराल पर बैठक होती है। महत्वपूर्ण/भौतिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समीक्षा, चर्चा और आगामी कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

एकीकृत प्रबंधन नीतिः

पावरग्रिड प्रतिबद्ध हैः

- समय, लागत, प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धन को ध्यान में रखते हुए दक्ष और प्रभावी ष्नेशनल ग्रिडष् की स्थापना और अनुरक्षण,
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाकर स्थायी संधारणीयता का विकास,
- सुरक्षित, व्यावसायिक जोखिम मुक्त और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना,
- अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हितधारकों को संतुष्ट करना और अपनी प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं में कानूनी और विनियामक प्रावधानों के अनुरूप लगातार सुधार करने का प्रयास करना।

9. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2021 की वित्तीय वर्ष 2020 से तुलना

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
परिचालन से राजस्व	**37,665.65**	36,185.54
अन्य आय	**2,861.46**	2,132.43
कुल	**40,527.11**	**38,317.97**

वित्तीय वर्ष 2021 में कुल आय ₹ 40,527.11 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2020 में ₹ 38,317.97 करोड़ की कुल आय की तुलना में 5.77 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है।

वित्तीय वर्ष 2021 में, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन से संबंधित गतिविधियां हमारी कुल आय का 89.96प्रतिशत थी, शेष राशि हमारे परामर्श, टेलीकॉम व्यवसाय और अन्य आय से आ रही थी।

आपकी कंपनी के परिचालन के परिणामों को प्रभावित करने वाले कारक

- **प्रशुल्क मानदंड**

  ट्रांसमिशन ग्राहकों को प्रदान की गई सेवा की वसूली के लिए हमारे शुल्क केंद्र सरकार की प्रशुल्क नीति और कानून के अनुसार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क मानदंडों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सीईआरसी प्रशुल्क विनियम उन सभी मामलों में लागू होते हैं जहां बिजली के अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन के लिए उपयोग की जाने वाली संचार प्रणाली सहित एक उत्पादक स्टेशन या उसकी एक इकाई और ट्रांसमिशन प्रणाली या उसके एक तत्व के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित धारा 79 के प्रशुल्क प्रावधानों के अनुसार सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, ये प्रशुल्क विनियम अक्षय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर उत्पादन स्टेशनों या अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली पर लागू नहीं होंगे जहां प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क की तलाश की गई है।

  उत्पादक कंपनी/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, प्रशुल्क विनियमों में निर्धारण के अनुसार, लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित या वाणिज्यिक परिचालन की तारीख तक किए जाने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय या अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए एक आवेदन करेगा। उत्पादक स्टेशन या ट्रांसमिशन प्रणाली, जैसा भी मामला हो, की शेष प्रशुल्क अवधि के दौरान व्यय किया जाना है।

  प्रशुल्क ब्लॉक 2019–24 के लिए लागू प्रशुल्क विनियमों के तहत, आपकी कंपनी को अपने ग्राहकों से वार्षिक निश्चित लागत ("एएफसी") की वसूली के लिए ट्रांसमिशन शुल्क चार्ज करने की अनुमति दी गई है, जिसमें विभिन्न प्रशुल्क घटक जैसे इक्विटी पर रिटर्न, बकाया पर ब्याज, ऋण, मूल्यह्रास, परिचालन और अनुरक्षण व्यय और कार्यशील पूंजी पर ब्याज शामिल हैं।

इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) की गणना कर–पूर्व आधार पर संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर पर इक्विटी पर प्रतिफल की आधार दर 15.5प्रतिशत को जोड़कर की जाती है। यदि कोई ट्रांसमिशन प्रणाली डेटा टेलीमेट्री, संचार प्रणाली को लोड प्रेषण केंद्र या सुरक्षा प्रणाली के कमीशन के बिना वाणिज्यिक परिचालन के तहत घोषित किया जाता है, तो सीईआरसी द्वारा तय की गई अवधि के लिए आरओई 1प्रतिशत कम किया जाएगा। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी की गई परियोजनाओं के लिए पिछले प्रशुल्क ब्लॉक में 0.5प्रतिशत की अतिरिक्त आरओई की अनुमति दी गई थी, जिसे वर्तमान प्रशुल्क विनियम, 2019 में हटा दिया गया है।

प्रशुल्क अवधि 2019–24 के प्रत्येक वर्ष के लिए ऋण पूंजी का पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुमत मूल्यह्रास के समतुल्य माना जाता है। आपकी कंपनी द्वारा उपभोग की गयी किसी भी अधिस्थगन अवधि के बावजूद, ऋण की चुकौती को परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के पहले वर्ष से प्रशुल्क हेतु विचार में ली जाती है और यह अनुमत वार्षिक मूल्यह्रास के समतुल्य होगा।

ट्रांसमिशन प्रणाली को बनाए रखने के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्चों की वसूली ट्रांसमिशन लाइन, सब–स्टेशन और एचवीडीसी प्रणाली आदि के लिए निर्दिष्ट मानदंडों पर आधारित है। संचार प्रणाली के लिए ओ एंड एम मानदंड प्रशुल्क ब्लॉक, 2019–24 में पेश किए गए हैं जो की ट्रूइंग अप के समय वास्तविक आंकड़ो के अधीन पूंजीगत लागत का 2प्रतिशत है।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज के लिए, कार्यशील पूंजी परिकलन में निम्न को शामिल किया जाता है – (i) वार्षिक स्थिर लागत के 45 दिनों के समतुल्य प्राप्य राशि; (ii) सुरक्षा व्यय सहित परिचालन और अनुरक्षण व्यय के 15प्रतिशत की दर पर अनुरक्षण के अतिरिक्त पुर्जे और (iii) एक महीने के लिए सुरक्षा व्यय सहित परिचालन और अनुरक्षण व्यय। वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर मानक के आधार पर है और यह यथा 1.4.2019 को या उस वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार जिसमें ट्रांसमिशन प्रणाली को प्रशुल्क अवधि 2019–24, जो भी बाद में हो, के दौरान वाणिज्यिक परिचालन के तहत घोषित किया गया है, एसबीआई जमा 350 बीपीएस के एक वर्षीय एमसीएलआर (बैंक दर) से जुड़ा हुआ है।

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) रूट के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रशुल्क की खोज की जाती है, जिसमें सफल बोलीदाता वह होगा जिसने एक स्वामित्व, परिचालन और अनुरक्षण आधार पर ट्रांसमिशन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 35 वर्षों की अवधि के लिए निम्नतम स्तर के प्रशुल्क को उद्धृत किया है।

लागत जमा परियोजनाओं के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित और टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए सीईआरसी द्वारा अपनाए गए ट्रांसमिशन प्रभारों का बंटवारा सीईआरसी साझाकरण विनियमों के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन शुल्क के समय पर भुगतान के लिए छूट और विलंबित भुगतान के लिए देर से भुगतान अधिभार भी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लागू है।

एमओपी के सलाहकार के अनुसार, केंद्रीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 2020 को स्वतः संज्ञान याचिका संख्या 6/SM/2020 में 2019 प्रशुल्क विनियमों के विनियम 59 के प्रावधानों में छूट दी। 24 मार्च, 20 से 30 जून, 20 की अवधि के दौरान बकाया बिलों के लिए देर से भुगतान अधिभार को 1.5प्रतिशत प्रति माह से 1 प्रतिशत तक घटा दिया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि 30.06.2020 के बाद की अवधि के लिए, संबंधित वितरण प्रशुल्क विनियम 59, 2019 के अनुसार एलपीएस / 18प्रतिशत प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.02.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से देय तिथि के बाद उत्पादक कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों के बिलों के विलंबित भुगतान हेतु विलंबित भुगतान अधिभार की प्रयोज्यता के संबंध में नए बिजली (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। ये नियम राजपत्र अधिसूचना तिथि 22.02.2021 से लागू होंगे। ये नियम निम्न के अनुसरण में किए जाने वाले भुगतानों के लिए लागू होंगे (क) बिजली क्रय समझौता, बिजली आपूर्ति समझौता और ट्रांसमिशन सेवा समझौता, जिसमें अधिनियम की धारा 62 के तहत प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है; और (ख) ऐसे बिजली क्रय समझौता, बिजली आपूर्ति समझौता और ट्रांसमिशन सेवा समझौता जो इन नियमों के लागू होने के बाद प्रभावी हो जाते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रशुल्क निर्धारित किया जाता है। एलपीएस का भुगतान 45 दिनों के बाद प्रथम माह की अवधि के लिए लागू ष्विलंब भुगतान अधिभार की आधार दरष् (अर्थात 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एक वर्ष के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत जिसमें अवधि के साथ पाँच प्रतिशत शामिल है) के बाद देय बकाया पर किया जाएगा। चूक के उत्तरवर्ती माह हेतु विलंबित भुगतान अधिभार की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी बशर्ते कि विलंबित भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से 3 प्रतिशत अधिक नहीं होगा।

जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत सरकार और बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के अनुसार समय–समय पर अधिसूचित अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों की साझेदारी सीईआरसी (अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभारों और हानियों की साझेदारी) विनियमों द्वारा अधिशासित होती है। वर्तमान में, सीईआरसी (अंतर राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों की साझेदारी) विनियम, 2020 प्रचलन में हैं। ये नियम सीईआरसी (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों की साझेदारी) विनियम, 2010 के स्थान पर 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी हुए।

साझा विनियम, 2020 के अनुसार, आपकी कंपनी, केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू) के रूप में, देश में सभी आईएसटीएस लाइसेंसधारियों और कुछ गैर–आईएसटीएस लाइसेंसधारियों की ओर से बिलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क एकत्र करने हेतु जिम्मेदारी थी, जिनकी लाइनों को आरपीसी द्वारा डीम्ड आईएसटीएस के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रमाणित किया गया है और उन्हें 31 मार्च 2021 तक संवितरित

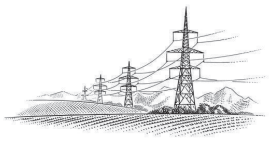

किया गया है। 01 अप्रैल 2021 से, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने भारत की अधिसूचना दिनांकित 09 मार्च 2021 से सीटीयू के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया है।

सीईआरसी विनियमों के तहत अनुमत कुछ व्यय और आय को भविष्य में लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति / दिये जाने की आवश्यकता है, जिसे इंडएएस 114 शनियामक आस्थगित खातोंश के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाना है। सीईआरसी विनियमों के तहत प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूली योग्य/देय सीमा तक ऐसे व्यय और आय को विनियामक आस्थगित परिसंपत्ति/देयता के रूप में माना जाता है।

- **विदेशी मुद्रा विनिमय दर में भिन्नता**

सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्य / देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों (गैर–वर्तमान ऋणों के अतिरिक्त) के निपटान/ट्रांसमिशन के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले एफईआरवी को विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में हिसाब में लिया जाता है। 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद आहरित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार वसूली योग्य सीमा तक विनिमय अंतर को नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी को आशा है कि परिसंपत्ति पर प्रशुल्क के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से या ऋण के पुनर्भुगतान पर विनिमय दर भिन्नता के रूप में इन राशियों की वसूली होगी।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के लिए प्रशुल्क मानदंड वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर ट्रांसमिशन आय पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल के सकल योग के लिए प्रदान करते हैं। तदनुसार, ट्रांसमिशन आय पर 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को श्आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित संपत्तिश के रूप में लिया जाता है। वर्ष के लिए आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्तियां भविष्य के वर्षों (कर अवकाश अवधि सहित) में दिया जाएगा, जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक भाग बन जाएगी।

10. आय

10.1. परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

परिचालन से राजस्व	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
ट्रांसमिशन शुल्क से राजस्व	**36,456.92**	34,876.35
परामर्श– परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण	**501.28**	610.98
टेलीकॉम से राजस्व	**707.45**	698.21
कुल	**37,665.65**	**36,185.54**

10.2 अन्य सेवाओं से राजस्व

आपकी कंपनी परामर्श (परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं सहित) और टेलीकॉम व्यवसाय से भी राजस्व अर्जित करती है। हमारी परमर्शदात्री आय में मुख्य रूप से टर्नकी आधार पर ट्रांसमिशन और संचार प्रणाली से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन हेतु शुल्क और अन्य देशों में भारतीय राज्य उपयोगिताओं, संयुक्त उद्यम कंपनियों और उपयोगिताओं के लिए तकनीकी परामर्श कार्य शामिल हैं। हमारे टेलीकॉम व्यवसाय से राजस्व मुख्य रूप से हमारी फाइबर–ऑप्टिक लाइनों की बैंडविड्थ को पट्टे पर देने के कारण है।

10.3 अन्य आय

वित्तीय वर्ष 2021 में आपकी कंपनी की अन्य आय ₹ 2,861.46 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान अन्य आय ₹ 2,132.43 करोड़ की तुलना में 34.19प्रतिशत अधिक है।

अन्य आय में मुख्य रूप से सहायक कंपनियों को ऋण पर ब्याज में वृद्धि के कारण सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों, अधिभार आदि से लाभांश आय में वृद्धि हुई।

11. व्यय

व्यय को (i) कर्मचारियों के लाभ व्यय (ii) वित्त लागत (iii) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (पअ) अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान आपकी कंपनी का कुल व्यय ₹ 24,822.40 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 25,670.62 करोड़ के कुल व्यय से 3.30 प्रतिशत कम था। कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 66.99 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 61.25 प्रतिशत था।

11.1 कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारियों लाभ व्यय में वेतन और मजदूरी, निष्पादन से संबंधित वेतन, भत्ते और लाभ, भविष्य और अन्य निधियों में योगदान और कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कर्मचारी लाभ व्यय 7.72प्रतिशत बढ़कर ₹ 2,110.74 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 1,959.47 करोड़ था।

11.2 वित्त लागत

वित्त लागत वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 9,813.62 करोड़ से वित्त वर्ष 2021 में 13.38 प्रतिशत घटकर ₹ 8,501.01 करोड़ हो गई,। यह कमी मुख्य रूप से ऋणों की अदायगी, ब्याज दर में कमी, पिछले वर्ष की तुलना में विनिमय दरों में कमी के कारण हुई थी।

11.3 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

आपकी कंपनी का मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय वित्तीय वर्ष 2021 में 5.77 प्रतिशत बढ़कर ₹ 11,711.68 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2020 में ₹ 11,073.18 करोड़ था। यह वृद्धि मुख्य रूप से नई ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के शुरू होने के कारण थी।

प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद सीधी रेखा विधि पर ट्रांसमिशन व्यवसाय से संबंधित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार टेलीकॉम और परामर्श व्यवसाय की परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि के लिए प्रदान किया जाता है। 1 अप्रैल, 2014 से पहले कमीशन की गई यूएलडीसी परिसंपत्तियां सीधी रेखा विधि 6.67 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर मूल्यह्रास की गई हैं।

11.4 अन्य व्यय

अन्य व्यय में मुख्य रूप से भवनों, संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और अनुरक्षण, बिजली शुल्क, सुरक्षा व्यय, वाहन किराए पर लेने का शुल्क, यात्रा व्यय, सीएसआर व्यय और एफईआरवी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अन्य व्यय 11.52 प्रतिशत घटकर ₹ 2,498.97 करोड़ हो गए, जो वित्तीय वर्ष 2020 में ₹ 2,824.35 करोड़ थे। अन्य व्यय में कमी मुख्य रूप से यात्रा व्यय, सीएसआर व्यय और एफईआरवी आदि में कमी के कारण हुई।

12.0 कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान आपकी कंपनी का कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि ₹ 14,626.07 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि ₹ 12,647.35 करोड़ से 15.65प्रतिशत अधिक था।

12.1 कर व्यय

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

12.2 वर्तमान कर

वित्तीय वर्ष 2021 में, हमने वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 2,230.74 करोड़ की तुलना में ₹ 2529.11 करोड़ का प्रावधान किया।

12.3 आस्थगित कर

आस्थगित कर हेतु प्रावधान मुख्यतरू आयकर प्रावधानों के तहत उपलब्ध उच्च मूल्यह्रास शुल्क के कारण समय के अंतर के संबंध में का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान हमने वित्तीय वर्ष 2020 में ₹ 1,288.83 करोड़ के मुकाबले ₹ 560.03 करोड़ का आस्थगित कर प्रदान किया। प्रबंधन की राय में, यह संभावना है कि भविष्य के आर्थिक लाभ निम्नानुसार मैट क्रेडिट को पहचानकर भविष्य की आयकर देयता हेतु सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में कंपनी को प्रवाहित होंगेरू भविष्य के कर योग्य लाभ (क) 31 मार्च, 2017 तक शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के तहत कर अवकाश (ख) भविष्य में कमीशन की जाने वाली परिपत्तियों पर प्रारंभिक मूल्यह्रास और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत नियमित आयकर मूल्यह्रास और उसके बाद ₹ 2,158.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,774.60 करोड़) की सीमा तक मैट क्रेडिट हेतु सेट ऑफ कर राशि को समायोजित किया जाएगा। वर्ष के दौरान इसे आस्थगित कर आस्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।

12.4 विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन शेष–आय/(व्यय) (कर का निवल)

वित्तीय वर्ष 2021 के लिए विनियामक आस्थगित खाता शेष–आय/(व्यय) (कर का निवल) में निवल संचलन वित्तीय वर्ष 2020 में ₹ 1,683.40 करोड़ के मुकाबले ₹ 398.85 करोड़ रहा।

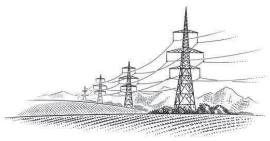

12.5 असाधारण मदें

आपकी कंपनी ने अप्रैल, 2020 और मई, 2020 की बिलिंग हेतु कोविड–19 के चलते अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिस्कॉम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को समेकित एकमुश्त ₹ 1078.64 करोड़ की छूट दी है। समेकित एकमुश्त छूट हेतु, वर्ष के लिए लाभ में कमी है और लाभ और हानि के विवरण में ष्असाधारण मदष् के तहत इसका प्रकटन किया गया है।

13.0 कर पश्चात लाभ

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान आपकी कंपनी का कर पश्चात लाभ ₹ 11,935.78 करोड़ था, जो कि वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 10,811.18 करोड़ कर पश्चात लाभ से 10.40 प्रतिशत अधिक था।

14.0 निवल मूल्य पर प्रतिफल

आपकी कंपनी की निवल मालियत वर्ष वित्तीय वर्ष 2020 में 16.78 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 17.15 प्रतिशत है। लाभ में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में निवल मूल्य पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है।

15.0 वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
देनदार कारोबार	8.87	7.60
मालसूची कारोबार	27.26	27.55
ब्याज कवरेज अनुपात	4.16	3.67
वर्तमान अनुपात*	0.84	0.63
ऋण इक्विटी अनुपात	67रू33	69रू31
परिचालन लाभ सीमांत (मार्जिन) (प्रतिशत) #	31.01	31.11
निवल लाभ सीमांत (मार्जिन) (प्रतिशत)	31.69	29.88

टिप्पणी: # परिचालन लाभ = कर पूर्व लाभ (आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति को छोड़कर) अन्य आय घटाएं।

*मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में पीजीआईएनवीआईटी को अंतरित 5 एसपीवी में दिए गए ऋणों (₹ 4,993.49 करोड़) और निवेश (₹ 952.18 करोड़) के वर्गीकरण के कारण वर्तमान अनुपात में 33प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

16.0 अन्य व्यापक आय (कर का निवल)

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान आपकी कंपनी की अन्य व्यापक आय (कर का निवल) वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ (104.02) करोड़ की तुलना में ₹ 25.36 करोड़ थी। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए भिन्नता मुख्य रूप से पीटीसी इंडिया लिमिटेड के शेयरों में निवेश के मूल्यांकन में वृद्धि और किए गए प्रावधानों में वृद्धि के कारण है।

17.0 साख दर (क्रेडिट रेटिंग)

रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई मजबूत क्रेडिट रेटिंग में आपकी कंपनी की वित्तीय समझदारी परिलक्षित होती है। विवरण के लिए, निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट देखें।

18.0 तरलता और पूंजी संसाधन

आपकी कंपनी कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलनिधि के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों पर निर्भर करती है। 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी के पास ₹ 4,430.05 करोड़ के नकद थे जो 31 मार्च, 2021 की तुलना ₹ 4,805.14 करोड़ तक नकद के समकक्ष थे।

19.0 नकदी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	
	2021	**2020**
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**27,532.46**	29,239.47
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(7,721.72)**	(9,368.04)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(20,185.83)**	(18,711.99)
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**4,430.05**	4,805.14

19.1 परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी

परिचालन गतिविधियों से आपकी कंपनी के निवल नकदी प्रवाह का उपयोग मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण की सेवा के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए, निवेश के लिए और लाभांश के भुगतान के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021 में परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी ₹ 27,532.46 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 29,239.47 करोड़ थी।

19.2 निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी

आपकी कंपनी की निवल नकदी का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान निवेश गतिविधियों में किया जाता है, जो मुख्य रूप से ₹ 6,389. 23 करोड़ की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य–प्रगति पर व्यय (पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम सहित), ₹ 2,141.35 करोड़ की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण और अग्रिम, ₹ 459.05 करोड़ सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश तथा ₹ 1,100.67 करोड़ के सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को जमा, बॉण्ड एवं ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, ₹ 714.15 करोड़ का प्राप्त अधिभार एवं ₹ 662.78 करोड़ का प्राप्त लाभांश पर खर्च किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त कंपनी की निवल नकदी वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 9,368.04 करोड़ की तुलना में ₹ 7,721.72 करोड़ थी।

19.3 वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, आपकी कंपनी ने नए दीर्घावधि उधारों के ₹ 7,840.14 करोड़ संग्रहित किए। इन उधारों में मुख्य रूप से रुपया बॉण्ड और विदेशी मुद्रा उधार शामिल थे। कंपनी ने दीर्घावधि उधारों के ₹ 10,954.02 करोड़ चुकाए और ₹ 9,084.66 करोड़ के ब्याज और वित्त प्रभारों का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2021 में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए ₹ 2,113.56 करोड़ के अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2021 के लिए ₹ 4,708.43 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित ₹ 6,821.99 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

20.0 पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी का पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से नई ट्रांसमिशन क्षमता की स्थापना और मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए है। वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय 2020 के दौरान हमारा पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹ 11,150 करोड़ और ₹ 15,313 करोड़ था, जिसमें टीबीसीबी कंपनियों के लिए ₹ 3,598 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,635 करोड़) का कैपेक्स शामिल है।

21.0 गैर – चालू परिसंपत्ति

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी की गैर–चालू परिसंपत्तियां क्रमशः ₹ 2,18,976.37 करोड़ और ₹ 2,27,017.48 करोड़ थीं। गैर चालू परिसंपत्तियों को (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (ii) चालू पूंजीगत कार्य; (iii) निवेश संपत्ति (पअ) अमूर्त परिसंपत्तियां; (v) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां; (vi) निवेश (vii) ऋण; (viii) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां और (ix) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है;

21.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2021 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नेट ब्लॉक) बढ़कर ₹ 1,75,392.06 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2020 में ₹ 1,68,339.02 करोड़ था, जो 4.19प्रतिशत की वृद्धि थी। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में मुख्य रूप से भूमि, भवन, ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन, एचवीडीसी, यूएलडीसी उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर आदि शामिल हैं।

21.2 चालू पूंजीगत कार्य

31 मार्च, 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी का चालू पूंजीगत कार्य क्रमशः ₹ 17,896.67 करोड़ और ₹ 30,180.08 करोड़ था, जो 40.70प्रतिशत की कमी है। खपत की गई सामग्री की लागत, इरेक्शन शुल्क और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपगत अन्य व्यय पूर्ण परियोजना के लंबित पूंजीकरण, तुलन–पत्र में चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाये गए है। इस राशि में परिवर्तन कई ट्रांसमिशन परियोजनाओं के पूंजीकरण और नई ट्रांसमिशन परियोजनाओं के शुरू होने के कारण हुआ है।

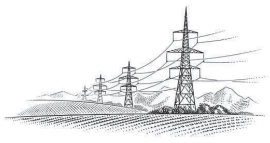

21.3 अमूर्त परिपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मार्गाधिकार दृपुनरूवानिकीकरण व्यय, टेलीकॉम लाइसेंस और 1200केवी ट्रांसमिशन प्रणाली का विकास शामिल है। असंशोधित अमूर्त संपत्ति (निवल) का मूल्य वित्तीय वर्ष 2021 में बढ़कर ₹ 1,551.44 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 1,497.41 करोड़ था, जो 3.61प्रतिशत की वृद्धि थी।

21.4 विकासाधीन अमूर्त परिपत्तियां

मार्गाधिकार दृपुनरू वानिकीकरण व्यय विकासाधीन अमूर्त परिपत्तियों के रूप में तुलन पत्र में दर्शाये गए है। 31 मार्च, 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार, विकासाधीन अमूर्त आस्तियों का मूल्य क्रमशः ₹ 74.86 करोड़ और ₹ 219.55 करोड़ था। यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर व्यय के पूंजीकरण के कारण हुआ है।

21.5 निवेश

निवेश को उद्धृत और गैर–उद्धृत श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2021 को उद्धृत और गैर–उद्धृत निवेश ₹ 93.30 करोड़ और ₹ 4,172.06 करोड़ थे, जबकि 31 मार्च, 2020 को क्रमशः ₹ 46.50 करोड़ और ₹ 3,717.16 करोड़ थे। श्उद्धृतश श्रेणी के तहत किए गए निवेश वे निवेश हैं जो पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड में किए गए है जिसकी गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021 में 'अनउद्धृत' श्रेणी के तहत निवेश में मुख्य रूप से लागत पर संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश शामिल है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में प्रमुख निवेश हैंरू

क्रम सं.	सहायक/संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2021 को निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में)
	सहायक कंपनियां	
1	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	485.05
2	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	161.40
3	पावरग्रिड मेदनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	549.63
4	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	213.50
5	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	112.00
6	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	432.50
7	पावरग्रिड फतेगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	113.41
8	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	709.00
9.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	168.05
	संयुक्त उद्यम	
10	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	229.32
11	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	23.40
12	पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	70.94
13	तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	120.12
14	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	106.96
15	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	30.40
16	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.62
17	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	290.30
18	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	6.50

21.6 ऋण (गैर वर्तमान)

ऋणों को संबंधित पक्षों को ऋण और कर्मचारियों को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2021 को, संबंधित पक्षों को ऋण और कर्मचारियों को ऋण, 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹ 12,530.62 करोड़ और ₹ 253.13 करोड़ की तुलना में ₹ 10,163.97 करोड़ और ₹ 310.12 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2021 तक ऋणों में कमी मुख्य रूप से सहायक

कंपनियों को अप्रतिभूत ऋण में कमी के कारण था, जो कंपनी द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) मार्ग और संयुक्त उद्यम कंपनियों को ऋण के माध्यम से प्राप्त परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं।

21.7 अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2021 और 2020 को आपकी कंपनी की अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां क्रमशः ₹ 4,186.58 करोड़ और ₹ 4,106.80 करोड़ थीं। अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियों में मुख्य रूप से भारत सरकार से पूरी तरह से प्राप्ति योग्य बॉण्ड और पट्टे से वसूली योग्य शामिल हैं। कंपनी ने पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए उपार्जित देयताओं को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7/1/2018–ओएम दिनांकित 21 जनवरी, 2019 के संदर्भ में विद्युत प्रणाली विकास निधि की भारत सरकार की योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय वसूली (ईबीआर) बढ़ाने हेतु वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 3,487.50 करोड़ की राशि का भारत सरकार से पूर्ण रूप से सेवा बॉण्ड जारी किया है। मूलधन की चुकौती और ऐसे बॉण्ड पर ब्याज भुगतान द्वारा पूरा किया जाएगा।

21.8 अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2021 और 2020 को आपकी कंपनी की अन्य गैर– वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः ₹ 4,874.42 करोड़ और ₹ 6,127.18 करोड़ थीं, जिसमें 20.45प्रतिशत की कमी थी। अन्य गैर– वर्तमान आस्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव परिसंपत्ति, वस्तु के रूप में प्राप्य वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त होने वाले अग्रिम शामिल हैं।

22.0 वर्तमान परिसंपत्ति

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी की वर्तमान परिसंपत्ति क्रमशः ₹ 24,749.21 करोड़ और ₹ 18,409.12 करोड़ थी। वर्तमान परिसंपत्तियों को (i) मालसूची (ii) व्यापार से प्राप्य आय; (iii) नकद और नकद समकक्ष; (iv) नकद और नकद समकक्षों की तुलना में अन्य बैंक शेष (v) ऋण (vi) अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति (vii) अन्य वर्तमान परिसंपत्ति (viii) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति को वर्गीकृत किया गया है;

22.1 मालसूची

मालसूची का मूल्यांकन लागत से कम पर किया जाता है जो भारित औसत आधार पर निर्धारित होता है, और निवल वसूली योग्य मूल्य होता है। वित्तीय वर्ष 2020 में ₹ 1,400.56 करोड़ की तुलना में मार्च 31,2021 तक मालसूची ₹ 1,362.82 करोड़ थी। हमारी मालसूची में घटक, पुर्जे और अन्य स्पेयर पाट्र्स, खुले उपकरण, उपभोज्य स्टोर और अन्य मदें शामिल हैं।

22.2 व्यापार प्राप्तियां

व्यापार प्राप्तियों में मुख्य रूप से ट्रांसमिशन सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियां शामिल हैं, और परामर्श सेवाओं और टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्तियां भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2021 और 2020 तक हमारी व्यापार प्राप्य राशि क्रमशः ₹ 3,621.34 करोड़ और ₹ 4,867.90 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान व्यापार प्राप्तियों में 25.61प्रतिशत की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, हमारी सभी प्राप्तियां साख पत्र द्वारा कवर की जाती हैं, जिसके बाद हमें कोई भौतिक ऋण संग्रह समस्या नहीं हुई है।

22.3 नकद और नकद समकक्ष

31 मार्च, 2021 और 2020 को नकद और नकद समकक्ष क्रमशः ₹ 4,430.05 करोड़ और ₹ 4,805.14 करोड़ थे। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में नकद और नकद समकक्षों में 7.81 प्रतिशत की कमी आई, जो मुख्य रूप से परामर्शदाता ग्राहक और अन्य लोगों के संबंध में रखी गई सावधि जमा (3 महीने से कम की परिपक्वता के साथ) के कारण है।

22.4 नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष

31 मार्च, 2021 और 2020 तक नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष राशि क्रमशः ₹ 843.49 करोड़ और ₹ 604.26 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त बैंक शेष में 39.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से परामर्शदाता ग्राहक और अन्य के लिए बैंकों में सावधि जमा के कारण था।

22.5 ऋण

31 मार्च, 2021 और 2020 तक ऋण क्रमशः ₹ 5,428.83 करोड़ और ₹ 879.41 करोड़ थे। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान ऋण मुख्य रूप से सहायक कंपनियों को ऋण की वर्तमान परिपक्वता के कारण बढ़े।

22.6 अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियां

31 मार्च, 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां क्रमशः ₹ 7,940.04 करोड़ और ₹ 5,631.40 करोड़ थीं, जिनमें मुख्य रूप से बिना बिल के राजस्व शामिल था। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से बिना बिल के राजस्व में वृद्धि के कारण है।

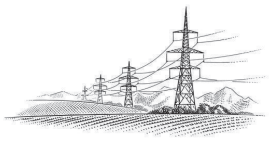

22.7 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2021 और 2020 की स्थिति के अनुसार हमारी अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः ₹ 170.46 करोड़ और ₹ 220.45 करोड़ थीं।

22.8 बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति

आपकी कंपनी ने पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ('पीजीआईएनवीआईटी/ट्रस्ट') के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों में से पांच (05) का मुद्रीकरण किया है, अर्थात् पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड। श्पीजीआईएनवीआईटी को पंजीकरण संख्या प्छ/प्दअप्ज/20–21/0016 दिनांकित 07.01.2021 के माध्यम से इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) रेगुलेशन, 2014 (श्आईएनवीआईटी रेगुलेशनश्) के तहत सेबी द्वारा पंजीकृत किया गया है। आपकी कंपनी श्पीजीआईएनवीआईटी की प्रायोजक है और श्पीजीआईएनवीआईटी के परियोजना प्रबन्धक के रूप में भी काम करेगी। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ट्रस्टी है और पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल), कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, को पीजीआईएनवीआईटी में निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीजीआईएनवीआईटी द्वारा 22.04.2021 को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रस्ताव दस्तावेज दायर किया गया है और इकाइयां 14.05.2021 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई हैं। उपरोक्त पांच एसपीवी में 74 प्रतिशत शेयर मई, 2021 में पीजीआईएनवीआईटी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और शेष 26प्रतिशत को ट्रांसमिशन सेवा समझौता (टीएसए) के अनुसार अंतरित किया जाएगा। इस प्रकार हस्तांतरित शेयरधारिता पर विचार करने पर कंपनी को पीजीआईएनवीआईटी द्वारा 41,06,50,900 यूनिट आबंटित की गईं। कंपनी ने पोस्ट इश्यू के आधार पर बकाया पीजीआईएनवीआईटी की कुल इकाइयों का 15 प्रतिशत होने के कारण 13,65,00,100 इकाइयों को बरसमझौता रखा। आईएनवीआईटी विनियमों के अनुसार शेष 27,41,50,800 इकाइयों को 'बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस)' के माध्यम से विक्रय किया गया था। कंपनी को ओएफएस के प्रति ₹ 2736.02 करोड़ (एसटीटी का निवल) की राशि प्राप्त हुई। जैसा कि उक्त निवेश वित्त वर्ष 2021–22 में विक्रय किया जा रहा है, उपरोक्त 5 सहायक कंपनियों में ₹ 1213.04 करोड़ (वर्तमान और गैर–वर्तमान) के निवेश को 31.03.2021 को "बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

23.0 ऋणग्रस्तता

आपकी कंपनी रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों मूल्यवर्ग के उधारों पर भरोसा करती है। हमारे बाहरी वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण भाग भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऐसे ऋणों के तहत हमारे प्रदर्शन के साथ विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण के माध्यम से रहा है। मुद्रा के आधार पर हमारे बकाया ऋण और इसकी परिपक्वता रूपरेखा (मुद्रा रूपांतरण 31 मार्च, 2021 तक के हैं):

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2024–25 के पश्चात	कुल
घरेलू बॉण्ड (1)	8,223.73	6,090.23	5,391.48	7,851.35	43,536.61	71,093.40
घरेलू ऋण (2)	954.00	2,004.00	2,517.48	2,780.97	17,948.20	26,204.65
विदेशी ऋण						
अमरीकी डॉलर	2,306.73	6,052.19	2,400.83	2,305.62	22,052.35	35,117.72
यूरो	460.39	626.63	626.63	623.71	3,448.69	5,786.05
एसईके	214.33	214.33	214.33	214.33	638.01	1,495.33
जेपीवाई	12.23	12.23	12.23	12.23	1,505.41	1,554.33
कुल (3)	2,993.68	6,905.38	3,254.02	3,155.89	27,644.46	43,953.43
कुल योग (1+2+3)	12,171.41	14,999.61	11,162.98	13,788.21	89,129.27	1,41,251.48

23.1 दीर्घावधि उधार

31 मार्च, 2021 और 2020 तक आपकी कंपनी के दीर्घकालिक उधार (वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹ 1,29,080.07 करोड़ और ₹ 1,35,421.11 करोड़ थे।

दीर्घावधि उधारों में हमारे बॉण्ड के निजी स्थानन से संग्रहित राशि, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण शामिल हैं। पिछले वर्ष के दौरान ऋणों की अदायगी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में हमारी उधारी में 4.68 प्रतिशत की कमी आई है।

23.2 प्रतिभूति ऋण

31 मार्च, 2021 और 2020 तक हमारे प्रतिभूति ऋण (दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹ 91,689.02 करोड़ और ₹ 1,02,978.74 करोड़ थे। इनमें से अधिकांश ऋण कंपनी की चल और अचल परिपत्तियों पर अस्थिर शुल्क द्वारा प्रतिभूत किए गए हैं। निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 2021 के अनुसार प्रतिभूति ऋण प्रस्तुत किए गए है:

	राशि (₹ करोड़ में)	कुल प्रतिभूति ऋण का प्रतिशत
रुपये में मूल्यवर्धित बॉण्ड	51,550.85	56.22
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और अन्य ऋणरू		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित	30,862.17	33.66
रुपये में मूल्यवर्धित	9,276.00	10.12
कुल	**91,689.02**	**100**

23.3 अप्रतिभूति ऋण

31 मार्च, 2021 और 2020 तक हमारे अप्रतिभूति ऋण (वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹ 37,391.05 और ₹ 32,442.37 करोड़ थे, जिसमें फ्रांस में नैटिक्सिस (पूर्व में क्रेडिट नेशनल), जापान में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (पूर्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन), स्वीडन में स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन एबी (पब्ल) और एबी स्वेन्स्क एक्सपोर्टक्रेडिट, स्वीडन जैसे विदेशी वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से घरेलू बॉण्ड, विदेशी मुद्रा बॉण्ड और ऋण शामिल हैं।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2021 के अनुसार अप्रतिभूति ऋण को प्रस्तुत किया गया है:

	राशि (₹ करोड़ में)	कुल अप्रतिभूति ऋण का प्रतिशत
विदेशी मुद्रा और घरेलू बॉण्ड में मूल्यवर्धित बॉण्ड	11,318.83	30.27
बैंकों और विदेशी मुद्रा ऋणों से सावधि ऋणरू		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित	10097.57	27.01
रुपये में मूल्यवर्धित	15974.65	42.72
कुल	37391.05	100

24.0 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी)

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) प्रशुल्क का एक घटक था जिसे परिसंपत्तियों पर वर्ष में मूल्यह्रास के संबंध में कमी को कवर करने के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु ब्लॉक 2004–09 के लिए सीईआरसी विनियमों के तहत प्रभारित करने की अनुमति दी गई थी। एएडी को प्रशुल्क ब्लॉक 2009–2014 में हटा दिया गया था और मूल्यह्रास दर पर पुनरू कार्य किया गया था। इन प्रशुल्क मानदंडों में परिवर्तन और 1.04.2009 से प्रभावी मूल्यह्रास दरों के कारण बकाया एएडी को वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 12 वर्षों के बाद ट्रांसमिशन आय में ले जाया गया है, जो प्रशुल्क के तहत वसूली योग्य मूल्यह्रास की तुलना में अधिक है। यथा 31 मार्च, 2021 के अनुसार एएडी वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹ 1,170.80 करोड़ से 13.67प्रतिशत घटकर ₹ 1,010.75 करोड़ हो गया।

25.0 वर्तमान देयताएँ

31 मार्च, 2021 को आपकी कंपनी की वर्तमान देयताएँ ₹ 29,582.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29,089.61 करोड़) थीं। वर्तमान देयताओं में शामिल हैं (i) उधार, (ii) व्यापार देय (iii) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ (iv) अन्य वर्तमान देयताएँ; (v) प्रावधान और (vi) वर्तमान कर देयताएँ।

25.1 उधार

आपकी कंपनी के अल्पकालिक उधार बैंकों से और वाणिज्यिक पत्र जारी करने के माध्यम से हैं। 31 मार्च, 2021 और 2020 तक ये उधार क्रमशः ₹1,800 करोड़ और ₹ 3,000 करोड़ थे।

25.2 व्यापार देय

31 मार्च, 2021 और 2020 तक आपकी कंपनी का व्यापार देय क्रमशः ₹ 186.30 करोड़ और ₹ 225.72 करोड़ था। मार्च 31,2021 को व्यापार देय 31 मार्च, 2020 की तुलना में 17.46 प्रतिशत कम था।

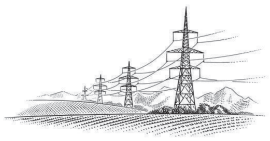

25.3 अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ

31 मार्च, 2021 और 2020 तक आपकी कंपनी की अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ क्रमशः ₹ 22,463.57 करोड़ और ₹ 20,831.62 करोड़ थीं। अन्य मौजूदा वित्तीय देयताओं में मुख्य रूप से प्रतिभूत और अप्रतिभूत बॉण्ड, विदेशी मुद्रा ऋण, पूंजीगत व्यय के लिए बकाया, संविदाकारों और अन्य से जमा / प्रतिधारण राशि आदि के माध्यम से दीर्घावधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता अवधि शामिल है। 31 मार्च, 2021 को अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ 31 मार्च, 2020 की तुलना में 7.83प्रतिशत अधिक थीं।

25.4 अन्य वर्तमान देयताएँ

31 मार्च, 2021 और 2020 तक आपकी कंपनी की अन्य वर्तमान देयताएँ क्रमशः ₹ 3,871.69 करोड़ और ₹ 4,267.54 करोड़ थीं। मार्च 31,2021 को अन्य मौजूदा देयताएँ मुख्य रूप से ग्राहकों से अग्रिम के कारण 31 मार्च, 2020 की तुलना में 9.28प्रतिशत कम थीं।

25.5 प्रावधान

31 मार्च, 2021 और 2020 तक कर्मचारी लाभ और अन्य के लिए आपकी कंपनी के प्रावधान क्रमशः ₹ 835.88 करोड़ और ₹ 741.95 करोड़ थे।

26.0 वित्त वर्ष 2020–21 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों का व्यापार और वित्तीय समीक्षाः

26.1. संयुक्त उद्यम कंपनियांः

क. पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरलिंक्स):

पावरग्रिड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और उनके पास क्रमशः 49प्रतिशत और 51प्रतिशत इक्विटी है। आपकी कंपनी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक ताला एचईपी, पूर्व–उत्तर इंटरकनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया था और यह विद्युत ट्रांसमिशन में पहली सार्वजनिक–निजी भागीदारी थी।

31.03.2021 तक, पावरलिंक्स की चुकता पूंजी ₹ 468.00 करोड़ थी। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 229.32 करोड़ है।

पावरलिंक्स ने अगस्त, 2006 तक परियोजना को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया था। पावरग्रिड को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पावरलिंक्स से ₹ 45.86 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएंः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पावरग्रिड का इक्विटी में निवेश	**229.32**	229.32
सकल आय	**127.32**	99.27
कर पश्चात लाभ	**102.01**	121.14
प्रति शेयर आय' (₹)	**2.18**	2.59

*अंकित मूल्य प्रति शेयर प्रति ₹10 है।

ख. टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड (टीपीएल):

पावरग्रिड और टोरेंट पावर लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। कंपनी को गुजरात के सूरत जिले के अखाखोल में टोरेंट पावर लिमिटेड के 1100 मेगावाट गैस आधारित परियोजना (सुजेन) जनरेशन स्टेशन से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया था।

31.03.2021 तक, टीपीएल के पास ₹ 90 करोड़ की चुकता पूंजी है। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 23.40 करोड़ है।

मार्च, 2011 में परियोजना को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया था। पावरग्रिड को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए टीपीएल से ₹ 4.21 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पावरग्रिड का इक्विटी में निवेश	**23.40**	23.40
सकल आय	**44.24**	45.90
कर पश्चात लाभ	**19.31**	18.48
प्रति शेयर आय* (₹)	**2.15**	2.05

*अंकित मूल्य प्रति शेयर प्रति ₹10 है।

ग. **नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी):**

पावरग्रिड ने त्रिपुरा राज्य में 726.6 मेगावाट की पलटन गैस आधारित विद्युत परियोजना से जुड़ी परियोजना 400 केवी डी/सी पलटन–सिलचर– बोंगाईगांव ट्रांसमिशन परियोजना की स्थापना के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (ओटीपीसी), त्रिपुरा सरकार, मणिपुर, मिजोरम, असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेघालय और नागालैंड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया।

31.03.2021 तक, एनईटीसी के पास ₹ 411.40 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 106.96 करोड़ है।

फरवरी, 2015 में परियोजना को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया था। पावरग्रिड को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए एनईटीसीएल से ₹ 16.05 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पावरग्रिड का इक्विटि में निवेश	**106.96**	106.96
सकल आय	**323.96**	325.82
कर पश्चात लाभ	**75.24**	59.10
प्रति शेयर आय * (₹)	**1.83**	1.44

'अंकित मूल्य प्रति शेयर प्रति ₹10 है।

घ. पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीकेटीसीएल)

पावरग्रिड और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट (आईजीटी) इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और उनके पास क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी है। कंपनी को पार्वती–II (800 मेगावाट) एचईपी और कोल्डम (800 मेगावाट) एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया था।

31.03.2021 तक, पीकेटीसीएल की चुकता पूंजी ₹ 272.84 करोड़ है। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 70.94 करोड़ है।

नवंबर 2015 में परियोजना को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया था। पावरग्रिड को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पीकेटीसीएल से 35.11 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त हुआ है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पावरग्रिड का इक्विटि में निवेश	**70.94**	70.94
सकल आय	**176.12**	209.03
कर पश्चात लाभ	**60.97**	84.73
प्रति शेयर आय* (₹)	**2.23**	3.11

*अंकित मूल्य प्रति शेयर प्रति ₹10 है।

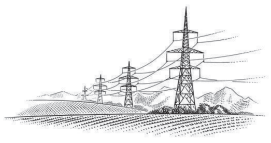

ड. तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (टीपीटीएल)

पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और उनके पास क्रमशः 30.92प्रतिशत और 69.08प्रतिशत इक्विटी है। कंपनी को किशनगंज सब–स्टेशन के लिए 1200 मेगावाट की तीस्ता–प्प् हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया था।

31.03.2021 तक, टीपीटीएल की चुकता पूंजी ₹ 388.45 करोड़ थी। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 120.12 करोड़ था। फरवरी 2019 में परियोजना को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया था।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पावरग्रिड का इक्विटि में निवेश	120.12	120.12
सकल आय	300.26	278.33
कर पश्चात लाभ	46.05	43.38
प्रति शेयर आय* (₹)	1.19	1.13

*अंकित मूल्य प्रति शेयर प्रति ₹10 है।

च. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल):

एनएचपीटीएल एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें प्रत्येक में 20प्रतिशत की समान इक्विटी भागीदारी है। एनएचपीटीएल का मुख्य उद्देश्य देश में एक ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा स्थापित करना है। यह सुविधा देश में पहली बार बीना (म.प्र.) में स्थापित की जा रही है ताकि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विद्युत उपकरणों के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीटीएल ने ₹ 152 करोड़ की शेयर पूंजी का भुगतान किया है। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 30.40 करोड़ था।

चरण–I के तहत प्रयोगशाला के उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) अनुभाग में 1 जुलाई, 17 से वाणिज्यिक परिचालन के तहत है। एचवीटीआर प्रयोगशाला 132 केवी से शुरू होने वाले वोल्टेज वर्ग के साथ सभी संभावित रेटिंग से 765 केवी के लिए बिजली ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट (एससी) परीक्षण में सक्षम है। मध्यम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) अनुभाग कार्यान्वयन के अधीन है। परियोजना का अभी तक कोई परिचालन लाभ नहीं हुआ है।

छ. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल):

पावरग्रिड ने 29.12.2012 को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड {बीएसपी (एच) सीएल} के साथ 50रू50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य में इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए शेयरधारक समझौता किया।

31.03.2021 तक, बीजीसीएल की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 580.59 करोड़ थी, पावरग्रिड की चुकता पूंजी में हिस्सेदारी ₹ 290.30 करोड़ थी।

कंपनी बिहार में चरण–IV, भाग–I के तहत ₹ 2024 करोड़ की ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। भाग–प परियोजनाओं के प्रमुख घटक वाणिज्यिक परिचालन के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, चरण–IV, भाग–II में ₹ 1,688 करोड़ का और अनुपूरक कार्य ₹ 111 करोड़ का है जो क्रियान्वयन के अंतिम चरण में हैं।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020
पावरग्रिड का इक्विटि में निवेश	**290.30**	250.80
सकल आय	**502.08**	227.90
कर पश्चात लाभ	**201.67**	43.91
प्रति शेयर आय* (₹)	**3.47**	0.88

*अंकित मूल्य प्रति शेयर प्रति ₹10 है।

ज. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल)

पावरग्रिड और आरआईएनएल ने ट्रांसमिशन लाइन टॉवर विनिर्माण व्यवसाय में उभरते अवसर के दोहन करने के प्रयोजन से विशाखापट्टनम में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर (टीएलटी) विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करने के लिए 50रू50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी, "आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल)" का गठन किया। 31.03.2021 तक, जेवी कंपनी ने ₹ 8.00 करोड़ की शेयर पूंजी का भुगतान किया है। हालांकि, टॉवर विनिर्माण के व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

झ. क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीपीटीसीएल):

पावरग्रिड ने भारतीय भाग यथा 400 केवी डी / सी मुजफ्फरपुर – ढलकेबार भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के मुजफ्फरपुर दृसुरसांद अनुभाग (भारतीय भाग) के कार्यान्वयन के लिए भारत में शामिल आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल), एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) और ष्क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेडष् नामित के तहत जेवी कंपनी का गठन करने के साथ 9 जुलाई, 2012 को शेयरधारक समझौता किया। उक्त जेवी कंपनी में पावरग्रिड, एसजेवीएन, आईईडीसीएल और एनईए की शेयरधारिता क्रमशः 26प्रतिशत, 26प्रतिशत, 38प्रतिशत ंदक 10 प्रतिशत है। भारत भाग की लेखापरीक्षित लागत ₹241.27 करोड़ है और परियोजना को 80रू20 के रूप में ऋणरू इक्विटी पर क्रियान्वित किया गया है। 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर– सुरसांद लाइन के विस्तार की लेखापरीक्षित लागत 31 मार्च 2021 को ₹9.93 करोड़ है जिसे अभी तक पूंजीकृत नहीं किया गया है।

31.03.2021 तक, सीपीटीसी के पास 48.50 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी है। वर्तमान में, पावरग्रिड इक्विटी ₹12.61 करोड़ रुपये है। भारत का हिस्सा 19 फरवरी 2016 से वाणिज्यिक परिचालन के अधीन है।

पावरग्रिड को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सीपीटीसीएल से ₹ 2.65 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 11 प्रतिशत पर अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है जिसे शेयरधारकों की मंजूरी के बाद वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाएगा। कंपनी सितंबर 2021 में अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगी।

ट. पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन):

पावरग्रिड ने 5 अप्रैल, 2014 को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए), नेपाल की हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) और आईएल एंड एफएस ऊर्जा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल), भारत के साथ ष्संयुक्त उद्यम सह शेयर खरीद समझौताष् किया और ढलकेबार–बिटामोड 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन (400 केवी डी/सी ढलकेबार – मुजफ्फरपुर भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के नेपाली भाग) के कार्यान्वयन के लिए नेपाल में शामिल ष्पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेडष् (पीटीसीएन) नाम के तहत जेवी कंपनी का गठन किया। उक्त जेवी कंपनी में एनईए, पावरग्रिड, एचआईडीसीएल और आईईडीसीएल की शेयरधारिता क्रमशः 50प्रतिशत, 26प्रतिशत, 14प्रतिशत और 10प्रतिशत है। नेपाल भाग की लेखापरीक्षित अंतिम निष्पादित परियोजना लागत 154.57 करोड़ एनपीआर है और परियोजना 70रू30 ऋणरू इक्विटी अनुपात पर कार्यान्वयित की गई है।

31.03.2021 तक, पीटीसीएन की एनपीआर 45 करोड़ की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूंजी है। वर्तमान में, पावरग्रिड इक्विटी एनपीआर 11.70 करोड़ है जिसमें एनपीआर प्रति 100/– बोनस शेयर में से 1,30,000 इक्विटी शेयर हैं। यह लाइन 19 फरवरी, 2016 से वाणिज्यिक परिचालन के अधीन है।

पावरग्रिड को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पीटीसीएन से ₹ 1.32 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है। ढलकेबार–मुजफ्फरपुर भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग भारत और नेपाल के बीच बिजली के ट्रांसमिशन के लिए किया जा रहा है।

ठ. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल):

पावरग्रिड ने एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत और विश्व स्तर पर ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के उपायों को बढ़ावा देगी और यह सरकारी भवनों, परामर्श कार्य आदि के ऊर्जा लेखा परीक्षा से संबंधित व्यवसाय कर रही है।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल के पास ₹ 983.33 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है। चुकता पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹ 56.12 करोड़ (5.71प्रतिशत) था।

नोटरू खातों के समेकन के उद्देश्य से, ईईएसएल को एक संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं माना गया है।

ड. कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड (केबीपीएनएल):

पावरग्रिड ने 50:50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर ओडिशा राज्य में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) के साथ 04.01.2013 को शेयरधारक समझौता किया है। इस कंपनी द्वारा कोई व्यवसाय नहीं किया गया है। केबीपीएनएल के शेयरधारकों ने 02.01.2020 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के अनुसार कंपनी के नाम को हटाने को मंजूरी दी। केबीपीएनएल का नाम कंपनी रजिस्टर में काट दिया गया है और जिसे 26.10.2020 को भंग कर दिया गया है

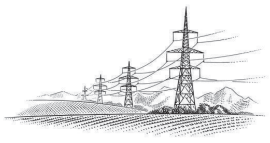

सहायक कंपनियांरू

क. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएनएमटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 29 मार्च, 2012 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया सह–समन्वयक) से नागपट्टिनम / कुड्डालोर क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहण किया गया था। 765केवी डीसी और 765केवी एस/सी वाला ट्रांसमिशन प्रणाली तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है। पीएनएमटीएल को सीईआरसी द्वारा जून, 2013 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 तक, पीएनएमटीएल के पास क्रमशः ₹ 496.25 करोड़ और ₹ 485.05 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना तत्वों को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया था और पूरी परियोजना 26.01.2019 को कमीशन की गई थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	124.95	123.52
कर पश्चात लाभ	(37.05)	(29.48)

ख. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीवीटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 30 अगस्त, 2013 को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से श्पूर्वी क्षेत्र से बिजली के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरणश के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहण किया गया था। श्रीकाकुलम–वेमागिरी 765केवी डीसी लाइन और खम्मम–नागार्जुनसर 400केवी डीसी लाइन वाली ट्रांसमिशन प्रणाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। पीवीटीएल को सीईआरसी द्वारा जनवरी, 2014 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीवीटीएल के पास क्रमशः ₹ 220 करोड़ और ₹ 209.73 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। इस परियोजना को 1 फरवरी, 2017 को शुरू कर दिया गया है। पीवीटीएल ने प्रथम अंतरिम लाभांश नवंबर, 2020 में ₹ 25.17 करोड़ और वित्त वर्ष 2020–21 का दूसरा अंतरिम लाभांश फरवरी, 2021 में ₹ 36.70 करोड़ का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**310.55**	315.66
कर पश्चात लाभ	**109.20**	151.75

ग. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड (पीयूटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 24 मार्च, 2014 को ऊंचाहार टीपीएस के एटीएस के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहण किया गया था। 400 केवी डीसी वाली ट्रांसमिशन प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा जुलाई, 2014 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस परियोजना को 23.09.2016 को कमीशन किया गया है।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (धारित कंपनी) ने पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल) को यथा संशोधित ("आईएनवीआईटी विनियम") भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 के अनुसार, पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, पीयूटीएल ने ट्रस्ट के संबंध में निवेश प्रबंधन गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी के बहिर्नियम के अपने मुख्य उद्देश्य खंड में संशोधन किया है।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीयूटीएल के पास ₹ 14 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹ 12.96 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है।

पीयूटीएल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नवंबर, 2020 में ₹ 2.59 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश और मार्च, 2021 में दूसरा अंतरिम लाभांश ₹ 3.89 करोड़ का भुगतान किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**21.79**	22.10
कर पश्चात लाभ	**4.94**	9.64

घ. **पावरग्रिड कला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड**

पावरग्रिड कला एएमबी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेएटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 12 मई, 2014 को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस ग्ग्ग् (भाग–ए) के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना हेतु अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली 400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन, 400 केवी डी/सी एलआईएलओ और सीरीज कोम्पेन्सेशन सहित हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा सितंबर, 2014 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीकेएटीएल के पास प्रत्येक ₹ 61 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना 12.07.2017 को कमीशन की गई है।

पीकेएटीएल ने दिसंबर 2020 में ₹ 0.80 प्रति इक्विटी शेयर की राशि के ₹ 4.88 करोड़ के अंतरिम लाभांश और जनवरी 2021 में ₹ 4.27 करोड़ की राशि के ₹ 0.70 प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कुल अंतरिम लाभांश भुगतान राशि ₹ 9.15 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**72.94**	73.41
कर पश्चात लाभ	**29.48**	23.37

ड. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 26 फरवरी, 2015 को विंध्याचल–ट से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण की स्थापना के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन लाइन 765केवी डीसी मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा जून, 2015 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 तक, पीजेटीएल ने ₹ 300 करोड़ की शेयर पूंजी और ₹ 226.91 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी को अधिकृत किया है। परियोजना को पूरा कर लिया गया था और 01.01.2019 को वाणिज्यिक परिचालन के लिए घोषित की गयी है।

पीजेटीएल ने नवंबर 2020 में ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर की राशि का ₹ 33.44 करोड़ का अंतरिम लाभांश और जनवरी 2021 में ₹ 31.76 करोड़ की राशि के ₹ 1.40 प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कुल अंतरिम लाभांश भुगतान राशि ₹ 65.20 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**255.20**	252.56
कर पश्चात लाभ	**89.70**	48.39

च. पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीडब्ल्यूटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 24 अप्रैल, 2015 को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत एनटीपीसी (भाग–ए) के गाडरवारा एसटीपीएस (2 × 800 मेगावाट) से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना के लिए अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें 765केवी डीसी, 400केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइनें और वरोरा में 2×1500 MVA 765/400 केवी नए सबस्टेशन की स्थापना शामिल है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा अगस्त, 2015 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

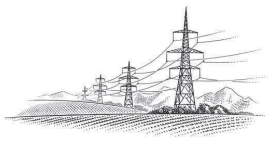

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीडब्ल्यूटीएल के पास ₹ 425 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹ 393.30 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है।

परियोजना तत्वों प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया था और पूरी परियोजना 10.07.2018 को कमीशन कर दी गई है।

पीडब्ल्यूटीएल ने नवंबर 2020 में ₹ 1.10 प्रति इक्विटी शेयर की राशि के ₹ 43.26 करोड़ के अंतरिम लाभांश और जनवरी 2021 में ₹ 33.04 करोड़ की राशि के ₹ 0.84 प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कुल अंतरिम लाभांश भुगतान राशि ₹ 76.30 करोड़ है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**402.70**	361.99
कर पश्चात लाभ	**140.28**	76.09

छ. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीपीटीएल) को एनटीपीसी (भाग–बी) के गाडरवारा एसटीपीएस (2•800 मेगावाट) के साथ संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 24 अप्रैल, 2015 को पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है और इसमें पार्ली में 765केवी डीसी, 400केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइनें और 2ग1500 एमवीए 765/400 केवी नए सबस्टेशन की स्थापना शामिल है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा जुलाई, 2015 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीपीटीएल के पास ₹350 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹322.10 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है।

परियोजना तत्वों को उत्तरोत्तर शुरू किया गया है और पूरी परियोजना 04.06.2018 को शुरू कर दी गई है।

पीपीटीएल ने नवंबर 2020 में ₹ 1.30 प्रति इक्विटी शेयर की राशि के ₹ 41.87 करोड़ के अंतरिम लाभांश और जनवरी 2021 में ₹ 38.01 करोड़ की राशि के ₹ 1.18 प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कुल अंतरिम लाभांश भुगतान राशि ₹ 79.88 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**360.40**	330.48
कर पश्चात लाभ	**136.54**	79.22

ज. पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएसआईटीएसएल) को पावरग्रिड द्वारा 4 दिसंबर, 2015 को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से "ट्रांसमिशन प्रणाली से परे वेमागिरी के सुदृढ़ीकरण" परियोजना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत बिल्ड, ओन ऑपरेट एंड मेंटेन (बूम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन परियोजना में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों को 765 केवी और 400 केवी, डी/सी ट्रांसमिशन लाइने ट्रेस करती है और आंध्र प्रदेश राज्य में 765/400 केवी सबस्टेशन की स्थापना के साथ–साथ दो मौजूदा सब–स्टेशनों के लिए 400 केवी बे एक्सटेंशन शामिल है। कंपनी को मार्च, 2016 में सीईआरसी द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएसआईटीएसएल के पास ₹ 731 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹ 709.004 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है। पीएसआईटीएसएल, जिसमें वेमागिरी–II– चिलकालुरिपेटा 765 केवी डी / सी लाइन, चिलकालुरिपेटा – कडप्पा 765 केवी डी / सी लाइन, चिलकालुरिपेटा – नरसरावपेटा (सत्नेपल्ली) 400 केवी (क्वाड) डी / सी लाइन, कडप्पा – मधुगिरी 400 केवी (क्वाड) डी / सी लाइन, श्रीकाकुलम पूलिंग स्टेशन – गैरीविडी 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन और चिलकालुरिपेटा में 765/400 केवी सबस्टेशन बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन (बूम) के आधार पर तत्व शामिल हैं, को सफलतापूर्वक 17.01.2020 को प्रगतिशील रूप से कमीशन किया गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 0.40 प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	470.82	187.08
कर पश्चात लाभ	108.68	8.68

झ. पावरग्रिड मेदिनीपुर – जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड मेदिनीपुर–जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमजेटीएल) पूर्वी क्षेत्र (ईआरएसएस–XVIII) में "765केवी सुदृढ़ीकरण" से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 28 मार्च, 2017 को पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली में 765 केवी और 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना शामिल है जो पश्चिम बंगाल में दो नए 765/400केवी सबस्टेशन की स्थापना सहित पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों से गुजरती है। कंपनी को जून, 2017 में सीईआरसी द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेटीएल के पास ₹ 600.00 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹ 549.63 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी है।

परियोजना आंशिक रूप से 09.02.2021 को कमीशन की गई है और आंशिक रूप से कार्यान्वयन के अधीन है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 0.30 प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	45.72	–
कर पश्चात लाभ	19.15	–

ट. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमटीएल), जिसे पहले ईआरएसएस ग्ग् ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड द्वारा 12 जनवरी, 2018 को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत "पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXI (ERSS&XXI)" के लिए स्थापित ट्रांसमिशन प्रणाली" से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली में बिहार राज्य में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना शामिल है जिसमें बिहार में तीन नए 400/220/132 केवी सबस्टेशन की स्थापना शामिल है। कंपनी को अप्रैल, 2018 में सीईआरसी द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 तक, पीएमटीएल के पास ₹ 230 करोड़ और ₹ 213.50 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना मार्च, 2021 में आंशिक रूप से कमीशन की गई है और आंशिक रूप से कार्यान्वयन के अधीन है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	2.35	–
कर पश्चात लाभ	0.95	–

ठ. पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड

पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड (पीवीटीएसएल), जिसे पूर्व में डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, को पावरग्रिड द्वारा 27 मार्च, 2018 को नए पश्चिमी क्षेत्र – उत्तरी क्षेत्र 765केवी अंतर क्षेत्रीय कॉरीडोर हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली में विंध्याचल पूलिंग स्टेशन से वाराणसी तक 765केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना शामिल है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा अगस्त, 2018 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 तक, पीवीटीएसएल ने ₹ 198.90 करोड़ और ₹ 168.05 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी की है। परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

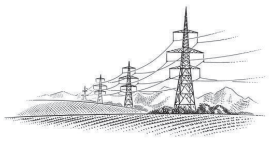

ड. पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेएफटीएल) (जिसे पहले जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को पावरग्रिड द्वारा 21 दिसंबर, 2018 को उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना और सम्बद्ध ट्रांसमिशन लाइनों के साथ फिरोजाबाद में 400 केवी सबस्टेशन के निर्माण और 2 × 660 एमवी जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से ऊर्जा के निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने हेतु आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को यूपीईआरसी द्वारा 05.07.2019 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना मार्च, 2021 में आंशिक रूप से कमीशन की गई है और आंशिक रूप से कार्यान्वयन के अधीन है।

31.03.2021 तक, पीजेएफटीएल के पास ₹ 93.70 करोड़ और ₹ 77.20 करोड़ प्रत्येक की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	3.57	–
कर पश्चात लाभ	1.05	–

ढ. पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीकेटीएसएल), पूर्व में खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड को पावरग्रिड द्वारा 29 अगस्त, 2019 को बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन (बूम) के आधार पर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से राजस्थान एसईजेड (भाग–ग) से एलटीए आवेदन से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था।

31.03.2021 तक, पीकेटीएसएल के पास क्रमशः ₹ 209.00 करोड़ और ₹ 161.40 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। कंपनी को 19.12.2019 को सीईआरसी द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

ण. पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीजीटीएल), पूर्व में भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावरग्रिड द्वारा 11 सितंबर, 2019 को बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन (बूम) के आधार पर गुना (जिला–गुना) के पास 400 केवी सबस्टेशन के निर्माण और भिंड (जिला–भिंड, मध्य प्रदेश) के पास 220 केवी एस / एस के निर्माण से जुड़े इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन कार्य ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीबीजीटीएल के पास ₹ 70.00 करोड़ और ₹ 50.05 करोड़ प्रत्येक की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। कंपनी को एमपीईआरसी द्वारा जनवरी 2021 में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है

त. पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएपीटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 03 अक्टूबर, 2019 को राजस्थान एसईजेड के लिए संबद्ध बेज़ के साथ सम्बद्ध अजमेर (पीजी) –फागी 765 केवी डी/सी लाइन के निर्माण हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को सीईआरसी द्वारा 04.03.2020 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएपीटीएल के पास क्रमशः ₹ 125 करोड़ और ₹ 112 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना 06.05.2021 को कमीशन की गई है।

थ. पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 14 अक्टूबर, 2019 को फतेहगढ़, जिला जैसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को सीईआरसी द्वारा 04.03.2020 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएफटीएल के पास क्रमशः ₹ 141.00 करोड़ और ₹ 113.41 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

द. पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 16 अक्टूबर, 2019 को गुजरात में भुज–II (2000 मेगावाट) में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने हेतु पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को सीईआरसी द्वारा 03.03.2020 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

31.03.2021 तक, पीबीटीएल के पास क्रमशः ₹ 180.00 करोड़ और ₹ 97.71 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

ध. पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरएसटीएल) पूर्व में रामपुर संभल ट्रांसको लिमिटेड को पावरग्रिड द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को ट्रांसमिशन लाइनों से जुड़े रामपुर में 765/400/220केवी जीआईएस सबस्टेशन के निर्माण और संभल में 400/220/132केवी जीआईएस सबस्टेशन के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने हेतु आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था।

31.03.2021 तक, पीआरएसटीएल के पास क्रमशः ₹ 85.00 करोड़ और ₹ 21.52 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। कंपनी को यूपीईआरसी द्वारा सितंबर 2020 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है

न. पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमएसटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 19 दिसंबर, 2019 को ट्रांसमिशन लाइनों से जुड़े 400/220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन, सिंभावली और संबद्ध लाइनों के साथ 765/400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन, मेरठ के निर्माण के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने हेतु पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था।

31.03.2021 तक, पीएमएसटीएल के पास ₹ 110.01 करोड़ और ₹ 32.01 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। कंपनी को यूपीईआरसी द्वारा सितंबर 2020 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

प. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरटीएल), पूर्व में रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड पावरग्रिड द्वारा 09 मार्च, 2021 को बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन (बूम) आधार पर चरण–II भाग–ए के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्र से विद्युत निकासी हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने हेतु आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के पास ₹0.05 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी में याचिका दायर की है।

फ. बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड

बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड (बीबीटीएल) को पावरग्रिड द्वारा 25 मार्च, 2021 को बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड मेंटेन (बूम) आधार पर चरण–II भाग–च के तहत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था।

31.03.2021 तक, कंपनी के पास ₹0.01 करोड़ की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए सीईआरसी में याचिका दायर की है।

ब. पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावरग्रिड द्वारा 18 अप्रैल, 2012 को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से वेमागिरी क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से जुड़े ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत अधिग्रहित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली में शामिल 765केवी डीसी लाइने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को पार करती है।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी और चुकता शेयर पूंजी प्रति ₹0.05 करोड़ है।

सीईआरसी ने दिनांक 06.04.2015 के आदेश में कहा कि परियोजना के तहत वेमागिरी–खम्मम–हैदराबाद 765 केवी डी/सी लाइनों की न तो निकासी लाइन के रूप में आवश्यकता है और न ही प्रणाली को मजबूत करने वाली लाइन के रूप में ट्रांसमिशन शुल्क को अपनाने और उक्त ट्रांसमिशन लाइन के लिए याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और ट्रांसमिशन परियोजना के लिए विनियामक अनुमोदन वापस ले लिया है।

भ. पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में जेपी पावरग्रिड लिमिटेड)

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने 25.03.2021 को जेपीएल (जेपी पावरग्रिड लिमिटेड) में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है और इसलिए जेपीएल पावरग्रिड की पूर्ण

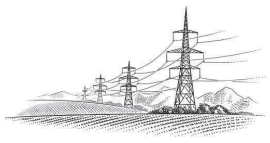

स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। अधिग्रहण के बाद कंपनी का नाम जेपी पावरग्रिड लिमिटेड से बदलकर पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल) कर दिया गया है।

पीएचटीएल 219.80 किमी के साथ (i) 400 केवी डीसी करचम वंगों अब्दुल्लापुर ट्रांसमिशन लाइन (ii) 4.5 झड के साथ 400 केवी डीसी बास्पा–झाकरी लाइन के परिचालन और अनुरक्षण में लगी हुई है।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, पीएचटीएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी ₹ 300 करोड़ है। परियोजना 01.04.2012 को कमीशन कर दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
सकल आय	**152.32**	163.50
कर पश्चात लाभ	**30.00**	57.28

म. सेंट्रल ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)

भारत सरकार के आदेश के अनुसार, कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, श्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडश के रूप में एक कंपनी को शामिल किया। इस सहायक कंपनी को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। 31.03.2021 को सीटीयूआईएल की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹ 1 करोड़ और ₹ 0.05 करोड़ है।

27.0 पावरग्रिड का समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 110– श्समेकित वित्तीय विवरणश और भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 28 – श्सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में निवेशश के अनुसार तैयार किए गए हैं। समेकित आधार पर, कंपनी की कुल आय, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, ₹ 40,823.53 करोड़ रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 38,670.96 करोड़ थी, जो लगभग 5.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यय, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 25,919.34 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 को ₹ 24,820.56 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कर पश्चात लाभ वित्त वर्ष 2019–20 की तुलना में 8.83प्रतिशत बढ़ा। समेकित आधार पर परिणामों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया हैरू

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
कुल आय	**40,823.53**	38,670.96
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि	**15,139.03**	12,906.75
कर पश्चात लाभ	**12,036.46**	11,059.40
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**29,312.15**	30,738.63

सचेतक कथन

कंपनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों और अनुमानों का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और निदेशक रिपोर्ट में दिये गए कथन प्रगतिशील और लागू कानूनों तथा विनियमों के अर्थ के भीतर है। सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे आगे के विवरणों पर अनुचित निर्भरता न रखें।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

श्रीकांत

(के. श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 06615674
दिनांकः 26 अगस्त, 2021
स्थानः नई दिल्ली

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग कः कंपनी की सामान्य जानकारी

1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1989G0I038121
2	कंपनी का नाम	पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
4	वेबसाइट	www.powergrid.in
5	ई–मेल आईडी	sustainability.report@powergrid.co.in
6	वित्तीय वर्ष रिपोर्ट किया गया	2020–21
7	क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसमें कंपनी लगी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	**क्षेत्र(ओं)** / **आईटीसी कोड सं.** देश की इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस), सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) / 99691110 टेलीकॉम / 99841100 परामर्श और परियोजना प्रबंधन / 99833244
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची बनाएं जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (जैसा कि तुलन पत्र में है)	i) ट्रांसमिशन ii) टेलीकॉम iii) परामर्श सेवाएँ (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय)
9	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें) i) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	**(i) अंतर्राष्ट्रीयः** पावरग्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम सभी पहलुओं में परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। पावरग्रिड के इक्कीस देशों में पदचिह्न हैं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, पावरग्रिड के नेपाल, बांग्लादेश, केन्या, युगांडा और फिजी में ग्राहक हैं। पावरग्रिड का नेपाल में एक शाखा कार्यालय है। **(ii) राष्ट्रीयः** कुल 272 जिसमें 261 सब–स्टेशन (सहायक कंपनियों सहित), 10 क्षेत्रीय मुख्यालय और गुड़गांव में एक कॉर्पोरेट कार्यालय शामिल हैं। देश भर में फैले 500 से अधिक स्थानों पर दूरसंचार विभाग की मौजूदगी है। वर्तमान में सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण किया जा रहा है और कर्मचारी विभिन्न स्थलों पर स्थित हैं।
10	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/	पावरग्रिड का सभी बाजारों–स्थानीयध्राज्यध्राष्ट्रीयध्अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पदचिह्न है।

भाग खः कंपनी का वित्तीय विवरण

1	चुकता पूंजी (भा. रु.)	5231.59 करोड़
2	कुल आय (भा. रु.)	40,527.11 करोड़
3	करों के बाद कुल लाभ (भा. रु.)	11,935.78 करोड़
4	कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च (%)	वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी ने ₹240.48 करोड़ ख्अर्थात विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2.05:, व्यय किया है।
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है	स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, कौशल विकास कार्यक्रम आदि।

भाग गः अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनीध्कंपनियां हैं?

31 मार्च, 2021 तक, पावरग्रिड की चौबीस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थीं। (i) पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (ii) पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (iii) पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (iv) पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (v) पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड (vi) पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (vii) पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (viii) पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन

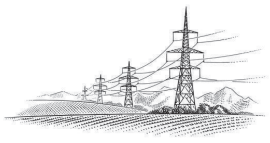

लिमिटेड (ix) पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (x) पावरग्रिड मेदिनीपुर – जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड (xi) पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (xii) पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (xiii) पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन (xiv) पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (xv) पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड), (xvi) पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड), (xvii) पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में फतेहगढ़–II ट्रांसको) लिमिटेड), (xviii) पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में भुज)–II ट्रांसमिशन लिमिटेड), (xix) पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में रामपुर संभल ट्रांसको लिमिटेड) (xx) पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (xxii) पावरग्रिड रामगढ़ लिमिटेड (xxiii) पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर – भिवाड़ी ट्रांसको) सीमित)य और (xxiv) कंपनी ने जेपी पावरग्रिड लिमिटेड नामक अपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 1.4.2015 से 74 प्रतिशत शेयरधारिता का अधिग्रहण कर लिया है। 25.03.2021 और उक्त से कंपनी पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गईय इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आदेश के अनुसार, कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में श्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडश नाम से एक कंपनी को शामिल किया और इस सहायक कंपनी को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं

हां। पावरग्रिड की बीआर पहल आम तौर पर इसकी सहायक कंपनियों पर भी लागू होती है।

3. क्या कोई अन्य संस्थाध्संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक,

हां। पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) में कंपनी, इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी, सामान्य रूप से सहायक कंपनियां और अनुबंध की शर्तों के माध्यम से विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों से संबंधित पहलू शामिल हैं। विक्रेताओंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों में शर्तों के माध्यम से श्रम कानूनों, पर्यावरण कानूनों और प्रभावी सुरक्षा योजनाओं के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ऐसे विक्रेताओंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारों का प्रतिशत 60% से अधिक है।

भाग घः बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशकधनिदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक का विवरण निम्नानुसार हैरू

- डीआईएन संख्यारू 02018931
- नाम : श्री राजीव कुमार चौहान'
- पदनाम : निदेशक (परियोजना)

***श्री राजीव कुमार चौहान 31.10.2020 को सेवानिवृत्त हुए और श्री अभय चौधरी ने 01.11.2020 को निदेशक (परियोजना) का कार्यभार संभाला। जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः**

- डीआईएन संख्या : 07388432
- नाम : श्री अभय चौधरी
- पद : निदेशक (परियोजनाएं)

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री महेंद्र कुमार सिंह
3.	पद	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन विभाग)
4.	टेलीफोन नंबर	0124–2572860
5.	ईमेल आईडी	mksingh@powergridindia.com

श्री महेंद्र कुमार सिंह ने 01.07.2019 को बीआर प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और 25.11.2020 को कार्यमुक्त हुए। श्री टी.सी. समहा, ईडी (ईएसएमडी) ने 02.12.2020 को बीआर प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री टी.सी. समहा
3.	पद	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन विभाग)
4.	टेलीफोन नंबर	0124–2571955
5.	ईमेल आईडी	tcsarmah@powergrid.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीतिध्नीतियां

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के निम्नलिखित नौ क्षेत्रों को अपनाया है:

पी 1	व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन और प्रचालन करना चाहिए
पी 2	व्यवसायों को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें
पी 3	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए
पी 4	व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।
पी 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए
पी 6	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए
पी 7	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए
पी 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए
पी 9	व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

2क. अनुपालना का विवरण (प्रत्युत्तर हांध्नहीं)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां हैं...	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है?'	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें?' (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
4.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडीध्मालिकध्सीईओध्उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
5.	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक प्रदान करें?	www.powergrid.in								
7.	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित कर दिया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
8.	क्या कंपनी के पास नीतिध्नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीतिध्नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कामकाज का स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है? '	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां

* भारत सरकार/सीवीसी/डीपीई दिशानिर्देशों, लागू कानूनों आदि सहित राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि/अद्यतन/समीक्षा की जाती है।

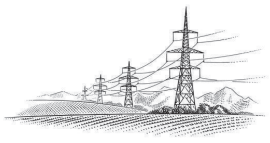

हां। पावरग्रिड में एक अच्छी तरह से परिभाषित और व्यापक पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) हैं, जहां जरूरत पड़ने पर वरीयता और बहाली के क्रम में बचाव, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। हमारे बोर्ड के अलावा, उक्त ईएसपीपी को दो प्रमुख बहुराष्ट्रीय एजेंसियों, अर्थात विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वर्ष 2009 और 2017 में क्रमशः ष्देश प्रणाली का उपयोगष (यूसीएस) और "देश सुरक्षा प्रणाली" (सीएसएस) की नीति के तहत मान्यता दी गई है।

2ख. यदि किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम सं. 1 पर प्रश्न का उत्तर श्नहींश है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्योंरू (2 विकल्पों तक निशान लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	सिद्धान्त 7– जिम्मेदार सार्वजनिक नीति वकालत
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई है	–
2.	कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहां वह खुद को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में पाती है	–
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं	–
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने की योजना है	–
5.	इसे अगले 1 साल के भीतर करने की योजना है	–
6.	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	पावरग्रिड विभिन्न औद्योगिक और व्यापार निकायों का सदस्य है और इन मंचों में उन मुद्दों और नीतिगत मामलों में भाग लेता है जो हमारे हितधारकों के हितों को प्रभावित करते हैं। ट्रांसमिशन क्षेत्र में पावरग्रिड के महत्वपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए, हितधारकों और सीईआरसी के साथ नीति समर्थन के हिस्से के रूप में पावरग्रिड के एक सक्रिय दृष्टिकोण के प्रयास को शुरू करने के लिए एक अलग नियामक प्रकोष्ठ मौजूद है।

जहां भी आवश्यक समझा जाता है, हम सीईआरसी, ट्राई और अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए विभिन्न दृष्टिकोण पत्रों, परामर्श पत्रों, मसौदा विनियमों आदि पर अपनी टिप्पणी देते हैं।

3. बीआर से संबंधित शासन

(क) कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की आवृत्ति को इंगित करें। 3 महीने के भीतर, 3–6 महीने, सालाना, 1 साल से अधिक

3–6 महीने

(ख) क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?

हां, कंपनी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) दिशानिर्देशों के आधार पर एक अलग ष्सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टष प्रकाशित करती है। इन रिपोर्टों को 2010 से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और अब तक 6 ऐसी बाहरी रूप से मान्य रिपोर्टों का खुलासा किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019–2021 की अवधि को कवर करने वाली 7वीं स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट हाइपरलिंक पर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैंरू ीजजचेरूध्ू्चवूमतहतपक.पदध्नेजंपदंइपसपजल–तमचवतज

भाग ड.ः सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धान्त 1– व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन और प्रचालन करना चाहिए

क. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हांध्नहीं। क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक है?

हां। पावरग्रिड अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता और निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पावरग्रिड निम्नलिखित सहित सभी स्तरों पर नैतिक आचरण को मजबूत करने के लिए कई नीतियोंधनियमों का पालन करता हैरू

क) व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिताः पावरग्रिड ने कंपनी के विजन और मिशन के साथ संरेखण में दो अलग–अलग व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिता निर्धारित की है– एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त सहित) के लिए और इसका उद्देश्य है कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना।

ख) **पावरग्रिड आचरण और अनुशासन अपील नियम (पावरग्रिड सीडीए नियम):** पावरग्रिड सीडीए नियम कर्मचारियों के लिए वांछनीय और गैर–वांछनीय कृत्यों और आचरण को परिभाषित करते हैं और इसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों (सहायक / संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त सहित) तक विस्तारित होते हैं। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के पहलू भी सीडीए नियमों के अंतर्गत आते हैं। परिभाषित शर्तों के साथ–साथ किसी भी कदाचार के लिए गैर–अनुपालन के मामले में कार्रवाई के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।

ग) **व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीतिः** व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण या पावरग्रिड के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थध्अस्थायीध्संविदा पर नियुक्त कर्मचारी) से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की शिकायत हेतु और साथ ही पावरग्रिड में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं या किसी बाहरी एजेंसी (यों) के प्रतिनिधि के लिए एक प्रणाली प्रदान करती है।

चूंकि, पावरग्रिड एक नामित सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान हम पर लागू होते हैं। कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) समय पर सूचना तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

पावरग्रिड द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गई हैं / की जा रही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंरू

(i) सुपरिभाषित ष्शक्तियों का प्रत्यायोजनष् व्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए शीर्ष अधिकारियों और नीचे के अधिकारियों की शक्तियों को दर्शाता है।

(ii) पावरग्रिड ने नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समान रूप से प्रशासित करने में आसान बनाने की दृष्टि से "पुरस्कार पूर्व और पुरस्कार के बाद के चरणों के लिए जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ मिलकर त्वरित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने पर प्रमुख जोर देने के साथ अपने व्यवसाय संचालन के कार्य और खरीद नीति और प्रक्रिया (WPPP)" (समय–समय पर संशोधित) को लागू किया है।

(iii) "सत्यनिष्ठा अनुबंध कार्यक्रम" लागू किया गया है जिसे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में माना जाता है। 100 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों की निगरानी "स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक (आईईएम)" के एक पैनल द्वारा भी की जाती है।

(iv) निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए नियमावली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

(v) अधिकांश परियोजना खरीद के लिए ई–खरीद तंत्र लागू किया गया है।

(vi) ई–रिवर्स नीलामी तंत्र मौजूद है।

(vii) हमारी कंपनी की एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) पहल परियोजना ष्रूपांतरष् को लागू किया गया है और व्यवसाय से संबंधित अधिकांश प्रमुख प्रक्रियाएं ईआरपी पर चल रही हैं।

(viii) पुरस्कार का विवरण वास्तविक समय के आधार पर वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

(ix) पावरग्रिड निवारक, सक्रिय और साथ ही दंडात्मक सतर्कता पर केंद्रित है। बेहतर पारदर्शिता और संगठन के भीतर सुशासन पैदा करने के उद्देश्य से, पावरग्रिड ने कई पहल की हैं। विवरण के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट के तहत 'पारदर्शिता और सतर्कता समारोह के प्रति प्रतिबद्धता' अनुभाग को संदर्भित किया जा सकता है।

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया था? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 69 शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान शत–प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया।

सिद्धान्त 2 – व्यवसायों को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें

1. अपने ऐसे 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं।

(i) टेलीकॉम एंटेना को पावर देने के लिए अर्थ वायर में इंडक्टिव पावर के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में पावरग्रिड के अग्रणी प्रयास में डीजी सेट, प्रदूषण का एक निरंतर स्रोत और जीएचजी उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने की अपार संभावनाएं हैं। ऐसा अनुमान है कि इस तरह की पहल से 40–60 tCO2/वर्ष/स्थान की बचत होगी।

(ii) पावरग्रिड ने 400 केवी और 765 केवी वोल्टेज स्तरों के लिए मोनोपोल संरचनाओं का विकास और परीक्षण किया है जो घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आरओडब्ल्यू समस्या को दूर करने, बड़े जालीदार टावर से जुड़े वन और सौंदर्यशास्त्र के संरक्षण में लंबा सफर तय करेगा;

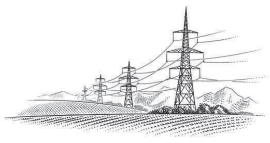

(iii) आधुनिक तकनीकों को अपनाना जैसेय जीआईएसध्जीपीएस, उपग्रह इमेजिंग आदि जहां तक संभव हो पारिस्थितिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचने के लिए सबसे इष्टतम लाइन मार्ग के चयन में मदद करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम पारिस्थितिक और सामाजिक पदचिह्न दर्शनीय होते हैं।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

(क) सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान पिछले वर्ष से पूरे मूल्य श्रृंखला में कमी आई है?

(ख) उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) में कमी पिछले वर्ष से प्राप्त की गई है?

इन गतिविधियों को विभिन्न नीतियोंधदिशानिर्देशों के तहत किया जा रहा है और समय–समय पर कार्यान्वित किया जाता है।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत निवेशों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

सोर्सिंग में स्थिरता पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) के माध्यम से लागू की जाती है जो अनुबंध की शर्तों के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारोंधविक्रेताओं तक फैली हुई है। विक्रेताओंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों में शर्तों के माध्यम से ईएसपीपी, श्रम कानूनों, पर्यावरण कानूनों और प्रभावी सुरक्षा योजनाओं का पालन करना आवश्यक है। संविदाएं उक्त प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में विक्रेताओंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारों पर लगाए जाने वाले दंड का प्रावधान करती हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

हम स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिष्ठानों में और आसपास कुछ कार्यों के लिए स्थानीय विक्रेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कोई तंत्र है? यदि हाँ, तो उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से ढ5:, 5–10:, झ10:)। साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के कारण कोई प्रक्रिया अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है और अपशिष्ट मुख्य रूप से धातु स्क्रैप, प्रयुक्त बैटरी, प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल, ई–कचरा आदि तक सीमित है। हालांकि, कंपनी ने इन कचरे के पुनरू उपयोग / पुनर्चक्रण के लिए सिस्टम स्थापित किया है। प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर तेल, प्रयुक्त बैटरी और ई–कचरे जैसे कचरे को या तो सरकार द्वारा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं / पुनर्संसाधकों को निपटाया जाता है या लागू नियमों / विनियमों के अनुसार पुनर्चक्रण के लिए निर्माताओं को वापस भेज दिया जाता है, जो ऐसे कचरे के 100% पुनर्चक्रण का ध्यान रखता है। मात्रा और निपटान के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर उपलब्ध सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखें; https://www-powergrid.in/sustainability&report

इसके अलावा, पावरग्रिड ने अपने आवासीय टाउनशिप/सबस्टेशन और कार्यालय प्रतिष्ठानों से उत्पन्न जैविकध्जैव–अपघटनीय कचरे के पुनर्चक्रण और पुनरू उपयोग के लिए 55 से अधिक स्थानों पर कंपोस्टिंग मशीनें स्थापित की हैं। इस पहल ने जैविक कचरे के निपटान की समस्या को समाप्त कर दिया है और साथ ही ऐसे कचरे से बनी खाद का घर में ही लाभकारी उपयोग किया जाता है।

सिद्धान्त 3– व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

   31 मार्च, 2021 को कर्मचारियों की कुल संख्या 8766 थी।

2. कृपया अस्थायीध्संविदात्मकध्आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

   31 मार्च, 2021 को नियत अवधि के कार्य के लिए संविदा के आधार पर काम पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या 492 (संविदात्मक श्रमिकों को छोड़कर) थी।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।

   31 मार्च, 2021 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 679 थी।

4. कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

   31 मार्च, 2021 तक विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 208 थी।

5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

श्कामगारश श्रेणी के तहत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियनों के माध्यम से किया जाता है और संगठन ने कंपनी के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर द्विदलीय मंच (कार्यकर्ता–प्रबंधन मंच) को मान्यता दी है।

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?

'कामगार' श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी ट्रेड यूनियन के सदस्य के रूप में पात्र हैं। पावरग्रिड में कर्मचारी कर्मचारियों की संख्या का लगभग 23% प्रतिनिधित्व करते हैं।

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।

क्रम सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम / जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वर्ष में आपके निम्न उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?

कर्मचारी	पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020–21 में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी	80.55%
स्थायी महिला कर्मचारी	82.73%
विकलांग कर्मचारी	82.58%

सिद्धांत 4– व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है? हाँ नही

हां, पावरग्रिड ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है। हम आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आयामों में शेयरधारकों, नियामक प्राधिकरणों (जीओआई), ग्राहकों, समुदायोंध्हमारे संचालन के क्षेत्रों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी)ध समुदायों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, फंडिंग एजेंसियों और मीडिया को हमारे प्रमुख हितधारकों के रूप में पहचानते हैं।

पावरग्रिड अपने पहचाने गए हितधारकों के साथ निरंतर आधार पर जुड़ा रहता है और इस तरह के जुड़ाव की प्राथमिकता निर्भरता, प्रभाव, उत्तरदायित्व और निकटता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए की गई है। एक संरचित हितधारक नियुक्ति मैट्रिक्स है जो प्रत्येक हितधारक श्रेणी के लिए मोड और नियुक्ति की आवृत्ति सहित विशिष्ट नियुक्ति तंत्र का विवरण देता है।

2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान की है?

हां, कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान की है।

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

पावरग्रिड ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं

<u>आंतरिक हितधारक (कर्मचारी– विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) / एससी / एसटी / महिला)–</u>

पावरग्रिड में, हम मानते हैं कि निरंतर और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी हितधारक जुड़ाव आवश्यक है। विविधता हमारे संगठन की रीढ़ है और हम मानते हैं कि हमारे आंतरिक हितधारक हमारी संपत्ति हैं। हम वंचितों को बनाने का प्रयास करते हैंय कमजोर और हाशिए पर रहने वाले आंतरिक हितधारक निम्नलिखित विशेष पहल करके मूल्यवान और अच्छा महसूस करते हैंरू

i) **खुली और पारदर्शी भर्ती** – पावरग्रिड भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आरक्षण के मामलों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिकों/विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के पूल से सबसे प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती, विकास और बनाए रखने के प्रयासों के माध्यम से कार्यस्थल पर विविधता सुनिश्चित करता है।

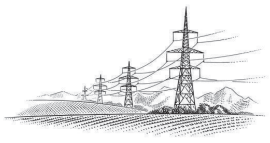

ii) सुनवाई और समय पर शिकायत निवारण– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिकों / विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण मामलों पर भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए कॉर्पोरेट, साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर एक आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ नामांकित संपर्क अधिकारी (अधिकारियों) के सीधे नियंत्रण में है। संपर्क अधिकारी सप्ताह में एक बार बातचीत के लिए एक पूर्व–निर्धारित दिन और समय पर उपलब्ध होते हैं। अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बीच संपर्क अधिकारी की उपलब्धता के संबंध में व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त श्रेणी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

iii) कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) महिलाओं की यौन प्रकृति के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए कंपनी में मौजूद हैं। महिला कर्मचारियों को सॉफ्ट स्थानों पर पोस्टिंग आदि जैसी कुछ छूट दी जाती है।

iv) प्रशिक्षण और सहायता– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/महिला कर्मचारियों को सरकारी निर्देशों के तहत उन्हें उपलब्ध छूटों और रियायतों के बारे में परिचित कराने के लिए 'जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया जाता है।

v) बाधा मुक्त कार्य वातावरण– पावरग्रिड के सभी प्रतिष्ठानों में, कर्मचारियों को सुगम्य भारत अभियान / सुगम भारत अभियान के तहत मानकों के अनुरूप निर्मित वातावरण के साथ सुविधा प्रदान की जाती है और इस प्रकार रैंप, विकलांगों के अनुकूल लिफ्ट आदि की सुविधा होती है। कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट है स्क्रीन रीडर एक्सेस से भी लैस है।

बाहरी हितधारक

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलरू पावरग्रिड की सीएसआर गतिविधियां समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों की ओर केंद्रित हैं और समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं। संगठन मुख्य रूप से अपने संचालन के क्षेत्रों के आसपास स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास, ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, पर्यावरणीय स्थिरता, आपदा प्रबंधन आदि पर जोर देते हुए सामुदायिक विकास के मुद्दों को संबोधित करता है। पावरग्रिड की सीएसआर पहलों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां, अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजातिध्अल्पसंख्यक, गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग लाभान्वित हुए। कम विशेषाधिकार प्राप्त आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न सीएसआर पहलें जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा / शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं में सुधार, वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति / वित्तीय सहायता आदि की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं का निर्माण, सड़कों का निर्माण / नवीनीकरण, सरकार में विश्राम सदनों के निर्माण जैसी बड़ी संख्या में परियोजनाएं शामिल हैं। अस्पताल, स्कूल में क्लास रूम/कम्युनिटी सेंटर/शौचालय का निर्माण, स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराना, स्मार्ट क्लासेस का संचालन आदि का कार्य किया गया है। इसके अलावा, कंपनी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आजीविका उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके सीएसआर के तहत कई कौशल विकास पहल करना जारी रखे हुए है।

सिद्धांत 5 – व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

1. क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूहध्संयुक्त उद्यमोंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारोंध्गैर सरकारी संगठनोंध्अन्य तक फैली हुई है?

मानवाधिकार मुद्दों को पावरग्रिड की सभी नीतियों और व्यवहारों में अक्षरशः शामिल किया गया है, जो सहायक कंपनियोंध्संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों और अनुबंध शर्तों के माध्यम से विक्रेताओंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारों से संबंधित संबंधित पहलुओं सहित कर्मचारियों तक विस्तारित है।

पावरग्रिड अपने कर्मचारियों के साथ–साथ सभी हितधारकों की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्वास के उपाय लिंग, जाति, शारीरिक अक्षमता आदि के आधार पर हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के समूहों की जरूरतों को पूरा करने में विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही, बाद में इन क्षेत्रों में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी किए जाते हैं। हमारी सीएसआर गतिविधियां कम विकसित क्षेत्रों में सामुदायिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।

निष्पक्ष और समान रोजगार संबंध को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों के शिकायत निवारण के लिए एक योजना भी लागू है जो शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है।

पावरग्रिड को अपने मानव संसाधन और श्रम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं के लिए सामाजिक जवाबदेही मानक एसए–8000 से भी प्रमाणित किया गया है। विक्रेताआ/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों में शर्तों के माध्यम से श्रम कानूनोंध्मानवाधिकारों आदि के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। अनुबंध समझौते के अनुसार, ठेकेदारों को अपने श्रमिकों को किसी भी बच्चे, जबरन या अनिवार्य श्रम के अधीन करने से प्रतिबंधित किया गया है। सभी ठेकेदारों को विभिन्न मुआवजे और नियामक अधिनियमों का पालन करना आवश्यक है। पावरग्रिड के सभी आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध की सामान्य शर्तों और एसए– 8000 खंडों की पुष्टि करनी होगी। पावरग्रिड सामाजिक जवाबदेही मानकों यानी एसए–8000 (www.sa&intl.org पर उपलब्ध नवीनतम मानक) की सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोलीदाताओं/ठेकेदारों से सामाजिक जवाबदेही के संबंध में घोषणा लेता है, यह घोषणा अनुबंध दस्तावेजों का हिस्सा है। इसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी अनुबंध की शर्तों में शामिल है।

पावरग्रिड अपनी मूल्य श्रृंखला में मानवाधिकारों के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है और दुरुपयोग की घटनाओं को हतोत्साहित करता है। तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा, महिलाओं, विकलांगों और समाज के सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए मानवाधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया है?

रिपोर्टिंग अवधि (2020–21) के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 6 – व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूहध्संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक फैली हुई है।

पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) में कंपनी, उसके संयुक्त उद्यम, सामान्य रूप से सहायक कंपनियां और अनुबंध की शर्त के माध्यम से विक्रेताओंध्आपूर्तिकर्ताओंध्ठेकेदारों से संबंधित पहलू शामिल हैं।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए रणनीति/पहल है? हां/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हां, कंपनी ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सतत विकास के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) को पूरा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख पहल हैंय

- पावरग्रिड ने 1998 से जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग आधारित रूट ऑप्टिमाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर वन, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की भागीदारी को 60: से अधिक कम करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। एनडीसी लक्ष्य के तहत भारत की कार्बन सिंक प्रतिबद्धता को बनाए रखनेध्बढ़ाने मंक मदद करने वाले क्षेत्र के दोगुने से अधिक प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन भागीदारी में महत्वपूर्ण कमीय
- दिसंबर, 2022 तक भारत सरकार के 175 गीगावॉट आरई क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में, पावरग्रिड उच्च क्षमता वाले हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) के कार्यान्वयन के माध्यम से देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों (66.5 गीगावाट) के ग्रिड एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैय
- हमारे कार्बन पदचिह्न को और कम करने और हमारे संचालन को अधिक जलवायु लचीला बनाने के लिए, पावरग्रिड अपने सबस्टेशन परिसरों और कार्यालय प्रतिष्ठानों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग और सौर पीवी सिस्टम स्थापित कर रहा है। इसने 65 से अधिक स्थानों को कवर करते हुए लगभग 6 डॅच रूफटॉप सोलर च्ट सिस्टम पहले ही स्थापित कर दिए हैं, जो संचयी रूप से सालाना लगभग 8 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष 8000 मीट्रिक टन बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे ब्व्2 उत्सर्जन लगभग कम हो गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त 5 मेगावाटपी रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर हैय
- वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार के ई–मोबिलिटी मिशन के अनुरूप, पावरग्रिड दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक परिवहनध्सबस्टेशन परिसर में ई–वाहन और ई–कार्ट तैनात कर रहा है। पावरग्रिड 2–व्हीलर, रिक्शा/ऑटो, टैक्सी, कार, बस आदि को कवर करते हुए सड़क परिवहन में ई–मोबिलिटी समाधान की सुविधा के लिए पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन भी विकसित कर रहा है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है और उनका आकलन करती है? हांध्नहीं

हां। समग्र परियोजना विश्लेषण के हिस्से के रूप में संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक, जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए एक विस्तृत जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन प्रक्रिया मौजूद है। पावरग्रिड का ईएसपीपी, जो परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों पर आधारित है, पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम / मुद्दों से निपटने के लिए पावरग्रिड के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और इसे कम करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को निर्धारित करता है। यह संगठनात्मक और परियोजना दोनों स्तरों पर पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ईएसपीपी ढांचे में निम्नलिखित के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैंरू (क) जोखिम की जांच और पहचान (पर्यावरण रिसेप्टर्स, सामाजिक रिसेप्टर्स और अन्य हितधारकों से); (ख) जोखिमों से बचाव (वैकल्पिक मार्ग के लिए मानदंड और प्रक्रियाओं सहित); (ग) प्रभाव प्रबंधन, अच्छे अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रथाओं (जीआईआईपी) के कार्यान्वयन, प्रभावित हितधारकों को पर्याप्त मुआवजा, सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण, और शिकायत निवारण के माध्यम से जोखिम का शमनय (घ) निगरानी, रिपोर्टिंग, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, प्रबंधन समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाईय और (ड.) सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक संगठन संरचना सहित उत्तरदायित्व और संसाधन आवंटन।

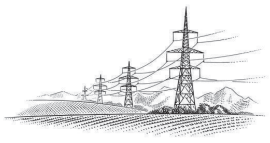

पावरग्रिड को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विशिष्टता, पीएएस 99:2012 आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) से मान्यता प्राप्त है जिसमें आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) शामिल हैं।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

नहीं

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हां। पावरग्रिड ने ऊर्जा दक्षता पर पहल करना जारी रखा है जिसमें विभिन्न उद्योगोंध्संस्थानोंध्ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियोंध्नहरों और सिंचाई विभागों के जल प्रबंधन प्रणालियोंध्अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानोंध्बेस लाइनिंग कार्यधनिवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए तीसरे पक्ष के परामर्श के ऊर्जा ऑडिट शामिल हैं। भारत भर में नगर पालिकाओं, आदि के लिए जो ऊर्जा दक्षता समाधान ध ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। हम ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बीईई प्रमाणित ईएससीओ भी हैं। कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, पावरग्रिड ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में परामर्श और निवेश करने के लिए यूपीपीसीएल, ईएमसी केरल, आईआईटी रुड़की और एनआईटी वारंगल जैसी एजेंसियां कार्यरत है।

पावरग्रिड ने 765 केवी और 400 केवी स्तर पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) – इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) के साथ–साथ इसके नियंत्रण बुनियादी ढांचे को लागू किया है जिसमें अक्षय उत्पादन का पूर्वानुमान, गतिशील मुआवजा, अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) एसएलडीसी/आरएलडीसी/एनएलडीसी स्तर, आदि की स्थापना शामिल है। पावरग्रिड ने देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों (66.5 GW) के ग्रिड एकीकरण के लिए एक व्यापक ट्रांसमिशन योजना भी विकसित की है।

अधिक विवरण के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट के तहत श्ऊर्जा प्रबंधनश और 'नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण' अनुभागों का संदर्भ लें।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जा रहा है?

चूंकि विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, इसलिए पर्यावरण के लिए कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन/अपशिष्ट नहीं छोड़ा जाता है। एकमात्र उत्सर्जन जिसे हमारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वह है बिजली बैकअप के रूप में रुक–रुक कर उपयोग किए जाने वाले डीजी सेट के संचालन से। तथापि, डीजी सेटों के नियमित अनुरक्षण ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर उत्सर्जन स्तरों को अच्छी तरह से नियंत्रित करना सुनिश्चित किया।

वित्त वर्ष 2020–21 में, सभी सबस्टेशनों के लिए सुरक्षित भूमि या तो बंजर सरकार है। "इच्छुक क्रेता इच्छुक विक्रेता के आधार" पर स्वेच्छा से पारस्परिक रूप से सहमति दर पर भूमि या निजी भूमि की खरीद। इस प्रकार, कोई आर एंड आरएसएस मुद्दे शामिल नहीं थे।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओध्कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित हैं (अर्थात जिनका संतुष्टिपूर्वक समाधान नहीं हुआ)।

शून्य [पावरग्रिड को सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस नहीं मिला।]

सिद्धांत 7 – व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चौंबर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है:

पावरग्रिड निम्नलिखित सहित विभिन्न उद्योग निकायों का सदस्य है:

i. फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
ii. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
iii. सीआईआई पीएसई काउंसिल
iv. एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम)
v. पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
vi. केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)
vii. डबल्यूईसी इंडिया (पहले विश्व ऊर्जा परिषद–भारत सदस्य समिति के रूप में जाना जाता था)
viii. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स (आईआईपीई)
ix. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (आईएलएफआई)
x. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम (आईआईएफ)

2. **क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत की हैध्पैरवी की है? हाँध् नहीय यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों का उल्लेख करें। (ड्रॉपबॉक्सरू शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)**

पावरग्रिड उपरोक्त (1) में संघों के माध्यम से उन मुद्दों और नीतिगत मामलों में भाग लेता है जो हमारे हितधारकों के हितों को प्रभावित करते हैं।

ट्रांसमिशन क्षेत्र में पावरग्रिड के महत्वपूर्ण हित को ध्यान में रखते हुए, हितधारकों और सीईआरसी के साथ नीति समर्थन के हिस्से के रूप में पावरग्रिड के एक सक्रिय दृष्टिकोण के प्रयास को शुरू करने के लिए एक अलग नियामक सेल मौजूद है। जहां भी आवश्यक समझा जाता है, हम सीईआरसीध्ट्राईध्अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए विभिन्न दृष्टिकोण पत्रों, परामर्श पत्रों, मसौदा विनियमों आदि पर अपनी टिप्पणी देते हैं। इसके अलावा, पावरग्रिड शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा सुरक्षा, जल, सतत व्यापार सिद्धांतों आदि के क्षेत्र में भी अपनी टिप्पणियां देता है, जब कभी भी भारत सरकार द्वारा मांगा जाता है। हमने एमओईएफ और सीसी द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में वन्यजीवों पर ट्रांसमिशन लाइन के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों को डिजाइनध्योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सिद्धांत 8– व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए

1. **क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रमध्पहलध्परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उसका विवरण।**

हमारे व्यवसाय की प्रकृति और केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता के रूप में, हम हर दिन लाखों लोगों से जुडते हैं और समझते हैं कि वास्तविक सफलता शामिल संस्थाओं और हितधारकों के समावेशी विकास का परिणाम है। हम कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के साथ–साथ अपने मुख्य व्यवसाय के माध्यम से समावेशी विकास और समान विकास के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं।

सामाजिक उत्तरदायित्व (श्रम, कर्मचारी, समुदाय, कर्मचारी के परिवार) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी पहले से अपनाई गई एकीकृत प्रबंधन नीति, पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी), कॉर्पोरेट उद्देश्यों, ओएसएचएएस–18001 और सामाजिक जवाबदेही एसए 8000 में पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मुख्य रूप से अब तक प्राप्त लाभों के लिए समाज और पर्यावरण को वापस भुगतान करने के लिए हमारी स्थायी प्रतिबद्धता और चिंता का प्रदर्शन करना है। सीएसआर हमेशा हमारी दृष्टि का एक अभिन्न अंग रहा है और अच्छे कॉर्पोरेट नागरिकता के मूल मूल्यों की आधारशिला रहा है। हम इसके प्रभाव की उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि प्रकृति में बहुत कम, समाज पर और प्रकृति के निवासियों के प्रति जवाबदेह होने के नाते हम विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, आजीविका सृजन, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वृक्षारोपण, स्वच्छता, पेयजल, सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, सामुदायिक केंद्रों, विकास और जल निकायों का संरक्षण, आदि जैसी पहलों के माध्यम से अपने कार्यों के आसपास के क्षेत्रों और समुदायों के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास पर जोर देते हैं।

2. **क्या कार्यक्रमध्परियोजनाएं इन–हाउस टीमध्स्वयं की नींवध्बाहरी गैर सरकारी संगठनध्सरकारी संरचनाओंधकिसी अन्य संगठन के माध्यम से शुरू की गई हैं?**

कार्यक्रमध्परियोजनाएं इन–हाउस टीमों के साथ–साथ सरकारध्अर्ध सरकारी के माध्यम से चलाई जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति की एजेंसियांध्एजेंसियां आदि।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी आकलन किया है?**

हां। प्रभाव आकलन अन्य बातों के साथ–साथ शुरू की गई सामुदायिक विकास गतिविधियों, समुदायों को होने वाले लाभों को समझनेध्मूल्यांकन करने के लिए किया गया हैय और भविष्य में सामुदायिक विकास गतिविधियों को तैयार करने और सुधारने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ₹ 3 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिए, पावरग्रिड द्वारा आंतरिक रूप से प्रभाव मूल्यांकन किया गया था। ₹ 3 करोड़ से अधिक की बड़ी परियोजनाओं के लिए, बाहरी एजेंसियों को शामिल करके प्रभाव आकलन किया जाना था, जिसके लिए पावरग्रिड द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। अब, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुरूप, एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त करके ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया जाना है। पावरग्रिड प्रभाव आकलन के लिए स्वतंत्र एजेंसियों को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) कार्यान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आरएपी कार्यान्वयन के बाद किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरएपी के इच्छित लाभ और अन्य उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। इस तरह का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाता है और इस तरह के प्रभाव आकलन के दौरान किसी भी कमी को कम करने के उपायों को इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए अगले कार्यान्वयन में शामिल किया जाता है। वर्ष के दौरान, बलिया सबस्टेशन के लिए ऐसा एक अध्ययन किया गया है और रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर प्रकटध् उपलब्ध हैः https://apps.powergrid.in/esm&documents/resettlement&and&rehabilitation.aspx

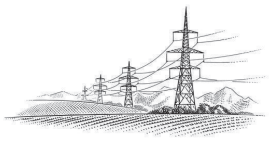

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है– भारतीय रूपए में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण?**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के तहत ₹ 240.48 करोड़ की राशि खर्च की गई है और लगभग ₹ 179.48 करोड़ की कुल 119 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, आसपास के गांवों और समुदाय के समग्र सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्य भी किए गए। सामाजिक मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, हम आवश्यकता–आधारित विकास कार्यों को लागू करते हैं जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना, जल आपूर्ति हैंडपंप, जल निस्पंदन संयंत्र, वाटर एटीएम, सड़कों का निर्माण, गांवों में सामुदायिक केंद्र, क्लास रूम, शौचालय, स्कूल, स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर, जलापूर्ति व्यवस्था, कूड़ेदान एवं सफाई उपकरण आदि की आपूर्ति आदि।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में समझाएं।**

जिन समुदायों को लाभान्वित करने का इरादा है, उनसे परामर्श किया जाता है और सीएसआर गतिविधियों की पहचान, योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बारीकी से शामिल किया जाता है। जहां भी संभव हो, स्थानीय अधिकारियों और विशेष एजेंसियों से समान रूप से परामर्श किया जाता है और इसमें शामिल किया जाता है। कार्यान्वयन के दौरान और सुविधा को सौंपने से ठीक पहले, स्थानीय निकायों आदि की मदद से सुविधा के स्वामित्व को विकसित करने के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 9– व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतेंध्उपभोक्ता मामले लंबित हैं।**

शून्य

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

लागू नहीं

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन औरध्या प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी भी हितधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है। यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

नहीं

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षणध्उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों को अंजाम दिया?**

हम अपने ग्राहकों के साथ निरंतर आधार पर जुड़ते हैं और आम तौर पर नियमित रूप से बैठकें करते हैं। उक्त बैठकों के उद्देश्य में अन्य बातों के साथ–साथ प्रक्रिया सुधार क्षेत्रों की पहचान, ग्राहकों की चिंताओंध्उम्मीदों को समझना शामिल है। फीडबैक के आधार पर, कंपनी जहां भी आवश्यक हो, सिस्टम में सुधार के उपाय करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

श्रीकांत

(के. श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06615674

दिनांकः 26 अगस्त, 2021
स्थानः नई दिल्ली

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) में पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के तहत आवश्यक विवरण।

क. ऊर्जा का संरक्षण

(क) किए गए व जारी ऊर्जा संरक्षण उपायः

पावरग्रिड का सदैव प्रयास रहा है कि अपनी सभी परियोजनाओं में – योजना बनाने के चरण से निष्पादन चरण और ओ एंड एम अवधि के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए हर संभव हर संभव कोशिश की जाये। ट्रांसमिशन योजनाओं को अंतिम रूप देते समय, विद्युत अंतरण के विभिन्न विकल्पों/प्रौद्योगिकियों की जाच की जाती है और कम नुकसान वाली ट्रांसमिशन प्रणाली/प्रौद्योगिकी के चयन के लिए प्रमुख मानदंडों में से एक है। वास्तव में, पावरग्रिड ने विभिन्न क्षेत्रों में थोक विद्युत अंतरण हेतु अपने ट्रांसमिशन प्रणाली में 765 केवी एसी, ± 500 केवी एचवीडीसी, ± 800 केवी एचवीडीसी जैसे उच्च वोल्टेज स्तरों को अपनाया है, जिससे प्रणाली में कम नुकसान हुआ है। थोक विद्युत अंतरण हेतु 1200 केवी एसी प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा है जो अभी फील्ड ट्रायल चरण में है।

ट्रांसमिशन प्रणाली के डिजाइन चरण में, विभिन्न पैरामीटरों का अनुकूलन किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन प्रणाली में होने वाले नुकसान को अनुकूलित किया जा सके। कंडक्टरों का चयन विस्तृत अनुकूलन अध्ययनों के बाद किया जाता है, जो प्राथमिक मानदंड के रूप में लाइन में नुकसान में कमी पर विचार करने का आधार होते हैं। बस बार सामग्री और क्लैंप और कनेक्टर्स को सख्त अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद चुना जाता है ताकि नुकसान को अनुकूलित किया जा सके। ट्रांसफार्मर और शंट रिएक्टर पैकेज के मामले में, विनिर्माताओं के लिए नुकसान की सीमा निर्दिष्ट की गई है ताकि वे सर्वोत्तम विनिर्माण प्रथाओं को अपना सकें। एचवीडीसी प्रणाली के मामले में भी, फिल्टर घटकों, थाइरिस्टर वाल्व, आईजीबीटी वाल्व, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, इंटरफेस ट्रांसफार्मर, स्मूथिंग/फेज रिएक्टर आदि के पैरामीटरों का चयन इस तरह से किया जाता है कि विभिन्न प्रणाली परिचालन परिस्थितियों में भी नुकसान कम से कम हो। इसके अतिरिक्त, ट्रांसमिशन हार्डवेयर के मामले में, कम नुकसान वाली सामग्री निर्दिष्ट की जाती है। विभिन्न अन्य उपस्करों के पैरामीटर और प्रकार भी इस तरह से चुने जाते हैं कि नुकसान कम से कम हो। इस प्रकार, पावरग्रिड द्वारा हर कदम पर ऊर्जा संरक्षण उपाय किए जाते हैं ताकि एक दक्ष और कम–नुकसान ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित किया जा सके।

पावरग्रिड ने औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक समर्पित ऊर्जा प्रबंधन विभाग भी स्थापित किया है। पावरग्रिड ऊर्जा दक्षता 7परियोजनाओं के निवेश/कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ग्रेड–I ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) भी है और इसमें प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों/ऊर्जा प्रबंधकों का एक बड़ा समूह है जो ऊर्जा दक्षता समाधान प्रदान करने के लिए काफी योग्य हैं। पावरग्रिड विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों, उद्योग, संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता आदि में ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करने और ऊर्जा दक्षता और सतत विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ऊर्जा बचत में व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाता है।

पावरग्रिड ने सबस्टेशन परिसर में रोशनी के लिए एलईडी लाइट और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लैंप की स्थापना भी की है जिससे हमारे सबस्टेशन परिसर में बिजली के संरक्षण में मदद मिली है।

(ख) ऊर्जा की खपत में कमी हेतु कार्यान्वयित अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हो:

जैसा कि ऊपर कहा गया है, पावरग्रिड योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन के चरण तक अपनी ट्रांसमिशन योजनाओं में होने वाले नुकसान को कम करके ऊर्जा संरक्षण के उपाय करता है।

ख. अनुसंधान और विकास

विद्युत ट्रांसमिशन प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों हेतु अनुसंधान और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पावरग्रिड का सदैव प्रयास रहा है कि जाए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय उपयोगिताओं के साथ बराबर बने रहें। पावरग्रिड अपनी अनुसंधान पहलों के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए सीआईजीआरई, आईईसी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों का एक भाग है और अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त, ठीक प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता और भविष्य की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास की आवश्यकता को मानते हुए पावरग्रिड सक्रिय रूप से पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसमिशन प्रणाली के सृजन हेतु भारतीय पावर ग्रिड में नई और दक्ष प्रौद्योगिकियों के निर्बाध एकीकरण को आगे बढ़ा रहा है। पावरग्रिड ने विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, नुकसान में कमी, उपलब्ध ट्रांसमिशन परिपत्तियों का इष्टतम उपयोग, पर्यावरण के संरक्षण और वितरित बिजली की लागत को अनुकूलित करने के लिए विश्व भर में उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष बल दिया है। कंपनी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों निर्माता आदि के सहयोग से काम कर रही है; और इस प्रकार अत्याधुनिक ट्रांसमिशन प्रणाली के डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं को बढ़ा रही है।

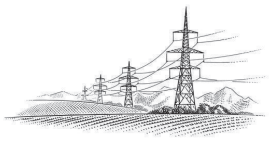

पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (पीएआरटीईसी)

पावरग्रिड ने विद्युत ट्रांसमिशन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के लिए मानेसर, गुरुग्राम में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाएं स्थापित की है। यह सुविधा भारत में सबसे बड़े रीयल टाइम सिम्युलेटर, संरक्षण, स्वचालन और नियंत्रण, व्यापक क्षेत्र मापन प्रणाली, उपकरण परीक्षण, निदान और अंशांकन, और सामग्री विज्ञान सहित पावर प्रणाली विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है। कंपनी की यह प्रमुख सुविधा विद्युत ट्रांसमिशन अनुसंधान, विश्लेषण, परीक्षण और अंशांकन के क्षेत्रों में भारत और विदेशों में अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों और विनिर्माताओं के साथ सहयोग कर रही है। पीएआरटीईसी को अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएएन) द्वारा आईईसी 61850 प्रोसेस बस आधारित पूर्ण डिजिटल सबस्टेशन, रीयल टाइम सिमुलेशन के साथ लूप अध्ययन में हार्डवेयर, विस्तृत क्षेत्र निगरानी, सुरक्षा, आईईसी 61850 पर्यावरण में विश्लेषण, साइबर सुरक्षा अध्ययन और भेद्यता मूल्यांकन से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्रों के लिए एक अनुसंधान और परीक्षण अवसंरचना सुविधा के रूप में मान्यता दी गई है।

प्रौद्योगिकी विकास

पावरग्रिड विद्युत ट्रांसमिशन में तकनीकी उत्कृष्टता की खोज में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अपनाता है और प्रोत्साहित करता है। उनमें से उल्लेखनीय 1200केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी विकास परियोजना और डिजिटल सबस्टेशन परियोजनाएं हैं।

विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया गया है और उससे प्राप्त लाभ नीचे दिए गए हैंरू

पूर्ण प्रोजेक्टः

1. ±800 केवी, 6000 मेगावाट रायगढ़ पुगलूर एचवीडीसी परियोजना, बीपोल –1 (2 × 1500 मेगावाट) डीएमआर के साथ पूरी ट्रांसमिशन लाइन के साथ सफलतापूर्वक कमीशन किया गया था और यह वाणिज्यिक परिचालन के अधीन है।
2. ±320 केवी, पुगलुर त्रिचूर वीएससी एचवीडीसी लिंक के सममित मोनोपोल 2 (1×1000 मेगावाट) पूर्ण ट्रांसमिशन लिंक (ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल) के साथ सफलतापूर्वक कमीशन किया गया था और यह वाणिज्यिक परिचालन के अधीन है।
3. कुल 16 टावरों की और 7 विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिए पोल संरचनाओं की 2019–20 के दौरान 132केवी, 220केवी, ±320केवी HVDC, 400केवी और 765केवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।
4. 800केवी कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, 765केवी ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, 765केवी तक जीआईएस, एसवीसी और एसटीएटीसीओएम, 765केवी आइसोलेटर्स और सर्ज अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफॉर्मर और वेव ट्रैप, एसी और डीसी कैपेसिटर, थाइरिस्टर वाल्व, आईजीबीटी वाल्व के लिए स्वदेशी विक्रेताओं का विकास।
5. आउटेज/शट डाउन अवधि को कम करने के लिए 765 केवी ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों के लिए स्पेयर फेज स्विचिंग व्यवस्था को अपनाया गया है।
6. 400 और 765केवी ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के लिए सर्किट ब्रेकरों की नियंत्रित स्विचिंग योजनाओं का कार्यान्वयन।
7. पावरग्रिड ने 3 स्थानों पर स्टेटिक वीएआर कम्पेसाटर और अखिल भारतीय ग्रिड पर 14 स्थानों पर स्टेटकॉम को सफलतापूर्वक शुरू किया है।
8. पिछले वर्ष के दौरान ऊर्जा अंतरण क्षमता को 2 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए उच्च तापमान सहनशीलता कंडक्टर के साथ 1 नग 400 केवी डी / सी लाइन की रिकांडक्टिंग की गई थी।
9. 765केवी ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के पावरग्रिड फ्लीट में शामिल करने के लिए 800केवी रेजिन इंप्रेग्नेटेड पेपर बुशिंग का पूरा डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और परीक्षण।
10. विघटित गैस विश्लेषण के लिए ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों में स्थापित सेंसरों को एकीकृत करके ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों की केंद्रीकृत वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरी तरह से इनहाउस में सफलतापूर्वक विकसित सॉफ्टवेयर टूल और उपकरण वर्तमान में एनटीएएमसी और आरटीएएमसी में परिचालन में हैं।
11. प्रदूषण मानचित्रणः दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समितियों और घटक एसटीयू के सहयोग से, इन क्षेत्रों की प्रदूषण मानचित्रण गतिविधि को सफलतापूर्वक पूरा किया और प्रदूषण मानचित्र तैयार किए।
12. राज्य उपयोगिताओं के लिए वितरण स्तर पर उपयोग के लिए 33केवी मोबाइल कैपेसिटर बैंकों की शुरुआत की और हरियाणा की वितरण प्रणाली पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया।
13. अधिक दक्ष तरीके से ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों की स्थिति का आकलन करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर टूल, पावरग्रिड एसेट लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम (PALMS) को पूरी तरह से उनकी स्थिति का आकलन करने और स्वास्थ्य को रैंक करने के लिए विकसित किया। इसने परिसंपत्ति प्रबंधकों को परिसंपत्ति की मरम्मत, नवीनीकरण या प्रतिस्थापन पर समय पर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है और भविष्य में इसका उपयोग अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन के लिए भी किया जाएगा।

14. 400/220केवी भिवाड़ी सबस्टेशन पर डिजिटल सबस्टेशन घटकों (आईईडी और एससीएडीए) के साथ भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 400केवी ऑप्टिकल करंट ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक शुरू किया गया।

15. उद्योग 4.0 पर आधारित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 400/220केवी मलेरकोटला सबस्टेशन पर पारंपरिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली की रेट्रोफिटिंग द्वारा आईईसी 61850 प्रक्रिया बस आधारित सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली के साथ एक पूर्ण डिजिटल सबस्टेशन (बस बार सुरक्षा सहित) विश्व में पहली बार कमीशन किया गया, जिसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है। जो कार्यान्वयन इंजीनियरिंग में बहुत अधिक स्थायित्व प्रदान करता है, तेजी से कमीशन का मार्ग प्रशस्त करता है, डाउनटाइम को कम करता है, निदान को बढ़ाता है और परिसंपत्ति प्रबंधन के दौरान ट्रबलशुटिंग में आसानी करता है।

16. विकसित, पूरी तरह से आंतरिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड (2डी) विश्लेषण के लिए एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, जिसका उपयोग विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों में डिजाइन सत्यापन के अतिरिक्त विभिन्न इलाकों और भौगोलिक क्षेत्रों से गुजरने वाली विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे फील्ड स्ट्रेंथ के विश्लेषण के लिए किया जा रहा है।

17. पावरग्रिड ने पुडुचेरी में दो अलग–अलग प्रौद्योगिकियों एडवांस लीड एसिड और लिथियम आयरन फॉस्फेट पर आधारित 1 मेगावाट, 500 केडब्ल्यूएच ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लागू की है। प्रणाली का परीक्षण फ्रिक्वेन्सी रेगुलेशन और एनर्जी टाइम शिफ्ट एप्लिकेशन वोल्टेज / रीएक्टिव पॉवर सपोर्ट, लोड फोलोइंग, पीक शेविंग, रेनेवेबल एनर्जी केपासिटी फ़ार्मिंग और रेनेवेबल एनर्जी टाइम शिफ्ट जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर भविष्य में बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को कार्यान्वयित किया जा सकता है।

18. पावरग्रिड ने 01.01.2020 को ऑनलाइन ड्राइंग समीक्षा और इंजीनियरिंग अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम (ड्रीम) को अपनाया है जो विक्रेताओं द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग/दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने और बाद में पावरग्रिड इंजीनियरिंग द्वारा ऑनलाइन समीक्षा, टिप्पणियों और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं और पावरग्रिड साइट टीम को अनुमोदित ड्राइंग/दस्तावेजों की तत्काल उपलब्धता हुई है। कोविड–19 के कठिन समय के दौरान, जब व्यक्तियों की भौतिक आवाजाही और ड्राइंग /दस्तावेज जमा करना प्रतिबंधित है, तो यह प्रणाली परेशानी मुक्त तरीके से काम करने की सुविधा प्रदान करती है और पावरग्रिड इंजीनियरिंग के संपर्क रहित अनुमोदन करती है। यह भी कागज–रहित कार्यालय की ओर एक कदम है।

जारी परियोजनाएँ

1. ट्रानमिशन कॉरिडोर की क्षमता को लगभग दो गुना बढ़ाने के लिए उच्च तापमान सहनशक्ति कंडक्टर के साथ निम्नलिखित लाइनों का पुनरू परिचालनः

   - मैथन – मैथन–आरबी 400केवी डी/सी

     नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट करंट के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए, ग्रिड में फॉल्ट करंट लिमिटर के रूप में सीरीज रिएक्टरों के अनुप्रयोग को लिया जा रहा है। भिवानी में सीरीज बस रिएक्टर और कानपुर (नया)–कानपुर (पुराना) 400केवी डी/सी लाइन के कानपुर (पुराने) छोर पर 2 नग श्रृंखला लाइन रिएक्टर कार्यान्वयन के अधीन है।

2. कुरुक्षेत्र में 500 एमवीएआर टीसीआर (थायरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर), प्रतिक्रियाशील वीएआर समामेलन के लिए एक स्व–विनियमन उपकरण कार्यान्वयन के अधीन है।

3. 2×250 मेगावाट विंध्याचल एचवीडीसी बैक टू बैक स्टेशन के लिए डीसी कंट्रोल और वाल्व और वाल्व कूलिंग प्रणाली का उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

4. ±500 केवी 2×750 मेगावाट रिहंद दादरी एचवीडीसी के लिए डीसी कंट्रोल और वॉल्व कूलिंग प्रणाली का उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

5. ±800 केवी, 6000 मेगावाट रायगढ़ पुगलूर एचवीडीसी परियोजना, बाइपोल–2 (2×1500 मेगावाट) की कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं।

6. पुगलूर त्रिचूर वीएससी एचवीडीसी के ±320 केवी, सममित मोनोपोल 1 (1×1000 मेगावाट) की कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं।

7. ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोरः ग्रिड में आरई क्षमता के एकीकरण की सुविधा के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न एसएलडीसी/आरएलडीसी/एनएलडीसी में आईएसटीएस और इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली, अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (यूएमएसपीपी) के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली सहित व्यापक हरित ऊर्जा कॉरिडोर विकसित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 2022 तक भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार 175 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता के एकीकरण की सुविधा के लिए, आपकी कंपनी ने 66.5 गीगावॉट संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (50 गीगावॉट सौर, 16.5 गीगावॉट पवन) के लिए संचरण योजना विकसित की है। नवीकरणीय उत्पादन परियोजनाओं की संक्षिप्त अवधि के कारण कार्यान्वयन गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। उक्त इनपुट सीटीयू से लिया जा सकता है।

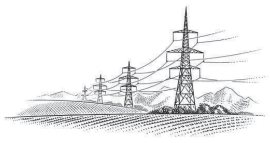

8. नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्ररू नवीकरणीय संसाधनों के पूर्वानुमान और आंतरायिक नवीकरणीय उत्पादन के कुशल प्रबंधन को सक्षम करने के लिए कंपनी भारत सरकार की ओर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ–साथ उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र में संबंधित क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों जैसे नवीकरणीय समृद्ध प्रेषण केन्द्रो में सह–स्थित समर्पित 11 नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों को पहले ही स्थापित कर चुकी है। ये केंद्र पूर्वानुमान उपकरणों, नवीकरणीय ऊर्जा निर्धारण उपकरणों के साथ–साथ अक्षय संसाधनों की वास्तविक समय की निगरानी से लैस हैं। इसके अतिरिक्त, 2 और आरईएमसी, एक तेलंगाना में और दूसरा दक्षिण अंडमान में कार्यान्वयित किया जा रहा है।

9. हरित ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में, पावरग्रिड ने पहले ही अपने विभिन्न परिसरों में लगभग 6 मेगावाट की रूफटॉप सौर पीवी प्रणाली स्थापित की है। रेस्को मॉडल के तहत देश भर में फैले 67 स्थानों में एक और 5एमडब्ल्यूपी जोड़ने के लिए इस पहल को आगे बढ़ाया गया है।

10. पावरग्रिड ने सार्वजनिक और कैप्टिव उपयोग के लिए ई–टैक्सी/कार चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की है। ये ईवी चार्जिंग स्टेशन अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोच्चि, कोझीकोड, जम्मू और मानेसर में चल रहे हैं। पावरग्रिड भी फेम इंडिया स्कीम फेज प्प् के सहयोग से शिलांग में 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों का प्रबंधन/निगरानी/परिचालन पावरेव मोबाइल/वेब एप्लिकेशन द्वारा किया जाता है, जो ऑनलाइन भुगतान संग्रह की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

11. जीआईएस प्लेटफॉर्म पर इंजीनियरिंग डाटा इंटीग्रेशन।

12. भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरण – पावरग्रिड अपनी संचरण परिपत्तियों के मानचित्रण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) उपकरणों का उपयोग कर रहा है। इससे हमें विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में चक्रवात के दौरान किसी भी आपदा के मामले में प्रभावी शमन रणनीति तैयार करने में मदद मिली है। इससे नई ट्रांसमिशन लाइनों की योजना के दौरान मार्ग संरेखण में भी मदद मिली है।

13. स्वदेशी 765केवी क्लैंप, कनेक्टर्स और इंसुलेटर स्ट्रिंग हार्डवेयर का विकास।

14. आउटेज/शट डाउन अवधि को कम करने के लिए 765केवी ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों के लिए स्पेयर फेज स्विचिंग व्यवस्था अपनाई जा रही है।

15. विद्युत प्रणाली में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन व्यापक क्षेत्र मापन और ग्रिड मापदंडों की वास्तविक समय निगरानी के लिए नियंत्रण केंद्रों के साथ एकीकृत अखिल भारतीय आधार पर ईएचवी सबस्टेशनों पर फेजर माप इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है।

16. पावरग्रिड ने वितरण मूल संरचना, उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचे, इंटेलीजेंट आउटेज प्रबंधन प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रबंधन, वितरित उत्पादन, नेट मीटरिंग आदि को कवर करने के लिए वितरण क्षेत्र में अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छह पायलट परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। वर्तमान में स्मार्ट सिटी गुड़गांव परियोजना के तहत वितरण प्रणाली को मजबूत करने और भूमिगत केबल बिछाने के काम के लिए परामर्श प्रदान करना आदि शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी समानेलनः

1. पावरग्रिड ने मार्ग चयन हेतु, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए बीओक्यू की लंबाई अनुकूलन और आकलन, आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों को नियोजित किया है।

2. पावरग्रिड के सभी नए सबस्टेशनों के लिए आईईसी 61850 प्रोटोकॉल के साथ सबस्टेशन ऑटोमेशन अपनाया जा रहा है। इससे परिचालन लागत में बचत होगी और परिचालन और अनुरक्षण दक्षता में वृद्धि होगी।

3. नेशनल ग्रिड की दिशा में एक कदम के रूप में, हमारे देश में 765केवी एसी डबल सर्किट और ±500केवी एलसीसी एचवीडीसी, ±800केवी एलसीसी एचवीडीसी डीएमआर कॉन्फ़िगरेशन के साथ और ±320 केवी वीएससी एचवीडीसी प्रणाली के साथ–साथ अंडरग्राउंड एचवीडीसी केबल (एक्सएलपीई) तकनीक को हमारे देश में कार्यान्वयित किया गया है।

4. कुछ क्षेत्रों में, पोल टॉवर, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन टॉवर और नैरो बेस्ड टॉवर जैसे कॉम्पैक्ट टॉवर जो टॉवर बेस स्थान को कम करते हैं, का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही संरक्षण के लिए लम्बे टावरों और मल्टी–सर्किट टावरों का उपयोग स्कार्स राईट–ऑफ–वे के तरीके से किया जा रहा है।

5. पावरग्रिड ने ±320केवी एचवीडीसी पुगलूर–एन के लिए दो अलग–अलग बाइपोल लाइनों के बजाय मल्टी–पोल एचवीडीसी लाइन कॉन्फ़िगरेशन को अपनाया है। त्रिचूर ट्रांसमिशन लाइन, जिससे आरओडब्ल्यू की आवश्यकता में काफी कमी आई है। ट्रांसमिशन लाइन देश की पहली मल्टी–पोल एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन है।

6. प्रदूषित क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों में पॉलीमर कम्पोजिट इंसुलेटर जैसे विशेष इंसुलेटर को अपनाया गया है।

7. ट्रांसमिशन लाइन एरेस्टर्स (टीएलए) का उपयोग उन क्षेत्रों में अपनाया गया है जो उत्तर बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में बिजली की अत्यधिक संभावना रखते है। इससे इन ट्रांसमिशन लाइनों में बिजली के कारण ट्रिपिंग को काफी कम करने में मदद मिली है।

8. ट्रांसमिशन कॉरिडोर की स्थानांतरण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च तापमान वाले लो सैग कंडक्टरों को अपनाया गया है।

9. 400केवी और 765केवी स्तर पर जीआईएस/हाइब्रिड जीआईएस तकनीक को उन सबस्टेशनों में अपनाया गया है जहां स्थान की कमी है।

10. जीआईएस और एआईएस सबस्टेशनों में सबस्टेशन के पास लाइन कॉरिडोर क्षेत्रों को अनुकूलित करने के लिए मल्टी–सीकेटी लाइनों के साथ मल्टी–लेवल बीम का इस्तेमाल किया गया है।

11. बिजली ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए ऑन लाइन ट्रांसफार्मर निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

12. वोल्टेज को बनाए रखने और ग्रिड की स्थिरता में सुधार के लिए प्रतिक्रियाशील पावर के गतिशील नियंत्रण के लिए एसवीसी और स्टेटकॉम के रूप में गतिशील मुआवजा लागू किया जा रहा है।

13. प्रणाली में शॉर्ट सर्किट करंट को नियंत्रित करने के लिए ग्रिड में फॉल्ट करंट लिमिटर्स की योजना बनाई गई है।

14. कुरुक्षेत्र में वोल्टेज नियंत्रण के लिए, 500एमवीएआर टीसीआर का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ग. भूमि जजका संरक्षण और पर्यावरण संबंधी सरोकारः

पावरग्रिड स्थायी व्यवसाय प्रथाओं की अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखता है और हमारे लिए स्थायित्व की अवधारणा केवल वित्तीय सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारी सभी गतिविधियों में पर्यावरणीय विवेक, सामाजिक कल्याण और सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाएं भी शामिल हैं। स्थायित्व की दिशा में हमारी यात्रा ने एक मजबूत मोड़ लिया, जब हमने परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों के आधार पर अपनी व्यापक कॉर्पोरेट नीति यथा "पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं (ईएसपीपी)" विकसित और प्रकट की। एक गतिशील पृष्ठभूमि होने के नाते, इसे बाद में वर्ष 2005 और 2009 में अद्यतन किया गया, ताकि लगातार विकसित हो रहे विनियामक ढांचे, बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों और अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं के सामने उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसकी जीवन शक्ति सुनिश्चित की जा सके। पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनी के रूप में, हम भूमि अधिग्रहण के अधिदेश से परे रहते हैं और ईएसपीपी के प्रावधानों के अनुसार इसकी परियोजनाओं का विस्तृत पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं।

विश्व की दो प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों, अर्थात विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा 2009 और 2017 में क्रमशः यूज़ ऑफ कोंट्री सिस्टम (यूसीएस) और कोंट्री सेफगार्ड सिस्टम (सीएसएस) के उपयोग की उनकी नीतियों के तहत हमारे ईएसपीपी की मान्यता, एक अनूठी उपलब्धि है, जो केवल आपकी कंपनी के लिए उपलब्ध है। यह पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) मुद्दों पर समुचित बल सहित एक स्थायी तरीके से ट्रांसमिशन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में हमारे पर्याप्त प्रयासों और आवश्यक कौशल के अधिग्रहण का भी एक ठोस प्रमाण है।

ई एंड एस सम्यक उद्यम की प्रक्रिया ट्रांसमिशन लाइनोंयथा वास्तविक निर्माण शुरू होने से बहुत पहले हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण के चरण से ही शुरू हो जाती है, । ट्रांसमिशन लाइनों को रूट करते समय पर्यावरण और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वन, वन्यजीव, आबादी वाले क्षेत्रों, ऐतिहासिक/पुरातात्विक स्थलों आदि से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों से जुड़े प्रमुख पर्यावरण ीय प्रभाव होने के कारण वनों की भागीदारी में विशेष बल इसके परिहार पर दिया जाता है। यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग बेस्ड रूट ऑप्टिमाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर 1998 से एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की भागीदारी को 60प्रतिशत से अधिक कम करने के इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। हालांकि, इलाके की ख़ासियत और भौगोलिक बाधाओं के कारण सभी परियोजनाओं में कुल परिहार प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों में, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाती है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, 419.88 हेक्टेयर के लिए 20 ट्रांसमिशन लाइनों से युक्त वन चरण–I वन मंजूरी प्राप्त की गई थी। इसी प्रकार, चरण–II (अंतिम) 25 ट्रांसमिशन लाइनों से युक्त वन की वन मंजूरी 1659.69 हेक्टेयर के लिए प्राप्त की गई थी।

प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए, आपकी कंपनी का प्रयास बंजर सरकारी भूमि को अपनी पहली पसंद के रूप में सुरक्षित करना है, भले ही उसका स्थान थोड़ा दूर हो। निजी भूमि के मामले में, यदि आस–पास कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो हमेशा एकल फसल भूमि के चयन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और बहुफसली सिंचित भूमि का चयन नहीं किया जाता है। अच्छी प्रथा के रूप में और पारस्परिक रूप से लाभकारी हितधारक संबंध सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी ने अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण की प्रथा को त्याग दिया है। पावरग्रिड अधिकांश सबस्टेशनों के लिए भूस्वामियों की सहमति के माध्यम से "इच्छुक क्रेता इच्छुक विक्रेता" आधार पर या तो सीधे भूस्वामियों से या संबंधित राज्य सरकारों की नीतियों के आधार पर "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर)

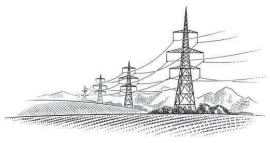

अधिनियम, 2013" में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भूमि हासिल कर रहा है। इन जन–समर्थक पहलों ने न केवल स्थानीय समुदाय/प्रभावित आबादी के बीच हमारी स्थिति को मजबूत किया है बल्कि न्यायालय के एकल संदर्भ के बिना भूमि की परेशानी मुक्त सुरक्षा सुनिश्चित की है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, आपकी कंपनी ने सिम्भावली, रामपुर जीआईएस और खेतड़ी सबस्टेशनों के लिए 63.36 हेक्टेयर भूमि हासिल किया है।

मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) समस्याएं ट्रांसमिशन परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन में एक बड़ी बाधा के रूप में उभरी हैं। पावरग्रिड अपनी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए आरओडब्ल्यू आवश्यकताओं को कम करने के लिए मल्टी–सर्किट टावरों, कॉम्पैक्ट टावरों और पोल टाइप टावरों जैसे आधुनिक और अभिनव टॉवर डिजाइन के विकास और उपयोग के रूप में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचने के लिए परियोजना निष्पादन से पहले लाइन रूट की सावधानीपूर्वक योजना बनाने से भी इस समस्या पर काबू पाने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिबंध के लिए कम भूमि मूल्य सहित मार्गाधिकार के लिए भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान क्रांतिकारी प्रभाव डालता है और किसानों / भूमि मालिकों को संवर्धित मुआवजे के माध्यम से उचित वास्तविक समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है और कम प्रतिरोध के कारण परियोजनाओं को समय पर कमीशन करता है।

जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। इसे संबोधित करने के लिए कॉर्पोरेट विश्व सहित समाज के सभी वर्गों को एक साथ आना होगा और अपनी भूमिका निभानी होगी। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सौर ऊर्जा के महत्व को स्वीकार करते हुए और पेरिस समझौते के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार, पावरग्रिड अपने सबस्टेशन परिसरों और कार्यालय प्रतिष्ठानों में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और सोलर पीवी प्रणाली स्थापित कर रहा है। इसने 65 से अधिक स्थानों को कवर करते हुए लगभग 6 एमडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर पीवी प्रणाली पहले ही स्थापित कर दिए हैं, जो संचयी रूप से सालाना लगभग 8 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे सीओ2 उत्सर्जन लगभग प्रति वर्ष 8000 मीट्रिक टन कम हो गया है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त 5 मेगावाटपी रूफटॉप सोलर पीवी प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है। आपकी कंपनी देश के विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसमिशन कॉरिडोर विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

2020–21 के दौरान उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम, कंपनी में स्थिरता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में क्षेत्र/परियोजनाओं के साथ संस्थागत कार्य निष्पादन समझौता (आईपीए) में स्थिरता पहल/परियोजनाओं को शामिल करना है। आईपीए में शामिल कुछ प्रमुख पहलों में आरएचक्यू और सबस्टेशन में बायो–डिग्रेडेबल कचरे के लिए सोलर पीवी/पैनल और कंपोस्टिंग मशीन की स्थापना, मौजूदा पेट्रोल/डीजल वाहन को बदलने के लिए सबस्टेशन परिसर में ई–कार्ट/गोल्फ कार्ट की शुरूआत आदि शामिल हैं।

घ. विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

(₹ करोड़ में)

क. वास्तविक विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के कारणः		
1.	पूंजीगत वस्तुएं और अतिरिक्त पुर्जे	671.71
2.	ब्याज	833.26
3.	अन्य	24.30
कुल		**1529.27**

ख. वास्तविक विदेशी मुद्रा की ओर अर्जित

1. व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	16.30
कुल	16.30

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

श्रीकान्त

(के. श्रीकांत)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 06615674

दिनांकः 26 अगस्त, 2021

स्थानः नई दिल्ली

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2021 under Section 143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(D.K. Sekar)
Director General of Audit (Energy),
Delhi

Place: New Delhi
Dated: 27.08.2021

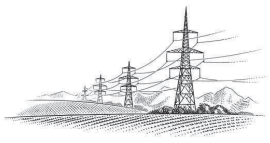

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of consolidated financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the–Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6) (a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of entities listed in Annexure A but did not conduct supplementary audit of the financial statements of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure B for the year ended on that date. Further, section 139 (5) and 143 (6) (a) of the Act are not applicable to Powerlinks Transmission Limited, Torrent Power Grid Limited, Jaypee Powergrid Limited, Parbati Koldam Transmission Company Limited and Teestavalley Power Transmission Limited being private entities and Power Transmission Company Nepal Limited being incorporated in foreign countries under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(D.K. Sekar)
Director General of Audit (Energy),
Delhi

Place: New Delhi
Dated: 27 August 2021

Annexure A

List of Entities whose financial statements were audited by the Comptroller and Auditor General of India

1. Power Grid Corporation of India Limited,
2. Powergrid Kala Amb Transmission Limited,
3. Powergrid Parli Transmission Limited,
4. Powergrid Warora Transmission Limited,
5. Powergrid Jabalpur Transmission Limited,
6. Powergrid Southern Interconnector Transmission System Limited,
7. Powergrid Medinipur Jeerat Transmission Limited,
8. Powergrid Mithilanchal Transmission Limited,
9. Powergrid Varanasi Transmission System Limited
10. North East Transmission Company Limited

Annexure B

List of Subsidiaries, Associate Companies and Jointly Controlled Entities whose financial statements were not audited by the Comptroller and Auditor General of India

A. Subsidiaries incorporated in India:

1. Powergrid NM Transmission Limited
2. Powergrid Vizag Transmission Limited
3. Powergrid Unchahar Transmission Limited
4. Powergrid Vemagiri Transmission Limited
5. Powergrid Jawaharpur Firozabad Transmission Limited
6. Powergrid Khetri Transmission System Limited
7. Powergrid Bhuj Transmission Limited
8. Powergrid Bhind Guna Transmission Limited
9. Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited
10. Powergrid Fatehgarh Transmission Limited
11. Powergrid Rampur Sambhal Transmission Limited
12. Powergrid Meerut Simbhavali Transmission Limited
13. Central Transmission Utility of India Limited
14. Powergrid Ramgarh Transmission Limited
15. Bikaner-II Bhiwadi Transco Limited

B. Joint Ventures incorporated in India:

1. National High Power Test Laboratory Private Limited
2. Bihar Grid Company Limited
3. Cross Border Power Transmission Company Limited
4. RINL Powergrid TLT Private Limited

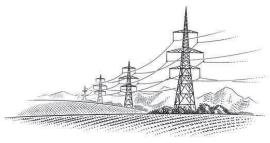

प्रपत्र सं. एमआर 3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,

नई दिल्ली–110016

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ख्सीआईएन: L40101DL1989GOI038121, (जिसे इसके बाद से "कंपनी" कहा गया है) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 में है, द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गयी कि इसने हमें कॉरपोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालन के लिए उचित आधार प्रदान किया और इस पर मैंने अपनी राय व्यक्त भी की है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत बही खातों, प्रपत्रों और दाखिल की गयी विवरणी तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों को सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन दौरान हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–प्रणाली विद्यमान है और उसका नीचे दिये अनुसार अनुपालन किया गया है:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत बही खातों, प्रपत्रों और दाखिल की गयी विवरणी और अन्य अभिलेखों की जांच की है, जिसके प्रावधानों निम्नानुसार हैं

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश: –

  क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

  ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अन्तः व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

  ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;

  घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; [लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी कर्मचारी लाभ योजना के अनुसार किसी भी शेयर की पेशकश नहीं की है या कोई विकल्प नहीं दिया है,;

  ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूती निर्गम और सूची) विनियम, 2008;

  च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर स्थानांतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

  छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009य ख्लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं कियाध्प्रस्तावित नहीं किया है,;

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; [लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी भी प्रतिभूति को वापस नहीं खरीदा/खरीदने का प्रस्ताव नहीं किया है,; तथा

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014;

(vi) जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि और प्रमाणित किया गया है, निम्नलिखित कानून विशेष रूप से सेक्टरों / व्यवसायों के आधार पर कंपनी पर लागू होता है:

(क) बिजली अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।

कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वे सांविधिक लेखा परीक्षक और अन्य नामित व्यावसायिक द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हमने लागू विनियमोंध्खंडों के अनुपालन की भी निम्नानुसार जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

iii. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांकित 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश।

iv. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओ.एम.एफ. सं. 5/2/2016–नीति दिनांकित 27 मई, 2016 में निर्धारित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का नीचे उल्लिखित सीमा को छोड़कर अनुपालन किया हैरू

- कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.1.4 के तहत अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि

- कंपनी के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के 17 (1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.1.4 के तहत आवश्यक 31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल का विधिवत गठन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अपवाद के साथ कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है।
- कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा की जाती है। कंपनी बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एमओपी के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10) और 25 (4) के अनुपालन में समीक्षा अवधि के दौरान निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया है। स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। हालांकि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के तहत निदेशकों के के निष्पादन के मूल्यांकन की आवश्यकता से छूट दी है। इसके अतिरिक्त, एमसीए ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 के अपने अधिसूचना के अधिनियम की अनुसूची प्ट में संशोधन किया, जिसके तहत सरकारी कंपनियों को बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट दी गई थी, यदि संबंधित विभाग या मंत्रालय ने पूर्वोक्त आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है।
- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची और विस्तृत नोट्स को निर्धारित करने के लिए कार्यसूची को कम से कम सात दिन पहले अग्रिम भेज दिया गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली विद्यमान है।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी से प्राप्त लिखित प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर और जो जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्रदान किया गया है, उससे हमारी यह राय है कि कंपनी के पास पर्याप्त व्यवस्था एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं जो कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप है ताकि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया का सके।

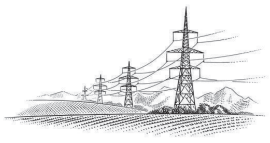

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख असर होने वाली निम्न घटनाओंध्कार्यों का अनुपालन किया जाता हैः –

i. कंपनी ने नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार ₹ 3300 करोड़ के बॉण्ड जारी किए हैंः–

क्रम संख्या	बॉण्ड का प्रकार	राशि (करोड़ में)
1.	6.85प्रतिशत अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, असंचयी, प्रतिदेय, कर योग्य पावरग्रिड बॉण्ड स्टप्प् निर्गत	2800.00
2.	6.28प्रतिशत अप्रतिभूत, अपरिवर्तनीय, असंचयी, प्रतिदेय, कर योग्य पावरग्रिड बॉण्ड स्टप्प् निर्गत	500.00

ii. विद्युत मंत्रालय ने, दिनांक 9 मार्च, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से श्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडश (सीटीयूआईएल), सरकारी कंपनी और पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी को श्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीश (सीटीयू) के रूप में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों या केंद्रीय आयोग या प्राधिकरण के कोई विनियम या निर्देश या उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य निर्देश या कार्य के अनुसार सीटीयू के सभी कार्यों को करने और निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया। पावरग्रिड अधिनियम के तहत एक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी बना रहेगा और आवश्यक तथा उससे जुड़े कार्यों का निर्वहन करेगा और उस संबंध में केंद्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित कार्यों को भी करेगा। यह राजपत्र अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है।

iii. पावरग्रिड ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) से जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (पॉवरग्रिड और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) में 74प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। नतीजतन, 25 मार्च, 2021 से जेपी पावरग्रिड लिमिटेड पावरग्रिड की सहायक कंपनी बन गई है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह०–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा

(स्वत्वधारी)

एफसीएसरू 1807य सी.पी. सं.ः 14984

पीआरः 610ध्2019

यूडीआईएनः F001807C000794929

स्थानः नोएडा

दिनांकः 17.08.2021

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक–क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक "क"

सेवा में,

सदस्यगण,

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,

नई दिल्ली–110016

हमारी सम तिथि रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त थे। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्ज किए गए हैं। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अनुसरण किया है, वे हमारी राय व्यक्त करने हेतु उचित आधार प्रदान कराते हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही खातों के सटीक तथा उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के रूप में कोई आश्वासन देती है जिसके आधार पर प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।

7. कोविड–19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए, हम 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के भौतिक दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य कागजात आदि की जांच नहीं कर सके और हमारे द्वारा आवश्यक दस्तावेजध्जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की गई।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

हध्–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा

(स्वत्वधारी)

एफसीएसरू 1807य सी.पी. सं.रू 14984

पीआररू 610ध्2019

यूडीआईएनः थ्001807ब्000794929

स्थानः नोएडा

दिनांकः 17.08.2021

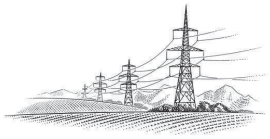

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

निदेशक निगमित अभिशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. कंपनी का अभिशासन सिद्धांतः

निगमित अभिशासन कंपनी में विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कॉर्पोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यावसायिक निगमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड या कंपनी) का मानना है कि सुशासन में सरकारी नीतियों के प्रति सक्रिय रहते हुए प्रबंधन की विश्वसनीयता, सशक्तिकरण और जवाबदेही की जानी चाहिए। पावरग्रिड की अभिशासन प्रक्रिया अपनी दूरदृष्टि "उभरते विद्युत बाजारों में प्रभुत्वकारी नेतृत्व वाली विश्व स्तरीय, एकीकृत, वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी जो विश्वसनीयता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करती है" तथा उसके मिशन यथा "हम विश्व स्तरीय क्षमताओं के साथ उभरते विद्युत बाजारों में प्रभुत्वकारी नेतृत्व के साथ एक वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी बनेंगे" की ओर केंद्रित हैः

1. उद्योग और स्वयं के लिए पूंजी परियोजना प्रबंधन और परिचालन में बेहतर मानक स्थापित करना।
2. भारत में उभरती और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सभी हितधारकों के लिए लगातार अधिकतम मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता का लाभ उठाना।
3. अगली पीढ़ी के व्यावसायिकों को प्रेरित, पोषित और सशक्त बनाना।
4. नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से निरंतर सुधार प्राप्त करना।
5. स्वास्थ्य, सुरक्षा, रक्षा और पर्यावरण में उच्चतम मानकों के प्रति कटिबद्ध।

पावरग्रिड का निगमित अभिशासन निम्नलिखित द्वारा तैयार किया गया हैः

(i) भारत सरकार और बोर्ड द्वारा हर वर्ष निर्धारित अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जॉब प्रोफाइलध्कार्यों को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त स्तरों पर लोगों को सशक्त बनाना।

(ii) चुनौतियों और उभरते अवसरों पर प्रतिक्रिया देना और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

निगमित अभिशासन, संरचना निगम में विभिन्न प्रतिभागियों के बीच कर्तव्यों, अधिकारों, जिम्मेदारियों और शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करती है। निवेश, विविधीकरण, खरीद, वाणिज्यिक और वित्त के संबंध में प्रमुख निर्णयों के संबंध में सभी रणनीतिक निर्णय बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कार्यान्वित किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा पावरग्रिड को 23.10.2019 को प्रतिष्ठित ष्महारत्नष् का दर्जा प्रदान किया गया है।

निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं। कर्मचारियों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों को समय–समय पर प्रकाशित नीति नियमावली और उनके संशोधनों में अधिसूचित किया गया है। आंतरिक प्रतिभागियों यथा शीर्ष अधिकारियों और उनके मातहतों की शक्तियों को ष्अधिकारों के प्रत्यायोजनष् में निर्धारित किया गया है। पावरग्रिड ने त्वरित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने पर प्रमुख जोर देने के साथ जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ मिलकर नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रशासन के लिए आसान बनाने की दृष्टि से "कार्य और खरीद नीति और प्रदान करने के पूर्व और प्रदान करने के पश्चात चरणों के लिए प्रक्रियाष् लागू की है। बोर्ड ने कई समितियों का भी गठन किया है, अर्थात, लेखा परीक्षा समितिय हितधारकों की संबंध समितिय नामांकन और पारिश्रमिक समितिय जोखिम प्रबंधन समितिय सीएसआर समितिय परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समितिय अनुबंधों के पुरस्कार पर समितिय बॉण्ड के लिए समितिय शेयरों के अंतरणधविभाजनध्पुनर्भौतिकीकरण संबंधी समितिय नए व्यवसायों के लिए निदेशकों की समितिय बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए इनविट आदि के माध्यम से संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए समिति आदि। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति के निर्माण पर पावरग्रिड को सलाह देने के लिए पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं, अनुसंधान एवं विकास और टेलीकॉम के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सलाहकार बोर्ड हैं।

समय–समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त, समय–समय पर यथा संशोधित (इसके बाद सेबी एलओडीआर के रूप में संदर्भित), पावरग्रिड को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

वर्ष 2020–21 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ कंपनी का अनुपालन नीचे दिया गया है:

2. निदेशक मंडल:

2.1 बोर्ड का आकार

पावरग्रिड, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास कुल चुकता शेयर पूंजी का 51.34प्रतिशत है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद, भले ही पावरग्रिड को कंपनी के बोर्ड के सदस्यों के दो–तिहाई से कम नियुक्ति नहीं करना पड़ता है लेकिन बहिर्नियमावली के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। इस प्रकार, एक पदधारी के कौशलधविशेषज्ञताध्क्षमताएं भारत सरकार के दायरे में हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों की योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता आदि का विवरण दिया गया है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या चार निदेशकों से कम और अठारह निदेशकों से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

2.2 बोर्ड की संरचना

सेबी एलओडीआर, यह निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा और गैर–कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (4) यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई होना चाहिए।

31 मार्च, 2021 तक, बोर्ड में दस निदेशक शामिल थे, जिनमें से पांच पूर्णकालिक निदेशक थे जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। बोर्ड की संरचना में दो महिला निदेशक भी शामिल हैं।

श्स्वतंत्र निदेशकश के पद को धारण करने के लिए सभी स्वतंत्र निदेशकों को अधिनियम की धारा 149 (6) और सेबी (एलओडीआर) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और कंपनी का कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है और प्रबंधन से स्वतंत्र है।

सेबी एलओडीआर के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपर्याप्त थी। चूंकि नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के साथ बोर्ड में निदेशकों को नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के पास निहित होती है, अतरू कंपनी समय–समय पर विद्युत मंत्रालय से बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नियुक्ति करने का अनुरोध करती रही है।

2.3 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि सरकार के अधिनिर्णय की तिथि तक या भारत सरकार से अगले आदेश तक जो भी घटना पहले हो, नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति पर, चूंकि पावरग्रिड एक सूचीबद्ध कंपनी है, इन निदेशकों को अतिरिक्त निदेशकों के रूप में चुना जाता है और आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति को नियमित किया जाता है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आमतौर पर भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है।

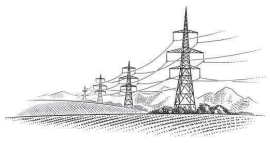

31 मार्च, 2021 को निदेशकों का विवरण इस प्रकार थाः

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में शामिल
होने की तिथि श्रेणी (कार्यात्मक आधिकारिक / गैर–सरकारी)	पदनाम		
1. पूर्णकालिक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री के. श्रीकांत	05.03.2018
	निदेशक (परिचालन)	श्रीमती सीमा गुप्ता	01.03.2018
	निदेशक (कार्मिक)	श्री विनोद कुमार सिंह	01.02.2020
	निदेशक (वित्त)	श्री एम. ताज मुकर्रम	04.07.2020
	निदेशक (परियोजना)'	श्री अभय चौधरी	01.11.2020
2. सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	05.11.2020
	सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री दिलीप निगम	04.01.2021
3. गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	निदेशक स्वतंत्र निदेशक	श्री सुनील कुमार शर्मा''	23.07.2018
	स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी''	26.07.2018
	स्वतंत्र निदेशक	श्री एम.एन. वेंकटेशन	11.07.2019

*श्री अभय चौधरी को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 01.11.2020 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

**श्री सुनील कुमार शर्मा और श्रीमती ए.आर. महालक्ष्मी, स्वतंत्र निदेशकों ने क्रमशः 22 जुलाई, 2021 और 25 जुलाई, 2021 को कार्यकाल पूरा कर लिया है।

2.4 बोर्ड की बैठकें और उपस्थितिः

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतरू कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड–19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए निदेशक मंडल की सभी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठकें सामान्यतरू काफी पहले से निर्धारित की जाती हैं और नोटिस, विस्तृत बोर्ड कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बोर्ड नोट निदेशकों को परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी तक पूरी पहुंच है। बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही मदों के लिए अतिरिक्त निविष्टियाँ प्रदान करने के लिए बोर्ड की बैठकों में वरिष्ठ प्रबंधन को भी आमंत्रित किया जाता है। अत्यावश्यकता के मामले में, संकल्प परिचालित किया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की दस बैठकें 6 जून, 2020, 20 जून, 2020, 10 अगस्त, 2020, 12 सितंबर, 2020, 11 नवंबर, 2020, 12 दिसंबर, 2020, 19 जनवरी, 2021, 25 जनवरी, 2021, 11 फरवरी, 2021 और 1 मार्च, 2021 को हुई। इस अवधि के दौरान किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 69 दिन था (वित्त वर्ष 2019–20 की अंतिम बोर्ड बैठक 28.03.2020 को आयोजित की गई थी)। निदेशकों द्वारा भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या का विवरण, पिछली वार्षिक आम बैठक (वार्षिक आम बैठक) में उपस्थिति, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान उनके द्वारा आयोजित अन्य निदेशकध्समिति सदस्यता अर्थात सेबी एलओडीआर के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति को सारणीबद्ध किया गया है।

निदेशकों का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिती	बोर्ड बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत (22.09.2020 को आयोजित)	अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में 31.03.2021 को धारित निदेशक पद की संख्या	31.03.2021 को अन्य कंपनियों समिति की सदस्यता या अध्यक्षता'		31.03.2021 को अन्य सूचीबद्ध कंपनियों और श्रेणी में धारित निदेशक	
						अध्यक्षता	सदस्यता	कंपनियों का नाम	निदेशन की श्रेणी
पूर्णकालिक निदेशक									
श्री के. श्रीकांत,									
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10	100प्रतिशत	हां	08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती सीमा गुप्ता,									
निदेशक (परिचालन)	10	10	100प्रतिशत	हां	08	शून्य	01	शून्य	शून्य
श्री विनोद कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)	10	10	100प्रतिशत	हां	01	शून्य	01	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	नामित निदेशक
श्री एम. ताज मुकर्रम,									
निदेशक (वित्त)									
(04.07.2020 से प्रभावी)	08	08	100प्रतिशत	हां	01	शून्य	01	शून्य	शून्य
श्री अभय चौधरी,									
निदेशक (परियोजना)									
(01.11.2020 से प्रभावी)	06	06	100प्रतिशत	लागू नहीं	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राजीव कुमार चौहान, निदेशक (परियोजना)									
(31.10.2020 तक)	04	04	100प्रतिशत	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)									
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण,									
संयुक्त सचिव दृ सरकार द्वारा नामित निदेशक									
(05.11.2020 से प्रभावी)	06	06	100प्रतिशत	लागू नहीं	01	शून्य	शून्य	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	नामित निदेशक
श्री दिलीप निगम,									
सलाहकार, एमएनआरई दृ सरकार द्वारा नामित निदेशक									
(30.04.2020 तक) और (04.01.2021 से प्रभावी)	04	03	75प्रतिशत	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

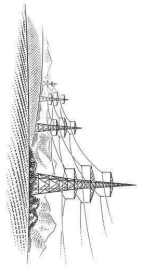

निदेशकों का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिती	बोर्ड बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत (22.09.2020 को आयोजित)	अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में 31.03.2021 को धारित निदेशक पद की संख्या	31.03.2021 को अन्य कंपनियों समिति की सदस्यता या अध्यक्षता'		31.03.2021 को अन्य सूचीबद्ध कंपनियों और श्रेणी में धारित निदेशक	
						अध्यक्षता	सदस्यता	कंपनियों का नाम	निदेशन की श्रेणी
श्री तन्मय कुमार,									
संयुक्त सचिव दृ सरकार द्वारा नामित निदेशक									
(05.11.2020 तक)	04	03	75प्रतिशत	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वतंत्र निदेशक									
श्री सुनील कुमार शर्मा	10	10	100प्रतिशत	हां	05	01	04	एस्ट्रा माइक्रो वेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी	10	10	100प्रतिशत	हां	शून्य	01	01	शून्य	शून्य
श्री एम.एन. वेंकटेशन	10	10	100प्रतिशत	हां	03	03	0	शून्य	शून्य
श्री मनोज कुमार मित्तल									
(11.09.2020 तक)	03	03	100प्रतिशत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ष्लागू नहींष इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति उस मौजूदा तिथि पर पावरग्रिड के बोर्ड में निदेशक नहीं था।

'पावरग्रिड में समिति के पद पर शामिल है

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैंः

बोर्ड के पास कंपनी की सभी जानकारी उपलब्ध है। बोर्ड को नियमित रूप से आपूर्ति की जाने वाली जानकारी में शामिल हैंरू

1. वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट एवं अद्यतन, यदि कोई हों।
2. वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, आदि।
3. कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
4. सहायक कंपनियों के कार्यवृत्त सहित लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
5. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीतिक गठबंधन, आदि।
6. बड़े अनुबंधों प्रदान करना।
7. सभी संबंधित पार्टी लेनदेन।
8. अन्य कंपनियों में निदेशक और समिति पदों के बारे में निदेशकों द्वारा अभिरुचि का प्रकटीकरण।
9. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
10. कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति पर मासिक रिपोर्ट।
11. विभिन्न सहायक कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर तिमाही रिपोर्ट।
12. विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट।
13. निगमित अभिशासन के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्टय शेयर पूंजी लेखा परीक्षा और निवेशकों की शिकायतों का समाधान।
14. विभिन्न जारी परियोजनाओंध्योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति पर रिपोर्ट।
15. ओ एंड एम समीक्षा पर रिपोर्ट।
16. मानव संसाधनध्औद्योगिक संबंध के स्तर पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करना आदि।
17. किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि का गैर–अनुपालन।
18. अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
19. अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी।

बैठक के बाद अनुवर्ती प्रणालीरू

कंपनी में अभिशासन प्रक्रिया में बोर्ड और बोर्ड समिति (समितियों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के लिए एक प्रभावी बैठक के बाद अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है।

3. निदेशक मंडल की समितियांरू

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया हैरू

i) लेखा परीक्षा समिति

ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

iii) हितधारकों की संबंध समिति

iv) सीएसआर समिति

v) जोखिम प्रबंधन समिति

3.1 लेखा परीक्षा समितिरू

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 18 के प्रावधानों के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2021 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेरू

(i)	श्री एम.एन. वेंकटेशन	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्री सुनील कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(iii)	श्रीमती ए आर महालक्ष्मी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव समिति का सचिव होता है।

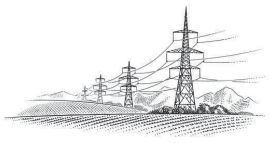

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

सेबी एलओडीआर के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होती है और दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम में या तो दो सदस्य या लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र सदस्य मौजूद होने चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैंरू

1. इसके विचारार्थ विषयों में किसी भी गतिविधि की जांच करना।
2. किसी भी कर्मचारी से उसकी जानकारी प्राप्त करना।
3. बाहरी कानूनों या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
4. यदि आवश्यक हो तो आवश्यक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. पर्दाफाश करने वाले (व्हीसल ब्लोअर) की रक्षा करना ।
6. बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य मामलों पर विचार करना।

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैंरू

1. हमारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. कंपनी अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण के संबंध में बोर्ड को अनुशंसा करना और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के संबंध में भुगतान के लिए अनुमोदन।
3. समीक्षा, प्रबंधन के साथ, एकल और समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों और बोर्ड को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले इनके विशेष संदर्भ के साथरू
   क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले।
   ख. लेखांकन नीतियों और और उसके कारण प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो।
   ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय कार्य के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ।
   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ड.. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
   च. किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण।
   छ. लेखापरीक्षा रिपोर्ट मसौदा में योग्यताध्संशोधित राय।
4. प्रबंधन के साथ समीक्षा करनाध् जांच करना, तिमाही समेकित वित्तीय विवरण और सभी संस्थाओंध्कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों को समेकित करना, जिनके अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले खातों को समेकित किया जाना है।
5. प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, एक निर्गत के माध्यम से उगाही गयी निधियों के उपयोगध् अनुप्रयोग का विवरण (सार्वजनिक निर्गत, अधिकार निर्गत, अधिमान्य निर्गत आदि), प्रस्ताव दस्तावेजध् प्रॉस्पेक्टस में बताए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त उपयोग किए गए निधि का विवरण, सार्वजनिक या निर्गत और संबंधित मामलों की आय के अंतिम उपयोगध् उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, इस मामले में बोर्ड को उचित कदम उठाने के लिए अनुशंसा करना।
6. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना।
8. आंतरिक लेखा परीक्षकों और ध् या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों ध् लेखा परीक्षकों ध् एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता है या किसी भी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना।

10. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना, लेखा परीक्षा के स्वरूप और कार्य–क्षेत्र के साथ दृ साथ लेखा–परीक्षा के बाद के सरोकार के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के की लिए चर्चा करना।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

12. कंपनी के सतर्कता तंत्रध्व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यों की समीक्षाधनिरीक्षण करना।

13. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

14. संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) समिति की अनुशंसा पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और बोर्ड के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन।

17. कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा करना। (इस प्रयोजन के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा)

    ष्संबंधित पार्टी लेनदेनष् शब्द का वही अर्थ होगा जो सेबी (एलओडीआर) के विनियम 2(1)(जेडसी) में दिया गया है।

18. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की समीक्षा करना।

19. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करनारू

    क. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तताय तथा

    ख. प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ संबंधित प्रतिक्रियाओं और स्वतंत्र लेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षक अनुशंसा।

20. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करनारू

    क. पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षय तथा

    ख. गतिविधियों के कार्य–क्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई।

21. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन की समीक्षा, और निगरानी और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता।

22. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

23. जब भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।

24. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

25. सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा कराते हुए, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

26. सहायक कंपनी कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों औरध्या अग्रिम राशियों के उपयोग की समीक्षा करते हुए सहायक कंपनी के 100 करोड़ या परिसंपत्ति के आकार का 10प्रतिशत से अधिक जो भी वर्तमान ऋणध्अग्रिम धनिवेशों सहित कम है।

27. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को समय–समय पर संशोधित किया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगीरू

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण एवं वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणाम।

2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण।

3. प्रबंधन पत्रध् सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

4. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

5. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारीध्मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणनध्घोषणा।

7. विचलन का कथनरू

    (क) विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि लागू हो, सहित विचलन का तिमाही विवरण।

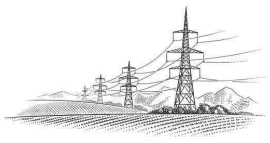

(ख) विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेजध्प्रोस्पेक्टसध्नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।ष

उपस्थितिरू

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, क्रमशः 4 जून, 2020, 20 जून, 2020, 10 अगस्त, 2020, 27 अगस्त, 2020, 11 सितंबर, 2020, 11 नवंबर, 2020, 12 दिसंबर, 2020, 19 जनवरी, 2021, 11 फरवरी, 2021 और 26 मार्च, 2021, को लेखा परीक्षा समिति की दस बैठकें आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थितिरू

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग ली गयी बैठकों की संख्या	लेखा परीक्षा समिति की बैठक की उपस्थिति का प्रतिशत
श्री एम.एन. वेंकटेशन	10	10	100 प्रतिशत
श्री सुनील कुमार शर्मा	10	10	100 प्रतिशत
श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी			
(12.09.2020 से)	05	05	100 प्रतिशत
श्री मनोज कुमार मित्तल			
(11.09.2020 तक)	05	05	100 प्रतिशत

लेखापरीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समितिरू

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 के प्रावधानों के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

31 मार्च 2021 को, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेरू

श्री सुनील कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्रीमती ए आर महालक्ष्मी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमा के भीतर कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनसध्परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति तय करती है।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। कोविड–19 के प्रभाव के चलते, बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कार्य निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) के अनंतिम भुगतान को जारी करने के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रचलन के माध्यम से कार्यसूची पर विचार किया गया और बोर्ड के अनुमोदन के लिए अनुशंसा की गई।

निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकनरू

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के तहत निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना दिनांकित 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए की गयी है। इसके अतिरिक्त, एमसीए ने दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना में अधिनियम की अनुसूची प्ट में संशोधन किया है जिसके तहत उसने सरकारी कंपनियों को यदि संबंधित विभागों या मंत्रालयों ने इन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है, तो बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन और गैर–स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के स्वतंत्र निदेशक द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट दी है। इस संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र भी निर्धारित किया है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया है। कंपनी हर वर्ष विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करती है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर–वित्तीय मानकों पर किया जाता है। कंपनी और निदेशक मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन डीपीई द्वारा एमओपी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकेंरू

सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के विनियम 25 के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग

बैठक अन्य बातों के साथ–साथ वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करने की आवश्यता होती हैरू

(प) समग्र रूप से गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा करनाय

(पप) कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा करनाय तथा

(पपप) कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करना जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से करने के लिए आवश्यक है।

3 सितंबर, 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक हुई। बैठक में सभी चार स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित गैर–स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन और कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया, जो बोर्ड को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से और उचित रूप से पालन करने के लिए आवश्यक है।

3.3 हितधारक संबंधी समितिरू

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) और सेबी एलओडीआर के विनियमन 20 के प्रावधानों के अनुरूप हितधारक संबंधी समिति का गठन किया है।

समिति का कार्यक्षेत्र

समिति का कार्यक्षेत्र विशेष रूप से शेयरधारकों, डिबेंचर–धारकों और कंपनी के अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार करना और उनका समाधान करना है, जिसमें कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र की गैर–प्राप्ति, घोषित लाभांश की प्राप्ति से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हितधारक संबंधी समिति की संरचना

31 मार्च 2021 को, हितधारक संबंधी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेरू

श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री वी. के. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्री एम. ताज मुकर्रम	निदेशक (वित्त)	सदस्य

कंपनी सचिव समिति का सचिव होता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान यथा 28 अप्रैल, 2020 और 26 मार्च, 2021 को हितधारक संबंधी समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान हितधारक संबंधी समिति की बैठक में उपस्थितिरू

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठक		हितधारक संबंधी समिति की बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
	आयोजित	उपस्थिति	
श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी	2	2	100 प्रतिशत
श्री वी. के. सिंह	2	2	100 प्रतिशत
श्री एम. ताज मुकर्रम (04.07.2020 से)	1	1	100 प्रतिशत
श्रीमती सीमा गुप्ता (04.07.2020 तक)	1	1	100 प्रतिशत

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

श्री मृणाल श्रीवास्तव, कंपनी सचिव सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

निवेशकों की शिकायतें

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों पर तेजी से ध्यान दिया है। वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैरू

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक जमा	प्राप्ति	उपस्थिति	लंबित
1	रिफंड आदेश प्राप्त न होना	0	0	0	0

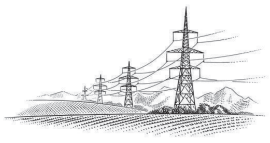

2	लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	2993	2993	0
3	शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	0	15	15	0
4	सेबी	0	9	9	0
5	शेयर बाजार	0	3	3	0
6	अधिवक्ता नोटिस	0	0	0	0
7	उपभोक्ता फोरमध्न्यायालय के मामले	0	0	0	0
	कुल	0	3,020	3,020	0

शेयर एस्क्रो खाते में धारित शेयर

सेबी एलओडीआर की अनुसूची ट (च) के अनुसरण में, शेयर एस्क्रो खाते में धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार हैरू

शेयर एस्क्रो खाते में शेयर						
आयोजन	आईपीओ		एफपीओ ख्2010,		एफपीओ ख्2013,	
	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
यथा 01.04.2020 को	4	970	0	0	0	0
वर्ष 2020–21 के दौरान स्थानान्तरण	0	0	0	0	0	0
यथा 31.03.2021 को	4	970	0	0	0	0

एस्क्रो खाते में शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक जमे रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों के सही मालिक शेयरों का दावा नहीं करते। ये शेयर एक पूल खाते में डीमैट रूप में रजिस्ट्रार यथा मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास धारित हैं और उन पर अर्जित लाभों का उचित हिसाब लगाया जा रहा है।

केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली– स्कोर

सेबी यथा स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) का केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली जून 2011 से लागू है। स्कोर्स के माध्यम से, शेयरधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत निवारण के लिए दर्ज कर सकते हैं। जब शिकायत दर्ज की जाती है, तो भविष्य के संदर्भ और ट्रैकिंग के लिए एक अद्वितीय शिकायत पंजीकरण संख्या आबंटित की जाती है। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है और शेयरधारक अपनी शिकायत के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। आपकी कंपनी शिकायतों के निवारण के लिए कार्रवाई करती है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करती है। सेबी शिकायतों का निपटान करता है, यदि वह संतुष्ट है कि शिकायतों का पर्याप्त रूप से निवारण किया गया है। एक शेयरधारक, जो स्कोर्स तक नहीं पहुंच रहा है, अपनी शिकायत भौतिक रूप में भी दर्ज करा सकता है।

3.4 सीएसआर समितिः

पावरग्रिड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उपक्रमों के दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए स्थायित्व हेतु सीएसआर समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2021 तक, सीएसआर समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेः

श्री के. श्रीकांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री वी. के. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर समिति की पांच बैठकें हुई।

3.5 जोखिम प्रबंधन समितिः

पावरग्रिड ने सेबी एलओडीआर की आवश्यकता के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, समिति में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंरू

श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजना)	अध्यक्ष
श्रीमती सीमा गुप्ता	निदेशक (परिचालन)	सदस्य
श्री एम. ताज मुकर्रुम	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री एम.एन. वेंकटेशन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

पावरग्रिड में श्एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्कश (ईआरएम फ्रेमवर्क) लागू किया गया है। इसका विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

अनिवार्य समितियों के गठन के अतिरिक्त, बोर्ड ने विभिन्न समितियों यथा (प) परियोजनाओं पर निवेश पर समिति (पप) संविदा प्रदान करने पर समिति (पपप) शेयरों के हस्तांतरणधविभाजनध्पुनरू भौतिकीकरण आदि के लिए समिति (पअ) बॉण्ड के लिए समिति (अ) इनविट के माध्यम से संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए समिति (अप) कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए नए व्यवसायों के निदेशकों की समिति का गठन किया है।

4. निदेशकों का पारिश्रमिकः

पावरग्रिड, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तों के अनुसार था। स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बोर्डध्समिति बैठक में केवल बैठक शुल्क {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनियों के नियम 4 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के तहत सरकारी अनुमोदन के बिना बैठक शुल्क के भुगतान के लिए निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा निर्धारित दर} और बोर्ड की बैठक के साथ–साथ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार का भुगतान किया जाता है

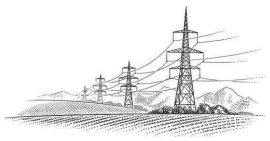

वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक	पद	वेतन (₹ में)	लाभ (₹ में)	बोनस/ कमीशन (₹ में)	निष्पादन से जुड़ा इन्सेंटिव (₹ में)	कुल (₹ में)
1.	श्री के. श्रीकांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	43,64,010	11,49,275	–	10,26,371	65,39,656
2.	श्रीमती सीमा गुप्ता	निदेशक (परिचालन)	50,92,965	14,38,293	–	16,27,291	81,58,549
3.	श्री वी. के. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	47,27,276	19,47,073	–	18,24,501	84,98,850
4.	श्री एम. ताज मुकर्रम (04.07.2020 से प्रभावी)	निदेशक (वित्त)	31,85,694	15,94,651	–	16,02,779	63,83,124
5.	श्री अभय चौधरी (01.11.2020 से प्रभावी)	निदेशक (परियोजना)	24,75,301	4,45,357	–	16,45,572	45,66,230
6.	श्री आर के चौहान (31.10.2020 तक)	निदेशक (परियोजना)	51,08,642	11,36,360	–	19,89,960	82,34,962

पावरग्रिड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से बोर्डध्समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है/

स्वतंत्र निदेशक	बैठक का शुल्क		कुल (₹)
	बोर्ड बैठक (₹)	निदेशक मण्डल की बैठक की समिति (₹)	
श्री सुनील कुमार शर्मा	4,00,000/–	5,70,000/–	9,70,000/–
श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी	4,00,000/–	6,00,000/–	10,00,000/–
श्री एम.एन. वेंकटेशन	4,00,000/–	5,40,000/–	9,40,000/–
श्री मनोज कुमार मित्तल (11.09.2020 तक)	1,20,000/–	1,80,000/–	3,00,000/–

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, निदेशकों की शेयरधारिता निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	धारित इक्विटि शेयरों की संख्या
1	श्री के. श्रीकांत	1,029
2	श्रीमती सीमा गुप्ता	8807
3	श्री वी. के. सिंह	19
4	श्री एम. ताज मुकर्रम	शून्य
5	श्री अभय चौधरी	802
6	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	शून्य
7	श्री दिलीप निगम	शून्य
8	श्री सुनील कुमार शर्मा	शून्य
9	श्रीमती ए. आर. महालक्ष्मी	शून्य
10	श्री एम.एन. वेंकटेशन	शून्य

5. **सहायक कंपनियों की निगरानीः**

कंपनी के पास सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित सेबी एलओडीआर या सहायक कंपनियों के संदर्भ में सहायक कंपनी असूचीबद्ध कोई सामग्री नहीं है। हालांकि, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त को समय–समय पर सहायक कंपनियों की स्थिति के साथ कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर के विनियम 16 (ग) और 43 के अनुसार, पावरग्रिड ने श्सामग्रीश सहायक कंपनियों को निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार की है और कंपनी की वेबसाइट पर नीति को प्रकट किया गया है और इस हेतु एक वेब लिंक भी दिया गया हैः https://www.powergrid.in/code&conductpolicies

6. **सामान्य निकाय बैठकेंः**

दिनांक, समय और स्थान जहां पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गई थीं, निम्नानुसार हैंः

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2017–18	18 सितंबर, 2018	प्रातः 11.00 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	1
2018–19	27 अगस्त, 2019	प्रातः 11.00 बजे	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली	2
2019–20	22 सितंबर, 2020	प्रातः 11.00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ध अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से	1

7. **क्रेडिट रेटिंगरू**

पावरग्रिड ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निम्नलिखित रेटिंग प्राप्त की हैरू

घरेलू रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंगः

क्रम सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	दीर्घकालिक ऋण लिखत / बैंक उधार के लिए रेटिंग	अल्पकालिक बैंक उधार के लिए रेटिंग	वाणिज्यिक पत्र के लिए रेटिंग
1	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्थिर)	(आईसीआरए) A1+	(आईसीआरए) A1+
2	क्रिसिल	क्रिसिल एएए / स्थिर	क्रिसिल A+	क्रिसिल A+
3	केयर	केयर एएएय स्थिर	केयर A+	केयर A1+

विदेशी रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंगरू

क्रम सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	सौंपी गई रेटिंग
1	मूडीज इन्वेस्टर सर्विस	बीएए2 आउटलुकरू स्थिर
2	एस एंड पी	बीबीबी (–) आउटलुकरू स्थिर
3	फिच	बीबीबी (–) आउटलुकरू स्थिर

8. **प्रकटीकरणः**

(I) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन में शामिल हैं (i) संयुक्त उद्यम समझौते के तहत कंपनियों को भुगतान और कार्यों/सेवाओं के लिए अनुबंधों के आधार पर, (ii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक और (iii) सहायक कंपनियों को इक्विटी योगदान, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के संभावित विवादों की प्रकृति में नहीं है। संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों – इंडएएस–24 के अनुसार खातों में टिप्पणियों में शामिल है।

(II) पावरग्रिड के पास कोई भी सामग्री असूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी नहीं है।

(III) पावरग्रिड ने सीईओ/सीएफओ प्रमाणन के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा और आंतरिक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। मुख्य महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना) को कंपनी का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(IV) संबंधित पक्षों के साथ कोई सामग्री वैयक्तिक लेन–देन नहीं है जो व्यवसाय के सामान्य दौर में नहीं हैं।

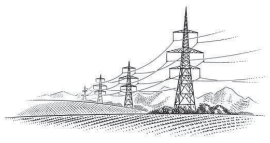

(V) संबंधित पक्षों या अन्य लोगों के साथ कोई महत्वपूर्ण वैयक्तिक लेन–देन नहीं है, जो समुचित दूरी आधार पर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विनियम 23 सेबी एलओडीआर के अनुसार, पावरग्रिड ने संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार की है और पावरग्रिड की वेबसाइट पर इसका प्रकटन किया है और एक वेब लिंक प्रदान किया हैरू ीजजचेरूध्ध्ूचवूमतहतपक.पदध्बवकम–बवदकनबजचवसपबपमे

(VI) कंपनी ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर सेबी एलओडीआर की आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन न करने के कारण निदेशक मंडल की संरचना के सबंध में कंपनी अनुपालन नहीं कर रही है।

एनएसई ने 30 जून 2020, 30 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1) के अनुसार बोर्ड की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बीएसई ने 30 सितंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में सेबी एलओडीआर के विनियम 17(1) के अनुसार बोर्ड की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पावरग्रिड ने एनएसई और बीएसई से जुर्माने की माफी के लिए अनुरोध किया कि पावरग्रिड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी है और इसके कार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकोंध्गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है। बीएसई ने 19 अप्रैल, 2021 के ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनी के प्रतिनिधित्व के आधार पर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम सं. 17 का अनुपालन न करने के लिए 30 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए ष्मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत लगाए गए जुर्माने की माफी के लिए प्रतिनिधित्व की समीक्षा के लिए समितिष् ने लगाए गए जुर्माने को माफ करने का फैसला किया है।

(VII) कंपनी का एक अलग सतर्कता विभाग है जो धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित कार्य का निपटान करता है जिसमें कर्मचारियों / आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता, या पावरग्रिड के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य पक्ष के प्रतिनिधि शामिल है। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसे पावरग्रिड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति का वेब लिंक इस प्रकार हैरू ीजजचेरूध्ध्ूचवूमतहतपक.पदध् बवकम–बवदकनबजचवसपबपमे

(VIII) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(IX) अपनाने (और अनुपालन) ध् गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को न अपनाने की जानकारी अनुलग्नक–क में है।

(X) सेबी एलओडीआर के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (ख) से (झ) में निर्दिष्ट निगमित अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

(XI) विनियम 34 (3) और सेबी एलओडीआर के अनुसूची ट अनुच्छेद ग खंड (10) (झ) के अनुसार, कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक पद से वंचित या अयोग्य नहीं है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्डध्कॉर्पोरेट मामलों या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखा जा रहा है।

(XII) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पावरग्रिड द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण उप–शीर्षक ष्सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतानष् के तहत ष्टिप्पणी 40–अन्य व्ययष् में दिखाया गया है।

सीईओध्सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के द्वारा यथा आवश्यक, के. श्रीकांत, सीएमडी और श्री एम. ताज मुकर्रम, निदेशक (वित्त और सीएफओ) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उक्त विनियम की अनुसूची प् के भाग ख में निर्दिष्ट अनुपालन प्रमाण पत्र को 17 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

9. संचार के माध्यमः

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से संचार करती है।

कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में आयोजित विश्लेषकों और निवेशकों की बैठकों के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ भी संचार करती है जहां कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी निवेश समुदाय के साथ बातचीत करते हैं।

कंपनी द्वारा दी गई सूचना और नवीनतम अपडेट और घोषणाओं को कंपनी की वेबसाइट www.powergrid.in पर देखा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

- तिमाही / छमाही / वार्षिक वित्तीय परिणाम
- तिमाही शेयरधारिता पद्धति
- त्रैमासिक निगमित अभिशासन रिपोर्ट
- स्टॉक एक्सचेंज को समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण

तिमाही परिणाम

समाचार पत्रों और पत्रिका में वित्तीय परिणामों का प्रकाशन			
क्रम सं.	**समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का प्रकाशन**	**प्रकाशन की तिथि**	**समाचार पत्र एवं पत्रिका**
1	30.06.2020	11.08.2020	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता।
		12.08.2020	हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, मिड डे, फ्री प्रेस जर्नल, नवशक्ति और अमर उजाला।
		अगस्त, 2020 को जारी	पत्रिका – इंफ्रा लॉग, निवेश मंथन, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल, आउटलुक बिजनेस।
2	30.09.2020	12.11.2020	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द मॉर्निंग स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदुस्तान।
		13.11.2020	हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टेट्समैन, आज और दिव्या भास्कर।
		दिसंबर, 2020 को जारी	पत्रिका – वेल्थ इनसाइट एंड इकोनॉमी इंडिया।
3	31.12.2020	12.02.2021	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, बिजनेस लाइन, फ्री प्रेस जर्नल, दैनिक जागरण और खबरे आज तक।
		13.02.2021	पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिड डे, नवशक्ति, दिव्य भास्कर और मिलेनियम पोस्ट।
		मार्च, 2021 को जारी	पत्रिका – इंफ्रा लॉग, हिंदुस्तान ओपिनियन, निवेश मंथन, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल, आउटलुक मनी, ओपन मैगजीन एंड वेल्थ इनसाइट।
4	31.03.2021	18.06.2021	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस लाइन, फ्री प्रेस जर्नल, अमर उजाला और खबरे आज तक।
		19.06.2021	हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, पायनियर, मिड डे, मिलेनियम पोस्ट और नवशक्ति।
		5 से 18 जुलाई, 2021	दलाल स्ट्रीट जर्नल
		जून, 2021 को जारी	इन्फ्रा लॉग

ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट ूचवूमतहतपक.पद पर भी प्रदर्शित किए गए हैं।

आधिकारिक निर्मुक्ति और प्रस्तुतियाँ

कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10. आचार संहितारू

निदेशक मंडल ने दो अलग–अलग आचार संहिताएं निर्धारित की हैं – एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरी कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। 'कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर बोर्ड मेंबर्स्श और 'कोड ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स फॉर सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल' कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

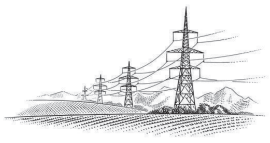

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) के तहत आवश्यक घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–

स्थानः नई दिल्ली **(के. श्रीकांत)**

दिनांकः 25 अगस्त, 2021 **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

11. आंतरित व्यापार संहितारू

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरित व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और समय–समय पर संशोधित के अनुसरण में, पावरग्रिड बोर्ड ने निर्धारित किया है, "पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदरूनी सूत्रों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी और आचरण के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु प्रथाओं और प्रक्रियाओं की संहिता का उद्देश्य है कि श्नामित व्यक्तिश किसी भी लाभ को प्राप्त नहीं करेगा या दूसरों को कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उपयोग और लेने के किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए सहायता नहीं करेगा, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन करते है। कंपनी सचिव को इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

12. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रमरू

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की गतिविधियों और कामकाज और कंपनी में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, जिम्मेदारियों, उस उद्योग की प्रकृति, जिसमें कंपनी संचालित करती है, कंपनी के बिजनेस मॉडल आदि विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से परिचित कराती है। ऐसे परिचित कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया है और इसके लिए एक वेब लिंक भी नीचे दिया गया हैरू

https://www-powergrid-in/familiarisation&programme&independent&directors

13. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (प्रतितेष, प्रतितोष और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरणरू

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दर्ज शिकायतों की सं.	1
2.	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1
3.	वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या सं.	0

14. एक चार्ट या मैट्रिक्स बोर्ड द्वारा पहचाने गए कौशल ६ विशेषज्ञता ६ दक्षताओं और एक दक्ष कार्य के लिए अपने व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में आवश्यक कौशल ६ विशेषज्ञता ६ दक्षता रखने वाले निदेशकों के नाम की पहचान की जाती हैरू

पावरग्रिड के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते और भारत सरकार के साथ कार्यात्मकध्आधिकारिक अंशकालिक निदेशकोंध्गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार, एक प्रत्याशी के कौशलधविशेषज्ञताध्क्षमताएं सरकार के दायरे में हैं।

15. सामान्य शेयरधारकों की जानकारीरू

प) वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 24 सितंबर, 2021

समय : पूर्वाह्न 11रू00 बजे

स्थल : कोविड –19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (ष्एमसीएष्) ने दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से ष्एमसीए परिपत्रष् के रूप में संदर्भित) के परिपत्र में पठित दिनांक 13 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्र और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र में पठित दिनांक 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र द्वारा आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (ष्एजीएमष्) आयोजित करने की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम, 2013 (ष्अधिनियमष्), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (ष्सेबी सूचीकरण विनियमष्) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी ६ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

पप) वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

पपप) बही बंदी

सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी का शेयर अंतरण बही 10 सितंबर, 2021 से 24 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

पअ) लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 30प्रतिशत प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा करने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त, 5 प्रति शेयर (50प्रतिशत) और 4 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश शेयर (40प्रतिशत) का भुगतान क्रमशः 8 जनवरी, 2021 और 30 मार्च, 2021 को किया गया। खपिछले वर्ष में भुगतान किया गया लाभांश 10 प्रति शेयर (100 प्रतिशत), था।

लाभांश के भुगतान की तिथि 8 अक्टूबर, 2021 है।

अ) लाभांश इतिहास

वर्ष वर्ष की 31 मार्च की

कुल चुकता पूंजी

(करोड़ में) वित्तीय वर्ष के लिए

लाभांश भुगतान

की कुल राशि

(करोड़ में) लाभांश घोषित किए गए एजीएम की तिथि

अंतिम लाभांश

के भुगतान की तिथि

2010–11	4,629.73	810.23	19.09.2011	07.10.2011
2011–12	4,629.73	976.87	19.09.2012	08.10.2012
2012–13	4,629.73	1,273.17	19.09.2013	10.10.2013
2013–14	5,231.59	1,349.75	18.09.2014	09.10.2014
2014–15	5,231.59	1,046.32	15.09.2015	06.10.2015
2015–16	5,231.59	1,208.50	16.09.2016	06.10.2016
2016–17	5,231.59	2,275.75	19.09.2017	04.10.2017
2017–18	5,231.59	2,746.58	18.09.2018	26.09.2018
2018–19	5,231.59	4,357.91	27.08.2019	04.09.2019
2019–20	5,231.59	5,231.59	22.09.2020	09.10.2020
2020–21	5,231.59	2,615.80'	12.12.2020	08.01ध2021
2020–21	5,231.59	2,092.64'	01.03.2020	30.03.2021

'अंतरिम लाभांश की राशि

'' अंतरिम लाभांश की घोषणा करने वाली बोर्ड बैठक की तिथि

''' अंतरिम लाभांश के भुगतान की तिथि

अप) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

पावरग्रिड इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैंरू

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सीध1,

जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 बीएसई लिमिटेड

फिरोज जीजीभॉय टावर्स,

दलाल स्ट्रीट,

मुंबई – 400 001

स्क्रिप कोड रू पावरग्रिड ईक्यू स्क्रिप कोडरू 532898

स्टॉक कोडरू आईएसआईएन – प्छम्752म्01010

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को कर दिया गया है।

vii) पावरग्रिड के शेयर बाजार मूल्य डेटा – एनएसई

उच्च (₹) अल्प (₹) माह के दौरान टर्नओवर का योग (₹ लाख में)

अप्रैल, 2020	173.25	151.75	3,42,429.94
मई, 2020	171.9	153.3	3,84,523.75
जून, 2020	189	157.7	4,72,512.98
जुलाई, 2020	184.5	159.5	4,01,886.09
अगस्त, 2020	190.65	173.2	3,65,911.92
सितंबर, 2020	183.1	158.5	3,33,946.97
अक्टूबर, 2020	175.35	154.6	3,78,276.62
नवंबर, 2020	199.15	171.95	4,41,001.68
दिसंबर, 2020	197.25	184.45	4,28,721.06
जनवरी, 2021	207.5	183	4,34,236.95
फरवरी, 2021	238.3	182.5	7,53,623.92
मार्च, 2021	234.4	212.15	6,50,816.12

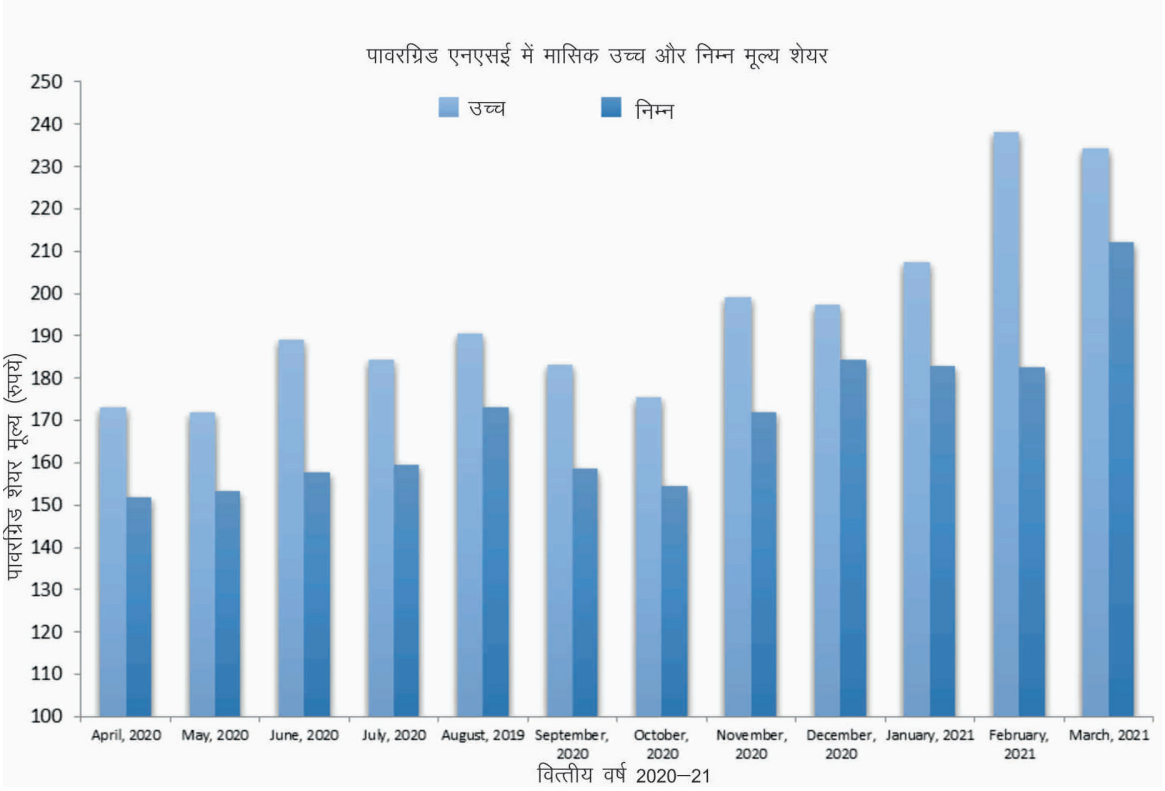

(viii) पावरग्रिड के शेयर बाजार मूल्य डेटा – बीएसई

उच्च (₹)	अल्प (₹)	माह के दौरान टर्नओवर का योग (₹ लाख में)	
अप्रैल, 2020	173.15	152.00	10,631.77
मई, 2020	174.00	153.30	15,975.39
जून, 2020	188.80	158.30	24,601.80
जुलाई, 2020	184.40	159.55	19,424.98
अगस्त, 2020	190.65	174.15	13,961.14
सितंबर, 2020	183.00	158.00	7,446.65
अक्टूबर, 2020	175.25	154.65	16,777.93
नवंबर, 2020	198.95	172.15	45,977.58
दिसंबर, 2020	197.10	184.05	19,581.91
जनवरी, 2021	207.40	183.30	28,057.51
फरवरी, 2021	239.00	182.50	40,028.88
मार्च, 2021	234.30	212.10	21,552.07

(ix) एनएसई निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स और पावरग्रिड सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन

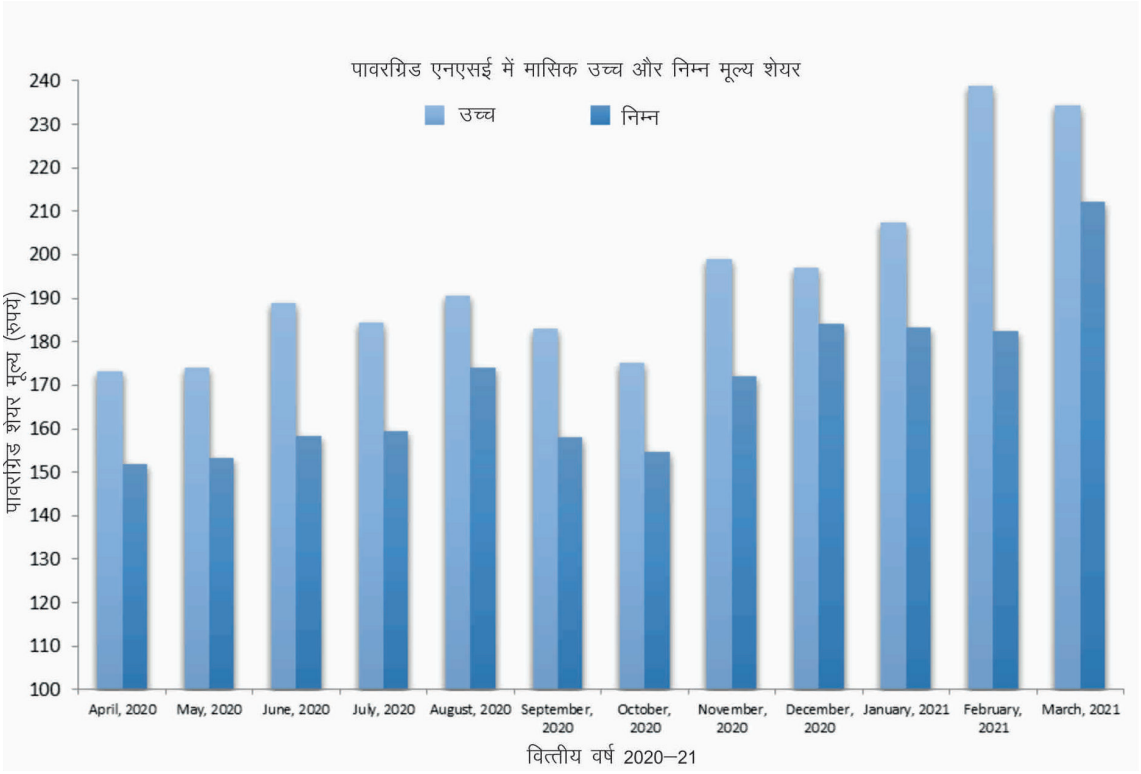

•) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

सामान्य शेयर बॉण्ड

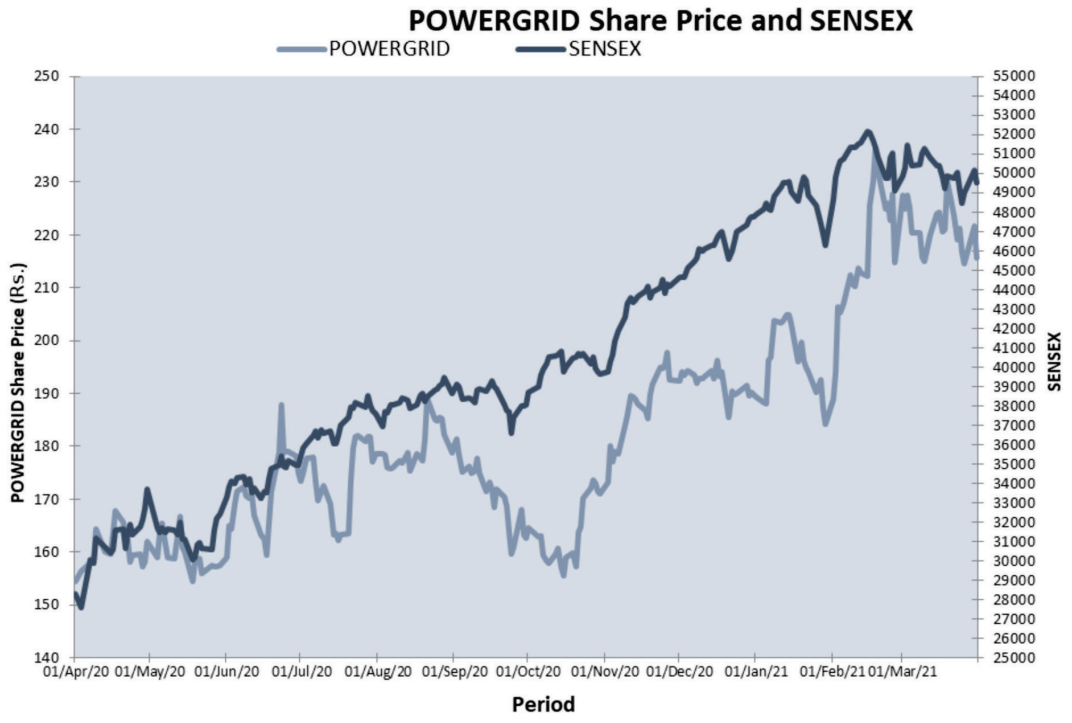

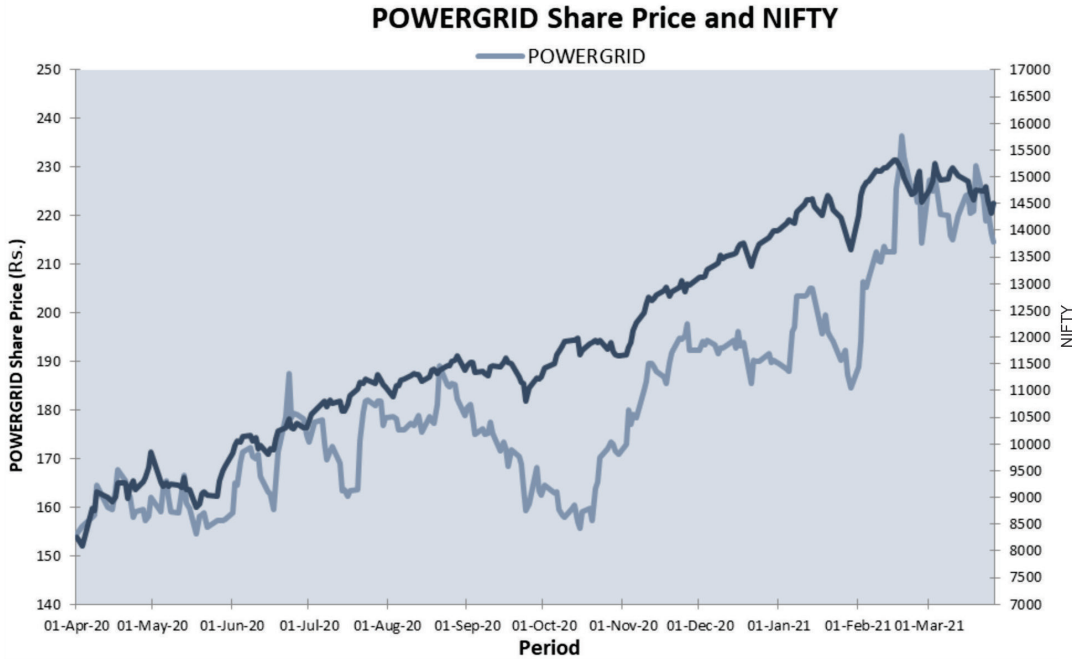

केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, गचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032. टेलीरू 91–40–67162222, फैक्सरू 91–40–23420814,

टोल फ्री नंबर 1800–345–4001।

ई–मेलरू मपदूंतक.तपे/ंतअल.बवउ बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062

दूरभाषरू 011–29961281–283, 26051061, 26051064

टेलीफैक्स.रू 011–29961284

ई–मेलरू इममजंसतजं/हउंपस.बवउ,

इममजंस/इममजंसपिदंदबपंस.बवउ

•प) शेयर स्थानांतरण प्रणाली

यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के संचरण या परिवहन के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर

1 अप्रैल, 2019 से डीमैट रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।

सेबी एलओडीआर के अनुसरण में, कंपनी द्वारा एक कार्यरत कंपनी सचिव से शेयर हस्तांतरित करने संबंधी औपचारिकताओं की पुष्टि करने वाले छमाही आधार पर प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

•पप) 31 मार्च, 2021 तक शेयरधारिता

शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा धारित शेयर और 31 मार्च, 2021 तक धारित आकार के अनुसार नीचे दिए गए हैंरू

आकार के अनुसार

क. आकार के अनुसार शेयरधारिता का वितरण, 31 मार्च, 2021 तक धारिता का प्रतिशतरू

श्रेणी	कुल मामले	कुल मामले का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल राशि (□)	कुल राशि का प्रतिशत
1 दृ 5000	5,38,906	91.10	7,11,56,094	71,15,60,940	1.36
5001 दृ 10000	33,047	5.59	2,29,25,148	22,92,51,480	0.44
10001 दृ 20000	14,179	2.40	1,86,68,617	18,66,86,170	0.36
20001 दृ 30000	2,019	0.34	49,86,927	4,98,69,270	0.10
30001 दृ 40000	786	0.13	27,89,782	2,78,97,820	0.05
40001 दृ 50000	535	0.09	24,84,828	2,48,48,280	0.05
50001 दृ 100000	742	0.12	52,96,762	5,29,67,620	0.10
100001 एवं उससे अधिक	1,371	0.23	5,10,32,81,490	51,03,28,14,900	97.54
कुल	5,91,585	100.00	5,23,15,89,648	52,31,58,96,480	100.00

ख. 31 मार्च, 2021 को शेयरधारिता का पैटर्न (पद्धति)

क्रम सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटि का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	2,68,58,72,408	51.34
2	एफआईआईध्एफसीबीध्एफपीआईध्एनआरआई	1,49,06,00,480	28.49
3	म्यूचुअल फंड्स	39,94,01,902	7.63
4	भारतीय जनता	12,72,78,314	2.43
5	कॉर्पोरेट निकाय	2,32,60,567	0.45
6	बीमा कंपनी	31,81,12,675	6.08
7	बैंक और आईएफआई	3,84,208	0.01
8	अन्य	18,66,78,420	3.57
9	एनआरआईध्ओसीबी	674	0.00
कुल	5,23,15,89,648	100.00	

Shareholding Pattern as on 31st March, 2021

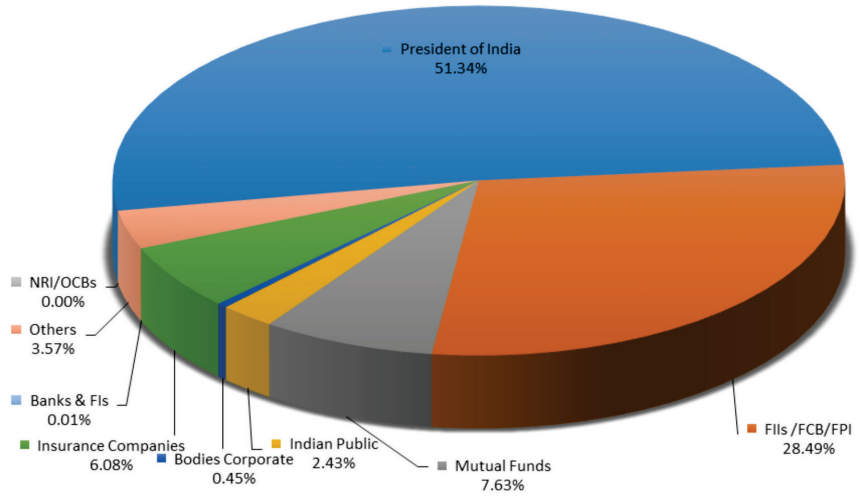

ग. प्रमुख शेयरधारक

31 मार्च, 2021 तक कंपनी की चुकता पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया हैरू

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयर	इक्विटी प्रतिशत	श्रेणी
1	भारत के राष्ट्रपति '	2584602608	49.40	पीओआई
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	310294907	5.93	आईएनएस
3	पूंजी आय विनिर्माता	165734802	3.17	एफपीसी
4	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	120662852	2.31	एमवीटी
5	भारत के राष्ट्रपति''	101269800	1.94	पीओआई
6	सिंगापुर सरकार	99572434	1.90	एफपीसी

' विद्युत मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व

'' डीओएनईआर मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व

•पपप) शेयरों का डीमटीरिलाईजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमटीरिलाईजेशन वर्गीकरण में हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

डीमटीरिलाईजेशन और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्यारू

क्रम सं.	भौतिकध्डीमैट	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का प्रतिशत
1	भौतिक	1,204	29,775	0.00
2	एनएसडीएल में डीमटीरियालाइज्ड रूप में धारित	3,59,889	5,05,46,16,154	96.62
3	सीडीएसएल में डीमटीरियालाइज्ड रूप में धारित	2,34,804	17,69,43,719	3.38
कुल	5,95,897	5,23,15,89,648	100.00	

डीमटीरियालाइज्ड और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्यारू

डिपॉजिटरी के नाम और पते इस प्रकार हैंरू

No. of shares held in dematerialized and physical mode

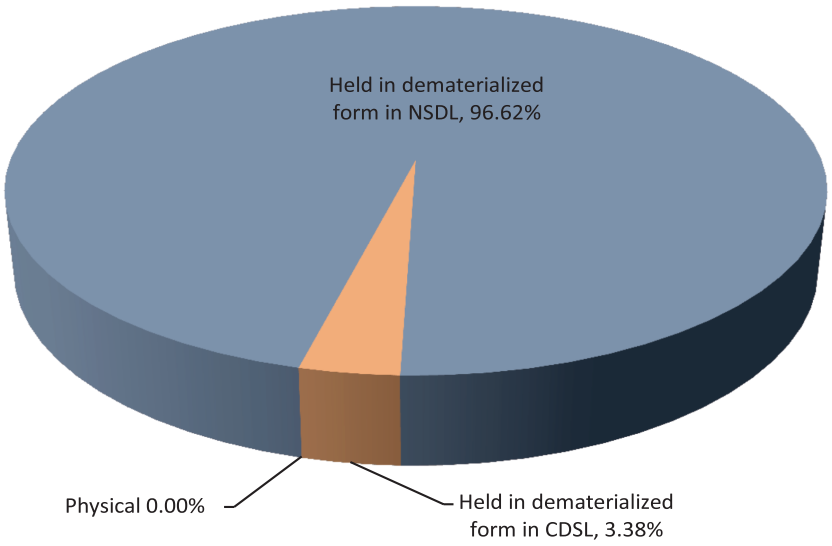

1. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड,

ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड,

सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013

2. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड,

फिरोज जीजीभॉय टावर्स, 17वीं मंजिल,

दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 023

•पअ) बकाया जीडीआरध्एडीआरध्वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआरध्एडीआरध्वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

•अ) पावरग्रिड संयंत्रों का स्थान

पावरग्रिड का कोई संयंत्र नहीं है क्योंकि यह विद्युत ट्रांसमिशन का व्यवसाय करता है।

•अप) पत्राचार हेतु पतारू

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016

टेलीफोन नंबर फैक्स सं.

पंजीकृत कार्यालय 011–26560121, 26564812, 26564892 011–26601081

ईमेल आईडी पदअमेजवते/चवूमतहतपक.बव.पद

इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का प्रेषणरू

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 और 136 और सेबी एलओडीआर के विनियम 36 तथा दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 15 जनवरी, 2021 के सेबी के परिपत्र साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र में कंपनी के शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को हटा दिया गया है और केवल अपने शेयरधारकों को ई–मेल के माध्यम से जिन्होंने अपनी डीपीध्कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत किया है उन्हें एजीएम, बोर्ड रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज आदि सहित वार्षिक रिपोर्ट भेजने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

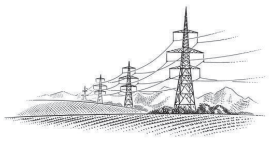

अनुलग्नक– I

गैर–अनिवार्य आवश्यकताएँ

1. बोर्डः कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, जो कुल मिलाकर, पावरग्रिड के बोर्ड में नौ वर्षों की अवधि से अधिक का निदेशक रहा हो।
2. शेयरधारक अधिकारः 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स में 12 नवंबर, 2020 को प्रकाशित किए गए और वेबसाइट पर भी डाले गए। हालांकि, अलग–अलग छमाही रिपोर्ट शेयरधारकों के प्रत्येक समूह को नहीं भेजी गई है। कंपनी की वेबसाइट www.powergrid.in पर महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रकटन किया गया हैरू
3. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित रायः सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय जारी की है।
4. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंगः आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

निगमित अभिशासन पर प्रमाण पत्रः

निगमित अभिशासन पर प्रमाण पत्र को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

श्रीकांत

(के. श्रीकांत)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06615674

दिनांकः 26 अगस्त, 2021
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का संविदा टप्प

कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
121, विनायक अपार्टमेंट
कंपनी सचिव
लॉट नंबररू सी–58ध्19, सेक्टर–62
नोएडा–201309 (यूपी)
मोबाइलः 9868282032, 9810184269
ईमेलः ानउंतदंतमौपदीं/हउंपस.बवउ

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ष्कंपनीष्) द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जजैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") और मई, 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में विनिर्धारित है।
2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में निगमित अभिशासन पर सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है।
3. हमारी जिम्मेदारी निगमित अभिशासन पर सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
4. संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित के अधीन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश तथा सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) और अनुसूची ट के अनुच्छेद ग एवं घ में विनिर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया हैरू

कंपनी के पास नहीं थारू

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.1.4 के तहत अपने बोर्ड में यथा आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या।

5. हम आगे बताना चाहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता हेतु एक आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का परिचालन किया है।
6. कोविड –19 के प्रभाव को को देखते हुए, हम 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भौतिक दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य कागजात आदि की जांच नहीं कर सके और हमारे द्वारा आवश्यक दस्तावेजध्सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई थी।

कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हध्–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा (मालिक)
एफसीएसरू 1807 सी पी नं.रू 14984, पीआररू 610ध्2019
यूडीआईएनः थ्001807ब000794797, स्थानः नोएडा
दिनांकः 17.08.2021

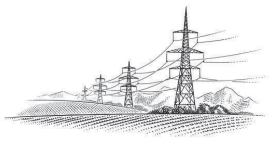

प्रपत्र सं. एओसी –2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (च) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) तथा उसके तृतीय परंतुक के तहत कुछ सामिप्य लेनदेन में संदर्भित पक्षकारों के साथ कंपनी के बीच हुई संविदाध्प्रबंधान के विवरण का प्रकटन करने हेतु प्रपत्र

1	ऐसी संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देन का ब्योरा जो सामिप्य के आधार पर नहीं है	
	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	–
	ख) संविदाओं ध्प्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	–
	ग) संविदाओं ध प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	–
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	–
	ड.) ऐसी संविदाओं या प्रबंधनों या लेनदेन में शामिल होने का औचित्य	–
	च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	–
	छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	–
	ज) तिथि जिस पर धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था	–
2	सामिप्य के आधार पर ऐसी सामग्री संविदाओं या प्रबंधनों या लेनदेन का विवरण	
(।)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
		2. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
		3. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
		4. पावरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड
		5. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
		6. पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
		7. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड
		8. पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
		9. पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड
		10. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
		11. पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
		12. पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड
		13. पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
		14. पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड
		15. पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
		16. पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
		17. पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
		18. पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
		19. पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड
		20. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
		21. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
	उपर्युक्त परियोजना एसपीवी पावरग्रिड की 100प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जिन्हें पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के तहत अधिग्रहित किया गया है।	

	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	भाग (क) पावरग्रिड ईसीबी सहित किसी भी प्रकार के ऋण (ऋणों) के संबंध में प्रतिभूतिध्गारंटी औरध्या लागत से लागत के आधार पर अंतर नियम ऋण या उनके समुच्य के लिए ₹ 22,880.32 करोड़ (बाईस हजार आठ सौ अस्सी और बत्तीस पैसे करोड़ रुपये मात्र) तक ऋण पूर्वोक्त परियोजना एसपीवी के लिए देगा।
		हालाँकि, वर्तमान में किए गए समझौते निम्नलिखित राशियों के अनुसार ₹ 20,933 करोड़ (बीस हजार नौ सौ तैंतीस करोड़ रुपये मात्र) तक सीमित हैंरू
		पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1150 करोड़
		पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1200 करोड़
		पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 90 करोड़
		पावरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 300 करोड़
		पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1400 करोड़
		पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹2020 करोड़
		पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 1780 करोड़
		पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड ₹2924 करोड़
		पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 2800 करोड़
		पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹1000 करोड़
		पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड ₹ 756 करोड़
		पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 378 करोड़
		पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली लिमिटेड ₹ 854 करोड़
		पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 506 करोड़
		पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹485 करोड़
		पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 885 करोड़
		पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 570 करोड़
		पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड अ 854 करोड़
		पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹ 691 करोड़
		पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड – ₹ 290 करोड़
	भाग (ख) उपरोक्त परियोजनाओं एसपीवी द्वारा आवश्यक सभी इनपुट और सेवाएं प्रदान करने के लिए पावरग्रिड	
	भाग (ग) परियोजना एसपीवी द्वारा आवश्यक ओ एंड एम परामर्श सहित पोस्ट–सीओडी गतिविधियों को प्रदान करने के लिए पावरग्रिड	
	ग) संविदाओं ध प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	भाग (क) परस्पर सहमति के अनुसार
	भाग (ख) परस्पर सहमति के अनुसार	
	भाग (ग) परस्पर सहमति के अनुसार	
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	(ख) देखें
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	29 मई, 2014, 4 मार्च 2015, 27 जनवरी, 2016, 5 अगस्त, 2016
29	मार्च, 2017, 2 नवंबर, 2017, 16 मार्च, 2018, 7 मार्च, 2019, 2 अगस्त, 2019, 1 अक्टूबर, 2019, 19 दिसंबर, 2019, 28 मार्च, 2020, 20 जून, 2020, 10 अगस्त, 2020, 12 सितंबर, 2020 और 11 फरवरी, 2021	
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	शून्य
(ख)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	बिहार–चरण– प्ट, (भाग– प्) में ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य सौंपे जाने के बाद तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श।

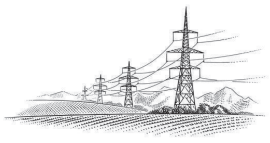

	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	24 महीने (करार के अनुसार कार्य के पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तारण योग्य)।
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बिहार–चरण– प्ट, (भाग– प्) में ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करने के तहत बीजीसीएल द्वारा दिए गए पैकेजों के लिए कार्य सौंपे जाने के बाद इंजीनियरिंग, डिजाइन, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधी सेवाएं प्रदान करना। 24 अप्रैल, 18 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की अनुमानित लागत 1370. 0 करोड़ (आईईडीसी और आईडीसी को छोड़कर) और परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत के 2 प्रतिशत की दर से पावरग्रिड को देय सेवा शुल्क है।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	16 मार्च, 18 (पावरग्रिड की 351वीं बोर्ड बैठक)
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए बीजीसीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(ग)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्प्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	बिहार–चरण– प्ट (भाग– प्) में ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य सौंपे जाने के बाद तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं (कार्य सौंपे जाने के बाद केवल इंजीनियरिंग और क्यूएएंडआई) के लिए परामर्श।
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	24 महीने (करार के अनुसार कार्य के पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तारण–योग्य)।
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बिहार–चरण– प्ट, (भाग –1) में ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करने के तहत बीजीसीएल द्वारा दिए गए पैकेजों के लिए पुरस्कार के बाद इंजीनियरिंग, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधी सेवाएं प्रदान करना। 1 जनवरीश 15 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की अनुमानित लागत 1700.0 करोड़ है और सेवा शुल्क परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत का / 2प्रतिशत है।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	24 दिसंबरश्14 (पावरग्रिड की 308वीं बोर्ड बैठक)
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए बीजीसीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(घ)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्प्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	बिहार–चरण– प्ट, (भाग– प्) में ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य सौंपे जाने के पूर्व तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श।
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	परस्पर सहमति
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बिहार–चरण– प्ट, (भाग– प्) में ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करने के तहत बीजीसीएल को सौंपे गए कार्य से पूर्व इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना। समझौते पर हस्ताक्षर 30 मईश्19 को किए गए। परामर्श सेवा शुल्क 93 लाख है।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	7 मईश्19 (पावरग्रिड की 365वीं बोर्ड बैठक)
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए बीजीसीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(ड.)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्प्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	किशनगंज पावरग्रिड एसध्एस में 400 केवी एआईएस बे और 2•63 एमवीएआर रिएक्टर (बाद में, एआईएस से जीआईएस में संशोधित क्षेत्र) 2 एनएजी के निष्पादन के लिए परामर्श।
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	26 महीने (समझौते के अनुसार कार्य के पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तारण योग्य)
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	किशनगंज में 400 केवी जीआईएस बेज और 2•63एमवीएआर रिएक्टर के परीक्षण और कमीशनिंग सहित सभी सेवाएं अर्थात खरीद, इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन सेवा प्रदान करना। अनुमानित परियोजना लागत 26.78 करोड़ की और परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत की 15 प्रतिशत की दर से परामर्श शुल्क संबंधी करार पर 1 सितंबर,09 को हस्ताक्षर किए गए।

	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए टीपीटीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(च)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	गुवाहाटी में कार्यालय सह स्टोर परिसर की स्थापना के लिए परामर्श।
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	18 महीने (पारस्परिक रूप से विस्तारण योग्य)
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	अनुमानित परियोजना लागत 3.08 करोड़ की और परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत की 10 प्रतिशत की दर से परामर्श शुल्क संबंधी करार पर 24 अगस्त, 2018 को हस्ताक्षर किए गए।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए टीपीटीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(छ)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	400 केवी डी/सी पल्लटाना–सिलचर–बिरनीहाट लाइन (लगभग 461.8 कि.मी.) के परिचालन और अनुरक्षण के लिए परामर्श सेवा।
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	परस्पर विस्तारण योग्य।
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	400 केवी डी/सी पल्लटाना–सिलचर–बिरनीहाट लाइन (लगभग 461.8 किमी) के परिचालन और अनुरक्षण के लिए सभी सेवाएं प्रदान करना। समझौते पर 26 अगस्तश्19 को हस्ताक्षर किए गए। परामर्श शुल्क सीईआरसी प्रशुल्क मानदंडों के अनुसार है।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	2 अगस्तश्19 (पावरग्रिड की 368वीं बोर्ड बैठक)
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए अग्रिम के रूप में एनईटीसी को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(ज)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	नेशनल हाई पवार टेस्ट लैबोरेटरी प्रा. लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	बीना सबस्टेशन पर ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा की स्थापना के लिए परामर्श
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	परस्पर सहमति
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बीना सबस्टेशन पर ऑन–लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा की स्थापना के लिए परीक्षण और कमीशनिंग सहित सभी सेवाएं जैसे खरीद, इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन प्रदान करना। 247.06 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 25 नवंबर, 20 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत का 10 प्रतिशत रहा।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	इस संविदा के लिए एनएचपीटीएल को अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
(झ)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (भारत)–ढलकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन की 400 केवी डी/सी ढलकेबार बिट्टमोड (42.1 किमी) खंड (नेपाल भाग) के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना।

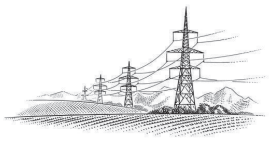

	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	13 अगस्त, 2012 से 24 माह
	(समझौते के अनुसार कार्य के पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तारण योग्य)	
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना अर्थात मास्टर एनध्डब्ल्यू डिजाइन और इंजीनियरिंग की तैयारी, बीओक्यू, एनआईटी और लागत अनुमान सहित तकनीकी विनिर्देश तैयार करनाय तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेजों की तैयारी, मसौदा एनआईटी की तैयारी, बोली मसौदा एलओए का मूल्यांकन, संविदा के बाद इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन गतिविधियाँ और साइट कार्य का पर्यवेक्षण, साइट कार्यालय खोलना और कार्य के निष्पादन के लिए प्रासंगिक अन्य कार्य। मूल्यरू परामर्श शुल्क परियोजना की अंतिम वास्तविक निष्पादित लागत और भारतध नेपाल में लागू करोंध्शुल्कों का 10 प्रतिशत होगा।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	6 जनवरी, 2010
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	0.53 करोड़ 25 जुलाई 14 को प्राप्त हुए। उसके बाद अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।
(ट)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	क्रॉस–बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्प्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (भारत)–ढलकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन के 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर–सुरसेंदड (85.55 किमी) खंड (भारत भाग) के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	10 अगस्त, 2012 से 30 माह
	(समझौते के अनुसार कार्य के पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तारण योग्य)	
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना अर्थात मास्टर एनध्डब्ल्यू डिजाइन और इंजीनियरिंग की तैयारी, बीओक्यू, एनआईटी और लागत अनुमान सहित तकनीकी विनिर्देश तैयार करनाय तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेजों की तैयारी, मसौदा एनआईटी की तैयारी, बोली मसौदा एलओए का मूल्यांकन, संविदा के बाद इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन गतिविधियाँ और साइट कार्य का पर्यवेक्षण, साइट कार्यालय खोलना और कार्य के निष्पादन के लिए प्रासंगिक अन्य कार्य का मूल्यरू परामर्श शुल्क परियोजना की अंतिम वास्तविक निष्पादित लागत और भारतध नेपाल में लागू करोंध्शुल्कों का 12 प्रतिशत होगा।
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	24 अगस्त, 2009
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	19 अप्रैल, 2013 को 1.31 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। उसके बाद अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।
(ठ)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	क्रॉस–बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्प्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	मुजफ्फरपुर (पावरग्रिड) एसध्एस पर 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (भारत)–ढलकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन पर लाइन बे 02 नग के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना।
	ग) संविदाओं ६ प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	06 फरवरी, 2019 से 15 माह
	(समझौते के अनुसार कार्य के पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तारण योग्य)	
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना अर्थात मास्टर एनध्डब्ल्यू डिजाइन और इंजीनियरिंग की तैयारी, बीओक्यू, एनआईटी और लागत अनुमान सहित तकनीकी विनिर्देश तैयार करनाय तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेजों की तैयारी, मसौदा एनआईटी की तैयारी, बोली मसौदा एलओए का मूल्यांकन, संविदा के बाद इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन गतिविधियाँ और साइट कार्य का पर्यवेक्षण, साइट कार्यालय खोलना और कार्य के निष्पादन के लिए प्रासंगिक अन्य कार्य
	मूल्यरू परामर्श शुल्क भारतीय रुपये अनुसार 80 लाख है।	
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	31 जनवरी, 2019
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	06 फरवरी, 2019 को 8 लाख प्राप्त हुए। उसके बाद अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(ड)	क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति	क्रॉस–बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख) संविदाओं ध्रबंधनों ध्लेनदेनों की प्रकृति	मुजफ्फरपुर सबस्टेशन में 220 केवी बेज के 02 नग के साथ 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (भारत)– ढलकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से (मुजफ्फरपुर से सुरसेंद) के ओ एंड एम प्रदान करना।
	ग) संविदाओं ध प्रबंधनों ध्लेनदेनों की अवधि	01 अप्रैल, 2019 से 03 वर्ष
	(पुराना संविदा दिनांक 23 जूनश्16, 31 मार्चश्19 को समाप्त हो गया और 01 अप्रैलश्19 से 22 मईश्19 को नवीनीकृत हुआ)	
	घ) संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन का नियमित और निवारक अनुरक्षण अर्थात ऐसे कार्य जिनको बंद करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि क) नियमित अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन की नियमित पैट्रोलिंग और रिकॉर्ड का अनुरक्षण ख) नींव का निरीक्षण और टॉवर सदस्यों की पूर्णता की जाँच करना। ग) लोपिंग हटाना और झाड़ियाँ हटाना जिनमे पेड़ काटना ध हटाना और मार्गाधिकार शामिल नहीं है। घ) चिमनी की मामूली मरम्मत में भाग लेना और अतिरिक्त मिट्टी को हटाना। ड.) लापता टॉवर मेम्बर ध क्षतिग्रस्त टॉवर मेम्बर को बदलना। च) टावरों में सुरक्षित कार्य स्तरध ऊंचाई तक फास्टनरों को कसना। छ) जंपर्स और इंसुलेटर का देखकर निरीक्षण। ज) किसी ट्रिपिंग या ऑटो रीक्लोज के मामले में लाइन की विशेष पैट्रोलिंग।
	लघु शटडाउन प्रकृति के कार्य जैसेरू क) लापता स्पेसरध स्पेसर डैम्पर्स, कंडक्टर वाइब्रेशन डैम्पर्स, आर्किंग हॉर्न, टूटे हुए इंसुलेटर, टॉवर मेम्बर और सुरक्षित कार्य ऊंचाईध्स्तर से ऊपर टावरों में फास्टनरों को कसना, अर्थ वायर वीडी को बदलना। ख) टॉवर का गिरना, जम्पर कट शामिल नहीं करने हेतु कंडक्टर और अर्थ वायर स्नैपिंग के संबंध में सुध ार। ग) कंडक्टर कंपन डैम्पर्स के विस्थापन में भाग लेना। घ) कंडक्टर की मरम्मत।	
	ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	27 अगस्त, 2019
	च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होरू	16 अगस्त, 2016 को चक्रानुक्रम निधि के रूप में 50 लाख प्राप्त हुए। उसके बाद अग्रिम के रूप में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(के. श्रीकांत)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 06615674

दिनांकः 26 अगस्त, 2021

स्थानः नई दिल्ली

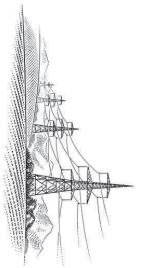

प्रपत्र सं. एओसी 1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों या सम्बद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग ष्कष्रू सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	धारित कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि भिन्न होने पर संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	आरक्षित और अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देयताएँ	निवेश	कारोबार	कराधान से पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान पश्चात लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयर ध ारिता का प्रतिशत
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	0.05	(19.46)	–	19.41	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	485.05	(232.18)	1,163.72	910.85	शून्य	122.36	6.92	43.97	(37.05)	शून्य	100प्रतिशत
3	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	209.73	113.03	1,141.32	818.56	शून्य	303.77	206.67	97.47	109.20	शून्य	100प्रतिशत
4	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	12.96	8.65	63.42	41.81	शून्य	21.37	10.93	5.99	4.94	शून्य	100प्रतिशत
5	पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	61.00	22.73	302.14	218.41	शून्य	72.69	44.58	15.10	29.48	शून्य	100प्रतिशत
6	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	226.91	29.38	1,506.76	1,250.47	शून्य	250.61	119.80	30.10	89.70	शून्य	100प्रतिशत
7	पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	393.30	71.76	2,132.18	1,667.12	शून्य	398.92	214.15	73.87	140.28	शून्य	100प्रतिशत
8	पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	322.10	62.46	1,789.42	1,404.86	शून्य	354.15	198.54	62.00	136.54	शून्य	100प्रतिशत
9	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	709.00	115.78	3,614.90	2,790.12	शून्य	463.84	144.70	36.02	108.68	28.36	100प्रतिशत
10	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	549.63	19.15	3,106.68	2,537.90	शून्य	45.72	25.74	6.59	19.15	16.49	100प्रतिशत
11	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	213.50	0.94	1,161.71	947.27	शून्य	2.32	1.27	0.32	0.95	शून्य	100प्रतिशत
12	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	168.05	0.01	900.87	732.81	शून्य	–	0.02	–	0.02	शून्य	100प्रतिशत

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	धारित कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि भिन्न होने पर संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	आरक्षित और अधिशेष	कुल परिसंपत्ति	कुल देयताएँ	निवेश	कारोबार	कराधान से पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान पश्चात लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयर धारिता का प्रतिशत
13	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	77.20	1.05	443.16	364.91	शून्य	3.57	1.40	0.35	1.05	शून्य	100प्रतिशत
14	पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	161.40	(0.38)	894.37	733.35	शून्य	–	(0.05)	–	(0.05)	शून्य	100प्रतिशत
15	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	97.71	–	531.12	433.41	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत
16	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	50.05	(0.64)	374.28	324.87	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत
17	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	112.00	(0.34)	579.10	467.44	शून्य	–	(0.02)	–	(0.02)	शून्य	100प्रतिशत
18	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	113.41	–	621.44	508.03	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत
19	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	21.52	(0.88)	141.93	121.29	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत
20	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	32.01	–	241.10	209.09	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत
21	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	0.05	(0.03)	0.05	0.03	शून्य	–	(0.03)	–	(0.03)	शून्य	100प्रतिशत
22	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	0.05	(0.51)	6.34	6.80	शून्य	–	(0.68)	(0.17)	(0.51)	शून्य	100प्रतिशत
23	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	300.00	155.05	593.27	138.22	शून्य	2.43	1.19	(10.95)	(25.03)	शून्य	100प्रतिशत
24	बीकानेर–ष्ष भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	0.01	–	24.84	24.83	शून्य	–	–	–	–	शून्य	100प्रतिशत

उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू करना है:

1.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (वर्तमान में कार्यरहित)	8.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड
2.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	9.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
3.	पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	10.	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
5.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.	बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड
6.	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड		
7.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड		

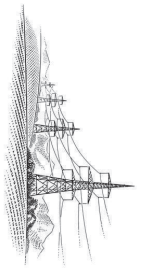

उन सहायक कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान समाप्त हो चुकी है या बिक चुकी हैरू शून्य

भाग "ख": सम्बद्ध और संयुक्त उद्यम

सम्बद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरणः

(₹ करोड़ में)

सहयोगी/युक्त उद्यमों का नाम	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	पार्बती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	ईशान कोण ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	राष्ट्रीय उच्च पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	सीमा पार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	आरआईएनएल पॉवरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	शक्ति ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल सीमित
1. अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2021	31.03.2021	अपरीक्षित	अपरीक्षित	31.03.2021	अपरीक्षित	अपरीक्षित	अपरीक्षित	अपरीक्षित	अपरीक्षित
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सम्बद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर										
संख्या	229320000	23400000	70937620	120120000	106964000	30400000	290296935	12612473	4000000	1170000
सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	229.32	23.40	70.94	120.12	106.96	30.40	290.30	12.62	4.00	6.50
धारित प्रतिशत का विस्तार	49प्रतिशत	26प्रतिशत	26प्रतिशत	30.92प्रतिशत	26प्रतिशत	20प्रतिशत	50प्रतिशत	26प्रतिशत	50प्रतिशत	26प्रतिशत
3. विवरण के महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता	20प्रतिशत से अधिक शेयरध्ाारिता
4. सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5. अद्यतित लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से प्राप्त निवल मालियत	469.63	34.67	86.60	140.02	124.62	18.22	431.29	29.97	–	11.83
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि										
समेकन में विचारित	50.04	5.02	15.95	14.22	19.57	(3.84)	100.83	3.84	-	2.02
समेकन में अविचारित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसे सम्बद्ध या संयुक्त उपक्रमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू किया जाना हैरू आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (विचार नही किया जा रहा)

ऐसे सम्बद्ध या संयुक्त उपक्रमों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समाप्त हो चुकी है या बिक चुके हैरू कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

टी आर चड्ढा एंड सीओ एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 006711N/N500028

सीए नीना गोयल
भागीदार
एम. नं. 057986
स्थानः गुरुग्राम

उमामहेश्वर राव एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 004453S

सीए जी शिवरामकृष्ण प्रसाद
भागीदार
एम. नं. 024860
स्थानः गुरुग्राम

बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी . के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 301011E/E300025

सीए संजय सरकार
भागीदार
एम. नं. 064305
स्थानः कोलकाता

पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 004501C

सतीश चंद्र शर्मा
भागीदार
एम. नं. 072846
स्थानः जयपुर

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 17 जून 2021

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।**

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.11.2014 को आयोजित इसकी 307वीं बैठक में कंपनी की सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया था और 30.11.2015 को आयोजित इसकी 323वीं बैठक में संशोधित किया गया था। नीति के नाम, दूरदृष्टि और मिशन विवरण को शामिल करना, स्थानीय क्षेत्र और संचार रणनीति को परिभाषित करने हेतु इसमें प्रमुख बदलाव किए गए थे। नीति कंपनी की वेबसाइटः https://www-powergrid.in/sites/default/files/CSR%26S%20policy.pdf पर उपलब्ध है

नीति की मुख्य विशेषताएं हैंः

नीति को पावरग्रिड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत नीति के रूप में नामित किया गया है।

दूरदृष्टि

ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी बनना जहां ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहल करते हुए समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास की एक दीर्घकालिक कार्यनीति तैयार की जाये और स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं का पालन किया जाये।

मिशन

पर्यावरण संबंधी और सामाजिक मुद्दों के बारे में बचाव, न्यूनीकरण और उपशमन के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्थायी तरीके से व्यवसाय का परिचालन करने हेतु व्यापार नीति सहित सीएसआर और स्थायित्व नीति बनाना तथा हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की अतिप्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करना।

सीएसआर के तहत गतिविधियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) (ए) की अनुसूची टप्प में सीएसआर के तहत शुरु किए जाने हेतु प्रस्तावित गतिविधियों में उल्लिखित सभी गतिविधियां शामिल होंगी।

निगम सीएसआर गतिविधियों में उन पणधारियों को प्राथमिकता देगा जो इसके परिचालन से सीधे प्रभावित हैं। चूंकि ऐसे पणधारी आमतौर पर निगम के वाणिज्यिक परिचालनों की परिधि में स्थित होते हैं, इसलिए पावरग्रिड अपने परिचालन के स्थानीय क्षेत्रों और पड़ोस के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता देगा।

जहां पर पावरग्रिड है, ऐसे जिले की भौगोलिक सीमा को सीएसआर एंड एस गतिविधियों के लिए ष्स्थानीय क्षेत्रष् के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड इसके बाहर भी सीएसआर गतिविधियां करेगा। स्थानीय क्षेत्रों और बाहर के बीच सीएसआर व्यय का अनुपात लगभग 75रू25 होगा। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों के तहत निष्पादित या राष्ट्रीय विकास एजेंडा की सबसे अधिक सरोकार वाली परियोजनाओंध्गतिविधियों को इस अनुपात में नहीं रखा जाएगा। सीएसआर एंड एस समिति किसी भी परियोजना को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत है, चाहे निहित राशि अनुपात से अधिक हो।

निगम के परिचालन से सीधे प्रभावित पणधारकों की सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केवल भारत में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां केवल सीएसआर व्यय माने जाएंगे।

व्यवसाय करने के लिए पहलों के माध्यम से निरंतर विकास को बढ़ावा देने के इस प्रकार प्रयास किए जाएंगे कि यह व्यवसाय और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की विधिः

सीएसआर गतिविधियों को वरीयता परियोजना प्रणाली में कार्यान्वित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन सामान्य रूप से निगम की कार्य एवं खरीद नीति द्वारा कार्य सौंपकर किया जाएगा। केंद्र, राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं आदि के विभिन्न विभागों की सेवा स्तरों के बचे हुए कार्यों के रूप में भी सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए लाभ उठाया जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियोंध्परियोजनाओंध्कार्यक्रमों को किसी पंजीकृत न्यास या पंजीकृत सोसाइटी पंजीकृत सोसायटी या निगम द्वारा स्थापित किसी कंपनी या इसकी धारक, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी जो कंपनी अधिनियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती हो, के साथ मिलकर शुरू

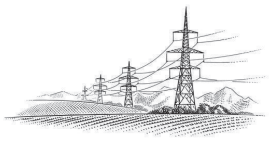

किया जा सकता है।

संचार कार्यनीति

हितधारकों के साथ व्यापक संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। वेबसाइट, ईमेल, वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि में प्रदर्शन पावरग्रिड की सीएसआर पहलों को समझने के लिए प्रमुख साधन होंगे।

सीएसआर गतिविधियों का वित्तपोषण

निगम को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रतिवर्ष सीएसआर नीति पर खर्च करना होगा।

2. **सीएसआर समिति की संरचनारू 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं।**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान होने वाली सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	श्री के. श्रीकांत	प्रबंध निदेशक और समिति के अध्यक्ष	पांच	पांच
2.	श्री वी.के.सिंह	निदेशक (कार्मिक)	पांच	पांच
3.	श्री मनोज कुमार मित्तल (11.09.2020 तक)	निदेशक (स्वतंत्र)	पांच	एक
4.	सुश्री ए.आर. महालक्ष्मी (25.07.2021 तक)	निदेशक (स्वतंत्र)	पांच	पांच

3.	वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है।	https://www.powergrid.in/sites/default/files/CSR%26S%20policy.pdf
4.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)	समीक्षाधीन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।
5.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।	शून्य
6.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ	₹ 11,689.51 करोड़
7.	(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹ 233.79 करोड़
	(ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों।	₹ 0
	(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो	₹ 0

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+ख–7ग) ₹ 233.79 करोड़

8 (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशिरू 2020–21

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
240.48 करोड़	0	शून्य	शून्य	0	शून्य

8 (ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणरू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधि ानियम की अनुसूची–टप्प में गतिविधि ायों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँध नही	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँध्नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
				विवरण अनुलग्नक–क में संलग्न है				90.36				

8 (ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणरू

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–टप्प में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँध नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँध्नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
			विवरण अनुलग्नक–ख में संलग्न है			145.65			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि ₹ 4.47 करोड़

(ड.) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो ₹ 0

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख़8ग8घ़8ड.) ₹ 240.48 करोड़

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो ₹ 0

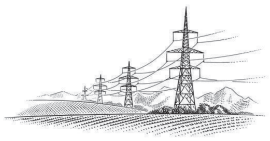

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(प)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	₹233.79 करोड़
(प्प)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	240.48 करोड़
(पपप)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि (पप–प)	6.69 करोड़
(पअ)	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।	0
(अ)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (पअ–पपप)	0

9 (क) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणरू

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (₹ करोड़ मे)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 (6), के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2018–19	0	195.99 करोड़	शून्य	0	शून्य	शून्य
2	2019–20	0	346.21 करोड़	शून्य	0	शून्य	शून्य
3	2020–21	0	240.48 करोड़	शून्य	0	शून्य	शून्य
	कुल						

9 (ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणरू

क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (में)	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी
				विवरण अनुलग्नक–ग में संलग्न है				
	कुल							

10. पूंजीगत आस्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए सीएसआर के माध्यम से सृजित या अर्जित आस्तियों से संबंधित विवरण (आस्ति–वार विवरण)। रू शून्य
    (क) पूंजीगत आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि रू शून्य
    (ख) पूंजीगत आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि रू शून्य
    (ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम के तहतरू पूंजीगत आस्ति और उनका पता आदि पंजीकृत है
    (घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत आस्ति (आस्तियों) का विवरण प्रदान करेंरू पूंजीगत आस्ति का पूरा पता और स्थान)
11. यदि कंपनी दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें, धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ रू लागू नहीं

ह/–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)

ह/–
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

ह/–
[अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (डी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

अनुलग्नक–क

8 (ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	एनएसडीसी के माध्यम से पूरे भारत में 50 स्थानों में विद्युत क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों में 6000 युवाओं को प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास प्रदान करना।	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	2 वर्ष	1,490.77	298.15	0	नहीं	एनएसडीसी	शून्य
2	भारतीय रेलवे की भूमि पर पूर्व मध्य भारतीय रेलवे (बिहार) के रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में पूर्व–निर्मित शौचालयों की स्थापना।	स्वच्छता	अन्य	बिहार	बिहार के सभी जिले	3 वर्ष	2,503.00	1,752.01	0	नहीं	मैसर्स राइट्स लिमिटेड	शून्य
3	वैक्यूम क्लीनर के साथ एक ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन, एक ट्रक माउंटेड सीवर जेटिंग मशीन, एक कूड़े उठाने की मशीन, एक ट्रक माउंटेड कॉम्पेक्टर और शिमला निगम के लिए 20 कचरा डंपर उपलब्ध कराना	स्वच्छता	अन्य	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1 वर्ष	198.86	120.33	0	नहीं	नगर निगम, शिमला के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
4	वीएमसी वडोदरा निगम को एक रोड स्वीपिंग मशीन प्रदान करना।	स्वच्छता	अन्य	गुजरात	वडोदरा	1 वर्ष	186.59	79.31	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमसी), मप्र सरकार को एक रोड स्वीपिंग मशीन प्रदान करना।	स्वच्छता	अन्य	मध्य प्रदेश	भोपाल	1 वर्ष	185.59	79.08	0	नहीं	पावर ग्रिड	शून्य

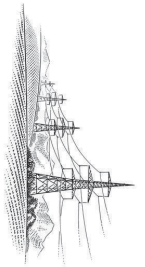

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
6	सरकार के स्वच्छ भारत के तहत पश्चिम बंगाल और सिक्किम स्कूल में 17 शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, अलीपुरद्वार	2 वर्ष	142.23	13.04	0	नहीं	जीवीटी के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
7	परिषद और आई एंड पीएच, मनाली, हिमाचल प्रदेश के लिए वैक्यूम क्लीनर के साथ एक ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन, एक ट्रक माउंटेड सीवर जेटिंग मशीन, एक कूड़े उठाने की मशीन की खरीद	स्वच्छता	अन्य	हिमाचल प्रदेश	मनाली	1 वर्ष	136.53	110.96	0	नहीं	एसडीएम मनाली के साथ एमओयू के जरिए	शून्य
8	काराकाट निर्वाचन क्षेत्र, रोहतास में 06 सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	रोहतास	2 वर्ष	127.68	66.24	0	हां	जिला प्रशासन काराकाटी	शून्य
9	पूर्वी गोदावरी जिले के गंडेपल्ली मंडल में 04 सीसी ड्रेन, 2 कम्युनिटी हॉल, 01 कल्याणमंडपम और 01 कंपाउंड वॉल	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	2 वर्ष	105	25.18	0	नहीं	एमओयू–ईई, पंचायत राज, राजामहेन–द्रवरम	शून्य
10	प्रतापगढ़ जिले के ढकवा बाजार में जल निकासी का निर्माण	स्वच्छता	अन्य	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	2 वर्ष	104.98	26.12	0	नहीं	ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग	शून्य
11	वडोदरा निगम, वडोदरा के लिए स्टैंड के साथ 04 ट्विन बिन डस्टबिन और 500 ओडब्ल्यूसी की खरीद	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	गुजरात	वडोदरा	2 वर्ष	91.9	21.32	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
12	भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा पश्चिमी गुजरात के शुष्क मैदानों में एवियन प्रजातियों पर बिजली लाइनों के प्रभावों का आकलन करने पर एक अध्ययन करना	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	गुजरात	पश्चिमी गुजरात	2 वर्ष	90	24.66	0	नहीं	भारतीय वन्यजीव संस्थान (ॅप्)	शून्य

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
13	वाराणसी में नालों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	2 वर्ष	280.76	182.5	0	नहीं	यूपी इंजीनियरिंग एंड लेबर कोऑपरेटिव लिमिटेड	शून्य
14	बिहार के भोजपुर जिले में ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	भोजपुर	3 वर्ष	1,109.14	87.28	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
15	आकांक्षी जिला बारां का परिवर्तन – आंगनबाड़ियों और पीएचसी का नवीनीकरण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान त्रेंजींद	बरनी	3 वर्ष	938.68	168.3	0	नहीं	ग्रामीण विकास ट्रस्ट (जीवीटी)	शून्य
16	नागरिक बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और शहर के सौंदर्य स्वरूप के लिए स्वच्छ और भव्य कुरुक्षेत्र कार्यक्रम	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	3 वर्ष	724.29	70.36	0	नहीं	जिला प्रशासन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	शून्य
17	आईसीआरआईएसएटी के माध्यम से ओडिशा में कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार	ग्रामीण विकास	अन्य	उड़ीसा	कालाहांडी	3 वर्ष	402	113.37	0	नहीं	इक्रिसैट के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
18	पामरा चौक से परमानंदपुर, सीतामढ़ी तक 2.4 किमी ग्राम सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	सीतामढ़ी	2 वर्ष	344.35	177.73	0	नहीं	जिला प्रशासन, सीतामढ़ी	शून्य
19	बस्ती जिले में 15 सामुदायिक भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बस्ती	2 वर्ष	195.85	38.97	0	नहीं	भारतीय सहकारी ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड	शून्य
20	इंफाल पश्चिम जिले में एनएच–37 से युरेम्बम माखा लेइकाई तक जाने वाली 1.6 किलोमीटर अंतर–ग्राम सड़क का सुधार	ग्रामीण	स्थानीय क्षेत्र	मणिपुर	इंफाल पश्चिम जिला	2 वर्ष	179	71.68	0	नहीं	मणिपुर सरकार के आरईडी ६ एमएसआरआरडीए	शून्य
		विकास										
21	बिहार के भोजपुर जिले के 11 गांवों में विकास कार्य।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	भोजपुर	3 वर्ष	159.62	62.95	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य

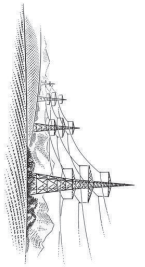

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
22	दरभंगा और मधुबनी के विभिन्न गांवों में छठ घाट (07) और सामुदायिक केंद्र (04) का निर्माण।	ग्रामीण विकास	अन्य	बिहार	दरभंगा और मधुबनी	2 वर्ष	122.33	19.36	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
23	संत कबीर नगर में 5 4 मीटर आरसीसी पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	अन्य	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	2 वर्ष	113.49	77.19	0	नहीं	यूपी इंजीनियरिंग एंड लेबर कोऑपरेटिव लिमिटेड	शून्य
24	फ्रूट गार्डन सैब्लू, मणिपुर	ग्रामीण विकास	अन्य	मणिपुर	छुरछंदपुर	2 वर्ष	110.83	17.86	0	नहीं	चुराचांदपुर, मणिपुर की स्वायत्त परिषद	शून्य
25	गोरखपुर में श्मशान परिसर का उन्नयन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	2 वर्ष	99.34	40.27	0	नहीं	ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग	शून्य
26	पूर्वी चंपारण में ग्राम सड़क, पार्क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	अन्य	बिहार	पूर्वी चंपारण	2 वर्ष	60.12	2.58	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
27	पश्चिम मेदिनीपुर में रेस्ट शेड, एप्रोच रोड, बायो–टॉयलेट, ट्रैक्टर, स्टील वॉटर टैंक आदि	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	2 वर्ष	54.6	26.35	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
28	अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में बिदसिंहबासु, तलाबहाली, सिमिलादंडी और घोड़ाबंधुवनी गांवों में चार सामुदायिक केंद्रों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	3 वर्ष	36	5.55	0	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक	शून्य
29	अंगुल के आठमल्लिक प्रखंड के कुसुमधारा गांव में शंखापुर गांव और रहसवाड़ी में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	3 वर्ष	17	3.77	0	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक, किशोरर और अंगुल	शून्य
30	जिला अंगुल, ओडिशा में किशोर नगर ब्लॉक के तलदार गांव में चेक बांध का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	3 वर्ष	10	8	0	नहीं	बीडीओ, किशोरर	शून्य
31	कोकराझारी में आगंतुक कुर्सियों की व्यवस्था	ग्रामीण विकास	अन्य	असम	कोकराझारी	1 वर्ष	4.92	0.49	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
32	बरपाली, तमनारी में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	तमनारी	2 वर्ष	32.5	18.56	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
33	साइंस कॉलेज, दरभंगा, बिहार सी. एम. में 150 बिस्तरों वाले आर्यभट्ट बालक छात्रावास का निर्माण एवं पार्क का विकास।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	दरभंगा	3 वर्ष	750	9.24	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
34	सिंगरौली जिले की तहसील सराय में अनुसूचित जाति वरिष्ठ बालिका छात्रावास (50 सीटर) का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	2 वर्ष	242.51	41.97	0	नहीं	कलेक्टर सिंगरौली	शून्य
35	सरकारी केबी महिला कॉलेज, हजारीबाग, झारखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ खेल के मैदान का विकास।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	झारखंड	हजारीबाग	3 वर्ष	188.47	9.78	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
36	सरकारी जगन्नाथ एक्सीलेंस स्कूल, मंडला में स्मार्ट क्लास शिक्षा का प्रावधान।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	मध्य प्रदेश	मंडला	1 वर्ष	52.09	5.2	0	नहीं	कलेक्टर मंडला की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन समिति	शून्य
37	आदर्श मध्य विद्यालय, मीरगंज, आरा बिहार के लिए संयुक्त बेंच और डेस्क 350 और एक वाटर कूलर (क्षमता – 120 लीटर) प्रदान करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	भोजपुर	1 वर्ष	37.3	0.41	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
38	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ष्पावरग्रिड विश्राम सदनष	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	असम	कामरूप (मेट्रो)	3 वर्ष	1,500.00	317.06	0	नहीं	एचएससीसी, नोएडा	शून्य
39	100 बिस्तरों वाले एसके रॉय सिविल अस्पताल हैलाकांडी (आकांक्षी जिला) की मरम्मत और नवीनीकरण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	असम	हैलाकांडी	3 वर्ष	379.91	176.4	0	नहीं	डीसी, हैलाकांडी	शून्य
40	एसके राय सिविल अस्पताल हैलाकांडी में 20 बिस्तरों वाली ओपीडी का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	असम	हैलाकांडी	2 वर्ष	87.6	2.71	0	नहीं	डीसी, हैलाकांडी	शून्य

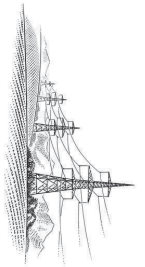

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
41	एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ में हब और स्पोक मॉडल के तहत टेली–आईसीयू की स्थापना	स्वास्थ्य ६ कोविड–19	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, मेरठ और गोरखपुर	3 वर्ष	708	70.8	0	नहीं	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	शून्य
42	195 हैंडपंप मछलीशरध्वाराणसी की स्थापना	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	3 वर्ष	99.84	19.93	0	नहीं	यूपी जल निगम	शून्य
43	पंजाब के फिरोजपुर जिले में मल्लांवाला और कसोवन्ना में 3 एम्बुलेंस और पीएचसी भवनों का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पंजाब	फिरोजपुर	3 वर्ष	463.83	43.89	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
44	टाटा, मुंबई में कैंसर के लिए टीएमसीध्एसीटीआरईसी, मुंबई में रेडियोआइसोटोप उपचार के दौर से गुजर रहे मरीजों के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन थेरानोस्टिक सुविधा बनाने के लिए वित्तीय सहायता।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	मुंबई	3 वर्ष	3,000.00	46.8	0	नहीं	टीएमसी	शून्य
45	महिला एवं बाल अस्पताल, एसीटीआरईसी परिसर, टीएमसी, नवी मुंबई में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर को लैस करने के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	थाइन	3 वर्ष	2,640.00	1,166.65	0	नहीं	टीएमसी	शून्य
46	धर्मशालाध्रात्रि आश्रय का निर्माण – निमहंस	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	कर्नाटक	बैंगलोर	3 वर्ष	2,300.00	346.93	0	नहीं	एचएससीसी लिमिटेड	शून्य
47	रिम्स, रांची में विश्राम सदन का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	झारखंड	रांची	3 वर्ष	1,500.00	298.85	0	नहीं	एचएससीसी लिमिटेड	शून्य
48	डीएमसीएच, दरभंगा में विश्राम सदन का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	दरभंगा	3 वर्ष	1,500.00	362.31	0	नहीं	एचएससीसी लिमिटेड	शून्य
49	एमकेसीजी सरकार, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बरहामपुर ओडिशा में विश्राम सदन का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	उड़ीसा	गंजम	3 वर्ष	1,500.00	6.77	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
50	सर सयाजीराव जनरल (एसएसजी) अस्पताल, वडोदरा में ष्पावरग्रिड विश्राम सदनष् का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	गुजरात	वडोदरा	3 वर्ष	1,495.00	426	0	नहीं	एचएसएससी और एसएसजी अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	शून्य
51	कालाहांडी जिला (आकांक्षी जिला), ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण और उपकरण प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	उड़ीसा	कालाहांडी	2 वर्ष	854.06	247.14	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
52	हिमाचल प्रदेश प्राधिकरण, बिलासपुर जिला के लिए 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	2 वर्ष	219.11	27.82	0	नहीं	जिला के साथ एमओयू एडमिरल बिलासपुर	शून्य
53	जयरोग्य अस्पताल, गजराजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में आईसीयू वार्ड और जनरल वार्ड के नवीनीकरण का काम	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	2 वर्ष	178.76	151.09	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
54	मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	1 वर्ष	168.74	142.59	0	नहीं	जिला प्रशासन, पश्चिम मेदिनीपुर	शून्य
55	जिला राजनांदगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में सुदृढ़ीकरण प्रयोगशाला एवं अस्पतालों के लिए उपकरणों की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	राजनंदगांव	2 वर्ष	149.93	112.83	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
56	सरकारी अस्पताल, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे चिकित्सा उपकरण।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	तिरुवन्नामलाई	1 वर्ष	110	38.36	0	नहीं	डीसी, तिरुवन्नामलाई	शून्य
57	श्री कल्याण सरकारी अस्पताल, सीकर, राजस्थान को 1 कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन 6 प्रोब, 1 सोनोग्राफी मशीन बुनियादी सुविधाओं के साथ और 1 एम्बुलेंस बुनियादी जीवन समर्थन चिकित्सा उपकरणों के साथ की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान त्रैंजींद	सीकर	1 वर्ष	66.68	16.27	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य

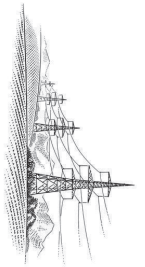

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
58	नमक्कल जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ६ सरकारी अस्पताल के लिए बुनियादी सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	तमिलनाडु	नमक्कली	1 वर्ष	59.35	10.06	0	नहीं	डीसी, नमक्कली	शून्य
59	द्वारीगेरिया ग्रामीण अस्पताल	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	2 वर्ष	48.46	38.78	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
	(प) पुरुष और महिला वार्डों का निर्माण प्रगति पर है											
	(पप) ईईएसएल द्वारा हाई मास्ट लाइट की स्थापना											
	(पपप) 40 केवीए ग्रीन जेनरेटर											
	(पअ) अस्पताल द्वारा खरीदी जा रही एक्स–रे मशीन											
60	एलिम्को के माध्यम से राजनांदगांव में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को उच्च स्तरीय सहायता और उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	रायपुर	1 वर्ष	39	20.7	0	नहीं	एलिम्को	शून्य
61	मैसर्स आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) को उच्च अंत सहायता और उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	दमोह	1 वर्ष	39	5.85	0	नहीं	एलिम्को	शून्य
	(।स्पडब) पांच आकांक्षी जिलों में											
62	प्रखंड धम्धा एवं झील, दुर्ग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओटी लाइट एवं स्मार्ट पोषण केन्द्र का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	दुर्ग	1 वर्ष	4.3	1.81	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
63	श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा अनुमंडल के राष्ट्रीय राजमार्ग–16 पर 19 स्थानों पर 20 सोलर लाइटों की आपूर्ति एवं स्थापना।	पर्यावरण और स्थिरता	अन्य	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	2 वर्ष	34..89	18.18	0	नहीं	समझौता ज्ञापन–एनईआरडीकैप, एपी	शून्य

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
64	महबूबर, वानापति, रंगारेड्डी और विक्राबाद जिला, तेलंगाना के विभिन्न गांवों में 310 सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना	पर्यावरण और स्थिरता	अन्य	तेलंगाना	महबूबर, रंगारेड्डी, विकाराबाद और वानापर्थी, तेलंगाना	2 वर्ष	75.42	3.77	0	नहीं	समझौता ज्ञापन–ऐत्म्क्ब्ब	शून्य
65	स्वचालित पीईटी बोतल फ्लेकिंग और रिवर्स वेंडिंग मशीन	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	1 वर्ष	81.24	36.76	0	नहीं	समझौता ज्ञापन–मुख्य अभियंता, नगर निगम, विजयवाड़ा	शून्य
	विजयवाड़ा नगर निगम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश											
66	गांव दौलताबाद और धरमपुर, गुरुग्राम, हरियाणा में तालाब का कायाकल्प	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुडगाँव	2 वर्ष	199.97	28.96	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
67	फाफरानध्सौंतियाल ग्राम कोटेश्वर, उत्तराखंड के लिए जीयूएल (तालाब–जल निकाय) का निर्माण	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	उत्तराखंड	कोटेश्वर	2 वर्ष	50.49	15.74	0	नहीं	लघु सिंचाई विभाग टिहरी गढ़वाल	शून्य
68	खास कॉलोनी एल.पी.एस. हैलाकांडी, असम में	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	असम	हैलाकांडी	1 वर्ष	7.87	4.87	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
69	105 रेलवे स्टेशनों (मुंबई उपरीय क्षेत्र में 100 स्टेशन और समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में 5 स्टेशन) पर वाई–फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	3 वर्ष	1,537.00	39.92	0	नहीं	भारतीय रेल	शून्य
70	कांचीपुरम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	चेंगलपट्टू	3 वर्ष	1,000.00	54.05	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
71	शासकीय क्वींस महाविद्यालय, वाराणसी के लिए 120 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	3 वर्ष	490.52	41.58	0	नहीं	यूपी परियोजना निगम लिमिटेड	शून्य
72	जम्मू–कश्मीर में 10 आर्मी गुडविल स्कूलों का उन्नयन– डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन का परिचय।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	2 वर्ष	309.65	61.22	0	नहीं	भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य

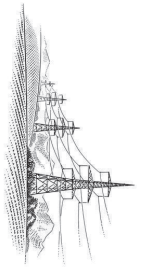

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
73	गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल स्कूल, मोगा (पंजाब) के लिए दो मंजिला कक्षा कक्ष का निर्माण और 16 बेंच उपलब्ध कराना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	पंजाब	मोगा	2 वर्ष	174.92	112.9	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
74	दमोह जिला, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों (मध्य स्तर) को 28 मेज और कुर्सियाँ (दोहरी डेस्क) उपलब्ध कराना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	दमोह	2 वर्ष	122.53	36.75	0	नहीं	जिला कलेक्टर दमोह के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
75	जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, असम में शोधकर्ताओं के छात्रावास का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	असम	जोरहाट	2 वर्ष	106.45	18.31	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
76	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के. परमथी गांव, करूर जिला सरकार (तमिलनाडु) के भूतल में 04 कक्षाओं और पहली मंजिल पर एक सभागार के साथ विद्यालय भवन का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	तमिलनाडु	करूर	2 वर्ष	104.5	87.05	0	नहीं	डीसी, करूर और पीडब्ल्यूडी, करूर	शून्य
77	आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा निर्वाचन क्षेत्र में 15 स्कूल परिसर में दीवारों का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	2 वर्ष	101.2	69.17	0	नहीं	समझौता ज्ञापन–कार्यपालक अभियंता, समग्र शिक्षा, कृष्णा	शून्य
78	श्रावस्ती में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	2 वर्ष	100.06	9.98	0	नहीं	लाल	शून्य
79	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कॉलेज, कोकराझार, असम के 44 स्कूलोंध्उच्च माध्यमिक विद्यालयोंध्जूनियर में स्मार्ट कक्षा कक्ष की स्थापना के लिए निधि उपलब्ध कराना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	असम	कोकराझारी	2 वर्ष	99	68.99	0	नहीं	दिर. शिक्षा के, बीटीसी, कोकराझारी	शून्य
80	कोटा, राजस्थान में सरकारी स्कूल में कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण और अध्ययन डेस्क की आपूर्ति।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान त्रेंजींद	कोटा	2 वर्ष	92.99	17.26	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
81	भिरिंगी, दुर्गापुर सब डिवीजन, पश्चिम बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में भिरिंगी टी.एन. संस्थान (एच. एस. स्कूल) में पांच कक्षा कक्ष व शौचालय का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्धवान	2 वर्ष	81.13	24.53	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
82	सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लेह में मरम्मत, अनुरक्षण, फर्नीचर का नवीनीकरण और प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	लद्दाख	लद्दाख	2 वर्ष	64.17	31.89	0	नहीं	शिक्षा विभाग, लेह के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
83	नेपुरा बिजली रानी हाई स्कूल, पश्चिम मेदिनीपुर में सामग्री उपलब्ध कराना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	2 वर्ष	69.1	29.27	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
84	डेलंग ब्लॉक, पुरी, ओडिशा के मुनिंडा में कबी प्रसन्ना पटसन्नी हाई स्कूल में सम्मेलन हॉल सह विरासत भवन का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	उड़ीसा	पुरी	2 वर्ष	38.99	7.8	0	नहीं	बीडीओ, डेलांग	शून्य
85	सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ध्रीरा, पठानकोट में 4 कक्षा कक्ष का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	पंजाब	पठानकोट	2 वर्ष	29.98	13.13	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
86	एमपीपी स्कूल में 100 मीटर, वेलिगल्लु गांव, कडप्पा जिला में 400 मीटर और सीसी रोड – बाउंड्री वॉल का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	कडपा	2 वर्ष	28	11.89	0	नहीं	समझौता ज्ञापन–मुख्य योजना अधिकारी, जिला समाहरणालय, कडप	शून्य
87	पप) बालीगांव मिरी एल.पी. स्कूल में ईंट की बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	असम	सोनितपुर	2 वर्ष	18.12	7.25	0	नहीं	डीसी, सोनितपुर	शून्य
88	गंगा दत्त शर्मा शासकीय आई.टी.आई. पिथौरागढ़ को फर्नीचर आदि क्रय हेतु निधि उपलब्ध कराना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	पिथोरागढ़	1 वर्ष	15	12.09	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य

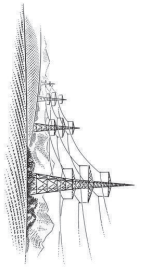

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची–VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र हाँ / नहीं	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ लाख में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (र लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष हाँ / नहीं	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से.	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
89	अलेसुर गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भाटापारा और स्कूल की बाउंड्री वॉल की मरम्मत, शौचालय (लड़के और लड़कियों) का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	भाटापर	2 वर्ष	14.85	7.19	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
90	सरकारी बालक छात्रावास, उरई, में जीर्णोद्धार कार्य।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जालौन	2 वर्ष	14.55	2.42	0	नहीं	लोक निर्माण विभाग	शून्य
91	मोगा के लांडे के स्कूल में वंचित बच्चों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	पंजाब	मोगा	1 वर्ष	4.96	0.28	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
92	उराला फ्री प्राइमरी स्कूल, अमदंगा ब्लॉक, उत्तर 24 परगना (राजारहाट) में विकास कार्य	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	1 वर्ष	3.81	4.18	0	हां	पावर ग्रिड	शून्य
93	देवरिया जिले में 250 इंडिया मार्का–प्प हैंडपंप की स्थापना।	पीने का पानी	अन्य	उत्तर प्रदेश	देवरिया	3 वर्ष	103.93	51.17	0	नहीं	यूपी एग्रो	शून्य
94	लखीमपुर खीरी में 100 हैण्डपंपों की आपूर्ति	पीने का पानी	अन्य	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	3 वर्ष	47.81	9.54	0	नहीं	यूपी लघु उद्योग निगम	शून्य
95	सुंदरगढ़ जिले, ओडिशा के चक्रमल और रंगाईमुंडा में पाइप जलापूर्ति प्रणाली प्रदान करना	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	सुंदरगढ़	2 वर्ष	20	8	0	नहीं	बीडीओ, सुंदरगढ़	शून्य
96	डिचेनलिंग श्मशान परिसर गंगटोक का विकास एवं उन्नयन	कला और संस्कृति	स्थानीय क्षेत्र	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम	2 वर्ष	192.65	115.59	0	नहीं	जिला प्रशासन, पूर्वी सिक्किम	शून्य
	कुल						**36,140.75**	**9,036.21**	**0.00**			

8 (ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	मेवात जिला, हरियाणा में कामकाजी महिला छात्रावास को शुरू करने के लिए आवश्यक फर्नीचर और अन्य सामान उपलब्ध कराना	महिला सशक्तिकरण	अन्य	हरियाणा	नूह, मेवात	22.59	नहीं	मेवात विकास प्राधिकरण (एमडीए), नूंह	शून्य
2	सेक्टर 10–ए, गुरुग्राम जिले में 20 सिलाई मशीनों का वितरण और बीपीएल परिवार से संबंधित लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई में 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान करना	महिला सशक्तिकरण	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुडगाँव	1.01	हां	पावर ग्रिड	शून्य
3	कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन के पास 19 सिलाई मशीन उपलब्ध कराना एवं बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सिलाई का 6 माह का प्रशिक्षण देना	महिला सशक्तिकरण	स्थानीय क्षेत्र	उत्तराखंड	कोटेश्वर	0.99	हां	पावर ग्रिड	शून्य
4	जिला, जाजगीर चांपा जिला, टागा ग्राम, अकालतारा तहसील, छत्तीसगढ़ के 7 वार्डों में जलापूर्ति पाइप लाइन उपलब्ध कराना एवं ठीक करना	जल संरक्षण	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	चंपा	9.99	नहीं	कलेक्टर, चंपा	शून्य
5	ग्राम बारीखुर्द बाबूपुर, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना में स्टेडियम का निर्माण	खेल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	सतना	62.39	नहीं	आरईएस सतना	शून्य
6	तूफानगंज सुधार गृह में रंगीन टीवी की खरीद	सामाजिक विकास	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	0.20	नहीं	पावर ग्रिड	शून्य
7	अपरेंटिसऋस्टिपेंडऋसीएसआर ऋ2.5प्रतिशत से अधिक कुल जनशक्ति	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	691.17	हां	पावर ग्रिड	शून्य
8	एनएसडीसी के माध्यम से पूरे भारत में 33 स्थानों में 5000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	–3.97	नहीं	एनएसडीसी	शून्य

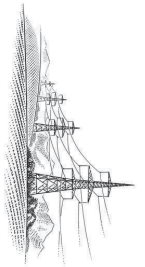

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
9	विद्युत ट्रांसमिशन लाइन टॉवर इरेक्शन और स्ट्रिंगिंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	मालदा	10.46	हां	पावर ग्रिड	शून्य
10	सीईडीएमएपी (सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश) के माध्यम से दमोह जिला, मध्य प्रदेश के 275 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	दमोह	14.43	नहीं	सीईडीएमएपी	शून्य
11	पुलिस विभाग महेंद्रगढ़ को 20 लैपटॉप प्रदान करना।	कौशल विकास	अन्य	हरियाणा	गुडगाँव	9.58	हां	पावर ग्रिड	शून्य
12	कार्यक्रमोंध्कार्यशालाओं–सीएसआर गतिविधियों पर व्यय।	कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	1.55	नहीं	पावर ग्रिड	शून्य
13	02 वर्ष की अवधि के लिए बैद्यनाथ ध ाम, देवघर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन।	स्वच्छता	अन्य	झारखंड	देवघर	135.78	हां	पावर ग्रिड	शून्य
14	पश्चिम सिक्किम जिले के 19 सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	94.90	नहीं	जीवीटी	शून्य
15	चंदौली में नालों का निर्माण	स्वच्छता	अन्य	उत्तर प्रदेश	चंदौली	37.14	नहीं	यूपी इंजीनियरिंग एंड लेबर कोऑपरेटिव लिमिटेड	शून्य
16	ओडिशा के क्योंझर जिले के स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत पावरग्रिड द्वारा निर्मित शौचालयों का अनुरक्षण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	क्योंझर	3.63	हां	पावर ग्रिड	शून्य
17	प्रतापगढ़ जिले, उत्तर प्रदेश में सरकारी लड़कियों के स्कूल में 43 शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	स्वच्छता	अन्य	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	6.52	नहीं	इरकॉन	शून्य
18	बस स्टैंड, इलाहाबाद में शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	4.24	नहीं	यूपीएसआरटीसी	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची **VII** में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
19	बस्सिक के पास 9 सरकारी स्कूल (लड़के और लड़कियों) में 14 शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	बस्सी	0.98	हां	पावर ग्रिड	शून्य
20	जिला दमोह में 05 सेमी–ऑटोमैटिक सेनेटरी नैपकिन निर्माण मशीनें और 100 सिलाई मशीनें प्रदान करना।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	दमोह	0.45	हां	पावर ग्रिड	शून्य
21	सीकर जिले, राजस्थान में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 05 लड़कियों के शौचालय का निर्माण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	सीकर	9.68	हां	पावर ग्रिड	शून्य
22	आरा रेलवे स्टेशन पर शौचालय का निर्माण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	आरा	3.29	हां	पावर ग्रिड	शून्य
23	अनुग्रह मगध मेडिकल कॉलेज, गया, बिहार में शौचालय परिसर का निर्माण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	गया	–0.15	हां	पावर ग्रिड	शून्य
24	सोलापुर के सी एंड पी गतिविधियों के तहत रामपुर गांव के जिला परिषद स्कूल में 08 महिला शौचालय का निर्माण और मध्याह्न भोजन कक्ष का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	सोलापुर	4.49	हां	पावर ग्रिड	शून्य
25	सरकारी उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, मुथि में 6 शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	2.03	हां	पावर ग्रिड	शून्य
26	एसवीए (स्वच्छ विद्यालय अभियान) के तहत निर्मित खराब शौचालयों का सर्वेक्षण करने के लिए वाहन किराए पर लेना	स्वच्छता	अन्य	बिहार	किशनगंज, पूर्णिया, पटना, अररिया, गया	6.26	हां	पावर ग्रिड	शून्य
27	पोटिया गांव (जिला–दुर्ग) के प्राथमिक विद्यालय में 01 शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	दुर्गा	0.25	हां	पावर ग्रिड	शून्य
28	16 से 31 मई, 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2020 का अनुपालन	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न हिस्सों	राज्य के विभिन्न हिस्सों	58.80	हां	पावर ग्रिड	शून्य

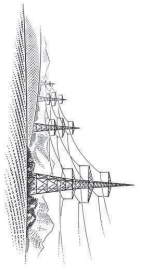

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
29	तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के उप्पटला गांव में लगभग 119 मीटर लंबे आरसीसी साइड ड्रेन का निर्माण	स्वच्छता	अन्य	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	3.63	नहीं	एमओयू–मिशन भगीरथ इंट्रा डिवीजन, पेद्दापल्ली, तेलंगाना	शून्य
30	क्योंझर जिला के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में शौचालयों के सर्वेक्षण हेतु वाहन की तैनाती।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	क्योंझर	4.68	हां	पावर ग्रिड	शून्य
31	बलिया में 40 शौचालय का परिचालन और अनुरक्षण।	स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बलिया	0.75	नहीं	बीएसए बलिया	शून्य
32	त्रिची जिले में जिला अन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग स्टेडियम के लिए और उसके आसपास पेवर ब्लॉक प्रदान करना।	ग्रामीण खेल	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	त्रिची	1.82	नहीं	डीसी त्रिची	शून्य
33	बिहार राज्य में 1700 सौभाग्य होर्डिंग्स का प्रदर्शन।	ग्रामीण विकास	अन्य	बिहार	विभिन्न जिले	51.97	हां	पावर ग्रिड	शून्य
34	बिहार राज्य में ष्प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजनाष् (सौभाग्य योजना) के लिए 800 होर्डिंग्स का प्रदर्शन।)	ग्रामीण विकास	अन्य	बिहार	विभिन्न जिले	25.44	हां	पावर ग्रिड	शून्य
35	वगूरा, जम्मू–कश्मीर में इनर लिंक रोड (लगभग 7 किमी) का सुधारध उन्नयन।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	174.96	नहीं	पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी), जम्मू और कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
36	राजस्थान के बीकानेर जिले के जलालसर गांव में ग्रामीण विकास कार्यों का परिचालन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	बीकानेर	96.26	हां	पावर ग्रिड	शून्य
37	किशनगंज जिले में ग्राम सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	किशनगंज	15.46	नहीं	जिला प्रशासन, किशनगंज।	शून्य
38	बिहार राज्य में 3000 होर्डिंग्स का प्रदर्शन।	ग्रामीण विकास	अन्य	बिहार	विभिन्न जिले	41.23	हां	पावर ग्रिड	शून्य
39	(1) 14 सामुदायिक केंद्र (पंजिया, हमरिया, चंपातिमुंडा, अहिंसा, बनियासाही, आंतपुर–हरिजन वस्ती, सनासर, बड़ाहिंसर, फूलपाड़ा, कंसारा, पारा, तंगीघासा, नकाचौपाल और टधोल) का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	7.43	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक, किशोरर और अंगुल	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	(2) चंपातिमुंडा और बंदालीशाही में सड़क–02 की मरम्मत एवं निर्माण								
	(3)सरधापुर में ग्राम मण्डप–01 क्रम सं. का निर्माण।								
	(4) कंसारा और तंगियाघास में एप्रोच रोड–02 का निर्माण								
	(5) कंसारा, तपधोल और तंगियाघास में तालाब –03 की खुदाई								
	(6) बड़ाधीप में 01 रहसवाड़ी का निर्माण								
40	आगरा में 6 स्थानों पर पंचायत घर का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	आगरा	10.00	नहीं	ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग	शून्य
41	जहानाबाद जिले के ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण।	ग्रामीण विकास	अन्य	बिहार	जहानाबाद	42.23	नहीं	जिला व्यवस्थापक। जहानाबाद।	शून्य
42	कैमूर (भभुआ) जिले में 2.2 किमी सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	भभुआ	64.05	नहीं	ग्रामीण कार्य विभाग	शून्य
43	गुंटुपल्ली गांव के पास, कृष्णा जिला में सड़क का निर्माण– 1.25 किलोमीटर	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	61.89	नहीं	एमओयू–ईई, पंचायत राज, विजयवाड़ा, कृष्णा	शून्य
44	(1) 06 सामुदायिक भवन, (पाइकासाही, कलापटनाली, पिध्गासाही, गोछायात शाही, अंतुलिया और तबेदा) का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	6.44	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक, किशोरर और अंगुल	शून्य
	(2) सत्यबाडीपुर में 01 रहसबारी								
	(3) 04 तालाबों की खुदाई और नवीनीकरण। (पाइकासाही, पिधासाही, गदातालमुल और बरहम कोल्ह शाही)								
	(4) रंकसिंघा में पुलिया और नाले के साथ सीसी रोड का निर्माण								

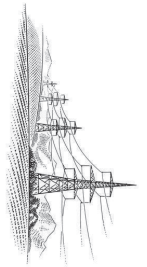

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	(5) अथमालिक ब्लॉक के ताबेड़ा, बनारपाल ब्लॉक और अंगुल ब्लॉक ओडिशा में 64 मीटर रोड गार्ड दीवार का निर्माण।								
45	(1) तसर और गुरंगा में 2 सामुदायिक केंद्र का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	2.16	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक, किशोरर, बनारपाल, चेंडीपाड़ा और अंगुल	शून्य
	(2) मरातीरा में 01 रहसवाड़ी (खुला शेड) का निर्माण								
	(3) (गदरश, ओगी, ओगी (चुदाखिया) और तलमुल) में 04 तालाबों की खुदाईध्नवीनीकरण।								
	(4) परियोजना उ0प्र0 में पेयजल व्यवस्था स्कूल सुरबी								
	(5) मरातिरा में 01 नाली का निर्माण।								
	(6) 765 केवी अंगुल–झारसुगुड़ा ट्रांसमिशन लाइन के साथ बनारपाला ब्लॉक, अंगुल ब्लॉक और छेंदीपाडा बोल्क के गाँव में स्कूल कक्षा कक्ष का निर्माण								
46	कुशीर में 7 स्थान पर 2 केवीए सोलर लाइट से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण	ग्रामीण विकास	अन्य	उत्तर प्रदेश	कुशीर	22.46	नहीं	ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग	शून्य
47	1) पांच सामुदायिक हॉल (बदादनसाही, सोरिसपाल, मतियासाही, अमंतपुर और कंजारा) का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	4.11	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक, किशोरर और अंगुल	शून्य
	(2) 3 सामुदायिक केंद्र (कंजारा, रूटल और राजबुरी साही) का नवीनीकरण।								
	(3) रागुडियापाड़ा और पलासनाली में दो रहसवाड़ी (खुला शेड) का निर्माण।								
	(4) बनारपाल में पुलिया चौड़ीकरण और नालियों के साथ 127 मीटर सीसी सड़क का निर्माण								

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	(5) अंगुल जिले के बनारपाला बोल्क और अंगुल बोल्क के गांवों में फूलपाड़ा पंचायत हाई स्कूल के लिए फर्नीचर की आपूर्ति।								
48	नबाग्राम प्रखंड, मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत माजीग्राम आदिवासीपारा गांव तक एनएच–34 दक्षिणिंगग्राम से अध्कि कंक्रीट सड़क (1.85 किमी) का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	0.64	हां	पावर ग्रिड	शून्य
49	धनबाद, झारखंड में 08 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	झारखंड	धनबाद	5.87	हां	पावर ग्रिड	शून्य
50	पुलिस के लिए मेडिकेरी में सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	कर्नाटक	कोडागू	5.00	हां	पावर ग्रिड	शून्य
51	सीएसआर स्कूल के पास एचवीडीसी बीएनसी स्कूल के आसपास काम करने वाली आदिवासी महिलाओं के लिए बुनाई केंद्र का निर्माण, सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण, मार्केट शेड का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा का निर्माण) और एचवीडीसी बिश्वनाथ चरियाली के आसपास सार्वजनिक स्थान पर 5 शौचालयों का निर्माण)	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	असम	बिश्वनाथ	28.95	नहीं	डीसी, विश्वनाथ	शून्य
52	किशोर नगर ब्लॉक में उरुकुला, कदलिनुंडा, बड़रोहिला, गरुड़ और बरपाली गांवों और अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में पांच सामुदायिक केंद्रों का निर्माण,	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	6.27	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक, किशोरर और अंगुल	शून्य
53	करबिगहिया, पटना में पीसीसी रोड (सड़क का निर्माण)	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	पटना	12.51	हां	पावर ग्रिड	शून्य
54	मधुबनी जिले के लादनिया गांव में छठ घाट का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	मधुबनी	0.75	हां	पावर ग्रिड	शून्य
55	सरकारी मध्य विद्यालय, भेंद्रा गांव में बाउंड्री वाल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	रायगढ़	–0.18	हां	पावर ग्रिड	शून्य

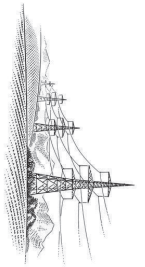

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
56	कार्यालय पुलिस अधीक्षक परिसर, तिरुपुर में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए 1200 वर्ग फुट में कैंटीन का निर्माण	ग्रामीण विकास	अन्य	तमिलनाडु	तिरुपुर	21.57	हां	पावर ग्रिड	शून्य
57	गांव नेवाली, तहसील–पनवेल, नवी मुंबई में सामुदायिक हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	मुंबई	9.66	हां	पावर ग्रिड	शून्य
58	(1) पोकोंडा गांव, पाइकासाही जीपी और (2) मंदारबहल गांव, कुरुमटॉप जीपी, अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में तालाबों का नवीनीकरण और खुदाई	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	2.87	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक	शून्य
59	पलक्कड़ जिले के एलापुली ग्राम पंचायत में पुलिया, रिटेनिंग वॉल और क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	केरल	पलक्कड़	17.60	हां	पावर ग्रिड	शून्य
60	जावंग्राम गांव आइजोल, मिजोरम तक पहुंच मार्ग का निर्माणध्उन्नयन	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	मिजोरम	आइजोल	11.02	नहीं	डीसी, आइजोल	शून्य
61	ग्राम कोटरा, रायगढ़ में डोमा तालाब में 02 पचरी (सीढ़ी) का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	रायगढ़	0.52	हां	पावर ग्रिड	शून्य
62	अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में बिदसिंहबासु, पोकोंडा गांवों में दो रहसवाड़ी का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	1.37	नहीं	बीडीओ, आठमल्लिक	शून्य
63	किशोर नगर ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा के रायबहल गांव में सामुदायिक केंद्र के स्थान पर रहसवाड़ी का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	6.00	नहीं	बीडीओ, अंगुलु	शून्य
64	उदलगुरी, बीटीएडी, असम में जिला पुलिस सम्मेलन हॉल में बुनियादी ढांचे का विकास	ग्रामीण विकास	अन्य	असम	उदलगुरी, बीटाडी	4.95	हां	पावर ग्रिड	शून्य
65	सामुदायिक भवन के सामने खुले मंच का निर्माण जिसमें पुसौली कलां में हॉल की पेंटिंग और पुसौली उपकेन्द्र के पास बनियांवां तालाब में छठ घाट शामिल हैं।	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	कैमुरो	4.25	हां	पावर ग्रिड	शून्य
66	किशोर नगर प्रखंड अथमल्ली के बनारनाली गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	4.85	नहीं	बीडीओ, किशोर	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
67	बिश्वनाथी गिंगिया धारा पर इस्पात पुल की मरम्मत	ग्रामीण विकास	अन्य	असम	बिश्वनाथ	4.39	हां	पावर ग्रिड	शून्य
68	हमीरपुर में चारदीवारी के साथ गांव चौकी के मौजूदा कच्चे रास्ते पर सीमेंट कंक्रीट से पक्का पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	4.36	हां	पावर ग्रिड	शून्य
69	करूर सबस्टेशन पर के.परमथी को सौंपने के लिए ट्रैफिक बैरिकेड्स की आपूर्ति	ग्रामीण विकास	अन्य	तमिलनाडु	करूर	2.95	हां	पावर ग्रिड	शून्य
70	कनिहा प्रखंड के तहत पावरग्रिड के लिए संपर्क मार्ग में तोलोकबेड़ा, सारथीपाल और मुंडा–हटिंग गांव के पास पुलिया पर 40 मीटर गार्ड दीवार का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	3.24	हां	पावर ग्रिड	शून्य
71	अंगुल जिले के किशोरर प्रखंड के बड़ागोविंदपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र	उड़ीसा	अंगुल	1.50	नहीं	बीडीओ, किशोरर	शून्य
72	बैद्यनाथ धाम, देवघर में दो एलईडी आउटडोर की मरम्मत और वीडियो वॉल लगाई गई	राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण	अन्य	झारखंड	देवघर	0.60	हां	पावर ग्रिड	शून्य
73	नागार्जुनसागर विजयापुरी दक्षिण पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत उपकरण ों की खरीद	राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	0.63	हां	पावर ग्रिड	शून्य
74	सरकारी नेत्रहीन, बधिर और गूंगा स्कूल में रसोई के साथ भोजन का निर्माण और दमोह में टेबल और बेंच का प्रावधान।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	दमोह	1.51	हां	पावर ग्रिड	शून्य
75	हिमाचल प्रदेश में 3250 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति एवं स्थापना	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	60.86	नहीं	ईईएसएल के साथ समझौता ज्ञापन	शून्य
76	02 चिकित्सा उपकरण, मोबाइल चिकित्सा इकाई प्रदान करना और रामकृष्ण मिशन चौरिटेबल डिस्पेंसरी, शिलांग, मेघालय द्वारा संचालित किए जाने वाले टेली–परामर्श केंद्र की स्थापना करना।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	19.78	नहीं	डीसी, पूर्वी खासी हिल्स	शून्य

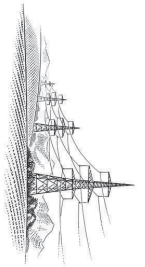

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
77	सिविल अस्पताल, शिलांग में डीएई–सिविल अस्पताल कैंसर विंग के उपचार क्षेत्र और डे–केयर वार्ड के अस्पताल फर्नीचर और फिक्स्चर ६ फर्निशिंग प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	46.71	नहीं	डीएई–सिविल अस्पताल कैंसर विंग, सिविल अस्पताल, शिलांग	शून्य
78	बोंगईगांव सिविल अस्पताल में 30 बेड प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	असम	बोंगईगांव	4.64	नहीं	जिला स्वास्थ्य समिति, बोंगईगांव	शून्य
79	आईजीआईएमएस, पटना में विश्राम सदन का निर्माण।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	पटना	84.42	नहीं	एचएससीसी लिमिटेड	शून्य
80	सीएचसी–मानपुर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का उन्नयन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	37.06	हां	पावर ग्रिड	शून्य
81	लखनऊ में पावरग्रिड विश्राम सदन (केजीएमयू) का अतिरिक्त 2 मंजिलों तक विस्तार	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	146.08	नहीं	यूपी राजकीय निर्माण निगम	शून्य
82	हरियाणा में जिला अस्पताल के लिए 6 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	हरियाणा	39.80	नहीं	एचसीएसआरएबी	शून्य
83	आईजीजीएमसी और मेयो अस्पताल, नागपुर में आने वाले मरीजों और परिचारकों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	नागपुर	33.79	हां	पावर ग्रिड	शून्य
84	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (एनएससीबीएमसी), जबलपुर में जनरल वार्ड का नवीनीकरण और चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, एसी की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जबलपुर	5.07	हां	पावर ग्रिड	शून्य
85	आईआरसीएस द्वारा 23 चिकित्सा शिविर स्थान	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक	एपी, तेलंगाना और 2 कर्नाटक का जिला	0.02	नहीं	समझौता ज्ञापन–आईआरसीएस	शून्य
86	एनआर–प में 10 स्थानों के लिए एम्बुलेंस की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राज्य के विभिन्न हिस्सों	राज्य के विभिन्न हिस्सों	0.17	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
87	एपी और तेलंगाना में मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप – 17	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	आंध्र प्रदेश	एपी और तेलंगाना के जिले	2.00	नहीं	समझौता ज्ञापन–आईआरसीएस	शून्य
				तेलंगाना					
88	सीकरी के निकट ग्राम बधाधार में (प) उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पप) पशु चिकित्सालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	सीकर	4.16	नहीं	बीडीओ, बधाधारी	शून्य
89	पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया में 2 एम्बुलेंस	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर और पुरुलिया	30.10	हां	पावर ग्रिड	शून्य
90	शजिला अस्पताल, बलियाश को दो सुसज्जित एम्बुलेंस की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बलिया	30.48	हां	पावर ग्रिड	शून्य
91	सरकार के धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज, धर्मपुरी को कपड़े धोने के उपकरण और पोर्टेबल यूएसजी प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	धर्मपुरी	24.82	नहीं	डीसी, धर्मपुरी	शून्य
92	शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), नालागढ़ को विभिन्न सामग्री उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	नालागढ़	1.96	हां	पावर ग्रिड	शून्य
93	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहराइच के लिए 01 एम्बुलेंस की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	उत्तर प्रदेश	बहराइच	14.71	हां	पावर ग्रिड	शून्य
94	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरदारपुर, राजगढ़ मप्र में नेत्र विज्ञान उपकरण की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	धार	10.87	हां	पावर ग्रिड	शून्य
95	सरकारी छाती रोग अस्पताल जम्मू के लिए 1 एम्बुलेंस प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	0.11	हां	पावर ग्रिड	शून्य
96	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, माडा, सिंगरौली को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	8.96	हां	पावर ग्रिड	शून्य
97	रूपनारायणपुर जीपी, मैथन के तहत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, कौशल और खेल का विकास	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बध्वान	5.00	नहीं	पश्चिम बंगाल सरकार	शून्य

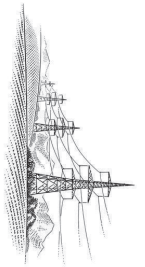

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
98	एनबीएसयू (नवजात स्थिरीकरण इकाई) वार्ड की मरम्मत और जोधपुर में सरकारी अस्पताल फलौदी ब्लॉक के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	फलौदी	4.99	हां	पावर ग्रिड	शून्य
99	एनबीएसयू (नवजात स्थिरीकरण इकाई) वार्ड की मरम्मत और जोधपुर में सरकारी अस्पताल फलौदी ब्लॉक के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	फलौदी	4.18	हां	पावर ग्रिड	शून्य
100	सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) इनामकुलथुर और नागमंगलम जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य देखभाल	अन्य	तमिलनाडु	त्रिची	4.98	नहीं	प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, इनामकुलाथुर, त्रिची	शून्य
101	पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आदिलाबाद, तेलंगाना में चिकित्सा शिविर का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	तेलंगाना	आदिलाबाद	1.24	नहीं	समझौता ज्ञापन–आईआरसीएस	शून्य
102	सीएसआर गतिविधियों के लिए 500 गैस स्टोव की खरीद	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	4.91	हां	पावर ग्रिड	शून्य
103	तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में विकलांग व्यक्तियों को फोल्डेबल टाइप व्हील चेयर प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	धर्मपुरी	4.91	नहीं	जिला प्रशासन, धर्मपुरी	शून्य
104	क्षेत्रीय मानसिक चिकित्सालय नागपुर में ईईजी मशीन एवं 2 एयर कंडीशनर की आपूर्ति एवं संस्थापन	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	नागपुर	1.88	हां	पावर ग्रिड	शून्य
105	4 बिना स्वचालित सैनिटरी वेंडिंग मशीन, 4 बिना सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर और फरीदाबाद में लिखने वाले पैड के साथ 30 स्टडी चेयर।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	फरीदाबाद	1.80	हां	पावर ग्रिड	शून्य
106	सरकारी अस्पताल, इटारसी में कोविड–19 के बीच अस्पताल में डिस्पोजेबल बेडशीट, ग्लब्स और सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराने के लिए	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	1.16	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
107	एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र में वसुंधरा रोगियों के 3 छात्रावास के लिए 7 किलो क्षमता की टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन प्रदान करना।	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	मुंबई	0.45	हां	पावर ग्रिड	शून्य
108	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुम्हारी, सीएसआर कार्य ष्पावरग्रिड रायपुर एसएस के लिए एक वाटर कूलर और एक आरओ मशीन की आपूर्ति	स्वास्थ्य देखभाल	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	रायपुर	0.52	हां	पावर ग्रिड	शून्य
109	माचेरला मंडल, गुंटूर जिले और उसके आसपास 31 लेआउट में राजस्व विभाग के लिए 2000 ट्री गार्ड की खरीद	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	1.60	हां	पावर ग्रिड	शून्य
110	पीलीभीत में 200 सोलर लाइट की स्थापना	पर्यावरण और स्थिरता	अन्य	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	7.14	नहीं	यूपी राजकीय निर्माण सहकारी संघ	शून्य
111	ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन	पर्यावरण और स्थिरता	अन्य	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	–0.17	नहीं	सरकार भारत की	शून्य
112	ग्रीन बेल्ट सीएसआर वर्क सेक्टर –43 चेन लिंक फेंसिंग	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	4.55	हां	पावर ग्रिड	शून्य
113	सेक्टर–29, गुरुग्राम में जमीन की परिधि (खुले स्थान) के साथ 8श से 9श मीटर की ऊंचाई वाले 1000 नीमधपिलखान पौधों का रोपण	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	10.31	नहीं	वन मंडल	शून्य
114	औरिया में 125 वृक्षारोपण	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	औरैया	0.44	नहीं	डीएफओ औरैया	शून्य
115	वृद्धाश्रम, गंगटोक को बैटरी की आपूर्ति	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	सिक्किम	गंगटोक	0.24	हां	पावर ग्रिड	शून्य
116	सेक्टर–43, गुड़गांव में टाउनशिप के सामने हरित पट्टी पर बागवानी विकास का अनुरक्षण	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	12.45	हां	पावर ग्रिड	शून्य
117	पावरग्रिड टाउनशिप सेक्टर–43, गुड़गांव के सामने हरित पट्टी का विकास और अनुरक्षण	पर्यावरण और स्थिरता	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	12.07	हां	पावर ग्रिड	शून्य

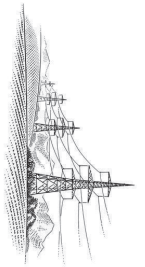

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
118	हरियाणा के 165 सरकारी स्कूलों में 330 स्मार्ट कक्षा कक्ष की स्थापना और परिचालन।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	हरियाणा	राज्य के विभिन्न हिस्सों	780.91	नहीं	एचसीएसआरएबी	शून्य
119	कृषि विश्वविद्यालय त्रिशूर, केरल में महिला छात्रावास	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	केरल	त्रिशूर	200.50	नहीं	केएयू, त्रिशूर	शून्य
120	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए बालक छात्रावास का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	रायपुर	0.10	हां	पावर ग्रिड	शून्य
121	सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीएच) को वित्तीय सहायता प्रदान करना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़	कछार, इंफाल और रायपुर	196.17	नहीं	सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीएच)	शून्य
122	राजस्थान के सरकारी स्कूल में 100 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	राजस्थान	राजस्थान तेंजींद	179.89	हां	पावर ग्रिड	शून्य
123	सुपौल जिले के सरकारी स्कूल में 50 डेस्क बेंच प्रदान करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	बिहार	सपौल	56.43	हां	पावर ग्रिड	शून्य
124	गौतमबुद्धर जिले के 26 विद्यालयों में शौचालयध्आरओध्पनडुब्बी पंप उपलब्ध कराना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्धर	20.84	नहीं	बीएसए, जीबी र	शून्य
125	सेक सरकारी स्कूल, कन्नूर, केरल मुंडेरी में प्लस टू कक्षाओं के लिए नई कक्षाओं का निर्माण और मौजूदा 04 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में अपग्रेड करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	केरल	कन्नूरी	113.40	नहीं	जिला प्रशासन, कन्नूरी	शून्य
126	सरकारी स्कूल, सेलम, तमिलनाडु को बेंच और डेस्क प्रदान करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	सलेम	52.45	हां	पावर ग्रिड	शून्य
127	केहली मंडी, सांबा में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7 कक्षाओं का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	जम्मू और कश्मीर	सांबा	0.44	नहीं	जेके पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से	शून्य
128	प) रंगपारा कॉलेज में असम टाइप क्लासरूम (04) का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	असम	सोनितपुर	25.54	नहीं	डीसी, सोनितपुर	शून्य
129	नलगोंडा जिला, तेलंगाना में स्कूलों और जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स को डुअल डेस्क, टीचर डेस्क, चेयर और ग्रीन चाक बोर्ड की आपूर्ति	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	तेलंगाना	नलगोंडा	32.54	नहीं	समझौता ज्ञापन–केंद्रीय कारागार, चंचलगुडा	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
130	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंघवाला मोगा में 8 कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	पंजाब	मोगा	7.83	हां	पावर ग्रिड	शून्य
131	सरकारी स्कूल, दामोदरपुरा, बस्सी के लिए 6 कक्षा कक्ष का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	जयपुर	34.61	हां	पावर ग्रिड	शून्य
132	भीनमाला के 12 शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान	भीनमाली	0.02	हां	पावर ग्रिड	शून्य
133	सरकारी मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जरी कोडलमपट्टी, सलेम के लिए 4 कक्षाओं का निर्माण और 7.92 केडब्ल्यूपी सौर जनरेटर प्रणाली की स्थापना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	सलेम	36.59	नहीं	सीईओ, सलेम	शून्य
134	हरियाणा सीएसआर सोसाइटी के साथ ई–अभिशासन लर्निंग पर सीएसआर परियोजना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	10.87	नहीं	जिला प्रशासन, गुरुग्राम	शून्य
135	महाराष्ट्र के शिकरापुर पुणे जिले के बुरुंजवाड़ी में जिला परिषद स्कूल में चार कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	पुणे	10	हां	पावर ग्रिड	शून्य
136	तेलंगाना के निजामाबाद जिला के जिला परिषद हाई स्कूल डिचपल्ली, में 2 कक्षा कक्ष का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	तेलंगाना	निजामाबाद	3.15	हां	पावर ग्रिड	शून्य
137	सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुखराली, गुड़गांव में विविध कार्य	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	1.02	नहीं	जिला प्रशासन, गुरुग्राम	शून्य
138	राजसमंद जिले, राजस्थान में सरकारी स्कूल में शौचालयों का निर्माण और विद्युतीकरण कार्य करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	राजस्थान त्रेंजींद	राजसमंदो	12.8	हां	पावर ग्रिड	शून्य
139	टागा, चंपा गांव में सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न सीएसआर कार्य करता हैरू	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	दुर्गा	8.15	हां	पावर ग्रिड	शून्य
140	सार्वजनिक पुस्तकालय पावरग्रिड ज्ञान केंद्र–ईडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	11.77	हां	पावर ग्रिड	शून्य
141	मेडेसरा ग्राम, दुर्ग में प्राथमिकध जूनियर हाई स्कूल के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का निर्माण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	दुर्गा	0.29	हां	पावर ग्रिड	शून्य

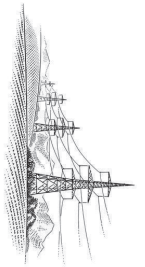

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
142	काशी विद्यापीठ वाराणसी में मौसम स्टेशन उपकरण की आपूर्ति	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	5.5	नहीं	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	शून्य
143	बालीगांव मिरी एल.पी. स्कूल की मरम्मत एवं नवीनीकरण	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	असम	सोनितपुर	5.12	नहीं	डीसी, सोनितपुर	शून्य
144	धारापुरम तालुक, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु के चार सरकारी स्कूल विभागों में सस्टेनेबल इंटरएक्टिव प्ले स्पेस की आपूर्ति और विकास।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	तमिलनाडु	तिरुपुर	9.58	नहीं	जिला प्रशासन, तिरुप्पुर	शून्य
145	राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मदपुर, झारसा, गुड़गांव, हरियाणा में मरम्मत और सफेदी का काम	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	10.44	हां	पावर ग्रिड	शून्य
146	जिला राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी, तहसील गाजा, टिहरी गढ़वाल में विधानसभाध्प्रार्थना मैदान में मंच पर सीमेंट कंक्रीट के फर्श (फुटपाथ) और शेड का निर्माण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाली	4.94	हां	पावर ग्रिड	शून्य
147	जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के समौली–सलेमपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के मौजूदा भवन की मरम्मत और अनुरक्षण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	यूपी	मेरठ	0.99	हां	पावर ग्रिड	शून्य
148	एलपी स्कूल चाचर में बाउंड्री वॉल	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	असम	कछार	5.53	हां	पावर ग्रिड	शून्य
149	प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में बेंच व डेस्क उपलब्ध कराना	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	4.64	हां	पावर ग्रिड	शून्य
150	राजकीय अम्बेडकर 102 आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, पटना के पास के गरीब लोगों के लिए कंबल का वितरण	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	बिहार	पटना	4.76	हां	पावर ग्रिड	शून्य
151	सरकारी हाई स्कूल (ग्राम, टागा), सरकारी जूनियर हाई स्कूल (ग्राम, चोरभट्टी), सरकारी प्राथमिक विद्यालय (ग्राम, टागा), सरकारी उन्यान प्राथमिक विद्यालय (ग्राम, टागा), जनपद पंचायत सीईओ कार्यालय (अकलतरा) और सामुदायिक केंद्र गांव टागा में वाटर कूलर सह प्युरिफाइर की आपूर्ति और फिक्सिंग।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	तमनारी	4.47	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
152	तमनारी के पास ओंकारीपाली गांव (बरपाली पंचायत के तहत) के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर की आपूर्ति और वितरण।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	तमनारी	3.02	हां	पावर ग्रिड	शून्य
153	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पावागडा में 2 जल उपचार संयंत्र उपलब्ध कराना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	कर्नाटक	पवागडा	2.91	हां	पावर ग्रिड	शून्य
154	पुणे (शिकरापुर) में 765ध्400 केवी जीआईएस सबस्टेशन के पास शिकारापुर के जिला परिषद स्कूल में स्कूल भवनों की पेंटिंग और भित्ति कार्य	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	महाराष्ट्र	पुणे	2.38	हां	पावर ग्रिड	शून्य
155	तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में सरकारी स्कूल को बेंच और डेस्क प्रदान करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	2.15	हां	पावर ग्रिड	शून्य
156	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, नोवाबाद, जम्मू को विभिन्न वस्तुएँ प्रदान करना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	0.05	हां	पावर ग्रिड	शून्य
157	खल्ट माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण उपलब्ध कराना	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	मेघालय	पूर्वी जयंतिया हिल्स	1.92	नहीं	डीसी, पूर्वी जयंतिया हिल्स	शून्य
158	सरकारी प्राथमिक विद्यालय ओंकारीपाली गांव, बरपाली, तमनार पूलिंग स्टेशन, रायगढ़ को खेल और विविध वस्तुओं की आपूर्ति।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ	तमनारी	0.65	हां	पावर ग्रिड	शून्य
159	रातागढ़, बी292 खंडवा शहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्र की मरम्मत	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	मध्य प्रदेश	खंडवा	0.75	हां	पावर ग्रिड	शून्य
160	लोटस सेकेंडरी स्कूल (सरकारी सहायता प्राप्त), डिएंगशिनरम, खलीहरियाटी में बिल्डिंग की पेंटिंग	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	मेघालय	पूर्वी जयंतिया हिल्स	0.48	हां	पावर ग्रिड	शून्य

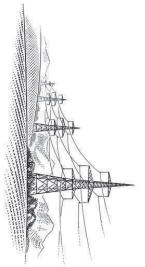

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
161	प्राथमिक विद्यालय मटौर के लिए 01 32% इंच के एलईडी स्मार्ट टीवी की खरीद।	शिक्षा को बढ़ावा देना	अन्य	उत्तर प्रदेश	मेरठ	0.09	हां	पावर ग्रिड	शून्य
162	सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, बख्शी नगर, जम्मू को 1 इन्वर्टर और बैटरी प्रदान करना।	शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	0.18	हां	पावर ग्रिड	शून्य
163	लखनऊ में 258 पनडुब्बी पंपों की स्थापना	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	65.78	नहीं	यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम	शून्य
164	इटावा में 100 पनडुब्बी पंपों की स्थापना	पीने का पानी	अन्य	उत्तर प्रदेश	इटावा	145.73	नहीं	यूपी लघु उद्योग निगम	शून्य
165	आजमगढ़ में 100 हैंडपंपों की स्थापना	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	4.98	नहीं	यूपी एग्रो	शून्य
166	प्रतापगढ़ में 100 हैंडपंपों की स्थापना	पीने का पानी	अन्य	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	18.69	नहीं	यूपी एग्रो	शून्य
167	लेह, जम्मू और कश्मीर के नेय और बसगो जिले के गांवों में 6 पनडुब्बी वाटर पंपों का निर्माण।	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	लेह	लेह	18.62	हां	पावर ग्रिड	शून्य
168	0.1 एमएलडी क्षमता और कार्ड आध ारित वितरण के साथ 5 केएल क्षमता वाली रिमोट डिस्पेंसिंग इकाइयां मदर प्लांट के साथ क्लस्टर आधारित आरओ प्लांट की स्थापना	पीने का पानी	अन्य	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	16.71	नहीं	एमओयू–एसई, आरडब्ल्यूएस एंड एस, गुंटूर	शून्य
169	वकापैल्ली गांव, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश को पेयजल सुविधा प्रदान करना	पीने का पानी	अन्य	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	2.02	नहीं	एमओयू–ईई, आरडब्ल्यूएस एंड एस, काकीनाडा	शून्य
170	बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में 05 वाटर एटीएम की स्थापना	पीने का पानी	अन्य	झारखंड	देवघर	5.35	हां	पावर ग्रिड	शून्य
171	कयाथागनाचेरलू गांव, पावागड़ा, कर्नाटक में 500 एलपीएच जल उपचार संयंत्र प्रदान करना	पीने का पानी	अन्य	कर्नाटक	पवागडा	5.09	हां	पावर ग्रिड	शून्य
172	पश्चिम मिदनापुर जिले के थाने में वाटर कूलर की आपूर्ति	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	3.95	हां	पावर ग्रिड	शून्य

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
173	एसडीओ और एसडीपीओ, घाटाल के कार्यालयों में स्थापना के लिए 2 यूवी आधारित पानी निवल सह चिलर की आपूर्ति और स्थापना।	पीने का पानी	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	1.58	हां	पावर ग्रिड	शून्य
174	अम्फान बहाली कार्य (टैम्क्लस्टैंम्ज्स्)	आपदा प्रबंधन	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले	180.32	नहीं	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल और डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	शून्य
175	अम्फान संबंधित बहाली कार्य के लिए फिटर की आपूर्ति	आपदा प्रबंधन	स्थानीय क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले	33.05	हां	पावर ग्रिड	शून्य
176	ग्राम बंसिया, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ में छ।ॅ। तालाब (तालाब) का सौंदर्यीकरण	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	स्थानीय क्षेत्र	छत्तीसगढ़	रायगढ़	19.85	हां	पावर ग्रिड	शून्य
177	पीएम केयर्स फंड में योगदान	स्वास्थ्य ६ कोविड–19	अन्य	क्षेत्र के विभिन्न राज्य	राज्य के विभिन्न जिले	7,000.00	हां	सरकार भारत की	शून्य
178	कोविड–19 के तहत स्वास्थ्य गतिविधियों पर व्यय – खाद्य राशन राहत प्रदान करना	स्वास्थ्य ६ कोविड–19	स्थानीय क्षेत्र	हरियाणा	गुरुग्राम	1,605.32	हां	पावर ग्रिड	शून्य
179	कोविड–19 के दौरान पीपीई किट६ चिकित्सा उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य ६ कोविड–19	अन्य	हरियाणा	राज्य के विभिन्न हिस्से	890.64	हां	पावर ग्रिड	शून्य
	कुल					**14,565.01**			

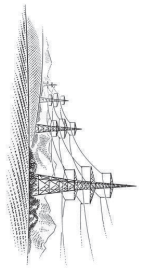

9 (ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
1	एसआर–2019084	मेवात जिला, हरियाणा में कामकाजी महिला छात्रावास को शुरू करने के लिए आवश्यक फर्नीचर और अन्य सामान उपलब्ध कराना	2019–20	1 वर्ष	34.02	22.59	22.59	पूर्ण
2	एसआर–2019124	गुरुग्राम जिले के सेक्टर 10–ए में 20 सिलाई मशीनों का वितरण और बीपीएल परिवार की लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई का 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	4.93	1.01	1.01	पूर्ण
3	एसआर–2019179	कोटेश्वर पूलिंग स्टेशन के पास 19 सिलाई मशीन उपलब्ध कराना एवं बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सिलाई का 6 माह का प्रशिक्षण देना	2019–20	1 वर्ष	3.44	0.99	0.99	पूर्ण
4	एसआर–2018158	जिला जाजगीर चांपा जिला, टागा ग्राम, अकालतारा तहसील, छत्तीसगढ़ के 7 वार्डों में जलापूर्ति पाइप लाइन उपलब्ध कराना एवं ठीक करना	2019–20	1 वर्ष	49.93	9.99	49.93	पूर्ण
5	एसआर–2017124	ग्राम बारीखुर्द बाबूपुर, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना में स्टेडियम का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	129.89	62.39	75.38	पूर्ण
6	एसआर–2014002	एनएसडीसी के माध्यम से पूरे भारत में 33 स्थानों में 5000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	2014–15	3 वर्ष	652.97	–3.97	652.97	पूर्ण
7	एसआर–2014037	विद्युत ट्रांसमिशन लाइन टॉवर इरेक्शन और स्ट्रिंगिंग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	2019–20	3 वर्ष	28.88	10.46	14.43	पूर्ण
8	एसआर–2020073	पुलिस विभाग महेंद्रगढ़ को 20 लैपटॉप उपलब्ध कराना	2019–20	1 वर्ष	9.99	9.58	9.58	पूर्ण
9	एसआर–2018270	भारतीय रेलवे की भूमि पर पूर्व मध्य भारतीय रेलवे (बिहार) के रेलवे स्टेशनों के परिसंचारी क्षेत्रों में पूर्व–निर्मित शौचालयों की स्थापना।	2018–19	3 वर्ष	2,503.00	1,752.01	1,752.01	जारी
10	एसआर–2018227	02 वर्ष की अवधि के लिए बैद्यनाथ धाम, देवघर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन।	2018–19	2 वर्ष	335.45	135.78	287.88	पूर्ण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
11	एसआर–2018239	पश्चिम सिक्किम जिले के 19 सरकारी स्कूलों में शौचालय ब्लॉक का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	288.45	94.9	234.12	पूर्ण
12	एसआर–2018165	चंदौली में नालों का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	208.38	37.14	208.38	पूर्ण
13	एसआर–2018217	नगर निगम शिमला के लिए एक ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर, एक ट्रक माउंटेड सीवर जेटिंग मशीन, एक कूड़ा उठाने की मशीन, एक ट्रक माउंटेड कम्पेक्टर और 20 कचरा डंपर उपलब्ध कराना	2018–19	1 वर्ष	198.86	120.33	120.33	जारी
14	एसआर–2019014	वीएमसी वडोदरा को एक रोड स्वीपिंग मशीन प्रदान करना।	2019–20	1 वर्ष	186.59	79.31	79.31	जारी
15	एसआर–2019009	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमसी), मप्र सरकार को एक रोड स्वीपिंग मशीन प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	185.59	79.08	79.08	जारी
16	एसआर–2018136	ओडिशा के क्योंझर जिले के स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत पावरग्रिड द्वारा निर्मित शौचालयों का अनुरक्षण	2018–19	1 वर्ष	144	3.63	67	पूर्ण
17	एसआर–2018239	स्वच्छ भारत के तहत पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सरकारी स्कूल में 17 शौचालयों का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	142.23	13.04	134.51	जारी
18	एसआर–2019016	नगर परिषद और आई एंड पीएच, मनाली, हिमाचल प्रदेश के लिए वैक्यूम क्लीनर के साथ एक ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन, एक ट्रक माउंटेड सीवर जेटिंग मशीन, एक कूड़े उठाने की मशीन की खरीद	2019–20	1 वर्ष	136.53	110.96	110.96	जारी
19	एसआर–2017118	जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में 43 सरकारी बालिका विद्यालयों में 43 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	2017–18	3 वर्ष	132.45	6.52	129.78	पूर्ण
20	एसआर–2018173	काराकाट निर्वाचन क्षेत्र, रोहतास में 06 सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	127.68	66.24	78.96	जारी
21	एसआर–2018170	पूर्वी गोदावरी जिले के गंडेपल्ली मंडल में 04 सीसी ड्रेन, 2 कम्युनिटी हॉल, 01 कल्याणमंडपम और 01 कंपाउंड वॉल	2018–19	2 वर्ष	105	25.18	75.54	जारी
22	एसआर–2019031	ढकवा बाजार, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जल निकासी का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	104.98	26.12	73.12	जारी

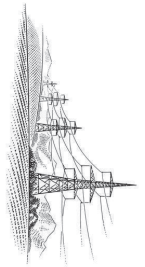

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/जारी
23	एसआर–2018256	वडोदरा नगर निगम, वडोदरा के लिए स्टैंड के साथ 04 ओडब्ल्यूसी और 500 ट्विन बिन डस्टबिन की खरीद	2018–19	2 वर्ष	91.9	21.32	63.97	जारी
24	एसआर–2017012	भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्व ारा पश्चिमी गुजरात के शुष्क मैदानों में एवियन प्रजातियों पर बिजली लाइनों के प्रभावों का आकलन करने पर एक अध्ययन करना	2017–18	2 वर्ष	90	24.66	79.7	जारी
25	एसआर–2017101	बस स्टैंड, इलाहाबाद में शौचालयों का निर्माण	2017–18	3 वर्ष	61.07	4.24	39.23	पूर्ण
26	एसआर–2018078	बस्सी के पास 9 सरकारी स्कूलों (लड़कों और लड़कियों) में 14 शौचालय का निर्माण	2018–19	3 वर्ष	57.14	0.98	48.69	पूर्ण
27	एसआर–2018197	जिला दमोह में 05 सेमी–ऑटोमैटिक सेनेटरी नैपकिन मशीन का निर्माण और 100 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराना	2018–19	3 वर्ष	53.89	0.45	40.65	पूर्ण
28	एसआर–2019080	जिला सीकर, राजस्थान में 05 विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 05 बालिका शौचालयों का निर्माण	2019–20	1 वर्ष	38.77	9.68	9.68	पूर्ण
29	एसआर–2018244	आरा रेलवे स्टेशन पर शौचालय का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	31.94	3.29	28.17	पूर्ण
30	एसआर–2018105	अनुग्रह मगध मेडिकल कॉलेज, गया, बिहार में शौचालय परिसर का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	21.94	–0.15	21.32	पूर्ण
31	एसआर–2018074	सोलापुर के सी एंड पी गतिविधियों के तहत रामपुर गांव के जिला परिषद स्कूल में 08 महिला शौचालय का निर्माण और मध्याह्न भोजन कक्ष का निर्माण और मध्याह्न भोजन कक्ष का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	17.92	4.49	17.92	पूर्ण
32	एसआर–2018064	शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुठी में 6 शौचालयों का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	11.19	2.03	11.19	पूर्ण
33	एसआर–2017128	पोटिया गांव (जिला–दुर्ग) के प्राथमिक विद्यालय में 01 शौचालय का निर्माण	2017–18	2 वर्ष	5.04	0.25	4.56	पूर्ण
34	एसआर–2019083	तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के उप्पटला गांव में लगभग 119 मीटर लंबे आरसीसी साइड ड्रेन का निर्माण	2019–20	1 वर्ष	5	3.63	3.63	पूर्ण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
35	एसआर–2019042	वाराणसी में नालों का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	280.76	182.5	182.5	जारी
36	एसआर–2018055	बलिया में 40 शौचालयों का परिचालन एवं अनुरक्षण।	2018–19	1 वर्ष	3.08	0.75	3.08	पूर्ण
37	एसआर–2018046	बिहार के भोजपुर जिले में ग्रामीण विकास	2018–19	3 वर्ष	1,109.14	87.28	808.65	जारी
38	एसआर–2018247	आकांक्षी जिला बारां का रूपान्तरण – आंगनबाड़ियों और पीएचसी का नवीनीकरण	2018–19	3 वर्ष	938.68	168.3	255.63	जारी
39	एसआर–2018083	नागरिक बुनियादी ढांचे और शहर के सौंदर्य स्वरूप के नवीनीकरण के लिए कार्यक्रम	2018–19	3 वर्ष	724.29	70.36	369.61	जारी
40	एसआर–2018186	बिहार राज्य में 1700 सौभाग्य होर्डिंग्स का प्रदर्शन।	2018–19	1 वर्ष	701.93	51.97	181.86	पूर्ण
41	एसआर–2018043	बिहार राज्य में ष्प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजनाष् (सौभाग्य योजना) के लिए 800 होर्डिंग्स का प्रदर्शन।	2018–19	1 वर्ष	422.72	25.44	237.07	पूर्ण
42	एसआर–2018048	आईसीआरआईएसएटी के माध्यम से ओडिशा में कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार	2018–19	3 वर्ष	402	113.37	113.37	जारी
43	एसआर–2018271	पामरा चौक से परमानंदपुर, सीतामढ़ी तक 2.4 किमी ग्राम सड़क का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	344.35	177.73	300.94	जारी
44	एसआर–2019056	वगूरा, जम्मू–कश्मीर में इनर लिंक रोड (लगभग 7 किमी) का सुधारध्उन्नयन।	2019–20	2 वर्ष	269.76	174.96	175.09	पूर्ण
45	एसआर–2018241							
राजस्थान के बीकानेर जिले के जलालसर गांव में ग्रामीण विकास कार्यों का परिचालन	2018–19	2 वर्ष	224.08	96.26	201.8	पूर्ण		
46	एसआर–2017081	किशनगंज जिले में ग्राम सड़क का निर्माण।	2017–18	2 वर्ष	199.87	15.46	154.58	पूर्ण
47	एसआर–2018243	बिहार राज्य में 3000 होर्डिंग्स का प्रदर्शन।	2018–19	1 वर्ष	199.79	41.23	83.09	पूर्ण

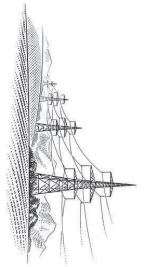

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
48	एसआर–2019185							
बस्ती जिले में 15 सामुदायिक भवन का निर्माण।	2019–20	1 वर्ष	195.85	38.97	38.97	जारी		
49	एसआर–2014030	बनहरपाल ब्लॉक, अंगुल ब्लॉक, छेंडीपाड़ा ब्लॉक और आठमल्लिक ब्लॉक, ओडिशा में गांव में सामुदायिक विकास कार्य	2014–15	2 वर्ष	180.37	7.43	163.28	पूर्ण
50	एसआर–2016028	आगरा में 6 स्थानों पर पंचायत घर का निर्माण	2016–17	3 वर्ष	163.08	10	132.46	पूर्ण
51	एसआर–2018258	बिहार के भोजपुर जिले के 11 गांवों में विकास कार्य।	2019–20	3 वर्ष	159.62	62.95	95.67	जारी
52	एसआर–2018187	जहानाबाद जिले के ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	157.43	42.23	140.76	पूर्ण
53	एसआर–2018221	कैमूर (भभुआ) जिले में 2.2 किमी सड़क का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	146.44	64.05	127.9	पूर्ण
54	एसआर–2018193	सड़क का निर्माण– 1.25 किलोमीटर गुंटुपल्ली गांव के पास, कृष्णा जिला	2018–19	2 वर्ष	125	61.89	93.98	पूर्ण
55	एसआर–2018084	दरभंगा और मधुबनी के विभिन्न गांवों में छठ घाट (07) और सामुदायिक केंद्र (04) का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	122.33	19.36	88.23	जारी
56	एसआर–2016131	(1) 06 सामुदायिक हॉल का निर्माण, (पाइकासाही, कलापटनाली, पिधासाही, गोछायात शाही, अंतुलिया और तबेडा)						
	(2) 01 रहसबारी सत्यबादीपुर							
	(3) 04 (पाइकासाही, पिधासाही, गदातालमुल और बरहम कोल्ह शाही)							
	तालाबों की खुदाई और नवीनीकरण							

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
	(4) रंकसिंघा में पुलिया और नाले के साथ सीसी रोड का निर्माण							
	(5) अथमालिक ब्लॉक के ताबेड़ा, बनारपाल ब्लॉक और अंगुल ब्लॉक ओडिशा में 64 मीटर रोड गार्ड दीवार का निर्माण।	2016–17	3 वर्ष	115.67	6.44	114.62	पूर्ण	
57	एसआर–2019037	संत कबीर नगर में 5 4 मीटर आरसीसी पुलिया का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	113.49	77.19	77.19	जारी
58	एसआर–2019067	एक उद्यान कुटीर के निर्माण के साथ–साथ सियालबु सामुदायिक फल वृक्ष उद्यान का विकास करना और 5 वर्षों की अवधि के साथ–साथ चुराचांदपुर जिला, मणिपुर में अनुरक्षण करना	2019–20	2 वर्ष	110.83	17.86	41.68	जारी
59	एसआर–2019047	गोरखपुर में श्मशान परिसर का उन्नयन	2019–20	2 वर्ष	99.34	40.27	40.27	जारी
60	एसआर–2015028	ग्रामीण विकास परियोजनाएं						
(1) 2 सामुदायिक केंद्र का निर्माण								
(2) 01 रहशबडे (खुला शेड) का निर्माण								
(3) 04 तालाबों की खुदाईध नवीनीकरण								

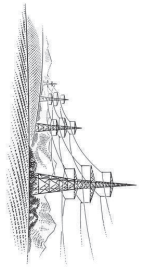

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण / जारी
(4) पेयजल व्यवस्था								
(5) 01 नाले का निर्माण								
(6) बनहरपाल ब्लॉक, अंगुल ब्लॉक और छेंडीपाड़ा ब्लॉक में गांव में स्कूल कक्षा कक्ष का निर्माण	2015–16	2 वर्ष	98.94	2.16	98.93	पूर्ण		
61	एसआर–2017116	कुशीनगर में 7 स्थानों पर 2 केवीए सोलर लाइट से कम्युनिटी सेंटर का निर्माण	2017–18	3 वर्ष	92.67	22.46	92.47	पूर्ण
62	एसआर–2014029	बोनारपाल ब्लॉक और अंगुल ब्लॉक, ओडिशा के गांवों में सामुदायिक विकास कार्य	2014–15	5 वर्ष	74.26	4.11	69.11	पूर्ण
63	एसआर–2018228	मुर्शिदाबाद जिले के नबाग्राम प्रखंड के अंतर्गत माजीग्राम आदिवासीपारा गांव तक एनएच–34 दक्षिणि ांगग्राम मोरे से कंक्रीट सड़क (1.85 किमी) का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	64.43	0.64	64.14	पूर्ण
64	एसआर–2018237	पूर्वी चंपारण में ग्राम सड़क, पार्क का निर्माण।	2018–19	2 वर्ष	60.12	2.58	39.63	जारी
65	एसआर–2016179	धनबाद, झारखंड में 08 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण।	2016–17	3 वर्ष	59.83	5.87	58.39	पूर्ण
66	एसआर–2019049	पश्चिम मेदिनीपुर में रेस्ट शेड, एप्रोच रोड, बायो–टॉयलेट, ट्रैक्टर, स्टील वॉटर टैंक आदि	2019–20	2 वर्ष	54.6	26.35	26.35	जारी
67	एसआर–2015007	मेडिकेरी में सामुदायिक भवन का निर्माण	2015–16	3 वर्ष	50	5	50	पूर्ण
68	एसआर–2017005	बी.चारियाली में एचवीडीसी एनईए परियोजनाओं के आसपास सीएसआर कार्यों को करना						

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
(प) ईस्ट कलियाजुली एलपी स्कूल के पास ओपन स्टेज और ग्रीन रूम								
(पप) बी. चरियाली घाट लिंक रोड पर आदिवासी महिलाओं के लिए बुनाई केंद्र का निर्माण।								
(पपप) नरुण गांव विकास समिति में सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण।								
(पअ) बाघमरी टी एस्टेट में मार्केट शेड का निर्माण।								

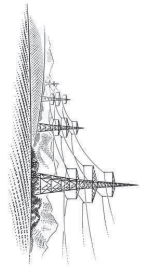

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/जारी
(अ) बाघमारी टीईएलपी स्कूल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण।	2017–18	3 वर्ष	48.26	28.95	48.25	पूर्ण		
69	एसआर–2018155	अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में बिदसिंहबासु, तलाबहाली, सिमिलादंडी और घोड़ाबंध ुवनी गांवों में चार सामुदायिक केंद्रों का निर्माण	2018–19	3 वर्ष	36	5.55	32.55	जारी
70	एसआर–2018146	किशोर नगर ब्लॉक में उरुकुला, कदलिनुंडा, बड़रोहिला, गरुड़ और अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में बरपाली गांवों में पांच सामुदायिक केंद्रों का निर्माण	2018–19	3 वर्ष	30.21	6.27	30.21	पूर्ण
71	एसआर–20191	करबिगहिया, पटना में पीसीसी रोड (सड़क का निर्माण)	2019–20	2 वर्ष	24.91	12.51	15.95	पूर्ण
72	एसआर–2018214	मधुबनी जिले के लादनिया गांव में छठ घाट का निर्माण।	2018–19	3 वर्ष	23.92	0.75	21.2	पूर्ण
73	एसआर–2018214	भेंद्रा गांव के सरकारी मध्य विद्यालय में बाउंड्री वाल का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	22.13	–0.18	22.13	पूर्ण
74	एसआर–2019145	पुलिस अधीक्षक परिसर, तिरुपुर के कार्यालय में 1200 वर्ग फुट में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कैंटीन का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	22	21.57	21.57	पूर्ण
75	एसआर–2017123	गांव नेवाली, तहसील–पनवेल, नवी मुंबई में सामुदायिक हॉल का निर्माण	2018–19	3 वर्ष	21.88	9.66	21.88	पूर्ण
76	एसआर–2018162	(1) पोकोंडा गांव, पाइकासाही जीपी और (2) मंदारबहल गांव, कुरुमटॉप जीपी, अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में तालाबों का नवीनीकरण और खुदाई	2018–19	3 वर्ष	21	2.87	9	पूर्ण
77	एसआर–2019160	पलक्कड़ जिले के एलापुली ग्राम पंचायत में पुलिया, रिटेनिंग वॉल और क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	18.53	17.6	17.6	पूर्ण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
78	एसआर–2016260	अंगुल के आठमल्लिक प्रखंड के कुसुमधारा गांव में शंखापुर गांव और रहसवाड़ी में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	2016–17	3 वर्ष	17	3.77	13.27	जारी
79	एसआर–2018188	जावंग्राम गांव आइजोल, मिजोरम तक पहुंच मार्ग का निर्माणध्उन्नयन	2018–19	3 वर्ष	13.78	11.02	13.78	पूर्ण
80	एसआर–2018141	जिला अंगुल, ओडिशा में किशोर नगर ब्लॉक के तलदार गांव में चेक बांध का निर्माण	2018–19	3 वर्ष	10	8	8	जारी
81	एसआर–2018045	ग्राम कोटरा, रायगढ़ में डोमा तालाब में 02 पचरी (सीढ़ी) का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	8.82	0.52	4.63	पूर्ण
82	एसआर–2018168	अथमालिक ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा में बिदसिंहबासु, पोकोंडा गांवों में दो रहसवाड़ी का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	6	1.37	6	पूर्ण
83	एसआर–2018147	किशोर नगर ब्लॉक, अंगुल जिला, ओडिशा के रायबहल गांव में सामुदायिक केंद्र के स्थान पर रहसवाड़ी का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	6	6	6	पूर्ण
84	एसआर–2018013	किशोरनगर प्रखंड अथमल्ली के बनारनाली गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	4.85	4.85	4.85	पूर्ण
85	एसआर–2019104	बिश्वनाथी गिंगिया धारा पर इस्पात पुल की मरम्मत	2019–20	1 वर्ष	4.39	4.39	4.39	पूर्ण
86	एसआर–2019121	के.परमथी को सौंपने के लिए करूर सबस्टेशन पर ट्रैफिक बैरिकेड्स की आपूर्ति	2019–20	1 वर्ष	3.3	2.95	3.27	पूर्ण
87	एसआर–2019025	अंगुल जिले के किशोरनगर प्रखंड के बड़ागोविंदपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण	2019–20	1 वर्ष	3	1.5	3	पूर्ण
88	एसआर–2018196	बरपाली, तमनारी में सामुदायिक केंद्र का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	32.5	18.56	18.56	जारी
89	एसआर–2019107	नागार्जुनसागर विजयापुरी दक्षिण पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत उपकरणों की खरीद	2019–20	1 वर्ष	2.07	0.63	0.63	पूर्ण
90	एसआर–2019175	साइंस कॉलेज, दरभंगा, बिहार, सी.एम. में 150 बिस्तरों वाले आर्यभट्ट बालक छात्रावास का निर्माण एवं पार्क का विकास।	2019–20	3 वर्ष	750	9.24	9.24	जारी

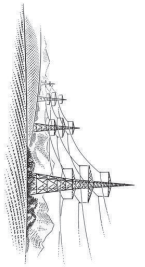

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/जारी
91	एसआर–2019141	सिंगरौली जिले की तहसील सराय में अनुसूचित जाति वरिष्ठ बालिका छात्रावास (50 सीटर) का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	242.51	41.97	41.97	जारी
92	एसआर–2016109	केबी सरकारी महिला कॉलेज, हजारीबाग, झारखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ खेल के मैदान का विकास।	2015–16	3 वर्ष	188.47	9.78	157.47	जारी
93	एसआर–2019130	शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्टता विद्यालय, मंडला में स्मार्ट क्लास शिक्षा का प्रावधान	2019–20	1 वर्ष	52.09	5.2	5.2	जारी
94	एसआर–2018215	दमोह में शासकीय नेत्रहीन, मूक–बधिर विद्यालय में रसोई के साथ भोजनालय का निर्माण एवं मेज एवं बेंच की व्यवस्था	2019–20	1 वर्ष	16.96	1.51	15	पूर्ण
95	एसआर–2017058	हिमाचल प्रदेश में 3250 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति एवं स्थापना	2017–18	3 वर्ष	737.1	60.86	461.41	पूर्ण
96	एसआर–2017075	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में "पॉवरग्रिड विश्रम सदन"	2017–18	3 वर्ष	1,500.00	317.06	392.59	जारी
97	एसआर–2018220	100 बिस्तरों वाले एसके रॉय सिविल अस्पताल हैलाकांडी (आकांक्षी जिला) की मरम्मत और नवीनीकरण	2018–19	3 वर्ष	379.91	176.4	211.68	जारी
98	एसआर–2018222	एसके राय सिविल अस्पताल हैलाकांडी में 20 बिस्तरों वाली ओपीडी का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	87.6	2.71	2.71	जारी
99	एसआर–2018167	रामकृष्ण मिशन चौरिटेबल डिस्पेंसरी, शिलांग, मेघालय द्वारा संचालित किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण, मोबाइल चिकित्सा इकाई प्रदान करना और 02 टेली–परामर्श केंद्रों की स्थापना करना	2018–19	1 वर्ष	49.47	19.78	49.47	पूर्ण
100	एसआर–2019071	सिविल अस्पताल, शिलांग में डीएई–सिविल अस्पताल कैंसर विंग के स्वागत क्षेत्र और डे–केयर वार्ड के अस्पताल फर्नीचर और फिक्स्चर ६ फर्निशिंग प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	46.71	46.71	46.71	पूर्ण
101	एसआर–2019151	बोंगाईगांव सिविल अस्पताल में 30 बेड की व्यवस्था	2019–20	1 वर्ष	4.74	4.64	4.64	पूर्ण
102	एसआर–2018149	मच्छीशहर, उत्तर प्रदेश में 195 हैंडपंपों की आपूर्ति, स्थापना और शुरू करना	2018–19	3 वर्ष	99.84	19.93	60.17	जारी

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
103	एसआर–2019051	पंजाब के फिरोजपुर जिले में मल्लनवाला और कसोवन्ना में 3 एम्बुलेंस की आपूर्ति और पीएचसी भवनों का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	463.83	43.89	43.89	जारी
104	एसआर–2016046	टाटा, मुंबई में कैंसर के लिए टीएमसीध्एसीटीआरईसी, मुंबई में रेडियोआइसोटोप उपचार के दौर से गुजर रहे मरीजों के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन थेरानोस्टिक सुविधा बनाने के लिए वित्तीय सहायता।	2016–17	3 वर्ष	3,000.00	46.8	2,699.80	जारी
105	एसआर–2018175	धर्मशालाध्रात्रि आश्रय का निर्माण – एनआईएमएचएएनएस	2018–19	3 वर्ष	2,300.00	346.93	584.42	जारी
106	एसआर–2017074	आईजीआईएमएस, पटना में विश्राम सदन का निर्माण।	2017–18	3 वर्ष	1,653.97	84.42	1,653.97	पूर्ण
107	एसआर–2018053	रिम्स, रांची में विश्राम सदन का निर्माण।	2018–19	3 वर्ष	1,500.00	298.85	674.3	जारी
108	एसआर–2018176	डीएमसीएच, दरभंगा में विश्राम सदन का निर्माण।	2018–19	3 वर्ष	1,500.00	362.31	509.19	जारी
109	एसआर–2019114	एमकेसीजी सरकार, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बरहामपुर ओडिशा में विश्राम सदन का निर्माण।	2019–20	3 वर्ष	1,500.00	6.77	6.77	जारी
110	एसआर–2018246	सर सयाजीराव जनरल (एसएसजी) अस्पताल, वडोदरा में ष्पावरग्रिड विश्राम सदनष् का निर्माण	2018–19	3 वर्ष	1,495.00	426	516.41	जारी
111	एसआर–2018248	कालाहांडी जिला (आकांक्षी जिला), ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण और अन्य उपकरण प्रदान करना	2018–19	2 वर्ष	854.06	247.14	247.14	जारी
112	एसआर–2018240	सीएचसी–मानपुर, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का उन्नयन	2018–19	3 वर्ष	481	37.06	313.84	पूर्ण
113	एसआर–2018225	लखनऊ में पावरग्रिड विश्राम सदन (केजीएमयू) का अतिरिक्त 2 मंजिलों तक विस्तार	2018–19	3 वर्ष	477.3	146.08	477.3	पूर्ण
114	एसआर–2018224	बिलासपुर जिला प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश को 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट प्रदान करना	2018–19	2 वर्ष	219.11	27.82	103.46	जारी
115	एसआर–2019086	हरियाणा में जिला अस्पताल के लिए 6 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस की आपूर्ति	2019–20	2 वर्ष	199.51	39.8	199	पूर्ण
116	एसआर–2019062	मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति	2019–20	2 वर्ष	168.74	142.59	142.59	जारी

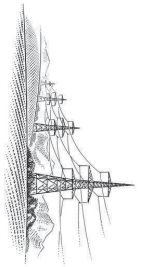

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
117	एसआर–2019096	जिला राजनांदगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में सुदृढ़ीकरण प्रयोगशाला एवं अस्पतालों के लिए उपकरणों की आपूर्ति	2019–20	2 वर्ष	149.93	112.83	112.83	जारी
118	एसआर–2016246	आईजीजीएमसी और मेयो अस्पताल, नागपुर में आने वाले मरीजों और परिचारकों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण	2017–18	3 वर्ष	115.81	33.79	79.22	पूर्ण
119	एसआर–2018192	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज (एनएससीबीएमसी), जबलपुर में जनरल वार्ड का नवीनीकरण और चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, एसी की आपूर्ति	2018–19	2 वर्ष	115.63	5.07	89.83	पूर्ण
120	एसआर–2017080	आईआरसीएस द्वारा 23 स्थानों पर चिकित्सा शिविर	2017–18	1 वर्ष	115.12	0.02	115.12	पूर्ण
121	एसआर–2016011	एनआर–प्प में 10 स्थानों के लिए एम्बुलेंस की खरीद	2016–17	2 वर्ष	111.34	0.17	99.92	पूर्ण
122	एसआर–2018235	एपी और तेलंगाना में 17 मल्टी स्पेशियलिटी मेडिकल कैंप	2018–19	1 वर्ष	86.42	2	86.42	पूर्ण
123	एसआर–2019139	श्री कल्याण सरकारी अस्पताल, सीकर, राजस्थान को 6 प्रोब के साथ 1 कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन, बुनियादी सुविधाओं के साथ 1 सोनोग्राफी मशीन और बुनियादी जीवन समर्थन चिकित्सा उपकरणों के साथ 1 एम्बुलेंस की आपूर्ति	2019–20	1 वर्ष	66.68	16.27	16.27	जारी
124	एसआर–2016143	सीकरी के निकट ग्राम बधाधार में (प) उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पप) पशु चिकित्सालय का निर्माण	2016–17	3 वर्ष	52.31	4.16	50.18	पूर्ण
125	एसआर–2019108	एलिम्को के माध्यम से राजनांदगांव में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को उच्च स्तरीय सहायता और उपकरण ों का वितरण	2019–20	1 वर्ष	39	20.7	20.7	जारी
126	एसआर–2019108	पांच आकांक्षी जिलों में मैसर्स आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (।स्प्डब्) के माध्यम से दिव्यांगजन (च्वे) को उच्च उपकरण सहायता और उपकरणों का वितरण	2019–20	1 वर्ष	39	5.85	5.85	जारी
127	एसआर–2019070	श्जिला अस्पताल, बलियाश को दो सुसज्जित एम्बुलेंस की आपूर्ति	2019–20	1 वर्ष	30.53	30.48	30.48	पूर्ण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
128	एसआर–2019161	सरकारी धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज, धर्मपुरी को कपड़े धोने के उपकरण और पोर्टेबल यूएसजी प्रदान करना।	2019–20	1 वर्ष	24.82	24.82	24.82	पूर्ण
129	एसआर–2018132	शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), नालागढ़ को विभिन्न सामग्री उपलब्ध कराना	2018–19	2 वर्ष	22.26	1.96	15.03	पूर्ण
130	एसआर–2018132	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरदारपुर, राजगढ़ मप्र में नेत्र विज्ञान उपकरण की आपूर्ति	2019–20	1 वर्ष	10.87	10.87	10.87	पूर्ण
131	एसआर–2018148	सरकारी छाती रोग अस्पताल जम्मू को 1 एम्बुलेंस प्रदान करना	2018–19	1 वर्ष	11.85	0.11	11.85	पूर्ण
132	एसआर–2019064	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, माडा, सिंगरौली को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना	2019–20	1 वर्ष	8.96	8.96	8.96	पूर्ण
133	एसआर–2020057	एनबीएसयू (नवजात स्थिरीकरण इकाई) वार्ड की मरम्मत और जोधपुर में सरकारी अस्पताल फलोदी ब्लॉक के लिए सामान्य सुविधाएं प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	4.99	4.18	4.95	पूर्ण
134	एसआर–2019164	सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) इनामकुलथुर और नागमंगलम जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	4.98	4.98	4.98	पूर्ण
135	एसआर–2019137	पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आदिलाबाद, तेलंगाना में चिकित्सा शिविर का आयोजन	2019–20	1 वर्ष	4.96	1.24	1.24	पूर्ण
136	एसआर–2019127	तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में विकलांग व्यक्तियों को फोल्डेबल टाइप व्हील चेयर प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	4.91	4.91	4.91	पूर्ण
137	एसआर–2018060	क्षेत्रीय मानसिक चिकित्सालय नागपुर में ईईजी मशीन एवं 2 एयर कंडीशनर की आपूर्ति एवं संस्थापन	2019–20	1 वर्ष	4.62	1.88	1.88	पूर्ण
138	एसआर–2019123	फरीदाबाद में 4 स्वचालित सैनिटरी वेंडिंग मशीन, 4 स्वचालित सैनिटरी नैपकिन इंसीनरेटर और 30 लिखने वाले पैड सहित स्टडी चेयर।	2019–20	1 वर्ष	2.8	1.8	1.8	पूर्ण
139	एसआर–2019135	एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र में वसुंधरा मरीजों के छात्रावास के लिए 7 किलो क्षमता की 3 टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	0.79	0.45	0.45	पूर्ण

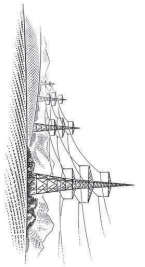

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/जारी
140	एसआर–2018166	श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा अनुमंडल के राष्ट्रीय राजमार्ग–16 पर 19 स्थानों पर 20 सोलर लाइटों की आपूर्ति एवं स्थापना।	2018–19	2 वर्ष	34.89	18.18	18.18	जारी
141	एसआर–2018219	महबूबनगर, वानापति, रंगारेड्डी और विक्राबाद जिला, तेलंगाना के विभिन्न गांवों में 310 सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना	2018–19	2 वर्ष	75.42	3.77	71.66	जारी
142	एसआर–2019097	विजयवाड़ा नगर निगम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के लिए स्वचालित पीईटी बोतल फ्लेकिंग और रिवर्स वेंडिंग मशीन	2019–20	1 वर्ष	81.24	36.76	36.76	जारी
143	एसआर–2016257	पीलीभीत में 200 सोलर लाइट की स्थापना	2017–18	2 वर्ष	42	7.14	42	पूर्ण
144	एसआर–2019140	गांव दौलताबाद और धरमपुर, गुरुग्राम, हरियाणा में तालाब का कायाकल्प	2019–20	1 वर्ष	199.97	28.96	28.96	जारी
145	एसआर–2017018	ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन	2017–18	1 वर्ष	124.52	–0.17	104.94	पूर्ण
146	एसआर–2019128	ग्रीन बेल्ट सीएसआर वर्क सेक्टर –43 चेन लिंक फेंसिंग	2019–20	2 वर्ष	55.86	4.55	55.86	पूर्ण
147	एसआर–2019184	फाफरानध्सौंतियाल ग्राम कोटेश्वर, उत्तराखंड के लिए जीयूएल (तालाब–जल निकाय) का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	50.49	15.74	15.74	जारी
148	एसआर–2018056	औरिया में 125 वृक्षारोपण	2018–19	1 वर्ष	2.88	0.44	2.88	पूर्ण
149	एसआर–2020047	वृद्धाश्रम, गंगटोक को बैटरी की आपूर्ति	2019–20	1 वर्ष	0.38	0.24	0.24	पूर्ण
150	एसआर–2018179	सेक्टर–43, गुड़गांव में टाउनशिप के सामने हरित पट्टी पर बागवानी विकास का अनुरक्षण	2018–19	1 वर्ष	41.16	12.45	12.45	पूर्ण
151	एसआर–2019128	पावरग्रिड टाउनशिप सेक्टर–43, गुड़गांव के सामने हरित पट्टी का विकास और अनुरक्षण	2018–19	1 वर्ष	51.54	12.07	34.29	पूर्ण
152	एसआर–2019110	एल.पी.एस. हैलाकांडी, असम के खास कॉलोनी में बाउंड्री वाल का निर्माण	2019–20	1 वर्ष	7.87	4.87	4.87	जारी
153	एसआर–2017100	105 रेलवे स्टेशनों पर (मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में 100 स्टेशन और समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में 5 स्टेशन) वाई–फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराना।	2017–18	3 वर्ष	1,537.00	39.92	1,082.88	जारी
154	एसआर–2019076	कांचीपुरम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना	2019–20	3 वर्ष	1,000.00	54.05	54.05	जारी

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
155	एसआर–2019073	हरियाणा के 165 सरकारी स्कूलों में 330 स्मार्ट कक्षा कक्ष की स्थापना और परिचालन	2019–20	2 वर्ष	787.59	780.91	780.91	पूर्ण
156	एसआर–2019115	शासकीय क्वींस महाविद्यालय, वाराणसी के लिए 120 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण	2019–20	3 वर्ष	490.52	41.58	41.58	जारी
157	एसआर–2017110	कृषि विश्वविद्यालय त्रिशूर, केरल में महिला छात्रावास	2017–18	3 वर्ष	445	200.5	445	पूर्ण
158	एसआर–2014013	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए बालक छात्रावास का निर्माण	2014–15	3 वर्ष	400	0.1	357.75	पूर्ण
159	एसआर–2017076	जम्मू–कश्मीर में 10 आर्मी गुडविल स्कूलों का उन्नयन– डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन का परिचय।	2019–20	2 वर्ष	309.65	61.22	213.22	जारी
160	एसआर–2019176	राजस्थान के सरकारी स्कूल में 100 स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना।	2019–20	2 वर्ष	186.06	179.89	179.89	पूर्ण
161	एसआर–2019043	गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल स्कूल, मोगा (पंजाब) के लिए दो मंजिला कक्षा कक्ष का निर्माण और 16 बेंच उपलब्ध कराना	2019–20	2 वर्ष	174.92	112.9	131.02	जारी
162	एसआर–2019095	सुपौल जिले के सरकारी स्कूल में 50 डेस्क बेंच प्रदान करना।	2019–20	2 वर्ष	128	56.43	56.53	पूर्ण
163	एसआर–2017057	गौतमबुद्धनगर जिले के 26 विद्यालयों में शौचालयध आरओध्यनडुब्बी पंप उपलब्ध कराना।	2017–18	2 वर्ष	127.59	20.84	127.41	पूर्ण
164	एसआर–2019088	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, कन्नूर, केरल, मुंडेरी में प्लस टू कक्षाओं के लिए नई कक्षाओं का निर्माण और मौजूदा 04 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में अपग्रेड करना।	2019–20	2 वर्ष	126	113.4	126	पूर्ण
165	एसआर–2019021	सरकारी स्कूल, सेलम, तमिलनाडु को बेंच और डेस्क प्रदान करना।	2019–20	2 वर्ष	115.15	52.45	76.84	पूर्ण
166	एसआर–2018092	जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, असम में शोधकर्ताओं के छात्रावास का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	106.45	18.31	73.23	जारी
167	एसआर–2019026	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के. परमथी गांव, करूर जिला (तमिलनाडु) भूतल में 04 कक्षाओं और पहली मंजिल पर एक सभागार के साथ विद्यालय भवन का निर्माण।	2019–20	2 वर्ष	104.5	87.05	87.05	जारी

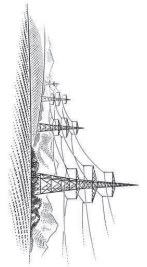

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/जारी
168	एसआर–2019099	आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा निर्वाचन क्षेत्र में 15 स्कूलों में परिसर की दीवारों का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	101.2	69.17	89.41	जारी
169	एसआर–2018174	श्रावस्ती में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	100.06	9.98	9.98	जारी
170	एसआर–2019126	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र, कोकराझार, असम के तहत 44 स्कूलोंध्उच्च माध्यमिक विद्यालयध्जूनियर कॉलेजों में 44 स्मार्ट कक्षा कक्ष स्थापित करने के लिए निधि प्रदान करना	2019–20	2 वर्ष	99	68.99	68.99	जारी
171	एसआर–2019072	राजस्थान के कोटा में सरकारी स्कूलों में कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण और अध्ययन डेस्क की आपूर्ति	2019–20	2 वर्ष	92.99	17.26	17.26	जारी
172	एसआर–2018201	भिरिंगी टी.एन., दुर्गापुर सब डिवीजन, पश्चिम बध्र्मान जिला, पश्चिम बंगाल (उच्चतर माध्यमिक स्कूल) संस्थान में पांच कक्षा कक्ष व शौचालय का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	81.13	24.53	33.03	जारी
173	एसआर–2018137	सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल केहली मंडी, सांबा में 7 कक्षाओं का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	69.52	0.44	40.6	पूर्ण
174	एसआर–2016256	रंगपारा कॉलेज असम में टाइप 04 कक्षाओं का निर्माण	2017–18	3 वर्ष	65	25.54	51.61	पूर्ण
175	एसआर–2019120	शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लेह का नवीनीकरण एवं फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं आपूर्ति	2019–20	2 वर्ष	64.17	31.89	31.89	जारी
176	एसआर–2019119	नलगोंडा जिला, तेलंगाना में स्कूलों और जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स को डुअल डेस्क, टीचर डेस्क, चेयर और ग्रीन चाक बोर्ड की आपूर्ति	2019–20	2 वर्ष	63.42	32.54	62.82	पूर्ण
177	एसआर–2018057	शासकीय हाई स्कूल सिंघवाला मोगा में 8 कक्षाओं का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	61.29	7.83	66.06	पूर्ण
178	एसआर–2019053	नेपुरा बिजली रानी हाई स्कूल, पश्चिम मेदिनीपुर में सामग्री उपलब्ध कराना	2019–20	2 वर्ष	69.1	29.27	29.88	जारी
179	एसआर–2019032	शासकीय विद्यालय दामोदरपुरा, बस्सी के लिए 6 कक्षा कक्ष का निर्माण	2019–20	2 वर्ष	46.83	34.61	44.2	पूर्ण
180	एसआर–2019022	भीनमाला के 12 सरकारी स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध कराना	2019–20	2 वर्ष	43.31	0.02	36.86	पूर्ण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
181	एसआर–2019092	सरकारी मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जरी कोडलमपट्टी, सलेम के लिए 4 कक्षाओं का निर्माण और 7.92 केडब्ल्यूपी सौर जनरेटर प्रणाली की स्थापना।	2019–20	2 वर्ष	40.6	36.59	40.64	पूर्ण
182	एसआर–2018252	डेलंग ब्लॉक, पुरी, ओडिशा के मुनिंडा में कबी प्रसन्ना पटसन्नी हाई स्कूल में सम्मेलन हॉल सह विरासत भवन का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	38.99	7.8	7.8	जारी
183	एसआर–2019011	हरियाणा सीएसआर सोसाइटी के साथ ई–गवर्नेंस लर्निंग पर सीएसआर परियोजना	2019–20	1 वर्ष	34.1	10.87	31.72	पूर्ण
184	एसआर–2019129	सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धीरा, पठानकोट में 04 कक्षा कक्ष का निर्माण।	2019–20	2 वर्ष	29.98	13.13	13.13	जारी
185	एसआर–2018194	महाराष्ट्र के शिकरापुर पुणे जिले के बुरुंजवाड़ी में जिला परिषद स्कूल में चार कक्षाओं का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	28.87	10	28.87	पूर्ण
186	एसआर–2018169	एमपीपी स्कूल, वेलिगल्लु गांव, कडपा जिले में – 400 मीटर सीसी रोड और 100 मीटर बाउंड्री वॉल का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	28	11.89	11.89	जारी
187	एसआर–2018171	तेलंगाना के निजामाबाद जिले के डिचपल्ली में जिला परिषद हाई स्कूल में 2 कक्षा कक्ष का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	27.61	3.15	24.08	पूर्ण
188	एसआर–2018062	गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुखराली, गुड़गांव में विविध कार्य	2018–19	2 वर्ष	26.25	1.02	26.25	पूर्ण
189	एसआर–2019046	राजस्थान के राजसमंद जिले के शासकीय विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य करना	2019–20	2 वर्ष	21.75	12.8	12.8	पूर्ण
190	एसआर–2016256	बालीगांव मिरी एल.पी. स्कूल में ईंट की चारदीवारी एवं गेट का निर्माण	2017–18	2 वर्ष	18.12	7.25	7.25	जारी
191	एसआर–2018138	ग्राम टागा, चंपा में सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न सीएसआर कार्य करता है	2019–20	2 वर्ष	17.17	8.15	11.56	पूर्ण
192	एसआर–2018024	गंगा दत्त शर्मा शासकीय आई.टी.आई. पिथौरागढ़ को फर्नीचर आदि क्रय हेतु निधि उपलब्ध कराना	2018–19	2 वर्ष	15	12.09	12.09	जारी

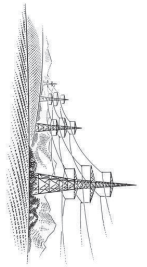

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/जारी
193	एसआर–2019098	अलेसुर गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के लिए शौचालय (लड़के और लड़कियों) का निर्माण और स्कूल की सीमा दीवार, भाटापारा की मरम्मत	2019–20	2 वर्ष	14.85	7.19	7.19	जारी
194	एसआर–2019050	शासकीय बालक छात्रावास उराई में नवीनीकरण कार्य	2019–20	2 वर्ष	14.55	2.42	2.42	जारी
195	एसआर–2018206	मेडेसरा ग्राम, दुर्ग में प्राथमिकध्जूनियर हाई स्कूल के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का निर्माण।	2019–20	2 वर्ष	14.42	0.29	10.22	पूर्ण
196	एसआर–2016135	काशी विद्यापीठ वाराणसी में मौसम स्टेशन उपकरण की आपूर्ति	2016–17	2 वर्ष	14	5.5	12.6	पूर्ण
197	एसआर–2016256	बालीगांव मिरी एल.पी. स्कूल की मरम्मत एवं नवीनीकरण	2017–18	2 वर्ष	12.8	5.12	11.52	पूर्ण
198	एसआर–2019174	धारापुरम तालुक, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के चार विभागों में सस्टेनेबल इंटरएक्टिव प्ले स्पेस की आपूर्ति और विकास।	2019–20	2 वर्ष	11	9.58	9.58	पूर्ण
199	एसआर–2019116	ष्राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलष् मोहम्मदपुर, झारसा, गुड़गांव, हरियाणा में मरम्मत और सफेदी का काम	2019–20	2 वर्ष	10.44	10.44	10.44	पूर्ण
200	एसआर–2020034	जिला राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी, तहसील गाजा, टिहरी गढ़वाल में विधानसभाध्प्रार्थना मैदान में मंच पर सीमेंट कंक्रीट के फर्श (फुटपाथ) और शेड का निर्माण	2019–20	1 वर्ष	5.98	4.94	4.94	पूर्ण
201	एसआर–2019075	जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के समौली–सलेमपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के मौजूदा भवन की मरम्मत और अनुरक्षण	2019–20	1 वर्ष	5.74	0.99	5.15	पूर्ण
202	एसआर–2016256	एलपी स्कूल चाचर में बाउंड्री वॉल	2019–20	1 वर्ष	5.53	5.53	5.53	पूर्ण
203	एसआर–2020101	मोगा के लांडे के स्कूल में वंचित बच्चों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।	2020–21	1 वर्ष	4.96	0.28	0.28	जारी
204	एसआर–2019190	प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में बेंच व डेस्क उपलब्ध कराना	2019–20	1 वर्ष	4.85	4.64	4.64	पूर्ण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
205	एसआर–2020068	वाटर कूलर सह शोधक की आपूर्ति और फिक्सिंगरू						
	सरकारी हाई स्कूल (ग्राम, टागा),							
	सरकारी जूनियर हाई स्कूल (ग्राम, चोरभट्टी),							
	सरकारी प्राथमिक विद्यालय (ग्राम, टागा),							
	सरकारी उनयान प्राइमरी स्कूल (ग्राम, टागा),							
	जनपद पंचायत सीईओ कार्यालय (अकलतरा) एवं सामुदायिक केन्द्र ग्राम टागा	2019–20	1 वर्ष	4.47	4.47	4.47	पूर्ण	
206	एसआर–2019101	तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सरकारी स्कूलों में बेंच और डेस्क उपलब्ध कराना	2019–20	1 वर्ष	2.64	2.15	2.15	पूर्ण
207	एसआर–2018125	गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, नोवाबाद, जम्मू को विभिन्न वस्तुएँ प्रदान की	2018–19	1 वर्ष	2.51	0.05	2.51	पूर्ण
208	एसआर–2019177	खलीहरियत माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण उपलब्ध कराना	2019–20	1 वर्ष	1.92	1.92	1.92	पूर्ण
209	एसआर–2019134	रतगढ़, बी292 खंडवा अर्बन, खंडवा, मध्य प्रदेश मे आंगनबाडी केन्द्रों की मरम्मत	2019–20	1 वर्ष	0.75	0.75	0.75	पूर्ण
210	एसआर–2020036	डिएंगशिनरम, खलीहरियातो (सरकारी सहायता प्राप्त), लोटस सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग की पेंटिंग	2019–20	1 वर्ष	0.48	0.48	0.48	पूर्ण
211	एसआर–2020097	प्राथमिक विद्यालय मटौर के लिए 01 32" इंच एज मेक एलईडी स्मार्ट टीवी की खरीद।	2018–19	1 वर्ष	0.2	0.09	0.09	पूर्ण
212	एसआर–2020031	शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बख्शी नगर, जम्मू को 1 इन्वर्टर एवं बैटरी प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	0.18	0.18	0.18	पूर्ण
213	एसआर–2018177	लखनऊ में 258 पनडुब्बी पंपों की स्थापना	2018–19	3 वर्ष	329.15	65.78	328.95	पूर्ण

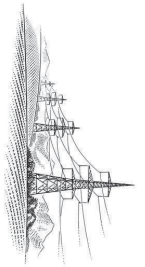

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजनाओं का नाम	परियोजना शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
214	एसआर–2019158	इटावा में 100 पनडुब्बी पंपों की स्थापना	2019–20	2 वर्ष	146.23	145.73	145.23	पूर्ण
215	एसआर–2018195	देवरिया जिले में 250 इंडिया मार्का–प्प हैंडपंप की स्थापना	2017–18	3 वर्ष	103.93	51.17	61.54	जारी
216	एसआर–2019036	लखीमपुर खीरी में 100 हैंडपंपों की आपूर्ति	2018–19	3 वर्ष	47.81	9.54	28.43	जारी
217	एसआर–2017117	आजमगढ़ में 100 हैंडपंप की स्थापना	2017–18	3 वर्ष	47.41	4.98	47.21	पूर्ण
218	एसआर–2018200	प्रतापगढ़ में 100 हैंडपंपों की स्थापना	2017–18	3 वर्ष	47.1	18.69	46.9	पूर्ण
219	एसआर–2017034	लेह, जम्मू–कश्मीर जिले के ने और बसगो के गांवों में 6 पनडुब्बी वाटर पंपों का निर्माण	2018–19	2 वर्ष	25.44	18.62	18.62	पूर्ण
220	एसआर–2017004	0.1 एमएलडी क्षमता और कार्ड आधारित वितरण के साथ 5 केएल क्षमता वाली रिमोट डिस्पेंसिंग इकाइयां मदर प्लांट के साथ क्लस्टर आधारित आरओ प्लांट की स्थापना	2018–19	2 वर्ष	220	16.71	189.71	पूर्ण
221	2018044	वकापैल्ली गांव, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश को पेयजल सुविधा प्रदान करना	2018–19	2 वर्ष	55.95	2.02	52.37	पूर्ण
222	एसआर–2018199	सुंदरगढ़ जिले, ओडिशा के चक्रमल और रंगाईमुंडा में पाइप जलापूर्ति प्रणाली प्रदान करना	2019–20	2 वर्ष	20	8	12	जारी
223	एसआर–2019081	बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में 05 वाटर एटीएम की स्थापना	2019–20	1 वर्ष	8.87	5.35	5.35	पूर्ण
224	एसआर–2020041	अम्फान बहाली कार्य (ठैम्क्ब्ब्ैठैम्ज्ब्स्)	2019–20	1 वर्ष	181	180.32	180.32	पूर्ण
225	एसआर–2020001	कोविड–19 के तहत स्वास्थ्य गतिविधियों पर व्यय – खाद्य राशन राहत प्रदान करना	2019–20	1 वर्ष	1,634.29	1,605.32	1,605.32	पूर्ण
		कुल				**12,550.98**		

यथा 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र

(रु. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
आस्तियाँ			
गैर–वर्तमान आस्तियाँ			
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	**175,392.06**	168,339.02
पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	5	**17,896.67**	30,180.08
निवेशित संपत्ति	6	**0.03**	0.03
अमूर्त आस्तियाँ	7	**1,551.44**	1,497.41
विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियाँ	8	**74.86**	219.55
वित्तीय आस्तियाँ			
निवेश	9	**4,265.36**	3,763.66
ऋण	10	**10,474.09**	12,783.75
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियाँ	11	**4,186.58**	4,106.80
अन्य गैर–वर्तमान आस्तियाँ	12	**4,874.42**	6,127.18
		218,715.51	**227,017.48**
बिक्री हेतु धारित वर्गीकृत आस्तियाँ	19A	**260.86**	-
		218,976.37	**227,017.48**
वर्तमान आस्तियाँ			
माल–सूची	13	**1,362.82**	1,400.56
वित्तीय आस्तियाँ			
व्यापार प्राप्तियां	14	**3,621.34**	4,867.90
नकदी एवं नकदी समकक्ष	15	**4,430.05**	4,805.14
नकदी एवं नकदी समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	16	**843.49**	604.26
ऋण	17	**5,428.83**	879.41
अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियाँ	18	**7,940.04**	5,631.40
अन्य वर्तमान आस्तियाँ	19	**170.46**	220.45
		23,797.03	**18,409.12**
बिक्री हेतु धारित वर्गीकृत आस्तियाँ	19A	**952.18**	-
		24,749.21	**18,409.12**
विनियामक आस्थगन खाता शेष	20	**10,606.35**	10,123.06
योग आस्तियाँ		**254,331.93**	**255,549.66**
सामान्य शेयर (इक्विटी) तथा देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	21	**5,231.59**	5,231.59
अन्य इक्विटी	22	**64,347.25**	59,208.10
		69,578.84	**64,439.69**
देयताएँ			

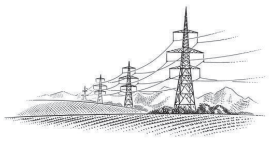

यथा 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
गैर–वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	23	**129,080.07**	135,421.11
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएँ	24	**3,587.01**	3,515.63
प्रावधान	25	**461.93**	424.71
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	26	**11,941.88**	11,381.85
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ	27	**345.10**	361.04
		145,415.99	**151,104.34**
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधार	28	**1,800.00**	3,000.00
व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों की बकाया देय राशि	29	**29.76**	11.59
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की योग बकाया देय राशि	29	**156.54**	214.13
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ	30	**22,463.57**	20,831.62
अन्य वर्तमान देयताएँ	31	**3,871.69**	4,267.54
प्रावधान	32	**835.88**	741.95
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	33	**425.51**	22.78
		29,582.95	**29,089.61**
आस्थगित राजस्व	34	**9,754.15**	10,916.02
योग इक्विटी तथा देयताएँ		**254,331.93**	**255,549.66**

संलग्न टिप्पणी (1 से 66) वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भाग में से एक है

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रमके**	**श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2021 को	यथा 31 मार्च, 2020 को
परीचालन से राजस्व	35	**37,665.65**	36,185.54
अन्य आय	36	**2,861.46**	2,132.43
योग आय		**40,527.11**	**38,317.97**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	37	**2,110.74**	1,959.47
वित्तीय व्यय	38	**8,501.01**	9,813.62
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	39	**11,711.68**	11,073.18
अन्य व्यय	40	**2,498.97**	2,824.35
योग व्यय		**24,822.40**	**25,670.62**
असाधारण मदों, कर एवं विनियामक आस्थगित खाता शेष पूर्व लाभ		**15,704.71**	**12,647.35**
असाधारण मदें		**1,078.64**	-
कर एवं विनियामक आस्थगित खाता शेष पूर्व लाभ		**14,626.07**	12,647.35
कर व्ययः			
वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		**2,527.55**	2,108.83
– पहले के वर्षों में		**1.56**	121.91
आस्थगित कर	26	**560.03**	1,288.83
		3,089.14	3,519.57
विनियामक आस्थगन खाता शेष पूर्व अवधि हेतु लाभ		**11,536.93**	**9,127.78**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन– आय/(व्यय) (कर का निवल)	41	**398.85**	1,683.40
अवधि हेतु लाभ		**11,935.78**	**10,811.18**
वे मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)	42	**25.36**	(104.02)
अवधि हेतु योग व्यापक आय		**11,961.14**	**10,707.16**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में संचलन सहित प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य):			
मूल एवं तनुकृत (₹)	60	**22.81**	20.67
विनियामक आस्थगन खाता शेष में संचलन रहित प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य):			
मूल एवं तनुकृत (₹)	60	**22.05**	17.45

संलग्न टिप्पणी (1 से 66) वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भाग में से एक है

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रमके**	**श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

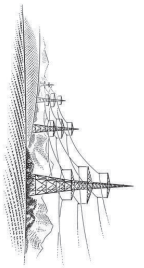

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल, 2020 को 5,231.59	5,231.59
वर्ष के दौरान परिवर्तन –	-
31 मार्च, 2021 को5,231.59	**5,231.59**
01 अप्रैल, 2019 को5,231.59	5,231.59
वर्ष के दौरान परिवर्तन –	-
31 मार्च, 2020 को5,231.59	**5,231.59**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय योग	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड–ऋण–मुक्ति रिजर्व	स्वयं बीमा रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारिता उपार्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	
01 अप्रैल, 2020 को	**9,578.29**	**8,638.92**	**807.93**	**-**	**36,828.05**	**3,327.57**	**27.34**	**59,208.10**
वर्ष हेतु लाभ						11,935.78		11,935.78
अन्य व्यापक आय						(14.44)	39.80	25.36
योग व्यापक आय						**11,921.34**	**39.80**	**11,961.14**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य रिजर्व हेतु अंतरण					6,000.00	(6,000.00)		-
बॉण्ड–ऋण–मुक्ति रिजर्व हेतु अंतरण		-				-		-
बॉण्ड–ऋण–मुक्ति रिजर्व से अंतरण		(1,250.95)				1,250.95		-
स्वयं बीमा रिजर्व हेतु अंतरण			278.79			(278.79)		-
स्वयं बीमा रिजर्व से अंतरण			(363.73)		363.73	-		-
सीएसआर रिजर्व से अंतरण				-	-	-		-
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20						(2,113.56)		(2,113.56)
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2020–21						(4,708.43)		(4,708.43)
31 मार्च, 2021 को	**9,578.29**	**7,387.97**	**722.99**	**-**	**43,191.78**	**3,399.08**	**67.14**	**64,347.25**

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय योग	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड–ऋण–मुक्ति रिजर्व	स्वयं बीमा रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारिता उपार्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	
01 अप्रैल, 2019 को	**9,578.29**	**9,884.80**	**882.18**	**114.54**	**31,376.63**	**1,872.42**	**76.69**	**53,785.55**
वर्ष हेतु लाभ						10,811.18		10,811.18
अन्य व्यापक आय						(54.67)	(49.35)	(104.02)
योग व्यापक आय						**10,756.51**	**(49.35)**	**10,707.16**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य रिजर्व हेतु अंतरण					5,000.00	(5,000.00)		-
बॉण्ड–ऋण–मुक्ति रिजर्व हेतु अंतरण		439.88				(439.88)		-
बॉण्ड–ऋण–मुक्ति रिजर्व से अंतरण		(1,685.76)				1,685.76		-
स्वयं बीमा रिजर्व हेतु अंतरण			262.63			(262.63)		-
स्वयं बीमा रिजर्व से अंतरण			(336.88)		336.88	-		-
सीएसआर रिजर्व से अंतरण				(114.54)	114.54	-		-
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2018–19						(1,307.90)		(1,307.90)
वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अंतिम लाभांश पर कर						(256.76)		(256.76)
अंतरिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20						(3,118.02)		(3,118.02)
वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अंतरिम लाभांश पर कर						(601.93)		(601.93)
31 मार्च, 2020 को	**9,578.29**	**8,638.92**	**807.93**	**-**	**36,828.05**	**3,327.57**	**27.34**	**59,208.10**

संलग्न टिप्पणी (1 से 66) वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भाग में से एक है
रिजर्व एवं अधिशेष की प्रकृति और संचलन हेतु टिप्पणी सं. 22 देखें।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

मोहम्मद ताज मुकर्रमके
निदेशक (वित्त)

श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 006711एन/एन500028

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004501सी

सीए नीना गोयल
भागीदार
एम नं. 057986
स्थानः गुरुग्राम

सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद
भागीदार
एम नं. 024860
स्थानः गुरुग्राम

सीए संजय सरकार
भागीदार
एम नं. 064305
स्थानः कलकत्ता

सीए सतीश चंद्र शर्मा
भागीदार
एम नं. 072846
स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

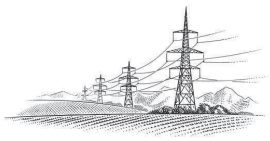

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ एवं विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि	**14,626.07**	12,647.35
जोड़ें: विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन (कर का निवल)	**398.85**	1,683.40
जोड़ें: विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन पर कर	**84.44**	356.39
कर पूर्व लाभ (विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन सहित)	**15,109.36**	**14,687.14**
समायोजन:		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**11,711.68**	11,073.18
सहायता में अनुदान से अंतरण	**(328.89)**	(260.25)
आस्थगित राजस्व – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**(160.05)**	(152.65)
प्रावधान	**7.49**	6.34
लाभ अथवा हानि के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**(16.92)**	(39.85)
निपटान पर निवल हानिध्संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बट्टे खाते में डालना	**2.49**	17.20
आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव आस्ति	**1,022.09**	(1,572.74)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से आस्थगित आय	**(780.92)**	1,637.95
विनियामक आस्थगन खाता नामे (डेबिट) शेष	**(483.29)**	(2,039.79)
वित्त लागत	**8,501.01**	9,813.62
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	**(24.55)**	(147.56)
एफईआरवी हानि / (लाभ)	**(0.02)**	(0.31)
सहायक तथा संयुक्त उद्यमों हेतु जमा राशि, बॉण्ड एवं ऋण पर ब्याज आय	**(1,126.07)**	(1,088.35)
अधिभार आय	**(714.15)**	(297.54)
लाभांश आय	**(662.78)**	(303.02)
	16,947.12	**16,646.23**
आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**32,056.48**	**31,333.37**
आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन हेतु समायोजन:		
मालदृसूची में (वृद्धि)/कमी	**38.67**	(169.43)
व्यापार प्राप्य राशि में (वृद्धि)/ कमी	**1,258.22**	(196.44)
अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	**(2,591.62)**	1,622.35
अन्य गैर–वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	**3.15**	(48.48)
अन्य वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	**49.99**	108.33
देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(1,074.67)**	(934.48)
	(2,316.26)	**381.85**
परिचालनों से उत्पन्न नकदी	**29,740.22**	**31,715.22**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	**(2,207.76)**	(2,475.75)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**27,532.46**	**29,239.47**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	**(6,389.23)**	(8,006.12)
अनुदान की प्राप्ति	**8.13**	233.94
बिक्री हेतु धारित आस्तियों में (वृद्धि)ध कमी	**(1,213.04)**	-
सहायक, संयुक्त एवं अन्य उद्यमों में निवेश	**(459.05)**	(1,056.47)
सहायक एवं संयुक्त उद्यमों हेतु ऋण तथा अग्रिम (चुकौती सहित)	**(2,141.35)**	(2,262.33)
पट्टा प्राप्य राशि	**(4.78)**	(13.82)
सहायक तथा संयुक्त उद्यमों हेतु जमा राशि, बॉण्ड एवं ऋण पर ब्याज प्राप्ति	**1,100.67**	1,136.20
अधिभार प्राप्ति	**714.15**	297.54
लाभांश प्राप्ति	**662.78**	303.02
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(7,721.72)**	**(9,368.04)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
उधारों से प्राप्तियाँ		
गैर वर्तमान	**7,840.14**	10,325.96
वर्तमान	**11,750.00**	18,020.00
उधार की चुकौती		
गैर वर्तमान	**(10,954.02)**	(10,765.64)
वर्तमान	**(12,950.00)**	(19,320.00)
दीर्घावधि ऋणों के उचित मूल्यांकन हेतु समायोजन	**40.93**	12.80
पट्टा देयताओं की चुकौती (ब्याज सहित)	**(6.23)**	(4.23)
प्रदत्त वित्त लागत	**(9,084.66)**	(11,696.27)
प्रदत्त लाभांश	**(6,821.99)**	(4,425.92)
प्रदत्त लाभांश कर	**-**	(858.69)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(20,185.83)**	**(18,711.99)**
घ. नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल परिवर्तन (क़ख़ग)	**(375.09)**	1,159.44
ड. नकदी एवं नकदी समकक्ष (प्रारंभिक शेष राशि)	**4,805.14**	3,645.70
च. नकदी एवं नकदी समकक्ष (अंतिम शेष राशि) (टिप्पणी सं. 15 देखें)'	**4,430.05**	**4,805.14**

संलग्न टिप्पणी (1 से 66) वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भाग में से एक हैद्य

'विनिर्दिष्ट खातों में ₹3122.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4668.32 करोड़) शामिल है जो कंपनी द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं है।

भावी टिप्पणियाँ रू

1. नकदी एवं नकदी समकक्षों में चेक, ड्राफ्ट, उपलब्ध स्टाम्प, बैंकों में निहित शेष राशि तथा तीन माह तक की मूल परिपक्वता के साथ जमा शामिल हैं।
2. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, पुनरू समूहीकृतध्पुनरू व्यवस्थित किया गया है।
3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं हेतु तुलन–पत्र में प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के बीच सामंजस्य।

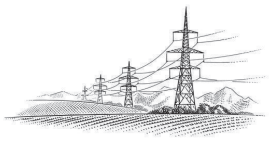

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर–वर्तमान उधार	वर्तमान उधार
1 अप्रैल, 2020 तक प्रारंभिक शेष राशि	148,233.26	3,000.00
वर्ष के दौरान निवलनकदी प्रवाह	(11,918.49)	(1,200.00)
गैर–नकदी परिवर्तनों के कारणरू		
– उधार पर ब्याज	8,652.51	
– विनिमय दरों में भिन्नता	(655.21)	
– उचित मूल्य के समायोजन	40.93	
31 मार्च, 2021 तक अंतिम शेष राशि	**144,353.00**	**1,800.00**

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर–वर्तमान उधार	वर्तमान उधार
1 अप्रैल, 2019 तक प्रारंभिक शेष राशि	145,141.56	4,300.00
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(10,290.10)	(1,300.00)
गैर–नकदी परिवर्तनों के कारणरू		
– उधार पर ब्याज	9,748.84	
– विनिमय दरों में भिन्नता	3,620.16	
– उचित मूल्य के समायोजन	12.80	
31 मार्च, 2020 तक अंतिम शेष राशि	**148,233.26**	**3,000.00**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रमके**	**श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर
दिनांकः 17 जून, 2021			
स्थानः गुरुग्राम			

पृथक वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियाँ

1. निगमित एवं सामान्य सूचना

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (श्कंपनीश्) एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में अधिवासित तथा निगमित किया गया है एवं इसके शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है व इसका कॉरपोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर –29, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है।

कंपनी को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह मुख्य रूप से अन्तर–राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस), दूरसंचार व परामर्शदाता सेवाओं की योजना, कार्यान्वयन, संचालन तथा अनुरक्षण में संलग्न है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 17 जून, 2021 को जारी करने हेतु अनुमोदित किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों हेतु लगातार लागू किया गया है।

2.1 तैयारी का आधार

i) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुपालन में

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान, प्रत्येक मामले में लागू सीमा तक तथा उसके बाद संशोधित, के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

ii) मापन का आधार

वित्तीय विवररणों को उपचय आधार पर तथा परंपरागत लागत अभिसमय के तहत तैयार किया गया है, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर उचित मूल्य पर मापा गया हैरू

- » कुछ वित्तीय पेरिसम्पत्तियों एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखांकन नीति हेतु टिप्पणी सं. 2.13 देखें),
- » निर्धारित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों की योजना

iii) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा है तथा सभी राशियों को निकटतम करोड़ और उसके दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांक किया जाता है, अन्यथा जैसा कहा गया।

iv) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अनुमानों एवं मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आस्ति, देयताओं, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है। हालांकि, ऐसे अनुमान तथा धारणाएँ सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाए गए हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा चालू आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान को संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि या संशोधन की अवधि एवं भविष्य की अवधि को प्रभावित करता है यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य दोनों वर्षों को प्रभावित करता है (महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों, धारणा और निर्णय पर टिप्पणी सं. 3 देखें)।

v) वर्तमान तथा गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमानध्गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में आस्ति एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है।

एक आस्ति वर्तमान है जबः

- » इसके सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल किए जाने या बेचे जाने या खपत की अपेक्षा हैय
- » मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजितय
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर वसूल किए जाने की उम्मीद हैय या
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह हेतु एक एक्सचेंज का उपयोग करने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित होने तक नकदी या नकदी समकक्ष।

अन्य सभी आस्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

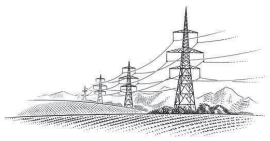

एक देयता वर्तमान है जबः

» इसके सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की उम्मीद हैय

» यह मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता हैय

» यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर निपटाया जाने हेतु देय है, या

» रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह हेतु देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई सशर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों ६ देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी बारह महीने की अवधि को अपने प्रचालन चक्र के रूप में मान्यता देती है।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी ने इंड–एएस के अनुसार श्भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने' के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार इंड–एएस(01 अप्रैल, 2015) में बदलाव की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखरखाव मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना था।

प्रारंभिक पहचान और माप

प्रारम्भ में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिग्रहणधनिर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें किसी भी लागत को सीधे शामिल किया जाता है जो आस्ति के प्रबंधन के उद्देश्य से परिचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति हेतु परिसंपति लाने में सक्षम है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कम संचित मूल्यह्रास ६ परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को पूंजीकृत किया जाता है और इसके उपयोग की गयी आस्ति को हटा दिया जाता हैध्सक्रिय उपयोग से हटा जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग या पूर्व निरीक्षण घटक की लागत उपलब्ध नहीं है, तो समान नए भागों ६ निरीक्षण घटक की अनुमानित लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में किया जाता है कि मौजूदा भाग ६ निरीक्षण घटक की लागत तब थी जब मद का अधिग्रहण किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

कमीशन प्राप्त संपत्तियों, जमा कार्योंध्लागत–प्लस संविदाओं के मामले में जहां संविदाकारों के बिलों का अंतिम निपटान किया जाना बाकी है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

एक से अधिक पारेषण प्रणाली के लिए सामान्य आस्तियाँ और प्रणालियों को तकनीकी अनुमानोंध्आकलन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

पारेषण प्रणाली आस्तियों को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में अनंतिम जमा, मुआवजे के लिए भुगतानध्देयता, पुनर्वास और अन्य भूमि के कब्जे वाले अन्य व्यय शामिल हैं।

संबंधित भवनों की लागत के हिस्से के रूप में भूमि के समतलीकरण, समाशोधन और ग्रेडिंग पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

पुर्जे जिनकी लागत 5,00,000/– और उससे अधिक है, एकल उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, पूंजीकृत किया जाता हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ मदों का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा मद के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे तौर पर नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी को अपनी अन्य आस्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आवश्यक हो सकता है। ऐसे मदों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

आगामी लागत

आगामी व्यय को आस्तियों की रखाव राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावित होता है कि व्यय की जाने वाली लागत से होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के भाग की स्थान की लागत को मद की रखाव राशि में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ का हिस्सा कंपनी में प्रवाहित हो जाएगा और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की रखाव राशि की पहचान की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की दैनंदिन सर्विसिंग की लागतों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद को मान्यता तब नहीं दी जाती जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाला लाभ या हानि, निवल निपटान आय और आस्ति की रखाव राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा इसे निपटान या सेवानिवृत्ति की तिथि पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

2.3 पूंजीगत कार्य में प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण के लिए सामग्री, निर्माण शुल्क और किए गए अन्य खर्चों की लागत को पूंजीकरण की तिथि तक निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया है।

कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजनाओं का व्यय, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार है, को संबंधित परिपत्तियों की लागत हेतु व्यवस्थित आधार पर पहचाना एवं आबंटित किया जाता है।

निर्माण और व्यय (निवल) के दौरान ब्याज उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण के लिए आबंटित ब्याज को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के अंतिम शेष के अनुपात में पूंजीकृत आस्तियों के लिए संलग्न किया जाता है।

संविदाकारों द्वारा प्राप्त विवरण या पूर्ण किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर जमा कार्यध्लागत–सहित संविदाओं का हिसाब किया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य भिन्नताधविनिमय दर भिन्नता हेतु अस्थिर देयता का हिसाब संविदाओं की शर्तों के अनुसार अनुमानित आधार पर किया जाता है।

2.4 अमूर्त आस्ति और विकास के तहत अमूर्त परिआस्तियां

कंपनी ने इंड–एएस के अनुसार श्भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने' के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार इंड–एएस(01 अप्रैल, 2015) में बदलाव की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखाव मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना था।

अमूर्त आस्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त आस्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि नुकसान को घटाएंकर लागत पर किया जाता है।

जब मौजूदा आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ बढ़ जाते हैं तो पहले से पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है और संभावित रूप से परिशोधित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) आंतरिक उपयोग हेतु अधिग्रहित की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों को एक अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसके उपयोग के लिए यह तैयार होता है।

पारेषण लाइन बिछाने का मार्ग अधिकार प्राप्त करने के लिए वनरोपण प्रभार संबंधित पारेषण लाइन के पूंजीकरण की तिथि पर अमूर्त आस्ति के रूप में है।

व्यय, मुख्य अमूर्त आस्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र, "विकासाधीन अमूर्त आस्तियों ष के रूप में किया जाता है जब तक कि ऐसी परिआस्तियां उनके उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं।

अनुसंधान पर होने वाले व्यय को व्यय होने पर मान्यता दी जाती है।

यदि इंड एएस 38 'अमूर्त आस्तियों' के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाता है तो विकास गतिविधियों पर व्यय को अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी, अन्यथा इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त आस्ति का एक मद निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उसे डीरिकोगनाइज कर दिया जाता है। अमूर्त आस्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की रखाव राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है एवं आस्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

2.5 निवेश संपत्ति

कंपनी ने इंड–एएस के अनुसार श्भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने' के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार इंड–एएस(01 अप्रैल, 2015) में बदलाव की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखाव मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना था।

निवेश संपत्ति में भूमि औरध्या भवनों के भाग शामिल होते हैं जो लंबी अवधि के किराये की रकम औरध्या पूंजी की वृद्धि के लिए रखे जाते हैं।

निवेश की संपत्तियों को शुरू में लेनदेन लागत सहित मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

निवेश संपत्ति से या उसके लिये स्थानांतरण तब किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन होता है अर्थात निवेश संपत्ति एक परिसम्पत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या नहीं करती है और उपयोग में परिवर्तन का साक्ष्य होता है।

निवेश संपत्तियों को या तो तब मान्यता नहीं दी जाती जब उनका निपटान कर दिया जाता है या वे स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले ली जाती है और उनके निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। निवल निपटान की आय और आस्ति की रखाव राशि के बीच के अंतर को डीरिकोगनाइज की अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.6 मूल्यह्रास/परिशोधन

सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

प्रशुल्क की वसूली के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद पारेषण व्यापार से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों पर मूल्यह्रास/परिशोधन सीधी कटौती प्रणाली पर प्रदान किया जाता है और निम्नलिखित अनुच्छेदों में निर्दिष्ट संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार दूरसंचार और परामर्शदाता व्यापार की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को सीधी कटौती प्रणाली पर प्रदान किया जाता है।

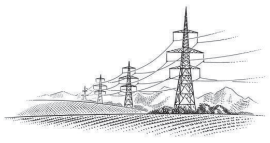

दिनांक 1 अप्रैल 2014 से पहले कमीशन की गई यूएलडीसी आस्ति सीधी कटौती प्रणाली / 6.67प्रतिशत प्रति वर्ष पर ह्रासमान है।1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद कमीशन की गई ऐसी आस्तियों में प्रशुल्क की वसूली के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली पर सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यह्रास दिया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको), नायवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मामले में 1 अप्रैल, 1992 से जम्मू और कश्मीर लाइन्स, 01 अप्रैल, 1993 से प्रभावी, और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) 01 अगस्त, 1993 से प्रभावी है, जिनमें मूल्यह्रास सकल ब्लॉक के आधार पर लगाया जाता है, जैसा कि आवश्यक समायोजन के रूप में अंतरण की पुस्तकों में इंगित किया गया ताकि प्रशुल्क के लिए सीईआरसी अधिसूचना में निर्धारित आस्तियों का जीवन बना रहे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट अनुसार निवेश संपत्ति के रूप में रखी गयी भवनों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली पर प्रदान किया जाता है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद, पारेषण व्यापार की संबंधित आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से सीधी कटौती प्रणाली पर पुर्जों, अतिरिक्त उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो पूंजीकृत है, पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निम्नलिखित मदों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

विवरण	उपयोगी जीवन
क. कम्प्यूटर एवं परिधीय	3 वर्ष
ख. सर्वर्स एवं नेटवर्क घटक	5 वर्ष

उपरोक्त आस्ति का अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

मोबाइल फोन को खरीद के वर्ष में का चार्ज ऑफ किया जाता है।

₹ 5,000/– या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

जहां विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कर्तव्यों में परिवर्तन या ऐसे कारकों के कारण लंबी अवधि के मौद्रिक मदों में वृद्धि ध कमी के कारण मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में बदलाव आया है, ऐसी आस्तियों को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली पर संभावित रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, दूरसंचार और परामर्शदाता व्यापारिक आस्तियों को छोड़कर जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन के आधार पर अवशिष्ट जीवन का निर्धारण किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से जोड़ध्कटौती पर आनुपातिक आधार परध्से उस तारीख तक मूल्यह्रास लगाया जाता है जिस पर आस्ति उपयोगधनिपटान के लिए उपलब्ध है।

पारेषण व्यापार से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों के लिए अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

आस्ति के उपयोग का अधिकारः

उपयोग की परिसम्पत्ति पूर्ण रूप से पट्टा अवधि के आधार पर सीधी रेखा पर पट्टा प्रारंभ तिथि से पूरी तरह से ह्रासमान है।

पट्टाधारिता भूमि पट्टा अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन से जुड़ी हुई है, जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार कम है। पट्टे पर दी गयी भूमि पर पट्टाधारिता भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अमूर्त आस्ति

अमूर्त आस्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) प्रशुल्क विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद संबंधित पारेषण आस्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्षों में वनीकरण प्रभारों का परिशोधन किया जाता है।

टेलीकॉम लाइसेंसों को उनके संबंधित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1200केवी पारेषण प्रणाली के विकास पर व्यय 10 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अमूर्त परिसम्पत्तियों से जोड़/कटौती पर सेध्तक के आनुपातिक आधार पर उस तिथि तक शुल्क लिया जाता है जिस पर आस्ति उपयोगधनिपटान के लिए उपलब्ध होती है।

परिशोधन अवधि और अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है एवं इंड एएस 8 ष्लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तनष् के अनुसार लेखांकन अनुमानों में बदलाव के लिये जिम्मेदार माना जाता है।

2.7 उधार लेने की लागत

सभी उधार ली गई निधियां (कार्यशील पूंजी के लिए अल्पावधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं हेतु रखी गई हैं। उधार ली गयी लागत (बॉण्ड जारी करने के व्यय, ब्याज, बॉण्ड पर छूट, फ्रंट एंड फीस, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क आदि सहित) को निधियों के अनुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है, इसे उधार लागत के रूप में माना जाता है।

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिये सीधे आरोप्य उधार राशि को पूंजीकृत (निधि के अस्थायी परिनियोजन पर आय का निवल) ऐसी आस्तियों की लागत के हिस्से के रूप में किया जाता है जब तक कि परिआस्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। अर्हक परिआस्तियां ऐसी परिआस्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

2.8 गैर–वित्तीय आस्तियों की हानि

कंपनी की गैर–वित्तीय आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने हेतु की जाती है कि क्या इंड–एएस 36 श्आस्ति के नुकसानश के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

किसी आस्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य के निपटान के लिए कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य के विद्यमान बाजार आकलन और उस आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है। हानि परीक्षण के प्रयोजन हेतु , जिन आस्तियों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन्हें आस्तियों के सबसे छोटे कंपनी में एक साथ रखा जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूहों के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं (ष्नकद–उत्पन्न करने की इकाईष् या ष्सीजीयूष्)।

यदि किसी आस्ति या उसके सीजीयू की रखाव राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है तो क्षति हानि को लाभ और हानि के कथन में मान्यता दी जाती है। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त क्षति हानि को सीजीयू की आस्तियों की रखाव राशि से कम किया जाता है।

पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त क्षति हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत हर्तु किया जाता है ताकि पता चल सके कि हानि कम हुई है या अब मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि बदली जा सकती है। क्षति हानि को केवल उस सीमा तक बदला जाता है कि आस्ति की रखाव राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं होती है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल होता है, यदि क्षति हानि को मान्यता नहीं दी गई थी।

2.9 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में हाथ और बैंक में नकदी शामिल होती हैं, और अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम समय की परिपक्वता वाले बैंकों के पास जमा की जाने वाली राशि जो नकदी की ज्ञात राशि के लिए आसानी परिवर्तनीय होती हैं और मूल्य में परिवर्तन के एक छोटे जोखिम के अधीन होती हैं।

2.10 मालसूचियां

भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मालसूची का मूल्य कम होता है।

स्टील स्क्रैप और कंडक्टर स्क्रैप का अनुमान अनुमानित वसूली योग्य मूल्य या बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले पुर्जे, जिनकी लागत 5,00,000ध्– रु. से कम है, को मालसूची के रूप में दर्ज किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा निर्धारित अधिशेष सामग्री को इच्छित उपयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित ध् अनुपयोगी ध् अधिशेष स्टोर और पुर्जों और रुकी हुई अनुपयोगी मालसूची के मूल्य में कमी का पता समीक्षा पर लगाया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

2.11 पट्टा

पट्टा एक संविदा है जो प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संविदा किसी पहचान की गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्यारू (प) संविदा में एक पहचान की गई आस्ति का उपयोग शामिल है, (पप) ग्राहक के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से आस्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं, (पपप) ग्राहक को आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

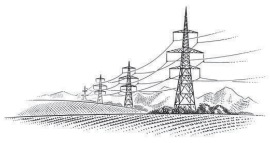

i) एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे के शुरू होने की तिथि में, कंपनी सभी पट्टा व्यवस्थाओं हेतु आस्ति उपयोग के अधिकार (आरओयू) को और उक्त पट्टे की देयता को स्वीकार करती है, जिसमें वह पट्टेदार होती है, केवल बारह माह या उससे कम अवधि के पट्टे के अतिरिक्त (अर्थात अल्पकालिक पट्टे) और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य की है। इन अल्पकालिक और पट्टों के लिए जिनके लिए अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य की है, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व पट्टा को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू आस्ति और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

आस्ति उपयोग के अधिकार की शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाल दायित्वों एवं प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन के साथ या पट्टे की प्रारंभिक तिथि से पूर्व या किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होती है।

तत्पश्चात, आस्ति उपयोग के अधिकार को किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, को घटाएंकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 लागू करती है कि क्या आरओयू आस्ति क्षतिग्रस्त है और ष्गैर–वित्तीय आस्तियों के नुकसानष् पर लेखांकन नीति 2.8 में वर्णित किसी भी पहचानी गयी हानि नुकसान के लिए जिम्मेदार है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं।

जब तक ष्उधार लेने की लागतष् पर लेखांकन नीति 2.7 के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्रता होती है, लाभ और हानि के विवरण में पट्टा देयता पर ब्याज लागत व्यय की जाती है।

पट्टा देयता और आरओयू आस्ति को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाह के वित्तपोषण रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) एक पट्टाकर्ता के रूप में

एक पट्टा को स्थापना तिथि में एक वित्त पट्टा या एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्त पट्टे

एक ऐसा पट्टा जो किसी आस्ति के स्वामित्व हेतु प्रासंगिक सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

राज्य क्षेत्र यूनिफाइड लोड डिस्पैच सेंटर (यूएलडीसी)ध्फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एसेट्स (एफओसी)ध्द्विपक्षीय लाइन परिआस्तियां जो लाभार्थियों को पट्टे पर दी गई हैं, को वित्त पट्टा माना जाता है। पट्टे पर दी गई आस्तियों के उचित मूल्य के निचले स्तर पर प्राप्य आस्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और बाद के वर्षों में अभिवृद्धि के साथ न्यूनतम पट्ते के भुगतान के वर्तमान मूल्य को वर्तमान और गैर–वर्तमान अन्य वित्तीय आस्ति के तहत पट्टा प्राप्तियों के रूप में जाना जाता है। जहां भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ऐसे अनुदान के निवल हेतु पट्टा प्राप्य की गणना की जाती है।

पट्टे के ब्याज तत्व को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क के अनुसार निवल निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर पट्टा अवधि में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर एफईआरवी को पट्टा प्राप्तियों की राशि में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। घटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधन राशि के निवल मान्यता प्राप्त है।

ख) प्रचालन पट्टे

एक प्रचालन पट्टा एक वित्त पट्टे के अतिरिक्त एक पट्टा है। जिन पट्टों में स्वामित्व के जोखिमों और रिवॉर्ड का एक महत्वपूर्ण भाग पट्टेदार द्वारा रखा जाता है, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों हेतु, आस्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है। प्रचालन पट्टे से किराये की आय को व्यवस्था की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.12 कर्मचारी लाभ

2.12.1 निर्धारित योगदान योजनाएं

एक निर्धारित योगदान योजना एक रोजगार पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत एक इकाई अलग–अलग संस्थाओं (निधियां) में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और यदि निधि वर्तमान एवं पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित भी कर्मचारियों के लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आस्ति नहीं है तो आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। निर्धारित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को कर्मचारी द्वारा लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कंपनी की निर्धारित योगदान पेंशन योजना है जिसे एक अलग न्यास (ट्रस्ट) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। कंपनी का दायित्व मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर भविष्य निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कम नियोक्ता के योगदान से अधिक राशि तक न्यास में योगदान करना है। वर्ष के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

2.12.2 निर्धारित लाभ योजनाएं

एक निर्धारित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार पश्चात लाभ योजना है। उपदान सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद गृह नगर में बसने के लिये सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति पर लंबे सेवा पुरस्कार और भविष्य निधि योगदान पर ब्याज देयता की सीमा तक कंपनी की देयता, परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में हैं।

कंपनी द्वारा उपदान को वित्त पोषित किया जाता है और इसे अलग न्यास द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और जीवनसाथी को कंपनी के पैनल में शामिल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के उपचार का भी लाभ उठा सकते हैं।

कंपनी एक अलग न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करती है। वर्ष हेतु निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ एवं हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट सदस्यों के लिये योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है।

कंपनी के पास अधिग्रहित कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए गृहनगर में बसने के व्यय हेतु सामान भत्ते के भुगतान और कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक लंबी सेवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए योजनाएं हैं।

निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग से की जाती है, जो कि वर्तमान और पूर्व अवधि में कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले में भविष्य के लाभ की मात्रा का अनुमान लगाती हैय उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी गयी है। किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत और किसी भी योजना की संपत्ति का उचित मूल्य काटा जाता है। छूट की दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि पर परिपक्वता तिथि होती है जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती हैं और उसे मुद्रा में इंगित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक योग्य बीमांकक द्वारा वार्षिक रूप से गणना की जाती है। जब गणना से कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त आस्ति किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत के योग तक सीमित होती है और भविष्य में किसी भी के रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य अथवा योजना हेतु भविष्य के योगदान में कटौती से होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ मिलता है यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देयताओं के निपटान पर साकार होती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को ओसीआई में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और बाद में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होते हैं।

जब किसी योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग को लाभ और हानि के विवरण में औसत अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते। इस सीमा तक कि लाभ तुरंत बन जाता हैं, लाभ और हानि के विवरण में व्यय को तुरंत मान्यता दी जाती है।

2.12.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी की अवकाश नकदीकरण एवं कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ का गठन करते हैं।

कंपनी का निवल दायित्व अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य के लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित किया हैय उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। छूट की दर, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, चूंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथियांहोती हैं जिनमें कंपनी के दायित्वों की शर्तें बताई जाती हैं। गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

श्पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजनाश के अनुसार, जो वैकल्पिक है, किसी कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, आश्रित या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, अंतिम भविष्य निधि और उपदान राशि जो ब्याज मुक्त होगी जमा करने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि तक कर्मचारी द्वारा आहरित किये गये अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है।

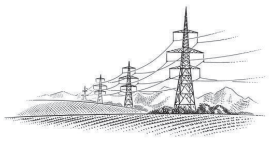

2.12.4 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को छूट रहित आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने पर इसे व्यय कर किया जाता है।

कार्य–निष्पादन संबंधी भुगतान के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान विश्वसनेय तरीके से लगाया जा सकता है।

2.13 वित्तीय लिखत

एक वित्तीय साधन एक संविदा है जो एक इकाई की वित्तीय आस्ति और वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय आस्ति

वर्गीकरण

कंपनी निम्नलिखित श्रेणियों में अपनी वित्तीय आस्तियों को वर्गीकृत करती हैरू

» परिशोधन लागत पर,

» अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता हैः

» वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई का व्यापार मॉडल और

» वित्तीय आस्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं

प्रारंभिक मान्यता और मापन

लाभ या हानि लेनदेन लागत, यदि कोई हो, जो कि वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण के लिये जिम्मेदार है, तो इसके माध्यम से उचित मूल्य में दर्ज नहीं की गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

आगामी मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखतरू वे परिआस्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्याज को परिशोधन लागत पर मापा जाता है। एक ऋण निवेश पर एक लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब आस्ति की मान्यता समाप्त या हानि होती है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीओसीआई)रू संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय आस्तियों की बिक्री के लिए रखी गई आस्तियां, जहां आस्तियों का नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर मापा जाता है। आस्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 शवित्तीय लिखतोंश के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी, प्रारंभिक मान्यता पर, अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) में उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों को लिखत–आधारित आधार पर प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभांश रहित लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ या हानि की राशि का पुनरावर्तन नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर अंतरित कर सकती है।

वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब

i) आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या

ii) क) कंपनी ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है (या) वित्तीय आस्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखती है, किंतु एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है और

ख) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है (या) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्ड को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन आस्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

रखाव राशि और प्राप्तध्राप्य राशि के बीच अंतर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय परिपत्तियों की हानिः

प्राप्य व्यापार और बिल रहित राजस्व के लिए, कंपनी इंड एएस 109 वित्तीय लिखतों द्वारा आवश्यक सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके लिए प्राप्तियों की प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित आजीवन नुकसान की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय आस्तियों और जोखिम एक्सपोजर पर हानि नुकसान की मान्यता हेतु, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के साथ क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12–माह की अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, आगामी अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12–माह के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देने को लौटा देती है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य संस्था को नकद या अन्य वित्तीय आस्ति वितरित करने या किसी अन्य संस्था के साथ वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं का आदान–प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व है, जो संभावित रूप से कंपनी के लिए प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य में से जहाँ वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया, लेन–देन की लागत घटाएंकर मान्यता प्राप्त होती है जो वित्तीय देयताओं के निर्गत के लिये सीधे जिम्मेदार है।

आगामी मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न भाग है। आय (लेनदेन लागत का निवल) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। जब देयताओं की मान्यता समाप्त हो जाती है तो लाभ और हानि के विवरण में अभिलाभ एवं हानि को मान्यता प्राप्त होती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय देयता की मान्यता समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा देयता को दूसरे से एक ही ऋणदाता द्वारा भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को पर्याप्त रूप से संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त मानी जाती है और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। एक वित्तीय देयता की रखाव राशि के बीच का अंतर जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को स्थानांतरित कर दिया गया है और किसी भी गैर–नकद आस्ति को हस्तांतरित या देयताओं सहित भुगतान पर विचार किया गया है, को अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निवल राशि को तुलन–पत्र में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और आस्तियों की वसूली करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिये निवल आधार पर निपटान करने का आशय होता है।

2.14 सहायक कंपनियों में निवेश

एक सहायक कंपनी द्वारा नियंत्रित एक इकाई है। नियंत्रण तब होता है जब कंपनी के पास इकाई पर अधिकार होता है, उजागर होता है, या इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के अधिकार होते हैं और इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

मौजूदा अधिकारों के माध्यम से शक्ति का निष्पादन किया जाता है जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता देते हैं, जो इकाई के रिटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत को घटाएंकर किया जाता है, यदि कोई हो। लागत में निवेश हासिल करने के लिए चुकाई गई कीमत और सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत शामिल है।

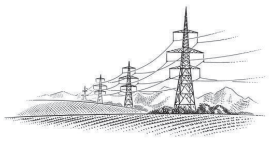

2.15 संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश

एक संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास संयुक्त उद्यम की निवल संपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधित रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए पार्टियों को नियंत्रण साझा करने की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उपक्रमों और सहयोगियों में निवेश लागत घटाएंकर हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है। लागत में निवेश हासिल करने के लिए चुकाई गई कीमत और सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत शामिल है।

2.16 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

(क) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है (श्कार्यात्मक मुद्राश)। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(ख) लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन शुरू में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का रूपांतरण तुलन पत्र की तिथि पर विनिमय की दरों के संदर्भ में किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक मदों की सूचना गैर–मौद्रिक पूर्व भुगतान आस्ति या आस्थगित आय दायित्व की प्रारंभिक मान्यता की तारीख पर या वित्तीय विवरणों में संबंधित मद को मान्यता दिए जाने की तारीख, जो भी पहले हो, पर विनिमय दर निर्णय पर दी जाती है। यदि लेन–देन चरणों में पहचाना जाता है, तो प्रत्येक चरण के लिए लेनदेन की तारीख स्थापित की जाती है।

विदेशी मुद्रा लाभ और हानि (बकाया विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित के अलावा) अन्य लाभध्(हानि) के भीतर निवल आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किए जाते हैं।

कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को बकाया लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए इंडस्ट्रीज एएस 101 में उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है।

31 मार्च, 2016 को विदेशी मुद्रा ऋण बकाया :

विदेशी मुद्रा दर भिन्न2ता (एफईआरवी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पूंजीगत कार्य – प्रगति पर से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटानध् रूपांतरण पर उत्पन्न होती है जो संबंधित आस्तियों की वहन लागत से समायोजित की जाती है और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदंडों के अनुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर लाभार्थियों से वसूली ध् देय 4 अप्रैल, 2004 या वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (डीओसीओ) से प्रभावी है। सीईआरसी मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य या देय सीमा से उपरोक्त एफईआरवी इस प्रकार है :

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत को वहन करने के लिए समायोजित एफईआरवी वसूली योग्य देय के रूप में श्संबंधित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव खाते से आय ÷व्यय" के लिए खाता क्रेडिट ध्डेबिट के साथ श्आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव आस्ति ध् देयताश के रूप में जिम्मेदार है।

ii) "विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से आस्थगित आय ÷व्यय खाताश के अनुपात में परिशोधन होता है, जिसमें उक्त एफईआरवी पर मूल्यहास का शुल्क लगता है।

iii) वर्ष दर वर्ष आधार पर सीईआरसी मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य ध्देय राशि को व्यापार प्राप्तियों के लिए संबंधित डेबिट क्रेडिट के साथ श्आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव आस्ति ध् देयता खाताश के लिए समायोजित किया जाता है।

एफईआरवी द्वारा पूर्व में लाभ और हानि का विवरण का शुल्क लगाया था और प्रशुल्क के उद्देश्य से पूंजी लागत में शामिल किया गया था, इसे श्आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव आस्ति ध् देयता खाते" के प्रति समायोजित किया गया है।

संपत्ति संयंत्र और उपकरण ÷सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं (विदेशी मुद्रा ऋणों के अलावा) के निपटानध् रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले एफईआरवी को संबंधित आस्तियों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में गैर–वर्तमान ऋणों (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) के निपटानध् रूपांतरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली एफआरवी, सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूलने योग्य ध्देय सीमा तक देय होती है, जिसका विनियमन नियामक खाता बहीखाता के रूप में किया जाता है। ऐसी राशि पर मान्यता प्राप्त पारेषण शुल्क को उपरोक्त खाते के प्रति समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अंत को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद विदेशी मुद्रा ऋण :

विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है, इसे उधार लेने की लागत के रूप में माना जाता है। अन्य विनिमय भिन्नलताओं को लाभ और हानि के कथन में मान्यता प्राप्त हैं।

सीईआरसी के प्रशुल्क नियमों के अनुसार वसूली योग्य सीमा तक अंतर को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से विनियामक आस्थगन खाता शेष के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.17 आयकर

आयकर व्यय वर्तमान और स्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि वह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान आयकर

वर्तमान कर उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि के लिए अधिनियमित तथा लागू होने वाले कर कानूनों के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है, जहां कंपनी कर योग्य आय तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में समायोजन करती है।

आस्थगित कर

कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं की देय राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है और तुलनपत्र विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है। आस्थगित कर परिआस्तियां आम तौर पर सभी घटाएंए गए अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर घाटे और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस सीमा तक पहचानी जाती हैं कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके प्रति उन कटौती योग्य अस्थायी भिन्नएता, अप्रयुक्त कर नुकसान और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया

जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की वहन राशि की प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर की उन दरों पर मापा जाता है जिनके बारे में उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिस पर कर की दरों (और कर कानून) के आधार पर तय या आस्ति की वसूली होती है, जिन्हें तुलनपत्र की तिथि द्वारा अधिनियमित किया गया है या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर आस्ति और देयताओं की भरपाई केवल तभी होती है यदि वर्तमान कर देयताओं तथा आस्तियों की भरपाई करने के लिए कानूनी रूप से लागू अधिकार है उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल हैं, जो भविष्य के आयकर देयता के प्रति सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना हैद्य एमएटी को तुलनपत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जब आस्ति को मजबूती से मापा जा सकता है तथा यह संभावित है कि आस्ति से जुड़े भविष्य के आथिक लाभ की वसूली होगी।

2.18 विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी के नियमों के तहत कुछ व्यय तथा आय, जिन्हें भविष्य में लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति ध्द पारित किया जा सकता है, को इंड एएस 114 नियामक आस्थगन खातों के प्रावधानों के अनुसार लाभ तथा हानि के विवरण में लिखा जाना चाहिए। सीईआरसी विनियमों के तहत प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूली योग्य ६ देय सीमा तक इस तरह के व्यय और आय को नियामक आस्थगन परिआस्तियां ६ देयताओं के रूप में माना जाता है।

कंपनी इसके लिए तुलनपत्र में अलग लाइन मद प्रस्तुत करती है :

(क) सभी नियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष की योगय तथा

(ख) सभी नियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष की योग

रिपोर्टिंग अवधि के लिए सभी नियामक आस्थगन खाता शेष में निवल आवागमन के लिए लाभ और हानि के विवरण के लाभ या हानि अनुभाग में एक अलग लाइन मद प्रस्तुत किया गया है।

नियामक आस्थगन खातों की शेष राशि को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें लाभाथियों को वसूली योग्य या देय हो।

2.19 राजस्व

राजस्व एक ग्राहक के साथ एक संविदा में निर्दिष्ट विचार के आधार पर मापा जाता है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है। जब ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा पर नियंत्रण स्थानांतरित करता है तो कंपनी राजस्व को मान्यता देती है।

महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक

जहां ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है, कंपनी संविदा में महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों का आकलन करती है। परिणामस्वरूप, कंपनी पैसे के समय मूल्य के प्रभावों के लिए लेनदेन की कीमतों में समायोजन करती है।

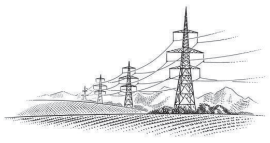

2.19.1 संचालन से राजस्व

पारेषण

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों के आधार पर पारेषण आय का हिसाब है। हस्तांतरण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम प्रशुल्क आदेशों को अधिसूचित किया जाना है, पारेषण आय का हिसाब प्रशुल्क नियमों और समान मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार अनंतिम आधार पर किया जाता है। अंतर, यदि कोई हो, तो सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी करने पर विचार किया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के बाद किए गए अतिरिक्तक पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय का हिसाब सीईआरसी के प्रशुल्क नियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष व्यय पर आधारित है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्रबन शामिल है लेकिन अभी तक बिल नहीं दिया गया है अर्थात बिल रहित राजस्व द्य

लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जाती है क्योंकि प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन राजस्व की राशि में से काटे जाते हैं।

पारेषण प्रणाली इंसेंटिव (प्रोत्साहन),ध डिसइंसेंटिव का लेखा–जोखा संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा उपलब्धता के प्रमाणन के आधार पर और सीईआरसी प्रशुल्क नियमों के अनुसार किया जाता है। जहां आरपीसी द्वारा प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं है, इंसेंटिव (प्रोत्साहन) ध डिसइंसेंटिव का हिसाब कंपनी द्वारा उपलब्धता के अंतर के अनुसार अनंतिम आधार पर किया जाता है और यदि कोई अंतर है, तो आरपीसी द्वारा प्रमाणन पर हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यहास (एएडी) के प्रति अग्रिम, ब्लॉक अवधि से संबंधित प्रशुल्क का हिस्सा 2004–09 तक, ऋणों के पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए, पारेषण आय से कम किया गया था और बाद के वर्षों में पारेषण आय में शामिल किए जाने के लिए आस्थगित आय के रूप में माना जाता था। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को पारेषण आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, वित्तीय वर्ष के अंत से बारह वर्षों के बाद, जिसमें आस्ति का कमीशन किया गया था, वर्ष के दौरान प्रशुल्क में वसूल किए गए मूल्यहास को खातों में लगाए गए मूल्यहास से कम है।

दूरसंचार सेवाएँ

दूरसंचार सेवाओं की आय, डाउनटाइम क्रेडिट की निवल, ग्राहकों से समझौतों ध्खरीद आदेशों के आधार पर पहचानी जाती है। उपयोग का अपरिहार्य अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाले दीर्घकालिक संविदाओं के तहत अग्रिम में प्राप्त अग्रिम शुल्क, संविदा की अवधि में राजस्व के आकलन के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है।

परामर्शदाता सेवाएं

"लागत से अधिक परामर्शदाता संविदाश के संबंध में, क्लाइंट की ओर से निष्पादन शामिल है, राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए कार्य के पूरा होने के चरण के अनुपात में मान्यता प्राप्त है, जो इनपुट विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

प्रदान की गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन के लिए अन्य परामर्शदाता सेवाएं से आय का हिसाब लगाया जाता है।

2.19.2 अन्य आय

ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है, जब कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए एक समय अनुपात के आधार पर मापनीयता या सामूहिकता के रूप में मौजूद नहीं होती है।

जब मापनीयता और सामूहिकता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है तो व्यापार प्राप्य, परिसमाप्त क्षतियों, वारंटी दावों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज से अधिभार वसूल किया जाता है।

सीईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार दीर्घावधि खुली पहुंच (एलटीओए) के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है।

स्टील स्क्रैप और कंडक्टर स्क्रैप के अलावा अन्य स्क्रैप को जब और जैसे बेचा जाता है, हिसाब में लिया जाता है।

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार तय होने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

स्वीकृति के वर्ष में लाभ के नुकसान हेतु बीमा दावों का हिसाब किया जाता है। वसूली की निश्चितता के आधार पर अन्य बीमा दावों का हिसाब लगाया जाता है।

किराया और प्रचालन पट्टों से राजस्व संगत समझौते के सार के अनुसार एक आकस्मिक आधार पर मान्यता प्राप्त है।

2.20 सरकारी अनुदान

परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों से अनुदान, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी और विशिष्ट मूल्यहास आस्ति शुरू में आस्थगित आय के रूप में मानी जाती हैं जब इसका एक उचित आश्वासन मिलता है कि उनकी प्राप्ति होगी और कंपनी अनुदान के साथ जुड़ी हुई शर्तों का पालन करेगी। आस्थगित आय को लाभ और संबंधित आस्तियों के उपयोगी जीवन पर हानि के अनुपात में मान्यता दी जाती है, जिसके अनुपात में इन आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

कंपनी को होने वाले खर्चों की भरपाई करने वाले अनुदानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लागतें व्यय की जाती हैं और संबंधित खर्चों में कटौती की जाती है।

2.21 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। किसी भी अंतरिम लाभांश का भुगतान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर मान्यता प्राप्त है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश तथा संगत कर सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

2.22 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(क) प्रावधान

जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) पिछले घटना के परिणामस्वरूप होता है, तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावध ाान में छूट दी जाती है। छूट की अनुपलब्धता को वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन ध्स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को प्रकट तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित बाध्यता होती है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने वाली भविष्य की घटनाओं से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं हैं या एक वर्तमान दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां या तो यह संभावना नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह निपटाने के लिए आवश्यक होगा या राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों पर आकस्मिक देयता की जानकारी दी गई है।

आकस्मिक परिआस्तियां संभावित आस्ति हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना से होगी। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्ति को तब प्रकट किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है।

2.23 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नए शेयरों के निर्गत के लिए सीधे तौर पर बढ़ी हुई लागतों को एक कटौती, कर का निवल, आय से इक्विटी के रूप में दिखाया जाता है।

भविष्य के नुकसान को गैर–बीमित जोखिमों से कम करने के लिए और टावरों की खरीद और टावरों और एसी सबस्टेशन के उपकरणों सहित अन्य पारेषण लाइन सामग्री द्वारा भविष्य में आकस्मिकताओं का ध्यान रखने के लिए वर्तमान वर्ष के लाभ का विनियोजन द्वारा स्व–बीमा आरक्षित 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक पर, आरओयू आस्तियों और उन आस्तियों को छोड़कर, जो वर्ष के अंत में बीमा के अंतर्गत आते हैं। ऊपर बनाया गया रिजर्व "अन्य इक्विटी" के तहत" सेल्फ इंश्योरेंस रिजर्व" के रूप में दिखाया गया है।

2.24 पूर्व अवधि मद

वित्तीय अवधि के शुरुआती विवरण को बहाल करके प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके या पूर्व में हुई त्रुटि होने पर, पूर्व की अवधि की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक किया जाता है।

2.25 प्रचालन खंड

निदेशक मंडल कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है, जिसका अर्थ इंड एएस 108 "प्रचालन खण्ड" के रूप में है। सीओडीएम संसाधन आबंटन और निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यापारिक क्षेत्रों के प्रचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। खण्ड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और इसे वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है। प्रचालन खण्ड की पहचान उत्पादों ध्सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है।

- » खंड राजस्व में अंतर–खंड लेनदेन सहित खंड के लिए बिक्री ध आबंटन के साथ सीधे पहचाने जाने योग्य बिक्री और अन्य आय शामिल हैं।
- » खण्ड परिणाम को निर्धारित करने के लिए खण्डों के लिए "आबंटन के साथ सीधे पहचाने जाने वाले व्यय पर विचार किया जाता है। व्यय जो कंपनी से संबंधित हैं और खंडों के लिए आबंटित नहीं हैं, अनाबंटित व्यय के अंतर्गत शामिल हैं।
- » आय जो कंपनी से संबंधित है और खंडों के लिए आबंटित नहीं है, अनाबंटित आय में शामिल है।
- » खंड आस्ति और देयताओं में संबंधित खंडों के साथ सीधे पहचाने जाने योग्य शामिल हैंद्य अनाबंटित आस्ति और देयताएं उन

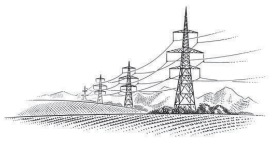

आस्तियों और देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कंपनी से संबंधित हैं और किसी भी खंड के लिए आबंटित नहीं हैं।

» खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और अमूर्त आस्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान होने वाली योग लागत है।

2.26 प्रति शेयर आय

शेयरधारकों के लिए वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

शेयरधारकों को प्रति वर्ष निवल लाभ या हानि के उपयोग से प्रति शेयर की गई तनुकृत आय की गणना की जाती है, और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी और संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को छोड़कर, जहां परिणाम कमजोर पड़ने वाला होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय विनियामक आस्थगन खाता शेष में आवागमन को छोड़कर आय राशियों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है।

2.27 नकद प्रवाह का विवरण

इंड एएस 7 "नकद प्रवाह का विवरण" के रूप में नकद प्रवाह के विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

2.28 बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान आस्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू आस्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब आस्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी आस्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों और देनदारियों को उनकी वहन राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत और तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक हानि को आस्ति (या निपटान समूह) के किसी भी प्रारंभिक या बाद के राइट–डाउन के लिए उचित मूल्य कम लागत को बेचने के लिए पहचाना जाता है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) को बेचने के लिए उचित मूल्य घटाएंकर किसी भी अनुवर्ती वृद्धि के लिए एक लाभ को मान्यता दी जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी हानि हानि से अधिक नहीं। गैर–वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तिथि पर मान्यता दी जाती है।

3. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो वास्तविक परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन को कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करते समय निर्णय लेने की भी आवश्यकता होती है।

इस टिप्पणी में उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान किया गया है, जिनमें उच्च स्तर के निर्णय या जटिलता शामिल होती है, और उन वस्तुओं के बारे में जो अनुमानों और अनुमानों के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जो मूल रूप से मूल्यांकन की गई वस्तुओं की तुलना में भिन्नत होते हैं।

महत्वपूर्ण अनुमान या निर्णय लेने वाले क्षेत्र हैं:

राजस्व मान्यता :

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों के आधार पर पारेषण आय के लिए जिम्मेदार है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम प्रशुल्क आदेशों को अधिसूचित किया जाना बाकी है, पारेषण आय का हिसाब प्रशुल्क विनियमों और सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार इसी तरह के मामलों में लगाया जाता है। अंतर, यदि कोई हो, तो सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी करने पर ध्यान दिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के बाद किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय का हिसाब सीईआरसी के प्रशुल्क नियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष पर आधारित होता है।

विनियामक आस्थगन शेष राशियां :

नियामक आस्थगन शेष राशियों की मान्यता में भविष्य के पारेषण नियमों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं क्यों कि ये भविष्य में प्रशुल्क के माध्यम से वसूली योग्य ध्देय होने वाली राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व का अनुमान

परिभाषित लाभ दायित्व के आकलन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य–संबंधी धारणाएं शामिल हैं, जो टिप्पणी 64 में सूचीबद्ध हैं।

अनुमान और निर्णय समय–समय पर मूल्यांकन किए जाते हैं। वे ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिसमें भविष्य की घटनाओं की

अपेक्षाएं शामिल हैं जो कंपनी पर वित्तीय प्रभाव डाल सकती हैं और माना जाता है कि यह इन परिस्थितियों में उचित है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी विकास) और रखरखाव के व्यय के स्तर सहित आस्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक शामिल हैं।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन, पारेषण व्यापार की आस्तियों के अलावा अन्य की समीक्षा करती है जो सीईआरसी विनियमों द्वारा शासित होती हैं, और यदि उचित हो, तो संभावित रूप से समायोजित की जाती हैं ।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एएस 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार किए गए हैं। संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। परिस्थितियों को अप्रत्याशित विकास के बाद बदलना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

कोविड–19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान :

कंपनी ने व्यापार प्राप्य राशि, निर्बाध राजस्व और निवेश की पुनर्प्राप्ति की संभावना का आकलन करने में इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक आंतरिक और बाह्य जानकारी पर विचार किया है जिसमें क्रेडिट रिपोर्ट और आशिक पूर्वानुमान शामिल हैं। कंपनी के व्यापार की प्रकृति के मद्देनजर, कंपनी के राजस्व के प्रमुख हिस्से पर लागू होने वाला विनियमित प्रशुल्क तंत्र और भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, कंपनी को इन आस्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद है।

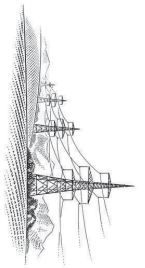

टिप्पणी 4 : संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					योग बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भूमि												
फ्रीहोल्ड	2,252.71	5.07	-	(6.71)	**2,264.49**	-	-	-	-	-	**2,264.49**	2,252.71
भवनों												
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	1,667.58	610.63	-	(2.79)	**2,281.00**	217.49	69.74	-	(0.02)	**287.25**	**1,993.75**	1,450.09
ख) टाउनशिप	635.39	52.04	-	-	**687.43**	114.35	29.08	-	(0.05)	**143.48**	**543.95**	521.04
अस्थायी निर्माण	1.19	0.03	-	0.03	**1.19**	1.14	0.06	-	0.03	**1.17**	**0.02**	0.05
सड़कें और पुल	182.97	80.40	-	-	**263.37**	36.66	8.18	-	-	**44.84**	**218.53**	146.31
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	101.00	19.58	-	0.02	**120.56**	21.50	4.72	-	(0.21)	**26.43**	**94.13**	79.50
संयंत्र उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	129,322.45	10,151.16	34.00	408.11	**139,031.50**	28,188.01	7,153.35	7.16	(0.92)	**35,335.12**	**103,696.38**	101,134.44
ख) सब–स्टेशन	74,781.19	7,765.01	77.99	43.70	**82,424.51**	15,088.01	4,353.32	69.11	(5.99)	**19,378.21**	**63,046.30**	59,693.18
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	1,116.69	238.50	-	(93.40)	**1,448.59**	274.44	76.65	-	(15.49)	**366.58**	**1,082.01**	842.25
घ) दूरसंचार	1,281.23	125.26	-	101.11	**1,305.38**	507.22	104.67	-	16.00	**595.89**	**709.49**	774.01
सामान तथा जोड़ा गया उपकरण	140.78	19.12	0.31	(0.16)	**159.75**	38.27	10.29	0.08	(0.38)	**48.86**	**110.89**	102.51
वाहनों	2.78	0.70	0.46	(0.02)	**3.04**	1.19	0.15	0.09	(0.02)	**1.27**	**1.77**	1.59
कार्यालय उपकरण	228.07	19.28	0.47	0.37	**246.51**	55.55	15.36	0.21	(0.45)	**71.15**	**175.36**	172.52
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग मशीनें	165.21	85.34	6.83	0.15	**243.57**	100.20	43.09	4.34	0.44	**138.51**	**105.06**	65.01
निर्माण और कार्यशाला उपकरण	344.14	255.96	0.52	0.04	**599.54**	78.78	25.48	0.03	(0.10)	**104.33**	**495.21**	265.36
बिजली का इंस्टॉलेशन	144.89	10.00	-	0.32	**154.57**	31.61	6.32	-	(1.61)	**39.54**	**115.03**	113.28
प्रयोगशाला के उपकरण	80.91	1.96	0.33	(5.31)	**87.85**	16.93	4.20	0.25	(1.56)	**22.44**	**65.41**	63.98
कार्यशाला और परीक्षण उपकरण	292.31	33.19	-	(0.40)	**325.90**	40.13	16.71	-	(0.44)	**57.28**	**268.62**	252.18
विविध आस्तियां/उपकरण	0.43	0.03	-	-	**0.46**	0.06	0.02	-	-	**0.08**	**0.38**	0.37
उपयोग का अधिकार (आरओयू) संपत्ति												
क) आरओयू संपत्ति– भूमि	460.43	38.00	-	28.77	**469.66**	55.83	14.58	-	-	**70.41**	**399.25**	404.60
ख) आरओयू संपत्ति– भवन	9.51	7.32	3.03	0.26	**13.54**	3.76	5.45	2.97	0.26	**5.98**	**7.56**	5.75
ग) आरओयू संपत्ति–संयंत्र और उपकरण, दूरसंचार	0.06	0.21	-	-	**0.27**	0.03	0.03	-	-	**0.06**	**0.21**	0.03
योग	**213,211.92**	**19,518.79**	**123.94**	**474.09**	**232,132.68**	**44,871.16**	**11,941.45**	**84.24**	**(10.51)**	**56,738.88**	**175,393.80**	**168,340.76**
घटाएँ: हटाई गई आस्तियों का प्रावधान	1.74	-	-	-	**1.74**	-	-	-	-	-	**1.74**	1.74
योग योग	**213,210.18**	**19,518.79**	**123.94**	**474.09**	**232,130.94**	**44,871.16**	**11,941.45**	**84.24**	**(10.51)**	**56,738.88**	**175,392.06**	**168,339.02**

टिप्पणी 4 : संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					योग बही मूल्य			
	01 अप्रैल 2019 तक	(इंड एएस 116) को अपनाने के कारण प्रारंभिक मान्यता / पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक	(इंड एएस 116) को अपनाने के कारण पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
भूमि														
फ्रीहोल्ड	2,227.26	-	24.94	-	(0.51)	2,252.71	-	-	-	-	-	-	2,252.71	2,227.26
पट्टे पर दिया	438.18	(438.18)	-	-	-	-	42.75	(42.75)	-	-	-	-	-	395.43
भवन														
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	1,510.04	-	157.51	-	(0.03)	1,667.58	157.26	-	60.24	-	0.01	217.49	1,450.09	1,352.78
बी) टाउनशिप	587.80	-	49.20	-	1.61	635.39	87.67	-	26.68	-	-	114.35	521.04	500.13
अस्थायी निर्माण	1.02	-	0.16	-	(0.01)	1.19	0.95	-	0.18	-	(0.01)	1.14	0.05	0.07
सड़कें और पुल	172.67	-	8.93	-	(1.37)	182.97	29.15	-	7.44	-	(0.07)	36.66	146.31	143.52
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	98.40	-	2.56	-	(0.04)	101.00	17.19	-	4.31	-	-	21.50	79.50	81.21
संयंत्र उपकरण														
ए) ट्रांसमिशन	121,779.93	-	6,267.34	14.44	(1,289.62)	129,322.45	21,262.21	-	6,929.95	3.71	0.44	28,188.01	101,134.44	100,517.72
बी) सब–स्टेशन	65,811.96	-	8,345.63	18.01	(641.61)	74,781.19	11,096.12	-	3,989.40	-	(2.49)	15,088.01	59,693.18	54,715.84
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	950.03	-	164.76	-	(1.90)	1,116.69	203.93	-	70.51	-	-	274.44	842.25	746.10
डी) दूरसंचार	1,117.92	-	150.05	0.40	(13.66)	1,281.23	401.07	-	106.05	0.22	(0.32)	507.22	774.01	716.85
सामान तथा जोड़ा गया उपकरण	130.34	-	10.84	0.20	0.20	140.78	28.96	-	9.41	0.08	0.02	38.27	102.51	101.38
वाहनों	2.90	-	0.25	0.37	-	2.78	1.32	-	0.21	0.30	0.04	1.19	1.59	1.58
कार्यालय उपकरण	210.93	-	17.39	0.18	0.07	228.07	41.04	-	14.57	0.03	0.03	55.55	172.52	169.89
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग मशीनें	110.69	-	55.48	0.88	0.08	165.21	75.83	-	24.84	0.43	0.04	100.20	65.01	34.86
निर्माण और कार्यशाला उपकरण	298.14	-	46.75	-	0.75	344.14	59.64	-	19.07	-	(0.07)	78.78	265.36	238.50
बिजली का इंस्टॉलेशन	106.03	-	38.90	0.01	0.03	144.89	23.41	-	8.22	-	0.02	31.61	113.28	82.62
प्रयोगशाला के उपकरण	47.50	-	33.43	0.02	-	80.91	12.52	-	4.41	-	-	16.93	63.98	34.98
कार्यशाला और परीक्षण उपकरण	233.46	-	58.85	-	-	292.31	25.70	-	14.40	-	(0.03)	40.13	252.18	207.76
विविध आस्तियां / उपकरण	0.16	-	0.30	-	0.03	0.43	0.02	-	0.04	-	-	0.06	0.37	0.14
उपयोग का अधिकार (आरओयू) संपत्ति														
ए) आरओयू आस्तियां– पट्टाहोल्ड भूमि	-	449.58	8.51	-	(2.34)	460.43	-	42.75	13.11	-	0.03	55.83	404.60	-
बी) आरओयू आस्तियां – भवन	-	8.41	0.93	0.01	(0.18)	9.51	-	-	3.73	0.01	(0.04)	3.76	5.75	-
सी) आरओयू आस्तियां दृ संयंत्र और उपकरण– दूरसंचार	-	0.05	0.15	-	0.14	0.06	-	-	0.06	-	0.03	0.03	0.03	-
योग	**195,835.36**	**19.86**	**15,442.86**	**34.52**	**(1,948.36)**	**213,211.92**	**33,566.74**	**-**	**11,306.83**	**4.78**	**(2.37)**	**44,871.16**	**168,340.76**	**162,268.62**
घटाएंएँरू हटाई गई आस्तियों का प्रावधान	1.74	-	-	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	1.74	1.74
महा योग	**195,833.62**	**19.86**	**15,442.86**	**34.52**	**(1,948.36)**	**213,210.18**	**33,566.74**	**-**	**11,306.83**	**4.78**	**(2.37)**	**44,871.16**	**168,339.02**	**162,266.88**

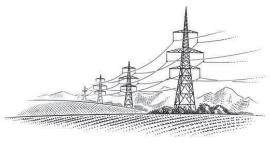

टिप्पणी 4रू संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

भावी टिप्पणियां:

क) कंपनी के पास ₹ 2,734.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,713.14 करोड़) की राशि का 7,368.00 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 7,350.00 हेक्टेयर) का स्वामित्व है, जिसे ₹ 2,264.49 करोड़ रु. (पिछले वर्ष ₹ 2,252.71 करोड़ रु.) और उपयोग का अधिकार – उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर 1,112.00 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1,093.00 हेक्टेयर) ₹469.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 460.43 करोड़) राशि से 6,256.00 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 6,257.00 हेक्टेयर) फ्रीहोल्ड भूमि में वर्गीकृत किया गया है।

ख) कंपनी द्वारा अधिग्रहित फ्रीहोल्ड भूमि में 170.26 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 188.93 हेक्टेयर) ₹ 151.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 149.17 करोड़) की राशि शामिल है, जो कंपनी के पक्ष में विलेख विचाराधीन है और 80.57 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 84.59 हेक्टेयर) कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में ₹ 49.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 52.03 करोड़) की राशि है, जिसके लिए केवल राजस्व अभिलेखों में नाम परिवर्तन लंबित है।

ग) i) जम्मू और कश्मीर राज्य में 113.88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 113.88 हेक्टेयर) क्षेत्र में आयोजित उपयोग का अधिकार दृ पट्टे की भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि ₹ 129.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 94.01 करोड़) की राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के रूप में अधिग्रहित की गई है। प्रचलित कानून के अनुसार राज्य सरकार अधिग्रहीत भूमि की मालिक बनी हुई है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए ही कब्जा दिया गया है।

ii) जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित ट्रांसमिशन सिस्टम को कंपनी ने 01.04.1993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से प्रभावी रूप से सहमत होने के बाद कानूनी औपचारिकताओं के लंबित होने पर अपने कब्जे में ले लिया है।

iii) उपयोग का अधिकार दृ लीजहोल्ड भूमि में 2.65 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.65 हेक्टेयर) का क्षेत्र शामिल है, जो कंपनी द्वारा एनएचपीसी से अधिग्रहित चंबा (एचपी) में भूमि के संबंध में ₹ 12.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.36 करोड़) की राशि है, जिसके लिए कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

पअ) उपयोग का अधिकार – उपरोक्त के अलावा अन्य भूमि में 135.28 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 142.87 हेक्टेयर) की राशि ₹ 134.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 185.88 करोड़) शामिल है, जिसके संबंध में पट्टा संविदाध्कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

घ) उपयोग का अधिकार दृ लीजहोल्ड भूमि में 0.41 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 0.41 हेक्टेयर) का क्षेत्र शामिल है, जो कि स्थायी पट्टे के आधार पर कार्यालय परिसर के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में ₹ 7.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.64 करोड़) है और इसलिए इसका परिशोधन नहीं किया गया है।

ड.) टाउनशिप भवन में मुंबई में 28 फ्लैटों (पिछले वर्ष 28 फ्लैट) के लिए ₹ 2.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.96 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में पंजीकरण लंबित है। उपरोक्त फ्लैटों में से 17 फ्लैटों पर मेसर्स पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का कब्जा है।

च) नेशनल हाइ पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड को 5.63 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 5.63 हेक्टेयर) जिसका मूल्य ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) है, होने पर स्वामित्व प्रदान किए बिना उपयोग के अधिकार के लिए हस्तांतरित किया गया है।

छ) इंड एएस 116 – ष्पट्टेष् के अनुसार उपयोग के अधिकार पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

ज) कंपनी द्वारा प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 23 देखें।

टिप्पणी 5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2021 तक
भूमि					
भूमि का विकास	0.18	35.18	-	35.18	**0.18**
भवन					
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	95.67	41.03	(534.73)	596.43	**75.00**
ख) टाउनशिप	136.77	57.06	-	34.99	**158.84**
सड़कें और पुल	25.34	6.87	(73.99)	77.34	**28.86**
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	5.17	1.95	1.55	1.45	**4.12**
संयंत्र और उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	9,616.82	2,966.94	-	7,614.17	**4,969.59**
ख) सब–स्टेशन	11,873.21	2,910.44	630.57	6,649.84	**7,503.24**
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	370.65	170.56	47.10	239.25	**254.86**
घ) दूरसंचार	99.67	91.99	-	61.59	**130.07**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.99	0.50	0.05	2.24	**0.20**
विद्युत प्रतिष्ठान	2.61	2.78	2.02	0.73	**2.64**
निर्माण स्टोर (प्रावधान का निवल)	4,457.49	2,775.07	4,784.22	-	**2,448.34**
व्यय लंबित आबंटन					
प) सर्वेक्षण, जांच, परामर्शदाता और पर्यवेक्षण प्रभार	6.16	1.72	0.17	5.08	**2.63**
पप) विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय में अंतर	79.03	(12.68)	1.60	28.29	**36.46**
पपप) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	3,411.58	978.11	(47.44)	2,153.23	**2,283.90**
	30,182.34	**10,027.52**	**4,811.12**	**17,499.81**	**17,898.93**
घटाएंएंरू अनुपयोगी आस्तियों के लिए प्रावधान	2.26	-	-	-	**2.26**
योग योग	**30,180.08**	**10,027.52**	**4,811.12**	**17,499.81**	**17,896.67**

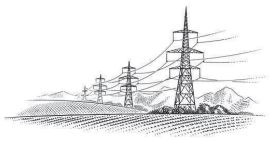

टिप्पणी 5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
भूमि					
भूमि का विकास	6.44	3.68	-	9.94	**0.18**
भवन					
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	98.15	60.68	2.13	61.03	**95.67**
ख) टाउनशिप	115.73	73.84	11.46	41.34	**136.77**
सड़कें और पुल	18.27	8.94	0.69	1.18	**25.34**
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	3.54	1.85	-	0.22	**5.17**
संयंत्र और उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	9,597.94	5,390.72	-	5,371.84	**9,616.82**
ख) सब–स्टेशन	9,864.47	9,543.74	-	7,535.00	**11,873.21**
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	478.34	145.78	-	253.47	**370.65**
घ) दूरसंचार	75.32	110.34	-	85.99	**99.67**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	-	-	-	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	9.83	23.81	31.65	-	**1.99**
विद्युत प्रतिष्ठान	3.44	2.09	-	2.92	**2.61**
निर्माण स्टोर (प्रावधान का निवल)	10,462.16	5,738.53	11,743.20	-	**4,457.49**
व्यय लंबित आबंटन					
प) सर्वेक्षण, जांच, परामर्शदाता और पर्यवेक्षण प्रभार	6.43	2.70	-	2.97	**6.16**
पप) विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय में अंतर	127.33	84.76	-	133.06	**79.03**
पपप) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	2,498.89	2,321.37	(82.38)	1,491.06	**3,411.58**
	33,366.28	**23,512.83**	**11,706.75**	**14,990.02**	**30,182.34**
घटाएंएंरू अनुपयोगी आस्तियों के लिए प्रावधान	2.26	-	-	-	**2.26**
योग योग	**33,364.02**	**23,512.83**	**11,706.75**	**14,990.02**	**30,180.08**

टिप्पणी 5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

(₹ करोड़ में)

(निर्माण भंडार का विवरण) (लागत पर)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
निर्माण स्टोर		
टावर्स	**245.96**	518.17
कंडक्टर	**432.22**	1,001.54
अन्य लाइन सामग्री	**152.15**	263.18
सब–स्टेशन उपकरण	**974.73**	1,253.79
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (भ्टक्ब्) उपकरण	**328.85**	1,087.60
एकीकृत भार प्रेषण और संचार (यूएलडीसी) सामग्री	**205.20**	197.95
दूरसंचार सामग्री	**71.78**	60.00
अन्य	**37.45**	75.26
योग	**2,448.34**	**4,457.49**
निर्माण स्टोर में शामिल हैंरू		
प) पारगमन में सामग्री		
टावर्स	**-**	21.09
कंडक्टर	**-**	6.22
अन्य लाइन सामग्री	**2.12**	1.03
सब–स्टेशन उपकरण	**99.44**	122.66
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (भ्टक्ब्) उपकरण	**34.78**	138.09
एकीकृत भार प्रेषण और संचार (यूएलडीसी) सामग्री	**0.86**	-
दूरसंचार सामग्री	**0.25**	-
अन्य	**0.70**	-
योग	**138.15**	**289.09**
पप) संविदाकारों के साथ सामग्री		
टावर्स	**245.96**	497.08
कंडक्टर	**432.22**	995.32
अन्य लाइन सामग्री	**150.03**	262.15
सब–स्टेशन उपकरण	**875.29**	1,131.13
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (भ्टक्ब्) उपकरण	**294.07**	949.51
एकीकृत भार प्रेषण और संचार (यूएलडीसी) सामग्री	**204.34**	197.95
दूरसंचार सामग्री	**71.53**	60.00
अन्य	**36.75**	75.26
योग	**2,310.19**	**4,168.40**
योग योग	**2,448.34**	**4,457.49**

भावी टिप्पणियां:

कमीशन की गई लाइनों के संबंध में ₹ 175.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 229.28 करोड़) की राशि वाली संविदाकारों की सामाग्री पुनः विनियोजन के लिए लंबित है। जबकि पुनः नियोजन निरंतर आधार पर किया जाता है।

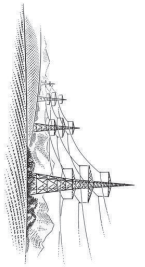

टिप्पणी 6– निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भूमि (फ्रीहोल्ड)	0.02	-	-	-	**0.02**	-	-	-	-	**-**	**0.02**	0.02
भवन	0.01	-	-	-	**0.01**	-	-	-		**-**	**0.01**	0.01
योग	0.03	-	-	-	**0.03**	-	-	-	-	**-**	**0.03**	0.03

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशो / न					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2019 तक
भूमि (फ्रीहोल्ड)	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	0.02
भवन	0.01	-	-	-	0.01	-		-		-	0.01	0.01
योग	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03

6. निवेश संपत्ति (जारी)

भावी टिप्पणियां:

(i) निवेश संपत्ति के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराए से आय	**शून्य**	शून्य
किराये की आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	**शून्य**	शून्य
संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिनसे किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई थी	**शून्य**	शून्य
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्ति से लाभ	**शून्य**	शून्य
मूल्यह्रास	**शून्य**	शून्य
निवेश संपत्ति से लाभ	**शून्य**	**शून्य**

(ii) भविष्य की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई संविदात्मक बाध्यता नहीं है जो कि 31.03.2021 और 31.03.2020 को देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) 31.03.2021 और 31.03.2020 तक पट्टे की कोई व्यवस्था नहीं है।

(iv) उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
निवेश संपत्ति	**3.52**	2.87

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है। उपयोग किए जाने वाले मुख्य इनपुट किराए की वृद्धि दर, अपेक्षित रिक्ति दर, टर्मिनल पर प्राप्ति और तुलनात्मक लेनदेन और उद्योग के आंकड़ों के आधार पर छूट की दरें हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में शामिल हैं।

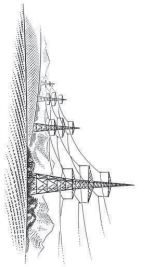

6. निवेश संपत्ति (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	57.87	10.17	0.03	-	**68.01**	51.52	5.94	0.03	-	57.43	**10.58**	6.35
मार्गाधिकार दृ वनीकरण व्यय	1,848.13	163.28	-	0.70	**2,010.71**	403.83	105.41	-	-	509.24	**1,501.47**	1,444.30
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	**2.80**	0.41	0.14	-	-	0.55	**2.25**	2.39
1200 केवी टीएस का विकास'	71.86	-	-	-	**71.86**	27.49	7.23	-	-	34.72	**37.14**	44.37
योग	**1,980.66**	**173.45**	**0.03**	**0.70**	**2,153.38**	**483.25**	**118.72**	**0.03**	**-**	**601.94**	**1,551.44**	**1,497.41**

'आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	54.86	3.01	-	-	57.87	47.10	4.42	-	-	51.52	6.35	7.76
मार्गाधिकार – वनीकरण व्यय	1,829.55	18.20	-	(0.38)	1,848.13	298.35	105.50	-	0.02	403.83	1,444.30	1,531.20
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	2.80	0.27	0.14	-	-	0.41	2.39	2.53
1200 केवी टीएस का विकास'	71.86	-	-	-	71.86	20.25	7.24	-	-	27.49	44.37	51.61
योग	**1,959.07**	**21.21**	**-**	**(0.38)**	**1,980.66**	**365.97**	**117.30**	**-**	**0.02**	**483.25**	**1,497.41**	**1,593.10**

'आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति टिप्पणी

टिप्पणी 8: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2021 तक
मार्गाधिकार – वनीकरण व्यय	219.55	13.15	-	157.84	74.86
योग	**219.55**	**13.15**	**-**	**157.84**	**74.86**

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2019 तक	जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
मार्गाधिकार – वनीकरण व्यय	214.06	9.53	-	4.04	219.55
योग	**214.06**	**9.53**	**-**	**4.04**	**219.55**

टिप्पणी 9: निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
उद्धृत		
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
12000006 (पिछले वर्ष 12000006) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**93.30**	46.50
अनुद्धृत		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड		
56118350 (पिछला वर्ष 56118350) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**45.40**	52.40
लागत पर निवेश (पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
अनुद्धृत		
प) सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड		
48505000 (पिछले वर्ष 2780000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**485.05**	278.40
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड		
50000 (पिछले वर्ष 50000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (नीचे और टिप्पणी 6 देखें)	**0.05**	0.05
घटाएंःरू निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	**0.05**	0.05
	-	-
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड		
20973000 (पिछले वर्ष 20973000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 19ए देखें)	**-**	209.73
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड		
12961067(पिछले वर्ष 12961067) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**12.96**	12.96
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड		
61000000 (पिछले वर्ष 61000000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 19ए देखें)	**-**	61.00

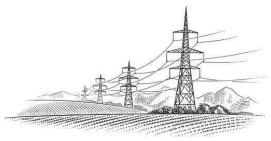

टिप्पणी 9: निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
226910000 (पिछला वर्ष 21715000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी १६ए देखें)	-	217.15
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड		
393300000 (पिछले वर्ष 393300000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 19ए देखें)	-	393.30
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड		
3220000 (पिछले वर्ष 31950000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी १६ए देखें)	-	319.50
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड		
709004000 (पिछले वर्ष 709004000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**709.00**	709.00
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड		
54963000 (पिछले वर्ष 289330000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**549.63**	289.33
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड		
21350000 (पिछले वर्ष 1200000000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**213.50**	120.00
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड		
168050000 (पिछले वर्ष 12505000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**168.05**	125.05
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड		
7720000 (पिछले वर्ष 50000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**77.20**	0.05
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड		
16140000 (पिछले वर्ष 50000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**161.40**	0.05
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड		
5000000 (पिछले वर्ष 50000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**50.05**	0.05
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड		
112000000 (पिछले वर्ष 50000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**112.00**	0.05
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड		
113410000 (पिछले वर्ष 10000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**113.41**	0.01
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड		
97710000 (पिछले वर्ष 10000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**97.71**	0.01
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड		
2150000 (पिछले वर्ष 50000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**21.52**	0.05
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड		
3200000 (पिछले वर्ष 100000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**32.01**	0.01
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड		
50000 (पिछले वर्ष शून्य) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**0.05**	-
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड		
50000 (पिछले वर्ष शून्य) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**0.05**	-
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		
300000000 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर (नीचे और टिप्पणी 7 देखें)	**432.50**	-

टिप्पणी 9: निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड		
10000 (पिछले वर्ष शून्य) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**0.01**	-
	3,236.10	2,735.70
ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		
2340,000 (पिछले वर्ष 2340,000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**23.40**	23.40
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		
पिछले वर्ष ₹ 10/– रु. प्रत्येक के 78000000 इक्विटी शेयर। (नीचे और टिप्पणी 7 देखें)	**-**	78.00
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
70937620 (पिछले वर्ष 70937620) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**70.94**	70.94
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
120120000 (पिछले वर्ष 120120000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**120.12**	120.12
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		
229320000 (पिछले वर्ष 229320000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**229.32**	229.32
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
106964000 (पिछले वर्ष 106964000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**106.96**	106.96
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड		
3040000 (पिछले वर्ष 3040000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**30.40**	30.40
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
12612473 (पिछले वर्ष 12612473) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**12.62**	12.62
कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड		
शून्य (पिछले वर्ष शून्य) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (नीचे और टिप्पणी 4 देखें)	**-**	-
घटाएंः निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	**-**	-
	-	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		
290296935 (पिछला वर्ष 250795526) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**290.30**	250.80
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड		
117000 (पिछले वर्ष 117000) नेपाली के इक्विटी शेयर 100/– प्रत्येक।	**6.50**	6.50
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		
4000000 (पिछले वर्ष 4000000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (नीचे और टिप्पणी 5 देखें)	**4.00**	4.00
घटाएंरू निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	**4.00**	4.00
	-	-
	890.56	929.06
iii) अन्य		
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (₹ 10/–) 1 (पिछले वर्ष 1) शेयर	**-**	-
योग	**4,265.36**	**3,763.66**

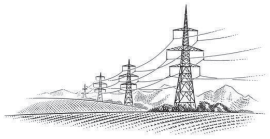

टिप्पणी 9: निवेश (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भावी टिप्पणियां:		
1) क) उद्धृत निवेश की योग राशि		
कीमत पर	**12.00**	12.00
बाजार मूल्य	**93.30**	46.50
ख) अनुद्धृत निवेश की योग राशि	**4,172.06**	3,717.16
ग) निवेश के मूल्य में हानि की योग राशि	**4.05**	4.05

2) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, मेसर्स पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड में पावरग्रिड द्वारा आयोजित 229319997 इक्विटी शेयरों पर प्रतिज्ञा, शेयर प्रतिज्ञ करार, दिनांक 15.04.2004 के संदर्भ में प्रतिभूति ऋणदाताओं की ओर से ट्रस्टी होने के नाते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (पूर्व में आईडीएफसी लिमिटेड) से शेयर जारी किया गया है।

3) लेखांकन नीति संख्या 2.13, 2.14 और 2.15 के अनुसार निवेश को महत्व दिया गया है।

4) एमसीए वेबसाइट के अनुसार मैसर्स कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड की वर्तमान स्थिति ष्स्ट्राइक ऑफष है। पिछले वर्ष के दौरान कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड में ₹ 0.01 करोड़ का निवेश बट्टे खाते में डाला गया है।

5) पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य`अनयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 05.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में नीति आयोग को प्रस्तुत करने के लिए इस्पात मंत्रालय को फिर से बंद करने का प्रस्ताव फिर से आगे बढ़ाने की सलाह दी है। इस्पात मंत्रालय ने पत्र दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से आरआईएनएल को सूचित किया कि आरपीटीपीएल को बंद करने की जांच की जा रही है और आरआईएनएल से और स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदनुसार, आरआईएनएल द्वारा संबंधित सूचना इस्पात मंत्रालय को अग्रेषित की गई थी। सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

6) पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए टिप्पणी संख्या 11 पर टिप्पणी देखें।

7) 26.03.2021 (25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम) को पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी।

टिप्पणी 10: ऋण (वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है, जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संबंधित पक्षों को ऋण **		
सहायक कंपनियों को ऋण–अप्रतिभूत	**10,151.51**	12,512.17
गैर–जमानती संयुक्त उद्यमों को ऋण	**12.40**	18.40
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण (केएमपी)		
प्रतिभूत #	**0.02**	0.02
अप्रतिभूत	**0.04**	0.03
	10,163.97	12,530.62
कर्मचारियों को ऋण (अर्जित ब्याज सहित)		
प्रतिभूत रु	**278.39**	218.92
अप्रतिभूत	**31.73**	34.21
	310.12	253.13
योग	**10,474.09**	**12,783.75**

टिप्पणी 10: ऋण (वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है, जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता) (जारी)

भावी टिप्पणियां:

**संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों को आवास भवन ऋण और वाहन अग्रिम घरेलू संपत्तियों को गिरवी रखने या वाहनों के दृष्टिबंधक रखने के प्रति सुरक्षित हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं।

टिप्पणी 11: अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत तब माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पट्टा प्राप्तियां	**606.42**	601.69
12 महीने की परिपक्वता से अधिक बैंक में जमा #	**92.66**	11.11
भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बॉन्ड के लिए वसूली योग्य ##	**3,487.50**	3,487.50
संबंधित पक्षों को अग्रिम (सहायक और अन्य)*		
अच्छे माने गए	**-**	-
संदिग्ध माने गए **	**19.41**	19.40
	19.41	19.40
घटाएंरू संदिग्ध माने गए अग्रिमों के लिए प्रावधान**	**19.41**	19.40
	-	-
शेयर आवेदन राशि		
संयुक्त उद्यम कंपनियां		
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड रुरुरु	**-**	6.50
योग	**4,186.58**	**4,106.80**

भावी टिप्पणियां:

परामर्शदाता कार्य के लिए नामित खातों के प्रति बैंक जमा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए उपार्जित देनदारियों को पूरा करने हेतु पत्र संख्यारू 7/1/2018–ओएम दिनांक 21 जनवरी, 2019 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भ में कंपनी ने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) की भारत सरकार की योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए ₹ 3487.50 करोड़ की राशि के 'भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सेवित बॉन्ड' जारी किए। मूलधन की चुकौती और ऐसे बांडों पर ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। पिछले वर्षों में बॉन्ड जारी करने से ₹ 3487.50 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है।

*संबंधित पक्षों को अग्रिम का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

**सीईआरसी के आदेश दिनांक 06/04/2015 को याचिका संख्या 127ध्2012 में निर्देश दिया था कि वेमागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (वीटीएसएल) के लिए कंपनी द्वारा किए गए अधिग्रहण मूल्य के 80प्रतिशत की प्रतिपूर्ति दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों (एलटीटीसी) द्वारा की जाएगी और अधिग्रहण की तारीख से वीवाईएसएल द्वारा किए गए व्यय के साथ 20प्रतिशत तक शेष राशि कंपनी के परिसमापन द्वारा कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। इसके बाद, कंपनी द्वारा दायर की गई एक समीक्षा याचिका पर, सीईआरसी ने दिनांक 20ध्10ध्2016 के आदेश के माध्यम से कहा कि अधिग्रहण मूल्य का 20प्रतिशत भुगतान करने के लिए कंपनी की देयता की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं और तदनुसार, निर्देश दिया जाएगा कि इस मुद्दे को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीई) में इस निर्गत पर एलटीटीसी द्वारा दायर अपीलों के निपटान के बाद मामले में समग्र दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया।

एपीटीईएल में दायर अपीलों में अंतिम सुनवाई 02.03.2020 को हुई थी और माननीय एपीटीईएल ने सभी पक्षों को लिखित निवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और आदेश सुरक्षित रखा गया। हालांकि, मार्च20–मई20 के दौरान कोविड महामारी लॉक डाउन के कारण, मामले को 24.08.2020 को फिर से सूचीबद्ध करके सुना गया और माननीय एपीटीईएल ने सभी पक्षों को ईमेल के माध्यम से संक्षिप्त व्यापक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया और निर्णय को फिर से सुरक्षित रख लिया गया। तद्नुसार, एपीटीईएल में संक्षिप्त व्यापक लिखित निवेदन दाखिल किए गए थे।

एपीटीईएल के माननीय सदस्यों में से एक निर्णय की घोषणा से पहले दिसंबर20 के दौरान सेवानिवृत्त हुए, इस मामले की पुनः सुनवाई अपेक्षित हो सकती है। मामले में तेजी लाने के लिए मार्च,21 में एपीटीईएल में अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना शेष है।

5 मई, 2020 को आबंटित इक्विटी शेयर

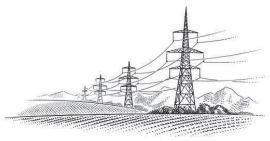

टिप्पणी 12: अन्य गैर–वर्तमान आस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम		
अप्रतिभूति		
क. बैंक गारंटी के प्रति	**260.06**	487.52
ख. अन्य	**84.87**	84.93
अप्रतिभूति संदिग्ध माने गए	**1.19**	1.19
	346.12	573.64
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**1.19**	1.19
	344.93	572.45
पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	**22.24**	19.34
आस्थगित कर्मचारी लागत	**49.09**	61.05
आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव संपत्ति	**4,225.87**	5,247.96
वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
कर्मचारी	**0.09**	2.77
सीमा शुल्क पोर्ट ट्रस्ट और अन्य अधिकारियों के साथ शेष राशि	**10.25**	23.93
स्रोत में अग्रिम कर और कर कटौती रु	**-**	-
अन्य कर	**2.82**	1.67
अन्य''	**219.13**	198.01
	232.29	226.38
संदिग्ध माने गए	**0.91**	0.91
	233.20	227.29
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.91**	0.91
	232.29	226.38
योग	**4,874.42**	**6,127.18**

भावी टिप्पणियां:

**अन्य में ग्राहकों और राज्य सरकारों से वसूली योग्य राशि, बीमा दावे आदि शामिल हैं।

रु वर्तमान कर देनदारियों का निवल– टिप्पणी 33

टिप्पणी 13: माल सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(मूल्य निर्धारण विधि के लिए टिप्पणी 2.10 देखें)		
भाग, पुर्जे और अन्य स्पेयर पार्ट्स	**1,346.18**	1,383.78
खुले उपकरण	**23.70**	23.52
उपभोज्य भंडार	**11.44**	11.17
	1,381.32	1,418.47
कमी/क्षतिग्रस्त आदि के लिए कम प्रावधान।	**18.50**	17.91
योग	**1,362.82**	**1,400.56**
माल सूचियों में पारगमन में सामग्री शामिल है		
भाग, पुर्जे और अन्य स्पेयर पार्ट्स	**-**	0.23

टिप्पणी 14: व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूति		
सही माने गए	**3,592.06**	4,798.30
क्रेडिट बिगड़ा	**300.40**	315.82
	3,892.46	5,114.12
संबंधित पक्षों से प्राप्य – अप्रतिभूति *		
सही माने गए	**29.28**	69.60
	3,921.74	5,183.72
घटाएं: हानि भत्ता	**300.40**	315.82
योग	**3,621.34**	**4,867.90**

भावी टिप्पणियां:

'संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्तियों का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

इंड एएस 115 श्ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्वश के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

कंपनी, बैंकों और लाभार्थियों के बीच व्यवस्था के आधार पर लाभार्थियों के बिलों में छूट दी गई है। तद्नुसार, व्यापार प्राप्तियों को ₹ 2871.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1060.24 करोड़) की छूट वाले बिलों से निवल प्रकट कर दिया गया है। विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 58 देखें।

टिप्पणी 15: नकदी और नकद समकक्षे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बैंकों में शेष राशियां–		
–चालू खातों में	**928.52**	136.79
–नामित चालू खातों में (परामर्शदाता ग्राहकों और अन्य के लिए)	**71.64**	433.90
सावधि जमा में (3 महीने से कम की परिपक्वता के साथ)(ब्याज सहित)*	**3,429.87**	4,234.42
हाथ में ड्राफ्टध्चेक ध्यारगमन में प्रेषण	**-**	0.02
अन्य (स्टैम्प और अग्रदाय)	**0.02**	0.01
योग	**4,430.05**	**4,805.14**

भावी टिप्पणियां:

*परामर्शदाता ग्राहकों और अन्य के लिए सावधि जमा में ₹ 3050.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4234.42 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी 16: नकदी और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बैंकों के साथ निर्धारित शेष राशियां'	**152.91**	21.35
सावधि जमा में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता होती है लेकिन 12 महीने तक (परामर्शदाता ग्राहकों और अन्य के लिए) (उपचित ब्याज सहित)	**690.58**	582.91
योग	**843.49**	**604.26**

भावी टिप्पणियां:

*बैंक के पास अनारक्षित शेष राशि में अभुगतानित लाभांश, देय लाभांश, लाभांश पर टीडीएस और एफपीओ आय की वापसी शामिल है।

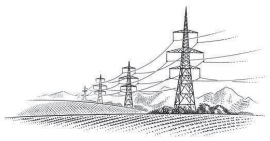

टिप्पणी 17: ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संबंधित पक्षों को ऋण (उपचित ब्याज सहित)**		
सहायक कंपनियों को ऋण – अप्रतिभूत	**5,301.78**	723.00
संयुक्त उद्यम को ऋण – अप्रतिभूत	**40.48**	81.16
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण (केएमपी)		
प्रतिभूत #	**0.01**	0.01
अप्रतिभूति, सही माने गए	**0.07**	0.03
	5,342.34	804.20
कर्मचारियों को ऋण (उपचित ब्याज सहित)		
प्रतिभूत #	**46.08**	35.64
अप्रतिभूति, सही माने गए	**40.41**	39.57
	86.49	75.21
योग	**5,428.83**	**879.41**

भावी टिप्पणियां:

**संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम, घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के प्रति सुरक्षित हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं।

टिप्पणी 18: अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पट्टा प्राप्तियां	**48.33**	48.28
बिल न की गई आय'	**7,065.68**	5,163.51
भारत सरकार के लिए पूरी तरह से सेवा बॉन्ड (उपचित ब्याज सहित) के लिए वसूली योग्य	**36.22**	36.90
संबंधित पक्षों को अग्रिमध्राप्य रु	**24.66**	1.04
अन्य रुरु		
अच्छा माना जाता है	**765.15**	381.67
योग	**7,940.04**	**5,631.40**

भावी टिप्पणियां:

* भुगतान नहीं किए गए बिल का राजस्व में मार्च महीने के लिए पारेषण शुल्क शामिल हैं, जिसमें पिछली तिमाही के बिल 3 शामिल हैं, वित्तीय वर्ष की राशि ₹ 2512.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3924.36 करोड़), जो बाद के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में लाभार्थियों को दी गई थी। इसके अलावा इंड एएस 115 के रूप में श्ग्राहकों से संविदाओं से राजस्वश के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 46 देखें। बिल न किए गए राजस्व में संबंधित पक्षों से ₹ 6.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) शामिल हैं (टिप्पणी 55 देखें)।

संबंधित पक्षों का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

अन्य में शामिल हैं: –

(क) ₹ 59.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.85 करोड़) की राशि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से 2.427 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.167 हेक्टेयर) भूमि के हस्तांतरण के लिए वसूली योग्य है, जो तुगलकाबाद और द्वारका सब–स्टेशन पर शीर्षक के हस्तांतरण के लिए में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लंबित है।

(ख) ग्राहकों से वसूली योग्य राशि, आवासीय और कार्यालय आवास के लिए अग्रिम किराया, अन्य अग्रिम आदि।

टिप्पणी 19: अन्य वर्तमान परिआस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य अग्रिम		
वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
संविदाकार और आपूर्तिकर्ता	**9.75**	3.02
कर्मचारी	**5.98**	24.77
सीमा शुल्क पोर्ट ट्रस्ट और अन्य अधिकारियों के साथ शेष राशि	**35.34**	54.29
वसूली योग्य दावा	**0.54**	0.54
	51.61	82.62
अन्य*		.
सही माने गए	**118.85**	137.83
संदिग्ध माने गए	**0.01**	0.01
	118.86	137.84
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.01**	0.01
	118.85	137.83
योग	**170.46**	**220.45**

भावी टिप्पणियां:

'अन्य में सीएसआर गतिविधियों के लिए दिया गया अग्रिम, प्रीपेड व्यय और इनपुट टैक्स, क्रेडिट – जीएसटी शामिल हैं।

टिप्पणी 19ए: बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	वर्तमान	गैर वर्तमान	वर्तमान	गैर वर्तमान
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूरी तरह से भुगतान किया गया)				
सहायक कंपनियों				
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड 209700 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**209.73**	**-**	-	-
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड 61,000,000 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**45.14**	**15.86**	-	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड 226910000 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**167.91**	**59.00**	-	-
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड 393300000 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**291.04**	**102.26**	-	-
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड 3220000 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**238.36**	**83.74**	-	-
योग	**952.18**	**260.86**	**-**	**-**

भावी टिप्पणियां:

कंपनी ने पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (श्पीजीइनविटध्ट्रस्टश्) के माध्यम से अपनी पांच (05) सहायक कंपनियों का मुद्रीकरण किया है, अर्थात् पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड कला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड। पीजीइनविट को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) रेगुलेशन, 2014 (इनविट रेगुलेशन') के तहत सेबी द्वारा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में दिनांक 07.01.2021 को पंजीकरण संख्या IN/InvIT/20&21/0016 के तहत पंजीकृत किया गया है। कंपनी पीजीइनविट की प्रायोजक है और पीजीइनविट के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी काम करेगी। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ट्रस्टी है और पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल), कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को पीजीआईएनवीआईटी में निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीजीइनविट द्वारा दिनांक 22.04.2021 को सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रस्ताव दस्तावेज दायर किया गया है और इकाइयां दिनांक 14.05.2021 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई हैं। उपरोक्त पांच एसपीवी में 74 प्रतिशत शेयर मई, 2021 में पीजीइनविट को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और शेष 26प्रतिशत को पारेषण सेवा करार (टीएसए) के अनुरूप स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रकार हस्तांतरित शेयरधारिता पर विचार करने के एवज में, कंपनी को पीजीइनविट द्वारा 41,06,50,900 यूनिट आबंटित की गईं। कंपनी ने पोस्ट निर्गत के आधार पर बकाया पीजीइनविट का योग इकाइयों का 15प्रतिशत होने के नाते 13,65,00,100 इकाइयों को बरकरार रखा। इनविट विनियमों के अनुसार शेष 27,41,50,800 इकाइयों को श्ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)श के माध्यम से बेचा गया था। कंपनी को ओएफएस के प्रति ₹ 2736.02 करोड़ (एसटीटी का निवल) की राशि प्राप्त हुई।

जैसा कि उक्त निवेश वित्त वर्ष 2021–22 में बेचा जा रहा है, उपरोक्त पांच सहायक कंपनियों में निवेश को 31.03.2021 को षबिक्री के लिए धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

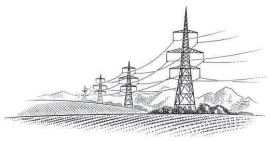

टिप्पणी 20: विनियामक आस्थगन खाता शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आस्तियां		
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित आस्तियां	**9,382.65**	8,814.19
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	**1,089.54**	1,174.71
कर्मचारी लाभ व्यय	**134.16**	134.16
योग	**10,606.35**	**10,123.06**

आगे टिप्पणी:

विनियामक आस्थगन खाता शेष पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

टिप्पणी 21: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
प्रत्येक ₹10/– के 10,00,00,00,000 (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	**10,000.00**	10,000.00
सदस्यता और जारी किया गया भुगतान		
₹10/– प्रत्येक के सममूल्य पर 5,23,15,89,648 (पिछले वर्ष 5,23,15,89,648) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	**5,231.59**	5,231.59

भावी टिप्पणियां:

1) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयर पूंजी की संख्या और राशि का विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	**5231589648**	**5,231.59**	5231589648	5,231.59
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**-**	**-**	-	-
वर्ष के दौरान घाटे	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**5231589648**	**5,231.59**	5231589648	5,231.59

2) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10/– रु. के बराबर मूल्य है।

3) इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित किए गए लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठकों में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में मतदान के अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं।

4) कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
भारत सरकार	**2685872408**	**51.34**	2685872408	51.34
भारतीय जीवन बीमा निगम	**310294907**	**5.93**	274430207	5.25

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
रिजर्व और अधिशेष		
प्रतिभूति प्रीमियम	**9,578.29**	9,578.29
बॉन्ड मोचन रिजर्व	**7,387.97**	8,638.92
स्व बीमा रिजर्व	**722.99**	807.93
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि रिजर्व	**-**	-
सामान्य रिजर्व	**43,191.78**	36,828.05
प्रतिधारित आय	**3,399.08**	3,327.57
अन्य रिजर्व		
अन्य व्यापक आय रिजर्व	**67.14**	27.34
योग	**64,347.25**	**59,208.10**

22.1 प्रतिभूति प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**9,578.29**	9,578.29
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**-**	-
वर्ष के दौरान घटे	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष राशियां	**9,578.29**	**9,578.29**

शेयरों/प्रतिभूतियों के मुद्दे पर प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

22.2 बॉन्ड विमोचन रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**8,638.92**	9,884.80
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**-**	439.88
वर्ष के दौरान घटे	**1,250.95**	1,685.76
वर्ष के अंत में शेष राशियां	**7,387.97**	**8,638.92**

बॉन्ड विमोचन रिजर्व कंपनी अधिनियम 2013 की अवधि में डिबेंचर के विमोचन के उद्देश्य से बनाया गया है। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को 16.08.2019 से प्रभावी बॉन्ड विमोचन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

22.3 स्व बीमा रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**807.93**	882.18
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**278.79**	262.63
वर्ष के दौरान घटे	**363.73**	336.88
वर्ष के अंत में शेष राशियां	**722.99**	**807.93**

स्व–बीमा रिजर्व को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (आरओयू आस्तियों को छोड़कर) के सकल ब्लॉक पर 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष (पिछले वर्ष में 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष) बनाया गया है ताकि भविष्य के घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में बीमा के तहत कवर न किया जा सके जो गैर–बीमित जोखिमों से उत्पन्न हो सकता है और भविष्य की आकस्मिकताओं का ध्यान रखने के लिए टावरों को मजबूत करने और एसी सब–स्टेशन के उपकरणों सहित टावरों और अन्य ट्रांसमिशन लाइन सामग्री की खरीद के लिए हो सकता है। चालू वर्ष से, कंपनी ने स्व–बीमा रिजर्व की गणना के लिए माल सूची को भी शामिल किया है और इसका कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

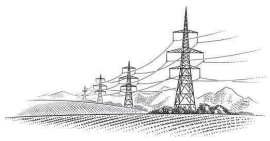

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी (जारी)

22.4 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	114.54
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-
वर्ष के दौरान घटे	-	114.54
वर्ष के अंत में शेष राशियां	-	-

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित राशि को किसी भी वर्ष में वास्तविक व्यय में कमी के लिए बनाया गया है।

22.5 सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**36,828.05**	31,376.63
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**6,363.73**	5,451.42
वर्ष के दौरान घटे	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशियां	**43,191.78**	**36,828.05**

सामान्य रिजर्व उस कंपनी की कमाई को बरकरार रखता है जिसे कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है। यह एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग भविष्य की किसी भी अज्ञात आकस्मिकता को पूरा करने और शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

22.6 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशियां	**3,327.57**	1,872.42
जोड़ेंरू जोड़ा गया		
अवधि के लिए निवल लाभ	**11,935.78**	10,811.18
अधिशेष शेष राशि में प्रत्यक्ष मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की मदें		
– रोजगार के बाद लाभ दायित्वों का पुनः मापन	**(14.44)**	(54.67)
बॉन्ड विमोचन रिजर्व से ट्रांसफर	**1,250.95**	1,685.76
घटाएंः विनियोग		
सामान्य रिजर्व	**6,000.00**	5,000.00
बॉन्ड मोचन रिजर्व	-	439.88
स्व बीमा रिजर्व	**278.79**	262.63
अंतरिम लाभांश का भुगतान	**4,708.43**	3,118.02
अंतरिम लाभांश पर कर	-	601.93
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 59(बी) देखें)	**2,113.56**	1,307.90
अंतिम लाभांश पर कर	-	256.76
वर्ष के अंत में शेष राशियां	**3,399.08**	**3,327.57**

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी (जारी)

22.7 अन्य व्यापक आय रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
22.7 अवर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**27.34**	76.69
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**39.80**	(49.35)
वर्ष के दौरान घटे	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष राशियां	**67.14**	**27.34**
न्य व्यापक आय रिजर्व		

अन्य व्यापक आय रिजर्व अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी उपकरणों में गैर–वर्तमान निवेश के मूल्यांकन में वृद्धि/कमी से बनाया गया है।

टिप्पणी 23: उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) बॉन्ड		
क1) प्रतिभूत (कराधान, विमोचनीय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय)		
क1.1 i) प्रत्येक ₹10 लाख के बॉन्ड		
LV निर्गत– 21.09.2031 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.55 प्रतिशत	**1,289.04**	1,288.30
LX निर्गत– 09.08.2027 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.20 प्रतिशत	**3,201.67**	3,201.86
LIX निर्गत–19.06.2027 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.30 प्रतिशत	**3,245.43**	3,245.54
XXXIX निर्गत– 29.03.2027 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 9.40 प्रतिशत	**1,801.33**	1,801.26
LVIII निर्गत– 09.03.2027 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.89 प्रतिशत	**2,070.07**	2,069.69
XXXVIII निर्गत–09.03.2027 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 9.25 प्रतिशत	**859.92**	859.71
LVI निर्गत–18.10.2026 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.36 प्रतिशत	**1,100.06**	1,099.67
LXII निर्गत– 07.01.2025 से प्रभावी 05 (पांच) समान किश्तों में समकक्ष पर विमोचन योग्य 8.36 प्रतिशत	**2,038.28**	2,038.61
XLII निर्गत–13.03.2023 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 8.80 प्रतिशत	**1,999.05**	1,998.66
LVII निर्गत–21.12.2021 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.20 प्रतिशत	**2,162.20**	2,161.38
ii) 15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 पर 3 (तीन) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. के 3 एस.आर.पी.पी. सहित प्रत्येक 30 लाख रु. के बॉन्ड		
LIV निर्गत– 15.07.2021 से प्रभावी विमोचन योग्य 7.97 प्रतिशत	**3,170.17**	3,168.45
iii) 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 पर 3 (तीन) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. के 3 एस.आर.पी.पी. सहित प्रत्येक 30 लाख रु. के बॉन्ड		
LII निर्गत– 23.12.2020 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.32 प्रतिशत	**952.89**	1,428.83
iv) 12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹10 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बॉन्ड		
LIII निर्गत – 25.04.2020 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.13 प्रतिशत	**3,939.45**	4,299.65
v) 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. के 3 एस.आर.पी.पी. सहित प्रत्येक 30 लाख रु. के बॉन्ड		
XLIX निर्गत– 09.03.2020 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.15 प्रतिशत	**874.34**	874.17

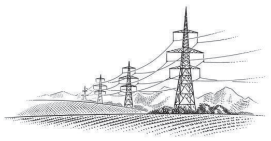

टिप्पणी 23: उधार (जारी)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
vi)	23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को 4 (चार) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. के 4 एस.आर.पी.पी. सहित प्रत्येक 40 लाख रु. के बॉन्ड		
	XLVIII निर्गत – 23.01.2020 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.20 प्रतिशत	**1,963.59**	1,963.99
vii)	12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹10 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बॉन्ड		
	LI निर्गत– 14.09.2019 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.40 प्रतिशत	**2,614.37**	2,872.53
viii)	04.09.2024, 04.09.2024 और 04.09.2029 को को 3 (तीन) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. के 3 एस.आर.पी.पी. सहित प्रत्येक 30 लाख रु. के बॉन्ड		
	XLVI निर्गत– 04.09.2019 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.30 प्रतिशत	**3,062.74**	3,060.18
ix)	12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹10 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बॉन्ड		
	L निर्गत– 27.05.2019 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.40 प्रतिशत	**2,613.39**	2,873.90
x)	12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹10 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बॉन्ड		
	XLVII निर्गत – 20.10.2018 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.93 प्रतिशत	**2,058.85**	2,285.25
xi)	15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 पर 3 समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹30 लाख के बॉन्ड		
	XLIV निर्गत – 15.07.2018 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.70 प्रतिशत	**2,807.76**	2,805.95
xii)	12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹10 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बॉन्ड		
	XLV निर्गत– 28.02.2018 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.65 प्रतिशत	**1,343.63**	1,512.37
	XLIII निर्गत – 20.05.2017 से प्रभावी विमोचन योग्य 7.93 प्रतिशत	**2,227.00**	2,504.60
xiii)	12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹12.50 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित प्रत्येक ₹1.5 करोड़ के बॉन्ड		
	XLI निर्गत– 19.10.2016 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.85 प्रतिशत	**1,724.01**	1,968.79
xiv)	15 (पंद्रह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹10.00 लाख प्रत्येक की 15 एसटीआरपीपी सहित प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बॉन्ड		
	XXXVI निर्गत – 29.08.2016 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.35 प्रतिशत	**2,173.42**	2,388.76
xv)	12 (बारह) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य ₹12.50 लाख प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित प्रत्येक ₹1.5 करोड़ के बॉन्ड		
	XL निर्गत– 28.06.2016 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.30 प्रतिशत	**2,496.43**	2,851.19
	XXXVII निर्गत– 26.12.2015 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.25 प्रतिशत	**1,021.74**	1,191.33
	XXXV निर्गत– 31.05.2015 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.64 प्रतिशत	**1,057.57**	1,233.18
	XXXIV निर्गत– 21.10.2014 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.84 प्रतिशत	**1,510.12**	1,810.77
	XXXIII निर्गत– 08.07.2014 से से प्रभावी विमोचन योग्य 8.64 प्रतिशत	**1,275.83**	1,530.06
	XXXII निर्गत– 29.03.2014 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.84 प्रतिशत	**345.24**	431.53

टिप्पणी 23: उधार (जारी)

(₹ करोड में)

		विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
		XXXI निर्गत– 25.02.2014 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.90 प्रतिशत	**688.31**	860.29
		XXX निर्गत– 29.09.2013 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.80 प्रतिशत	**811.98**	1,014.19
		XXIX निर्गत– 12.03.2013 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.20 प्रतिशत	**326.00**	434.58
		XXVIII निर्गत– 15.12.2012 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.33 प्रतिशत	**616.40**	821.33
		XXVII निर्गत– 31.03.2012 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.47 प्रतिशत	**117.53**	176.25
		XXVI निर्गत– 07.03.2012 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.30 प्रतिशत	**167.56**	251.27
		XXV निर्गत– 12.06.2011 से प्रभावी विमोचन योग्य 10.10 प्रतिशत	**191.89**	287.64
		XXIV निर्गत– 26.03.2011 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.95 प्रतिशत	**66.73**	133.46
		XXIII निर्गत– 09.02.2011 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.25 प्रतिशत	**25.96**	51.90
		XXII निर्गत– 07.12.2010 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.68 प्रतिशत	**59.07**	118.07
		XXI निर्गत– 11.10.2010 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.73 प्रतिशत	**44.25**	88.43
		XX निर्गत– 07.09.2010 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.93 प्रतिशत	**131.30**	262.39
		XIX निर्गत– 24.07.2010 से प्रभावी विमोचन योग्य 9.25 प्रतिशत	**43.87**	87.68
		XVIII निर्गत– 09.03.2010 से प्रभावी विमोचन योग्य 8.15 प्रतिशत	**-**	83.66
			62,290.44	**67,491.30**
क2		**अप्रतिभूत**		
क2.1		**विमोचनीय घरेलू बॉन्ड**		
	i)	प्रत्येक ₹10 लाख के बॉन्ड		
		LXVIII निर्गत– 11.04.2031 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 6.28 प्रतिशत	**520.54**	-
		LXVI निर्गत–12.04.2030 को समकक्ष पर विमोचन योग्य 7.38 प्रतिशत	**508.16**	508.22
	ii)	05 (पांच) समान किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. प्रत्येक की 05 एसटीआरपीपी सहित प्रत्येक 50.00 लाख रु. के बॉन्ड		
		LXI निर्गत– 12.12.2028 से प्रभावी विमोचन योग्य 7.74 प्रतिशत	**3,069.77**	3,070.20
	iii)	प्रत्येक ₹10 लाख के बॉन्ड		
		LXVII निर्गत– 15.04.2025 से प्रभावी विमोचन योग्य 6.85 प्रतिशत	**2,984.24**	-
	iv)	03 (तीन) बराबर किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 3.00 लाख रु., 3.00 लाख रु. और 4.00 लाख रु. प्रत्येक की 03 एसटीआरपीपी सहित प्रत्येक 10 लाख रु. के बॉन्ड		
		स्प्ट निर्गत– 25.10.2024 से प्रभावी विमोचन योग्य 7.49 प्रतिशत	**2,601.48**	2,601.75
	v)	03 (तीन) बराबर किश्तों में समकक्ष विमोचन योग्य 10 लाख रु. प्रत्येक की 03 एसटीआरपीपी सहित 30 लाख रु. के बॉन्ड		
		LXIII निर्गत– 15.07.2024 से प्रभावी विमोचन योग्य 7.34 प्रतिशत	**1,893.90**	1,893.98
	vi)	प्रत्येक ₹10 लाख के बॉन्ड		
		LXV निर्गत– 14.04.2023 से प्रभावी विमोचन योग्य 6.35 प्रतिशत	**202.82**	202.82
क2.2		विमोचनीय विदेशी मुद्रा बॉन्ड		
		3.875 प्रतिशत विदेशी मुद्रा बांडों को 17.01.2023 को सममूल्य पर भुनाया जाएगा	**3,723.90**	3,819.03
			15,504.81	**12,096.00**
		योग (क)	**77,795.25**	**79,587.30**
ख)		**सावधि ऋण**		

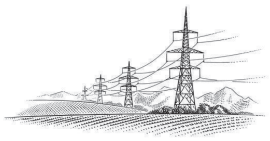

टिप्पणी 23: उधार (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बैंकों से		
प्रतिभूति		
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार (जीओआई) द्वारा गारंटीकृत)	**25,983.53**	27,947.23
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**7,256.11**	7,192.24
रुपया ऋण	**10,230.00**	12,184.00
	43,469.64	**47,323.47**
अप्रतिभूति		
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार (जीओआई) द्वारा गारंटीकृत)	**3,891.20**	4,048.52
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**3,222.26**	3,350.56
रुपया ऋण	**15,974.65**	13,923.41
	23,088.11	**21,322.49**
योग (बी)	**66,557.75**	**68,645.96**
योग (क से ख)	**144,353.00**	**148,233.26**
घटाएं: गैर चालू उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 30 देखें)	**12,171.41**	9,558.53
घटाएं: ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं (टिप्पणी 30 देखें)	**3,101.52**	3,253.62
योग	**129,080.07**	**135,421.11**

भावी टिप्पणियां:

पुनर्भुगतान की शर्तों का विवरण और ब्याज दर

1 प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) 6 माह एलआईबीओआर से जुड़े ब्याज की फ्लोटिंग दर होती है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाने योग्य होते हैं, जो एक ऋण को छोडकर 3 से 5 वर्ष की अवधि के बाद शुरू होते हैं 364.64 करोड़ रु पिछले वर्ष 374.16 करोड़ रु.) जिस पर 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर होती है।

2 अन्य प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण पर 6 माह (एलआईबीओआरध्ईयूआरआईबीओआरध्एसटीआईबीओआर) से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर होती है। ये ऋण 3 से 5 वर्ष की अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार, अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

3 बैंकों से प्रतिभूत रूप से लिए गए ऋण पर 3 माह एमसीएलआर से जुड़ी हुई ब्याज दर है। ये ऋण 5 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

4 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) ब्याज दर 1.63 प्रतिशत प्रति वर्ष से लेकर 2.30 प्रतिशत प्रति वर्ष है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

5 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण 6 माह (एसटीआईबीओआरध्ईयूआरआईबीओआर) से जुड़े ब्याज की फ्लोटिंग दर को वहन करते हैं। यह ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

6 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण 6 माह (जेपीवाईएलआईबीओआर) से जुड़े ब्याज की फ्लोटिंग दर को वहन करते हैं। यह ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार पाँच समान वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

7 बैंक से अप्रतिभूत रुपया ऋण 3 माह की एमसीएलआर या रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार, अर्ध वार्षिक किश्तों में देय होते हैं, जो संबंधित ऋण समझौतों के अनुसार स्थगन अवधि के बाद शुरू होते हैं।

8 वर्ष के अंत तक ऋणों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान से कोई चूक नहीं हुई है।

प्रतिभूतियों का विवरण

1 जिला वलसाड गुजरात में मौजे अंबेती तालुक कापरडा में स्थित अचल आस्ति पर पंजीकृत बॉन्ड ट्रस्ट डीड रैंकिंग पारी पासु के माध्यम से घरेलू बॉन्ड सुरक्षित है और कंपनी की आस्ति पर फ्लोटिंग प्रभार है।

2 प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) को ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में आस्तियों पर बनाए गए ग्रहणाधिकार में पारी पासु के ब्याज द्वारा प्रतिभूत किया जाता है।

3 प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण और रुपया ऋण के माध्यम से सुरक्षित हैय

(i) नवेश, भूमि और भवन, सड़क और पल, जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज तथा वर्तमान आस्तियों को छोडकर कंपनी की आस्तियों पर पारी पासु प्रभार या

(ii) निवेश और मौजूदा आस्तियों को छोडकर कंपनी की आस्तियों पर पारी पासु प्रभार वसूला जाता है या

(iii) कंपनी की अचल संपत्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार संबन्धित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार।

टिप्पणी 24: अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संविदाकारों और अन्य से जमा / प्रतिधारण राशि	**69.37**	15.43
भारत सरकार पूर्ण रूप से बॉन्ड में सेवा'	**3,487.50**	3,487.50
पूंजीगत व्यय के लिए देय राशि	**12.48**	-
पट्टा देयताएं #	**17.66**	12.70
योग	**3,587.01**	**3,515.63**

भावी टिप्पणियां:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के तहत प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 49 में दिया गया है। *भारत सरकार ने पूर्ण रूप से सेवित बॉन्ड 14.02.2029 को प्रति 8.24 प्रतिशत विमोचन की दर से जारी किए। विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 11 देखें। # भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार – "पट्टे", पट्टा देयताओं पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

टिप्पणी 25: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कर्मचारी लाभ		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	**424.71**	368.15
वर्ष के दौरान जमाध(समायोजन)	**37.22**	56.56
समाप्ति के समय शेष राशि	**461.93**	**424.71**

भावी टिप्पणियां:

यह प्रावधान अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ता, लंबी सेवा पुरस्कार और अन्य लाभों के उद्देश्य से बनाया गया है। कर्मचारी लाभ दायित्वों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 63 देखें।

टिप्पणी 26: आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क. आस्थगित कर देयता		
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**22,623.11**	19,898.33
वित्तीय पट्टा आस्तियां	**72.47**	76.96
अन्य	**23.42**	43.15
आस्थगित कर देयता (क)	**22,719.00**	**20,018.44**
(ख) आस्थगित कर संपत्ति		
निर्माण अवधि के दौरान आय	**17.95**	24.88
भुगतान के आधार पर देय प्रावधान	**514.70**	467.85
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**353.20**	409.12
एमएटी क्रेडिट पात्रता	**9,869.07**	7,710.30
अन्य	**22.20**	24.44
आस्थगित कर संपत्ति (ख)	**10,777.12**	**8,636.59**
आस्थगित कर देयता (निवल) (क–ख)	**11,941.88**	**11,381.85**

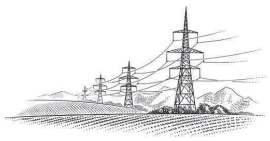

टिप्पणी 26: आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी)

भावी टिप्पणियां:

आस्थगित कर देयताओं का आवागमन

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	वित्त पट्टे पर दी गई आस्तियां	अन्य	योग
01.04.2019 को	**16,894.24**	**83.23**	**37.60**	**17,015.07**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित /(क्रेडिट)	3,004.09	(6.27)	5.55	3,003.37
31.03.2020 को	**19,898.33**	**76.96**	**43.15**	**20,018.44**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित /(क्रेडिट)	2,724.78	(4.49)	(19.73)	2,700.56
31.03.2021 को	**22,623.11**	**72.47**	**23.42**	**22,719.00**

आस्थगित कर आस्ति का आवागमन

विवरण	संपत्ति संयंत्र और उपकरण–निर्माण अवधि के दौरान आय	भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	मैट क्रेडिट	अन्य	योग
01.04.2019 को	**20.95**	**481.93**	**462.47**	**5,935.70**	**21.00**	**6,922.05**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित /(क्रेडिट)	3.93	(14.08)	(53.35)	1,774.60	3.44	1,714.54
31.03.2020 को	**24.88**	**467.85**	**409.12**	**7,710.30**	**24.44**	**8,636.59**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित /(क्रेडिट)	(6.93)	46.85	(55.92)	2,158.77	(2.24)	2,140.53
31.03.2021 को	**17.95**	**514.70**	**353.20**	**9,869.07**	**22.20**	**10,777.12**

लाभ और हानि के विवरण हेतु ली गई राशि

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि / (कमी)	**2,700.56**	3,003.37
आस्थगित कर आस्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(2,140.53)**	(1,714.54)
योग	**560.03**	**1,288.83**

क) प्रबंधन की राय में, यह संभावना है कि भविष्य में एमएटी क्रेडिट को मान्यता देकर भविष्य में आयकर देयता के प्रति सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में कंपनी को भविष्य के आर्थिक लाभ मिलेंगेरू

भविष्य के कर योग्य लाभ को (क) 31.03.2017 तक शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए (ख) भविष्य में चालू होने वाली आस्तियों पर प्रारंभिक मूल्यह्रास और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत आयकर मूल्यह्रास और उसके बाद कर की राशि को 2,158.77 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1,774.60 करोड़ रु.) की सीमा तक मैट क्रेडिट के प्रति समायोजित किया जाएगा। अतः, इसे वर्ष के दौरान आस्थगित कर को आस्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) एमएटी क्रेडिट भविष्य में कंपनी के लिए उपलब्ध है लेकिन बहियों में मान्यता नहीं है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष हेतु	31.03.2021 तक	अंतिम तिथि	31.03.2020 तक	अंतिम तिथि
2015-16	**1,421.20**	**31.03.2026**	1,421.20	31.03.2026
2014-15	**1,281.23**	**31.03.2025**	1,281.23	31.03.2025
2013-14	**1,085.14**	**31.03.2024**	1,085.14	31.03.2024
2012-13	**1,071.31**	**31.03.2023**	1,071.31	31.03.2023
2011-12	**239.01**	**31.03.2022**	239.01	31.03.2022
2010-11	**-**	**31.03.2021**	9.36	31.03.2021

टिप्पणी 27: अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शदाताध्दूरसंचार सेवाएं) $	**215.76**	233.51
अन्य*	**129.34**	127.53
योग	**345.10**	**361.04**

भावी टिप्पणियां:

$ इंड एएस 115 श्ग्राहकों सहित संविदा से राजस्वश के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

*अन्य में वसूली पर ग्राहकों को देय राशि शामिल है।

टिप्पणी 28: उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
लघु अवधि – अप्रतिभूत		
बैंकों से	**600.00**	-
वाणिज्यिक पत्र	**1,200.00**	3,000.00
योग	**1,800.00**	**3,000.00**

भावी टिप्पणियां:

1. वाणिज्यिक पत्रध्अल्पावधि ऋण अप्रतिभूत प्रकृति के हैं, जिसमें ब्याज दर 3.07 प्रतिशत से 5.59 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.08 प्रतिशत से 6.93 प्रतिशत) तक है और आहरण की तारीख से 44 दिनों से 270 दिनों (पिछले वर्ष 28 दिनों में 90 दिन) में चुकाने योग्य है।
2. वर्ष के अंत तक ऋणों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी 29: भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की योग बकाया राशि	**29.76**	11.59
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की योग बकाया राशि	**156.54**	214.13
योग	**186.30**	**225.72**

भावी टिप्पणियां:

'कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II' और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के तहत आवश्यक के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 49 में दिया गया है।

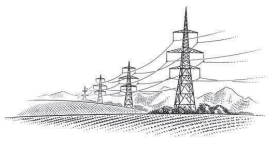

टिप्पणी 30: अन्य वर्तमान वित्तीय देयताऐं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता		
प्रतिभूत		
बॉन्ड	**8,223.72**	5,007.96
रुपया सावधि ऋण	**954.00**	1,454.00
विदेशी मुद्रा ऋण	**2,722.35**	2,434.48
	11,900.07	8,896.44
अप्रतिभूत		
विदेशी मुद्रा ऋण	**271.34**	662.09
	12,171.41	9,558.53
ब्याज उपार्जित किया जाता है, लेकिन उधार के कारण देय नहीं		
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**94.09**	225.00
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोचनीय बॉन्ड	**3,007.43**	3,028.62
	3,101.52	3,253.62
ब्याज उपार्जित लेकिन भारत सरकार के पूर्ण रूप से सेवित बॉन्ड से देय नहीं है।	**36.22**	36.90
अन्य		
पूंजीगत व्यय के लिए बकाया	**1,060.31**	1,400.86
कर्मचारी संबंधी देयताएं	**72.90**	70.57
दावा न किए गए लाभांश और एफपीओ*	**20.88**	15.95
संविदाकारों और अन्य लोगों से जमा / प्रतिधारण राशि	**3,510.37**	4,215.39
संबंधित पार्टियां**	**-**	2.78
देय लाभांश	**2.85**	5.40
पट्टा देनदारियां ##	**3.93**	3.70
अन्य ###	**2,483.18**	2,267.92
	7,154.42	7,982.57
योग	**22,463.57**	**20,831.62**

भावी टिप्पणियां:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में ष्सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006ष के तहत प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 49 में दिया गया है।

*निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।

**संबंधित पक्षों को देय राशि का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक 116 – 'लीज' के अनुसार पट्टा देयताओं पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

अन्य में दीर्घकालिक पहुँच (एलटीए), लघु अवधि खुली पहुँच (एसटीओए), आईएसटीएस लाइसेंस रिकवरी, डेड चेक, मूल्य भिन्नता आदि के प्रति भुगतान की देयता शामिल है।

टिप्पणी 31: अन्य चालू देनदारियों

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ग्राहकों से अग्रिम'	**3,531.15**	4,008.88
ग्राहकों से अग्रिम – संबंधित पक्ष #	**81.45**	79.27
सांविधिक देय राशि	**259.09**	179.39
योग	**3,871.69**	**4,267.54**

भावी टिप्पणियां:

*इंड एएस 115 श्ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्वश के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं.46 देखें।

संबंधित पक्षों को देय राशि का विवरण टिप्पणी सं. 55 में दिया गया है।

टिप्पणी 32: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) कर्मचारी लाभ		
i) निष्पादन संबंधी वेतन/विशेष प्रोत्साहन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**461.00**	444.50
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**509.83**	461.00
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित की गई राशि	**461.00**	444.50
समापन शेष राशि	**509.83**	461.00
ii) अन्य कर्मचारी लाभ		
(छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ता और दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार आदि)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**76.77**	68.11
वर्ष के दौरान जोड़े गए /(समायोजन)	**(9.12)**	8.66
समापन शेष राशि	**67.65**	76.77
योग (क)	**577.48**	**537.77**
ख) अन्य		
i) डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट–टेलीकॉम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**11.36**	17.95
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**12.38**	4.25
वर्ष के दौरान समायोजित की गई राशियां	**14.88**	10.84
समापन शेष राशि	**8.86**	11.36
ii) प्रावधान अन्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**192.82**	170.03
वर्ष के दौरान जोड़े गए / (समायोजन)	**56.72**	22.79
समापन शेष राशि	**249.54**	192.82
योग (ख)	**258.40**	**204.18**
योग (क+ख)	**835.88**	**741.95**

भावी टिप्पणियां:

क) कर्मचारी लाभ

i) निष्पादन संबंधी वेतनधविशेष प्रोत्साहन:
कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए निष्पादन संबंधी वेतन प्रावधान बनाया गया है

ii) अन्य कर्मचारी लाभ:
अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ता, दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार और पावरग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना को पूरा करने के उद्देश्य से प्रावधान बनाया गया है।

ख) अन्य:

i) डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट–टेलीकॉम:
मामले में प्रावधान तब बनाया जाता है जब वास्तविक डाउनटाइम अनुमेय सेवा स्तर समझौते से अधिक होता है, ऐसे मामलों में ग्राहक को मांग पर आवश्यक क्रेडिट पारित किया जाता है।
हालांकि, कुछ मामलों में, ग्राहक द्वारा डाउनटाइम का दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में ग्राहकों को दिए गए लिंक के गैर–संचालन की अवधि क लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नियंत्रण केंद्र (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्ट के अनुसार डाउनटाइम के खाते में आवश्यक प्रावधान खातों की बहियों में किए गए हैं। डाउनटाइम क्रेडिट की गणना विभिन्न ग्राहकों के साथ हस्ताक्षरित एसएलए पर आधारित है।

ii) प्रावधान अन्य:
इसमें कंपनी द्वारा विवादित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार ₹156.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹147.69 करोड़) के प्रवेश कर का प्रावधान शामिल है और उन पर मुकदमा जारी है। अदालत के आदेश के तहत ₹8.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.24 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया है और टिप्पणी संख्या 19 में 'कस्टम पोर्ट ट्रस्ट और अन्य प्राधिकरणों के साथ शेष' के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उठाए गए मांग की ओर ₹0.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.46 करोड़) का प्रावधान भी शामिल है और श्सीश फॉर्म द्वारा कवर नहीं किए गए अंतर–राज्यीय बिक्री के कारण वैधानिक प्रपत्र और अन्य साक्ष्य की अनुपस्थिति के संबंध में मांग के लिए कंपनी ने अपीलीय उपायुक्त (एडीसी) के समक्ष अपील की है और बाद में एडीसी को पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारण प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया है जिसके निर्णय की प्रतीक्षा है।

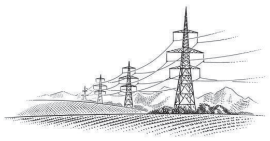

टिप्पणी 33: वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,453.47**	6,001.82
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**2,610.49**	2,575.56
वर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	**2.20**	2,123.91
योग	**9,061.76**	**6,453.47**
अग्रिम कर और टीडीएस के प्रति निवल छूट	**8,636.25**	6,430.69
समापन शेष राशियां	**425.51**	**22.78**

टिप्पणी 34: आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**1,010.75**	1,170.80
सहायता अनुदान (भावी टिप्पणियां: देखें)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4,147.01**	4,173.32
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**107.99**	233.94
वर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	**328.89**	260.25
समापन शेष राशियां	**3,926.11**	4,147.01
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से आस्थगित आय (निवल)	**4,817.29**	5,598.21
योग	**9,754.15**	**10,916.02**

भावी टिप्पणियां:

1. विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के तहत पूर्वी क्षेत्र (ईआरएसएस–XI) और एसआर (एसआर–XXI में सिस्टम सुदृढ़ीकरण) में स्टेटकॉम की स्थापना के लिए ₹ 5.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 74.68 करोड़) की सहायता में विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से अनुदान प्राप्त हुआ था। प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त ₹ 1.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.44 करोड़) का ब्याज अनुदान में जमा किया गया।
2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.27 करोड़) की सहायता को एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य माप (यूआरटीडीएसएम) की स्थापना के लिए प्राप्त किया गया। प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त ₹ 0.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.41 करोड़) का ब्याज अनुदान में जमा किया गया।
3. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों से जुड़ी पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से ब्याज सहित ₹ 99.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 122.89 करोड़) का अनुदान मान्यता प्राप्त है।
4. ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.25 करोड़) की सहायता में कंपनी के विभिन्न भवनों में सोलर रूफ टॉप प्लांट स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्धि से जुड़ीध्प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत अनुदान को मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 35: प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
सेवाओं की बिक्री		
पारेषण व्यापार		
पारेषण प्रभार	**35,960.86**	33,780.29
जोड़ें: मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम में से मान्यता प्राप्त राजस्व	**160.06**	152.65
	36,120.92	33,932.94

टिप्पणी 35: प्रचालनों से राजस्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
अन्य प्रचालित राजस्व		
अंतर अनंतिम और अंतिम शुल्क पर ब्याज	**2.48**	676.04
पट्टे की लाइनों से आय	**4.63**	7.12
आस्थगित राजस्व से मान्यता प्राप्त – सहायता अनुदान	**328.89**	260.25
	336.00	943.41
	36,456.92	34,876.35
दूरसंचार व्यापार	**707.45**	698.21
परामर्शदाता परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण	**501.28**	610.98
योग	**37,665.65**	**36,185.54**

भावी टिप्पणियां:

क) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए 'सीईआरसी (प्रशुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2019' ट्रांसमिशन शुल्क के निर्धारण के लिए दिनांक 07.03.2019 को दिए गए आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान पारेषण आय को निम्नलिखित के अनुसार मान्यता दी है,

(i) ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम प्रशुल्क आदेशों के अनुसार ₹ 9,407.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) और

(ii) ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार अनंतिम रूप से ₹ 26,713.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33,932.94 करोड़) और इसी तरह के मामलों में अन्य आदेश, पारेषण आस्तियों के संबंध में जिनके लिए अंतिम प्रशुल्क आदेश अभी जारी किए जाने हैं

ग) सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, पारेषण आय में ₹ 538.30 करोड़ (वृद्धि) (पिछले वर्ष ₹ 173.30 करोड़ (वृद्धि)) शामिल है जो पूर्व के वर्षों से संबंधित है।

घ) कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापार को करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और कंपनी की ऊर्जा प्रबंधन सेवाएं और परामर्शदाता व्यापार शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 देखें।

ड.) इंड एएस 115 'ग्राहक के साथ संविदा से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 46 देखें।

टिप्पणी 36: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय		
इंडियन बैंक	**58.59**	154.23
सहायक कंपनियों को ऋण पर ब्याज	**1,055.77**	920.12
संयुक्त उद्यमों (जेवी) को ऋण पर ब्याज	**11.71**	14.00
अन्य'	**99.78**	30.47
	1,225.85	1,118.82
संविदाकारों को अग्रिम से ब्याज	**13.68**	17.05
	1,239.53	1,135.87
इनमें निवेश से लाभांश आय		
सहायक कंपनियां	**546.63**	228.26
संयुक्त उद्यम	**107.15**	69.41
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	**9.00**	5.35
	662.78	303.02
अन्य		

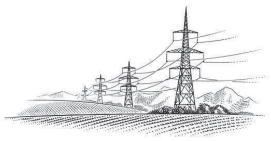

टिप्पणी 36: अन्य आय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	**12.60**	1.14
वित्तीय पट्टे से वित्त आय	**81.18**	85.13
अधिभार	**714.15**	297.54
एफईआरवी का लाभ	**0.02**	0.31
बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	**24.55**	147.56
वित्तीय देयता/निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लाभ	**19.31**	69.74
विविध आय**	**129.41**	147.58
	981.22	749.00
	2,883.53	**2,187.89**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरित (निवल) – टिप्पणी 43	**22.07**	55.46
योग	**2,861.46**	**2,132.43**

भावी टिप्पणियां:

*अन्य लोगों में कर्मचारी ऋण पर ब्याज, कर्मचारी ऋण पर वित्त लागत को समाप्त करना आदि शामिल हैं।

** विविध आय में कबाड़ माल की बिक्री, बीमा दावा वसूली, यूआई शुल्क आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 37: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	**2,068.18**	2,019.71
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**322.95**	185.21
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	**203.24**	243.37
	2,594.37	2,448.29
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) – टिप्पणी 43	**483.63**	486.25
सीएसआर व्यय में अंतरण – टिप्पणी 40	**-**	2.57
योग	**2,110.74**	**1,959.47**

भावी टिप्पणियां:

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को पारिश्रमिक के लिए टिप्पणी सं. 55 देखें।

ख) कर्मचारी लाभ दायित्वों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 63 देखें।

टिप्पणी 38: वित्त लागते

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं पर ब्याज और वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान	**1,870.82**	2,353.69
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**562.31**	1,047.19
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोचन बॉन्ड	**6,062.56**	6,197.47
विदेशी मुद्रा बॉन्ड	**156.82**	150.49
वित्तीय देयताएं पर छूट की समाप्ति	**60.17**	96.17
ब्याज – अन्य	**5.26**	0.27
पट्टा देयता पर ब्याज	**1.75**	1.30
	8,719.69	9,846.58

टिप्पणी 38: वित्त लागते

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
अन्य वित्त प्रभार		
प्रतिबद्धता शुल्क	**1.28**	4.92
गारंटी शुल्क	**376.44**	363.69
अन्य*	**58.25**	36.22
	435.97	404.83
उधार लेने की लागत के समायोजन के रूप में विनिमय अंतर माना जाता है	**(223.10)**	1,343.96
	212.87	1,748.79
	8,932.56	11,595.37
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय के लिए अंतरण (निवल) – टिप्पणी 43	**431.55**	1,781.75
योग	**8,501.01**	**9,813.62**

भावी टिप्पणियां:

*अन्य में एजेंसी शुल्क, ट्रस्टी शुल्क, आरटीए और सूचीकरण शुल्क, रेटिंग शुल्क, भूमि मुआवजे पर ब्याज, पेड़ और फसल क्षतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 39: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	**11,921.39**	11,289.93
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	**118.72**	117.30
आरओयू आस्तियों का मूल्यह्रास	**20.06**	16.90
	12,060.17	11,424.13
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय के लिए अंतरण (निवल) – टिप्पणी 43	**12.56**	10.40
	12,047.61	**11,413.73**
घटाएं: एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	**335.93**	340.55
लाभ और हानि विवरण के लिए प्रभार	**11,711.68**	**11,073.18**

टिप्पणी 40: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
मरम्मत एवं रखरखाव		
भवन	**90.00**	92.21
संयंत्र और मशीनरी		
सब–स्टेशन	**385.10**	434.49
पारेषण लाइन	**204.36**	153.11
दूरसंचार उपकरण	**45.02**	38.85
अन्य	**39.10**	43.14
	673.58	669.59
प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	**55.24**	61.03
विद्युत प्रभार	**264.42**	285.82

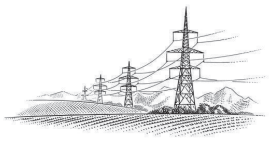

टिप्पणी 40: अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
घटाएं: संविदाकारों से वसूली	**2.68**	3.07
	261.74	282.75
डीजल जनरेटिंग सेट का व्यय	**3.52**	4.54
स्टोर खपत	**5.45**	7.02
जल प्रभार	**4.51**	4.01
मार्गाधिकार प्रभार – दूरसंचार	**62.59**	10.27
पेट्रोलिंग व्यय–दूरसंचार	**0.68**	0.39
अंतिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी–टेलीकॉम	**7.44**	7.27
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	**17.78**	35.85
घटाएं रू प्रशिक्षण और अनुप्रयोग के लिए शुल्क	**0.12**	0.76
	17.66	35.09
कानूनी व्यय	**13.23**	19.14
पेशेवर शुल्क	**20.95**	20.52
परामर्शदाता व्यय	**0.40**	2.00
संचार व्यय	**20.92**	23.49
अंतर्देशीय यात्रा व्यय	**90.32**	119.29
विदेश यात्रा	**1.78**	8.94
	92.10	128.23
निविदा व्यय	**1.93**	2.99
घटाएं: निविदाओं की बिक्री	**1.53**	1.00
	0.40	1.99
सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा – परीक्षण शुल्क	**1.43**	1.29
कर लेखापरीक्षण शुल्क	**0.40**	0.36
अन्य क्षमता में	**1.15**	2.83
बकाया राशि	**-**	0.04
कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	**0.13**	1.05
	3.11	5.57
विज्ञापन और प्रचार	**6.97**	17.44
छपाई और लेखन सामग्री	**4.41**	6.92
पुस्तकें, आवधिक और पत्रिकाएँ	**0.84**	1.30
ईडीपी किराया और अन्य शुल्क	**10.51**	11.88
मनोरंजन व्यय	**3.78**	2.97
ब्रोकरेज और कमीशन	**0.91**	1.53
अनुसंधान एवं विकास व्यय	**4.55**	9.54
लागत लेखा परीक्षा और भौतिक सत्यापन शुल्क	**1.39**	1.23
किराया रु	**39.80**	50.89
सीईआरसी याचिका और अन्य प्रभार	**73.55**	82.28
विविध व्यय	**58.17**	77.47
बागवानी व्यय	**33.64**	32.70

टिप्पणी 40: अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
सुरक्षा व्यय	**290.98**	284.36
वाहन किराए पर लेना	**117.98**	113.73
बीमा	**110.44**	96.78
दरें और कर	**36.93**	45.68
डीओटी को लाइसेंस शुल्क	**62.47**	62.28
बैंडविड्थ चार्ज डार्क फाइबर पट्टा प्रभार (दूरसंचार)	**23.15**	20.51
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय '	**240.48**	346.21
पारगमन आवास व्यय	**32.21**	29.03
घटाएं : पारगमन आवास से आय	**0.97**	1.92
	31.24	27.11
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता	**60.68**	221.95
इनके लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण, अग्रिम, ऋण, दावे आदि।	**7.49**	6.34
दुकानों में मौजूद अप्रचलित मद	**-**	-
दुकानों में कमी	**-**	-
अन्य	**-**	-
	7.49	6.34
	2,553.88	**2,896.21**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय के लिए अंतरण (निवल) – टिप्पणी 43	**70.00**	90.20
	2,483.88	**2,806.01**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटानध्बट्टे खाते में डालना	**15.09**	18.34
योग	**2,498.97**	**2,824.35**

भावी टिप्पणियां:

*टिप्पणी संख्या 37– 'कर्मचारी लाभ व्यय' से अंतरित ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹2.57 करोड़) की राशि शामिल है।

अल्पावधि के पट्टों के खर्चों के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

टिप्पणी 41: विनियामक आस्थगन खाता शेष राशियों में निवल आवागमन – आय /(व्यय) (कर निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित आस्तियां	**568.46**	1,297.69
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	**(85.17)**	742.10
	483.29	2,039.79
नियामक आस्थगन खाता शेष राशियों में निवल आवागमन पर कर	**84.44**	356.39
योग	**398.85**	**1,683.40**

भावी टिप्पणियां:

विनियामक आस्थगन खाता शेष पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

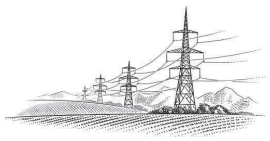

टिप्पणी 42: अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर लाभ(हानि)	**39.80**	(49.35)
बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रावधान	**(19.94)**	(74.47)
	19.86	(123.82)
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) – टिप्पणी 43	**(2.44)**	(8.23)
	22.30	**(115.59)**
उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	**(3.06)**	(11.57)
वे मद जिन्हें लाभ या हानि (कर का निवल) में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	**25.36**	**(104.02)**

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन पारिश्रमिक भत्ते और लाभ	**419.65**	421.35
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	**41.13**	39.18
कल्याण व्यय	**22.85**	25.72
योग (क)	**483.63**	**486.25**
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और रखरखाव	**7.39**	7.11
विद्युत प्रभार	**7.22**	5.37
घटाएं: संविदाकारों से वसूली	**2.22**	1.82
	5.00	3.55
डीजल जनरेटिंग सेट पर व्यय	**0.06**	0.01
जल प्रभार	**0.04**	0.65
कानूनी व्यय	**1.61**	3.07
पेशेवर शुल्क	**1.32**	1.86
परामर्शदाता व्यय	**0.04**	0.51
संचार व्यय	**2.96**	3.32
यात्रा और वाहन व्यय (विदेश यात्रा सहित)	**17.81**	26.14
निविदा व्यय	**1.84**	1.61
घटाएं: निविदाओं की बिक्री	**1.46**	0.94
	0.38	0.67
लेखा परीक्षकों को भुगतान	**0.10**	0.08
विज्ञापन और प्रचार	**0.07**	-
छपाई और लेखन सामग्री	**0.32**	0.57
पुस्तकें, आवधिक और पत्रिकाएं	**-**	0.03

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
ईडीपी किराया और अन्य शुल्क	**0.11**	0.19
मनोरंजन व्यय	**0.31**	0.24
ब्रोकरेज और कमीशन	**0.16**	0.10
किराया	**2.40**	2.49
विविध व्यय	**1.79**	4.93
बागवानी व्यय	**0.17**	0.72
सुरक्षा व्यय	**11.13**	13.10
वाहनों किराए पर लेना	**14.04**	15.82
बीमा	**0.01**	-
दरें और कर	**1.94**	3.87
बैंडविड्थ शुल्क, डार्क फाइबर पट्टा प्रभार (दूरसंचार)	**0.01**	0.06
पारगमन आवास व्यय	**0.83**	1.23
घटाएं : पारगमन आवास से आय	**-**	0.12
	0.83	1.11
योग (ख)	**70.00**	**90.20**
ग. मूल्यह्रास/परिशोधन		
	12.56	10.40
योग (ग)	**12.56**	**10.40**
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज और वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान	**199.64**	341.47
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**128.42**	299.10
प्रतिभूतध्अप्रतिभूत विमोचन बॉन्ड	**190.65**	221.42
विदेशी मुद्रा बॉन्ड	**0.80**	-
अन्य	**8.19**	44.42
	527.70	906.41
ख) अन्य वित्त शुल्क		
प्रतिबद्धता शुल्क	**0.85**	3.81
गारंटी शुल्क	**45.40**	76.25
अन्य	**0.90**	0.17
	47.15	80.23
ग) उधार लेने की लागत के लिए एफईआरवी समायोजन	**(143.30)**	795.11
योग (घ)	**431.55**	**1,781.75**

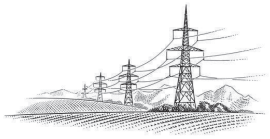

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
ड. घटाएं: अन्य व्यय		
संविदाकारों से		
ब्याज	**13.05**	14.19
	13.05	14.19
विविध आय	**9.02**	41.27
योग (ड.)	**22.07**	**55.46**
च. घटाएं: अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	**(2.44)**	(8.23)
योग (च)	**(2.44)**	**(8.23)**
महा योग (क+ख+ग+घ–ड.–च)	**978.11**	**2,321.37**

44. पूर्व दक्षिण इंटर कनेक्टर–II ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (ईएसआई) और सासाराम ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (एसटीपी) के लिए प्रभावी आपूर्ति के संबंध में 209. 99 करोड़ रु. का लाभ प्राप्त निर्यात लाभ के बराबर नकद, ईएसआई परियोजना के संबंध में सम्पूर्ण आपूर्ति के लिए और मार्च 2000 से पहले की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक ऋण की अनुपलब्धता के कारण 2002–03 के दौरान विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशानुसार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को भुगतान किया गया था और इसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया। इसके बाद, विश्व बैंक ने ईएसआई परियोजना और एसटीपी परियोजना दोनों को मूल रूप से पूंजीकृत किया और उन्हें निर्यात लाभ के लिए पात्रता मिल गई। नतीजतन, कंपनी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ दावे किए हैं।

इस संबंध में 31.03.2021 तक ₹ 12.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.12 करोड़) संचयी राशि प्राप्त की गई और विपूंजीकृत की गई। कंपनी ने संबंधित आस्तियोंध्परियोजनाओं की पूंजीगत लागत और सीमा शुल्क और आबकारी प्राधिकारणों से लंबित रसीद की ₹ 197.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 197.87 करोड़) शेष राशि दिखाना जारी रखा।

45. क) आस्तियों और व्यापारों तथा अन्य देयताओं के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्तियों और पुनर्प्राप्त करने योग्य कुछ शेष राशि शामिल है, यदि कोई हो तो पुष्टिधविनियोजन और परिणामी समायोजन के अधीन शेष शामिल हैं। जबकि, विनियोजन जारी आधार पर किया जाता है। प्रबंधन विनियोजन के परिणामस्वरूप खातों की बहियों में किसी भी सामाग्री के समायोजन की उम्मीद नहीं करता है।

ख) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलावा अन्य किसी भी संपत्ति का मूल्य और व्यापार के सामान्य दौर में वसूली पर गैर–चालू निवेश, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें तुलन पत्र में बताया गया है।

46. इंड एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण – 'ग्राहक के साथ संविदा से राजस्व'

क) उपलब्धियों आधारित संविदाओं (परामर्श संविदा) के लिए, असंतुष्ट निष्पादन दायित्व निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य	**2,477.46**	2,611.14
इन निष्पादन दायित्वों के भीतर संतुष्ट होने की उम्मीद है	**3 साल**	4 **साल**

46. इंड एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण – 'ग्राहक के साथ संविदा से राजस्व' (जारी)

ख) वर्ष के दौरान गैर–भुगतानित राजस्व में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
प्रारम्भ में शेष राशि	**5,163.51**	6,461.64
जोड़ें: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	**6,277.14**	2,423.74
घटाएं: अवधि के दौरान चालान किया गया	**4,374.97**	3,827.58
घटाएं: अवधि के दौरान हानि/उत्क्रमण	**-**	(105.71)
जोड़ें: रूपांतरण लाभ/(हानि)	**-**	-
अंत में शेष राशि	**7,065.68**	5,163.51

ग) वर्ष के दौरान संविदा देयता में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
प्रारम्भ में शेष राशि	**1,164.02**	1,261.19
जोड़ेंरू अवधि के दौरान अग्रिम बिलिंग	**548.83**	537.01
घटाएं: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व		
क) अवधि की शुरुआत में संविदा देयता तक	**588.09**	558.07
ख) अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त संविदा देयता	**89.45**	76.37
जोड़ेंरू रूपांतरण लाभध्(हानि)	**(0.17)**	0.26
अंत में शेष राशि	**1,035.14**	1,164.02

घ) प्रतिष्ठान अपने पिछले अनुभवों के रिफंड या राजस्व की मात्रा में महत्वपूर्ण उलटफेर पर विचार करते हुए अपेक्षित मूल्य पद्धति के आधार पर लेनदेन की कीमत निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अनुमान करने में, प्रबंधन प्रतिफल की प्रतिबाधित दर के आधार पर लेनदेन मूल्य में वित्तपोषण तत्व को अंतर्निहित मानता है। लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अनुबंधित मूल्य की दृष्टि से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020
अनुबंधित मूल्य	**36,790.75**	34,748.04
जोड़ें/(कम)– ग्राहक को दी जाने वाली रियायत/छूट	**(107.79)**	(130.99)
जोड़ें/(कम)– निष्पादन बोनस	**413.53**	375.73
जोड़ें/(कम)– महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के लिए समायोजन	**73.10**	96.70
जोड़ें/(कम)– अन्य समायोजन	**496.06**	1,096.06
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**37,665.65**	36,185.54

47. (i) एफईआरवी लाभ ₹ 450.57 करोड़ (पिछले वर्ष एफईआरवी हानि ₹ 2,079.72 करोड़) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणध्प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)/पट्टा प्राप्य की संबंधित अग्रणीत राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) लाभ और हानि विवरण में ₹ 60.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 221.64 करोड़) की एफईआरवी हानि को मान्यता दी गई है।

48. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत ₹ 431.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,781.75 करोड़) है, जो इंड–एएस 23 श्उधार लागतश के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणध्पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित अग्रणीत राशि में से है।

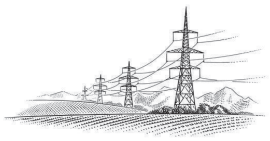

49. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ताध्सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। कंपनी अधिनियम 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	व्यापार देनदारियां		अन्य	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि के बिना मूलधन और ब्याजः				
	मूल धन	**29.75**	11.58	**3.65**	2.98
	ब्याज	**0.01**	0.01	**-**	-
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	**-**	0.04	**-**	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना (जो भुगतान किया गया है लेकिन नियत दिन से परे वर्ष के दौरान)	**0.01**	-	**-**	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	**0.01**	0.01	**-**	-
5	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, तब तक भी जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में कघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में भुगतान करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है।	**-**	-	**-**	-

50. भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – 'पट्टे'

क) पट्टेदार के रूप में – वित्त पट्टेः

कंपनी ने वित्तीय पट्टों के रूप में राज्य क्षेत्र की यूएलडीसी आस्तियों और द्विपक्षीय आस्तियों के लिए व्यवस्थाओं का वर्गीकरण और लेखाकरण किया है। राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी के लिए समझौते 15 वर्ष की अवधि के लिए हैं और लाभार्थी के साथ द्विपक्षीय रेखा परिआस्तियां सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए हैं।

अन्य गैर–चालू वित्तीय आस्तियों और अन्य चालू वित्तीय आस्तियों में पट्टे पर प्राप्तकर्ता शामिल हैं, जो कि राज्य क्षेत्र यूएलडीसी और द्विपक्षीय रेखा आस्तियों के संबंध में कंपनी के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्य भविष्य के पट्टे किराए के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित इंड एएस 116 श्पट्टोंश की प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टा में सकल निवेश, अनर्जित वित्त आय और न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पट्टा में सकल निवेश	**1452.27**	1547.26
अनर्जित वित्त आय	**902.54**	980.06
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**549.73**	567.20

(ii) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निमन्वत है: (₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपी का वर्तमान मूल्य	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
एक वर्ष बाद नहीं	**129.19**	132.37	**48.46**	50.15
एक वर्ष बाद और दो वर्ष के बाद में नहीं	**129.00**	127.38	**49.27**	46.21
दो वर्ष बाद और तीन वर्ष के बाद में नहीं	**129.00**	127.19	**50.39**	47.02
तीन वर्ष बाद और चार वर्ष के बाद में नहीं	**129.00**	127.19	**51.65**	48.14
चार वर्ष बाद और पांच वर्ष के बाद में नहीं	**129.00**	127.19	**53.07**	49.39
पांच वर्ष बाद	**807.08**	905.94	**296.89**	326.29
योग	**1,452.27**	**1,547.26**	**549.73**	**567.20**

(iii) निम्न के संबंध में लेखाओं और प्रशुल्क रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के अंत में शेष प्राप्य में अंतर हैंरू

(क) ₹ 53.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 61.30 करोड़) की राशि की अमुक्त देयताएं। ऐसी लागत ऐसी देयताएं के निर्वहन पर ही परियोजना लागत बन जाती है।

(ख) ₹ 51.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21.47 करोड़) की राशि पट्टे प्राप्य में शामिल ऋणों पर अपरिशोधित एफईआरवी को वास्तविक भुगतान के आधार पर प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूले जाने की अनुमति है।

ख) पट्टेदार के रूप में:

कंपनी ने विभिन्न अवधियों के लिए डार्क फाइबर, कोलोकेशन और रिपीटर शेल्टर स्पेस और कार्यालय भवन आदि जैसे पट्टे पर आस्तियां ली है, जिनका मूल्यांकन और लेखांकन इंड एएस 116 – 'पट्टे' और उक्त इंड एएस के अनुसार किया जाता है उक्त भारतीय लेखाकरण मानक आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार हैंरू

(i) आरओयू आस्तियां:

वर्ष के लिए आस्ति के उपयोग के अधिकार पर अतिरिक्त, समाप्तिधनिपटान और मूल्यह्रास शुल्क और अंतर्निहित आस्ति के वर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में उतनी ही राशि का वहन टिप्पणी संख्या 4 में किया गया है।

(ii) पट्टा देयताएं:

वर्ष के लिए पट्टा देयताएं पर ब्याज व्यय टिप्पणी संख्या 38 के तहत दिखाया गया है और वर्ष में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह को अलग–अलग लाइन मद के रूप में वित्तपोषण गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह के विवरण में बताया गया है और पट्टा देयताएं के परिपक्वता विश्लेषण के बार में टिप्पणी संख्या 61 में बताया गया है।

(iii) लघु अवधि के पट्टे:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पावधि पट्टों के संबंध में ₹ 37.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 48.85 करोड़) व्यय किए हैं।

कंपनी अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्ध थी और वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे पट्टों की कुल प्रतिबद्धता ₹ 5.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.83 करोड़) थी।

51. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण

i) दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति

कंपनी मुख्य रूप से बिजली के पारेषण के कारोबार में लगी हुई है। सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क बिजली के पारेषण के लिए प्रशुल्क विनियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत पर आधारित है और इक्विटी पर लाभांश, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय सहित वार्षिक निश्चित लागत की वसूली के लिए पारेषण शुल्क प्रदान करता है।

ii) मान्यता और माप

सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्यध्देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) के निपटानध्रूपांतरण के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले एफईआरवी को नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में लेखा किया जाता है। 01.04.2016 को या उसके बाद आहरित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार वसूली योग्य सीमा तक विनिमय अंतर को नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी को उम्मीद है कि आस्ति के जीवन पर प्रशुल्क के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से या ऋण के पुनर्भुगतान पर विनिमय दर भिन्नता के रूप में इन राशियों की वसूली की जाएगी।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के प्रशुल्क मानदंड पारेषण आय के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक कर भुगतान पर आधारित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न के सकल लाभ

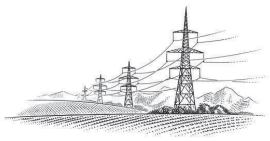

51. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण (जारी)

प्रदान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को श्आस्थगित कर देयता के प्रति आस्थगित आस्तियोंश के रूप में देखा जाता है। जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बनती है तब वर्ष के लिए आस्थगित कर देयता के प्रतिकूल आस्थगित आस्तियां भविष्य के वर्षों (कर अवकाश अवधि सहित) में बदल जाएंगी।

कंपनी ने नियमन आस्थगन खाता शेष के तहत बाद के समय में लाभार्थियों से वसूली योग्य के रूप में वेतन संशोधन का खाता ₹134.16 करोड़ की संचयी राशि (पिछले वर्ष की संचयी राशि ₹ 134.16 करोड़) को मान्यता दी है। इन शेष राशि को उस वर्ष में समायोजित किया जाना है जिसमें वे सीईआरसी के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य बन जाते हैं। विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि छूट रहित आधार पर होती है।

iii) भविष्य की वसूली/विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के प्रत्यावर्तन से जुड़े जोखिम

(क) विनियमों में परिवर्तन के कारण विनियामक जोखिम।

(ख) मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम सहित अन्य जोखिम, यदि कोई हो।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान प्रशुल्क अवधि के बाद प्रशुल्क विनियमों में कोई भी परिवर्तन नियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली पर प्रभाव डाल सकता है।

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली बहियों में मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित खाता शेष (आस्तियाँ) निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क. प्रारम्भिक शेष	**10,123.06**	8,083.27
ख. वर्ष के दौरान जमाध(कटौती)	**553.94**	2,045.17
ग. वर्ष के दौरान एकत्रितध्वापस की गई राशि	**70.65**	5.38
घ. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आयध(व्यय) (ख–घ)	**483.29**	2,039.79
ड. समापन शेष (क़ घ)	**10,606.35**	10,123.06
च. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आयध(व्यय) पर कर	**84.44**	356.39

52. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के द्वारा यथा–अपेक्षित प्रकटीकरण:

क. ऋण की प्रकृति के ऋण और अग्रिमरू

1. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया राशि		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सहायक कंपनियां				
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**891.36**	1,088.90	**1,094.41**	1,088.90
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**783.99**	531.50	**813.31**	614.50
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**36.06**	40.32	**40.32**	46.32
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**186.00**	203.26	**203.26**	225.28
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1,183.00**	1,221.56	**1,221.56**	1,289.58
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1,540.00**	1,564.00	**1,567.50**	1,682.00
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1,300.50**	1,366.50	**1,366.50**	1,475.50
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**2,745.28**	2,863.66	**2,923.66**	2,863.66
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2,373.02**	2,082.26	**2,373.02**	2,082.26

52. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के द्वारा यथा–अपेक्षित प्रकटीकरणः (जारी)

(₹ in crore)

कंपनी का नाम	बकाया राशि		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**864.16**	647.97	**864.16**	647.97
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**658.05**	536.26	**658.05**	536.26
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**325.66**	211.34	**325.66**	211.34
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**632.97**	212.47	**632.97**	212.47
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**331.53**	83.01	**331.53**	83.01
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**241.90**	48.05	**241.90**	48.05
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**432.32**	162.70	**432.32**	162.70
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**446.86**	146.79	**446.86**	146.79
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**105.38**	15.14	**105.38**	15.14
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**161.99**	30.98	**161.99**	30.98
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	**-**	-	**-**	-
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**5.82**	-	**5.82**	-
संयुक्त उद्यम				
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**18.40**	18.40	**18.40**	18.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**29.29**	77.12	**95.00**	191.72
योग	**15,293.54**	**13,152.19**	**15,923.57**	**13,672.83**

2. ऐसी फर्मों/कंपनियों के लिए जिनमें निदेशक रुचि रखते हैंरू शून्य

ख. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि ऊपर बताया गया है)रू शून्य

53. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ–साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित डीपीई दिशानिर्देश संख्या एफ.सं.15 (13)ध्2013–डीपीई (जीएम) के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों का विवरण इस प्रकार हैः –

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि		209.92
ख	सीएसआर पर व्यय की गई राशि–		
	(i) किसी आस्ति का निर्माण या अधिग्रहण	**115.72**	111.12
	(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	**124.76**	235.09
ग	कुल कमी/(अतिरिक्त) राशि	**(6.69)**	(136.29)
घ	सीएसआर पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा		
	1. शिक्षा और कौशल विकास व्यय	**37.54**	46.89
	2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण व्यय	**7.26**	37.30
	3. स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यय	**171.96**	219.30
	4. खेल, कला और संस्कृति व्यय	**1.85**	0.09

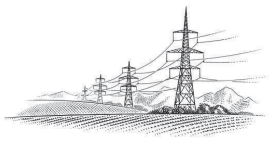

53. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
5.	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों का जीर्णोद्धार शामिल है	**0.01**	2.32
6.	अन्य सीएसआर गतिविधियां	**21.50**	36.97
7.	कंपनी के अपने सीएसआर कर्मियों का वेतन, पारिश्रमिक और अन्य लाभ, जो सीएसआर पर व्यय की जाने वाली कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित हैं	**0.36**	3.34
	सीएसआर पर व्यय की गई राशि	**240.48**	**346.21**
	उपरोक्त में से नकद में व्यय की गई राशि	**233.67**	337.65
	नकद में व्यय की जाने वाली राशि	**6.81**	8.56

54. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	**93.30**		46.50	
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 56118350 शेयर)	**45.40**		52.40	
व्यापार प्राप्तियां		**3,621.34**		4,867.90
ऋण		**15,902.92**		13,663.16
नकद और नकद समकक्ष		**4,430.05**		4,805.14
बैंक में जमा राशि		**936.15**		615.37
अन्य वित्तीय आस्तियां				
वर्तमान		**7,940.04**		5,631.40
गैर वर्तमान		**4,093.92**		4,095.69
कुल वित्तीय आस्तियां	**138.70**	**36,924.42**	**98.90**	**33,678.66**
वित्तीय देयताएं				
उधारी		**1,46,153.00**		1,51,233.26
व्यापार देनदारियां		**186.30**		225.72
अन्य वित्तीय देयताएं				
वर्तमान		**7,190.64**		8,019.47
गैर वर्तमान		**3,587.01**		3,515.63
योग वित्तीय देयताएं	**-**	**1,57,116.95**	**-**	**1,62,994.08**

यह खंड लिखतों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है और जिसके संबंध में उचित मूल्यों को वित्तीय वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या का स्पष्टीकरण तालिका के नीचे दिया गया है।

54. उचित मूल्य मापन (जारी)

वित्तीय साधन जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
31.03.2021 तक				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	93.30	-	-	93.30
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 56118350 शेयर)	-	45.40	-	45.40
योग वित्तीय आस्तियां	**93.30**	**45.40**	**-**	**138.70**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
31.03.2021 तक				
वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	46.50	-	-	46.50
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 56118350 शेयर)	-	52.40	-	52.40
योग वित्तीय आस्तियां	**46.50**	**52.40**	**-**	**98.90**

वित्तीय विवरण जो परिशोधित लागत पर मापे जाते हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		कैरिंग राशि	उचित मूल्य	कैरिंग राशि	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां					
ऋण					
सहायक कंपनियों को ऋण	2	**15,453.29**	**15,421.01**	13,235.17	13,042.90
संयुक्त उद्यम को ऋण	2	**52.88**	**49.04**	99.56	92.59
कर्मचारियों को ऋण	2	**396.75**	**379.82**	328.43	320.73
कुल वित्तीय आस्तियां		**15,902.92**	**15,849.87**	**13,663.16**	**13,456.22**
वित्तीय देयताएं					
उधारी	2	**1,46,153.00**	**1,52,058.52**	1,51,233.26	1,56,200.86
संविदाकारों और अन्य से जमा /प्रतिधारण राशि	2	**3,605.57**	**3,955.61**	3,539.83	3,846.38
कुल वित्तीय देयताएं		**1,49,758.57**	**1,56,014.13**	**1,54,773.09**	**1,60,047.24**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं की राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

वित्तीय आस्तियों के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉन्ड शामिल हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किया जाता है, उनका मूल्य निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों, जो सक्रिय बाजार (उदाहरण के लिए, ट्रेडे किए गए बॉन्ड) का उचित मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और कंपनी–विशेष के अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

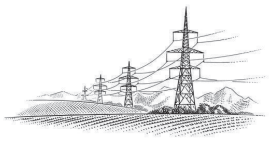

54. उचित मूल्य मापन (जारी)

स्तर 3रू यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। गैर–सूचीबद्ध इक्विटी के लिए यह मामला है, आकस्मिक प्रतिफल और क्षतिपूर्ति आस्तियों को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है। कंपनी की नीति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम स्तरों में अंतरण और स्थानान्तरण की पहचान करना है।

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक:

वित्तीय लिखत के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्न शामिल हैं:

- » समान लिखत के लिए उद्धृत बाजार मूल्य या डीलर उद्धरणों का उपयोग
- » एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का उचित मूल्य निर्धारण तुलनीय सूचीबद्ध कीमतों के व्यापारिक गुणकों जैसे पीध्ई, ईवीध्ईबीआईटीडीए के लिए गुणात्मक समायोजन करके किया गया है। इसे स्तर 2 उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल किया गया है।
- » शेष वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड के इक्विटी साधन, जिसे उचित मूल्य के अनुक्रम में स्तर 2 में शामिल किया गया है, इसके अलावा सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमानों को स्तर 1 उचित में शामिल किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है।

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) सहायक कंपनियां

कंपनी का नाम	कारोबार का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्वहित का भाग	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पॉवरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरएसएस ग्ग्ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन भुज–प्प ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन फतेहगढ़–प्प ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

कंपनी का नाम	कारोबार का स्थान / निगमन का देश	स्वामित्वहित का भाग	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन रामपुर संभल ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मेरठ–सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100%**	100%
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड[1]	भारत	**100%**	लागू नहीं
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)[2]	भारत	**100%**	लागू नहीं
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड[3]	भारत	**100%**	लागू नहीं
बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड[4]	भारत	**100%**	लागू नहीं

[1]28.12.2020 को निगमित किया गया।

[2]09.03.2021 को आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 100 प्रतिशत इक्विटी हासिल की।

[3] 26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम)।

[4]25.03.2021 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100 प्रतिशत इक्विटी प्राप्त की।

[5]'बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्ति' हेतु नोट 19ए देखें।

(ख) संयुक्त उद्यम

कंपनी का नाम	कारोबार का स्थान / निगमन का देश	स्वामित्वहित का भाग	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**49%**	49%
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	**26%**	26%
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड[1]	भारत	**NA**	26%
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड [2]	भारत	**30.92%**	30.92%
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**20%**	20%
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	**50%**	50%
कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड [3]	भारत	**NA**	50%
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26%**	26%
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड [4]	भारत	**50%**	50%
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	**26%**	26%

[1] 25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम (26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।

[2] पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्तावैल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयर धारित समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटि है। तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटि के आमंत्रण पर, पावरग्रिड ने अपना योगदान दिया, जबकि दूसरे संयुक्त उद्यम भागीदार ने अपने हिस्से के पैसे का योगदान नहीं दिया। इसके फलस्वरूप, शेयर धारित समझौते में प्रदान किए गए 26 प्रतिशत के बदले पावरग्रिड की धारित 30.92 प्रतिशत तक बढ़ गई।

[3] एमसीए वेबसाइट के अनुसार कंपनी (मैसर्स केबीपीएनएल) की वर्तमान स्थिति 'स्ट्राइक ऑफ' है।

[4] 01.05.2018 को आयोजित बैठक में पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही के समापन के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन लेने की मांग की। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 05 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में नीति आयोग को भविष्य में इस्पात मंत्रालय को फिर से बंद करने के प्रस्ताव को रखने की सलाह दी है। इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 29.09.2020 के पत्र के माध्यम से आरआईएनएल को सूचित किया कि आरपीटीपीएल को बंद करने की जांच की जा रही है और आरआईएनएल से और स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदनुसार, आरआईएनएल द्वारा संबंधित सूचना इस्पात मंत्रालय को अग्रेषित की गई थी। सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

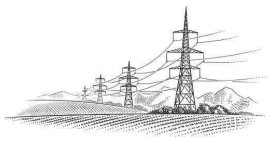

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के. श्रीकांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सुश्री सीमा गुप्ता	निदेशक (कार्मिक) खनिदेशक (वित्त) 06.02.2020 से 05.05.2020 और 14.05.2020 से 03.07.2020 तक, का कार्यभार संभाला
श्री राजीव कुमार चौहान	निदेशक (परियोजनाएं) ख्31.10.2020 को निदेशक नहीं रहे,
श्री विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)
एम ताज मुकर्रम	निदेशक (वित्त) 04.07.2020 से प्रभावी और सीएफओ 01.08.2020 से प्रभावी है
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजनाएं) 01.11.2020 से प्रभावी है

स्वतंत्र निदेशके

नाम	पदनाम
श्री मनोज कुमार मित्तल	11.09.2020 तक स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती ए.आर. महालक्ष्मी	स्वतंत्र निदेशक
श्री एम.एन. वेंकटेशन	स्वतंत्र निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं अन्य केएमपी

नाम	पदनाम
श्री दिलीप निगम	सरकारी द्वारा नामित निदेशक [30.04.2020 को निदेशक नहीं रहे] और सरकार द्वारा नामित निदेशक 04.01.2021 से प्रभावी है
श्री तन्मय कुमार	सरकारी द्वारा नामित निदेशक [05.11.2020 को निदेशक नहीं रहे]
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05.11.2020 से प्रभावी है
श्रीमती दिव्या टंडन	कंपनी सचिव [कंपनी सचिव के रूप में 30.06.2020 से प्रभावी है]
श्री मृणाल श्रीवास्तव	कंपनी सचिव 01.07.2020 से प्रभावी है
श्री के.एस.आर.मूर्ति	सीएफओ [31.07.2020 को सीएफओ नहीं रहे]

(घ) अन्य संबंधित पक्षकारों की सूची

कंपनी/संस्थान का नाम	कार्य स्थानधनिगमन देश	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड कर्मचारी पी. एफ. ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना
पावरग्रिड स्वतः अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(ड.) सरकार से संबंधित इकाइयां

कंपनी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी एवं प्रदत्त 51.24 प्रतिशत इक्विटि शेयर (पिछले वर्ष 51.34 प्रतिशत) हैं।

कंपनी का दूसरी कंपनियों के साथ पूंजीगत उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवाओं के प्रापण हेतु भारत सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार लेन–देन है। इन कंपनियों के साथ लेन–देन खुली निविदाओं के प्रति पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के जरिए आर्म्स लेंथ आधार पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं, जो अत्यावश्यकता, सुसंगता अथवा अन्य कारणों से स्वामित्व मदोंध्एकल निविदा आधार पर मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से अतिरिक्त पुर्जोंध्सेवाओं के कुछ मामलों को छोड़ कर है। ऐसे एकल निविदा प्रापण उन्हींध्सदृश मदों के उपलब्ध मूल्य डेटा के संबंध में मूल्य मानक के साथ वार्ता प्रक्रिया के जरिए भी किया जाता है।

उपरोक्त लेन–देन सामान्य दिन–प्रतिदिन के व्यापार प्रचालन की प्रक्रिया में है और आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होना नहीं समझा जाता है, जो या तो वैयक्तिक रूप से होता है या फिर सामूहिक रूप से।

(च) सामान एवं सेवाओं की बिक्रीध्खरीद से उत्पन्न बकाया राशि

निम्नलिखित शेष संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन के संबंध में सूचना अवधि की समाप्ति पर बकाया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्राप्य राशियां		
सहायक को ऋण		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**891.36**	1,088.90
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**783.99**	531.50
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**36.06**	40.32
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**186.00**	203.26
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1,183.00**	1,221.56
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1,540.00**	1,564.00
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1,300.50**	1,366.50
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**2,745.28**	2,863.66
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2,373.02**	2,082.26
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**864.16**	647.97
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**658.05**	536.26
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**325.66**	211.34
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**632.97**	212.47
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**331.53**	83.01
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**241.90**	48.05
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**432.32**	162.70
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**446.86**	146.79
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**105.38**	15.14
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**161.99**	30.98
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**5.82**	-
योग	**15,245.85**	**13,056.67**
संयुक्त उद्यमों को ऋण		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**18.40**	18.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**29.29**	77.12
योग	**47.69**	**95.52**

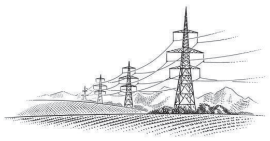

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
सहायक कंपनियों को ऋण पर अर्जित ब्याज		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**53.35**	78.55
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**-**	39.68
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50.67**	34.29
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**18.33**	8.63
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**14.34**	7.59
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**10.68**	4.46
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**16.13**	2.40
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**8.25**	0.53
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**5.48**	0.21
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**13.01**	0.92
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**12.17**	1.12
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.37**	0.02
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.64**	0.10
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.02**	-
योग	**207.44**	**178.50**
संयुक्त उद्यमों को ऋण पर अर्जित ब्याज		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**1.58**	0.83
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.61**	3.21
योग	**5.19**	**4.04**
शेयर आवेदन राशि		
संयुक्त उद्यमरू		
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (05.05.2020 को आबंटित)	**-**	6.50
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण	**0.14**	0.09
अन्य प्राप्तियां		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई नोट संख्या 11 देखें)	**19.41**	19.40
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.40**	10.51
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	0.15
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.39**	0.72
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.88**	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	0.52
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	2.93
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.07**	1.36
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**0.14**	2.34
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**5.24**	7.29
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.83**	9.10
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**-**	6.36
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.80**	3.04
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**3.58**	3.94

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2.89**	1.06
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.77**	0.85
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.43**	3.01
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.61**	2.51
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.80**	2.45
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.30**	3.43
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	**0.03**	-
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.05**	-
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**0.49**	-
बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	**24.55**	-
योग	**69.66**	**80.97**
संयुक्त उद्यम		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.21**	0.02
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.44**	0.19
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**-**	0.02
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.38**	0.38
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.12**	5.75
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.25**	1.42
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**0.46**	0.62
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**1.63**	-
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.74**	0.67
योग	**10.23**	**9.07**
अन्य प्राप्तियां	**79.89**	**90.04**
अग्रिमध्देय राशि		
सहायक कंपनियां		
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.67**	-
संयुक्त उद्यम		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.54**	2.78
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.20**	-
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**48.03**	47.56
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**19.73**	20.29
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**0.01**	0.30
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**11.27**	11.12
संबंधित पक्षों को कुल देय राशि	**81.45**	**82.05**
अन्य संबंधित पार्टियां		
कर्मचारी लाभ ट्रस्ट के पास बकाया शेष राशि		
पावरग्रिड कर्मचारी पी. एफ. ट्रस्ट	**0.01**	34.74
पावरग्रिड स्वतः अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	**-**	11.01
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	**(0.42)**	16.22
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	**3.44**	27.14
योग	**3.03**	**89.11**

संबंधित पक्षों की ओर से दी गई गारंटी के लिए टिप्पणी सं. 58 देखें। .

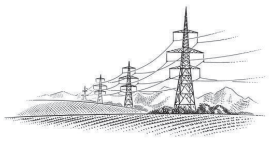

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(छ) संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
परामर्श आय		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2.88**	2.38
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.43**	4.05
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.27**	0.36
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.63**	5.86
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.89**	4.14
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.20**	13.78
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**8.16**	13.69
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**10.36**	8.06
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**13.32**	42.00
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**10.67**	24.69
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**0.60**	19.14
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**4.24**	6.38
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**10.62**	6.43
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.72**	3.29
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**4.44**	1.99
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.38**	4.55
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**7.58**	4.30
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.80**	2.26
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.45**	3.18
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.00**	-
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**0.01**	-
बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	**3.78**	-
योग	**117.43**	**170.53**
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	**0.67**	0.64
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**0.66**	0.64
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.12**	1.61
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**2.49**	4.49
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**0.81**	0.84
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**3.98**	13.11
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**1.75**	2.02
योग	**11.48**	**23.35**
परामर्श आय	**128.91**	**193.88**
ऋण पर ब्याज		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**79.31**	89.55
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**58.02**	47.30
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.14**	3.61

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**14.51**	16.56
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**89.06**	101.62
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**114.99**	126.71
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**99.47**	110.93
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**211.73**	217.90
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**162.92**	133.41
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**54.58**	32.13
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**42.96**	26.82
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**20.22**	5.45
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**28.96**	3.23
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**13.55**	1.17
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.27**	0.40
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**22.61**	1.30
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**21.40**	1.61
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2.84**	0.16
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.21**	0.26
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.02**	-
योग	**1,055.77**	**920.12**
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**1.89**	1.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.82**	12.60
योग	**11.71**	**14.00**
ऋण पर ब्याज	**1,067.48**	**934.12**
प्राप्त लाभांश		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**159.39**	71.31
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**7.78**	8.10
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**27.15**	10.52
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**85.08**	28.01
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**154.17**	38.91
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**113.06**	71.41
योग	**546.63**	**228.26**
संयुक्त उद्यम		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**45.86**	34.40
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**4.21**	5.38
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**1.95**	4.29
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**35.11**	9.93
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**16.05**	12.83
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**2.65**	1.26
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	**1.32**	1.32
योग	**107.15**	**69.41**
प्राप्त लाभांश	**653.78**	**297.67**
अन्य आय		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.28**	0.03

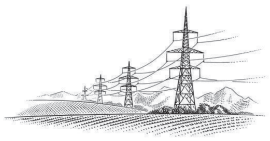

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान किए गए निवेश (इक्विटी)		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**206.65**	14.40
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.76**	44.00
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	67.00
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**2.60**	91.00
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**-**	193.50
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**260.30**	289.32
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**93.50**	119.95
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**43.00**	125.00
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**77.15**	-
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**161.35**	0.05
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**97.70**	0.01
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50.00**	0.05
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**111.95**	0.05
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**113.40**	0.01
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**21.47**	0.05
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**32.00**	0.01
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	**0.05**	-
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.05**	-
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**354.50**	-
बीकानेर–प भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	**0.01**	-
योग	**1,635.44**	**944.40**
संयुक्त उद्यम		
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	14.56
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**33.00**	85.61
योग	**33.00**	**100.17**
वर्ष के दौरान किए गए निवेश (इक्विटी)	**1,668.44**	**1,044.57**
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.00**	3.00
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**315.81**	-
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**7.57**	4.06
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**11.60**	12.40
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**79.87**	156.10
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**290.76**	812.48
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**216.20**	444.44
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**121.79**	334.07
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**114.32**	206.75
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**420.50**	229.06
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**248.51**	83.01
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**193.85**	53.34
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**269.62**	172.89
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**300.07**	161.32
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**90.24**	22.74

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**131.01**	38.47
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**5.82**	-
योग	**2,823.54**	**2,734.13**
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**-**	12.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**95.00**	114.60
योग	**95.00**	**127.00**
वर्ष के दौरान दिग, ऋण	**2,918.54**	**2,861.13**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**203.55**	-
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**63.32**	83.00
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**4.25**	6.00
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**24.83**	26.08
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**38.56**	68.02
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**35.60**	130.40
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**66.00**	109.00
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**198.25**	-
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**-**	16.59
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	5.29
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	10.20
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	14.53
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	7.60
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	7.49
योग	**634.36**	**484.20**
संयुक्त उद्यम		
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**142.83**	114.60
योग	**142.83**	**114.60**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती	**777.19**	**598.80**
व्यय की प्रतिपूर्ति		
सहायक कंपनियांरू		
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.92**	-
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	0.30
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.28**	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**4.38**	0.03
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**7.61**	0.07
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.00**	0.14
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**0.60**	0.12
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.24**	-
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**0.01**	0.14
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	0.11
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	0.21
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.02**	0.03
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.03**	0.03

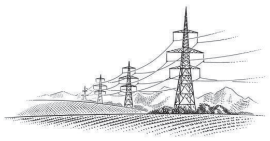

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.25
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.29
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	**0.03**	-
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.37**	-
बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	**0.52**	-
योग	**25.01**	**1.72**
अन्य संबंधित पार्टियां		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान		
पावरग्रिड कर्मचारी पी. एफ. ट्रस्ट	**114.14**	110.45
पावरग्रिड स्वतः अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	**120.46**	33.43
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	**21.81**	30.42
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	**12.02**	62.77
योग	**268.43**	**237.07**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वसूली		
सहायक कंपनियांरू		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.71**	-
संयुक्त उद्यमरू		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.51**	0.15
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।	**1.11**	0.98
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.95**	0.33
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.90**	0.65
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.77**	0.94
योग	**7.95**	**3.05**

नियम एवं शर्तें

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को ऋण उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर दिया जाता है, जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है।

अन्य सभी लेन–देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों पर तथा बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया शेष राशियां अप्रतिभूत हैं और नकदी में चुकौती योग्य हैं।

सहायक कंपनियों को ऋण लागत से लागत आधार पर दिया जाता है।

ज) संबंधित पार्टियों के साथ केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) की क्षमता में लेन–देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सहायक कंपनियांरू		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**126.94**	105.65
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**323.60**	313.24
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**22.73**	22.20
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**12.71**	13.21
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**263.29**	239.85
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**191.41**	110.56
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**346.28**	337.85
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**458.42**	128.57
<u>संयुक्त उद्यमः</u>		

55. भारतीय लेखाकरण मानक 24 – "संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण" के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**237.70**	227.61
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**50.96**	48.68
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**171.94**	110.87
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**192.00**	247.05
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**341.63**	176.40
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**388.15**	350.55
योग	**3,127.76**	**2,432.29**

झ) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**4.68**	4.09
रोजगार के बाद के लाभ	**0.67**	0.24
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	**0.46**	1.76
केएमपी के लिए बकाया राशि	**-**	-
योग	**5.81**	**6.09**
अधिवेशन शुल्क	**0.32**	0.35

इस पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को 2000 रुपये प्रतिमाह के भुगतान पर स्टाफ कार (निजी यात्राओं सहित) का प्रयोग की अनुमति है, जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के का. ज्ञा. सं. 2 (23)/11 डीपीई (डबल्यूसी) दृ जीएल–V/13 दिनांक 21.01.2013 में निहित है।

56. प्रचालन खंड

क) व्यापार खंड

निदेशक मंडल कंपनी का मुख्य प्रचालन निर्णायक (सीओडीएम) होता है जो संसाधन आबंटन और निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यापारिक खंडों के प्रचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य तीन खंडों की पहचान की गई है।

- पारेषण सेवाएं– कंपनी का प्रमुख व्यापार भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली का संचरण है।
- दूरसंचार सेवाएं– कंपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पर रखे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) में उपलब्ध अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है। यह पॉइंट टू पॉइंट बैंडविड्थ पट्टे व्यापार में एक तटस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है। कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापार को शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं. 65 देखें।
- परामर्शदाता सेवाएं– योजना डिजाइन, इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क पर ओपीजीडब्ल्यू, खरीद प्रबंधन, संचालन और रखरखाव, वित्त पोषण और परियोजना प्रबंधन सहित ट्रांसमिशन, वितरण और दूरसंचार क्षेत्रों में परामर्शदाता सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी के ऊर्जा प्रबंधन सेवाओं और कंसल्टेंसी व्यापार को शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं. 65 देखें।

ख) कंपनी का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है और इसलिए इसमें कोई उल्लेखनीय भौगोलिक खंड नहीं है।

ग) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारीरू किसी एक ग्राहक का राजस्व कंपनी के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक नहीं होता है।

घ) खंड राजस्व और व्यय

खंड से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व को खंड राजस्व माना जाता है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

भारत में बाहरी ग्राहक से राजस्व ₹ 38,615.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36,850.28 करोड़) और भारत के बाहर ₹ 22.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 42.99 करोड़) है।

ड.) खंड आस्तियां और देयताएं

खंड आस्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम सहित सभी प्रचालन आस्तियां शामिल हैं। निर्माण, कार्य–प्रगति, निर्माण भंडार और अग्रिम और निवेश को अनाबंटित आस्तियों में शामिल किया गया है। खंड देयताओं में ऋण प्रचालन देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

56. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	पारेषण सेवाएं		परामर्शी सेवाएं		दूरसंचार सेवाएं		विलोपन		योग	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
राजस्वरू										
प्रचलनों से राजस्व (आबंटन योग्य अन्य आय सहित)	**37,418.50**	35,562.96	**506.16**	618.02	**713.23**	712.29	**-**	-	**38,637.89**	36,893.27
अंतर खंड से राजस्व					**69.96**	69.94	**(69.96)**	(69.94)	**-**	-
प्रचलनों से निवल राजस्व	**37,418.50**	35,562.96	**506.16**	618.02	**783.19**	782.23	**(69.96)**	(69.94)	**38,637.89**	36,893.27
खंड परिणाम	**22,283.23**	22,369.95	**150.84**	277.00	**365.72**	429.11			**22,799.79**	23,076.06
असाधारण मदें– पारेषण									**(1,078.64)**	
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय									**1,889.22**	1,424.70
अनाबंटित वित्त लागत									**8,501.01**	9,813.62
कर पूर्व लाभ (नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित)									**15,109.36**	14,687.14
करों के लिए प्रावधान									**3,173.58**	3,875.96
कर पश्चात लाभ									**11,935.78**	**10,811.18**
अन्य सूचनारू										
खंड आस्ति	**2,08,099.12**	1,99,636.30	**2,426.61**	3,269.56	**981.46**	1,161.54			**2,11,507.19**	2,04,067.40
आबंटित आस्ति									**41,611.70**	51,482.26
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्ति									**1,213.04**	-
कुल आस्ति									**2,54,331.93**	**2,55,549.66**
खंड देयताएं	**14,182.01**	14,930.71	**3,428.90**	3,850.16	**454.85**	538.88			**18,065.76**	19,319.75
आबंटित अन्य देयताएं (ऋण सहित)									**1,66,687.33**	1,71,790.22
कुल देयताएं									**1,84,753.09**	**1,91,109.97**
मूल्यह्रास और परिशोधन	**11,609.32**	10,972.59	**5.60**	3.59	**96.76**	97.00			**11,711.68**	11,073.18
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय	**14.36**	18.32	**7.12**	3.16	**1.10**	3.20			**22.58**	24.68
पूंजीगत व्यय	**19,000.84**	17,261.36	**82.50**	7.10	**10.13**	129.69			**19,093.47**	17,398.15

57. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ in crore)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाना है और उपलब्ध नहीं हो (निवल अग्रिम)	**3,867.64**	6,301.76
संयुक्त उद्यम संस्थाओं में और निवेशध्ऋण के संबंध में कंपनी की प्रतिबद्धताएं	**148.92**	276.85
सहायक कंपनियों में और निवेशध्ऋण के संबंध में कंपनी की प्रतिबद्धताएं	**4,809.38**	9,793.99
अन्य संस्थाओं में और निवेश के संबंध में कंपनी की प्रतिबद्धताएं	**713.17**	23.17

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

क. आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के संबंध में दावे जो निम्न के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार न होरू

(i) पूंजीगत कार्य

कुछ संविदाकारों ने हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और कार्यों के निष्पादन के लिए कंपनी पर संविदा मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की है। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार यह स्वीकार्य नहीं है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए संविदा में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। ऐसे मामलों में ₹ 2,540.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,401.71 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(ii) भूमि क्षतिपूर्ति के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, भूमि हारने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणोंध्अदालतों के समक्ष अत्यधिक क्षतिपूर्ति करने का दावा किया है जिनका निपटारा होना बाकी है। ऐसे मामलों में, ₹ 1,604.98 करोड़ की आकस्मिक देयता (पिछला वर्ष ₹ 1,893.16 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

(iii) अन्य दावे

विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागोंध्प्राधिकरणों द्वारा भवन अनुज्ञा शुल्क, कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोग के लिए जुर्माने, नाला कर, जल रॉयल्टी आदि और अन्य द्वारा किए गए दावों के संबंध में ₹ 19.90 करोड़ की आकस्मिक देयता (पिछला वर्ष ₹ 27.41 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

(iv) विवादित आयकरधबिक्री करध्उत्पाद शुल्कध्नगरपालिका कर मामले

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष ₹ 224.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 290.18 करोड़) के विवादित आयकरधबिक्री करध्उत्पाद शुल्कध्नगरपालिका कर मामले लंबित है। इनमें से कई मामलों को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। कुल दावे के प्रति ₹ 191.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 182.13 करोड़), ₹ 156.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 147.69 करोड़) का प्रावधान किया गया है और ₹ 34.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 34.44 करोड़) का शेष दंड आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है चूंकि यह एक जानबूझकर की गई गलती नहीं है और प्रबंधन की राय में इसलिए उम्मीद है कि अदालत इसे बरकरार नहीं रखेगी।

(v) अन्य

क) व्यापारिक प्राप्य राशियों के प्रति बैंकों के पास भुनाए गए बिलों के संबंध में आकस्मिक देयता ₹ 2,533.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,030.24 करोड़) है। इस संबंध में बैंकों से कंपनी पर किसी भी दावे के मामले में, अधिभार के साथ लाभार्थियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी।

ख) अन्य आकस्मिक देनदारियों की राशि ₹ 793.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 722.17 करोड़) है जिसमें मध्यस्थता मामलोंध्आरओडब्ल्यू मामलों से संबंधित ₹ 397.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹417.46 करोड़) दावा शामिल है।

ग) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के प्रशुल्क आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि निश्चित नहीं है।

घ) पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ पारेषण सेवा करार (टीएसए) के तहत, कंपनी का दायित्व है कि वह टीएसए के अनुसार निर्धारित खरीद मूल्य पर जेवी कंपनी (पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) को खरीद ले। इस तरह के दायित्व का परिणाम उस स्थिति में हो सकता है जब जेवी कंपनी (पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) टीएसए के तहत निर्धारित ''पॉवरग्रिड की दोषपूर्ण घटना'' या ष्अप्रत्याशित घटनाष् पर समाप्ति नोटिस देती है। इस संबंध में कोई आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है

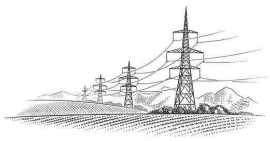

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (जारी)

2. क) एसपीवी कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी का विवरण, जो प्रशुल्क आधारित निविदा के तहत प्रदान किए गए व्यापार पूरा करने के लिए दिए गए थे, जो कि दिये गए कार्य के निष्पादन के अनुसार हैः

(₹ करोड़ में)

एसपीवी का नाम	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.09**	31.50
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**110.04**	110.04
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**141.89**	141.89
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**84.32**	84.32
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**30.38**	30.38
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**41.85**	41.85
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**66.15**	66.15
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**58.95**	58.95
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**65.48**	65.48
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**14.85**	14.85
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**17.55**	17.55
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**70.65**	70.65
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**85.05**	85.05
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**35.46**	-
बीकानेर–प्प भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	**89.10**	-

ख) कंपनी ने पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीवीटीएल) द्वारा जारी बॉन्ड के खिलाफ 0.00 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 290.00 करोड़ रु.) की देय राशि के बकाया और समय पर भुगतान और निर्वहन की गारंटी दी है। पीवीटीएल ने 10.06.2020 को ब्याज सहित उक्त बॉन्डों को भुनाया है, हालांकि गारंटी आईडीबीआई ट्रस्टियों द्वारा जारी की जानी है।

ख. आकस्मिक आस्तियां

कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम में से कुछ के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करते समय, सीईआरसी ने कंपनी द्वारा किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को रोका गया। कंपनी ने इस तरह के मुद्दों पर दुखी होकर अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल)ध्माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीईआरसी द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क आदेशों के खिलाफ दायर की है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि एक अनुकूल परिणाम संभावित है। हालांकि, वित्तीय प्रभाव का अनुमन लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णय के परिणाम पर निर्भर करती है।

59. पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैंरू

- शेयरधारक के मूल्य को अधिकतम करनाय
- एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने के लिए इसकी क्षमता की रक्षा करनाय
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखना।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, इक्विटी पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों, नियामक ढांचे और उधारदाताओं के साथ वित्तीय संविदा की आवश्यकताओं को देखते हुए समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान में समायोजन, नई परियोजनाओं में निवेश को विनियमित, शेयरधारकों को पूंजी वापस या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कि दीर्घकालिक ऋण के लिए कुल निवल मूल्य का अनुपात है। नीति ऋण–इक्विटी अनुपात इतना है जिसमें ऋण कुल नियोजित पूंजी का 75 प्रतिशत से कम हो (अर्थात ऋण से इक्विटी अनुपात 75रू25 से कम)। कंपनी में दीर्घकालीक ऋण के भीतर ब्याज वाले ऋण और उधार और दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल हैं।

59. पूंजी प्रबंधन (जारी)

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात निम्नानुसाररू –

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	**1,41,251.48**	1,44,979.64
इक्विटी (₹ करोड़ में)	**69,578.84**	64,439.69
इक्विटी अनुपात के लिए दीर्घकालिक ऋण	**67:33**	69:31

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को वित्तीय प्रतिज्ञापत्रों का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय प्रतिज्ञापत्रों का उल्लंघन ऋणदाताओं को तत्काल ऋण और उधारी लेने के लिए अनुमत होगा। वर्तमान सूचना अवधि में किसी भी ब्याज धारित ऋण और उधारियों के वित्तीय प्रतिज्ञापत्रों में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

31.03.2021 और 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(i) इक्विटी शेयर		
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.04 का अंतिम लाभांश	**2,113.56**	1,307.90
(31.03.2019 को ₹2.50) प्रतिपूर्ण प्रदत्त शेयर	**4,708.43**	3,118.02
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹9.00 का अंतरिम लाभांश		
(31.03.2020 – ₹5.96) प्रतिपूर्ण प्रदत्त शेयर		

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्य नहीं किया गया लाभांशः

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मंडल ने 17.06.2021 को ₹ 3.00 प्रतिपूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

60. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

(क) कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के संबंध में प्रति शेयर बुनियादी और तनुकृत अर्जन	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में घटने–बढ़ने सहित	**22.81**	20.67
विनियामक आस्थगित खाता शेष में घटने–बढ़ने को छोड़कर	**22.05**	17.45
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के संबंध में प्रति शेयर बुनियादी और तनुकृत अर्जन	**22.81**	**20.67**

(₹ करोड़ में)

(ख) प्रति शेयर आय की गणना में अंश के रूप में उपयोग की गई आय का मिलान	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में घटने–बढ़ने सहित कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के संबंध में अर्जन	**11,935.78**	10,811.18
विनियामक आस्थगित खाता शेष में घटने–बढ़ने को छोडकर कंपनी के इक्विटी शेयरध ारकों के संबंध में अर्जन	**11,536.93**	9,127.78
कंपनी के इक्विटी धारकों के संबंध में कुल अर्जन	**11,935.78**	**10,811.18**

(ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्रति शेयर बुनियादी अर्जनों को परिकलित करने में विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**5231589648**	5231589648
प्रति शेयर तनुकृत अर्जनों के परिकलन के लिए समायोजन	-	-
प्रति शेयर बुनियादी अर्जनों को परिकलित करने में विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत संख्या	**5231589648**	**5231589648**

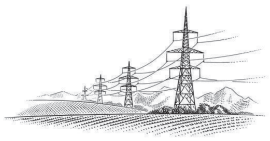

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार शामिल हैं, जो भारतीय रुपये में या विदेशी मुद्राओं में, व्यापार देयताओं और अन्य देयताओं में मूल्यवर्ग के हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के पूंजीगत निवेश और प्रचालनों को वित्तपोषित करना है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय आस्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य, तथा नकदी और समतुल्य शामिल हैं, जो इसके प्रचालनों से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी की गतिविधियों में निम्नलिखित वित्तीय जोखिम दिखाई देते हैं, नामतः,

(क) क्रेडिट जोखिम,

(ख) तरलता जोखिम,

(ग) बाजार जोखिम

इस टिप्पणी में इन जोखिमों के मूल्यांकन एवं व्यवस्थापन हेतु कंपनी की स्थिति, उद्देश्य, नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना को दर्शाया गया है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

कंपनी की एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसका प्रमुख निदेशक (परियोजना) होता है तथा जिसमें निदेशक (संचालन), निदेशक (वित्त) और स्वतंत्र निदेशक सदस्य होते हैं। अनिश्चितताओं का मूल्यांकन करने तथा व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ उद्यम जोखिम प्रबंधन संरचना कंपनी में कार्यान्वित किया गया है। संरचना जोखिमों की पहचान करने, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, सुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस संरचन के अनुसार, विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओंध्जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा समितिध्बोर्ड को नवीनतम जानकारी देती है।

वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन को कंपनी द्वारा नीचे संक्षेप में दिया गया हैरू–

(क) क्रेडिट जोखिमरू

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगी, जिसके फलस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिमों के कारण अपनी प्रचालन गतिविधियों से और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा के कारण इसकी वित्तीय गतिविधियों, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधनों और राज्य सरकार बॉन्डों में निवेश के कारण इसकी निवेश गतिविधियों के लिए क्रेडिट जोखिम से अवगत कराया जाता है।

वित्तीय आस्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने के 3 वर्ष के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहती है। चूक की यह परिभाषा उस कारोबारी माहौल को देखते हुए निर्धारित की जाती है जिसमें कंपनी संचालित होती है और अन्य मैक्रो–आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती है।

जब आस्तियों की वसूली की कोई समुचित संभावना नहीं होती है तो उनको बट्टेखाते में दाल दिया जाता है, जैसे कि कर्जदार दिवालिया होना घोषित करता है या कंपनी के साथ पुनर्भुगतान योजना लाने में विफल रहता है। जहां ऋण या प्राप्य बट्टे खाते में डाल दिए गए है, कंपनी देय प्राप्य की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि जारी रखती है। जहां ऐसी वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(प) व्यापार प्राप्य और बिलरहित राजस्व

कंपनी मुख्य रूप से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करती है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं। सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 (ष्सीईआरसी साझाकरण विनियमष्) पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों का भुगतान नियत तारीख के भीतर करने की अनुमति देता है, अर्थात, बिल की प्रस्तुति की तारीख से 45 दिनों के भीतर और अधिभार की वसूली 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान आदि। हालांकि, कंपनी के नकदी प्रवाह में सुधार के लिए, 45 दिनों के भीतर किए गए भुगतान के लिए एक श्रेणीबद्ध रियायत प्रदान की जाती है। यदि कोई डीआईसी देय तिथि तक किसी बिल या उसके हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) डीआईसी द्वारा प्रदान किए गए साख पत्र को अर्जित सकती है और इसका उपयोग बिल की राशि या विलंबित भुगतान अधिभार, यदि लागू हो, के हिस्से की राशि के लिए कर सकती है जो कि अतिदेय है।

कंपनी के पास त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार द्वारा 2001–02 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक होती है, तो बकाया राशि राज्य के आरबीआई खाते से काट ली जा सकती है और संबंधित सीपीएसयू को भुगतान किया जा सकता है।

सीईआरसी शेयरिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि त्रिपक्षीय समझौता मौजूद है, तो साख पत्र एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि के 1.05 (एक निर्गत शून्य पांच) के बराबर राशि का होगाय बशर्ते कि जहां ऐसा त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है, डीआईसी एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि 2.10 (दो निर्गत एक गुना) के बराबर राशि के लिए साख पत्र खोलेगा।

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

साखपत्र के नकदीकरण के अलावा, बकाया देय राशि का भुगतान न करने पर, सीटीयू के पास सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति विनियमन) विनियम, 2010 के अनुसार चूककर्ता इकाई पर बिजली आपूर्ति को विनियमित करने या अल्पकालिक ओपन एक्सेस से इनकार करने की शक्ति है।

व्यापार प्राप्तियों में ₹ 3,441.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,664.93 करोड़), ₹ 176.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 197.77 करोड़) की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य और ₹ 304.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 321.02 करोड़)) के दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियां शामिल हैं।

बिलरहित राजस्व मुख्य रूप से कंपनी के पूर्ण किए गए कार्य के अधिकार से संबंधित है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है और इसमें समान प्रकार के संविदाओं के लिए व्यापार प्राप्तियों के रूप में एक ही प्रकार की जोखिम विशेषताएं हैं।

(ii) अन्य वित्तीय आस्तियां (व्यापार प्राप्य और बिलरहित राजस्व को छोड़कर)

- **नकद और नकदी समकक्ष**

कंपनी के पास ₹ 1,000.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 570.72 करोड़) के नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और इनमें कोई उल्लेखनीय क्रेडिट जोखिम नहीं होता है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा**

कंपनी की बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास ₹ 4,366.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,849.79 करोड़) की जमाराशियाँ थीं। सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और उनमें ऋण जोखिम नगण्य होता है।

- **ऋण**

कंपनी ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों, भारत सरकार और अन्य पार्टियों को ऋण दिया है। कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के प्रति सुरक्षित हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं। कंपनी कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य है।

(iii) ऋण जोखिम का सामना करना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान ऋण	**10,474.09**	12,783.75
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियां	**4,113.33**	4,115.09
नकद और नकदी के समकक्ष	**1,000.18**	570.72
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा	**4,366.02**	4,849.79
वर्तमान ऋण	**5,428.83**	879.41
अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियां	**874.36**	467.89
कुल	**26,256.81**	**23,666.65**
वित्तीय आस्तियां जिनके लिए हानि की गुंजाइश को जीवनकाल में संभावित हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	**3,921.74**	5,183.72
बिलरहित राजस्व	**7,065.68**	5,163.51

(iv) संभावित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय आस्तियां जिसके लिए हानि की गुंजाइश 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी आस्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जिनमें चूक का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक पहचान में वित्तीय आस्तियों (व्यापार प्राप्य और बिलरहित राजस्व को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए, संभावित क्रेडिट हानि का प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

(ख) वित्तीय आस्तियां जिसके लिए जीवनकाल में संभावित हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

दूरसंचार और परामर्श से व्यापार प्राप्य और बिलरहित राजस्व के संबंध में, ग्राहक क्रेडिट जोखिम बकाया प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी और वसूली के लिए उपभोक्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पारेषण खंड के संबंध में, कंपनी के पास ग्राहक हैं जिनमें

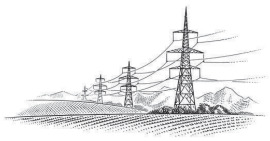

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

से अधिकांश राज्य सरकार की उपयोगिताओं के साथ दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और इसलिए चूक का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो देय तिथि से 30 दिन पुरानी है, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहण योग्य है।

उपरोक्त कारकों और प्रचलित विनियमों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार प्राप्य और बिलरहित राजस्व में प्रारंभिक पहचान और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को नगण्य क्रेडिट जोखिम बना रहता है।

(v) व्यापार प्राप्य का काल – प्रभावन विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का काल – प्रभावन विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	देय नहीं	पिछला देय 0–30 दिन	पिछला देय 31–60 दिन	पिछला देय 61–90 दिन	पिछला देय 91–120 दिन	पिछला देय 120 दिन से अधिक	कुल
31.03.2021 तक सकल वहन राशि	**1,742.88**	**375.46**	**135.38**	**133.83**	**113.70**	**1,420.49**	**3,921.74**
31.03.2020 तक सकल वहन राशि	3.02	2,004.44	889.52	767.18	309.64	1,209.92	**5,183.72**

(vi) क्षति हानि प्रावधानों का विनियोजन

वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों के संबंध में क्षति के लिए गुंजाइश में परिवर्तन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	निवेश	अग्रिम	बिलरहित देनदार	कुल
01.04.2019 को शेष राशि	**337.48**	**4.05**	**19.40**	**105.71**	**466.64**
पहचानी गईध्(उलट की गई) क्षति हानि	(21.66)	-	-		(21.66)
बट्टे खाते में डाली गई राशि				105.71	105.71
31.03.2020 तक शेष राशि	**315.82**	**4.05**	**19.40**	**-**	**339.27**
पहचानी गईध्(उलट की गई) क्षति हानि	(15.42)	-	0.01	-	(15.41)
बट्टे खाते में डाली गई राशि					-
31.03.2021 तक शेष राशि	**300.40**	**4.05**	**19.41**	**-**	**323.86**

पुरानी चूक दरों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य आस्ति के संबंध में कोई क्षति की गुंजाइश नहीं है क्योंकि राशि नगण्य है।

(ख) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना है और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। कंपनी तरलता योजना साधन का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करती है। कंपनी के पास वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, बांड और बाहरी वाणिज्यिक उधार जैसे वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच है और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बरकरार रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की चलनिधि स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है, जिसमें नीचे दी गई उधार लेने की सुविधाएं और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए तरलता के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों पर निर्भर करती है।

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1 वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	-	388.15
एक वर्ष बाद समाप्त होने वाले (बैंक ऋण)	**6,125.35**	5,363.29

बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं किसी भी समय आहरित की जा सकती हैं और बिना किसी सूचना के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग जारी रहने के अधीन, बैंक ऋण किसी भी समय लिया जा सकता हैं और इसकी शेष उपलब्धता अवधि 1 से 5 वर्ष (पिछले वर्ष 1 से 5 वर्ष) तक होती है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर सम्बद्ध परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में दी गई राशि बिना रियायत के संविदात्मक नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता	वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से आगे	कुल
31.03.2021 तक				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	22,041.83	76,725.17	89,916.93	1,88,683.93
व्यापार देयताएं	186.30			186.30
अन्य वित्तीय देयताएं				
पट्टा देनदारियां	3.93	9.96	69.26	83.15
अन्य	7,437.86	1,227.23	4,360.31	13,025.40
कुल	**29,669.92**	**77,962.36**	**94,346.50**	**2,01,978.78**
31.03.2020 तक				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	21,669.02	81,187.92	1,02,699.76	2,05,556.70
व्यापार देयताएं	225.72			225.72
अन्य वित्तीय देयताएं				
पट्टा देनदारियां	4.53	5.21	64.38	74.12
अन्य	8,266.24	1,164.91	4,636.98	14,068.13
कुल	**30,165.51**	**82,358.04**	**1,07,401.12**	**2,19,924.67**

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण घटेगा या बढ़ेगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैंरू

(प) मुद्रा जोखिम

(पप) ब्याज दर जोखिम

(पपप) अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम।

(i) मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों और उधारों और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में मुद्रा जोखिम का सामना करती है, जिनकी खरीद प्रतिफल विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। पारेषण प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक 2019–24 के सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार, कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और पारेषण प्रणाली के लिए किए गए विदेशी ऋण की वापसी की अदायगी के संबंध में जोखिम का अपने विवेक से आंशिक या पूर्ण रूप से संरक्षा कर सकती है और संबद्ध वर्ष में नियामक विदेशी ऋण के तदनुरूपी विदेशी विनिमय दर में घटने बढ़ने की लागत को वसूल कर सकती है।

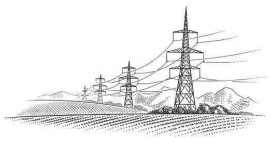

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

यदि विदेशी मुद्रा देनदारी की संरक्षा नहीं की जाती है, तो संगत वर्ष में मानदंडात्मक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए अतिरिक्त रुपये देयता की देनदारी को ट्रांसमिशन प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूल करने हेतु अनुमत है, बशर्ते कि यह उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या संविदाकारों पर आरोप्य न हो। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा देनदारी की कोई संरक्षा नहीं ली गई है। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं के संबंध में, विनिमय दर भिन्नता ट्रांसमिशन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए परियोजना लागत का हिस्सा है। प्रचालन गतिविधियों के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम एक व्युत्पन्न साधन द्वारा या अन्यथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत नहीं है:

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (₹करोड़ में)		राशि (₹करोड़ में)	
		As at 31.03.2021	**As at 31.03.2020**	**As at 31.03.2021**	**As at 31.03.2020**
उधारी	यूएसडी	**474.37**	493.62	**35,131.99**	37,544.72
	यूरो	**66.13**	62.88	**5,772.18**	5,309.08
	एसईके	**175.51**	211.80	**1,495.34**	1,613.88
	जेपीवाई	**2,309.06**	2,327.24	**1,554.00**	1,645.13
ब्याज उद्भूत लेकिन उस पर देय नहीं है जिसमें एजेंसी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क और अन्य शुल्क सहित अर्जित ब्याज शामिल हैं।	यूएसडी	**1.35**	3.01	**100.24**	229.27
	यूरो	**0.19**	0.22	**16.41**	18.51
	एसईके	**0.95**	1.27	**8.05**	9.68
	जेपीवाई	**5.37**	5.57	**3.61**	3.94
व्यापार देयध्जमा और प्रतिधारण धन	यूएसडी	**4.95**	5.39	**361.18**	391.30
	यूरो	**3.27**	3.80	**275.42**	314.54
	एसईके	**15.79**	22.52	**127.31**	177.76
	जेपीवाई	**0.04**	0.02	**3.36**	1.94
	यूएसडी	**1.75**	1.90	**178.60**	179.43
	यूरो	**76.75**	95.43	**50.06**	63.07
	सीएडी	**0.01**	0.01	**0.61**	0.32
व्यापार प्राप्य और बैंक शेष संविदाओं की अनिष्पादित	यूएसडी	**0.05**	0.03	**3.73**	2.18
	एनपीआर	**15.26**	23.95	**9.54**	14.97
	यूरो	**0.01**	-	**0.60**	-
	बीडीटी	**1.25**	1.25	**0.90**	0.90
राशि जिसे निष्पादित किया जाना है	यूएसडी	**1.70**	2.12	**126.48**	156.55
	यूरो	**1.39**	2.57	**120.96**	216.03
	एसईके	**1.41**	3.44	**12.05**	26.18
	जीबीपी	**0.72**	1.04	**73.41**	98.25
	जेपीवाई	**1.72**	9.70	**1.16**	6.85

संवेदनशीलता विश्लेषण

चूंकि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मजबूत होने या कमजोर होने का लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव बहुत उल्लेखनीय नहीं होगाय इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकट नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ दीर्घकालीन उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित है। कंपनी ब्याज दर जोखिम के लिए अनाश्रित है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ–साथ घटेंगे बढ़ेंगे। कंपनी घरेलू और विदेशी मुद्राओं में स्थिर और फ्लोटिंग दर उधार के मिश्रण वाले कर्ज पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है।

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
ब्याज की फ्लोटिंग दर के साथ दीर्घकालिक कर्ज		
– घरेलू	**26,204.65**	26,107.40
– विदेश	**36,018.86**	37,907.16
उप योग	**62,223.51**	**64,014.56**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालिक कर्ज		
– घरेलू	**71,093.40**	72,769.95
– विदेश	**7,934.57**	8,195.13
उप योग	**79,027.97**	**80,965.08**
कुल दीर्घकालिक कर्ज	**1,41,251.48**	**1,44,979.64**
कुल दीर्घावधि कर्ज के लिए अस्थायी ब्याज दर ऋण का प्रतिशत	**44.05%**	44.15%

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार, प्रशुल्क के प्रयोजन के लिए निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज परियोजना लागत का हिस्सा बनता है और वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बाद, ऋण पर ब्याज वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के ब्याज की भारित औसत दर लागू करके वर्ष के नियामक औसत ऋण पर प्राइकलित प्रशुल्क के माध्यम से वसूली योग्य है।

तदनुसार, कंपनी के ब्याज दर जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता हैय इसलिए जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकट नहीं किया गया है।

(iii) अन्य मूल्य जोखिम

कंपनी का इक्विटी प्रतिभूतियों मूल्य जोखिम के लिए एक्सपोजर कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उत्पन्न होता है और ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तुलन पत्र में वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी निवेश के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, कोई उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

62. आयकर व्यय

इस नोट में कंपनी के आयकर व्यय का विश्लेषण प्रदान किया गया है और बताया गया कि गैर–निर्धारण योग्य और गैर–कटौती योग्य वस्तुओं से कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। इसमें कंपनी की कर स्थिति के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों को स्पष्ट किया गया है।

(क) आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	**2,527.55**	2,108.83
पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	**1.56**	121.91
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (क)	**84.44**	356.39
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	**2,613.55**	**2,587.13**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	**560.03**	1,288.83
इस वर्ष के लिए आस्थगित कर आस्ति पूर्व में मान्यता प्राप्त कर ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है		
कुल आस्थगित कर व्ययध्लाभ (ग)	**560.03**	**1,288.83**
आयकर व्यय (ख़ग–क)	**3,089.14**	**3,519.57**
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित	**84.44**	**356.39**
नियामक आस्थगित खाता शेष में घटने बढ़ने पर कर सहित कुल कर व्यय	**3,173.58**	**3,875.96**

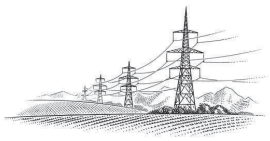

62. आयकर व्यय (जारी)

(ख) नियामक आस्थगित खाता शेष में मान्यता प्राप्त आयकरः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित आस्तियां	**568.46**	1,297.69
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	**(85.17)**	742.10
कर्मचारी लाभ व्यय	**-**	-
कुल नियामक आस्थगित खाता शेष कर से पहले – आय ६ (व्यय)	**483.29**	2,039.79
नियामक आस्थगित खाता शेष पर वर्तमान कर	**84.44**	356.39
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल घटाव बढ़ाव – आय ६ (व्यय) (निवल कर)	**398.85**	**1,683.40**

(ग) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकररू

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर से पहले	**कर व्ययध(लाभ)**	**निवल कर**	**कर से पहले**	**कर व्ययध(लाभ)**	**निवल कर**
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर निवल लाभध(हानि)	**39.80**	**-**	**39.80**	(49.35)	-	**(49.35)**
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल कार्य हानि	**(19.94)**	**(3.49)**	**(16.45)**	(74.47)	(13.01)	**(61.46)**
घटाएंरू निर्माण (निवल) के दौरान व्यय में हस्तांतरित	**(2.44)**	**(0.43)**	**(2.01)**	(8.23)	(1.44)	**(6.79)**
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	**22.30**	**(3.06)**	**25.36**	**(115.59)**	**(11.57)**	**(104.02)**

(घ) भारत में कर की दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलानः

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
विनियामक आस्थगित खाता शेष में घटाव बढ़ाव सहित आयकर व्यय से पूर्व लाभ	**15,109.36**	14,687.14
कंपनी की घरेलू कर दर 34.944 प्रतिशत पर कर	**5,279.81**	**5,132.27**
इनका कर प्रभावरू		
गैर–कटौती योग्य कर मद	**(2,563.68)**	(2,567.00)
कर मुक्त आय	**(2,116.44)**	(1,899.30)
पिछले वर्षों की कर देयता	**1.56**	121.91
आस्थगित कर व्ययध(आय)	**560.03**	1,288.83
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	**2,012.30**	1,799.25
आयकर व्यय	**3,173.58**	**3,875.96**

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
अवकाश दायित्व	**56.33**	**411.66**	**467.99**	41.96	382.50	424.46
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	**22.58**	**579.62**	**602.20**	20.82	522.05	542.87
अन्य कर्मचारी लाभ ध लंबी सेवा का पुरस्कार	**1.46**	**20.31**	**21.77**	1.12	15.91	17.03
उपदान	**77.40**	**514.20**	**591.60**	74.08	527.83	601.91
अन्य आस्थगित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)ध सामान भत्ता	**2.37**	**21.10**	**23.47**	2.06	18.90	20.96
कुल कर्मचारी हित लाभ दायित्व	**160.14**	**1546.89**	**1707.03**	**140.04**	**1467.19**	**1607.23**

(i) दीर्घकालिक कर्मचारी हित लाभ

क. अवकाश दायित्व

कंपनी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश हित लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों पर सालाना अर्जित होता है। सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) केवल 55 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत होने पर अधिकतम 300 दिनों (एचपीएल) तक नकद किया जा सकता है। तथापि, अवकाश की कुल संख्या जिसे अधिवर्षिता पर भुनाया जा सकता है, 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध वेतन अवकाश का कोई रूपान्तरण अनुमत नहीं होगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचान की गई है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ – पावरग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना

कंपनी ने 24.06.2017 को पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता और सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी कर्मचारी, एक महीने के वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते लाभार्थी को कंपनी द्वारा पीएफ के बराबर राशि (वीपीएफ को छोड़कर) शेष राशि, उपदान राशि और कंपनी बीमा (ईडीएलआई) राशि के बराबर राशि देता है, ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य काल्पनिक तिथि तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं हो जाती जब तक कर्मचारी कफनी की सेवा करता रहेगा। योजना वैकल्पिक है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 1.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.09 करोड़ तक) की पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना का प्रावधान किया गया है।

(ii) रोजगार पश्चात दायित्व (परिभाषित कर्मचारी हितलाभ / अंशदान योजनाएं)

क. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति या पत्नी को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसी के लिए देयता को बैलेंस शीट की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और 01 मई 2018 को गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ – लंबी सेवा का पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशकों और सीएमडी को छोड़कर) पर लागू होता है, जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को तुलनपत्र की तारीख के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग. उपदान

कंपनी के पास एक परिभाषित हितलाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, उसे सेवानिवृति, त्यागपत्र, विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹ 20 लाख के अधीन, के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर उपदान प्राप्त करने की पात्रता है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। उपरोक्त के लिए देयता को तुलन पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ने ₹ 20 लाख की उच्चतम सीमा पर विचार करते हुए उपदान हितलाभ का बीमांकिक मूल्यांकन दिया है।

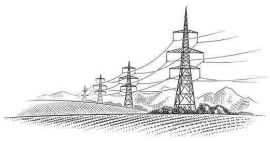

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)/सामान भत्ता

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति के समय भारत में कहीं भी पुनर्वास के लिए योजना है। यह योजना निधि रहित है और इसके लिए देयता को वार्षिक आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ड. भविष्य निधि

कंपनी अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि को निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना में अंशदान उचित अधिकारियों को अदा किए जाते हैं। वर्ष के लिए ₹ 128.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 124.43 करोड़) की राशि निधि और ईपीएस योजना को दिए गए अंशदान की व्यय के रूप में पहचान की गई और इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है। बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलकर ब्याज आय और संचयी अधिशेष वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है। इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। चूंकि कंपनी का पीएफ कॉर्पस पर कोई शर्तरहित अधिकार नहीं है, इसलिए तुलन पत्र में अधिशेष की पहचान नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
भविष्य निधि (पीएफ)	**438.42**	**2821.90**	**3260.32**	376.22	2679.65	3055.87

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल, 2020	**3055.87**	**3146.09**	**(90.22)**
सेवा लागत	115.35	-	115.35
ब्याज व्यय (आय)	254.71	207.78	46.93
कुल	**370.06**	**207.78**	**162.28**
पुनरू मापन			
ब्याज व्ययध(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-
(लाभ)ध्जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)ध हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ) ध हानि	1.72	-	1.72
कुल	**1.72**	**-**	**1.72**
कर्मचारी अंशदान	256.88	372.23	(115.35)
हितलाभ भुगतान	(424.21)	(424.21)	-
31 मार्च, 2021	**3260.32**	**3301.89**	(41.57)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	आस्तियों का उचित मूल्य
01 अप्रैल, 2019	**2757.58**	**2844.43**	**(86.85)**
सेवा लागत	111.20	-	111.20
ब्याज व्यय (आय)	235.36	248.49	(13.13)
कुल	**346.56**	**248.49**	**98.07**
पुनरू मापन			
ब्याज व्ययध(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजनागत आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	0.01	-	0.01

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		
	आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	आस्तियों का उचित मूल्य
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/ हानि	0.59	-	0.59
अनुभव (लाभ) /हानि	9.16	-	9.16
कुल	**9.76**	**-**	**9.76**
कर्मचारी अंशदान	250.63	361.83	(111.20)
हितलाभ भुगतान	(308.66)	(308.66)	-
31 मार्च, 2020	**3055.87**	**3146.09**	**(90.22)**

ऊपर बताई गई निवल देयता भविष्य निधि से संबंधित है जो निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**3260.32**	3055.87
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3301.89**	3146.09
वित्तपोषित योजना का घाटा/(अधिशेष)	**(41.57)**	**(90.22)**

भविष्य निधि का संवेदनशीलता विश्लेषणरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3260.32
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.46)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	0.49

योजना संपत्ति (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021				31 मार्च 2020			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखतें (ईटीएफ)	**60.56**	**-**	**60.56**	**2%**	30.49	-	30.49	1%
ऋण लिखतें								
सरकार/राज्य बांड	**1774.95**	**-**	**1774.95**	**54%**	1689.26	-	1689.26	54%
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और निजी बांड	**1308.56**	**-**	**1308.56**	**40%**	1238.94	-	1238.94	39%
बैंक में जमा राशि	**51.12**	**-**	**51.12**	**1%**	25.09	-	25.09	1%
अन्य प्राप्ति योग्य	**106.70**	**-**	**106.70**	**3%**	162.31	-	162.31	5%
कुल	**3301.89**	**-**	**3301.89**		**3146.09**	**-**	**3146.09**	

31 मार्च, 2021 (31 मार्च 2020 तक ₹ 79.28 करोड़) को योजनागत आस्तियों के रूप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य ₹ 73.52 करोड़ है।

भविष्य निधि का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2021	**438.42**	**338.33**	**737.81**	**1745.76**	**3260.32**
31 मार्च, 2020	376.21	242.77	677.75	1759.14	**3055.87**

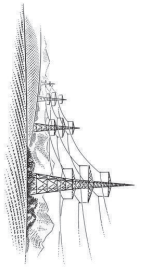

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

च. पेंशन

कंपनी के पास कर्मचारियों की परिभाषित अंशदान की योजना है। कंपनी का अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा किया जाता है। वर्ष के लिए अदाध्देय अंशदान की राशि ₹ 62.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 114.82 करोड़) है जिसे व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

विभिन्न कर्मचारी लाभ दायित्वों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			अवकाश			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल, 2020		**554.99**	**46.92**	**20.96**	**-**	**20.96**	**424.46**	**-**	**424.46**	**542.87**	**518.16**	**24.71**
सेवा लागत	24.57	-	24.57	1.44	-	1.44	47.35	-	47.35	18.15	-	18.15
ब्याज व्यय (आय)	40.63	39.91	0.72	1.41	-	1.41	28.65	-	28.65	36.65	-	36.65
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**65.20**	**39.91**	**25.29**	**2.85**	**-**	**2.85**	**76.00**	**-**	**76.00**	**54.80**	**0.00**	**54.80**
पुनरू मापन												
ब्याज व्ययध्(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.33	(73.33)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)ध्हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)ध्हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुभव (लाभ) / हानि	(3.46)	-	(3.46)	(0.31)	-	(0.31)	47.97	-	47.97	29.77	-	29.77
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(3.46)**	**0.00**	**(3.46)**	**(0.31)**	**-**	**(0.31)**	**47.97**	**-**	**47.97**	**29.77**	**73.33**	**(43.56)**
कर्मचारी अंशदान	-	69.81	(69.81)	-	-	-	-	-	-	-	9.64	(9.64)
हितलाभ भुगतान	(72.05)	(72.05)	-	(0.03)	-	(0.03)	(80.44)	-	(80.44)	(25.24)	-	(25.24)
31 मार्च, 2021	**591.60**	**592.66**	**(1.06)**	**23.47**	**-**	**23.47**	**467.99**	**-**	**467.99**	**602.20**	**601.13**	**1.07**

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			अवकाश			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल, 2019	**626.44**	**590.28**	**36.16**	**18.74**	**-**	**18.74**	**371.69**	**-**	**371.69**	**438.98**	**418.68**	**20.30**
सेवा लागत	25.51	-	25.51	1.24	-	1.24	31.39	-	31.39	11.55	-	11.55
ब्याज व्यय (आय)	48.55	47.22	1.33	1.45	-	1.45	28.80	-	28.80	34.02	39.58	(5.56)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**74.06**	**47.22**	**26.84**	**2.69**	**-**	**2.69**	**60.19**	**-**	**60.19**	**45.57**	**39.58**	**5.99**
पुनरू मापन												
ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर प्रतिफल	-	0.93	(0.93)	-	-	-	-	-	-	-	22.57	(22.57)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)ध्हानि	(0.37)	-	(0.37)	(0.01)	-	(0.01)	0.09	-	0.09	(0.28)	-	(0.28)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)ध हानि	42.77	-	42.77	1.81	-	1.81	36.83	-	36.83	55.69	-	55.69
अनुभव (लाभ) ध हानि	(37.70)	-	(37.70)	(2.18)	-	(2.18)	22.91	-	22.91	23.99	-	23.99
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**4.70**	**0.93**	**3.77**	**(0.38)**	**-**	**(0.38)**	**59.83**	**-**	**59.83**	**79.40**	**22.57**	**56.83**
कर्मचारी अंशदान	-	19.85	(19.85)	-	-	-	-	-	-	-	58.41	(58.41)
हितलाभ भुगतान	(103.29)	(103.29)	-	(0.09)	-	(0.09)	(67.25)	-	(67.25)	(21.08)	(21.08)	-
31 मार्च, 2020	**601.91**	**554.99**	**46.92**	**20.96**	**-**	**20.96**	**424.46**	**-**	**424.46**	**542.87**	**518.16**	**24.71**

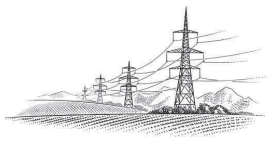

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

निधिकृत और गैर निधिकृत योजनाओं से संबन्धित उपरोक्त दरों पर प्रकट राशि निम्नानुसार हैरू – (₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		ओडीआरबी		अवकाश		पीआरएमएफ	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
निधिकृत दायित्वों का वर्तमान मूल्य		601.91	-	-	-	-	**602.20**	542.87
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**592.66**	554.99	-	-	-	-	**601.13**	518.16
निधिकृत योजना का घाटाध(अधिशेष)	**(1.06)**	**46.92**	-	-	-	-	**1.07**	**24.71**
अनिधिकृत योजनाएं	-	-	**23.47**	**20.96**	**467.99**	**424.46**	-	-

कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान उपदान ट्रस्ट को 36.07 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जा सकता है।

(iii) रोजगार पश्चात लाभों के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएंः

आर्थिक अवधारणाएं

विवरण	उपदान, ओडीआरबी, पेंशन, पीआरएमएफ, पीएफ	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	**6.75%**	6.75%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ को छोड़कर)	**6.50%**	6.50%

Tछूट दर आम तौर पर सरकार पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। देयताओं से मेल खाती अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर बांड। वेतन वृद्धि दर कंपनियों का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है कि वेतन बढ़ता है और लंबी अवधि के आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और अन्य प्रासंगिक कारकों का ध्यान रखा जाता है।

जनसांख्यिकीय अनुमान

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
i) सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
ii) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2012–14)	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2012–14)
iii) आयु		
	निकासी दर प्रतिशत	निकासी दर प्रतिशत
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 साल से अधिक	1	1

नमूना उम्र के लिए मृत्यु दर

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
	0.000698	45	0.002579	75	0.038221
20	0.000924	50	0.004436	80	0.061985
25	0.000931	55	0.007513	85	0.100979
30	0.000977	60	0.011162	90	0.163507
35	0.001202	65	0.015932	95	0.259706
40	0.00168	70	0.024058	100	0.397733

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(iv) परिभाषित हितलाभ दायित्व के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवर.ा	उपदान	फोडीआरबी	अवकाश	पीआरएमएफ
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	591.60	23.47	467.99	602.20
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(22.79)	(0.89)	(22.19)	(33.27)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	24.85	0.96	24.24	35.08
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	591.60	23.47	467.99	602.20
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	8.60	0.98	24.12	35.83
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(9.11)	(0.90)	(22.21)	(33.61)

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो यह दिखाई गई धारणा की संवेदनशीलता का एक अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव की गणना करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं आपस में सहसंबद्ध हो सकती है।

(v) योजनागत आस्तियों (उपदान) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021				31 मार्च 2020			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखतें (ईटीएफ)	**3.14**	**-**	**3.14**	**1%**	3.14	-	3.14	1%
ऋण लिखतें								
सरकार/राज्य बांड	**316.42**	**-**	**316.42**	**54%**	280.98	-	280.98	49%
सरकारी क्षेत्र के उद्यम और निजी बांड	**266.28**	**-**	**266.28**	**45%**	286.85	-	286.85	50%
कुल'	**585.84**	**-**	**585.84**		**570.97**	**-**	**570.97**	

*बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹592.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹554.99 करोड़) है।

कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो योजनागत आस्तियों के रूप में है, ₹ 56.03 (पिछले वर्ष ₹ 65.11 करोड़) है।

(vi) योजनागत आस्तियों (पीआरएमएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021				31 मार्च 2020			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखतें (ईटीएफ)	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
ऋण लिखतें								
सरकारध्राज्य बांड	**296.17**	**-**	**296.17**	**51%**	265.64	-	265.64	52%
सरकारी क्षेत्र के उद्यम और निजी बांड	**288.93**	**-**	**288.93**	**49%**	240.87	-	240.87	48%
कुल:	**585.10**	**-**	**585.10**		**506.51**	**-**	**506.51**	

रुबीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹ 601.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 518.16 करोड़) है।

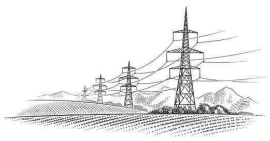

63. कर्मचारी हित लाभ दायित्व (जारी)

(vii) जोखिम एक्सपोजर का विवरण

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है जो प्रकृति में गतिशील हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। इस तरह की कंपनी निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों के लिए अनाश्रित हैरू

क) वेतन वृद्धि (पीएफ को छोड़कर) – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयताबढ़ जाएगी। वेतन में वृद्धि से भविष्य में मूल्यांकन में अनुमान देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम – यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो आस्तिययां एवं देयताएं मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम आस्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।

ग) छूट दर दृ परवर्ती मूल्यांकन में छूट दर में कमी योजना की देयता बढ़ा सकती है।

घ) मृत्यु की दर और विकलांगता – वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक प्रमाणित होने पर देयताओं पर प्रभाव दाल सकते हैं।

ड.) निकासी – वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होए पर और बाद के मूल्यांकन में निकासी दरों में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकती है।

(viii) परिभाषित लाभ देयता और कर्मचारी योगदान

परिभाषित हितलाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 39.57 वर्ष (पिछले वर्ष 40.18 वर्ष) है। बिना रियायत वाली पेंशन, उपदान, अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ और रोजगार पश्चात चिकित्सा हितलाभ का संभावित विश्लेषण इस प्रकार हैरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से कम	1–2 वर्षके बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2021					
परिभाषित लाभ दायित्व (उपदान)	77.40	73.30	148.99	291.91	591.60
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ	22.58	28.78	112.44	438.40	602.20
ओडीआरबी	2.37	2.42	5.27	13.41	23.47
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.46	1.46	3.42	15.43	21.77
कुल	**103.81**	**105.96**	**270.12**	**759.15**	**1239.04**
31 मार्च, 2020					
परिभाषित हितलाभ दायित्व (उपदान)	74.08	67.03	170.22	290.58	601.91
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ	20.82	26.55	103.69	391.81	542.87
ओडीआरबी	2.06	1.95	5.37	11.58	20.96
अन्य कर्मचारी हितलाभ (एलएसए)	1.12	1.11	3.11	11.69	17.03
कुल	**98.08**	**96.64**	**282.39**	**705.66**	**1182.77**

64. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं पर कोविड–19 महामारी की सामग्री के भौतिक प्रभाव का प्रकटीकरण

कंपनी मुख्य रूप से बिजली के प्रसारण के व्यवसाय में कार्यरत है और ट्रांसमिशन सेवाओं के लिए प्रशुल्क को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है जो प्रणाली उपलब्धता के आधार पर वार्षिक पारेषण शुल्क की वसूली के लिए प्रदान किया जाता हैं।

कोविड–19 महामारी के कारण, केंद्रध्राज्य सरकारोंध्स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर विभिन्न लॉकडाउन घोषित किए गए। हालांकि, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, पारेषण इकाइयों और सेवाओं को उक्त लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। कंपनी ने महामारी के दौरान अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए अपनी विभिन्न इकाइयों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल जारी किए हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के लिए डिजिटल समाधान जैसे ई–ऑफिस, ईआरपी सिस्टम, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि को भी लागू किया है। कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, कंपनी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर महामारी के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

64. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं पर कोविड–19 महामारी की सामग्री के भौतिक प्रभाव का प्रकटीकरण (जारी)

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध विभिन्न आंतरिक और बाहरी सूचनाओं पर विचार किया है।

उपरोक्त के आधार पर, महामारी के कारण वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2020 और मई 2020 के बिल के विरुद्ध डिस्कोम और राज्यों ६ केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को दी गई ₹ 1,078.64 करोड़ की एकमुश्त छूट को छोड़कर कंपनी के संचालन या लाभप्रदता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। उक्त समेकित एकमुश्त छूट के कारण, लाभ में कमी आई है और इसका खुलासा "असाधारण मदें" लाभ और हानि के विवरण में, के तहत किया गया है।

कंपनी ने अगले एक वर्ष के लिए चलनिधि की स्थिति का आकलन किया है और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, व्यापार प्राप्य और निवेश सहित अपनी आस्ति की वसूली और वहन मूल्य का आकलन किया है और प्रबंधन किया है जो वित्तीय विवरणों में आवश्यक कोई भौतिक समायोजन नहीं हैं। हालांकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड 19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी जारी रखेगी।

65. अन्य टिप्पणियां

क कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समावेश

निदेशक मंडल ने दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए 07.11.2019 को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नीति आयोग के परामर्श से 05.03.2020 को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्य व्यवसाय के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का बंटवारा) विनियम, 2020 के विनियम 8(4) के अनुसार, माननीय आयोग के पूर्व अनुमोदन के लिए 04.05.2020 को सीईआरसी के साथ एक याचिका दायर की गई है। याचिका को सीईआरसी द्वारा 14.07.2020 को स्वीकार किया गया था, आगे की सुनवाई 15.04.2021 को हुई थी और सीईआरसी की मंजूरी की प्रतीक्षा है। कंपनी उक्त व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए कार्यप्रणालीध्लेनदेन योजना का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें आस्ति और देयताओं की पहचान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी होने तक कंपनी दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय का संचालन जारी रखेगी। चूंकि उक्त व्यवसाय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे षबिक्री के लिए धारित निपटान कंपनीष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ख. ऊर्जा प्रबंधन सेवाओं और कंपनी के परामर्श व्यवसाय को शुरू करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समावेश

निदेशक मंडल ने 28.03.2020 को भारत और विदेशों में ऊर्जा प्रबंधन परियोजनाओं को एक निवेशक औरध्या परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में सेवाएं, उत्पाद, ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित निवेश और परामर्श करते हुए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के नीति आयोग के परामर्श से 08.02.2021 को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी परामर्श व्यवसाय के अंतरण के लिए कार्यप्रणालीध्लेनदेन योजना का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें आस्तियों और देयताओं की पहचान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी नई सहायक कंपनी के शामिल होने तक परामर्श व्यवसाय का संचालन जारी रखेगी। चूंकि उक्त व्यवसाय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे षबिक्री के लिए धारित निपटान कंपनीष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ग. प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण

कंपनी को एसपीवी के तहत टीबीसीबी परियोजनाओं में सफल बोलीदाता होने के नाते फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीकर प्र अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड की संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयकों (आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ६ पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड) से आशय पत्र प्राप्त हुआ है और 31.03.2021 को उपर्युक्त 3 एसपीवी का अधिग्रहण प्रक्रिया में है।

घ. कंपनी से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के कार्य का स्थानांतरण

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.03.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया कि, 01.04.2021 से, ष्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल), 28.12.2020 को निगमित कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीष सभी कार्यों को करने और उनका निर्वहन करने के लिए बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों या केंद्रीय आयोग या प्राधिकरण के किसी भी नियम या निर्देश या उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य निर्देश या कार्यों के अनुसार सीटीयू का संदर्भित अधिसूचना के अनुसार, सीटीयू के कार्यों को सीटीयूआईएल को 01.04.2021 से स्थानांतरित कर दिया गया है।

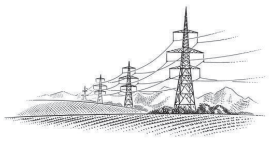

65. अन्य टिप्पणियां (जारी)

ड. ष्इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) में ट्रांसमिशन क्षमता सीटीयू द्वारा नामित आईएसटीएस ग्राहकों (श्डीआईसीश्) को दीर्घकालिक एक्सेस (एलटीए) और मढ़कालिक ओपन एक्सेस (एमटीओए) के रूप में प्रदान की जाती है। एलटीए ग्राहकों ने अप्रत्याशित घटनाओं का हवाला देते हुए अपने एलटीए को छोड़ने के संबंध में सीईआरसी में समय–समय पर याचिकाएं दायर की थीं। सीईआरसी ने याचिका 92ध्एमपीध्2015 में अपने आदेश दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से सीटीयू को एलटीए के त्याग के कारण फंसे हुए क्षमता के लिए त्याग शुल्क निर्धारित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, त्याग शुल्क की गणना सीटीयू द्वारा आदेश में दिए गए तंत्र के अनुसार की गई थी और सभी त्याग किए गए एलटीए ग्राहकों पर मांग उठाई गई है। सीईआरसी कनेक्टिविटी विनियमों के विनियम 18 के खंड (3) के अनुसार, छोड़े गए एलटीए ग्राहकों से त्याग किए गए शुल्क प्राप्त होने पर, इसे डीआईसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, कुछ एलटीए ग्राहकों ने उपरोक्त सीईआरसी आदेश के खिलाफ या सीटीयू द्वारा उठाए गए त्याग शुल्क की मांग के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर की थी और अपीलों का निपटान अभी भी न्यायालय द्वारा किया जाना है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी ष्भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचेष् में दी गई संपत्ति और देयता की परिभाषा के अनुसार उपरोक्त त्याग शुल्क न तो एक संपत्ति है और न ही कंपनी की देनदारी है। इसलिए, कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.03.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया कि, 01.04.2021 से, ष्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल), कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 28.12.2020 को शुरू करने और निर्वहन करने के लिए सीटीयू के सभी कार्य करने हेतु शामिल किया गयाष्

च. तत्काल घोषणाएं

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II में 01.04.2021 को संशोधन किया। कंपनी वित्तीय वर्ष 2021–22 में खंड II में संशोधनों का आकलन और कार्यान्वयन करेगी, जैसा लागू हो।

छ. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') रोजगार के दौरान कर्मचारी हितलाभ और रोजगार पश्चात कर्मचारी हितलाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

66. क) आंकड़ों को दशमलव के बाद दो अंकों तक करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।,

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत ध पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रमके**	**श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी), जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का एकल तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) एकल विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के एकल विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन विवरण, नकद प्रवाह एकल विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसका इसके बाद श्एकल वित्तीय विवरणों" के रूप में उल्लेख किया गया है) का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी इच्छित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2021 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में अन्य व्यापक आय, परिवर्तनों सहित इसके लाभ, इसका नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का आयोजन किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के एकल भारतीय लेखा मानकों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित की गई हैं। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र कंपनी हैं, जो नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमारे एकल भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों के प्रावधानों के तहत संगत हैं। अधिनियम और उसके नियम, तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख मामले

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं ––

– पारेषण आस्तियों में राजस्व की पहचान के संबंध में टिप्पणी सं. 35 (ख) जिनके लिए सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश अभी जारी किए जाने हैंय उपरोक्त मामलों से हमने अपनी राय में संशोधन नहीं किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों के एकल वित्तीय विवरणों को हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में पूरे वित्तीय विवरणों के रूप में संबोधित किया गया था, और इन पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखा परीक्षा ने मुख्य लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
1	<u>पारेषण आय से राजस्व की मान्यता</u> पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम प्रशुल्क आदेश अभी अधिसूचित किए जाने हैं, पूर्व के मामलों में सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी करने पर अंतर, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन भी शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है यानी बिलरहित राजस्व।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: हमने विद्युत पारेषण से राजस्व की मान्यता और माप के संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश और कंपनी के आंतरिक परिपत्र और प्रक्रियाओं की समझ से प्राप्त की है। • पारेषण से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों के आधार पर पारेषण राजस्व को सत्यापित करता है।

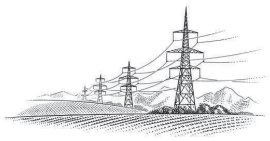

	यह राजस्व की मान्यता के लिए ग्राहको के साथ सीआरसी प्रशुल्क विनियमों और संविदाओ के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकर्ति और सीमा के कारण प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना जाता हैं द्य (टिप्पणी संख्या 35(ख) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण देखें)	• परीक्षण के आधार पर सत्यापित नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनंतिम आधार पर लगातार आय को मान्यता दी गई आस्ति के लिए जिनके अंतिम आदेश अभी तक सीईआरसी द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए हैं क्षेत्रीय तकनीकी प्रमुखों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक प्रचालन (डीओसीओ) पत्रों की तारीख के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित पूंजीगत लागत।
2	**एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर आस्तियां** कंपनी ने भविष्य के वर्षों में देय कर के प्रति समायोजन की प्रत्याशा में एमएटी क्रेडिट पर विचार किया है और वर्ष के दौरान उसी के लिए आस्थगित कर आस्ति बनाई है। उक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता के अनुरूप, सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभार्थियों को बाद की अवधि में देय एक आस्थगित नियामक देयता को मान्यता दी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए इस मामले के महत्व और इसकी भौतिकता और एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ का आकलन करने में निर्णय की आवश्यकता है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26 देखें।)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: • एमएटी क्रेडिट की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। • भविष्य के कर योग्य लाभ के संबंधित पूर्वानुमानों का आकलन करते हुए, इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारोंध्धारणाओं की तर्कसंगतता और निरंतरता का मूल्यांकन किया। अ निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित विनियामक आस्थगित देयता से संबंधित आस्थगित कर आस्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
3	**भूमि मुआवजे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।** आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के आकस्मिक देनदारियों के आकलन को मामले के तथ्यों, उस पर कंपनी के फैसले, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें)	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया पर विचार किया है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया हैरू • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल के आदेशों औरध्या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्र की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह।

स्टैंडअलोन वित्तीय कथनों और इसके बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी बोर्ड के निदेशक अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित संविदा की बोर्ड रिपोर्ट व्यावसायिक जिम्मेदारी की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है। लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचानी अन्य जानकारी को पढ़ने की है, जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है तथा ऐसा करने पर विचार करें कि क्याक अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एएस के साथ वित्तीय असंगतता सहित असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम उन दस्तावेजों को पढ़ते हैं, जिनमें अनुलग्नक, यदि कोई हो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित करने हेतु सूचित करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के

बारे में है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय कंपनी में आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी तथा नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की आस्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैंय तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा स्वतंत्र हैं सामग्री के गलत उपयोग से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने हेतु इसे एक चालू संगठन के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि लागू होने से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चालू संगठन के आधार पर उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या तरलित करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल का प्रभार रखने वाले लोग भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूरे तौर पर भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह ध ोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाया जाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, तो इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताएओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी रू

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करें और निष्पादित करें, तथा उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, जो हमारी राय को संशोधित करने के लिए काफी हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। जबकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू संगठन बनाए रखना रोका जा सकता है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिसमें प्रकटन भी शामिल हैं, और क्याग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त करते हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने मेंय तथा (₹) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूण र्ा कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, तथा उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने हेतु जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

शासन के साथ आरोपित मामलों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय

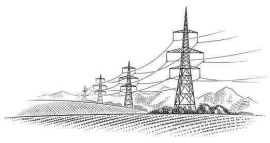

विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणाम होने की उम्मीद हो सकती है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 206 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम "अनुलग्नक 4" में उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट तथ्यों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक श्2श में देते हैं।
3. जैसा कि हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि रू

क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ व हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यथा संशोधित संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 5 जून, 2015 को अधिसूचना सं. सा. का. नि. 463 (ई) द्वारा दी गई छूट को देखते हुए निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान नियंत्रक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक "3" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

छ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं हैंय और

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य तथ्यों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसाररू

   i. कंपनी ने अपने पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है–वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 59 देखेंय

   ii. कंपनी ने प्रचलित कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत अपेक्षा अनुसार, जैसा कि व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदा पर निकट भविष्य में होने वाले भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए नियम बनाए हैं।

   iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण हेतु अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रमके**	**श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '1'

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण पर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में जैसा उल्लिखित किया गया है, हम सूचित करते हैं कि रू

(प) क) कंपनी ने सामान्यतया रिकॉर्डों का रखरखाव किया हुआ है, जिनमें मात्रात्मक ब्यौरे और अचल परिसम्पत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) की स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसम्पत्तियों (सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) की वास्तविक रूप से जांच की गई है। हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी कारोबार की प्रकृति के संबंध में उनकी निरन्तर जांच करना युक्तिसंगत है। ऐसी जांच में कोई आर्थिक कमी का पता नहीं चला है।

ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर निम्नांकित आस्तियों को छोड़ कर कंपनी के नाम पर अचल आस्तियों के हकदारी के विलेख हैं

	मामलो की संख्या	लागत (₹ करोड़ में)	निवल ब्लॉक (₹ करोड़ में)
पट्टे पर भूमि	10	147.19	139.67
फ्रीहोल्ड भूमि	23	151.63	151.63
भवन (मुंबई में फ्लैट)	28	2.96	1.02

(ii) वर्ष के दौरान बाहरी एजेंसियों द्वारा मालसूचियों की वास्तविक जांच की गई है। हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के संबंध में उनकी निरंतर जांच करना युक्तिसंगत हैं ऐसी जांच में कोई आर्थिक कमी का पता नहीं चला है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य दलों को वर्ष के दौरान ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। उपरोक्त के मद्देनजर, आदेश के खंड 3 (पपप) (ए), खंड 3 (पपप) (बी) और खंड 3 (पपप) (सी) लागू नहीं हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण निवेशों गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 में उल्लिखित प्रावधानों तथा अन्य संबंद्ध प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (अ) कंपनी पर लागू होता है।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित और कंपनी द्वारा बना कर रखे गए लागत संबंधी रिकॉर्डों की कंपनी के पारेषण और दूरसंचार प्रचालनों की मोटे तौर पर पुनरीक्षा की है तथा हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित रिकॉर्ड बनाए हुए है और उनको संभाल कर रखा हुआ है। तथापि, यह निर्धारित करने के विचार से कि क्याो वे सही या पूरे हैं, हमने लागत संबंधी रिकॉर्डों की विस्तार से जांच नहीं की है।

(vii) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यतया भविष्य निधि, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और कंपनी पर लागू होने वाले अन्य सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देनदारियों को जमा करने में नियमित है और दिनांक 31 मार्च, 2021 को जिस दिन देय हो उससे 6 महीने से अधिक की कोई सांविधिक देनदारी बकाया नहीं है। जैसा हमें सूचित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी पर कोई विवादित बकाया सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क जिसे जमा नहीं किया गया है। तथापि, आय कर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उपकर देयताओं की निम्नलिखित विवादित मांगों को जमा नहीं किया गया है रू

अधिनियम का नाम	देयताओ का स्वरूप	राशि* (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	4.58	वित्त वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए	टैन के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी
छत्तीसगढ़ प्रविष्ट कर अधिनियम, 1976	प्रविष्ट कर	183.18	वित्त वर्ष 2011–12 से 2017–18 के लिए	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.28	वित्त वर्ष 2003–04 के लिए	पटना उच्च न्यायालय
विभिन्न राज्यों के केंद्रीय बिक्री कर और बिक्री करध्वैट अधिनियम	बिक्री कर	6.47	वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2013–14 के लिए	बिक्री कर प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण, जम्मू और कश्मीर

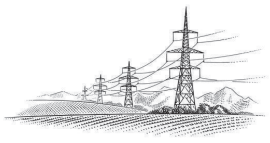

अधिनियम का नाम	देयताओ का स्वरूप	राशि* (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
पंजाब वैट अधिनियम, 2005 (प्रवेश कर)	प्रविष्ट कर	9.64	वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए	माननीय उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
विभिन्न राज्यों के केंद्रीय बिक्री कर और बिक्री करध्वैट अधिनियम	सेवा कर	37.57	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए	बिक्री कर प्राधिकरण
अपीलभवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) उपकर अधि ानियम, 1996	बीओसीडब्ल्यू	3.71	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए	माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.46	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए	अपीलीय उपायुक्त
	कुल	**245.89**		

*ब्याज सहित मांग राशि, विरोध के तहत भुगतान की गई राशि का निवल।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने वित्तीय संस्थानों, बैंकों को ऋण का प्रतिदान करने तथा बॉण्ड धारकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या वर्ष के दौरान आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से पैसा नहीं बढ़ाया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान डेबिट इंस्ट्रूमेंट (बॉन्ड) जारी करके निधि जुटाई है। हमारी राय में, एक समग्र आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने टर्म लोन के लिए बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए धन को उपयोग किया है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(xi) अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, के तहत दी गई छूट को देखते हुए अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित उसकी धारा 9 के प्रावधानों द्वारा अधिदेश आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कपनी द्वारा प्रबंधकीय परिश्रमिक अदा नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (6) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) अधिनियम की धारा 406 के तहत जैसा निर्धारित है, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(•पप) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार जहां कहीं भी लागू होता है, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी कारोबार अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार किए जाते हैं तथा इनके ब्यौरों के प्रकटीकरण, लागू लेखाकरण मानकों द्वारा यथा अपेक्षित स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार पैराग्राफ 3(•पअ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के सथ कोई गैर–नकदी कारोबार नहीं किया है। तदनुसार पैराग्राफ 3(•अ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं । तदनुसार आदेश का पैरा 3(•अप) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः006711एन/एन500028

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनरू 004501सी

सीए नीना गोयल
भागीदार
एम नं. 057986
स्थानः गुरुग्राम

सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद
भागीदार
एम नं. 024860
स्थानः गुरुग्राम

सीए संजय सरकार
भागीदार
एम नं. 064305
स्थानः कलकत्ता

सीए सतीश चंद्र शर्मा
भागीदार
एम नं. 072846
स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '2'

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

क्रम सं.	दिशा–निर्देश	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी, लेखांकन संक्रमणों को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, वित्तीय –। निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए ईआरपी सिस्टम (एसएपी) है। हमारे सत्यापन के आधार पर, कोई लेखांकन लेन–देन दर्ज नहीं किया जा रहा है,ध्स्थान में ईआरपी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋणध्ऋणध्ब्याज आदि की माफीध्बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमारे सत्यापन और स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के आध ाार पर, कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कोई मामले नहीं थे या कंपनी को चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए कर्ज ध ऋण ध ब्याज आदि के छूट ध ऋण के मामले नहीं थे ।
3.	क्या केंद्रीय ध राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त" (अनुदानध्सब्सिडी आदि) प्राप्य है या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित रूप से लेखांकनध उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमारे सत्यापन और स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के आध ाार पर, केंद्रीय ध्राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त ध प्राप्य होने वाली धनराशि को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन और उपयोग किया गया था। हमारे द्वारा कोई विचलन नहीं देखा गया।

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 004453एस

कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 301011ई/ई300025

कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनरू 004501सी

सीए नीना गोयल
भागीदार
एम नं. 057986
स्थानः गुरुग्राम

सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद
भागीदार
एम नं. 024860
स्थानः गुरुग्राम

सीए संजय सरकार
भागीदार
एम नं. 064305
स्थानः कलकत्ता

सीए सतीश चंद्र शर्मा
भागीदार
एम नं. 072846
स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021

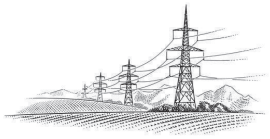

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '3'

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों पर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों हेतु समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं" के पैराग्राफ 3 (च) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 (ष्अधिनियमष्) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, छल–कपट और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पहलुओं से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस जोखिम जो एक तथ्यात्मक कमजोरी होती है, उसका निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल–कपट या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय कथनों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार एक प्रक्रिया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

(1) रिकॉर्डो, जो उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी संपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं, के रखरखाव से संबंधित होंय

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेनों को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारपत्र के अनुसार ही किए जा रहे हैंय और

(3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय कथनों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सहित, त्रुटि या छल–कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालन कर रहे थे।

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021

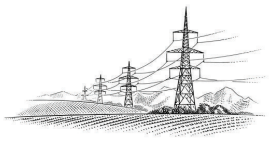

31 मार्च, 2021 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आस्तियां			
गैर–वर्तमान आस्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**182,108.99**	179,449.82
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	**24,679.80**	34,904.41
निवेश संपत्ति	6	**0.03**	0.03
अमूर्त आस्तियां	7	**1,616.95**	1,662.28
विकास के तहत अमूर्त आस्तियां	8	**157.99**	273.00
इक्विटि खाते का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम खाते में निवेश	9A	**1,346.85**	1,332.18
वित्तीय आस्तियां			
निवेश	9	**138.70**	98.90
ऋण	10	**322.58**	271.58
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय आस्तियां	11	**4,433.70**	4,100.30
अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	12	**4,925.46**	6,325.73
		219,731.05	**228,418.23**
वर्तमान आस्तियां			
माल सूची	13	**1,366.94**	1,433.46
वित्तीय आस्तियां			
व्यापार प्राप्तियां	14	**3,675.53**	5,040.71
नकद और नकद समकक्ष	15	**4,487.23**	4,849.59
नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	16	**871.48**	604.31
ऋण	17	**127.05**	156.41
अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियां	18	**8,038.97**	5,799.43
अन्य वर्तमान आस्तियां	19	**174.69**	228.02
		18,741.89	**18,111.93**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां	19A	**6,701.05**	-
		25,442.94	**18,111.93**
विनियामक आस्थगन खाता शेष	20	**10,575.13**	10,123.06
कुल आस्तियां		**255,749.12**	**256,653.22**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटि			
इक्विटी शेयर पूंजी	21	**5,231.59**	5,231.59
अन्य इक्विटी	22	**64,704.48**	59,463.76
		69,936.07	**64,695.35**
देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	23	**129,174.79**	135,421.11

31 मार्च, 2021 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं	24	**3,625.14**	3,523.13
प्रावधान	25	**462.02**	424.71
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	**11,836.62**	11,228.78
अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	27	**347.10**	362.54
		145,445.67	**150,960.27**
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधारी	28	**1,800.00**	3,000.00
व्यापार देयताएं			
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	29	**29.76**	11.59
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि	29	**157.72**	214.95
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	30	**23,106.44**	21,784.15
अन्य वर्तमान देयताएं	31	**3,884.70**	4,305.93
प्रावधान	32	**845.12**	742.04
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	33	**425.51**	22.92
		30,249.25	**30,081.58**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों से सीधे जुड़े दायित्व	19A	**363.98**	-
		30,613.23	**30,081.58**
आस्थगित राजस्व	34	**9,754.15**	10,916.02
कुल इक्विटि और देयताएं		**255,749.12**	**256,653.22**

संलग्न नोट (1 से 69) वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रम**	**के श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड सीओ एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 006711एन/एन500028	फर्म सं.: 004453एस	फर्म सं.: 301011ई/ई300025	फर्म सं.: 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी शिवरामकृष्ण प्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. 057986	सदस्य सं. 024860	सदस्य सं. 064305	सदस्य सं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

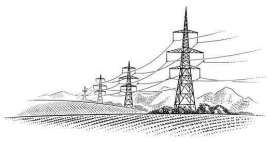

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
प्रचालन से राजस्व	35	**39,639.79**	37,743.54
अन्य आय	36	**1,183.74**	927.42
कुल व्यय		**40,823.53**	**38,670.96**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	37	**2,114.76**	1,959.75
वित्तीय लागत	38	**8,134.69**	9,509.00
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	39	**12,039.19**	11,607.04
अन्य व्यय	40	**2,531.92**	2,843.55
कुल व्यय		**24,820.56**	**25,919.34**
इक्विटी पद्धति, असाधारण मदों, कर और नियामक आस्थगित खाता शेष का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभ के शेयर से पूर्व लाभ		**16,002.97**	12,751.62
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यमों के खाते के अन्य व्यापक आय का शेयर		**214.70**	155.13
असाधारण मदों, कर और नियामक आस्थगित खाता शेष से पहले लाभ		**16,217.67**	12,906.75
असाधारण मद		**1,078.64**	-
कर और विनियामक आस्थगन खाता शेष से पूर्व लाभ		**15,139.03**	**12,906.75**
कर व्ययः			
वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		**2,565.27**	2,198.54
– पहले के वर्षों में		**(56.68)**	121.91
आस्थगित कर	26	**955.66**	1,210.30
		3,464.25	3,530.75
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ		**11,674.78**	**9,376.00**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल आवागमन– आयध(व्यय) (कर का निवल)	41	**361.68**	1,683.40
वर्ष के लिए लाभ		**12,036.46**	**11,059.40**
अन्य व्यापक आय			
ऐसी वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)	42	**25.36**	(104.02)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यमों के खाते के अन्य व्यापक आय का शेयर		**0.13**	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**12,061.95**	**10,955.38**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में उतार–चढ़ाव सहित प्रति इक्विटी शेयर आय (₹ 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)रू			
मूल और तनुकृत (रुपए)	63	**23.01**	21.14
विनियामक आस्थगन खाता शेष में उतार–चढ़ाव को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर आय (₹ 10/– रु. प्रत्येक का अंकित मूल्य)रू			
मूल और तनुकृत (रुपए)	63	**22.32**	17.92

संलग्न नोट (1 से 69) वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रम**	**के श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड सीओ एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 006711एन/एन500028	फर्म सं.: 004453एस	फर्म सं.: 301011ई/ई300025	फर्म सं.: 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी शिवरामकृष्ण प्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. 057986	सदस्य सं. 024860	सदस्य सं. 064305	सदस्य सं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

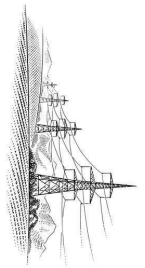

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल, 2020 तक	**5,231.59**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 तक	**5,231.59**
01 अप्रैल, 2019 तक	**5,231.59**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2020 तक	**5,231.59**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष						अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	कुल
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	बांड मोचन रिजर्व	स्व बीमा रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अर्जित प्रतिधारिता	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	
01 अप्रैल, 2020 तक	**-**	**9,578.29**	**8,696.91**	**832.09**	**36,905.49**	**3,423.64**	**27.34**	**59,463.76**
वर्ष के लिए लाभ						12,036.46		12,036.46
अन्य व्यापक आय						(14.31)	39.80	25.49
कुल व्यापक आय						**12,022.15**	**39.80**	**12,061.95**
वर्ष के दौरान समायोजन								
व्यापार संयोजन के कारण	0.76							0.76
सामान्य रिजर्व के लिए अंतरण					6,000.00	(6,000.00)		-
बॉन्ड मोचन रिजर्व से अंतरण			(1,308.94)			1,308.94		-
स्व बीमा रिजर्व के लिए अंतरण				289.31		(289.31)		-
स्व बीमा रिजर्व से अंतरण				(387.33)	363.73	23.60		-
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20						(2,113.56)		(2,113.56)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2020–21						(4,708.43)		(4,708.43)
31 मार्च, 2021 को शेष	**0.76**	**9,578.29**	**7,387.97**	**734.07**	**43,269.22**	**3,667.03**	**67.14**	**64,704.48**

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण (जारी)

क. इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष						अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	कुल
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	बांड मोचन रिजर्व	स्व बीमा रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अर्जित प्रतिधारिता	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	
01 अप्रैल, 2019 तक	**9,578.29**	**9,942.79**	**893.37**	**114.54**	**31,454.07**	**1,797.05**	**76.69**	**53,856.80**
वर्ष के लिए लाभ						11,059.40		11,059.40
अन्य व्यापक आय						(54.67)	(49.35)	(104.02)
कुल व्यापक आय						**11,004.73**	**(49.35)**	10,955.38
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य रिजर्व के लिए अंतरण					5,000.00	(5,000.00)		-
बॉन्ड मोचन रिजर्व से अंतरण		439.88				(439.88)		-
स्व बीमा रिजर्व के लिए अंतरण		(1,685.76)				1,685.76		-
स्व बीमा रिजर्व से अंतरण			275.60			(275.60)		-
सामान्य रिजर्व के लिए अंतरण			(336.88)		336.88	-		-
सीएसआर रिजर्व के लिए अंतरण				(114.54)	114.54	-		-
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2018–19						(1,307.90)		(1,307.90)
अंतिम लाभांश पर कर वित्तीय वर्ष 2018–19						(280.14)		(280.14)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2019–20						(3,118.02)		(3,118.02)
अंतिम लाभांश पर कर वित्तीय वर्ष 2019–20						(637.94)		(637.94)
अन्य परिवर्तन						(4.42)		(4.42)
31 मार्च, 2020 को शेष	**9,578.29**	**8,696.91**	**832.09**	**-**	**36,905.49**	**3,423.64**	**27.34**	**59,463.76**

संलग्न नोट (1 से 69) वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

रिजर्व और अधिशेष की प्रकृति और आवागमन के लिए टिप्पणी संख्या 22 देखें।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

के श्रीकांत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मोहम्मद ताज मुकर्रम
निदेशक (वित्त)

मृणाल श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

हमारी सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड सीओ एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 006711एन/एन500028

सीए नीना गोयल
भागीदार
सदस्य सं. 057986
स्थानः गुरुग्राम

कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 004453एस

सीए जी शिवरामकृष्ण प्रसाद
भागीदार
सदस्य सं. 024860
स्थानः गुरुग्राम

कृते बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 301011ई/ई300025

सीए संजय सरकार
भागीदार
सदस्य सं. 064305
स्थानः कलकत्ता

कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 004501सी

सीए सतीश चंद्र शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 072846
स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

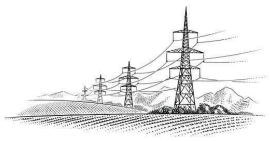

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष	**15,139.03**	**12,906.75**
जोड़ेंरू विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल आवागमन (कर का निवल)	**361.68**	1,683.40
जोड़ेंरू विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल आवागमन पर कर	**74.60**	356.39
कर पूर्व निवल लाभ (नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल आवागमन सहित)	**15,575.31**	**14,946.54**
समायोजन किया गयाः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**12,039.19**	11,607.04
सहायता अनुदान से अंतरण	**(328.89)**	(260.25)
आस्थगित राजस्व – मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**(160.05)**	(152.65)
प्रावधान	**7.78**	6.34
लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**(7.68)**	(39.89)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम खाते के निवल लाभ का शेयर	**(214.70)**	(155.13)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटानध्बट्टे खाते में डालने पर निवल हानि	**2.49**	17.20
आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव आस्ति	**1,022.09**	(1,572.74)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव से आस्थगित आय	**(780.92)**	1,637.95
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	**(436.28)**	(2,039.79)
वित्त लागत	**8,134.69**	9,509.00
बट्टे खाते में डालने का प्रावधान	**(24.82)**	(147.56)
एफईआरवी हानि / (लाभ)	**(0.02)**	(0.31)
संयुक्त उद्यमों के लिए जमा राशि, बांड और ऋण पर ब्याज आय	**(71.47)**	(168.33)
लाभांश आय	**(744.06)**	(308.76)
लाभांश आय	**(9.00)**	(5.35)
	18,428.35	**17,926.77**
आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**34,003.66**	**32,873.31**
संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन के लिए समायोजनरू		
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	**36.46**	(181.36)
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	**1,297.52**	(290.95)
अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(2,719.76)**	1,672.88
अन्य गैर–वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(55.20)**	(55.41)
अन्य वर्तमान आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**40.09**	109.84
देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	**(1,104.12)**	(820.97)
	(2,505.01)	**434.03**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**31,498.65**	**33,307.34**
प्रत्यक्ष कर का भुगतान	**(2,186.50)**	(2,568.71)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	**29,312.15**	**30,738.63**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य प्रगति पर (पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम सहित)	**(9,363.55)**	(11,367.12)
अनुदान की प्राप्ति	**8.13**	233.94
सहायक कंपनी का अधिग्रहण, अर्जित नकद का निवल	**(308.39)**	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	**(33.00)**	(100.17)
अन्य कंपनियों में निवेश में (वृद्धि)ध्कमी	**-**	(18.40)
संयुक्त उद्यमों को ऋण और अग्रिम (चुकौती सहित)	**47.83**	(12.40)
पट्टा प्राप्तियां राशि	**(259.16)**	(13.82)
संयुक्त उद्यमों को जमा राशि, बांड और ऋण पर ब्याज आय	**74.98**	160.96
अधिभार प्राप्य	**744.06**	308.76
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश	**107.15**	69.41
अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	**9.00**	5.35
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**(8,972.95)**	**(10,733.49)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
उधार से आय		
गैर वर्तमान	**7,840.14**	10,325.96
वर्तमान	**11,750.00**	18,020.00
उधार की चुकौती		
गैर वर्तमान	**(11,260.10)**	(10,765.64)
वर्तमान	**(12,950.00)**	(19,320.00)
दीर्घावधि ऋणों के उचित मूल्यांकन के लिए समायोजन	**40.93**	12.80
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)	**(6.32)**	(4.82)
वित्तीय लागत भुगतान	**(9,113.71)**	(11,730.14)
लाभांश भुगतान	**(6,821.99)**	(4,425.92)
लाभांश कर भुगतान	**-**	(918.08)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(20,521.05)**	**(18,805.84)**
घ. नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि (क़ख़ग)	**(181.85)**	1,199.30
ड.. नकद और नकद समकक्ष (प्रारम्भिक शेष राशि)	**4,849.59**	3,650.29
घटाएंः बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नकद और नकद समकक्ष	**(180.51)**	-
च. नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष) (टिप्पणी संख्या 15 देखें)*	**4,487.23**	**4,849.59**

संलग्न नोट (1 से 69) वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

*नामित खातों में धारित ₹ 3122.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4668.32 करोड़) शामिल हैं जो कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

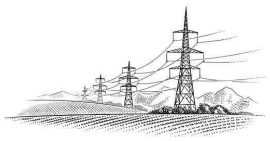

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (जारी)

भावी टिप्पणियां:

1. नकद और नकद समकक्ष में चेक, ड्राफ्ट, उपलब्ध स्टाम्प, बैंकों के पास शेष राशि और तीन महीने तक की मूल परिपक्वता के साथ जमा शामिल हैं।
2. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन पत्र में उद्घाटन और समापन संतुलन के बीच समंजस्य।

(₹ करोड़ में)

विवरण	गैर–वर्तमान उधार	वर्तमान उधार
1 अप्रैल, 2020 तक प्रारंभिक शेष राशि	**148,544.13**	**3,000.00**
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(12,075.71)	(1,200.00)
गैर–नकद परिवर्तन के कारणरू		
– उधार पर ब्याज	8,657.71	
– विनिमय दरों में बदलाव	(655.21)	
– उचित मूल्य समायोजन	40.93	
31 मार्च, 2021 को अंतिम शेष राशि	**144,511.85**	**1,800.00**

(₹ in crore)

विवरण	गैर–वर्तमान उधार	वर्तमान उधार
1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक शेष राशि	**145,452.36**	**4,300.00**
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(10,315.92)	(1,300.00)
गैर–नकद परिवर्तन के कारणरू		
– उधार पर ब्याज	9,774.73	
– विनिमय दरों में भिन्नता	3,620.16	
– उचित मूल्य समायोजन	12.80	
31 मार्च, 2020 को अंतिम शेष राशि	**148,544.13**	**3,000.00**

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रम**	**के श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड सीओ एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 006711एन/एन500028	फर्म सं.: 004453एस	फर्म सं.: 301011ई/ई300025	फर्म सं.: 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी शिवरामकृष्ण प्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. 057986	सदस्य सं. 024860	सदस्य सं. 064305	सदस्य सं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

1. कंपनी सूचना

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (श्कंपनीश्) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है और इसके शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर –29, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है।

कंपनी को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह मुख्य रूप से इंटर–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस), दूरसंचार और परामर्श सेवाओं की योजना, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में लगी हुई है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को 17 जून, 2021 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू की गई हैं। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में कंपनी के हित से मिलकर बने होते हैं।

2.1 तैयारी का आधार

i) इंड–एएस का अनुपालन

समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133, अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान, प्रत्येक मामले में, लागू सीमा तक और उसके बाद संशोधित, के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

ii) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर और ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया हैरू

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय आस्तियां और देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखा नीति के लिए टिप्पणी संख्या 2.14 देखें),
- परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई आस्तियों की योजना।

iii) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ और उसके दशमलव के दो स्थान तक पूर्णांकित किया जाता है, अन्यथा, जैसा कहा गया।

iv) अनुमानों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आस्ति, देयताओं, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। हालांकि, इस तरह के अनुमान और मान्यता सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाए गए हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में प्रभाव डालता है यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य दोनों वर्षों को प्रभावित करता है (महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, धारणा और निर्णय पर टिप्पणी संख्या 3 देखें)।

v) वर्तमान और गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में आस्ति और देयताओं को प्रस्तुत करती है।

एक संपत्ति वर्तमान होती है जबः

- सामान्य प्रचालन चक्र में वसूल किया जाने या बेचने या उपभोग करने की उम्मीद है;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूल किए जाने की उम्मीद; या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी आस्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता वर्तमान होता है जबः

- इसके सामान्य संचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है;

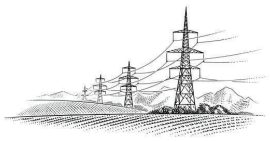

- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाया जाना है; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियोंध्देयताओं को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी बारह महीने की अवधि को अपने प्रचालन चक्र के रूप में मान्यता देती है।

2.2 समेकन और इक्विटी लेखांकन का सिद्धांत

सहायक संस्थाएं है

सहायक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी एक इकाई को नियंत्रित करता है जब कंपनी इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के संपर्क में आता है, या अधिकार रखता है और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियों को उस तारीख से पूरी तरह से समेकित कर दिया जाता है जिस दिन से कंपनी को नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से वे विघटित हो जाते हैं।

लेखांकन की अधिग्रहण पद्धति का उपयोग कंपनी द्वारा व्यवसाय संयोजन के लिए किया जाता है।

कंपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को एक साथ जोड़ती है जैसे आस्ति, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की मदें। कंपनियों के बीच लेनदेन पर अंतर कंपनी लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो जाते हैं। अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित आस्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखा नीतियों को बदल दिया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 110 – श्समेकित वित्तीय विवरणश और भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 28 – श्एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेशश के अनुसार तैयार किए गए हैं।

संयुक्त व्यवस्थाएं

इंड एएस 111 संयुक्त व्यवस्था के तहत, संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकार और दायित्वों पर निर्भर करता है। कंपनी के पास केवल संयुक्त उद्यम हैं।

संयुक्त उद्यम

समेकित तुलन पत्र में लागत पर प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के बाद, संयुक्त उद्यमों में ब्याज को इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद लाभ और हानि के विवरण में निवेश कंपनी के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि के कंपनी के हिस्से और अन्य व्यापक आय के कंपनी के हिस्से को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश को निवेश की अग्रणीत राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब इक्विटी पद्धति के तहत दर्ज किए गए निवेश में कंपनी के नुकसान का हिस्सा किसी अन्य अप्रतिभूत दीर्घकालिक प्राप्य सहित, इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो, तो कंपनी आगे के नुकसान को मान्यता नहीं देती है, जब तक कि उसने दायित्वों को पूरा नहीं किया हो या उसकी ओर से भुगतान नहीं किया हो।

कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ को इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित आस्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। जहां आवश्यक हो, इक्विटी में निवेश प्राप्तकर्ताओं की लेखांकन नीतियों को बदल दिया गया है।

समेकन में सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

स्वामित्व हितों में परिवर्तन

जब कंपनी नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण के नुकसान के कारण इक्विटी पद्धति के तहत निवेश के लिए समेकित या खाते के लिए बंद हो जाता है, तो लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ इकाई में बनाए रखा ब्याज को उसके उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। उचित मूल्य एक सहयोगी या वित्तीय आस्ति के रूप में प्रतिधारित ब्याज के बाद के लेखांकन के उद्देश्य के लिए प्रारंभिक अग्रण गीत राशि बन जाता है।

लेखांकन नीतियों और उसके प्रभाव में अंतरः

कुछ मदों के लिए कंपनी और संयुक्त उद्यम संस्थाओं ने विभिन्न लेखा नीतियों का पालन किया है। हालांकि, इसका प्रभाव भौतिक नहीं है।

2.3 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

कंपनी ने इंड–एएस 101 के अनुसार "भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने" के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार (1 अप्रैल, 2015) में बदलाव की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना था।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में अधिग्रहणधनिर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें किसी भी लागत को सीधे शामिल किया जाता है, जो आस्ति को प्रबंधन के उद्देश्य से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति के लिए आस्ति लाने में सक्षम है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कम संचित मूल्यह्रास ६ परिशोधन और संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

मौजूदा आस्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है और इसके उपयोग की गई आस्ति को हटा दिया जाता है ६ सक्रिय रूप से हटा दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित भाग या पूर्व निरीक्षण घटक की लागत उपलब्ध नहीं है, तो इसी तरह के नए भागों ६ निरीक्षण घटक की अनुमानित लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में किया जाता है कि मौजूदा भाग ६ निरीक्षण घटक की लागत क्या थी जब वस्तु का अधिग्रहण किया गया था या निरीक्षण किया गया था।

कमीशन प्राप्त आस्तियों, जमा कार्यों्धलागत–प्लस संविदाओं के मामले में जहां संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान किया जाना बाकी है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

एक से अधिक पारेषण प्रणाली के लिए सामान्य आस्तियों और प्रणालियों को तकनीकी अनुमानों्ध्आकलन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

पारेषण प्रणाली आस्तियों को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है। तथापि, सहायक कंपनियों के मामले में, पारेषण सेवा करार (टीएसए) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद पारेषण प्रणाली आस्तियों को इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में अनंतिम जमा, मुआवजे के लिए भुगतानध्देयता, पुनर्वास और भूमि के कब्जे वाले अन्य व्यय शामिल हैं।

संबंधित भवनों की लागत के हिस्से के रूप में भूमि के समतलीकरण, समाशोधन और ग्रेडिंग पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स जिनकी लागत ₹ 5,00,000/– और उससे अधिक है, एकल उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, पूंजीकृत हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे तौर पर नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी को अपनी अन्य आस्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके बाद की लागत

बाद के व्यय को आस्तियों की वहन राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना होती है कि भविष्य में होने वाली लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के हिस्से को बदलने की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के भीतर शामिल हो जाएंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

मान्यता रद्द करना (डीरिकोग्नाइजेशन)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की मान्यता रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा आस्ति की कैरिंग राशि को इसके निपटान या निवृत्ति की तिथि पर इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 पूंजीगत कार्य में प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण के लिए सामग्री की लागत, निर्माण शुल्क और अन्य खर्चों को पूंजीकरण की तारीख तक निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया है।

कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजनाओं के व्यय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार हैं और संबंधित आस्तियों की लागत के लिए व्यवस्थित आधार पर पहचाने और आबंटित किए जाते हैं।

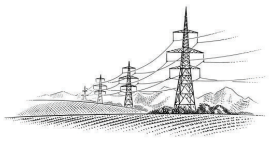

निर्माण और व्यय (निवल) के दौरान और उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण के लिए आबंटित ब्याज को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के समापन शेष के अनुपात में पूंजीकृत आस्तियों के लिए विभाजित किया जाता है।

संविदाकारों से प्राप्त विवरण या पूर्ण किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर जमा कार्यध्लागत– सहित संविदाओं का हिसाब किया जाता है।

संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा के मामले में मूल्य भिन्नताधविनिमय दर भिन्नता के लिए अनसुलझे देयता का हिसाब अनुमानित आधार पर किया जाता है।

2.5 अमूर्त आस्तियां और विकास के तहत अमूर्त आस्तियां

कंपनी ने इंड–एएस 101 के अनुसार "भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने" के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार (1 अप्रैल, 2015) में बदलाव की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना था।

अमूर्त आस्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त आस्ति को किसी भी संचित परिशोधन तथा संचित हानि नुकसान को घटाकर लागत पर किया जाता है।

जब मौजूदा संपत्ति में शामिल भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है तो पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है और संभावित रूप से परिशोधित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है) आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित की गई है और जिसके परिणामस्वरूप भविष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों को एक अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

पारेषण लाइनों को बिछाने के लिए मार्ग अधिकार प्राप्त करने के लिए वनीकरण प्रभारों को संबंधित पारेषण लाइनों के पूंजीकरण की तिथि पर अमूर्त आस्ति के रूप में है।

अमूर्त आस्तियों के मद में पूंजीकरण के लिए पात्र व्यय को षविकासाधीन अमूर्त आस्तियोंष के रूप में तब तक रखा जाता है जब तक कि ऐसी आस्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

अनुसंधान पर होने वाले व्यय को व्यय होने पर मान्यता दी जाती है।

विकास गतिविधियों पर व्यय को अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह इंड एएस के अनुसार 38 श्अमूर्त संपत्तिश के रूप में पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, अन्यथा इसे एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

अमूर्त आस्ति की एक वस्तु को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। एक अमूर्त आस्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा जब आस्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है तो उसकी लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

2.6 निवेश आस्ति

कंपनी ने इंड–एएस 101 के अनुसार "भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने" के अनुसार पिछले जीएएपी के अनुसार (1 अप्रैल, 2015) में बदलाव की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य पर विचार करने का विकल्प चुना था।

निवेश की आस्ति में भूमि औरध्या भवनों के हिस्से शामिल हैं जो लंबी अवधि के किराए की रकम औरध्या पूंजी वृद्धि के लिए रखे जाते हैं।

निवेश आस्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश आस्ति को कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

निवेश आस्ति में या उसके लिए स्थानांतरण तब किया जाता है जब उपयोग में कोई परिवर्तन होता है यानी निवेश आस्ति एक आस्ति की परिभाषा को पूरा करती है या नहीं करती है और उपयोग में परिवर्तन का साक्ष्य होता है।

निवेश आस्तियों को या तो तब मान्यता दी जाती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब वे स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले ली जाती है तथा उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। निवल निपटान आय और आस्ति की वहन राशि के बीच के अंतर को गैर–मान्यता की अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.7 मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण

प्रशुल्क की वसूली के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद पारेषण लाइन से संबंधित उपकरणों की वस्तुओं पर मूल्यह्रासध्परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है तथा निम्नलिखित पैराग्राफ में निर्दिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार, दूरसंचार, परामर्श व्यवसाय की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

1 अप्रैल, 2014 से पहले कमीशन की गई यूएलडीसी आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति / 6.67 प्रतिशत प्रति वर्ष पर किया जाता है। 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद कमीशन की गई ऐसी आस्तियों को प्रशुल्क की वसूली के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रण ाली का पालन करते हुए सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास दिया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको), नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मामले में 1 अप्रैल, 1992 से जम्मू और कश्मीर लाइंस 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) 1 अगस्त, 1993 से प्रभावी है, जिनमें मूल्यह्रास सकल ब्लॉक के आधार पर चार्ज किया जाता है, जैसा कि आवश्यक समायोजन रूप से अंतरण की बहियों में संकेत किया गया ताकि प्रशुल्क के लिए सीईआरसी अधिसूचना में निर्धारित आस्तियों का जीवन बना रहे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट के अनुसार निवेश आस्ति के रूप में धारित भवनों पर मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, पारेषण व्यवसाय की संबंधित उपयोगी आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन में उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, पूंजीकृत किए गए पुर्जों, अतिरिक्त उपकरण और सर्विसिंग उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्ध ति पर प्रदान किया जाता है।

तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की निम्नलिखित मदों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

विवरण	**उपयोगी जीवन**
क. कम्प्युटर और परिधीय	3 वर्ष
ख. सर्वर और नेटवर्क घटक	5 वर्ष
ग. टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित सहायक कंपनियों की पीपीई	
भवन	35 वर्ष
पारेषण लाइन	35 वर्ष
सब–स्टेशन उपकरण	35 वर्ष

उपरोक्त संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

खरीद के वर्ष में मोबाइल फोन का शुल्क लिया जाता है।

₹ 5,000/– या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गए हैं।

जहां विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कर्तव्यों में परिवर्तन या इसी तरह के कारकों के कारण लंबी अवधि की मौद्रिक वस्तुओं में वृद्धि ध कमी के कारण मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में बदलाव आया है, ऐसी आस्तियों को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के आधार पर संभावित रूप से मूल्यह्रास किया जाता है, दूरसंचार और परामर्श व्यवसाय आस्तियों को छोड़कर, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन के आधार पर अवशिष्ट जीवन का निध ार्रण किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से जोड़ध्कटौती पर मूल्यह्रास उस तारीख सेध्उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है जिस पर आस्ति उपयोगधनिपटान के लिए उपलब्ध होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वस्तुओं के लिए अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों, पारेषण व्यवसाय से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों के अलावा की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

आस्तियों के उपयोग का अधिकारः

उपयोग की आस्ति पूरी तरह से पट्टा अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टा प्रारंभ तिथि से पूरी तरह ह्रासमान है।

लीजहोल्ड भूमि को पट्टा अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन, जो भी कम हो, लागू पद्धति के अनुसार पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष, जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

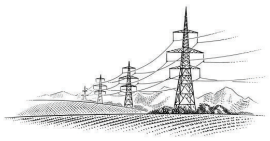

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) प्रशुल्क विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सहायक कंपनियों से संबंधित अन्य वनीकरण शुल्क संबंधित ट्रांसमिशन आस्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्षों में परिशोधित किए जाते हैं।

टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सहायक कंपनियों से संबंधित वनीकरण शुल्क शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ सीधी रेखा पद्धति का पालन करते हुए संबंधित ट्रांसमिशन आस्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

दूरसंचार लाइसेंसों को उनके संबंधित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1200केवी पारेषण प्रणाली के विकास पर व्यय 10 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अमूर्त आस्तियों में वृद्धिध्कटौती पर परिशोधन उस तारीख सेध्उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है जिस पर आस्ति उपयोगधनिपटान के लिए उपलब्ध होती है।

परिशोधन अवधि और अमूर्त आस्ति के लिए परिशोधन पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और भारतीय लेखा मानक 8 ष्लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तनष् के अनुसार लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

2.8 उधार लेने की लागत

सभी उधार ली गई निधियां (कार्यशील पूंजी के लिए अल्पावधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाती हैं। उध ाार लेने की लागत (बांड जारी करने के व्यय, ब्याज, बांड पर छूट, फ्रंट एंड शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क आदि सहित) परियोजनाओं को आबंटित धन के अनुपात में आबंटित की जाती है।

विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है जिसे उधार लेने की लागत के रूप में माना जाता है।

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के कारण सीधे उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है (निधि के अस्थायी परिनियोजन पर आय का निवल) ऐसी आस्तियों की लागत के हिस्से के रूप में किया जाता है जब तक कि आस्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती हैं। अर्हक आस्तियां ऐसी आस्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

2.9 गैर–वित्तीय आस्तियों की हानि

कंपनी की गैर–वित्तीय आस्तियों की अग्रणीत राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंड–एएस 36 श्आस्तियों की क्षतिश के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

एक आस्ति या नकद–उत्पादक इकाई की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य के निपटान के लिए कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और आस्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान है समायोजित नहीं किया गया है। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, जिन आस्तियों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन्हें आस्तियों के सबसे छोटे कंपनी में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो अन्य आस्तियों या आस्ति के समूहों के नकदी प्रवाह से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र होते हैं (ष्नकद–उत्पादकष् इकाईष्, या ष्सीजीयूष्)।

यदि किसी आस्ति या उसके सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो एक हानि को मान्यता दी जाती है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। सीजीयू के संबंध में मान्यता प्राप्त हानियों को सीजीयू की आस्तियों की वहन राशि से घटाया जाता है।

पूर्व अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी भी संकेत के लिए किया जाता है ताकि नुकसान कम हो या अब मौजूद न हो। यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि का नुकसान हो सकता है। एक क्षति की हानि केवल उस सीमा तक विपरीत है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल होता है, आस्ति की अग्रणीत राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती है, यदि कोई हानि नुकसान को मान्यता नहीं दी गई थी।

2.10 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में और बैंक में नकद शामिल होती हैं और अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले बैंकों के पास जमा की जाने वाली राशि जो नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय होती है और मूल्य में परिवर्तन के एक छोटे जोखिम के अधीन होती हैं।

2.11 माल सूचियां

भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर मालसूची का मूल्य कम होता है।

स्टील स्क्रैप और कंडक्टर स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य या बही वैल्यू, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले स्पेयर पार्ट्स, जिनकी लागत 5,00,000ध– से कम है, को मालसूची के रूप में दर्ज किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा निर्धारित अधिशेष सामग्री को इच्छित उपयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित, अनुपयोगी और अधिशेष स्टोर और पुर्जों के मूल्य में कमी का पता समीक्षा के बाद लगाया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

2.12 पट्टा

पट्टा एक संविदा है जो प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई संविदा किसी पहचान की गई आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्यारू (प) संविदा में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है, (पप) ग्राहक के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से आस्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं। (पपप) ग्राहक को आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

i) एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे के शुरू होने की तिथि पर, कंपनी उपयोग के अधिकार की आस्ति (आरओयू) और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक समान पट्टा देयता को स्वीकार करती है, जिसमें वह पट्टेदार होती है, केवल बारह महीने या उससे कम की अवधि के पट्टे को छोड़कर (यानी अल्पकालिक पट्टे) और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य की है। इन अल्पकालिक और पट्टों के लिए जिनके लिए अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य की है, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी–रेखा के आधार पर पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि की समाप्ति से पहले पट्टा को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू आस्तियां और पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार की आस्ति को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाली दायित्वों के साथ या पट्टे की स्थापना तिथि से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होती है तथा पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की आस्ति को किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 लागू करती है कि क्या आरओयू आस्ति खराब है और ष्ौर–वित्तीय संपत्तियों की हानिष् पर लेखांकन नीति 2.9 में वर्णित किसी भी पहचान हानि नुकसान के लिए जिम्मेदार है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं।

पट्टा देयता पर ब्याज लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है, जब तक कि ष्उधार लागतष् पर लेखांकन नीति 2.8 के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो।

पट्टा देयता और आरओयू आस्ति को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) एक ऋणदाता के रूप में

एक पट्टे को स्थापना की तारीख में वित्त पट्टे या एक प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्त पट्टे

एक ऐसा पट्टा जो एक आस्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और रिवार्डों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

राज्य क्षेत्र एकीकृत लोड डिस्पैच सेंटर (यूएलडीसी)ध्फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एसेट्स (एफओसी)ध्द्विपक्षीय लाइन आस्तियां जो लाभार्थियों को पट्टे पर दी गई हैं, उन्हें वित्त पट्टा माना जाता है। ऐसी पट्टे पर दी गई आस्तियों में निवल निवेश को पट्टे पर दी गई आस्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है और बाद के वर्षों में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य को वर्तमान और गैर–वर्तमान अन्य वित्तीय आस्तियों के तहत पट्टा प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए

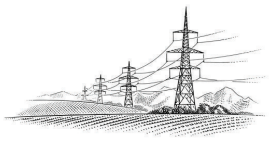

सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ऐसे अनुदान के निवल के लिए प्राप्य पट्टे का हिसाब रखा जाता है।

पट्टे के ब्याज तत्व को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क के अनुसार निवल निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न के आधार पर पट्टा अवधि में लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर एफईआरवी को पट्टा प्राप्तियों की राशि में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। घटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधन राशि को निवल मान्यता प्राप्त है।

ख) प्रचालन पट्टे

एक प्रचालन पट्टा एक वित्त पट्टे के अलावा एक पट्टा है। जिन पट्टों में स्वामित्व के जोखिमों और रिवार्डों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पट्टेदार द्वारा रखा जाता है, उन्हें प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के लिए, आस्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है। प्रचालन पट्टे से किराये की आय को व्यवस्था की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.13 कर्मचारी लाभ

2.13.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना एक–रोजगार पश्चात लाभ योजना है, जिसके तहत एक इकाई अलग–अलग संस्थाओं (निधियों) में निश्चित योगदान का भुगतान करती है तथा यदि निधि वर्तमान और पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारियों के लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आस्ति नहीं है तो आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। कंपनी का दायित्व मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत से अधिक राशि तक ट्रस्ट में योगदान करना है, जिसमें भविष्य निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविध ा (पीआरएमएफ) या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता का योगदान शामिल है। वर्ष के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है।

2.13.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक रोजगार के बाद की लाभ योजना है। उपदान, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर में निपटान के लिए सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति पर लंबी सेवा पुरस्कार और भविष्य निधि योगदान पर ब्याज देयता की सीमा तक कंपनी की देयता, परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में हैं।

कंपनी द्वारा उपदान को वित्त पोषित किया जाता है और इसे अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति या पत्नी को कंपनी के सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो धन को अनुमत प्रतिभूतियों में ध ान की निवेश करती है। वर्ष के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिए जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है और भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है।

कंपनी के पास सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए गृहनगर में बसने के व्यय के लिए सामान भत्ते के भुगतान और सेवानिवृत्ति पर कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को लंबी सेवा पुरस्कार प्रदान करने की योजनाएं हैं।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की हैय उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना संपत्ति के उचित मूल्य में कटौती की जाती है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती है और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक योग्य बीमांकक द्वारा सालाना गणना की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी का लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त संपत्ति किसी भी गैर–मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत और योजना से किसी भी भविष्य के रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है या भविष्य के योगदान में कटौती से होती है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ मिलता है यदि यह योजना के जीवनकाल के दौरान, या योजना की देयताओं के निपटान के दौरान साकार होती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को ओसीआई में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और बाद में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होते हैं।

जब किसी योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में औसत अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते। इस हद तक कि लाभ तुरंत निहित हो जाते हैं, लाभ और हानि के विवरण में व्यय को तुरंत मान्यता दी जाती है।

2.13.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी का अवकाश नकदीकरण और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

कंपनी का निवल दायित्व अवकाश नकदीकरण के संबंध में भविष्य के लाभ की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित किया हैय उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। किसी भी बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

कंपनी की कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के अनुसार, जो वैकल्पिक है, किसी कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, आश्रित (ओं) या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, अंतिम भविष्य निधि और उपदान राशि जमा करने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि तक कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन जो ब्याज मुक्त होगा, के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है।

2.13.4 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को छूटरहित आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवा प्रदान किए जाने के बाद इसे व्यय कर दिया जाता है।

निष्पादन संबंधी वेतन के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है।

2.14 वित्तीय प्रपत्र

एक वित्तीय साधन एक संविदा है जो एक इकाई की वित्तीय आस्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय आस्ति

वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैरू

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता हैरू
- वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई का व्यवसाय मॉडल और
- वित्तीय आस्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएँ।

प्रारंभिक मान्यता और मापन

लाभ या हानि, लेनदेन लागत, यदि कोई हो, जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, तो इसके माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

इसके बाद माप

अमूर्त लागत पर ऋण लिखतरू ऐसी आस्तियां जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलध ान के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्याज को परिशोधन लागत पर मापा जाता है। एक ऋण निवेश पर एक लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब आस्ति की मान्यता समाप्त या हानि होती है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीओसीआई)रू संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय आस्तियों की बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां, जहां आस्तियों का नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर मापा जाता है। आस्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज

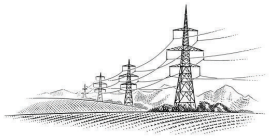

दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश

इंड एएस 109 शवित्तीय लिखतोंश के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी, प्रारंभिक मान्यता पर, साधन के आधार पर अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभांश को छोड़कर लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ या हानि की राशि का पुनरावर्तन नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है

वित्तीय आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

i) आस्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या

ii) क) कंपनी ने वित्तीय आस्ति (या) से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या वित्तीय आस्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखती है, लेकिन एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है और

ख) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है (या) कंपनी ने आस्ति के सभी जोखिमों और रिवार्ड को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि आस्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वहन राशि और प्राप्तध्प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

वित्तीय आस्तियों की हानिः

व्यापार प्राप्य और बिलरहित राजस्व के लिए, कंपनी इंड एएस 109 वित्तीय साधनों द्वारा आवश्यक सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके लिए प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय आस्तियों और जोखिम पर हानि नुकसान की मान्यता के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के साथ क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो 12–महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12–महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देने के लिए वापस आ जाती है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य संस्थान को नकद या अन्य वित्तीय आस्ति वितरित करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान–प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाने पर घटाकर मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय देयताओं के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है, जो वित्तीय देयताओं के निर्गत के लिए सीधे जिम्मेदार है।

इसके बाद माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागत का निवल) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। जब देयताओं को अमान्य कर दिया जाता है तो लाभ और हानि के विवरण में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय दायित्व की अमान्यता

एक वित्तीय दायित्व को तब अमान्य कर दिया जाता है जब देयता के तहत देयता का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के एक विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। एक वित्तीय देयता की वहन राशि के बीच का अंतर जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित कर दिया गया है और किसी भी

गैर–नकद संपत्ति को हस्तांतरित या ग्रहण की गई देयताओं सहित भुगतान पर विचार किया गया है, को अन्य आय या वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और निवल राशि को तुलनपत्र में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और आस्तियों की वसूली करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का आशय होता है।

2.15 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

(क) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी संचालित होती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

(ख) लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन शुरू में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं का रूपांतरण तुलन पत्र की तिथि पर विनिमय की दरों के संदर्भ में किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक वस्तुओं की सूचना गैर–मौद्रिक पूर्व भुगतान आस्ति या आस्थगित आय दायित्व की प्रारंभिक मान्यता की तारीख पर या वित्तीय विवरणों में संबंधित मद को मान्यता दिए जाने की तारीख, जो भी पहले हो, पर विनिमय दर निर्णय पर दी जाती है। यदि लेन–देन को चरणों में मान्यता दी जाती है, तो प्रत्येक चरण के लिए लेनदेन की तारीख तय की जाती है।

विदेशी मुद्रा लाभ और हानि (बकाया विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित के अलावा) अन्य लाभध्(हानि) के भीतर निवल आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किए जाते हैं।

कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को बकाया लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए इंड एएस 101 में उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋणः

विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणध् पूंजीगत कार्य– प्रगति पर से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटानध्रूपांतरण पर उत्पन्न होती है जो संबंधित आस्तियों की वहन लागत में समायोजित की जाती है और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के मानदंडों के अनुसार वास्तविक भुगतान पर लाभार्थियों से वसूली योग्यध्देय 1 अप्रैल, 2004 या वाणिज्यिक संचालन की तिथि से प्रभावी है। सीईआरसी मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य या देय सीमा से उपरोक्त एफईआरवी का हिसाब इस प्रकार हैरू

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को वहन करने के लिए समायोजित एफईआरवी वसूली योग्यध्देय के रूप श्विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव खाते से आयध्व्यय के लिए खाता क्रेडिट/डेबिट के साथ श्आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव आस्तिध्देयता खातेश के रूप में जिम्मेदार है।

ii) श्विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से आस्थगित आयध्व्ययश को उस अनुपात में परिशोधित किया जाता है जिसमें ऐसे एफईआरवी पर मूल्यह्रास शुल्क लगाया जाता है।

iii) सीईआरसी मानदंडों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूली योग्यध्देय राशि को श्आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव वाली आस्तिध्देयता खातेश में समायोजित किया जाता है, जिसमें व्यापार प्राप्तियों के लिए संबंधित डेबिटध्क्रेडिट शामिल है।

एफईआरवी को पूर्व लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया गया था और प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए पूंजीगत लागत में शामिल किया गया था, इसे श्आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव संपत्तिध्देयता खातेश के प्रति समायोजित किया गया है।

संपत्ति संयंत्र और उपकरणध्सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं (विदेशी मुद्रा ऋणों के अलावा) के निपटानध्रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले एफईआरवी को संबंधित आस्तियों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्यध्देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) के निपटानध्रूपांतरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले एफईआरवी को नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर मान्यता प्राप्त पारेषण प्रभारों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अंतरों को उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद आहरित विदेशी मुद्रा ऋणः

विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है, इसे उधार लागत के रूप में माना जाता है। अन्य विनिमय अंतर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार वसूली योग्य सीमा तक विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है।

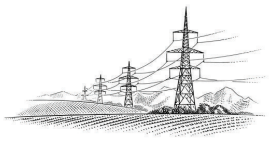

(ग) विदेशी कंपनी कंपनियां

विदेशी परिचालनों के परिणाम और वित्तीय स्थिति (जिनमें से कोई भी अति मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है) जिनकी कार्यात्मक मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न होती है, उन्हें प्रस्तुति मुद्रा में निम्नानुसार रूपांतरित किया जाता हैरू

i) उस तुलनपत्र की तारीख में आस्तियों और देयताओं का समापन दर पर रूपांतरण किया जाता है।

ii) आय और व्यय का औसत विनिमय दरों पर रूपांतरण किया जाता है (जब तक कि यह लेन–देन की तारीख पर प्रचलित दरों के संचयी प्रभाव का उचित अनुमान नहीं है, जिस स्थिति में आय और व्यय लेनदेन की तारीख में रूपांतरित होते हैं) और

iii) सभी विनिमय अंतर अन्य व्यापक आय में प्राप्त किए जाते हैं।

2.16 आयकर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि वह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

वर्तमान आयकर

वर्तमान कर उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि हेतु लागू होने वाले कर कानूनों के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है, जहां कंपनी कर योग्य आय तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में समायोजन करती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलनपत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसका हिसाब लगाया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके, जिसके प्रति उन कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो, जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर की उन दरों पर मापा जाता है, जिनके बारे में उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटारा किया गया है या आस्ति की वसूली होती है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित है जिन्हें तुलनपत्र द्वारा अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं को सहायक कंपनियों में निवेश की वहन राशि और निवेश के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां कंपनी अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण होने के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा।

आस्थगित कर आस्ति और देयताओं की भरपाई केवल तभी होती हैं यदि वर्तमान कर देयताओं और आस्तियों की भरपाई करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के प्रति सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी को तुलनपत्र में आस्थगित कर आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब आस्ति को मजबूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की वसूली होगी।

2.17 विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी विनियमों के तहत अनुमत कुछ व्यय और आय, जिन्हें भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती हैध्धारित की जाती है, को भारतीय लेखा मानक 114 शविनियामक आस्थगित खातेश के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए। सीईआरसी विनियमों के तहत प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूली योग्य ६ देय सीमा तक इस तरह के व्यय और आय को नियामक आस्थगित आस्ति ६ देयताओं के रूप में माना जाता है।

कंपनी निम्नलिखित के लिए तुलन–पत्र में अलग–अलग लाइन मद प्रस्तुत करती हैः

(क) सभी नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष राशि का योगय तथा

(ख) सभी नियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष राशि का योग।

रिपोर्टिंग अवधि के लिए सभी नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल आवागमन के लिए लाभ और हानि के विवरण के लाभ या हानि अनुभाग में एक अलग लाइन मद प्रस्तुत किया गया है।

नियामक आस्थगित खातों की शेष राशि को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय हो।

2.18 राजस्व

राजस्व को ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब वह किसी उत्पाद या सेवा पर नियंत्रण किसी ग्राहक को स्थानांतरित करता है।

महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक

जहां ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है, कंपनी संविदा में महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों का आकलन करती है। परिणामस्वरूप, कंपनी पैसे के समय मूल्य के प्रभावों के लिए लेनदेन की कीमतों में समायोजन करती है।

2.18.1 संचालन से राजस्व

पारेषण

पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम प्रशुल्क आदेशों को अधिसूचित किया जाना बाकी है, ऐसे मामलों में सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय को अनंतिम आधार पर हिसाब किया जाता है। अंतर, यदि कोई हो, तो सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी करने पर विचार किया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर किए गए व्यय पर आधारित है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है यानी बिलरहित राजस्व। हालांकि, सहायक कंपनियों के मामले में पारेषण शुल्क को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत सीईआरसी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर आय का हिसाब लगाया जाता है।

लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जाती है क्योंकि प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन राजस्व की राशि में से काट ली जाती है।

पारेषण प्रणाली प्रोत्साहनधनिरुत्साह का हिसाब संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण और सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार किया जाता है। जहां आरपीसी द्वारा प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी द्वारा उपलब्धता के अनुमान के अनुसार प्रोविजनल आधार पर प्रोत्साहन ६ निरुत्साह का हिसाब लगाया जाता है और अंतर, यदि कोई हो, को आरपीसी द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ऋण की चुकौती की सुविधा के लिए ब्लॉक अवधि 2004–09 तक प्रशुल्क का हिस्सा बनने वाले मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) को पारेषण आय से घटा दिया गया था और बाद के वर्षों में पारेषण आय में शामिल होने के लिए आस्थगित आय के रूप में माना गया था। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को पारेषण आय के रूप में मान्यता दी जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत से बारह वर्षों के बाद, जिसमें आस्ति को चालू किया गया था, वर्ष के दौरान प्रशुल्क में वसूले गए मूल्यह्रास की सीमा खातों में लगाए गए मूल्यह्रास से कम है।

दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार सेवाओं से आय, डाउनटाइम क्रेडिट के निवल, को ग्राहकों से समझौतोंध्खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है। उपयोग का अनिश्चित अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाले दीर्घकालिक संविदाओं के तहत अग्रिम रूप से प्राप्त अग्रिम शुल्क को संविदा की अवधि में राजस्व के आकलन के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

परामर्शदात्री सेवाएं

श्लागत से अधिक परामर्श संविदाश के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए कार्य के पूरा होने के चरण के अनुपात में मान्यता प्राप्त है, जो इनपुट पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य परामर्शी सेवाओं से होने वाली आय का हिसाब प्रदान की गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर किया जाता है।

2.18.2 अन्य आय

प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए, बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर, मापने योग्य या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होने पर ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

जब मापनीयता और संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है तो व्यापार प्राप्तियों से वसूली योग्य अधिभार, परिसमाप्त क्षतियों, वारंटी दावों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज को तब मान्यता दी जाती है।

सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार दीर्घावधि ओपन एक्सेस (एलटीओए) के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है।

स्टील स्क्रैप और कंडक्टर स्क्रैप के अलावा अन्य स्क्रैप को जब भी बेचा जाता है, उसका हिसाब रखा जाता है।

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार तय होने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

लाभ की हानि के लिए बीमा दावों का लेखा–जोखा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। अन्य बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आध ाार पर किया जाता है।

किराया और प्रचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को संबंधित समझौते के सार के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

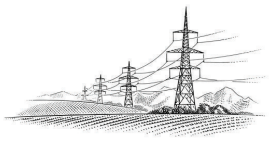

2.19 सरकारी अनुदान

परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी और विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों के लिए केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरण ों से सहायता अनुदान शुरू में आस्थगित आय के रूप में मानी जाती है जब इसका एक उचित आश्वासन मिलता है कि उनकी प्राप्ति होगी और कंपनी अनुदान के साथ जुड़ी हुई शर्तों का पालन करेगी। आस्थगित आय को संबंधित संपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसके अनुपात में इन आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। गैर–मौद्रिक सरकारी अनुदानों के मामले में, संपत्ति और अनुदान दोनों को नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है। कंपनी को होने वाले खर्चों की क्षतिपूर्ति करने वाले अनुदान को उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है जिसमें संबंधित लागतें व्यय की जाती हैं और संबंधित खर्चों में से कटौती की जाती है।

2.20 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर मान्यता दी जाती है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संबंधित कर को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.21 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तो प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को छूट दी जाती है। छूट की अनुपलब्ध ता को वित्तीय लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधनध्स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को प्रकट तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित बाध्यता होती है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व है कि पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां या तो यह संभावना नहीं है कि संसाधनों के बहिर्वाह को निपटाने की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में आकस्मिक देयता की जानकारी दी गई है।

आकस्मिक आस्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्ति को तब प्रकट किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है, इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

2.22 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नए शेयरों के निर्गम के कारण सीधे तौर पर वृद्धिशील लागतों को आय से कटौती, कर के निवल के रूप में इक्विटी में दिखाया गया है।

भविष्य के नुकसान को गैर–बीमित जोखिमों से कम करने के लिए टावरों की खरीद और टावरों और एसी सबस्टेशन के उपकरणों सहित अन्य ट्रांसमिशन लाइन सामग्री द्वारा भविष्य में आकस्मिकताओं का ध्यान रखने के लिए वर्तमान वर्ष के लाभ का विनोयोजन द्वारा स्व–बीमा रिजर्व / 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल सकल ब्लॉक और आरओयू आस्तियों और बीमा के तहत कवर की गई संपत्ति को छोड़कर जो वर्ष के अंत में बीमा के अंतर्गत आते हैं। बनाया गया रिजर्व श्अन्य इक्विटीश के तहत ष्स्व बीमा रिजर्वष् के रूप में दिखाया गया है।

2.23 पूर्व अवधि मद

वित्तीय अवधि के शुरुआती विवरण को बहाल करके प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके या पूर्व में त्रुटि होने पर, पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक करने के लिए सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक किया जाता है।

2.24 प्रचालन खंड

निदेशक मंडल कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्माताश या श्सीओडीएमश है, जिसका अर्थ इंड एएस 108 श्प्रचालन खंडश के रूप में है। सीओडीएम संसाधन आबंटन और निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। खंड के निष्पादन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है।

उत्पादोंध्सेवाओं की प्रकृति के आधार पर प्रचालन खंडों की पहचान की गई है।

- खंड राजस्व में बिक्री और अन्य आय शामिल है जो अंतर–खंड लेनदेन सहित खंड के साथ ध सीधे पहचान योग्य है।

- ऐसे व्यय जो सीधे तौर पर पहचाने जा सकते हैंध्खंडों के लिए आबंटित किए जा सकते हैं, खंड परिणाम निर्धारित करने के लिए उन पर विचार किया जाता है। व्यय जो समग्र रूप से कंपनी से संबंधित हैं और जो खंडों के लिए आबंटित नहीं हैं, उन्हें गैर–आबंटन योग्य व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- आय जो समग्र रूप से कंपनी से संबंधित है और खंडों के लिए आबंटित नहीं है, को गैर–आबंटन योग्य आय में शामिल किया गया है।
- खंड आस्तियों और देयताओं में वे शामिल हैं जिन्हें संबंधित खंडों से सीधे पहचाना जा सकता है। गैर–आबंटित आस्ति और देयताएं उन आस्तियों और देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कंपनी से संबंधित हैं और किसी भी खंड के लिए आबंटित नहीं हैं।
- खंड पूंजीगत व्यय, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और अमूर्त आस्ति के अधिग्रहण की अवधि के दौरान होने वाली कुल लागत है।

2.25 प्रति शेयर आय

शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ या हानि का उपयोग करके प्रति शेयर की गई तनुकृत आय की गणना की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी और संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को छोडकर, जहां परिणाम कमजोर पड़ने वाला होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय नियामक आस्थगित खाता शेष राशि में आवागमन को छोडकर आय राशियों का उपयोग करते हुए गणना की जाती है।

2.26 नकदी प्रवाह का बयान

इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' के रूप में नकद प्रवाह के विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

2.27 बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान आस्तियां (या निपटान कंपनी)

गैर–वर्तमान आस्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब आस्ति (या निपटान कंपनी) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी आस्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों और देनदारियों को उनकी वहन राशि के निचले स्तर पर मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत और तुलनपत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक हानि नुकसान को आस्ति (या निपटान कंपनी) के किसी भी प्रारंभिक या बाद के राइट–डाउन के लिए उचित मूल्य में कम लागत को बेचने के लिए पहचाना जाता है। किसी आस्ति (या निपटान कंपनी) को बेचने के लिए उचित मूल्य को कम लागत में बाद में किसी भी वृद्धि के लिए एक लाभ के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी हानि नुकसान से अधिक नहीं होती है। गैर–वर्तमान आस्ति (या निपटान कंपनी) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तिथि पर मान्यता दी जाती है।

जब कंपनी एक बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध होती है, जिसमें एक सहायक कंपनी के नियंत्रण का नुकसान होता है, तो उस सहायक कंपनी की सभी आस्ति और देयताओं को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब ऊपर वर्णित मानदंडों को पूरा किया जाता है, तब कंपनी एक गैर– बिक्री के बाद अपनी पूर्व सहायक कंपनी में हितों को नियंत्रित करती है।

2.28 व्यापार संयोजन

व्यापार संयोजनों को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यह वे तिथि है जिस पर नियंत्रण कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है। अधिग्रहण में हस्तांतरित प्रतिफल और अर्जित की गई मान्यता प्राप्त आस्ति और ग्रहण की गई देयताओं को उनकी अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। सद्भावना को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित निवल मान्यता प्राप्त आस्ति और ग्रहण की गई देयताओं पर हस्तांतरित प्रतिफल की अधिकता है। जहां अर्जित निवल मान्यता प्राप्त आस्ति और ग्रहण की गई देयताओं का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक हो जाता है, वहां निवल आस्ति और आकस्मिक देयताओं के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात, अतिरिक्त पूंजी रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लागत व्यय के रूप में व्यय की जाती है।

3. महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो वास्तविक परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करते समय प्रबंधन को भी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है जिनमें उच्च स्तर का निर्णय या जटिलता शामिल है, और उन वस्तुओं के बारे में जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना रखते है।

महत्वपूर्ण अनुमानों या निर्णयों वाले क्षेत्र हैंरू

राजस्व मान्यताः

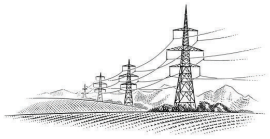

पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम प्रशुल्क आदेश अभी अधिसूचित किए जाने बाकी हैं, पारेषण आय का हिसाब प्रशुल्क विनियमों और सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार ऐसे ही मामलों में लगाए जाते है। अंतर, यदि कोई हो, सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी करने पर ध्यान दिया जाता है। वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बाद किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय का हिसाब सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए व्यय पर आधारित होता है।

विनियामक आस्थगन शेष राशियां:

विनियामक आस्थगन शेष की मान्यता में भविष्य के प्रशुल्क विनियमों सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं क्योंकि ये भविष्य में प्रशुल्क के माध्यम से वसूली योग्य ६ देय होने वाली राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

परिभाषित लाभ दायित्व का अनुमान:

परिभाषित लाभ दायित्व के आकलन में कुछ महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं शामिल हैं जो टिप्पणी सं. 66 में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और निर्णयों का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है। वे ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिनका कंपनी पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) और आवश्यक रखरखाव व्यय के स्तर सहित आस्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक शामिल है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में ट्रांसमिशन व्यवसाय की आस्तियों के अलावा संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है, जो सीईआरसी विनियमों द्वारा शासित होते हैं, और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किए जाते हैं।

प्रावधान और आकस्मिकताएं:

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड–एएस 37– श्प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तिश के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्व ारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित घटनाओं के बाद परिस्थितियों में बदलाव होना चाहिए, यह संभावना बदल सकती है।

कोविड–19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान:

व्यापार प्राप्य, बिलरहित राजस्व और निवेश की वसूली का आकलन करने में, कंपनी ने क्रेडिट रिपोर्ट और आर्थिक पूर्वानुमान सहित इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक आंतरिक और बाहरी जानकारी पर विचार किया है। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के राजस्व के बड़े हिस्से पर लागू विनियमित प्रशुल्क तंत्र और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, कंपनी इन आस्तियों की वहन राशि की वसूली की अपेक्षा करती है।

बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां:

इंड एएस 105 के तहत षबिक्री के लिए गैर–वर्तमान आस्तियां और बंद संचालनष बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान आस्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए आस्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

आय कर:

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की अपेक्षित राशि सहित वर्तमान और आस्थगित कर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी 4रू संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत						संचित मूल्यह्रास						निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री के लिए तैयार के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भूमि														
फ्रीहोल्ड	2,369.01	29.98	-	(6.71)	20.12	**2,385.58**	-	-	-	-	-	**-**	**2,385.58**	2,369.01
भवन														
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	1,686.08	618.40	-	(2.79)	18.87	**2,288.40**	218.99	70.41	-	(0.02)	2.16	**287.26**	**2,001.14**	1,467.09
ख) टाउनशिप	635.39	52.04	-	-	-	**687.43**	114.35	29.08	-	(0.05)	-	**143.48**	**543.95**	521.04
अस्थायी निर्माण	1.19	0.22	-	0.03	-	**1.38**	1.14	0.25	-	0.03	-	**1.36**	**0.02**	0.05
सड़कें और पुल	182.97	80.90	-	-	-	**263.87**	36.66	8.18	-	-	-	**44.84**	**219.03**	146.31
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	101.88	19.58	-	0.02	0.88	**120.56**	21.56	4.74	-	(0.21)	0.08	**26.43**	**94.13**	80.32
संयंत्र और उपकरण														
क) पारेषण	139,845.27	11,438.91	34.00	404.84	5,888.76	**144,956.58**	29,134.86	7,434.28	7.16	0.36	821.85	**35,739.77**	**109,216.81**	110,710.41
ख) सब–स्टेशन	76,202.08	8,339.56	78.02	37.75	1,014.90	**83,410.97**	15,204.03	4,392.14	69.11	(6.16)	135.60	**19,397.62**	**64,013.35**	60,998.05
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	1,142.64	245.11	-	(97.63)	3.01	**1,482.37**	275.97	78.50	-	(15.47)	0.43	**369.51**	**1,112.86**	866.67
घ) दूरसंचार	1,291.41	125.26	-	111.29	-	**1,305.38**	507.37	104.67	-	16.15	-	**595.89**	**709.49**	784.04
फर्नीचर और फिक्सचर	142.01	19.13	0.31	(0.16)	0.83	**160.16**	38.46	10.41	0.08	(0.38)	0.21	**48.96**	**111.20**	103.55
वाहन	2.78	1.06	0.46	(0.02)	-	**3.40**	1.19	0.16	0.09	(0.02)	-	**1.28**	**2.12**	1.59
कार्यालय उपकरण	228.35	19.27	0.47	0.37	0.18	**246.60**	55.57	15.44	0.21	(0.45)	0.07	**71.18**	**175.42**	172.78
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग मशीनें	165.29	85.35	6.83	0.15	0.07	**243.59**	100.27	43.09	4.34	0.44	0.06	**138.52**	**105.07**	65.02
निर्माण और कार्यशाला उपकरण	344.15	256.29	0.52	0.04	0.01	**599.87**	78.78	25.48	0.03	(0.10)	-	**104.33**	**495.54**	265.37
विद्युत स्थापना	145.16	10.00	-	0.32	0.27	**154.57**	31.65	6.35	-	(1.61)	0.07	**39.54**	**115.03**	113.51
प्रयोगशाला के उपकरण	80.91	1.96	0.33	(5.31)	-	**87.85**	16.93	4.20	0.25	(1.56)	-	**22.44**	**65.41**	63.98
कार्यशाला और परीक्षण उपकरण	292.45	34.17	-	(0.40)	1.05	**325.97**	40.14	16.74	-	(0.44)	0.04	**57.28**	**268.69**	252.31
विविध आस्ति/उपकरण	0.44	0.03	-	-	0.01	**0.46**	0.06	0.02	-	-	-	**0.08**	**0.38**	0.38
आस्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू)														
क) आरओयू आस्ति– भूमि	521.10	47.55	-	28.77	-	**539.88**	56.80	15.33	-	(0.01)	-	**72.14**	**467.74**	464.30
ख) आरओयू आस्ति– बिल्डिंग	9.51	7.33	3.03	0.26	-	**13.55**	3.76	5.46	2.97	0.26	-	**5.99**	**7.56**	5.75
ग) आरओयू आस्ति– संयंत्र एवं उपकरण – दूरसंचार	0.06	0.21	-	-	-	**0.27**	0.03	0.03	-	-	-	**0.06**	**0.21**	0.03
कुल	**225,390.13**	**21,432.31**	**123.97**	**470.82**	**6,948.96**	**239,278.69**	**45,938.57**	**12,264.96**	**84.24**	**(9.24)**	**960.57**	**57,167.96**	**182,110.73**	**179,451.56**
घटाएं: परित्यक्त आस्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	-	-	**1.74**	-		-	-	-	**-**	**1.74**	1.74
~~गहा योग~~	**~~225,388.39~~**	**~~21,432.31~~**	**~~123.97~~**	**~~470.82~~**	**~~6,948.96~~**	**~~239,276.95~~**	**~~45,938.57~~**	**~~12,264.96~~**	**~~84.24~~**	**~~(9.24)~~**	**~~960.57~~**	**~~57,167.96~~**	**~~182,108.99~~**	**~~179,449.82~~**

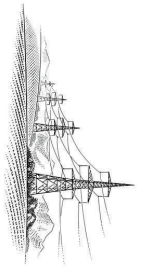

टिप्पणी 4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत						संचित मूल्यह्रास						निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री के लिए तैयार के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भूमि														
क) फ्रीहोल्ड	2,330.78		37.73	-	(0.50)	2,369.01	-		-	-	-	-	2,369.01	2,330.78
ख) लीजहोल्ड	491.28	(491.28)	-	-	-	-	43.24	(43.24)	-	-	-	-	-	448.04
भवन														
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	1,528.46		157.59	-	(0.03)	1,686.08	158.14		60.86	-	0.01	218.99	1,467.09	1,370.32
ख) टाउनशिप	587.80		49.20	-	1.61	635.39	87.67		26.68	-	-	114.35	521.04	500.13
अस्थायी निर्माण	1.02		0.16	-	(0.01)	1.19	0.95		0.18	-	(0.01)	1.14	0.05	0.07
सड़कें और पुल	172.67		8.93	-	(1.37)	182.97	29.15		7.44	-	(0.07)	36.66	146.31	143.52
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	99.28		2.56	-	(0.04)	101.88	17.22		4.34	-	-	21.56	80.32	82.06
संयंत्र और उपकरण														
क) पारेषण	129,913.92		8,696.79	14.44	(1,249.00)	139,845.27	21,743.47		7,395.55	3.71	0.45	29,134.86	110,710.41	108,170.45
ख) सब–स्टेशन	66,824.94		8,753.51	18.01	(641.64)	76,202.08	11,152.96		4,048.58	-	(2.49)	15,204.03	60,998.05	55,671.98
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	956.97		183.78	-	(1.89)	1,142.64	204.70		71.28	-	0.01	275.97	866.67	752.27
घ) दूरसंचार	1,117.92		160.23	0.40	(13.66)	1,291.41	401.07		106.20	0.22	(0.32)	507.37	784.04	716.85
फर्नीचर और फिक्सचर	131.56		10.84	0.20	0.19	142.01	29.07		9.49	0.08	0.02	38.46	103.55	102.49
वाहन	2.90		0.25	0.37	-	2.78	1.32		0.21	0.30	0.04	1.19	1.59	1.58
कार्यालय उपकरण	211.01		17.58	0.18	0.06	228.35	41.05		14.58	0.03	0.03	55.57	172.78	169.96
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग मशीनें	110.77		55.48	0.88	0.08	165.29	75.88		24.85	0.43	0.03	100.27	65.02	34.89
निर्माण और कार्यशाला उपकरण	298.17		46.75	-	0.77	344.15	59.63		19.07	-	(0.08)	78.78	265.37	238.54
विद्युत स्थापना	106.30		38.90	0.01	0.03	145.16	23.44		8.24	-	0.03	31.65	113.51	82.86
प्रयोगशाला के उपकरण	47.50		33.43	0.02	-	80.91	12.52		4.41	-	-	16.93	63.98	34.98
कार्यशाला और परीक्षण उपकरण	233.51		58.91	-	(0.03)	292.45	25.70		14.41	-	(0.03)	40.14	252.31	207.81
विविध आस्तिध्उपकरण	0.17		0.30	-	0.03	0.44	0.02		0.04	-	-	0.06	0.38	0.15
आस्ति उपयोग का अधिकार (आरओयू)														
क) आरओयू आस्ति– भूमि	-	503.27	15.50	-	(2.33)	521.10	-	43.24	13.60	-	0.04	56.80	464.30	-
ख) आरओयू आस्ति– बिल्डिंग	-	8.41	0.93	0.01	(0.18)	9.51	-		3.73	0.01	(0.04)	3.76	5.75	-
ग) आरओयू आस्ति– संयं= एवं उपकरण – दूरसंचार	-	0.05	0.15	-	0.14	0.06	-		0.06	-	0.03	0.03	0.03	-
कुल	**205,166.93**	**20.45**	**18,329.50**	**34.52**	**(1,907.77)**	**225,390.13**	**34,107.20**	**-**	**11,833.80**	**4.78**	**(2.35)**	**45,938.57**	**179,451.56**	**171,059.73**
घटाएं: परित्यक्त आस्तियों के लि, प्रावधान	1.74		-	-	-	1.74	-			-	-	-	1.74	1.74
महा योग	**205,165.19**	**20.45**	**18,329.50**	**34.52**	**(1,907.77)**	**225,388.39**	**34,107.20**	**-**	**11,833.80**	**4.78**	**(2.35)**	**45,938.57**	**179,449.82**	**171,057.99**

टिप्पणी 4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

भावी टिप्पणियां:

क) कंपनी के पास ₹ 2,945.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,890.11 करोड़) की राशि का 7714 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 7598 हेक्टेयर) का स्वामित्व है, जिसे ₹ 2,405.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,369.01 करोड़) और उपयोग का अधिकार – उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर लीजहोल्ड भूमि 1238 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1177 हेक्टेयर) ₹ 539.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 521.10 करोड़) राशि से उपरोक्त फ्रीहोल्ड भूमि में से 72.53 हेक्टेयर भूमि ₹ 20.12 करोड़ को बिक्री के लिए धारित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत फ्रीहोल्ड भूमि में 170.26 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 241.46 हेक्टेयर) की राशि ₹ 151.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 219.44 करोड़) शामिल है, जिसके संबंध में कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख लंबित है और 115.68 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 86.70 हेक्टेयर) कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में ₹ 113.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 54.34 करोड़) की राशि है, जिसके लिए केवल राजस्व अभिलेखों में नामांतरण लंबित है।

ग) i) जम्मू और कश्मीर राज्य में 113.88 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 113.88 हेक्टेयर) के क्षेत्र में आयोजित उपयोग के अधिकार दृ पट्टे की भूमि के रूप में वर्गीकर्ति भूमि ₹ 129.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 94.01 करोड़) की राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार अधिग्रहित की गई है। प्रचलित कानून के अनुसार राज्य सरकार अधिग्रहीत भूमि की मालिक बनी हुई है और इसलिए कंपनी द्वारा उसे जमीन पर विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही कब्जा दिया गया है।

ii) जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को कंपनी द्वारा 1.4.2015 से अपने कब्जे में ले लिया गया है। 01 अप्रैल 1993 को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से प्रभावी रूप से सहमत शर्तों पर कानूनी औपचारिकताओं के लंबित होने पर लिया है।

iii) उपयोग का अधिकार – लीजहोल्ड भूमि में 2.65 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2.65 हेक्टेयर) का क्षेत्र शामिल है, जो कंपनी द्वारा एनएचपीसी से अधिग्रहित चंबा (एचपी) में भूमि के संबंध में ₹ 12.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.36 करोड़) है, जिसके संबंध में कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

iv) उपयोग का अधिकार – उपरोक्त के अलावा अन्य भूमि में 139.10 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 171.86 हेक्टेयर) शामिल है, जिसकी राशि ₹ 139.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 217.32 करोड़) है। जिसके संबंध में पट्टा समझौतेध्कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

घ) उपयोग का अधिकार दृ लीजहोल्ड भूमि में 66.68 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 44.28 हेक्टेयर) का क्षेत्रफल शामिल है, जो कि कार्यालय परिसर और सबस्टेशन के लिए स्थायी पट्टे के आधार पर अधिग्रहित भूमि के संबंध में ₹ 48.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 48.87 करोड़) है और इसलिए इसे परिशोधित नहीं किया गया है।

ड.) टाउनशिप बिल्डिंग में मुंबई में 28 फ्लैटों (पिछले वर्ष 28 फ्लैट) के लिए ₹ 2.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.96 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में पंजीकरण लंबित है। उपरोक्त फ्लैटों में से 17 फ्लैटों पर मेसर्स पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का कब्जा है।

च) नेशनल हाइ पावर टेस्टिंग लैब प्रा. लिमिटेड को 5.63 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 5.63 हेक्टेयर), जिसका मूल्य ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) होने पर स्वामित्व प्रदान किए बिना उपयोग करने के अधिकार के लिए हस्तांतरित किया गया है।

छ) इंड एएस 116 – ष्पट्टाष् के अनुसार उपयोग के अधिकार पर आस्तियों के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं. 51 देखें।

ज) संपत्ति, संयंत्र और कंपनी द्वारा प्रतिभूत के रूप में गिरवी रखे गए उपकरणों की जानकारी के लिए टिप्पणी सं. 23 देखें।

प) संदर्भ नोट नं। 19ए बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों पर प्रकटीकरण के लिए।

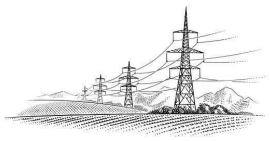

टिप्पणी 5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक
भूमि						
भूमि का विकास	0.18	42.13	-	35.18	-	**7.13**
भवन						
क) उप–स्टेशन और कार्यालय	95.67	41.03	(534.73)	596.43	-	**75.00**
ख) टाउनशिप	142.13	61.98	-	34.99	2.88	**166.24**
सड़कें और पुल	25.34	6.87	(73.99)	77.34	-	**28.86**
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	5.17	1.95	1.55	1.45	-	**4.12**
संयंत्र और उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	11,242.50	5,708.46	-	8,585.34	-	**8,365.62**
ख) सब–स्टेशन	12,341.32	3,787.88	630.57	7,253.69	3.72	**8,241.22**
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	370.65	170.56	47.10	239.25	-	**254.86**
घ) दूरसंचार	99.67	91.99	-	61.59	-	**130.07**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.99	0.50	0.05	2.24	-	**0.20**
विद्युत इन्स्टालेशन	2.61	2.78	2.02	0.73	-	**2.64**
निर्माण भंडार (प्रावधान का निवल)	6,728.26	4,320.95	6,761.18	-	-	**4,288.03**
व्यय लंबित आबंटन						
i) सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	6.16	1.72	0.17	5.08	-	**2.63**
ii) विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय में अंतर	79.03	(12.68)	1.60	28.29	-	**36.46**
iii) निर्माण अवधि (निवल) के दौरान व्यय (टिप्पणी 43)	3,765.99	1,448.55	(47.46)	2,183.02	-	**3,078.98**
	34,906.67	**15,674.67**	**6,788.06**	**19,104.62**	**6.60**	**24,682.06**
घटाएं: अनुपयोगी आस्तियों के लिए प्रावधान	2.26	-	-	-	-	**2.26**
कुल योग	**34,904.41**	**15,674.67**	**6,788.06**	**19,104.62**	**6.60**	**24,679.80**

टिप्पणी 5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
भूमि					
भूमि का विकास	6.44	5.48	-	11.74	**0.18**
भवन					
क) उप–स्टेशन और कार्यालय	98.15	63.37	2.13	63.72	**95.67**
ख) टाउनशिप	117.19	77.74	11.46	41.34	**142.13**
सड़कें और पुल	18.27	8.94	0.69	1.18	**25.34**
जल आपूर्ति ड्रेनेज और सीवरेज	3.54	1.85	-	0.22	**5.17**
संयंत्र और उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)					
क) ट्रांसमिशन	11,999.74	6,632.32	20.23	7,369.33	**11,242.50**
ख) सब–स्टेशन	10,210.84	10,002.25	(0.01)	7,871.78	**12,341.32**
ग) एकीकृत भार प्रेषण और संचार	478.34	145.78	-	253.47	**370.65**
घ) दूरसंचार	75.32	110.34	-	85.99	**99.67**
अन्य कार्यालय उपकरण	9.83	23.81	31.65	-	**1.99**
विद्युत इन्स्टालेशन	3.44	2.09	-	2.92	**2.61**
निर्माण भंडार (प्रावधान का निवल)	11,399.93	7,188.90	11,860.57	-	**6,728.26**
व्यय लंबित आबंटन					
i) सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	6.43	2.70	-	2.97	**6.16**
ii) विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय में अंतर	127.33	84.76	-	133.06	**79.03**
iii) निर्माण अवधि (निवल) के दौरान व्यय (टिप्पणी 43)	2,835.94	2,813.51	(82.43)	1,965.89	**3,765.99**
	37,390.73	**27,163.84**	**11,844.29**	**17,803.61**	**34,906.67**
घटाएं: अनुपयोगी आस्तियों के लिए प्रावधान	2.26	-	-	-	**2.26**
कुल योग	**37,388.47**	**27,163.84**	**11,844.29**	**17,803.61**	**34,904.41**

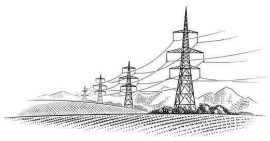

टिप्पणी 5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (जारी)

निर्माण भंडार का विवरण (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
निर्माण भंडार		
टावर्स	**642.71**	1,203.12
कंडक्टर	**1,128.88**	1,845.49
अन्य लाइन सामग्री	**275.24**	434.43
सब–स्टेशन उपकरण	**1,559.59**	1,788.77
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकरण	**328.86**	1,087.74
एकीकृत भार प्रेषण और संचार (यूएलडीसी) सामग्री	**232.95**	209.93
दूरसंचार सामग्री	**76.53**	80.75
अन्य	**43.27**	78.03
कुल	**4,288.03**	**6,728.26**
निर्माण भंडारण में शामिल हैं:		
i) पारगमन में सामग्री		
टावर्स	**27.95**	68.94
कंडक्टर	**19.32**	31.42
अन्य लाइन सामग्री	**2.39**	1.03
सब–स्टेशन उपकरण	**158.40**	170.61
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकरण	**34.78**	138.09
एकीकृत भार प्रेषण और संचार (यूएलडीसी) सामग्री	**0.86**	-
दूरसंचार सामग्री	**0.25**	-
अन्य	**0.70**	-
कुल	**244.65**	**410.09**
ii) संविदकरों के पास सामग्री		
टावर्स	**614.76**	1,134.18
कंडक्टर	**1,109.56**	1,814.07
अन्य लाइन सामग्री	**272.85**	433.40
सब–स्टेशन उपकरण	**1,401.19**	1,618.16
उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकरण	**294.08**	949.65
एकीकृत भार प्रेषण और संचार (यूएलडीसी) सामग्री	**232.09**	209.93
दूरसंचार सामग्री	**76.28**	80.75
अन्य	**42.57**	78.03
कुल	**4,043.38**	**6,318.17**
कुल योग	**4,288.03**	**6,728.26**

भावी टिप्पणियां:

चालू लाइनों के संबंध में संविदकरों के पास ₹ 175.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 229.28 करोड़) की सामग्री पुनःविनियोजन के लिए लंबित है। जबकि पुनःनियोजन निरंतर आधार पर किया जाता है।

टिप्पणी 6: निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
भूमि (फ्रीहोल्ड)	0.02	-	-	-	**0.02**	-	-	-	-	**-**	**0.02**	0.02
भवन	0.01	-	-	-	**0.01**	-	-	-	-	**-**	**0.01**	0.01
कुल	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**0.03**

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
भूमि (फ्रीहोल्ड)	0.02	-	-	-	**0.02**	-	-	-	-	**-**	**0.02**	0.02
भवन	0.01	-	-	-	**0.01**	-	-	-		**-**	**0.01**	0.01
कुल	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.03**	**0.03**

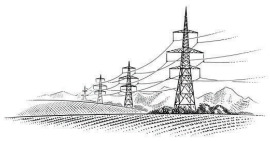

टिप्पणी 6: निवेश संपत्ति (जारी)

भावी टिप्पणियां:

(i) निवेश संपत्ति के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराए से आय	**शून्य**	शून्य
किराये की आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	**शून्य**	शून्य
संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय जिनसे किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई थी	**शून्य**	शून्य
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्ति से लाभ	**शून्य**	शून्य
मूल्यह्रास	**शून्य**	शून्य
निवेश संपत्ति से लाभ	**शून्य**	**शून्य**

(ii) भविष्य की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई संविदात्मक बाध्यता नहीं है जो कि 31.03.2021 और 31.03.2020 को दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) 31.03.2021 और 31.03.2020 तक पट्टे पर देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(iv) उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
निवेश संपत्ति	**3.52**	**2.87**

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है। उपयोग की जाने वाली मुख्य इनपुट किराए की वृद्धि दर, अपेक्षित रिक्ति दर, टर्मिनल पर प्राप्ति और तुलनात्मक लेनदेन और उद्योग के आंकड़ों के आधार पर छूट की दरे हैं। निवेश संपत्ति के लिए परिणामी सभी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में शामिल हैं।

टिप्पणी 7: अमूर्त आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत						संचित परिशोधन						निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक	01 अप्रैल 2020 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री के लिए ध ारित के रूप में वर्गीकृत	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	57.88	10.17	0.03	-	0.01	**68.01**	51.53	5.94	0.03	-	0.01	**57.43**	**10.58**	6.35
मार्गाधिकार– वनीकरण व्यय	2,022.25	180.93	-	0.70	123.88	**2,078.60**	413.08	110.31	-	(1.29)	13.06	**511.62**	**1,566.98**	1,609.17
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	-	**2.80**	0.41	0.14	-	-	-	**0.55**	**2.25**	2.39
1200 केवी टीएस का विकास*	71.86	-	-	-	-	**71.86**	27.49	7.23	-	-	-	**34.72**	**37.14**	44.37
कुल	**2,154.79**	**191.10**	**0.03**	**0.70**	**123.89**	**2,221.27**	**492.51**	**123.62**	**0.03**	**(1.29)**	**13.07**	**604.32**	**1,616.95**	**1,662.28**

*आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल बही मूल्य	
	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	01 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान जमा	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	54.87	3.01	-	-	57.88	47.10	4.42	-	(0.01)	51.53	6.35	7.77
मार्गाधिकार– वनीकरण व्यय	1,919.85	61.29	-	(41.11)	2,022.25	300.16	112.90	-	(0.02)	413.08	1,609.17	1,619.69
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	-	-	2.80	0.27	0.14	-	-	0.41	2.39	2.53
1200 केवी टीएस का विकास*	71.86	-	-	-	71.86	20.25	7.24	-	-	27.49	44.37	51.61
कुल	**2,049.38**	**64.30**	**-**	**(41.11)**	**2,154.79**	**367.78**	**124.70**	**-**	**(0.03)**	**492.51**	**1,662.28**	**1,681.60**

*आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त आस्तियां

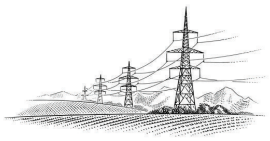

टिप्पणी 8: विकास द्वारा अमूर्त आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2020 तक	जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2021 तक
मार्गाधिकार– वनीकरण व्यय	273.00	57.61	-	172.62	**157.99**
कुल	**273.00**	**57.61**	**-**	**172.62**	**157.99**

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2019 तक	जमा	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
मार्गाधिकार– वनीकरण व्यय	242.59	69.94	-	39.53	273.00
कुल	**242.59**	**69.94**	**-**	**39.53**	**273.00**

टिप्पणी 9ए: इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम खाते में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
गैर उद्धृत		
संयुक्त उद्यम कंपनियां		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		
23400000 (पिछले वर्ष 23400000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**34.67**	33.86
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		
78000000 इक्विटी शेयर 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 3 देखें)	**-**	112.46
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
70937620 (पिछले वर्ष 70937620) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**86.60**	105.39
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
120120000 (पिछले वर्ष 120120000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**140.02**	128.67
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		
229320000 (पिछले वर्ष 229320000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 1 देखें)	**469.63**	465.45
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
106964000 (पिछले वर्ष 106964000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**124.62**	121.10
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड		
3040000 (पिछले वर्ष 3040000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**18.22**	21.96
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
12612473 (पिछले वर्ष 12612473) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**29.97**	28.57
कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड		
शून्य (पिछले वर्ष शून्य) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 4 देखें)	**-**	-
घटाएंरू निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	**-**	-
	-	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		
290296935 (पिछला वर्ष 250795526) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**431.29**	303.59

टिप्पणी 9ए: इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए संयुक्त उद्यम खाते में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड		
117000 (पिछले वर्ष 117000) नेपाली के 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**11.83**	11.13
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		
4000000 (पिछले वर्ष 4000000) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर। (टिप्पणी 5 देखें)	-	-
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	-	-
कुल	**1,346.85**	**1,332.18**

भावी टिप्पणियां:

1) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, मेसर्स पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड में पावरग्रिड द्वारा धारित 229319997 इक्विटी शेयरों पर गिरवी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (पूर्व में आईडीएफसी लिमिटेड) से शेयर प्रतिज्ञा करार, 15.04.2004 के संदर्भ में प्रतिभूति ऋणदाताओं की ओर से ट्रस्टी होने के नाते जारी की गई है।
2) लेखांकन नीति संख्या 2.2 और 2.14 के अनुसार निवेश का मूल्यांकन किया गया है।
3) 26.03.2021 (25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम) से प्रभावी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (टिप्पणी संख्या 52 देखें)।
4) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार मैसर्स कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड की वर्तमान स्थिति ष्स्ट्राइक ऑफष है। पिछले वर्ष के दौरान कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड में ₹ 0.01 करोड़ का निवेश बट्टे खाते में डाला गया है।
5) पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 05.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में नीति आयोग को प्रस्तुत करने के लिए इस्पात मंत्रालय को फिर से बंद करने का प्रस्ताव रखने की सलाह दी है। इस्पात मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से आरआईएनएल को सूचित किया कि आरपीटीपीएल को बंद करने की जांच की जा रही है और आरआईएनएल से और स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदनुसार, आरआईएनएल द्वारा संबंधित सूचना इस्पात मंत्रालय को अग्रेषित की गई थी। सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

टिप्पणी 9: निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
उद्धृत		
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
12000006 (पिछले वर्ष 1200006) ₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**93.30**	46.50
गैर उद्धृत		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड		
56118350 (पिछले वर्ष 56118350) 10/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर।	**45.40**	52.40
अन्य		
1 (पिछला वर्ष 1) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में प्रत्येक ₹10/– का हिस्सा (₹10/–)	**0.00**	0.00
कुल	**138.70**	**98.90**

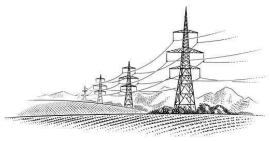

टिप्पणी 9: निवेश (जारी)

भावी टिप्पणियां:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
1) क) उद्धृत निवेश की कुल राशि		
कीमत पर	**12.00**	12.00
बाजार मूल्य	**93.30**	46.50
ख) गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि	**45.40**	52.40

2) लेखांकन नीति संख्या 2.2 और 2.14 के अनुसार निवेश को महत्व दिया गया है।

टिप्पणी 10: ऋण (वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संबंधित पक्षों को ऋण**		
संयुक्त उद्यमों को गैर–जमानती ऋण	**12.40**	18.40
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण (केएमपी)		
प्रतिभूत #	**0.02**	0.02
अप्रतिभूत	**0.04**	0.03
	12.46	18.45
कर्मचारियों को ऋण (अर्जित ब्याज सहित)		
प्रतिभूत #	**278.39**	218.92
अप्रतिभूत	**31.73**	34.21
	310.12	253.13
कुल	**322.58**	**271.58**

आगे के टिप्पणी:

*'संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों का विवरण टिप्पणी 58 में दिया गया है।

निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के खिलाफ सुरक्षित हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं।

टिप्पणी 11: अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता))

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पट्टा प्राप्तियां	**853.54**	601.69
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाले बैंक जमा #	**92.66**	11.11
भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बांड के लिए वसूली योग्य ##	**3,487.50**	3,487.50
कुल	**4,433.70**	**4,100.30**

भावी टिप्पणियां:

परामर्श कार्य के लिए नामित खातों के प्रति बैंक जमा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में, पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए उपार्जित देयताओं को पूरा करने के लिए पत्र संख्या रू 7ध्1ध्2018–ओएम, दिनांक 21 जनवरी, 2019 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भ में कंपनी ने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) की भारत सरकार की योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए ₹ 3487.50 करोड़ की राशि के लिए श्भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड' जारी किए। मूलधन की चुकौती और ऐसे बांडों पर ब्याज का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। पिछले वर्षों में बांड जारी करने से ₹ 3487.50 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 12: अन्य गैर–वर्तमान आस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम		
अप्रतिभूति		
क. बैंक गारंटी के प्रति	**293.35**	671.05
ख. अन्य	**84.87**	84.93
अप्रतिभूति संदिग्ध माने गए	**1.19**	1.19
	379.41	757.17
घटाएं: खराब और संदिग्ध माने गए अग्रिमों के लिए प्रावधान	**1.19**	1.19
	378.22	755.98
पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	**22.91**	19.78
आस्थगित कर्मचारी लागत	**49.09**	61.05
आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव आस्ति	**4,225.87**	5,247.96
वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
कर्मचारी	**0.09**	2.77
सीमा शुल्क पोर्ट ट्रस्ट और अन्य अधिकारियों के साथ शेष राशि	**10.78**	25.12
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती रु	**15.46**	7.10
अन्य कर	**2.82**	1.67
अन्य*	**220.22**	204.30
	249.37	240.96
संदिग्ध माने गए	**0.91**	0.91
	250.28	241.87
घटाएं: संदिग्ध माने गए अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.91**	0.91
	249.37	240.96
कुल	**4,925.46**	**6,325.73**

भावी टिप्पणियां:

*अन्य में ग्राहकों और राज्य सरकारों से वसूली योग्य राशि, बीमा दावे आदि शामिल हैं।

वर्तमान कर देयताओं का निवल – टिप्पणी 33

टिप्पणी 13: माल सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.11 देखें)		
अवयव, पुर्जे और अन्य स्पेयर पार्ट्स	**1,350.30**	1,416.61
ढीले उपकरण	**23.70**	23.59
उपभोज्य भंडार	**11.44**	11.17
	1,385.44	1,451.37
घटाएं: क्षतिध्कमी आदि के लिए प्रावधान	**18.50**	17.91
कुल	**1,366.94**	**1,433.46**
माल सूचियों में पारगमन में सामग्री शामिल है		
अवयव, पुर्जे और अन्य स्पेयर पार्ट्स	**-**	0.23

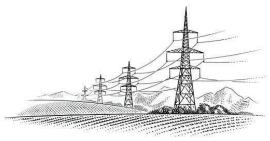

टिप्पणी 14: व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूति		
सही माने गए	**3,666.65**	5,031.81
क्रेडिट खराब	**300.44**	317.70
	3,967.09	5,349.51
संबंधित पक्षों से प्राप्य – अप्रतिभूति*	**8.88**	8.90
सही माने गए	**3,975.97**	5,358.41
घटाएं: हानि भत्ता	**300.44**	317.70
कुल	**3,675.53**	**5,040.71**

भावी टिप्पणियां:

*संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्तियों का विवरण टिप्पणी 58 में दिया गया है।

इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 47 देखें।

कंपनी, बैंकों और लाभार्थियों के बीच व्यवस्था के आधार पर लाभार्थियों के बिलों में छूट दी गई है। तद्नुसार, व्यापार प्राप्तियों को ₹ 2871.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1060.24 करोड़) की छूट वाले बिलों से निवल प्रकट कर दिया गया है। विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 61 देखें।

टिप्पणी 15: नकदी और नकद समकक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बैंकों में शेष राशियां–.		
–चालू खातों में	**985.58**	147.71
–नामित चालू खातों में (परामर्श ग्राहकों और अन्य के लिए)	**71.64**	433.90
सावधि जमा में (3 महीने से कम की परिपक्वता के साथ)(ब्याज सहित)*	**3,429.87**	4,267.95
हाथ में ड्राफ्ट/चेक /पारगमन में प्रेषण	**0.09**	0.02
हाथ में धन	**0.03**	-
अन्य (स्टैम्प और अग्रदाय)	**0.02**	0.01
कुल	**4,487.23**	**4,849.59**

भावी टिप्पणियां:

*परामर्शदाता ग्राहकों और अन्य के लिए सावधि जमा में ₹ 3050.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4234.42 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी 16: नकदी और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
बैंकों के पास निर्धारित शेष राशियां*	**152.91**	21.35
सावधि जमा में 3 महीने से अधिक की परिपक्वता होती है लेकिन 12 महीने तक (परामर्शदाता ग्राहकों और अन्य के लिए) (उपचित ब्याज सहित)	**718.57**	582.96
कुल	**871.48**	**604.31**

भावी टिप्पणियां

*बैंक के पास अनारक्षित शेष राशि में अभुगतानित लाभांश, देय लाभांश, लाभांश पर टीडीएस और एफपीओ आय की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 17: ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संबंधित पक्षों को ऋण (उपचित ब्याज सहित)**		
संयुक्त उद्यम को ऋण – अप्रतिभूत	**40.48**	81.16
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण (केएमपी)		
प्रतिभूत #	**0.01**	0.01
अप्रतिभूति, सही माने गए	**0.07**	0.03
	40.56	81.20
कर्मचारियों को ऋण (उपचित ब्याज सहित)		
प्रतिभूत #	**46.08**	35.64
अप्रतिभूति, सही माने गए	**40.41**	39.57
	86.49	75.21
कुल	**127.05**	**156.41**

भावी टिप्पणियां:

**संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों का विवरण टिप्पणी 58 में दिया गया है।

निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम, घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के प्रति सुरक्षित हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं।

टिप्पणी 18: अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियां

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पट्टा प्राप्तियां	**55.59**	48.28
गैर भुगतनित राजस्व*	**7,194.13**	5,351.17
घटाएं: गैर भुगतनित राजस्व के लिए प्रावधान	**18.92**	18.92
	7,175.21	5,332.25
भारत सरकार के लिए पूरी तरह से सेवा बांड (उपचित ब्याज सहित) के लिए वसूली योग्य	**36.22**	36.90
संबंधित पक्षों को अग्रिम/वसूली योग्य #	**0.82**	0.17
अन्य ##		
सही माने गए	**771.13**	381.83
कुल	**8,038.97**	**5,799.43**

भावी टिप्पणियां:

*भुगतान नहीं किए गए बिल के राजस्व में वित्तीय वर्ष में मार्च माह के लिए पारेषण प्रभार शामिल हैं, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में लाभार्थियों को दी गई ₹2627.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4063.20 करोड़) की राशि है। इसके अलावा इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 47 देखें। भुगतान नहीं किए गए राजस्व में संबंधित पक्षों से ₹ 0.53 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं (टिप्पणी 58 देखें)।

#संबंधित पक्षों को दिए गए अग्रिमों का विवरण टिप्पणी 58 में दिया गया है।

##अन्य में शामिल हैं: –

(क) ₹ 59.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.85 करोड़) की राशि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से 2.427 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 1.167 हेक्टेयर) भूमि के हस्तांतरण के लिए वसूली योग्य है, जो तुगलकाबाद और द्वारका सब–स्टेशन पर शीर्षक के हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लंबित है।

(ख) ग्राहकों से वसूली योग्य राशि, आवासीय और कार्यालय आवास के लिए अग्रिम किराया, अन्य अग्रिम आदि।

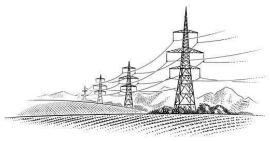

टिप्पणी 19: अन्य वर्तमान संपत्ति

(वस्तु को अप्रतिभूत माना जाता है जब तक अन्यथा बताया नहीं जाता) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य अग्रिम		
वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम		
संविदाकार और आपूर्तिकर्ता	**9.75**	3.29
कर्मचारी	**5.98**	24.77
सीमा शुल्क पोर्ट ट्रस्ट और अन्य अधिकारियों के साथ शेष राशि	**39.27**	58.22
वसूली योग्य दावा	**0.54**	0.54
	55.54	86.82
अन्य*		
सही माने गए	**119.15**	141.20
संदिग्ध माने गए	**0.01**	0.01
	119.16	141.21
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.01**	0.01
	119.15	141.20
योग	**174.69**	**228.02**

भावी टिप्पणियां:

*अन्य में सीएसआर गतिविधियों के लिए दिया गया अग्रिम, प्रीपेड व्यय और इनपुट टैक्स, क्रेडिट – जीएसटी शामिल हैं।

टिप्पणी 19ए: बिक्री और संबंधित देयताओं हेतु धारित आस्ति के रूप में वर्गीकृत आस्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक
गैर वर्तमान आस्ति	
संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	**5,988.39**
पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	**6.60**
अमूर्त आस्ति	**110.82**
अन्य गैर – वर्तमान आस्ति	**63.98**
	6,169.79
वर्तमान आस्ति	
माल सूची	**30.99**
वित्तीय आस्ति	
(i) व्यापार प्राप्तियां	**107.49**
(ii) नकद और नकद समकक्ष	**180.51**
(iii) अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियां	**197.01**
अन्य मौजूदा आस्ति	**15.26**
	531.26
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	**6,701.05**

टिप्पणी 19ए: बिक्री और संबंधित देयताओं हेतु धारित आस्ति के रूप में वर्गीकृत आस्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक
गैर वर्तमान देयताएं	
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**327.25**
	327.25
वर्तमान देयताएं	
वित्तीय देयताएं	
(i) व्यापार देय – एमएसई	**-**
. – एमएसई के अलावा	**0.36**
(ii) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	**36.23**
अन्य वर्तमान देयताएं	**0.06**
प्रावधान	**0.08**
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**-**
	36.73
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं	**363.98**

भावी टिप्पणियां:

कंपनी ने पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ('पीजीइनविट/ट्रस्ट') के माध्यम से अपनी सहायक कंपनियों में से पांच (05) का मुद्रीकरण किया है, अर्थात् पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड। 'पीजीइनविट को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) अधिनियम, 2014 (इनविट अधिनियम') के तहत सेबी द्वारा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण संख्या इन/इनविट/20–21/0016 दिनांक 07.01.2021 के तहत पंजीकृत किया गया है। कंपनी पीजीइनविट की प्रायोजक है और पीजीइनविट के परियोजना प्रबन्धक के रूप में भी काम करेगी। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ट्रस्टी है और पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल), कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को पीजीआईएनवीआईटी में निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। 'पीजीइनविट द्वारा 22.04.2021 को सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रस्ताव दस्तावेज दायर किया गया है और यह संस्थान 14.05.2021 को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई हैं। उपरोक्त पांच एसपीवी में 74 प्रतिशत शेयर मई, 2021 में पीजीइनविट को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और शेष 26 प्रतिशत को पारेषण सेवा समझौते (टीएसए) के अनुरूप स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रकार हस्तांतरित शेयरधारिता पर विचार करने के एवज में कंपनी को पीजीइनविट द्वारा 41,06,50,900 यूनिट आबंटित की गईं। कंपनी ने पोस्ट इश्यू के आधार पर बकाया पीजीआईएनवीआईटी की कुल इकाइयों का 15 प्रतिशत होने के कारण 13,65,00,100 इकाइयों को बरकरार रखा। इनविट विनियमों के अनुसार और शेष 27,41,50,800 इकाइयों को 'ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)' के माध्यम से बेचा गया था। कंपनी को ओएफएस के प्रति ₹ 2736.02 करोड़ (एसटीटी का निवल) की राशि प्राप्त हुई।

चूंकि इन सहायक कंपनियों का नियंत्रण वित्त वर्ष 2021–22 में स्थानांतरित कर दिया गया है, इन सहायक कंपनियों की संपत्ति और संबंधित देयताओं को 31.03.2021 को क्रमशः "बिक्री के लिए धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत आस्ति" और "बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्ति से सीधे जुड़े दायित्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 20: विनियामक आस्थगन खाता शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
आस्तियां		
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित आस्तियां	**9,351.43**	8,814.19
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	**1,089.54**	1,174.71
कर्मचारी लाभ व्यय	**134.16**	134.16
योग	**10,575.13**	**10,123.06**

भावी टिप्पणियां:

विनियामक आस्थगन खाता शेष पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 53 देखें।

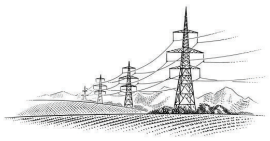

टिप्पणी 21: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
प्रत्येक ₹10/– के 10,00,00,00,000 (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) इक्विटी शेयर	**10,000.00**	10,000.00
जारी अभिदत्त और प्रदत्त		
प्रत्येक ₹10/– के सममूल्य पर पूर्ण प्रदत्त 5,23,15,89,648 (पिछले वर्ष 5,23,15,89,648) इक्विटी शेयर	**5,231.59**	5,231.59

भावी टिप्पणियां:

1) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयर पूंजी की संख्या और राशि का विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	**5231589648**	**5,231.59**	5231589648	5,231.59
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**-**	**-**	-	-
वर्ष के दौरान घटे	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**5231589648**	**5,231.59**	**5231589648**	**5,231.59**

2) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसका प्रति शेयर ₹ 10/– के बराबर मूल्य है।

3) इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठकों में अपनी शेयरधारकों के अनुपात में मतदान के अधिकार प्राप्त करने के हकदार हैं।

4) कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
भारत सरकार	**2685872408**	**51.34**	2685872408	51.34
भारतीय जीवन बीमा निगम	**310294907**	**5.93**	274430207	5.25

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
रिजर्व और अधिशेष		
पूंजीगत रिजर्व	**0.76**	-
प्रतिभूति प्रीमियम	**9,578.29**	9,578.29
बांड मोचन रिजर्व	**7,387.97**	8,696.91
स्व बीमा रिजर्व	**734.07**	832.09
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि रिजर्व	**-**	-
सामान्य रिजर्व	**43,269.22**	36,905.49
प्रतिधारित आय	**3,667.03**	3,423.64
अन्य रिजर्व		
अन्य व्यापक आय रिजर्व	**67.14**	27.34
कुल	**64,704.48**	**59,463.76**

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी

22.1 पूंजीगत रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**0.76**	-
वर्ष के दौरान घटे	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**0.76**	**-**

वर्ष के दौरान जोड़ व्यापार संयोजन के कारण है। (टिप्पणी संख्या 52 देखें)

22.2 प्रतिभूति प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**9,578.29**	9,578.29
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-
वर्ष के दौरान घटे	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**9,578.29**	**9,578.29**

प्रतिभूतियों के प्रीमियम का उपयोग शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

22.3 बांड मोचन रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**8,696.91**	9,942.79
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	439.88
वर्ष के दौरान घटे	**1,308.94**	1,685.76
वर्ष के अंत में शेष राशि	**7,387.97**	**8,696.91**

बॉन्ड मोचन रिजर्व कंपनी अधिनियम 2013 की अवधि में डिबेंचर के मोचन के उद्देश्य से बनाया गया है। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को 16.08.2019 से प्रभावी बॉन्ड मोचन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है।

22.4 स्व बीमा रिजर्व

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**832.09**	893.37
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**289.31**	275.60
वर्ष के दौरान घटे	**387.33**	336.88
वर्ष के अंत में शेष राशि	**734.07**	**832.09**

(₹ करोड़ में)

स्व–बीमा रिजर्व को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल सकल ब्लॉक पर 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष (पिछले वर्ष में 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष) बनाया गया है ताकि भविष्य के घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में बीमा के तहत कवर न किया जा सके जो गैर दृ बीमित जोखिमों से उत्पन्न हो सकता है और भावी आकस्मिकताओं की देखभाल के लिए टावरों को मजबूता करने और एसी सब–स्टेशन के उपकरणों सहित टावरों और अन्य ट्रांसमिशन लाइन सामग्री की खरीद के लिए हो सकता है। वर्तमान वर्ष से, कंपनी ने स्व–बीमा रिजर्व निधि की गणना के लिए माल सूची को भी शामिल किया है और इसका कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

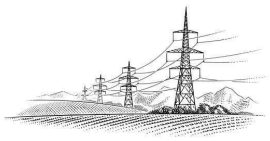

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी

22.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	114.54
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-
वर्ष के दौरान घटे	-	114.54
वर्ष के अंत में शेष राशि	**-**	**-**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित राशि को किसी भी वर्ष में वास्तविक व्यय में कमी के लिए बनाया गया है।

22.6 सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**36,905.49**	31,454.07
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**6,363.73**	5,451.42
वर्ष के अंत में शेष राशि	**43,269.22**	**36,905.49**

सामान्य रिजर्व उस कंपनी की कमाई को बरकरार रखता है जिसे कंपनी के लाभ से अलग रखा जाता है। यह एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग भविष्य की किसी भी अज्ञात आकस्मिकताओं को पूरा करने और शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

22.7 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**3,423.64**	1,797.05
जोड़ें: जोड़ा गया		
अवधि के लिए निवल लाभ	**12,036.46**	11,059.40
अधिशेष शेष राशि में प्रत्यक्ष मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय की मदें		
– रोजगार के बाद लाभ दायित्वों का पुनःमापन	**(14.31)**	(54.67)
बॉन्ड मोचन रिजर्व से अंतरण	**1,308.94**	1,685.76
स्व बीमा से अंतरण	**23.60**	-
अन्य समायोजन	**-**	(4.42)
घटाएं: विनियोग		
सामान्य रिजर्व	**6,000.00**	5,000.00
बॉन्ड मोचन रिजर्व	**-**	439.88
स्व बीमा रिजर्व	**289.31**	275.60
अंतरिम लाभांश का भुगतान	**4,708.43**	3,118.02
अंतरिम लाभांश पर कर	**-**	637.94
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 62(ख) देखें)	**2,113.56**	1,307.90
अंतिम लाभांश पर कर	**-**	280.14
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,667.03**	**3,423.64**

22.8 अन्य व्यापक आय रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	**27.34**	76.69
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**39.80**	(49.35)
वर्ष के अंत में शेष राशि	**67.14**	**27.34**

अन्य व्यापक आय रिजर्व अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी उपकरणों में गैर–वर्तमान निवेश के मूल्यांकन में वृद्धि/कमी से बनाया गया है।

टिप्पणी 23: उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) बांड				
क1) प्रतिभूत (कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय)				
क1.1	i)	प्रत्येक ₹10 लाख के बॉन्ड		
		LV **निर्गत– 21.09.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.55 प्रतिशत**	**1,289.04**	1,288.30
		LX **निर्गत–09.08.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.20 प्रतिशत**	**3,201.67**	3,201.86
		LIX **निर्गत–19.06.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.30 प्रतिशत**	**3,245.43**	3,245.54
		XXXIX **निर्गत–29.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय 9.40 प्रतिशत**	**1,801.33**	1,801.26
		LVIII **निर्गत– 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.89 प्रतिशत**	**2,070.07**	2,069.69
		XXXVIII **निर्गत– 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय 9.25 प्रतिशत**	**859.92**	859.71
		LVI **निर्गत– 18.10.2026 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.36 प्रतिशत**	**1,100.06**	1,099.67
		LXII **निर्गत– में 07.01.2025 से प्रभावी 05 (पांच) समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय 8.36 प्रतिशत**	**2,038.28**	2,038.61
		XLII **निर्गत– 13.03.2023 सममूल्य पर प्रतिदेय 8.80 प्रतिशत**	**1,999.05**	1,998.66
		LVII **निर्गत–7.20 प्रतिशत 21.12.2021 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.20 प्रतिशत**	**2,162.20**	2,161.38
	ii)	15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को 3 (तीन) समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय ₹ 10 लाख रु. के 3 एसटीआरपीपी सहित 30 लाख रुपए के बॉन्ड		
		LIV **निर्गत– 15.07.2021 से प्रभावी प्रतिदेय 7.97 प्रतिशत**	**3,170.17**	3,168.45
	iii)	23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय ₹ 10 लाख रु. के 3 एसटीआरपीपी सहित 30 लाख रुपए के बॉन्ड		
		LII **निर्गत– 23.12.2020 से प्रभावी प्रतिदेय 8.32 प्रतिशत**	**952.89**	1,428.83
	iv)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बांड		
		LIII **निर्गत– 25.04.2020 से प्रभावी प्रतिदेय 8.13 प्रतिशत**	**3,939.45**	4,299.65
	v)	09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय ₹ 10 लाख रु. के 3 एसटीआरपीपी सहित 30 लाख रुपए के बॉन्ड		
		XLIX **निर्गत– 09.03.2020 से प्रभावी प्रतिदेय 8.15 प्रतिशत**	**874.34**	874.17
	vi)	2900 बांड 5 वर्ष के अंत में सममूल्य प्रतिदेय ₹0.10 करोड़ के बांड– – 10.06.2020 पर प्रतिदेय 8.90 प्रतिशत	**-**	310.87
	vii)	23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को 4 (चार) समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय ₹ 10 लाख रु. के 4 एसटीआरपीपी सहित 40 लाख रुपए के बॉन्ड		
		XLVIII **निर्गत– 23.01.2020 से प्रभावी प्रतिदेय 8.20 प्रतिशत**	**1,963.59**	1,963.99
	viii)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बांड		
		LI **निर्गत– 14.09.2019 से प्रभावी प्रतिदेय 8.40 प्रतिशत**	**2,614.37**	2,872.53
	ix)	04.09.2024, 04.09.2024 और 04.09.2029 को 3 (तीन) समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय ₹ 10 लाख रु. के 3 एसटीआरपीपी सहित 30 लाख रुपए के बॉन्ड		
		XLVI **निर्गत– 04.09.2019 से प्रभावी प्रतिदेय 9.30 प्रतिशत**	**3,062.74**	3,060.18

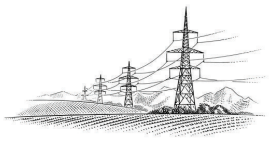

टिप्पणी 23: उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
x)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बांड		
	एल निर्गत– 27.05.2019 से प्रभावी प्रतिदेय 8.40 प्रतिशत	**2,613.39**	2,873.90
xi)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बांड		
	XLVII **निर्गत– 20.10.2018 से प्रभावी प्रतिदेय 8.93 प्रतिशत**	**2,058.85**	2,285.25
xii)	15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को 3 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय ₹30 लाख के बांड		
	XLIV **निर्गत– 15.07.2018 से प्रभावी प्रतिदेय 8.70 प्रतिशत**	**2,807.76**	2,805.95
xiii)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी सहित ₹1.20 करोड़ के बांड		
	XLV **निर्गत– 28.02.2018 से प्रभावी प्रतिदेय 9.65 प्रतिशत**	**1,343.63**	1,512.37
	XLIII **निर्गत– 20.05.2017 से प्रभावी प्रतिदेय 7.93 प्रतिशत**	**2,227.00**	2,504.60
xiv)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय पर 12.50 लाख रु. प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित 1.5 करोड़ रूपए के बॉन्ड		
	XLI **निर्गत– 19.10.2016 से प्रभावी प्रतिदेय 8.85 प्रतिशत**	**1,724.01**	1,968.79
xv)	15 (पंद्रह) समान वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय ₹10.00 लाख प्रत्येक के 15 एसटीआरपीपी सहित ₹1.50 करोड़ के बॉन्ड		
	XXXVI **निर्गत– 29.08.2016 से प्रभावी प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत**	**2,173.42**	2,388.76
xvi)	12 (बारह) समान किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय पर 12.50 लाख रु. प्रत्येक की 12 एसटीआरपीपी सहित 1.5 करोड़ रूपए के बॉन्ड		
	XL **निर्गत– 28.06.2016 से प्रभावी प्रतिदेय 9.30 प्रतिशत**	**2,496.43**	2,851.19
	XXXVII **निर्गत– 26.12.2015 से प्रभावी प्रतिदेय 9.25 प्रतिशत**	**1,021.74**	1,191.33
	XXXV **निर्गत– 31.05.2015 से प्रभावी प्रतिदेय 9.64 प्रतिशत**	**1,057.57**	1,233.18
	XXXIV **निर्गत– 21.10.2014 से प्रभावी प्रतिदेय 8.84 प्रतिशत**	**1,510.12**	1,810.77
	XXXIII **निर्गत– 08.07.2014 से प्रभावी प्रतिदेय 8.64 प्रतिशत**	**1,275.83**	1,530.06
	XXXII **निर्गत– 29.03.2014 से प्रभावी प्रतिदेय 8.84 प्रतिशत**	**345.24**	431.53
	XXXI **निर्गत– 25.02.2014 से प्रभावी प्रतिदेय 8.90 प्रतिशत**	**688.31**	860.29
	XXX **निर्गत– 29.09.2013 से प्रभावी प्रतिदेय 8.80 प्रतिशत**	**811.98**	1,014.19
	XXIX **निर्गत– 12.03.2013 से प्रभावी प्रतिदेय 9.20 प्रतिशत**	**326.00**	434.58
	XXVIII **निर्गत– 15.12.2012 से प्रभावी प्रतिदेय 9.33 प्रतिशत**	**616.40**	821.33
	XXVII **निर्गत– 31.03.2012 से प्रभावी प्रतिदेय 9.47 प्रतिशत**	**117.53**	176.25
	XXVI **निर्गत– 07.03.2012 से प्रभावी प्रतिदेय 9.30 प्रतिशत**	**167.56**	251.27
	XXV **निर्गत– 12.06.2011 से प्रभावी प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत**	**191.89**	287.64
	XXIV **निर्गत– 26.03.2011 से प्रभावी प्रतिदेय 9.95 प्रतिशत**	**66.73**	133.46
	XXIII **निर्गत– 09.02.2011 से प्रभावी प्रतिदेय 9.25 प्रतिशत**	**25.96**	51.90
	XXII **निर्गत– 07.12.2010 से प्रभावी प्रतिदेय 8.68 प्रतिशत**	**59.07**	118.07

टिप्पणी 23: उधार (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	XXI निर्गत– 11.10.2010 से प्रभावी प्रतिदेय 8.73 प्रतिशत	**44.25**	88.43
	XX निर्गत– 07.09.2010 से प्रभावी प्रतिदेय 8.93 प्रतिशत	**131.30**	262.39
	XIX निर्गत– 24.07.2010 से प्रभावी प्रतिदेय 9.25 प्रतिशत	**43.87**	87.68
	XVIII निर्गत– 09.03.2010 से प्रभावी प्रतिदेय 8.15 प्रतिशत	**-**	83.66
		62,290.44	**67,802.17**
क2)	**अप्रतिभूत**		
क2.1	**प्रतिदेय घरेलू बांड**		
i)	प्रत्येक ₹10 लाख के बांड		
	LXVIII निर्गत– 11.04.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6.28 प्रतिशत	**520.54**	-
	LXVI निर्गत– 12.04.2030 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7.38 प्रतिशत	**508.16**	508.22
ii)	05 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में सममूल्य प्रतिदेय 10.00 लाख रूपए प्रत्येक की 05 एसटीआरपीपी सहित 50 लाख रूपए के बॉन्ड		
	LXI निर्गत– 12.12.2028 से प्रभावी प्रतिदेय 7.74 प्रतिशत	**3,069.77**	3,070.20
iii)	प्रत्येक ₹10 लाख के बांड		
	LXVII निर्गत– 15.04.2025 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6.85 प्रतिशत	**2,984.24**	-
iv)	03 (तीन) समान वार्षिक किश्तों में सममूल्य पर ₹ 3.00 लाख, ₹ 3.00 लाख और ₹ 4.00 लाख प्रत्येक की 03 एसटीआरपीपी सहित ₹10 लाख के बांड		
	LXIV निर्गत– 25.10.2024 से प्रभावी प्रतिदेय 7.49 प्रतिशत	**2,601.48**	2,601.75
v)	03 (तीन) समान वार्षिक किश्तों में सममूल्य पर ₹ 10.00 लाख प्रत्येक की 03 एसटीआरपीपी सहित ₹30 लाख के बांड		
	LXIII निर्गत– 15.07.2024 से प्रभावी प्रतिदेय 7.34 प्रतिशत	**1,893.90**	1,893.98
vi)	प्रत्येक ₹10 लाख के बॉन्ड		
	LXV निर्गत– 14.04.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6.35 प्रतिशत	**202.82**	202.82
क2.2	प्रतिदेय विदेशी मुद्रा बांड		
	3.875 प्रतिशत विदेशी मुद्रा बॉन्ड को 17.01.2023 के सममूल्य पर भुनाया जाएगा	**3,723.90**	3,819.03
		15,504.81	**12,096.00**
	कुल (क)	**77,795.25**	**79,898.17**
ख)	**सावधि ऋण**		
	बैंकों से		
	प्रतिभूत		
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत (भारत सरकार))	**25,983.53**	27,947.23
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**7,256.11**	7,192.24
	रुपया ऋण	**10,388.85**	12,184.00
		43,628.49	**47,323.47**
	अप्रतिभूत		
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	**3,891.20**	4,048.52

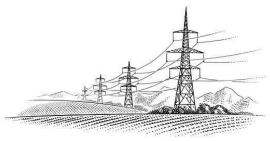

टिप्पणी 23: उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	**3,222.26**	3,350.56
रुपया ऋण	**15,974.65**	13,923.41
	23,088.11	**21,322.49**
कुल (ख)	**66,716.60**	**68,645.96**
कुल (क + ख)	**144,511.85**	**148,544.13**
घटाएं: गैर वर्तमान उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 30 देखें)	**12,235.54**	9,848.53
घटाएं: ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं (टिप्पणी 30 देखें)	**3,101.52**	3,274.49
कुल	**129,174.79**	**135,421.11**

भावी टिप्पणियां:

चुकौती की शर्तों और ब्याज दर का विवरण

1 प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) में 6 माह एलआईबीओआर से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार, अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं, जो एक ऋण को छोडकर 3 से 5 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होते हैं ₹ 364.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 374.16 करोड़) जिसमें 0.25 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर होती है।

2 सुरक्षित अन्य विदेशी मुद्रा ऋण में 6 माह (एलआईबीओआर/ईयूआरआईबीओआर/एसटीआईबीओआर) से जुड़ी ब्याज की फ्लोटिंग दर होती है। ये ऋण 3 से 5 वर्षों की अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार, अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

3. बैंकों से सुरक्षित रुपया ऋण में 3 माह एमसीएलआर से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर है। ये ऋण 5 साल की अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार, अर्ध–वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते है।

4 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) ब्याज दर 1.63 प्रतिशत प्रति वर्ष से लेकर 2.30 प्रतिशत प्रति वर्ष है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।

5 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण में 6 माह (एसटीआईबीओआर/ईयूआरआईबीओआर) से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं, जो संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होते हैं।

6 अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण में 6 माह जेपीवाईएलआईबीओआर से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। यह ऋण संबंधित ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार पांच समान वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते है।

7 बैंक से अप्रतिभूत रुपया ऋण 3 महीने की एमसीएलआर या रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर है। ये ऋण संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं, जो संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार अधिस्थगन अवधि के बाद शुरू होते हैं।

8 वर्ष के अंत तक ऋणों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

प्रतिभूतियों का विवरण

1 घरेलू बांडों को गुजरात के वलसाड जिले के मौजे अंभेटी तालुका कपाराडा में स्थित अचल आस्ति पर पंजीकृत बॉन्ड ट्रस्ट डीड रैंकिंग पारी पासु के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है और कंपनी की आस्ति पर फ्लोटिंग प्रभार है।

2 प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) को ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में आस्तियों पर बनाए गए ग्रहणाधिकार में समान ब्याज द्वारा प्रतिभूत किया जाता है।

3 प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण और रुपया ऋण के माध्यम से सुरक्षित हैं

(i) निवेश, भूमि और भवन, सड़कों और पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज और वर्तमान आस्तियों को छोड़कर कंपनी की आस्तियों पर समान प्रभार या

(ii) निवेश और वर्तमान आस्तियों को छोड़कर कंपनी की आस्तियों पर समान प्रभार या

(iii) कंपनी की अचल आस्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार

टिप्पणी 24: अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
संविदाकारों और अन्य से जमा / प्रतिधारण राशि।	**106.96**	22.34
भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बांड*	**3,487.50**	3,487.50
पूंजीगत व्यय के लिए देय राशि	**12.48**	-

टिप्पणी 24: अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएं

पट्टा देयताएं#	**18.20**	13.29
कुल	**3,625.14**	**3,523.13**

भावी टिप्पणियां:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 50 में दिया गया है।
*भारत सरकार द्वारा 14.02.2029 को सममूल्य पर 8.24 प्रतिशत प्रतिदेय की दर से जारी पूर्ण रूप से सेवित बांड विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 11 देखें।
#भारतीय लेखा मानक 116 – "पट्टे" के अनुसार पट्टा देयताओं पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

टिप्पणी 25: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कर्मचारी लाभ		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	**424.71**	368.15
वर्ष के दौरान जुड़े/(समायोजन)	**37.31**	56.56
समापन शेष राशि	**462.02**	**424.71**

भावी टिप्पणियां:

यह प्रावधान अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ता, लंबी सेवा पुरस्कार और अन्य लाभों के लिए बनाया गया है। कर्मचारी लाभ प्राप्तियों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं. 66 देखें।

टिप्पणी 26: आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क. आस्थगित कर देयता		
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**23,007.06**	20,961.12
वित्त पट्टा आस्तियां	**72.47**	76.96
अन्य	**23.42**	43.15
संयुक्त उद्यमों में अवितरित लाभांश का शेयर	**-**	-
आस्थगित कर देयता (क)	**23,102.95**	**21,081.23**
ख आस्थगित कर आस्तियां		
निर्माण अवधि के दौरान आय	**17.95**	24.88
भुगतान के आधार पर देय प्रावधान	**514.70**	467.85
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**353.20**	409.12
अप्रयुक्त कर घाटे	**301.94**	917.94
एमएटी क्रेडिट पात्रता	**9,969.02**	7,906.46
अन्य	**109.52**	126.20
आस्थगित कर आस्तियां (ख)	**11,266.33**	**9,852.45**
आस्थगित कर देयताएं (निवल) (क–ख)	**11,836.62**	**11,228.78**

भावी टिप्पणियां:

आस्थगित कर देयताओं का आवागमन

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	वित्तीय पट्टा आस्तियां	अन्य	संयुक्त उद्यमों में अवितरित लाभांश	कुल
01.04.2019 तक	**17,606.33**	**83.23**	**37.60**	**69.79**	**17,796.95**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित/(क्रेडिट)	3,354.79	(6.27)	5.55	(69.79)	3,284.28

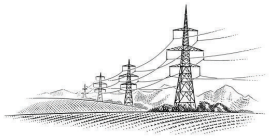

टिप्पणी 26: आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	वित्तीय पट्टा आस्तियां	अन्य	संयुक्त उद्यमों में अवितरित लाभांश	कुल
31.03.2020 तक	**20,961.12**	**76.96**	**43.15**	**-**	**21,081.23**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित /(क्रेडिट)	2,596.43	(4.49)	(19.73)	-	2,572.21
अन्य समायोजन	(550.49)				(550.49)
31.03.2021 तक	**23,007.06**	**72.47**	**23.42**	**-**	**23,102.95**

आस्थगित कर आस्ति का आवागमन

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण–निर्माण अवधि के दौरान आय	भुगतान के आधार पर देय प्रावधान	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	एमएटी क्रेडिट	अन्य	कुल
01.04.2019 तक	**20.95**	**481.93**	**462.47**	**6,043.80**	**769.32**	**7,778.47**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित/(क्रेडिट)	3.93	(14.08)	(53.35)	1,862.66	274.82	2,073.98
31.03.2020 तक	**24.88**	**467.85**	**409.12**	**7,906.46**	**1,044.14**	**9,852.45**
लाभ या हानि के लिए प्रभारित /(क्रेडिट)	(6.93)	46.85	(55.92)	2,066.46	(433.91)	1,616.55
अन्य समायोजन				(3.90)	(198.77)	(202.67)
31.03.2021 तक	**17.95**	**514.70**	**353.20**	**9,969.02**	**411.46**	**11,266.33**

लाभ और हानि के विवरण के लिए ली गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**2,572.21**	3,284.28
आस्थगित कर आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	**(1,616.55)**	(2,073.98)
कुल	**955.66**	**1,210.30**

क) प्रबंधन की राय में, यह संभावना है कि भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को एमएटी क्रेडिट को निम्नानुसार मान्यता देकर भविष्य की आयकर देयता के प्रति सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में प्रवाहित होंगे:

भविष्य के कर योग्य लाभ को (क) 31 मार्च 2017 तक शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की कर अवकाश धारा 80–आईए (ख) भविष्य में चालू होने वाली आस्तियों पर प्रारंभिक मूल्यह्रास के प्रति समायोजित किया जाएगा और (सी) आयकर अधिनियम, 1961 के नियमित आयकर मूल्यह्रास धारा 32 और उसके बाद कर राशि को एमएटी क्रेडिट के प्रति ₹ 2,066.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,862.66 करोड़) की सीमा तक निर्धारित किया जाएगा। इसलिए, इसे वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) भविष्य में कंपनी के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट लेकिन बहियों में मान्यता प्राप्त नहीं है: (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष हेतु	31.03.2021 तक	अंतिम तिथि	31.03.2020 तक	अंतिम तिथि
2015-16	**1,421.20**	**31.03.2026**	1,421.20	31.03.2026
2014-15	**1,281.23**	**31.03.2025**	1,281.23	31.03.2025
2013-14	**1,085.14**	**31.03.2024**	1,085.14	31.03.2024
2012-13	**1,071.31**	**31.03.2023**	1,071.31	31.03.2023
2011-12	**239.01**	**31.03.2022**	239.01	31.03.2022
2010-11	**-**	**31.03.2021**	9.36	31.03.2021

टिप्पणी 27: अन्य गैर–वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्श/दूरसंचार सेवाएं)$	**215.76**	233.51
अन्य*	**131.34**	129.03
कुल	**347.10**	**362.54**

भावी टिप्पणियां:

$ इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 47 देखें।

*अन्य में वसूली पर ग्राहकों को देय राशि शामिल है।

टिप्पणी 28: उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
लघु अवधि – अप्रतिभूत		
बैंकों से	**600.00**	-
वाणिज्यिक पत्र	**1,200.00**	3,000.00
कुल	**1,800.00**	**3,000.00**

भावी टिप्पणियां:

1. वाणिज्यिक पत्र/अल्पावधि ऋण अप्रतिभूत प्रकृति के हैं, जिसमें ब्याज दर 3.07 प्रतिशत से 5.59 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.08 प्रतिशत से 6.93 प्रतिशत) तक है और आहरण की तिथि से 44 दिनों से लेकर 270 दिनों (पिछले वर्ष 28 दिनों में 90 दिन) के अंदर चुकाने योग्य है।
2. वर्ष के अंत तक ऋणों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी 29: भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि	**29.76**	11.59
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	**157.72**	214.95
कुल	**187.48**	**226.54**

भावी टिप्पणियां:

"कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II" और "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत आवश्यक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 50 में दिया गया है।ण

टिप्पणी 30: अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता		
प्रतिभूत		
बांड	**8,223.72**	5,297.96
रुपया सावधि ऋण	**1,018.13**	1,454.00
विदेशी मुद्रा ऋण	**2,722.35**	2,434.48
	11,964.20	9,186.44

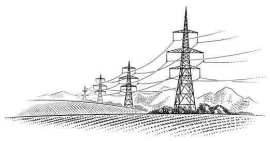

टिप्पणी 30: अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
अप्रतिभूत		
विदेशी मुद्रा ऋण	**271.34**	662.09
	12,235.54	9,848.53
ब्याज उपार्जित किया जाता है, लेकिन उधार के कारण नहीं		
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**94.09**	225.00
प्रतिभूत/अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड	**3,007.43**	3,049.49
	3,101.52	3,274.49
ब्याज उपार्जित से देय नहीं है लेकिन भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बांड	**36.22**	36.90
अन्य		
पूंजीगत व्यय के लिए बकाया	**1,235.08**	1,640.64
कर्मचारी संबंधी देयताएं	**73.06**	70.57
अदावाकृत लाभांश और एफपीओ*	**20.88**	15.95
संविदाकारों और अन्य लोगों से जमा / प्रतिधारण राशि	**3,889.69**	4,603.44
संबंधित पक्षों**	**-**	2.78
देय लाभांश	**2.85**	5.40
पट्टा देयताएं#	**3.97**	3.74
अन्य ##	**2,507.63**	2,281.71
	7,733.16	8,624.23
कुल	**23,106.44**	**21,784.15**

भावी टिप्पणियां :

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत आवश्यक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 50 में दिया गया है।

*निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।

**संबंधित पक्षों को देय राशि का विवरण टिप्पणी 58 में दिया गया है।

#भारतीय लेखा मानक 116 – "पट्टे" के अनुसार पट्टा देयताओं पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

##अन्य में दीर्घकालिक एक्सेस (एलटीए), लघु अवधि ओपन एक्सेस (एसटीओए), आईएसटीएस लाइसेंस रिकवरी, डेड चेक, मूल्य भिन्नता आदि के लिए भुगतान की देयता शामिल है।

टिप्पणी 31: अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ग्राहकों से अग्रिम*	**3,531.15**	4,008.89
ग्राहकों से अग्रिम – संबंधित पक्ष#	**79.78**	79.27
सांविधिक बकाया राशि	**273.77**	217.77
कुल	**3,884.70**	**4,305.93**

भावी टिप्पणियां:

*इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 47 देखें।

#संबंधित पक्ष को देय राशि का विवरण टिप्पणी सं. 58 में दिया गया है।

टिप्पणी 32: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) कर्मचारी लाभ		
i) निष्पादन संबंधी वेतन/विशेष प्रोत्साहन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**461.00**	444.50
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**509.83**	3,148.03
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	**461.00**	3,131.53
समापन शेष राशि	**509.83**	461.00
ii) अन्य कर्मचारी लाभ		
(छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ता और दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार आदि)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**76.77**	68.11
वर्ष के दौरान जोड़े गए/(समायोजन)	**(9.11)**	8.66
समापन शेष राशि	**67.66**	76.77
कुल (क)	**577.49**	**537.77**
ख) अन्य		
i) डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट–टेलीकॉम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**11.36**	17.95
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**12.38**	4.25
वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	**14.88**	10.84
समापन शेष राशि	**8.86**	11.36
ii) प्रावधान अन्य		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**192.91**	170.58
जोड़ें: व्यापार संयोजन के कारण	**9.19**	-
वर्ष के दौरान जोड़े गए/(समायोजन)	**56.75**	22.33
घटाएं: बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत	**0.08**	-
समापन शेष राशि	**258.77**	192.91
कुल (ख)	**267.63**	**204.27**
कुल (क+ख)	**845.12**	**742.04**

भावी टिप्पणियां :

क) कर्मचारी लाभ

i) निष्पादन संबंधी वेतन/विशेष प्रोत्साहन:
कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों को निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान बनाया गया है

ii) अन्य कर्मचारी लाभ:
छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ता, दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार और पावरग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना को पूरा करने के उद्देश्य से प्रावधान बनाया गया है।

ख) अन्य:

i) डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट–टेलीकॉम:
मामले में प्रावधान तब बनाया जाता है जब वास्तविक डाउनटाइम अनुमेय सेवा स्तर के समझौते से अधिक होता है, ऐसे मामलों में ग्राहक को मांग पर आवश्यक क्रेडिट दिया जाता है।
हालांकि, कुछ मामलों में, ग्राहक द्वारा डाउनटाइम का दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में ग्राहकों को दिए गए लिंक के गैर–संचालन की अवधि के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नियंत्रण केंद्र (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्ट के अनुसार डाउनटाइम के खाते की बहियों में आवश्यक प्रावधान किया जाता है। डाउनटाइम क्रेडिट की गणना विभिन्न ग्राहकों के साथ हस्ताक्षरित एसएलए पर आधारित है।

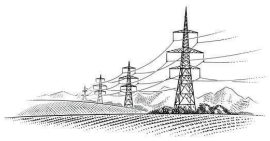

टिप्पणी 32: प्रावधान (जारी)

ii) प्रावधान अन्य:

इसमें कंपनी द्वारा विवादित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग के अनुसार ₹ 156.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 147.69 करोड़) के प्रवेश कर का प्रावधान शामिल है और उन पर मुकदमा जारी हैं। कोर्ट के आदेश के तहत ₹ 8.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.24 करोड़) की राशि का भुगतान किया गया है और टिप्पणी संख्या 19 में "कस्टम पोर्ट ट्रस्ट और अन्य प्राधिकरणों के साथ शेष" के रूप में दिखाया गया है। इसमें वैधानिक रूप से अनुपस्थिति के संबंध में तेलंगाना के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उठाए गए मांग की ओर ₹ 0.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.46 करोड़) का प्रावधान भी शामिल है और अंतर–राज्यीय बिक्री के अन्य प्रमाण जो 'सी' फॉर्म द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। कंपनी ने अपीलीय उपायुक्त (एडीसी) के समक्ष अपील की है और इसके पश्चात एडीसी को पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारण प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया है तथा निर्णय की प्रतीक्षा है।

टिप्पणी 33: वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,624.18**	6,117.42
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**2,580.13**	2,665.27
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	**34.42**	2,158.51
कुल	**9,169.89**	**6,624.18**
अग्रिम कर और टीडीएस के प्रति निवल छूट	**8,744.38**	6,601.26
समापन शेष राशियां	**425.51**	**22.92**

टिप्पणी 34: आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**1,010.75**	1,170.80
सहायता अनुदान (भावी टिप्पणियां देखें)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4,147.01**	4,173.32
वर्ष के दौरान जोड़े गए	**107.99**	233.94
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	**328.89**	260.25
समापन शेष राशियां	**3,926.11**	4,147.01
विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से आस्थगित आय (निवल)	**4,817.29**	5,598.21
कुल	**9,754.15**	**10,916.02**

भावी टिप्पणियां:

1. विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के तहत ईआर (ईआरएसएस–XI) और एसआर (एसआर–XXI में सिस्टम सुदृढ़ीकरण) में स्टेटकॉम की स्थापना के लिए ₹ 5.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 74.68 करोड़) की सहायता में विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से अनुदान प्राप्त हुआ था। प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त, ₹ 1.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.44 करोड़) का ब्याज अनुदान में जमा किया गया।
2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.27 करोड़) की सहायता को एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य माप (यूआरटीडीएसएम) की स्थापना के लिए प्राप्त किया गया था। प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त ₹ 0.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.41 करोड़) का ब्याज अनुदान में जमा किया गया।
3. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों से जुड़ी पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से ब्याज सहित ₹ 99.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 122.89 करोड़) का अनुदान मान्यता प्राप्त है।
4. कंपनी के विभिन्न भवनों में सोलर रूफ टॉप प्लांट स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्धि लिंक्ड/प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ₹ 0.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.25 करोड़) का अनुदान मान्यता प्राप्त है।

टिप्पणी 35: प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री		
पारेषण व्यापार		
पारेषण प्रभार	**37,999.65**	35,435.46
जोड़ें: मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम में से मान्यता प्राप्त राजस्व	**160.06**	152.65
	38,159.71	35,588.11
अन्य प्रचालन राजस्व		
अवकल अनंतिम और अंतिम प्रशुल्क पर ब्याज	**2.48**	676.04
पट्टे की लाइनों से आय	**7.59**	7.12
आस्थगित राजस्व से मान्यता प्राप्त – सहायता अनुदान	**328.89**	260.25
	338.96	943.41
	38,498.67	36,531.52
दूरसंचार व्यवसाय	**707.45**	698.21
परामर्श परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण	**433.67**	513.81
कुल	**39,639.79**	**37,743.54**

भावी टिप्पणियां:

क) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए "सीईआरसी (प्रशुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2019" ट्रांसमिशन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आदेश दिनांक 07.03.2019 को दिए गए आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ख) उन परियोजनाओं के संबंध में जिनके प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित के अनुसार पारेषण आय को मान्यता दी है:

i) ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम प्रशुल्क आदेशों के अनुसार ₹ 9,407.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) और

ii) ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार ₹ 26,713.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33,932.94 करोड़) अनंतिम रूप से और इसी तरह के अन्य मामलों में, ट्रांसमिशन आस्तियों के संबंध में, जिसके लिए अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी किए जाने बाकी थे।

ग) सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, पारेषण आय में ₹ 538.30 करोड़ (वृद्धि) (पिछले वर्ष ₹ 173.30 करोड़ (वृद्धि)) शामिल हैं जो पिछले वर्षों से संबंधित है।

घ) कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए और कंपनी की ऊर्जा प्रबंधन सेवाओं और परामर्श व्यवसाय को शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं. 68 देखें।

ड.) इंड एएस 115 के अनुसार "ग्राहक के साथ संविदा से राजस्व" प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं. 47 देखें।

टिप्पणी 36: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय		
भारतीय बैंक	**59.76**	154.33
संयुक्त उद्यमों को ऋण पर ब्याज (जेवी)	**11.71**	14.00
अन्य*	**99.90**	30.47
	171.37	198.80
संविदाकारों को अग्रिम से ब्याज	**16.83**	27.56

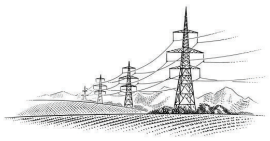

टिप्पणी 36: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	188.20	226.36
निवेश से लाभांश आय में		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	**9.00**	5.35
	9.00	5.35
अन्य		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	**12.60**	1.14
वित्त पट्टे से वित्त आय	**81.18**	85.13
अधिभार	**744.06**	308.76
एफ़ईआरवी का लाभ	**0.02**	0.31
बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	**24.82**	147.56
वित्तीय दायित्व/निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लाभ	**21.64**	75.76
विविध आय **	**130.11**	149.91
	1,014.43	768.57
	1,211.63	**1000.28**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) – टिप्पणी 43	**27.89**	72.86
कुल	**1,183.74**	**927.42**

भावी टिप्पणियां:

* अन्य लोगों में कर्मचारी ऋण पर ब्याज और कर्मचारी ऋण पर वित्त लागत को समाप्त करना आदि शामिल है।

** विविध आय में कबाड़ माल की बिक्री, बीमा दावा वसूली, यूआई शुल्क आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 37: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	**2,071.81**	2,019.95
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**323.28**	185.24
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	**203.35**	243.38
	2,598.44	2,448.57
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) –टिप्पणी 43	**483.68**	486.25
सीएसआर व्यय के लिए अंतरण – टिप्पणी 40	**-**	2.57
कुल	**2,114.76**	**1,959.75**

भावी टिप्पणियां:

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के पारिश्रमिक के लिए टिप्पणी संख्या 58 देखें।

ख) कर्मचारी लाभ दायित्वों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 66 देखें।

टिप्पणी 38: वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज और वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान	**1,871.08**	2,353.74
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**562.31**	1,047.19
प्रतिभूत/अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड	**6,067.50**	6,223.31
विदेशी मुद्रा बॉन्ड	**156.82**	150.49
वित्तीय देयताओं पर छूट की समाप्ति	**62.86**	102.13
ब्याज – अन्य	**5.44**	1.34
पट्टा देयता पर ब्याज	**1.79**	0.50
	8,727.80	9,878.70
अन्य वित्त प्रभार		
प्रतिबद्धता शुल्क	**1.28**	4.92
गारंटी शुल्क	**376.44**	363.69
अन्य*	**58.32**	38.04
	436.04	406.65
विनिमय अंतर को उधार लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है	**(223.10)**	1,343.96
	212.94	1,750.61
कुल	**8,940.74**	11,629.31
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) –टिप्पणी 43	**806.05**	2,120.31
कुल	**8,134.69**	**9,509.00**

भावी टिप्पणियां:

*अन्य में प्रबंधन शुल्क, एजेंसी शुल्क, ट्रस्टी शुल्क, फ्रंट–एंड शुल्क, भूमि मुआवजे पर ब्याज, पेड़ और फसल मुआवजा आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 39: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	**12,244.14**	11,816.41
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	**123.62**	124.70
आरओयू आस्तियों पर मूल्यह्रास	**20.82**	17.39
	12,388.58	11,958.50
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) –टिप्पणी 43	**13.46**	10.91
	12,375.12	**11,947.59**
घटाएं: एफ़ईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	**335.93**	340.55
लाभ और हानि विवरण के लिए प्रभार	**12,039.19**	**11,607.04**

भावी टिप्पणियां:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष तक, टीबीसीबी प्रक्रिया ("टीबीसीबी कंपनियां") के माध्यम से अधिग्रहित सहायक कंपनियां सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार मूल्यह्रास वसूल रही हैं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, टीबीसीबी कंपनियों ने अपने संयंत्र की प्रचालन दक्षता की समीक्षा की है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर टीबीसीबी कंपनियों ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के मूल्यह्रास के उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य, और कार्यप्रणाली का पुनर्मूल्यांकन किया है। तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार, संबंधित उपयोगी जीवन की अवधि में आर्थिक लाभों के उपभोग के पैटर्न को सीधी रेखा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है; और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपी एंड ई) की वस्तुओं के अनुमानित अवशिष्ट मूल्य का मूल्यांकन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप 5 प्रतिशत के रूप में किया गया है।

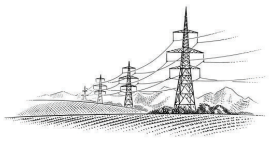

टिप्पणी 39: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (जारी)

उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास की विधि में उपरोक्त परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना गया है और तदनुसार, टीबीसीबी कंपनियों ने संशोधित उपयोगी जीवन के आधार पर संभावित रूप से संशोधित उपयोगी जीवन के आधार पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में मूल्यह्रास का प्रभार लगाया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास में ₹ 329.85 करोड़ की कमी हुई है, साथ ही कर पूर्व लाभ में तदनुरूपी वृद्धि हुई है और साथ ही अवशिष्ट मूल्य में कमी के कारण, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर ₹ 606.30 करोड़ की राशि से मूल्यह्रास में समग्र वृद्धि हुई है।

टिप्पणी 40: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत एवं रखरखाव		
भवन	**90.00**	92.23
संयंत्र और उपकरण		
सब–स्टेशनों	**390.58**	439.19
पारेषण लाइन	**204.44**	154.81
दूरसंचार उपकरण	**45.02**	38.85
अन्य	**39.12**	43.14
	679.16	675.99
प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	**57.31**	63.07
विद्युत प्रभार	**266.82**	286.17
घटाएं: संविदाकारों से वसूली	**2.68**	3.14
	264.14	283.03
डीजल जनरेटिंग सेट का व्यय	**3.52**	4.54
स्टोर खपत	**5.45**	7.02
जल प्रभार	**4.56**	4.01
मार्गाधिकार प्रभार–दूरसंचार	**62.59**	10.27
पेट्रोलिंग व्यय–दूरसंचार	**0.68**	0.39
अंतिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी–दूरसंचार	**7.44**	7.27
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	**17.78**	35.85
घटाएं:प्रशिक्षण और अनुप्रयोग के लिए शुल्क	**0.12**	0.76
	17.66	35.09
कानूनी व्यय	**22.38**	25.87
पेशेवर शुल्क	**25.12**	80.70
परामर्श व्यय	**81.02**	100.16
संचार व्यय	**20.93**	23.49
अंतर्देशीय यात्रा व्यय	**90.38**	119.30
विदेश यात्रा	**1.78**	8.94
	92.16	128.24
निविदा व्यय	**1.93**	3.25
घटाएं: निविदाओं की बिक्री	**1.53**	1.00
	0.40	2.25
सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षण शुल्क	**1.63**	1.50

टिप्पणी 40: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर लेखा परीक्षण शुल्क	**0.41**	0.36
अन्य क्षमता में	**1.16**	2.83
बकाया राशि	**-**	0.04
कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	**0.13**	1.07
	3.33	5.80
विज्ञापन और प्रचार	**7.38**	17.49
छपाई और लेखन सामग्री	**4.41**	6.93
पुस्तकें आवधिक और पत्रिकाएँ	**0.84**	1.30
ईडीपी किराया और अन्य प्रभार	**10.51**	11.88
मनोरंजन व्यय	**3.78**	2.97
ब्रोकरेज और कमीशन	**0.91**	1.53
अनुसंधान एवं विकास व्यय	**4.55**	9.54
लागत लेखा परीक्षा और भौतिक सत्यापन शुल्क	**1.39**	1.23
किराया #	**39.85**	50.89
सीईआरसी याचिका और अन्य प्रभार	**76.75**	85.84
विविध व्यय	**60.97**	85.09
बागवानी व्यय	**33.64**	32.70
सुरक्षा व्यय	**292.98**	284.36
वाहन किराए पर लेना	**117.98**	113.83
बीमा	**118.92**	96.78
दरें और कर	**42.44**	46.30
डीओटी को लाइसेंस शुल्क	**62.47**	62.28
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाइबर पट्टा प्रभार (दूरसंचार)	**23.15**	20.51
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय*	**247.22**	349.36
पारगमन आवास व्यय	**32.21**	29.06
घटाएं: पारगमन आवास से आय	**0.97**	1.92
	31.24	27.14
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता	**60.63**	222.17
इनके लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण, अग्रिम, ऋण, दावे आदि।	**7.78**	6.34
	2,687.64	**3,085.88**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) – टिप्पणी 43	**170.81**	260.67
	2,516.83	2,825.21
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान/बट्टे खाते में डालना	**15.09**	18.34
कुल	**2,531.92**	**2,843.55**

भावी टिप्पणियां:

* टिप्पणी संख्या 37– 'कर्मचारी लाभ व्यय' से अंतरित ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 2.57 करोड़) की राशि शामिल है।

अल्पावधि के पट्टों के व्यय के लिए टिप्पणी सं. 51 देखें।

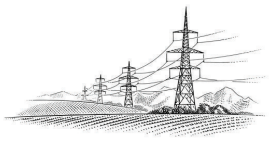

टिप्पणी 41: नियामक आस्थगित खाता शेष राशियों में निवल आवागमन – आय/(व्यय) (कर निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित आस्तियां	**521.45**	1,297.69
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	**(85.17)**	742.10
	436.28	2,039.79
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल आवागमन पर कर	**74.60**	356.39
कुल	**361.68**	**1,683.40**

भावी टिप्पणियां:

विनियामक आस्थगन खाता शेष राशियों पर विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 53 देखें।

टिप्पणी 42: अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मद जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	**39.80**	(49.35)
बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रावधान	**(19.94)**	(74.47)
	19.86	(123.82)
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय में अंतरण (निवल) –टिप्पणी 43	**(2.44)**	(8.23)
	22.30	**(115.59)**
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	**(3.06)**	(11.57)
वे मद जिन्हें लाभ या हानि (कर का निवल) में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	**25.36**	**(104.02)**

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी और भत्ते	**419.70**	421.35
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**41.13**	39.18
कल्याण व्यय	**22.85**	25.72
कुल (क)	**483.68**	**486.25**
ख.अन्य व्यय		
मरम्मत और रखरखाव	**7.39**	7.13
विद्युत प्रभार	**7.39**	5.72
घटाएं: संविदाकारों से वसूली	**2.22**	1.89
	5.17	3.83
डीजल जनरेटिंग सेट पर व्यय	**0.06**	0.01
जल प्रभार	**0.09**	0.65
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	**-**	-

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कानूनी व्यय	**9.71**	8.73
पेशेवर शुल्क	**5.33**	83.71
परामर्श व्यय	**80.27**	75.79
संचार व्यय	**2.96**	3.32
यात्रा और वाहन व्यय (विदेश यात्रा सहित)	**17.81**	26.14
निविदा व्यय	**1.84**	1.63
घटाएं: निविदाओं की बिक्री	**1.46**	0.94
	0.38	0.69
लेखा परीक्षकों को भुगतान	**0.19**	0.19
विज्ञापन और प्रचार	**0.29**	0.05
छपाई और लेखन सामग्री	**0.32**	0.57
पुस्तकें, आवधिक और पत्रिकाएं	**-**	0.03
ईडीपी किराया और अन्य शुल्क	**0.11**	0.19
मनोरंजन व्यय	**0.31**	0.24
ब्रोकरेज और कमीशन	**0.16**	0.10
किराया	**2.40**	2.49
विविध व्यय	**4.86**	11.88
बागवानी व्यय	**0.17**	0.72
सुरक्षा व्यय	**11.13**	13.10
वाहनों किराए पर लेना	**14.04**	15.82
बीमा	**0.01**	-
दरें और कर	**6.81**	4.12
बैंडविड्थ प्रभार, डार्क फाइबर पट्टा प्रभार (दूरसंचार)	**0.01**	0.06
पारगमन आवास व्यय	**0.83**	1.23
घटाएं : पारगमन आवास से आय	**-**	0.12
	0.83	1.11
कुल (ख)	**170.81**	**260.67**
	13.46	10.91
ग. मूल्यह्रास/परिशोधन	**13.46**	**10.91**
कुल (ग)		
घ. वित्त लागत	**199.64**	341.47
क) परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज और वित्त प्रभार	**128.42**	299.10
भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान	**190.65**	351.82
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	**0.80**	-

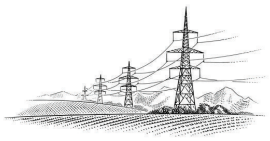

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिभूत/अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड	**382.68**	250.81
	902.19	1,243.20
ख) अन्य वित्त शुल्क		
प्रतिबद्धता शुल्क	**0.85**	3.81
गारंटी शुल्क	**45.40**	76.25
अन्य	**0.91**	1.94
	47.16	82.00
ग) उधार लेने की लागत के लिए एफईआरवी समायोजन	**(143.30)**	795.11
कुल (घ)	**806.05**	**2,120.31**
ड.. घटाएं: अन्य आय		
ब्याज से		
भारतीय बैंक	**-**	-
संविदाकारों से	**16.20**	24.70
अन्य	**1.71**	-
	17.91	24.70
विविध आय	**9.98**	48.16
कुल (ड.)	**27.89**	**72.86**
च. घटाएं: अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	**(2.44)**	(8.23)
कुल (च)	**(2.44)**	**(8.23)**
कुल योग (क+ख+ग+घ–ड.–च)	**1,448.55**	**2,813.51**

44. अन्य संस्थाओं में हित

1. **सहायक कंपनियां:**

31.03.2021 को कंपनी की सहायक कंपनियां नीचे दी गई हैं। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, उनके पास शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर होते हैं जो सीधे कंपनी द्वारा धारित होते हैं, और स्वामित्व हित का अनुपात कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकारों के बराबर होता है:

संस्थान का नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत)		प्रमुख गतिविधियां
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पॉवरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन

44. अन्य संस्थाओं में हित

संस्थान का नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत)		प्रमुख गतिविधियां
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन भुज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन फतेहगढ़–द्वितीय ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन रामपुर संभल ट्रांसको लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मेरठ–सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	**100 प्रतिशत**	100 प्रतिशत	ट्रांसमिशन
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड1	भारत	**100 प्रतिशत**	Not Applicable	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (तत्कालीन रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड)2	भारत	**100 प्रतिशत**	Not Applicable	ट्रांसमिशन
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड3	भारत	**100 प्रतिशत**	Not Applicable	ट्रांसमिशन
बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड4	भारत	**100 प्रतिशत**	Not Applicable	ट्रांसमिशन

*कंपनी का गठन प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पर आबंटित वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में किया गया था। सीईआरसी के आदेश दिनांक 09.05.2013 और 27.09.2013 द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम को उसके वर्तमान स्वरूप में निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इस परिदृश्य में, कंपनी आगे कोई गतिविधि करने में असमर्थ है और एक चालू संगठन नहीं है।

1 28.12.2020 को शामिल किया गया।

2 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 09.03.2021 को 100 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया गया।

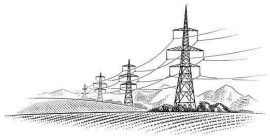

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

3 26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम)।

4. 25.03.2021 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 40 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया गया।

5 टिप्पणी 19। "बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्ति" देखें।

क) सभी सहायक कंपनियां असूचीबद्ध संस्थाएं हैं।

ख) बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड को छोड़कर, समेकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जाती है।

ग) कंपनी ने पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 206.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.40 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

घ) कंपनी ने पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 9.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 44.00 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ड.) कंपनी ने पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 67.00 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

च) कंपनी ने पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 2.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 91.00 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

छ) कंपनी ने पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 193.50 करोड़) का निवेश किया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ज) कंपनी ने पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 260.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 289.32 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

झ) कंपनी ने पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 93.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 119.95 करोड़) का निवेश किया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ट) कंपनी ने पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹ 43.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 125.00 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ठ) कंपनी ने पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 77.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) का निवेश किया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ड) कंपनी ने पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹161.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का निवेश किया है, जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ढ़) कंपनी ने पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 97.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ण) कंपनी ने पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

त) कंपनी ने पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 111.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) का और निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

थ) कंपनी ने पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 113.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

द) कंपनी ने पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 21.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ध) कंपनी ने पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹ 32.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.01 करोड़) का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

न) वर्ष के दौरान कंपनी ने सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ₹0.05 करोड़ का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सीटीयू के सभी कार्यों को करने और निर्वहन करने के लिए कंपनी को 28.12.2020 को शामिल किया गया था (टिप्पणी संख्या 68 देखें)।

प) वर्ष के दौरान कंपनी ने पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹ 0.05 करोड़ का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी को आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से शेयर खरीद समझौते दिनांक 09.03. 2021 के तहत प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया था, ट्रांसफर के बाद पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

फ) वर्ष के दौरान कंपनी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (टिप्पणी संख्या 52 देखें) से 74 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जेपी पावरग्रिड लिमिटेड में ₹ 354.50 करोड़ का निवेश किया है जिसके माध्यम से यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

ब) वर्ष के दौरान कंपनी ने बीकानेर–प्प भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड में ₹ 0.01 करोड़ का निवेश किया है जो कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से शेयर खरीद समझौते दिनांक 25.03.2021 के तहत प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ले लिया गया था, स्थानांतरण के बाद बीकानेर– II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

2. संयुक्त उद्यम

31.03.2021 तक कंपनी के संयुक्त उद्यम नीचे दिए गए हैं, जो प्रबंधन की राय में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं के पास शेयर पूंजी है जिसमें केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो सीधे स्वामित्व के हित में उसी अनुपात में धारित हैं, जो वोटिंग अधिकारों के अनुपात में हैं:

संस्थान का नाम	व्यवसाय स्थल	शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत)		कैरिंग राशि		गतिविधि की प्रकृति
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	(₹ करोड़ में)
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	**49 प्रतिशत**	49 प्रतिशत	**469.63**	465.45	भूटान में ताला एचईपी से जुड़ी पारेषण प्रणाली – अगस्त' 06 से सफल संचालन के तहत
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	**26 प्रतिशत**	26 प्रतिशत	**34.67**	33.86	सूरत में 1100 मेगावाट की सुजेन उत्पादन परियोजना से जुड़ी पारेषण प्रणाली – मार्च'11 में उत्तरोत्तर चालू
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड1	भारत	**लागू नहीं**	26 प्रतिशत	–	112.46	हिमाचल प्रदेश में करचम–वांगटू में 1000 मेगावाट बिजली परियोजना से जुड़ी पारेषण प्रणाली – अप्रैल' 12 में उत्तरोत्तर चालू
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26 प्रतिशत**	26 प्रतिशत	**86.60**	105.39	पारबती–II (800 मेगावाट) और कोल्डम (800 मेगावाट) एचईपी से जुड़ी पारेषण लाइनें – नवंबर'15 में उत्तरोत्तर कमीशन किया गया
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड2	भारत	**30.92 प्रतिशत**	30.92 प्रतिशत	**140.02**	128.67	सिक्किम में 1200 मेगावाट तीस्ता–III एचईपी से जुड़ी पारेषण प्रणाली
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26 प्रतिशत**	26 प्रतिशत	**124.62**	121.10	त्रिपुरा के पल्लटाना में 726.6 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना से जुड़ी पारेषण प्रणाली – फरवरी'15 मंत उत्तरोत्तर कमीशन किया गया
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**20 प्रतिशत**	20 प्रतिशत	**18.22**	21.96	उच्च शक्ति शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा बनाने के लिए
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	**50 प्रतिशत**	50 प्रतिशत	**431.29**	303.59	बिहार राज्य में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना
कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड 3	भारत	**लागू नहीं**	50 प्रतिशत	–	–	ओडिशा राज्य में इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	**26 प्रतिशत**	26 प्रतिशत	**29.97**	28.57	मुजफ्फरपुर से सुरसंडा तक भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से की स्थापना
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड4	भारत	**50 प्रतिशत**	50 प्रतिशत	–	–	ट्रांसमिशन लाइन टॉवर पार्ट्स प्लांट के निर्माण की स्थापना
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	**26 प्रतिशत**	26 प्रतिशत	**11.83**	11.13	ढलकेबार से भट्टामोद तक भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के नेपाल हिस्से की स्थापना

1 25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम (26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।

2 पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरधारिता समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने शेयर का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई, जबकि शेयरधारिता समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

3 एमसीए वेबसाइट के अनुसार कंपनी (मैसर्स केबीपीएनएल) की वर्तमान स्थिति "स्ट्राइक ऑफ" है।

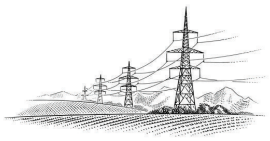

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

4 पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 05.11.2019 को आयोजित अपनी बैठक में नीति आयोग को आगे प्रस्तुत करने के लिए इस्पात मंत्रालय को फिर से बंद करने का प्रस्ताव रखने की सलाह दी है। इस्पात मंत्रालय ने पत्र दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से आरआईएनएल को सूचित किया कि आरपीटीपीएल को बंद करने की जांच की जा रही है और आरआईएनएल से और स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदनुसार, आरआईएनएल द्वारा संबंधित सूचना इस्पात मंत्रालय को अग्रेषित की गई थी। शासन से मंजूरी का अभी इंतजार है।

क) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियां गैर–सूचीबद्ध संस्थाएं हैं।

ख) पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड और नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को छोड़कर, समेकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं।

ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (टिप्पणी संख्या 52 देखें) से 74 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जेपी पावरग्रिड लिमिटेड में ₹ 354.50 करोड़ का निवेश किया है, जिसके माध्यम से यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

घ) कंपनी ने तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें 30.92 प्रतिशत शेयर कंपनी के पास है और शेष 69.08 प्रतिशत शेयर तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के पास है, में ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.56 करोड़) का निवेश किया है। .

ड.) कंपनी ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹ 33.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 85.61 करोड़) का और निवेश किया है, जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सा कंपनी के पास है और शेष 50 प्रतिशत हिस्सा बिहार राज्य पावर के पास है।

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
कंपनी का शेयर		
प्रतिबद्धता	**170.87**	390.29
आकस्मिक देयताएं	**53.54**	51.32
कुल प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं	**224.41**	**441.61**

संयुक्त उद्यमों के लिए वित्तीय जानकारी का सारांश::

नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। बताई गई जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों को दर्शाती है।

तुलन पत्र का सारांश (₹ करोड़ में)

विवरण	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
वर्तमान आस्तियां								
नकद और नकद समकक्ष	**8.23**	0.11	**3.51**	0.46	**-**	7.59	**39.50**	95.58
अन्य आस्तियां	**155.71**	189.51	**34.58**	45.55	**-**	67.54	**134.63**	123.64
कुल वर्तमान आस्तियां	**163.94**	**189.62**	**38.09**	**46.01**	**-**	**75.13**	**174.13**	**219.22**
कुल गैर दृ वर्तमान आस्तियां	**875.08**	**883.62**	**140.09**	**156.33**	**-**	**615.92**	**643.67**	**719.36**
वर्तमान देयताएं								
वित्तीय देयताएं	**53.89**	100.55	**31.80**	30.39	**-**	88.12	**134.56**	131.57
अन्य देयताएं	**16.33**	11.89	**2.03**	6.37	**-**	10.30	**0.25**	2.70
कुल वर्तमान देयताएं	**70.22**	**112.44**	**33.83**	**36.76**	**-**	**98.42**	**134.81**	**134.27**
गैर वर्तमान देयताएं								
वित्तीय देयताएं	**8.72**	8.90	**5.20**	25.67	**-**	159.98	**349.93**	398.39
अन्य देयताएं	**1.65**	2.00	**5.82**	9.68	**-**	0.11	**-**	0.57
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	**10.37**	**10.90**	**11.02**	**35.35**	**-**	**160.09**	**349.93**	**398.96**
निवल आस्तियां	**958.43**	**949.90**	**133.33**	**130.23**	**-**	**432.54**	**333.06**	**405.35**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

तुलन पत्र का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
वर्तमान आस्तियां								
नकद और नकद समकक्ष	**38.42**	1.98	**59.57**	0.40	**4.09**	2.48	**110.06**	164.20
अन्य आस्तियां	**83.74**	102.44	**211.47**	226.51	**5.53**	10.42	**571.56**	217.80
कुल वर्तमान आस्तियां	**122.16**	**104.42**	**271.04**	**226.91**	**9.62**	**12.90**	**681.62**	**382.00**
कुल गैर दृ वर्तमान आस्तियां	**1,459.61**	**1,562.56**	**1,465.02**	**1,561.00**	**332.97**	**337.29**	**2,555.73**	**2,452.37**
वर्तमान देयताएं								
वित्तीय देयताएं	**167.46**	224.50	**111.22**	139.95	**64.68**	62.55	**156.13**	142.34
अन्य देयताएं	**39.31**	39.01	**136.97**	81.05	**0.01**	0.80	**51.38**	129.58
कुल वर्तमान देयताएं	**206.77**	**263.51**	**248.19**	**221.00**	**64.69**	**63.35**	**207.51**	**271.92**
गैर वर्तमान देयताएं								
वित्तीय देयताएं	**895.77**	986.41	**945.01**	1,048.74	**186.54**	176.77	**2,036.08**	1,823.27
अन्य देयताएं	**26.40**	0.92	**63.55**	52.39	**0.28**	0.25	**131.18**	132.01
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	**922.17**	**987.33**	**1,008.56**	**1,101.13**	**186.82**	**177.02**	**2,167.26**	**1,955.28**
निवल आस्तियां	**452.83**	**416.14**	**479.31**	**465.78**	**91.08**	**109.82**	**862.58**	**607.17**

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
वर्तमान आस्तियां						
नकद और नकद समकक्ष	**18.24**	18.89	**0.19**	0.19	**0.41**	0.67
अन्य आस्तियां	**36.52**	61.43	**-**	-	**45.27**	41.05
कुल वर्तमान आस्तियां	**54.76**	**80.32**	**0.19**	**0.19**	**45.68**	**41.72**
कुल गैर दृ वर्तमान आस्तियां	**203.31**	**186.89**	**-**	**-**	**74.70**	**79.73**
वर्तमान देयताएं						
वित्तीय देयताएं	**15.56**	15.85	**1.49**	0.56	**4.31**	4.18
अन्य देयताएं	**1.38**	2.42	**0.08**	-	**2.56**	3.41
कुल वर्तमान देयताएं	**16.94**	**18.27**	**1.57**	**0.56**	**6.87**	**7.59**
गैर वर्तमान देयताएं						
वित्तीय देयताएं	**121.56**	134.35	**-**	-	**68.02**	71.06
अन्य देयताएं	**4.32**	4.70	**-**	-	**-**	-
कुल गैर–वर्तमान देयताएं	**125.88**	**139.05**	**-**	**-**	**68.02**	**71.06**
निवल आस्तियां	**115.25**	**109.89**	**(1.38)**	**(0.37)**	**45.49**	**42.80**

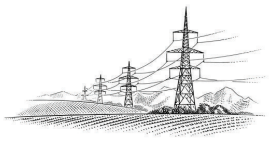

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

कैरिंग राशियों का समंजस्यः

विवरण	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
प्रारंभिक निवल आस्तियां	**949.90**	913.40	**130.23**	136.72	**-**	405.56	**405.35**	366.54
जेवी भागीदारों द्वारा निवेश	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के लिए लाभ	**102.01**	121.14	**19.31**	18.48	**-**	57.28	**60.97**	84.73
अन्य व्यापक आय	**0.12**	(0.01)	**(0.01)**	(0.02)	**-**	(0.01)	**0.36**	0.13
लाभांश का भुगतान	**93.60**	84.63	**16.20**	24.95	**-**	19.89	**135.04**	46.05
अन्य समायोजन	**-**	-	**-**	-	**-**	(10.40)	**1.42**	-
समापन निवल आस्तियां	**958.43**	**949.90**	**133.33**	**130.23**	**-**	**432.54**	**333.06**	**405.35**
प्रतिशत में कंपनी का शेयर	**49%**	49%	**26%**	26%	**-**	26%	**26%**	26%
रूपए में कंपनी का शेयर	**469.63**	465.45	**34.67**	33.86	**-**	112.46	**86.60**	105.39
कैरिंग राशि	**469.63**	**465.45**	**34.67**	**33.86**	**-**	**112.46**	**86.60**	**105.39**

(₹ करोड़ में)

विवरण	तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
प्रारंभिक निवल आस्तियां	**416.14**	359.43	**465.78**	483.51	**109.82**	130.38	**607.17**	391.85
जेवी भागीदारों द्वारा निवेश	**-**	14.56	**-**	-	**-**	-	**66.00**	171.21
वर्ष के लिए लाभ	**46.05**	43.38	**75.24**	59.10	**(19.22)**	(21.86)	**201.67**	43.91
अन्य व्यापक आय	**(0.07)**	0.05	**0.01**	(0.02)	**(0.01)**	(0.05)	**-**	-
लाभांश का भुगतान	**-**	-	**61.72**	59.51	**-**	-	**-**	-
अन्य समायोजन	**(9.29)**	(1.28)	**-**	(17.30)	**0.49**	1.35	**(12.26)**	0.20
समापन निवल आस्तियां	**452.83**	**416.14**	**479.31**	**465.78**	**91.08**	**109.82**	**862.58**	**607.17**
प्रतिशत में कंपनी का शेयर	**30.92%**	30.92%	**26%**	26%	**20%**	20%	**50%**	50%
रूपए में कंपनी का शेयर	**140.02**	128.67	**124.62**	121.10	**18.22**	21.96	**431.29**	303.59
कैरिंग राशि	**140.02**	**128.67**	**124.62**	**121.10**	**18.22**	**21.96**	**431.29**	**303.59**

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
प्रारंभिक निवल आस्तियां	**109.89**	88.57	**(0.37)**	7.94	**42.80**	40.20
जेवी भागीदारों द्वारा निवेश	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के लिए लाभ	**14.74**	21.39	**(1.01)**	(8.31)	**7.76**	7.65
अन्य व्यापक आय	**-**	-	**-**	-	**-**	-
लाभांश का भुगतान	**10.19**	-	**-**	-	**5.06**	5.06
अन्य समायोजन	**0.81**	(0.07)	**-**	-	**(0.01)**	0.01
समापन निवल आस्तियां	**115.25**	**109.89**	**(1.38)**	**(0.37)**	**45.49**	**42.80**
प्रतिशत में कंपनी का शेयर	**26%**	26%	**50%**	50%	**26%**	26%
रूपए में कंपनी का शेयर	**29.97**	28.57	**-**	-	**11.83**	11.13
कैरिंग राशि	**29.97**	**28.57**	**-**	**-**	**11.83**	**11.13**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		जेपी पावरग्रिड लिमिटेड		पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
प्रचालन से राजस्व	**117.01**	92.25	**42.12**	43.66	**-**	159.79	**167.37**	189.41
अन्य आय	**10.31**	7.02	**2.12**	2.24	**-**	3.71	**8.75**	19.62
कुल आय	**127.32**	**99.27**	**44.24**	**45.90**	**-**	**163.50**	**176.12**	**209.03**
कर्मचारी लाभ व्यय	**7.84**	6.91	**2.16**	2.05	**-**	3.59	**3.27**	3.43
वित्तीय लागत	**0.77**	0.75	**2.85**	4.81	**-**	33.88	**44.10**	47.46
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**0.71**	0.68	**16.45**	16.45	**-**	53.54	**49.32**	49.24
अन्य व्यय	**6.68**	7.91	**3.39**	3.74	**-**	5.58	**5.88**	5.46
कुल व्यय	**16.00**	**16.25**	**24.85**	**27.05**	**-**	**96.59**	**102.57**	**105.59**
कर व्यय	**9.31**	(38.12)	**0.08**	0.37	**-**	9.63	**12.58**	18.71
वर्ष के लिए लाभ	**102.01**	121.14	**19.31**	18.48	**-**	57.28	**60.97**	84.73
अन्य व्यापक आय	**0.12**	(0.01)	**(0.01)**	(0.02)	**-**	(0.01)	**0.36**	0.13
कुल व्यापक आय	**102.13**	**121.13**	**19.30**	**18.46**	**-**	**57.27**	**61.33**	**84.86**
प्राप्त लाभांश	**45.86**	34.40	**4.21**	5.38	**-**	4.29	**35.11**	9.93

(₹ करोड़ में)

विवरण	तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
प्रचालन से राजस्व	**299.42**	268.69	**306.63**	314.15	**15.39**	11.37	**460.20**	212.36
अन्य आय	**0.84**	9.64	**17.33**	11.67	**0.16**	0.16	**41.88**	15.54
कुल आय	**300.26**	**278.33**	**323.96**	**325.82**	**15.55**	**11.53**	**502.08**	**227.90**
कर्मचारी लाभ व्यय	**7.09**	7.04	**5.76**	4.59	**1.86**	1.75	**12.49**	4.31
वित्तीय लागत	**133.81**	150.55	**131.82**	113.26	**18.91**	16.67	**164.87**	66.47
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**87.34**	87.60	**117.37**	117.53	**8.32**	7.64	**95.60**	86.83
अन्य व्यय	**10.06**	9.78	**12.29**	14.92	**5.68**	7.33	**28.55**	12.53
कुल व्यय	**238.30**	**254.97**	**267.24**	**250.30**	**34.77**	**33.39**	**301.51**	**170.14**
कर व्यय	**15.91**	(20.02)	**(18.52)**	16.42	**-**	-	**(1.10)**	13.85
वर्ष के लिए लाभ	**46.05**	43.38	**75.24**	59.10	**(19.22)**	(21.86)	**201.67**	43.91
अन्य व्यापक आय	**(0.07)**	0.05	**0.01**	(0.02)	**(0.01)**	(0.05)	**-**	-
कुल व्यापक आय	**45.98**	**43.43**	**75.25**	**59.08**	**(19.23)**	**(21.91)**	**201.67**	**43.91**
प्राप्त लाभांश	**-**	-	**16.05**	12.83	**-**	-	**-**	-

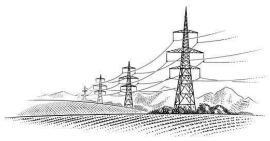

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
प्रचालन से राजस्व	**5.89**	6.51	**-**	-	**16.31**	16.46
अन्य आय	**27.55**	34.23	**-**	-	**3.48**	3.06
कुल आय	**33.44**	**40.74**	**-**	**-**	**19.79**	**19.52**
कर्मचारी लाभ व्यय	**1.35**	1.14	**-**	-	**0.83**	0.75
वित्तीय लागत	**13.61**	14.89	**-**	-	**4.02**	3.90
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**0.03**	0.02	**-**	-	**5.20**	5.20
अन्य व्यय	**3.71**	3.30	**1.01**	8.31	**1.25**	1.49
कुल व्यय	**18.70**	**19.35**	**1.01**	**8.31**	**11.30**	**11.34**
कर व्यय	**-**	-	**-**	-	**0.73**	0.53
वर्ष के लिए लाभ	**14.74**	21.39	**(1.01)**	(8.31)	**7.76**	7.65
अन्य व्यापक आय	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल व्यापक आय	**14.74**	**21.39**	**(1.01)**	**(8.31)**	**7.76**	**7.65**
प्राप्त लाभांश	**2.65**	1.26	**-**	-	**1.32**	1.32

45. पूर्व दक्षिण इंटर कनेक्टर–II ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (ईएसआई) और सासाराम ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (एसटीपी) के लिए प्रभावी आपूर्ति के संबंध में प्राप्त किए गए निर्यात लाभ के नकद समकक्ष, ईएसआई परियोजना के संबंध में सम्पूर्ण आपूर्ति के लिए और मार्च 2000 से पहले की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक ऋण की अनुपलब्धता के कारण 2002–03 के दौरान विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशानुसार सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को भुगतान किया गया था और इसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया। इसके बाद, विश्व बैंक ने ईएसआई परियोजना और एसटीपी परियोजना दोनों को मूल रूप से परिकल्पित किया और उन्हें निर्यात लाभ के लिए पात्रता मिल गई। नतीजतन, कंपनी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ दावे किए हैं।

इस संबंध में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त और विपूंजीकृत की गई संचयी राशि ₹ 12.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12.12 करोड़) है। कंपनी ने संबंधित आस्तियों/परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में शेष ₹ 197.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 197.87 करोड़) को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों से प्राप्त होने तक दिखाना जारी रखा।

46. क) आस्तियों और व्यपरों तथा अन्य देयताओं के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्तियों और पुनर्प्राप्त करने कुछ शेष राशि में शामिल है, यदि कोई हो तो पुष्टि / विनियोजन और परिणामी समायोजन के अधीन शेष राशि शामिल है। हालांकि, विनियोजन निरंतर आधार पर किया जाता है। प्रबंधन विनियोजन के परिणामस्वरूप खातों की बहियों में किसी भी सामाग्री के समायोजन की उम्मीद नहीं करता है।

ख) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलावा किसी भी आस्ति का मूल्य और व्यापार के सामान्य दौर में प्राप्ति पर गैर–वर्तमान निवेश उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर वे तुलनपत्र में बताए गए हैं।

47. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण – "ग्राहक के साथ संविदा से राजस्व"

क) उपलब्धियों पर आधारित संविदाओं (परामर्श संविदा) के लिए, असंतुष्ट निष्पादन दायित्व निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य	**2,477.46**	2,611.14
इन निष्पादन दायित्वों के भीतर संतुष्ट होने की उम्मीद है	**3 Years**	4 Years

ख) वर्ष के दौरान गैर भुगतानित राजस्व में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है::

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभ में शेष राशि	**5,332.25**	6,596.23
जोड़ें: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	**6,587.47**	3,243.32
घटाएं: अवधि के दौरान चालान किया गया	**4,541.51**	4,613.01
घटाएं: अवधि के दौरान हानि/उत्क्रमण	**-**	(105.71)
घटाएं: बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत	**196.99**	-
जोड़ें/(घटाएं): अन्य समायोजन	**(6.01)**	-
अंत में शेष राशि	**7,175.21**	5,332.25

ग) उवर्ष के दौरान संविदा देयता में उतार–चढ़ाव इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभ में शेष राशि	**1,164.02**	1,261.19
जोड़ें: अवधि के दौरान अग्रिम बिलिंग	**548.83**	537.01
घटाएं: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व		
क) अवधि की शुरुआत में संविदा देयता तक	**588.09**	558.07
ख) अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त संविदा देयता तक	**89.45**	76.37
जोड़ें: रूपान्तरण लाभ/(हानि)	**(0.17)**	0.26
अंत में शेष राशि	**1,035.14**	1,164.02

घ) यह संस्थान अपने पिछले अनुभवों के रिफंड या राजस्व की मात्रा में महत्वपूर्ण उलटफेर पर विचार करते हुए अपेक्षित मूल्य पद्धति के आधार पर लेनदेन की कीमत निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अनुमान लगाने में, प्रबंधन प्रतिफल की प्रतिनियुक्त दर के आधार पर लेनदेन मूल्य में अंतर्निहित वित्तपोषण तत्व पर विचार करता है। लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में अनुबंधित मूल्य की दृष्टि से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है::

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुबंधित मूल्य	**38,703.41**	36,260.84
जोड़ें/(कम)– ग्राहक को दी जाने वाली रियायत/छूट	**(116.64)**	(139.26)
जोड़ें/(कम)– निष्पादन बोनस	**480.90**	429.20
जोड़ें/(कम)– महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के लिए समायोजन	**73.10**	96.70
जोड़ें/(कम)– अन्य समायोजन	**499.02**	1,096.06
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**39,639.79**	37,743.54

48ण लाभ और हानि के विवरण मे

(i) एफईआरवी लाभ ₹ 450.57 करोड़ (पिछले वर्ष एफईआरवी हानि ₹ 2,079.72 करोड़) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)/पट्टा प्राप्य की संबंधित अग्रणीत राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) ₹ 60.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 221.86 करोड़) की एफईआरवी नुकसान को मान्यता दी गई है।

49. ठवर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत ₹ 806.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,120.31 करोड़) है, जो इंड–एएस 23 'उधार लागत' के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित अग्रणीत राशि है।

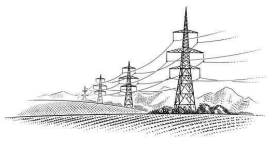

50. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। कंपनी अधिनियम 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	व्यापार का भुगतान		अन्य	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि के बिना मूल राशि और ब्याज:				
	मूल	**29.75**	11.58	**3.65**	2.98
	ब्याज	**0.01**	0.01	**-**	-
2	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	**-**	0.04	**-**	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	**0.01**	-	**-**	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	**0.01**	0.01	**-**	-
5	अगले वर्षों में देय और देय राशि की शेष राशि, तब तक भी जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में भुगतान करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है।	**-**	-	**-**	-

51. भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण – "पट्टे"

क) एक पट्टेदार के रूप में – वित्त पट्टे:

कंपनी ने राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी आस्तियों और वित्तीय पट्टों के रूप में द्विपक्षीय आस्तियों की व्यवस्थाओं का वर्गीकरण और लेखा–जोखा किया है। राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी के लिए समझौते 15 वर्ष की अवधि के लिए हैं और लाभार्थी के साथ द्विपक्षीय लाइन आस्तियां सीईआरसी विनियमों और ट्रांसमिशन सेवा समझौतों (टीएसए) में निर्दिष्ट अवधि के लिए हैं।

अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियों और अन्य वर्तमान वित्तीय आस्तियों में पट्टे पर प्राप्तकर्ता शामिल हैं, जो कि राज्य क्षेत्र यूएलडीसी और द्विपक्षीय लाइन आस्तियों के संबंध में कंपनी के साथ कंपनी द्वारा दर्ज किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्य भविष्य के पट्टे के किराये के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित इंड एएस 116 'पट्टों' की प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे, अनर्जित वित्त आय और न्यूनतम पट्टा में सकल निवेश भुगतान प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पट्टे में सकल निवेश	**2127.52**	1547.26
अनर्जित वित्त आय	**1323.41**	980.06
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	**804.11**	567.20

51. Disclosure as per Ind AS 116 - "Leases" (Contd.)

(ii) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपी का वर्तमान मूल्य	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
एक वर्ष के बाद नहीं	**160.99**	132.37	**55.72**	50.15
एक वर्ष के बाद और दो वर्ष के बाद नहीं	**160.60**	127.38	**57.04**	46.21
दो वर्ष के बाद और तीन वर्ष के बाद नहीं	**160.41**	127.19	**58.71**	47.02
तीन वर्ष के बाद और चार वर्ष के बाद नहीं	**160.20**	127.19	**60.57**	48.14
चार वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	**159.99**	127.19	**62.63**	49.39
पांच वर्ष के बाद	**1,325.33**	905.94	**509.44**	326.29
कुल	**2,127.52**	**1,547.26**	**804.11**	**567.20**

(iii) खातों और प्रशुल्क रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के अंत में प्राप्य शेष राशि में अंतर हैंरू

(क) ₹ 53.36 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 61.30 करोड़) की राशि का अनुमोचित दायित्व। ऐसी लागत केवल ऐसी देयताओं के निर्वहन पर परियोजना लागत बन जाती है।

(ख) ₹ 51.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21.47 करोड़) की राशि पट्टे के प्राप्य में शामिल ऋणों पर अनाशोधित एफईआरवी को वास्तविक भुगतान के आधार पर प्रशुल्क के भाग के रूप में वसूल करने की अनुमति है।

ख) पट्टेदार के रूप मेंरू

कंपनी ने पट्टे पर विभिन्न अवधियों के लिए डार्क फाइबर, कोलोकेशन और रिपीटर शेल्टर स्पेस और कार्यालय भवन आदि जैसी संपत्ति ली है, जिनका मूल्यांकन और लेखांकन इंड एएस 116 – "पट्टे" की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और उक्त भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण इस प्रकार हैंरू

(i) आरओयू आस्तियां:

वर्ष में उपयोग आस्तियों के अधिकार पर अतिरिक्त, समाप्ति/निपटान और मूल्यह्रास शुल्क और अंतर्निहित आस्ति के वर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में उसी की वहन राशि का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 4 में किया गया है। मद के रूप में एक अलग लाइन।

(ii) पट्टा देयताएं:

वर्ष के लिए पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय टिप्पणी संख्या 38 के तहत दिखाया गया है और वर्ष में पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह का प्रकटन अलग–अलग मद के रूप में वित्तीय गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह के विवरण में बताया गया है और पट्टा देयताओं के परिपक्वता विश्लेषण का प्रकटन टिप्पणी संख्या 64 में किया गया है।

(iii) लघु अवधि के पट्टेरू

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पावधि पट्टों के संबंध में ₹ 37.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 48.85 करोड़) व्यय किए हैं।

कंपनी अल्पकालिक पट्टों के लिए प्रतिबद्ध थी और वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे पट्टों की कुल प्रतिबद्धता ₹ 5.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.83 करोड़) थी।

52. भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार प्रकटीकरण – "व्यावसायिक संयोजन"

कंपनी के पास जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (जेपीएल) (कंपनी और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम) की शेयर पूंजी का संयुक्त नियंत्रण और 26 प्रतिशत शेयर था। कंपनी ने 25 मार्च, 2021 को शेयर खरीद समझौते के माध्यम से अन्य संयुक्त उद्यम से शेष ब्याज (74 प्रतिशत) हासिल किया और संयुक्त उद्यम समझौते को समाप्त कर दिया। जैसा कि जेपीएल एक विनियमित प्रशुल्क तंत्र में है, जिसमें कंपनी के समान अनुमानित रिटर्न है और इसके संचालन के पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, कंपनी को लागत अनुकूलन और साझा संसाधनों के मामले में लाभ होगा।

i) विचार अंतरित किया गया:

जेपीएल के अधिग्रहण के लिए कुल ₹ 354.50 करोड़ की खरीद में से ₹ 351.65 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में नकद और नकद समकक्षों में किया गया है और शेष ₹ 2.85 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है।

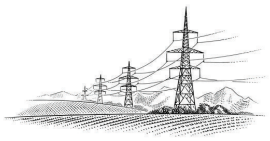

52. भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार प्रकटीकरण – "व्यावसायिक संयोजन" (जारी)

ii) अधिग्रहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देयताएंः

निम्नलिखित तालिका अधिग्रहण की तिथि के अनुसार मानी गई आस्तियों और देयताओं की मान्यता प्राप्त राशियों का सारांश प्रस्तुत करती हैरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण	529.51
अन्य गैर – वर्तमान आस्ति	0.02
आस्थगित कर आस्तियां	20.57
वर्तमान आस्ति	101.48
विनियामक आस्थगन खाता शेष	15.79
गैर वर्तमान देयताएं	(110.89)
वर्तमान देयताएं	(76.40)
अर्जित की गई कुल निवल पहचान योग्य आस्ति	**480.08**

iii) पूंजीगत रिजर्वः

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
निवल पहचान योग्य आस्तियों का उचित मूल्य	480.08
घटाएंरू पहले से धारित इक्विटी ब्याज का उचित मूल्य	124.82
घटाएँरू 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर विचार	354.50
पूंजीगत रिजर्व	**0.76**

iv) राजस्व और लाभ योगदान

जेपीएल के अधिग्रहण ने 25 मार्च, 2021 से कर पूर्व लाभ में ₹ 2.43 करोड़ और ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व का योगदान दिया है। यदि अधिग्रहण 1 अप्रैल, 2020 को हुआ होता, तो 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का समेकित प्रो–फॉर्मा राजस्व और कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹39,785. 11 करोड़ और ₹15,188.40 करोड़ होता।

v) खरीद प्रतिफल – नकद बहिर्वाहः

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
सहायक कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए नकदी का बहिर्वाह (अधिग्रहित नकदी का निवल)	
कुल विचाराधीन	354.50
घटाएंरू विचार किया जाना अभी बाकी है	2.85
घटाएंरू अर्जित नकद और नकद समकक्ष	43.26
नकदी का निवल बहिर्वाह – निवेश गतिविधियां	**308.39**

vi) अधिग्रहण पर अर्जित आकस्मिक देयताएंरू

अधिग्रहण की तिथि पर भूमि/फसल/वृक्ष मुआवजे के मामलों के संबंध में जेपीएल की आकस्मिक देनदारी ₹1.50 करोड़ है।

vii) पहले से धारित इक्विटी ब्याज के पुनर्मापन पर लाभ/(हानि)रू

कंपनी के पास पहले जेपीएल में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जिसे 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की तारीख तक संयुक्त उद्यम में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कंपनी द्वारा जेपीएल में वर्तमान इक्विटी ब्याज पर कोई लाभ/(हानि) मान्य नहीं है क्योंकि अधिग्रहण की तारीख तक उचित मूल्य पहले से धारित इक्विटी ब्याज के वहन मूल्य के बराबर है।

53. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण

i) दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति

यह कंपनी मुख्य रूप से बिजली के पारेषण के कारोबार में लगी हुई है। सीईआरसी द्वारा बिजली का पारेषण शुल्क प्रशुल्क विनियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत पर आधारित है और इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय सहित वार्षिक निश्चित लागत की वसूली के लिए पारेषण शुल्क प्रदान करता है।

ii) मान्यता और मापन

सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) के निपटान/रूपान्तरण के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले एफईआरवी को नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में हिसाब में लिया जाता है। 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद आहरित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में

53. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण (जारी)

सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार वसूली योग्य सीमा तक विनिमय अंतर को नियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी को उम्मीद है कि आस्ति के जीवन पर प्रशुल्क के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से या ऋण के पुनर्भुगतान पर विनिमय दर भिन्नता के रूप में इन राशियों को वसूल किया जाएगा।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के लिए प्रशुल्क मानदंड पारेषण आय के आधार पर पारेषण पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न के सकल लाभ प्रदान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को श्आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित आस्तियोंश के रूप में देखा जाता है। जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक हिस्सा बनती है तब वर्ष में आस्थगित कर देयता के प्रतिकूल आस्थगित आस्तियां भविष्य के वर्षों (कर अवकाश अवधि सहित) में बदल जाएगी।

वेतन संशोधन के कारण ₹ 134.16 करोड़ की संचयी राशि (पिछले वर्ष की संचयी राशि ₹ 134.16 करोड़) लाभार्थियों से वसूली योग्य है, यह नियामक आस्थगित खाता शेष में शामिल है और उस वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य हो जाते हैं। विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि छूट रहित आधार पर होती है।

iii) भविष्य की वसूली/विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के प्रत्यावर्तन से जुड़े जोखिम

(क) विनियमों में परिवर्तन के कारण विनियामक जोखिम।

(ख) मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम सहित अन्य जोखिम, यदि कोई हो।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान प्रशुल्क अवधि के बाद प्रशुल्क विनियमों में कोई भी परिवर्तन नियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली पर प्रभाव डाल सकता है।

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली बहियों में मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित खाता शेष (आस्तियाँ) इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
क	आरंभिक शेष	**10,123.06**	8,083.27
ख.	वर्ष के दौरान जोड़/(कटौती)	**506.93**	2,045.17
ग.	वर्ष के दौरान एकत्रित/वापसी की गई राशि	**70.65**	5.38
घ.	क) लाभ और हानि (ख–ग) के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आय/(व्यय)	**436.28**	2,039.79
	ख) व्यापार संयोजन पर जोड़	**15.79**	-
ड..	समापन शेष (क + घ)	**10,575.13**	10,123.06
च.	लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आय/(व्यय) पर कर	**74.60**	356.39

54. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण

क. ऋण की प्रकृति के ऋण और अग्रिमरू

1. संयुक्त उद्यमों के लिए

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया राशि		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यम				
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**18.40**	18.40	**18.40**	18.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**29.29**	77.12	**95.00**	191.72
कुल	**47.69**	**95.52**	**113.40**	**210.12**

2. उन फर्मों/कंपनियों के लिए जिनमें निदेशकों की रुचि है: शून्य

ख. पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि ऊपर बताया गया है): शून्यं)

55. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ–साथ डीपीई दिशानिर्देश संख्या एफ.सं.15 (13)ध्2013–डीपीई (जीएम) के साथ, समूह को खर्च करने की आवश्यकता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समूह के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत। तदनुसार, समूह ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 247.22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 349.36 करोड़) खर्च किए हैं।

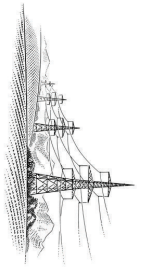

56. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी

(₹ in crore)

विवरण	निवल संपत्ति यानी संपत्ति घटा कुल देनदारियां				लाभ या हानि में हिस्सेदारी				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 तक		31.03.2020 तक		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	As % of consol. OCI	Amount	As % of consol. OCI	Amount	As % of consol. Total Comp. Income	Amount	As % of consol. Total Comp. Income	Amount
माता–पिता																
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	**91.41%**	**63,926.96**	93.50%	60,492.60	**93.36%**	**11,237.33**	95.32%	10,542.18	**99.49%**	**25.36**	100.00%	(104.02)	**93.37%**	**11,262.69**	95.28%	10,438.16
सहायक कंपनियों																
भारतीय																
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.37%**	**256.29**	0.37%	241.91	**0.75%**	**89.70**	0.44%	48.39	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.74%**	**89.70**	0.44%	48.39
पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.12%**	**83.73**	0.13%	81.40	**0.24%**	**29.48**	0.21%	23.37	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.24%**	**29.48**	0.21%	23.37
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.36%**	**252.87**	0.13%	83.27	**-0.31%**	**(37.05)**	-0.27%	(29.48)	**0.00%**	-	0.00%	-	**-0.31%**	**(37.05)**	-0.27%	(29.48)
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.55%**	**384.56**	0.55%	358.48	**1.13%**	**136.54**	0.72%	79.22	**0.00%**	-	0.00%	-	**1.13%**	**136.54**	0.72%	79.22
पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**1.18%**	**824.78**	1.11%	716.10	**0.90%**	**108.68**	0.08%	8.68	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.90%**	**108.68**	0.08%	8.68
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.03%**	**21.61**	0.04%	24.45	**0.04%**	**4.94**	0.09%	9.64	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.04%**	**4.94**	0.09%	9.64
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-0.03%**	**(19.41)**	-0.03%	(19.41)	**0.00%**	-	0.00%	(0.01)	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	(0.01)
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.46%**	**322.76**	0.58%	372.95	**0.91%**	**109.20**	1.37%	151.75	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.91%**	**109.20**	1.39%	151.75
पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.66%**	**465.06**	0.74%	478.95	**1.17%**	**140.28**	0.69%	76.09	**0.00%**	-	0.00%	-	**1.16%**	**140.28**	0.69%	76.09
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.81%**	**568.78**	0.45%	289.33	**0.16%**	**19.15**	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.16%**	**19.15**	0.00%	-
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.31%**	**214.44**	0.19%	119.99	**0.01%**	**0.95**	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.01%**	**0.95**	0.00%	-
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**0.24%**	**168.06**	0.19%	125.04	**0.00%**	**0.02**	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.00%**	**0.02**	0.00%	-
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.11%**	**78.25**	0.00%	0.05	**0.01%**	**1.05**	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.01%**	**1.05**	0.00%	-
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	**0.23%**	**161.02**	0.00%	(0.28)	**0.00%**	**(0.05)**	0.00%	(0.33)	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.00%**	**(0.05)**	0.00%	(0.33)
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.14%**	**97.71**	0.00%	0.01	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	-
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.07%**	**49.41**	0.00%	(0.59)	**0.00%**	-	0.00%	0.12	**0.00%**	-	0.00%	-	**0.00%**	-	0.00%	0.12

56. Additional Information as required under Schedule III of the Companies Act, 2013 (Contd.)

(₹ in crore)

विवरण	निवल संपत्ति यानी संपत्ति घटा कुल देनदारियां				लाभ या हानि में हिस्सेदारी				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 तक		31.03.2020 तक		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	समेकित निवल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में जराशि	As % of consol. OCI	Amount	As % of consol. OCI	Amount	As % of consol. Total Comp. Income	Amount	As % of consol. Total Comp. Income	Amount
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.16%**	**111.66**	0.00%	(0.27)	**0.00%**	**(0.02)**	0.00%	(0.32)	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**(0.02)**	0.00%	(0.32)
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.16%**	**113.41**	0.00%	0.01	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.03%**	**20.64**	0.00%	(0.83)	**0.00%**	**-**	-0.01%	(0.88)	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	-0.01%	(0.88)
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.05%**	**32.01**	0.00%	0.01	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	**0.00%**	**0.02**	NA	NA	**0.00%**	**(0.03)**	NA	NA	**0.00%**	**-**	NA	NA	**0.00%**	**(0.03)**	NA	NA
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.00%**	**(0.46)**	NA	NA	**0.00%**	**(0.51)**	NA	NA	**0.00%**	**-**	NA	NA	**0.00%**	**(0.51)**	NA	NA
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**0.65%**	**455.05**	NA	NA	**-0.21%**	**(25.03)**	NA	NA	**0.00%**	**-**	NA	NA	**-0.21%**	**(25.03)**	NA	NA
बीकानेर–द्वितीय भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	**0.00%**	**0.01**	NA	NA	**0.00%**	**-**	NA	NA	**0.00%**	**-**	NA	NA	**0.00%**	**-**	NA	NA
संयुक्त उपक्रम																
भारतीय																
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.67%**	**469.63**	0.72%	465.45	**0.41%**	**49.98**	0.54%	59.35	**0.24%**	**0.06**	0.01%	(0.01)	**0.42%**	**50.04**	0.54%	59.34
टोरेंट पॉवरग्रिड लिमिटेड	**0.05%**	**34.67**	0.05%	33.86	**0.04%**	**5.02**	0.04%	4.80	**0.00%**	**-**	0.01%	(0.01)	**0.04%**	**5.02**	0.05%	4.79
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**NA**	**NA**	0.17%	112.46	**0.12%**	**14.31**	0.13%	14.89	**0.00%**	**-**	0.01%	(0.01)	**0.12%**	**14.31**	0.14%	14.88
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.12%**	**86.60**	0.16%	105.39	**0.13%**	**15.86**	0.20%	22.03	**0.35%**	**0.09**	-0.03%	0.03	**0.13%**	**15.95**	0.20%	22.06
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.20%**	**140.02**	0.20%	128.67	**0.12%**	**14.24**	0.12%	13.41	**-0.08%**	**(0.02)**	-0.02%	0.02	**0.12%**	**14.22**	0.12%	13.43
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.18%**	**124.62**	0.19%	121.10	**0.16%**	**19.57**	0.14%	15.37	**0.00%**	**-**	0.01%	(0.01)	**0.16%**	**19.57**	0.14%	15.36
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्राइवेट लिमिटेड	**0.03%**	**18.22**	0.03%	21.96	**-0.03%**	**(3.84)**	-0.04%	(4.38)	**0.00%**	**-**	0.01%	(0.01)	**-0.03%**	**(3.84)**	-0.04%	(4.39)
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**0.62%**	**431.29**	0.47%	303.59	**0.84%**	**100.83**	0.20%	21.94	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.84%**	**100.83**	0.20%	21.94
कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	0.00%	-
क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.04%**	**29.97**	0.04%	28.57	**0.03%**	**3.84**	0.05%	5.55	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.03%**	**3.84**	0.05%	5.55
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	-0.04%	(3.97)	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.00%**	**-**	-0.04%	(3.97)
विदेश																
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	**0.02%**	**11.83**	0.02%	11.13	**0.02%**	**2.02**	0.02%	1.99	**0.00%**	**-**	0.00%	-	**0.02%**	**2.02**	0.02%	1.99
कुल	**100.00%**	**69,936.07**	**100.00%**	**64,695.35**	**100.00%**	**12,036.46**	**100.00%**	**11,059.40**	**100.00%**	**25.49**	**100.00%**	**(104.02)**	**100.00%**	**12,061.95**	**100.00%**	**10,955.38**

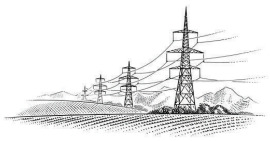

57. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
–पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	**93.30**		46.50	
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 56118350 शेयर)	**45.40**		52.40	
व्यापार प्राप्तियां		**3,675.53**		5,040.71
ऋण		**449.63**		427.99
नकद और नकद समकक्ष		**4,487.23**		4,849.59
बैंक में जमा राशि		**964.14**		615.42
अन्य वित्तीय संपत्ति				
वर्तमान		**8,038.97**		5,799.43
गैर वर्तमान		**4,341.04**		4,089.19
कुल वित्तीय संपत्ति	**138.70**	**21,956.54**	**98.90**	**20,822.33**
वित्तीय देनदारियों				
उधारी		**1,46,311.85**		1,51,544.13
व्यापार देनदारियां		**187.48**		226.54
अन्य वित्तीय देयताएं				
वर्तमान		**7,769.38**		8,661.13
गैर वर्तमान		**3,625.14**		3,523.13
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**1,57,893.85**	**-**	**1,63,954.93**

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और वित्तीय उपकरण जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। तालिका के नीचे प्रत्येक स्तर की व्याख्या इस प्रकार है।

वित्तीय साधन जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
31.03.2021 तक				
वित्तीय संपत्ति				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
–पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	93.30	-	-	93.30
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 56118350 शेयर)	-	45.40	-	45.40
कुल वित्तीय संपत्ति	**93.30**	**45.40**	**-**	**138.70**

57. उचित मूल्य मापन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
31.03.2020 तक				
वित्तीय संपत्ति				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
–पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	46.50	-	-	46.50
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (₹ 10 प्रत्येक के 56118350 शेयर)	-	52.40	-	52.40
कुल वित्तीय संपत्ति	**46.50**	**52.40**	**-**	**98.90**

वित्तीय साधन जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	31.03.2021 तक		31.03.2020 तक	
		ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य	ले जाने वाली राशि	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण					
संयुक्त उद्यम को ऋण	2	**52.88**	**49.04**	99.56	92.59
कर्मचारियों को ऋण	2	**396.75**	**379.82**	328.43	320.73
कुल वित्तीय संपत्ति		**449.63**	**428.86**	**427.99**	**413.32**
वित्तीय देनदारियों					
उधारी	2	**1,46,311.85**	**1,52,217.37**	1,51,544.13	1,56,511.73
संविदाकारों और अन्य से जमा ध प्रतिधारण राशि	2	**3,643.16**	**3,993.20**	3,546.74	3,853.29
कुल वित्तीय देनदारियां		**1,49,955.01**	**1,56,210.57**	**1,55,090.87**	**1,60,365.02**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं की राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

वित्तीय आस्तियों के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

स्तर 1रू स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉन्ड शामिल हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किया जाता है, उनका मूल्य निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2रू वित्तीय साधनों, जो सक्रिय बाजार (उदाहरण के लिए, ट्रेडे किए गए बॉन्ड) का उचित मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और कंपनी–विशेष के अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3रू यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। गैर–सूचीबद्ध इक्विटी के लिए यह मामला है, आकस्मिक प्रतिफल और क्षतिपूर्ति आस्तियों को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है। कंपनी की नीति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम स्तरों में अंतरण और स्थानान्तरण की पहचान करना है।

उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकः

वित्तीय लिखत के मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्न शामिल हैंरू

- समान लिखत के लिए उद्धृत बाजार मूल्य या डीलर उद्धरणों का उपयोग
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का उचित मूल्य निर्धारण तुलनीय सूचीबद्ध कीमतों के व्यापारिक गुणकों जैसे पीध्ई, ईवीध्ईबीआईटीडीए के लिए गुणात्मक समायोजन करके किया गया है। इसे स्तर 2 उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल किया गया है।
- शेष वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड के इक्विटी साधन, जिसे उचित मूल्य के अनुक्रम में स्तर 2 में शामिल किया गया है, इसके अलावा सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमानों को स्तर 1 उचित में शामिल किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है।

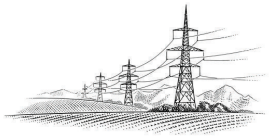

58. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (जारी)

(क) संयुक्त उद्यम

कंपनी का नाम	कारोबार का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्वहित का भाग	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49 प्रतिशत	49 प्रतिशत
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड1	भारत	लागू नहीं	26 प्रतिशत
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड2	भारत	30.92 प्रतिशत	30.92 प्रतिशत
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	20 प्रतिशत	20 प्रतिशत
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
कलिंग विद्युत प्रसार निगम प्राइवेट लिमिटेड 3	भारत	लागू नहीं	50 प्रतिशत
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड4	भारत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	26 प्रतिशत	26 प्रतिशत

[1]25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम (26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।

[2]पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्तावैल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयर धारित समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटि है। तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटि के आमंत्रण पर, पावरग्रिड ने अपना योगदान दिया, जबकि दूसरे संयुक्त उद्यम भागीदार ने अपने हिस्से के पैसे का योगदान नहीं दिया। इसके फलस्वरूप, शेयर धारित समझौते में प्रदान किए गए 26 प्रतिशत के बदले पावरग्रिड की धारित 30.92 प्रतिशत तक बढ़ गई।

[3]एमसीए वेबसाइट के अनुसार कंपनी (मैसर्स केबीपीएनएल) की वर्तमान स्थिति ष्स्ट्राइक ऑफष् है।

[4]01.05.2018 को आयोजित बैठक में पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही के समापन के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन लेने की मांग की। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 05 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में नीति आयोग को भविष्य में इस्पात मंत्रालय को फिर से बंद करने के प्रस्ताव को रखने की सलाह दी है। इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 29.09.2020 के पत्र के माध्यम से आरआईएनएल को सूचित किया कि आरपीटीपीएल को बंद करने की जांच की जा रही है और आरआईएनएल से और स्पष्टीकरण मांगा गया है। तदनुसार, आरआईएनएल द्वारा संबंधित सूचना इस्पात मंत्रालय को अग्रेषित की गई थी। सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के. श्रीकांत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सुश्री सीमा गुप्ता	निदेशक (कार्मिक) खनिदेशक (वित्त) 06.02.2020 से 05.05.2020 और 14.05.2020 से 03.07.2020 तक, का कार्यभार संभाला
श्री राजीव कुमार चौहान	निदेशक (परियोजनाएं) ख्31.10.2020 को निदेशक नहीं रहे,
श्री विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक)
एम ताज मुकर्रम	निदेशक (वित्त) 04.07.2020 से प्रभावी और सीएफओ 01.08.2020 से प्रभावी है
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजनाएं) 01.11.2020 से प्रभावी है

स्वतंत्र निदेशक

58. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (जारी)

नाम	पदनाम
श्री मनोज कुमार मित्तल	11.09.2020 तक स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती ए.आर. महालक्ष्मी	स्वतंत्र निदेशक
श्री एम.एन. वेंकटेशन	स्वतंत्र निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं अन्य केएमपी

नाम	पदनाम
श्री दिलीप निगम	सरकारी द्वारा नामित निदेशक ख्30.04.2020 को निदेशक नहीं रहे, और सरकार द्वारा नामित निदेशक 04.01.2021 से प्रभावी है
श्री तन्मय कुमार	सरकारी द्वारा नामित निदेशक ख्05.11.2020 को निदेशक नहीं रहे,
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05.11.2020 से प्रभावी है
श्रीमती दिव्या टंडन	कंपनी सचिव ख्कंपनी सचिव के रूप में 30.06.2020 से प्रभावी है,
श्री मृणाल श्रीवास्तव	कंपनी सचिव 01.07.2020 से प्रभावी है
श्री के.एस.आर.मूर्ति	सीएफओ ख्31.07.2020 को सीएफओ नहीं रहे,

(ग) अन्य संबंधित पक्षकारों की सूची

कंपनी/संस्थान का नाम	कार्य स्थान/निगमन देश	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड कर्मचारी पी. एफ. ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना
पावरग्रिड स्वतः अंशदायी अधिवर्षिता लाभ (पेंशन) फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना
पावरग्रिड कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की रोजगार के बाद लाभ योजना

(घ) सरकार से संबंधित इकाइयां

कंपनी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी एवं प्रदत्त 51.24 प्रतिशत इक्विटि शेयर (पिछले वर्ष 51.34 प्रतिशत) हैं।

कंपनी का पूंजीगत उपकरण, पुर्जों और सेवाओं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं के साथ व्यापार लेनदेन है। स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से पुर्जोंध्सेवाओं की खरीदध्या एकल अत्यावश्यकता, अनुकूलता या अन्य कारणों से निविदा आध्ाार। इस तरह की एकल निविदा खरीद समानध्समान वस्तुओं के उपलब्ध मूल्य डेटा के खिलाफ बेंचमार्क कीमतों के साथ बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

उपरोक्त लेन–देन सामान्य दिन–प्रतिदिन के व्यावसायिक संचालन के दौरान होते हैं और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं।

(ड.) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्रीध्खरीद से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित शेष राशि बकाया हैः (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्राप्य राशि		
संयुक्त उद्यमों को ऋण		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**18.40**	18.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**29.29**	77.12
कुल	**47.69**	**95.52**

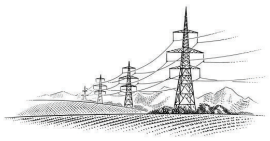

58. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
संयुक्त उद्यमों को ऋण पर अर्जित ब्याज		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**1.58**	0.83
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**3.61**	3.21
कुल	**5.19**	**4.04**
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण	**0.14**	0.09
अन्य प्राप्तिया		
संयुक्त उपक्रमरू		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.21**	0.02
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.44**	0.19
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**-**	0.02
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.38**	0.38
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**6.12**	5.75
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.25**	1.42
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**0.46**	0.62
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**1.63**	-
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.74**	0.67
कुल	**10.23**	**9.07**
अग्रिमध्देय राशि		
संयुक्त उपक्रम		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.54**	2.78
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.20**	-
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**48.03**	47.56
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**19.73**	20.29
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**0.01**	0.30
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**11.27**	11.12
संबंधित पक्षों को कुल देय राशि	**79.78**	**82.05**
अन्य संबंधित पार्टियां		
कर्मचारी लाभ ट्रस्ट के पास बकाया शेष राशि		
पावरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. विश्वास	**0.01**	34.74
पावरग्रिड सेल्फ कंट्रीब्यूटरी सुपरनेशन बेनिफिट (पेंशन) फंड ट्रस्ट	**-**	11.01
पावरग्रिड कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	**(0.42)**	16.22
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	**3.44**	27.14
कुल	**3.03**	**89.11**

(च) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेनदेन हुएः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं		
परामर्श आय		
संयुक्त उपक्रमः		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	-

58. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.67**	0.64
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**0.66**	0.64
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**1.12**	1.61
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**2.49**	4.49
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**0.81**	0.84
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**3.98**	13.11
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**1.75**	2.02
कुल	**11.48**	**23.35**
ऋण पर ब्याज		
संयुक्त उपक्रमरू		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**1.89**	1.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**9.82**	12.60
कुल	**11.71**	**14.00**
वर्ष के दौरान किए ग3ए निवेश (इक्विटी)		
संयुक्त उपक्रम:		
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	14.56
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	**33.00**	85.61
कुल	**33.00**	**100.17**
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण		
संयुक्त उपक्रमरू		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	**-**	12.40
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**95.00**	114.60
कुल	**95.00**	**127.00**
वर्ष के दौरान 3प्राप्त ऋण चुकौती		
संयुक्त उपक्रम:		
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**142.83**	114.60
कुल	**142.83**	**114.60**
अन्य संबंधित पार्टियां		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान		
पावरग्रिड कर्मचारी पी.एफ. विश्वास	**114.14**	110.45
पावरग्रिड सेल्फ कंट्रीब्यूटरी सुपरनेशन बेनिफिट (पेंशन) फंड ट्रस्ट	**120.46**	33.43
पावरग्रिड कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	**21.81**	30.42
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	**12.02**	62.77

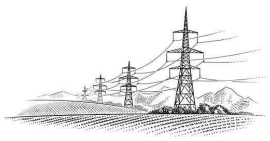

58. इंड एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण – "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल	**268.43**	**237.07**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वसूली		
संयुक्त उपक्रम:		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**0.51**	0.15
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।	**1.11**	0.98
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**0.95**	0.33
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.90**	0.65
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.77**	0.94
कुल	**4.24**	**3.05**

नियम और शर्तें

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अन्य सभी लेनदेन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया राशि असुरक्षित हैं और नकद में चुकाने योग्य हैं।

छ) संबंधित पार्टियों के साथ सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) की क्षमता में लेनदेन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संयुक्त उपक्रम:		
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	**237.70**	227.61
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	**50.96**	48.68
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	**171.94**	110.87
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**192.00**	247.05
तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**341.63**	176.40
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**388.15**	350.55
कुल	**1,382.38**	**1,161.16**

ज) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	**4.68**	4.09
रोजगार के बाद के लाभ	**0.67**	0.24
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	**0.46**	1.76
कुल	**5.81**	**6.09**
बैठने का शुल्क	**0.32**	0.35

उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹ 2000/– प्रतिमाह के भुगतान पर स्टाफ कार (निजी यात्राओं सहित) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (23)ध्11–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–वीध्13 दिनांक 21ध्01ध्2013 में निहित है।

59. प्रचालन खंड

क) व्यापार खंड

निदेशक मंडल समूह का मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है जो संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य तीन खंडों की पहचान की गई है।

- पारेषण सेवाएं– समूह का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली का संचरण है।
- दूरसंचार सेवाएं– कंपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पर रखे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) में उपलब्ध अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करती है। यह पॉइंट टू पॉइंट बैंडविड्थ लीजिंग व्यवसाय में एक तटस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है। कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 68 देखें।
- परामर्श सेवाएं– योजना डिजाइन, इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क पर ओपीजीडब्ल्यू, खरीद प्रबंधन, संचालन और रखरखाव, वित्त पोषण और परियोजना प्रबंधन सहित ट्रांसमिशन, वितरण और दूरसंचार क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी के ऊर्जा प्रबंधन सेवाओं और परामर्श व्यवसाय को शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन पर प्रकटीकरण के लिए नोट संख्या 68 देखें।

ख) समूह के संचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किए जाते हैं और इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

ग) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारीरू किसी एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व समूह के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक नहीं है।

घ) खंड राजस्व और व्यय

सेगमेंट से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

भारत में बाहरी ग्राहक से राजस्व ₹ 40,621.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38,420.93 करोड़) और भारत के बाहर ₹ 22.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 42.99 करोड़) है।

ड.) खंड संपत्ति और देयताएं

खंड की संपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम सहित सभी प्रचालन संपत्तियां शामिल हैं। निर्माण, कार्य–प्रगति, निर्माण भंडार और अग्रिम और निवेश असंबद्ध संपत्तियों में शामिल हैं। खंड सुविधाओं में प्रचालन देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

59. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	ट्रांसमिशन सेवाएं		परामर्शदात्री सेवाएं		दूरसंचार सेवाएं		उन्मूलन		कुल	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
राजस्वरू										
संचालन से राजस्व (आवंटन योग्य अन्य आय सहित)	**39,492.46**	37,230.78	**438.55**	520.85	**713.23**	712.29	**-**	-	**40,644.24**	38,463.92
इंटर सेगमेंट रेवेन्यू			**67.61**	97.17	**69.96**	69.94	**(137.57)**	(167.11)	**-**	-
संचालन से निवल राजस्व	**39,492.46**	37,230.78	**506.16**	618.02	**783.19**	782.23	**(137.57)**	(167.11)	**40,644.24**	38,463.92
खंड परिणाम										
असाधारण आइटम– ट्रांसमिशन	**23,878.09**	23,387.26	**150.84**	277.00	**365.72**	429.11			**24,394.65**	24,093.37
आवंटित ब्याज और अन्य आय									**(1,078.64)**	-
आवंटित वित्त लागत									**179.29**	207.04
कर पूर्व लाभ (नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित)									**8,134.69**	9,509.00
जोड़ेंरू संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है।									**15,360.61**	14,791.41
कर देने से पूर्व लाभ									**214.70**	155.13
करों के लिए प्रावधान									**15,575.31**	14,946.54
कर अदायगी के बाद लाभ									**3,538.85**	3,887.14
अन्य सूचनारू									**12,036.46**	**11,059.40**
खंड संपत्ति										
आबंटित संपत्ति										
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	**2,15,346.38**	2,11,212.26	**2,426.61**	3,269.56	**981.46**	1,161.54			**2,18,754.45**	2,15,643.36
कुल संपत्ति									**30,293.62**	41,009.86
खंड देयताएं									**6,701.05**	-
आवंटित अन्य देयताएं (ऋण सहित)									**2,55,749.12**	**2,56,653.22**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों से सीधे जुड़े दायित्व	**14,170.70**	14,968.91	**3,428.90**	3,850.16	**454.85**	538.88			**18,054.45**	19,357.95
कुल देनदारियों									**1,67,394.62**	1,72,599.92
मूल्यह्रास और परिशोधन	**11,936.83**	11,506.45	**5.60**	3.59	**96.76**	97.00			**363.98**	-
मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय	**15.79**	18.32	**5.97**	3.16	**1.11**	3.20			**1,85,813.05**	**1,91,957.87**
पूंजीगत व्यय	**20,935.26**	20,191.82	**82.50**	7.10	**10.13**	129.69				

60. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
पूंजीगत खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (अग्रिमों का निवल)	**6,542.25**	11,507.76
संयुक्त उद्यम संस्थाओं में आगे निवेशध्ऋण के प्रति समूह की प्रतिबद्धता	**148.92**	276.85
अन्य संस्थाओं में और निवेश के लिए समूह की प्रतिबद्धता	**713.17**	23.17

61. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

क. आकस्मिक देयताएं

1. समूह के खिलाफ दावों के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हैरू

(i) पूंजीगत कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ संविदाकारों ने समूह पर संविदा मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग करते हुए दावा दायर किया है। इन दावों का समूह द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है।

समूह इन दावों के निपटारे के लिए संविदा में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रहा है। ऐसे मामलों में ₹ 2,540.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,401.71 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(ii) भूमि मुआवजे के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, भूमि हारने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणोंध्अदालतों के समक्ष उच्च मुआवजे का दावा किया है जिनका निपटारा होना बाकी है। ऐसे मामलों में ₹ 1,769.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,039.97 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(iii) अन्य दावे

विभिन्न राज्यध्केंद्र सरकार के विभागोंध्प्राधिकरणों द्वारा भवन अनुज्ञा शुल्क, कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोग के लिए जुर्माने, नाला कर, जल रॉयल्टी आदि के लिए किए गए दावों के संबंध में और अन्य द्वारा, ₹ 20.49 करोड़ की आकस्मिक देयता (पिछला वर्ष ₹ 28.73 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

(iv) विवादित आयकरध्बिक्री करध्उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामले

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष ₹ 234.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 299.81 करोड़) के विवादित आयकरध्बिक्री करध्उत्पाद शुल्कध्नगरपालिका कर मामलों का विरोध किया जा रहा है। इनमें से कई मामलों को समूह के पक्ष में निपटाया गया है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। ₹ 191.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 182.13 करोड़) के कुल दावे के प्रति ₹ 156.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 147.69 करोड़) का प्रावधान किया गया है और शास्ति के प्रति शेष ₹ 34.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 34.44 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। यह जानबूझकर चूक नहीं है और प्रबंधन की राय में, अदालत द्वारा इसे बरकरार रखने की उम्मीद नहीं है।

(v) अन्य

क) व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध बैंकों के पास भुनाए गए बिलों के संबंध में आकस्मिक देयता ₹ 2,533.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1,030.24 करोड़) है। इस संबंध में बैंकों से कंपनी पर किसी भी दावे के मामले में, अधिभार के साथ लाभार्थियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी।

ख) अन्य आकस्मिक देनदारियां ₹ 807.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 944.66 करोड़) की हैं जिसमें मध्यस्थता मामलोंध्आरओडब्ल्यू मामलों से संबंधित ₹ 402.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 417.46 करोड़) का दावा शामिल है।

ग) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के प्रशुल्क आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि निश्चित नहीं है।

घ) पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के तहत, समूह का दायित्व है कि वह टीएसए के अनुसार निर्धारित खरीद मूल्य पर जेवी कंपनी (पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) को खरीद ले। इस तरह के दायित्व का परिणाम उस स्थिति में हो सकता है जब जेवी कंपनी (पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) टीएसए के तहत निर्धारित ष्पॉवरग्रिड की डिफॉल्ट घटनाष् या ष्अप्रत्याशित घटनाष् पर समाप्ति नोटिस देती है। इस खाते पर किसी आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

ख आकस्मिक आस्तियां

कंपनी के कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करते समय, सीईआरसी ने कंपनी द्वारा किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को अस्वीकार कर दिया है। इस तरह के मुद्दों से क्षुब्ध कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी प्रशुल्क आदेशों के खिलाफ बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)ध्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि

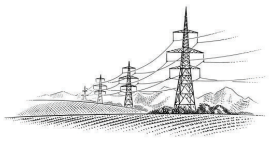

61. Contingent Liabilities and contingent assets (Contd.)

एक अनुकूल परिणाम की संभावना है। हालाँकि, इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णय के परिणाम पर निर्भर है।

समूह ने 16/12/2016 को पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिग्रहण लागत के लिए ₹18.28 करोड़ की राशि के साथ–साथ अधिग्रहण की तारीख से किए गए अतिरिक्त व्यय और प्रतिपूर्ति की तारीख तक ब्याज और वहन लागत के लिए एपीटीईएल में अपील दायर की है। माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा व्यापक सुनवाई की गई और माननीय ट्रिब्यूनल ने आदेश दिनांक 12.02.2020 के माध्यम से सभी पक्षों को लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया। विवाद के सभी पक्षों ने एपीटीईएल को लिखित निवेदन दायर किया है। समूह का मानना है कि अनुकूल परिणाम की संभावना है। चूंकि ऐसे मामलों पर निर्णयों की कोई पूर्वता नहीं होती है, इसलिए इसके सटीक वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है।

62. पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय समूह के उद्देश्य हैं:

- शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करेंय
- एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की इसकी क्षमता की रक्षा करनाय
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

समूह के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, इक्विटी पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और समूह के इक्विटी धारकों के कारण अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। समूह अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक स्थितियों, नियामक ढांचे और उधारदाताओं के साथ वित्तीय संविदाओं की आवश्यकताओं में बदलाव के आलोक में समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकता है, नई परियोजनाओं में निवेश को विनियमित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है या नए शेयर जारी कर सकता है। समूह ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है, जो कि कुल निवल मूल्य के लिए दीर्घकालिक ऋण का अनुपात है। नीति ऋण–इक्विटी अनुपात रखने की है जिसमें ऋण नियोजित कुल पूंजी के 75 प्रतिशत से कम है (अर्थात ऋण से इक्विटी अनुपात 75रू25 से कम)। समूह में लंबी अवधि के ऋण, ब्याज वाले ऋण और उधार और दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल हैं।

समूह का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार थाः–

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	**1,41,410.33**	1,45,269.64
इक्विटी (₹ करोड़ में)	**69,936.07**	64,695.35
इक्विटी अनुपात के लिए दीर्घकालिक ऋण	**67:33**	69:31

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, समूह को वित्तीय संविदाओं का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय वाचाओं को पूरा करने में उल्लंघन करने से ऋणदाताओं को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में किसी भी ब्याज–असर वाले ऋण और उधार की वित्तीय वाचाओं में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

31.03.2021 और 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विशेष	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
(प) इक्विटी शेयर		
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.04 (31.03.2019 – ₹2.50) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर का अंतिम लाभांश	**2,113.56**	1,307.90
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹9.00 (31.03.2020 – ₹5.96) का अंतरिम लाभांश प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर	**4,708.43**	3,118.02

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गईः

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मंडल ने 17 जून 2021 को 3.00 प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

63. प्रति शेयर आय

(राशि ₹ में)

(क) समूह के इक्विटी धारकों के कारण प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित	**23.01**	21.14
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर	**22.32**	17.92
समूह के इक्विटी धारकों के कारण प्रति शेयर कुल मूल और तनुकृत आय	**23.01**	**21.14**

(₹ करोड़ में)

(ख) प्रति शेयर आय की गणना में अंश के रूप में उपयोग की जाने वाली कमाई का समाधान	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण होने वाली कमाई	**12,036.46**	11,059.40
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण आय	**11,674.78**	9,376.00
समूह के इक्विटी धारकों के कारण कुल आय	**12,036.46**	**11,059.40**

(ग) हर के रूप में इस्तेमाल किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**5231589648**	5231589648
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए समायोजन	**-**	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत संख्या	**5231589648**	**5231589648**

64. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में भारतीय रुपये या विदेशी मुद्राओं, व्यापार देय और अन्य देय राशियों में मूल्यवर्ग के ऋण और उधार शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के पूंजी निवेश और संचालन का वित्तपोषण करना है।

समूह की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके संचालन से उत्पन्न होते हैं।

समूह की गतिविधियाँ इसे निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों के लिए उजागर करती हैं, अर्थात्,

(क) क्रेडिट जोखिम,

(ख) तरलता जोखिम,

(ग) बाजार जोखिम।

यह नोट इन जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए समूह के जोखिम, उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

मूल कंपनी में निदेशक (परियोजना) की अध्यक्षता में एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति होती है जिसमें निदेशक (संचालन), निदेशक (वित्त) और स्वतंत्र निदेशक सदस्य होते हैं। उद्यम द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के उद्देश्य से, उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया है। यह ढांचा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, सुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओंध्जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा समितिध्बोर्ड को अद्यतन प्रदान करती है। समूह द्वारा वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का सारांश नीचे दिया गया हैरू–

(क) क्रेडिट जोखिमः

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या ग्राहक संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। समूह व्यापार प्राप्तियों और ऋणों और अग्रिमों के कारण अपनी प्रचालन गतिविधियों से और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास

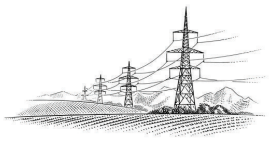

64. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधनों के कारण अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

एक वित्तीय आस्ति पर एक डिफॉल्ट तब होता है जब प्रतिपक्ष देय होने के 3 साल के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। डिफॉल्ट की यह परिभाषा उस कारोबारी माहौल को देखते हुए निर्धारित की जाती है जिसमें समूह संचालित होता है और अन्य मैक्रो–इकोनॉमिक कारक।

संपत्ति को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, जैसे कि एक देनदार दिवालिया घोषित कर देता है या समूह के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल रहता है। जहां ऋण या प्राप्य राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है, समूह प्राप्य देय राशि की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि में संलग्न है। जहां ऐसी वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

(i) व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व

समूह मुख्य रूप से अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं और मुख्य राजस्व ट्रांसमिशन शुल्क से है। सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 (ष्सीईआरसी साझाकरण विनियमष्) पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों का भुगतान नियत तारीख के भीतर करने की अनुमति देता है, अर्थात, बिल की प्रस्तुति की तारीख से 45 दिनों के भीतर और अधिभार की वसूली 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान। हालांकि, समूह के नकदी प्रवाह में सुधार के लिए, 45 दिनों के भीतर किए गए भुगतान के लिए एक श्रेणीबद्ध छूट प्रदान की जाती है। यदि कोई डीआईसी देय तिथि तक किसी बिल या उसके हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) डीआईसी द्वारा प्रदान किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट को भुना सकती है और बिल की राशि या उसके हिस्से की राशि का उपयोग कर सकती है जो कि अतिदेय है। विलंबित भुगतान अधिभार, यदि लागू हो।

कंपनी के पास त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार द्वारा 2001–02 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीए यह भी प्रदान करता है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक होती है, तो बकाया राशि राज्य के आरबीआई खाते से काट ली जा सकती है और संबंधित सीपीएसयू को भुगतान किया जा सकता है।

सीईआरसी शेयरिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि त्रिपक्षीय समझौता मौजूद है, तो साख पत्र एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि के 1.05 (एक अंक शून्य पांच) के बराबर राशि के लिए होगाय बशर्ते कि जहां ऐसा त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है, डीआईसी एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि 2.10 (दो अंक एक गुना) के बराबर राशि के लिए साख पत्र खोलेगा।

लेटर ऑफ क्रेडिट के नकदीकरण के अलावा, बकाया देय राशि का भुगतान न करने पर, सीटीयू के पास सीईआरसी (विद्युत आपूर्ति विनियमन) विनियम, 2010 के अनुसार चूककर्ता इकाई पर बिजली आपूर्ति को विनियमित करने या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस से इनकार करने की शक्ति है।

व्यापार प्राप्तियों में ₹ 3,515.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,900.32 करोड़) की पारेषण सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ, ₹ 156.15 करोड़ की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्तियाँ (पिछले वर्ष ₹ 137.07 करोड़) और ₹ 304.05 करोड़ (पिछले वर्ष) के दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियाँ शामिल हैं। ₹ 321.02 करोड़)।

बिल न किया गया राजस्व मुख्य रूप से पूरे किए गए कार्य के लिए विचार करने के समूह के अधिकार से संबंधित है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है और इसमें काफी हद तक एक ही प्रकार के संविदाओं के लिए व्यापार प्राप्तियों के समान जोखिम विशेषताएं हैं।

(ii) अन्य वित्तीय आस्तियां (व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व को छोड़कर)

- **नकद और नकदी के समतुल्य**

  समूह के पास ₹ 1,057.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 581.64 करोड़) के नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं होता है।

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि

  समूह के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में ₹ 4,394.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,883.37 करोड़) की जमाराशियाँ थीं। सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और उनमें ऋण जोखिम नगण्य होता है।

- ऋण

  समूह ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों, भारत सरकार और अन्य पार्टियों को ऋण दिया है। कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों को गिरवी रखने या वाहनों के दृष्टिबंधक के प्रति सुरक्षित किया जाता है जिसके लिए समूह की नीतियों के अनुरूप ऐसे ऋण दिए गए हैं। समूह की कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य माना जाता है।

64. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(iii) ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–वर्तमान ऋण	**322.58**	271.58
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय आस्तियां	**4,341.04**	4,089.19
नकद और नकदी के समतुल्य	**1,057.36**	581.64
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि	**4,394.01**	4,883.37
वर्तमान ऋण	**127.05**	156.41
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति	**863.76**	467.18
कुल	**11,105.80**	**10,449.37**
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	**3,975.97**	5,358.41
बिल न किया गया राजस्व	**7,194.13**	5,351.17

(iv) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय संपत्तियां जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है

समूह के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां चूक का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय आस्तियों (व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) वित्तीय संपत्तियां जिसके लिए जीवन भर की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है

टेलीकॉम और कंसल्टेंसी से व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व के संबंध में, ग्राहक ऋण जोखिम को बकाया प्राप्तियों की नियमित निगरानी और वसूली के लिए उपभोक्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

पारेषण खंड के संबंध में, समूह के ग्राहक हैं जिनमें से अधिकांश राज्य सरकार की उपयोगिताओं के साथ दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और इसलिए डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, बकाया राशि जो देय तिथि से 30 दिन पहले है, अभी भी पूर्ण रूप से संग्रहणीय है।

उपरोक्त कारकों और प्रचलित विनियमों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व में प्रारंभिक मान्यता पर और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक नगण्य क्रेडिट जोखिम बना रहता है।

(v) व्यापार प्राप्य का वृद्धावस्था विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का पुराना विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

आयु विस्तार	देय नहीं	देय से 0–30 दिन पहले	देय से 31–60 दिन पहले	देय से 61–90 दिन पहले	देय से 91–120 दिन पहले	देय से 91–120 दिन अधिक	कुल
31.03.2021 को सकल अग्रणीत राशि	**1,761.37**	**378.20**	**156.27**	**136.89**	**114.75**	**1,428.49**	**3,975.97**
31.03.2020 तक सकल वहन राशि	10.18	2,104.81	871.64	794.68	323.18	1,253.92	**5,358.41**

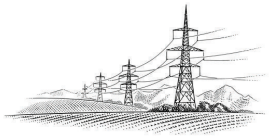

64. Financial Risk Management (Contd.)

(vi) हानि नुकसान प्रावधानों का समाधान

वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों के संबंध में हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार था: (₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	निवेश	अग्रिम	बिल न चुकाने वाले देनदार	कुल
01.04.2019 को शेष राशि	**339.36**	**3.97**	**-**	**124.63**	**467.96**
हानि नुकसान को मान्यता दी गईध(उलट)	(21.66)	(3.97)	-		(25.63)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-	-	105.71	105.71
31.03.2020 तक शेष राशि	**317.70**	**-**	**-**	**18.92**	**336.62**
हानि नुकसान को मान्यता दी गईध(उलट)	(17.26)	-	-	-	(17.26)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-	-	-	-
31.03.2021 तक शेष राशि	**300.44**	**-**	**-**	**18.92**	**319.36**

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का मानना है कि उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य संपत्ति के संबंध में कोई हानि भत्ता आवश्यक नहीं है क्योंकि राशि नगण्य है।

(ख) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। समूह तरलता योजना उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करता है। समूह के पास वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, बांड और बाहरी वाणिज्यिक उधार जैसे वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच है और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बरकरार रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की चलनिधि स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है, जिसमें नीचे आहरित उधार लेने की सुविधा और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

समूह कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए तरलता के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

समीक्षाधीन अवधि के अंत में समूह की निम्नलिखित आहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
1 वर्ष के भीतर समाप्त हो रहा है (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	-	388.15
एक वर्ष से अधिक समाप्त हो रहा है (बैंक ऋण)	**6,125.35**	5,363.29

बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं किसी भी समय आहरित की जा सकती हैं और बिना किसी सूचना के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग जारी रहने के अधीन, बैंक ऋण सुविधाएं किसी भी समय ली जा सकती हैं और शेष उपलब्धता अवधि 1 से 5 वर्ष (पिछले वर्ष 1 से 5 वर्ष) तक हो सकती है।

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में समूह की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

64. Financial Risk Management (Contd.)

(₹ करोड़ में)

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अधोषित नकदी प्रवाह है।

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 साल के बीच	5 साल से परे	कुल
31.03.2021 तक				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	22,105.96	76,820.18	89,916.93	**1,88,843.07**
व्यापार देयताएं	187.48			**187.48**
अन्य वित्तीय देयताएं				
पट्टा देयताएं	3.97	10.50	69.26	**83.73**
अन्य	8,016.56	1,264.82	4,360.31	**13,641.69**
कुल	**30,313.97**	**78,095.50**	**94,346.50**	**2,02,755.97**
31.03.2020 तक				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	21,984.91	81,187.92	1,02,699.76	**2,05,872.59**
व्यापार देयताएं	226.54			**226.54**
अन्य वित्तीय देयताएं				
पट्टा देयताएं	4.57	5.80	64.38	**74.75**
अन्य	8,907.86	1,171.82	4,636.98	**14,716.66**
कुल	**31,123.88**	**82,365.54**	**1,07,401.12**	**2,20,890.54**

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं:

(i) मुद्रा जोखिम

(ii) ब्याज दर जोखिम

(iii) अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम।

(i) मुद्रा जोखिम

समूह मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों और उधारों और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिनकी खरीद प्रतिफल विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। ट्रांसमिशन प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक 2019–24 के लिए सीईआरसी प्रशुल्क नियमों के अनुसार, समूह विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज कर सकता है और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अर्जित विदेशी ऋण की अदायगी, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने विवेक से कर सकता है और लागत की वसूली कर सकता है। प्रासंगिक वर्ष में मानक विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी विनिमय दर भिन्नता की हेजिंग की।

यदि विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की जाती है, तो संबंधित वर्ष में मानक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए अतिरिक्त रुपये की देनदारी ट्रांसमिशन प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते यह उत्पादन के लिए जिम्मेदार न हो कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, समूह द्वारा विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए कोई हेजिंग नहीं की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं के संबंध में, विनिमय दर भिन्नता ट्रांसमिशन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए परियोजना लागत का हिस्सा है। प्रचालन गतिविधियों के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में व्युत्पन्नी लिखत या अन्यथा द्वारा हेज न किए गए विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का एक्सपोजर निम्नानुसार है:

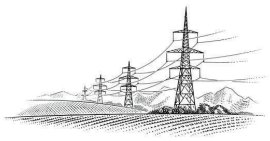

64. Financial Risk Management (Contd.)

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)		राशि (₹ करोड़ में)	
		31.03.2021 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
उधारी	यूएसडी	**474.37**	493.62	**35,131.99**	37,544.72
	यूरो	**66.13**	62.88	**5,772.18**	5,309.08
	एसईके	**175.51**	211.80	**1,495.34**	1,613.88
	जेपीवाई	**2,309.06**	2,327.24	**1,554.00**	1,645.13
एजेंसी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क और अन्य शुल्क सहित अर्जित ब्याज लेकिन उस पर देय नहीं है	यूएसडी	**1.35**	3.01	**100.24**	229.27
	यूरो	**0.19**	0.22	**16.41**	18.51
	एसईके	**0.95**	1.27	**8.05**	9.68
	जेपीवाई	**5.37**	5.57	**3.61**	3.94
व्यापार देय/जमा और प्रतिधारण धन	यूएसडी	**4.95**	5.43	**361.24**	394.82
	यूरो	**3.27**	3.80	**275.42**	314.54
	एसईके	**15.79**	22.52	**127.31**	177.76
	सीएचएफ	**0.04**	0.02	**3.36**	1.94
	जीबीपी	**1.75**	1.90	**178.60**	179.43
	जेपीवाई	**76.75**	95.43	**50.06**	63.07
	सीएडी	**0.01**	0.01	**0.61**	0.32
व्यापार प्राप्य और बैंक शेष	यूएसडी	**0.05**	0.03	**3.73**	2.18
	एनपीआर	**15.26**	23.95	**9.54**	14.97
	यूरो	**0.01**	-	**0.60**	-
	बीडीटी	**1.25**	1.25	**0.90**	0.90
निष्पादित होने के लिए शेष संविदाओं की राशि	यूएसडी	**1.70**	2.12	**126.48**	156.55
	यूरो	**1.39**	2.57	**120.96**	216.03
	एसईके	**1.41**	3.44	**12.05**	26.18
	जीबीपी	**0.72**	1.04	**73.41**	98.25
	जेपीवाई	**1.72**	9.70	**1.16**	6.85

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मजबूत होने या कमजोर होने का लाभ और हानि के बयान पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगाय इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

समूह मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के उधार से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग दर उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार–चढ़ाव होगा। समूह घरेलू और विदेशी मुद्राओं में फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट उधार के मिश्रण वाले ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	**26,363.50**	26,107.40
–विदेश	**36,018.86**	37,907.16
उप योग	**62,382.36**	**64,014.56**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	**71,093.40**	73,059.95

64. Financial Risk Management (Contd.)

विवरण	31.03.2021 तक	31.03.2020 तक
–विदेश	**7,934.57**	8,195.13
उप योग	**79,027.97**	**81,255.08**
कुल दीर्घकालिक ऋण	**1,41,410.33**	**1,45,269.64**
कुल दीर्घावधि ऋण के लिए अस्थायी ब्याज दर ऋण का प्रतिशत	**44.11%**	44.07%

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार, निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए परियोजना लागत का हिस्सा बनता है और वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बाद, ऋण पर ब्याज भारित औसत दर लागू करके वर्ष के मानक औसत ऋण पर गणना की गई प्रशुल्क के माध्यम से वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के ब्याज की राशि वसूली योग्य है।

तदनुसार, समूह की ब्याज दर जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता हैय इसलिए जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का खुलासा नहीं किया गया है।

(iii) अन्य मूल्य जोखिम

इक्विटी प्रतिभूतियों के मूल्य जोखिम के लिए समूह का जोखिम समूह द्वारा रखे गए निवेशों से उत्पन्न होता है और ओसीआई के माध्यम से बैलेंस शीट में उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी निवेश के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, कोई महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

65. आयकर व्यय

यह नोट समूह के आयकर व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है, और गैर–निर्धारण योग्य और गैर–कटौती योग्य वस्तुओं से कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह समूह की कर स्थिति के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की भी व्याख्या करता है।

(क) आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	**2,565.27**	2,198.54
पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	**(56.68)**	121.91
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (क)	**74.60**	356.39
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	**2,583.19**	**2,676.84**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	**955.66**	1,210.30
पूर्व में गैर–मान्यता प्राप्त कर क्रेडिट को इस वर्ष आस्थगित कर आस्ति के रूप में मान्यता दी गई थी	**-**	-
कुल आस्थगित कर व्ययध्लाभ (ग)	**955.66**	**1,210.30**
आयकर व्यय (ख+ग–क)	**3,464.25**	**3,530.75**
नियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित	**74.60**	**356.39**
नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**3,538.85**	**3,887.14**

(ख) नियामक आस्थगित खाता शेष में मान्यता प्राप्त आयकरः

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्ति	**521.45**	1,297.69
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	**(85.17)**	742.10

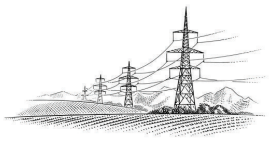

65. Income Tax Expense (Contd.)

कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
कर से पहले कुल नियामक आस्थगित खाता शेष – आय ६ (व्यय)	**436.28**	2,039.79
नियामक आस्थगित खाता शेष पर वर्तमान कर	**74.60**	356.39
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन – आय ६ (व्यय) (कर का निवल)	**361.68**	**1,683.40**

(ग) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकरः

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर लगने से पहले	कर व्ययध(लाभ)	निवल कर	कर लगने से पहले	कर व्ययध(लाभ)	निवल कर
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर निवल लाभध(हानि)	**39.80**	**-**	**39.80**	(49.35)	-	**(49.35)**
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	**(19.94)**	**(3.49)**	**(16.45)**	(74.47)	(13.01)	**(61.46)**
घटाएंरू निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल)	**(2.44)**	**(0.43)**	**(2.01)**	(8.23)	(1.44)	**(6.79)**
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	**22.30**	**(3.06)**	**25.36**	**(115.59)**	**(11.57)**	**(104.02)**

(घ) कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाधान भारत की कर दर से गुणा किया जाता हैः

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित आयकर व्यय से पूर्व लाभ	**15,575.31**	14,946.54
कंपनी की घरेलू कर दर पर कर	**5,525.04**	5,273.77
कर प्रभावरू		
गैर–कटौती योग्य कर आइटम	**(2,536.43)**	(2,566.92)
कर मुक्त आय	**(2,221.26)**	(1,899.30)
पिछले वर्षों की कर देयता	**(56.68)**	121.91
अशोषित कर नुकसान	**(37.86)**	-
आस्थगित कर व्ययध(आय)	**955.66**	1,210.30
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	**1,910.38**	1,747.38
आयकर खर्च	**3,538.85**	**3,887.14**

66. कर्मचारी लाभ दायित्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
दायित्वों को छोड़ दें	**56.34**	**411.72**	**468.06**	41.96	382.50	424.46
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	**22.58**	**579.62**	**602.20**	20.82	522.05	542.87
अन्य कर्मचारी लाभ ६ लंबी सेवा पुरस्कार	**1.46**	**20.31**	**21.77**	1.12	15.91	17.03
उपदान	**77.41**	**514.34**	**591.75**	74.08	527.83	601.91
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (व्क्त्ठ)ध्सामान भत्ता	**2.37**	**21.10**	**23.47**	2.06	18.90	20.96
कुल कर्मचारी लाभ दायित्व	**160.16**	**1547.09**	**1707.25**	**140.04**	**1467.19**	**1607.23**

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

(i) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभए. छुट्टी के दायित्व

क. कंपनी कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (मुआवजा अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है जो क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों पर सालाना अर्जित होता है। सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) केवल 55 वर्ष की आयु से अधिक से अधिक 300 दिनों (एचपीएल) तक अलग होने पर ही भुनाया जा सकता है। तथापि, अवकाश की कुल संख्या जिसे अधिवर्षिता पर भुनाया जा सकता है, 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध वेतन अवकाश का कोई रूपान्तरण अनुमत नहीं होगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ – पावरग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना

कंपनी ने 24.06.2017 को पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में और सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता और सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी कर्मचारी के पिछले एक महीने के वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते लाभार्थी कंपनी के पास पीएफ (वीपीएफ को छोड़कर) शेष राशि, ग्रेच्युटी राशि और समूह बीमा (ईडीएलआई) राशि के बराबर राशि जमा करे। ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य काल्पनिक तिथि तक जारी रहेगा जिस दिन संबंधित कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली होती यदि कर्मचारी कंपनी की सेवा में बना रहता। योजना वैकल्पिक है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 1.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.09 करोड़ तक) की पावरग्रिड कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना का प्रावधान किया गया है।

(ii) रोजगार के बाद के दायित्व (परिभाषित कर्मचारी लाभ ध योगदान योजनाएं)

क. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति या पत्नी को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसी के लिए देयता को बैलेंस शीट की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और 01 मई 2018 को गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ – लंबी सेवा पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशकों और सीएमडी को छोड़कर) पर लागू होता है, जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को तुलनपत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)ध्सामान भत्ता

कंपनी के पास भारत में कहीं भी सेवानिवृत्ति के समय और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निपटान की एक योजना है। यह योजना निधिरहित है और इसके लिए देयता को तुलन पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।

ड.. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना में योगदान का भुगतान उपयुक्त अधिकारियों को किया जाता है। वर्ष के लिए निधि और ईपीएस योजना में योगदान ₹ 128.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 124.43 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया गया है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को योगदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है। एक्चुअरी की रिपोर्ट के अनुसार कुल ब्याज अर्जन और संचयी अधिशेष वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है। इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। चूंकि पीएफ कॉर्पस पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में अधिशेष को मान्यता नहीं दी गई है।

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
भविष्य निधि (पीएफ)	**438.42**	**2821.90**	**3260.32**	376.22	2679.65	**3055.87**

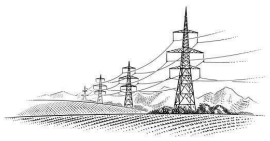

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

(₹ in crore)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल, 2020	**3055.87**	**3146.09**	**(90.22)**
सेवा लागत	115.35	-	115.35
ब्याज व्यय (आय)	254.71	207.78	46.93
कुल	**370.06**	**207.78**	**162.28**
पुन माप			
ब्याज व्ययध(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर वापसी	-	-	-
(लाभ)ध्जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	-	-	-
(लाभ)धवित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ) ध हानि	1.72	-	1.72
कुल	**1.72**	**-**	**1.72**
कर्मचारी योगदान	256.88	372.23	(115.35)
लाभ भुगतान	(424.21)	(424.21)	-
31 मार्च 2021	**3260.32**	**3301.89**	**(41.57)**

(₹ in crore)

विवरण	भविष्य निधि		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल 2019	**2757.58**	**2844.43**	**(86.85)**
सेवा लागत	111.20	-	111.20
ब्याज व्यय (आय)	235.36	248.49	(13.13)
कुल	**346.56**	**248.49**	**98.07**
पुन माप			
ब्याज व्ययध(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर वापसी	-	-	-
(लाभ)ध्जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	0.01	-	0.01
(लाभ)धवित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	0.59	-	0.59
अनुभव (लाभ) ध हानि	9.16	-	9.16
कुल	**9.76**	**-**	**9.76**
कर्मचारी योगदान	250.63	361.83	(111.20)
लाभ भुगतान	(308.66)	(308.66)	-
31 मार्च 2020	**3055.87**	**3146.09**	**(90.22)**

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

ऊपर बताई गई निवल देयता भविष्य निधि से संबंधित हैः (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्त पोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**3260.32**	3055.87
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	**3301.89**	3146.09
वित्त पोषित योजना का घाटा(अधिशेष)	**(41.57)**	**(90.22)**

भविष्य निधि का संवेदनशीलता विश्लेषणरू (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3260.32
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.46)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	0.49

योजना संपत्ति (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैंः (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021				31 मार्च 2020			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	**60.56**	**-**	**60.56**	**2%**	30.49	-	30.49	1%
ऋण उपकरणों								
सरकारध्राज्य बांड	**1774.95**	**-**	**1774.95**	**54%**	1689.26	-	1689.26	54%
पीएसयू और निजी बांड	**1308.56**	**-**	**1308.56**	**40%**	1238.94	-	1238.94	39%
बैंक में जमा राशि	**51.12**	**-**	**51.12**	**1%**	25.09	-	25.09	1%
अन्य प्राप्तिया	**106.70**	**-**	**106.70**	**3%**	162.31	-	162.31	5%
कुल	**3301.89**	**-**	**3301.89**		**3146.09**	**-**	**3146.09**	

31 मार्च 2021 (31 मार्च 2020 तक 79.28 करोड़) को योजनागत संपत्ति के रूप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य 73.52 करोड़ है।

भविष्य निधि का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार हैरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक साल से कम	1–2 साल के बीच	2–5 साल के बीच	5 साल से अधिक	कुल
31 मार्च 2021	**438.42**	**338.33**	**737.81**	**1745.76**	**3260.32**
31 मार्च 2020	376.21	242.77	677.75	1759.14	**3055.87**

च. पेंशन

कंपनी के पास कर्मचारियों की परिभाषित पेंशन अंशदान की योजना है। ट्रस्ट को अलग करने के लिए कंपनी के योगदान का भुगतान किया जाता है। वर्ष के लिए भुगतानध्देय अंशदान की राशि 62.63 करोड़ (पिछले वर्ष 114.82 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

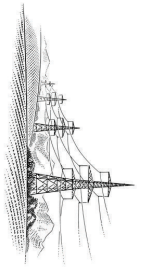

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

विभिन्न कर्मचारी लाभ दायित्वों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			अवकाश			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल 2020	**601.91**	**554.99**	**46.92**	**20.96**	**-**	**20.96**	**424.46**	**-**	**424.46**	**542.87**	**518.16**	**24.71**
सेवा लागत	24.57	-	24.57	1.44	-	1.44	47.35	-	47.35	18.15	-	18.15
ब्याज व्यय (आय)	40.63	39.91	0.72	1.41	-	1.41	28.65	-	28.65	36.65	-	36.65
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**65.20**	**39.91**	**25.29**	**2.85**	**-**	**2.85**	**76.00**	**-**	**76.00**	**54.80**	**-**	**54.80**
पुन माप												
ब्याज व्ययध(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.33	(73.33)
(लाभ)ध्जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(लाभ)धवित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुभव (लाभ) ध हानि	(3.46)	-	(3.46)	(0.31)	-	(0.31)	47.97	-	47.97	29.77	-	29.77
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(3.46)**	**-**	**(3.46)**	**(0.31)**	**-**	**(0.31)**	**47.97**	**-**	**47.97**	**29.77**	**73.33**	**(43.56)**
नियोक्ता योगदान	-	69.81	(69.81)	-	-	-	-	-	-	-	9.64	(9.64)
लाभ भुगतान	(72.05)	(72.05)	-	(0.03)	-	(0.03)	(80.44)	-	(80.44)	(25.24)	-	(25.24)
व्यापार संयोजन पर जोड़	0.15	0.10	0.05	-	-	-	0.07	-	0.07	-	-	-
31 मार्च 2021	**591.75**	**592.76**	**(1.01)**	**23.47**	**-**	**23.47**	**468.06**	**-**	**468.06**	**602.20**	**601.13**	**1.07**

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(₹ in crore)

विवरण	उपदान			ओडीआरबी			अवकाश			पीआरएमएफ		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना संपत्ति का उचित मूल्य	निवल राशि
01 अप्रैल 2019	**626.44**	**590.28**	**36.16**	**18.74**	**-**	**18.74**	**371.69**	**-**	**371.69**	**438.98**	**418.68**	**20.30**
सेवा लागत	25.51	-	25.51	1.24	-	1.24	31.39	-	31.39	11.55	-	11.55
ब्याज व्यय (आय)	48.55	47.22	1.33	1.45	-	1.45	28.80	-	28.80	34.02	39.58	(5.56)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**74.06**	**47.22**	**26.84**	**2.69**	**-**	**2.69**	**60.19**	**-**	**60.19**	**45.57**	**39.58**	**5.99**
पुन माप												
ब्याज व्ययध(आय) में शामिल राशि को छोड़कर, योजना आस्तियों पर वापसी	-	0.93	(0.93)	-	-	-	-	-	-	-	22.57	(22.57)
(लाभ)ध्जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	(0.37)	-	(0.37)	(0.01)	-	(0.01)	0.09	-	0.09	(0.28)	-	(0.28)
(लाभ)धवित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से हानि	42.77	-	42.77	1.81	-	1.81	36.83	-	36.83	55.69	-	55.69
अनुभव (लाभ) ध हानि	(37.70)	-	(37.70)	(2.18)	-	(2.18)	22.91	-	22.91	23.99	-	23.99
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**4.70**	**0.93**	**3.77**	**(0.38)**	**-**	**(0.38)**	**59.83**	**-**	**59.83**	**79.40**	**22.57**	**56.83**
नियोक्ता योगदान	-	19.85	(19.85)	-	-	-	-	-	-	-	58.41	(58.41)
लाभ भुगतान	(103.29)	(103.29)	-	(0.09)	-	(0.09)	(67.25)	-	(67.25)	(21.08)	(21.08)	-
31 मार्च 2020	**601.91**	**554.99**	**46.92**	**20.96**	**-**	**20.96**	**424.46**	**-**	**424.46**	**542.87**	**518.16**	**24.71**

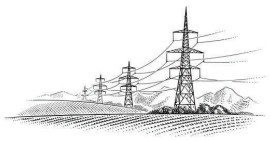

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

ऊपर बताए गए निवल वित्त पोषित और गैर–निधिक योजनाओं से संबंधित हैं:–

(₹ in crore)

विवरण	उपदान		ओडीआरबी		अवकाश		पीआरएमएफ	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वित्त पोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**591.75**	601.91	**-**	-	**-**	-	**602.20**	542.87
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	**592.76**	554.99	**-**	-	**-**	-	**601.13**	518.16
वित्त पोषित योजना का घाटा(अधिशेष)	**(1.01)**	**46.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.07**	**24.71**
अनफंडेड योजनाएं	**-**	**-**	**23.47**	**20.96**	**468.06**	**424.46**	**-**	**-**

कंपनी को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ग्रेच्युटी ट्रस्ट में 36.07 करोड़ रुपये का योगदान करने की उम्मीद है।

(iii) रोजगार के बाद के लाभों के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएंरू

आर्थिक धारणा

विवरण	ग्रेच्युटी, ओडीआरबी, पेंशन, पीआरएमएफ, पीएफ	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट की दर	**6.75%**	6.75%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ को छोड़कर)	**6.50%**	6.50%

छूट की दर आम तौर पर सरकार पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर बांड। वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के रूप में कंपनियों का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और लंबी अवधि के आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है।

जनसांख्यिकीय धारणाएं

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
प) सेवानिवृत्ति की आयु	**60**	60
पप) विकलांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	**आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2012–14)**	आईएएलएम का 100 प्रतिशत (2012–14)
पपप) युग	**निकासी दर प्रतिशत**	निकासी दर प्रतिशत
30 साल तक	**3**	3
31 से 44 वर्ष तक	**2**	2
44 साल से ऊपर	**1**	1

नमूना उम्र के लिए मृत्यु दर

उम्र	मृत्यु दर	उम्र	मृत्यु दर	उम्र	मृत्यु दर
15	0.000698	45	0.002579	75	0.038221
20	0.000924	50	0.004436	80	0.061985
25	0.000931	55	0.007513	85	0.100979
30	0.000977	60	0.011162	90	0.163507
35	0.001202	65	0.015932	95	0.259706
40	0.00168	70	0.024058	100	0.397733

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

(iv) परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ in crore)

विवरण	उपदान	ओडीआरबी	अवकाश	पीआरएमएफ
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	591.75	23.47	468.06	602.20
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(22.80)	(0.89)	(22.19)	(33.27)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	24.86	0.96	24.24	35.08
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	591.75	23.47	468.06	602.20
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	8.61	0.98	24.12	35.83
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(9.12)	(0.90)	(22.21)	(33.61)

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लेता है, यह दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को एक्सट्रपलेशन करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है।

(v) योजनागत संपत्ति (ग्रेच्युटी) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च 2021				31 मार्च 2020			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखत (ETF)	**3.14**	**-**	**3.14**	**1%**	3.14	-	3.14	1%
ऋण उपकरणों		**-**						
सरकारध्राज्य बांड	**316.42**	**-**	**316.42**	**54%**	280.98	-	280.98	49%
पीएसयू और निजी बांड	**266.28**	**-**	**266.28**	**45%**	286.85	-	286.85	50%
कुल*	**585.84**	**-**	**585.84**		**570.97**	**-**	**570.97**	

'बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹592.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹554.99 करोड़) है।

योजनागत आस्तियों के रूप में धारित कंपनी के स्वयं के हस्तांतरणीय वित्तीय साधनों का उचित मूल्य ₹ 56.03 (पिछले वर्ष ₹ 65.11 करोड़) है।

(vi) योजनागत आस्तियों (पीआरएमएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(₹ in crore)

Particulars	31 मार्च 2021				31 मार्च 2020			
	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में	उद्धृत	गैर उद्धृत	कुल	प्रतिशत में
इक्विटी लिखत (ETF)	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
ऋण उपकरणों						-		
सरकारध्राज्य बांड	**296.17**	**-**	**296.17**	**51%**	265.64	-	265.64	52%
पीएसयू और निजी बांड	**288.93**	**-**	**288.93**	**49%**	240.87	-	240.87	48%
कुल#	**585.10**	**-**	**585.10**		**506.51**	**-**	**506.51**	

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹ 601.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 518.16 करोड़)

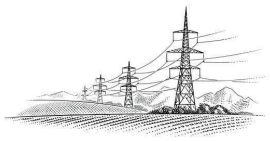

66. Employee Benefit Obligations (Contd.)

(vii) जोखिम जोखिम का विवरण

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जो प्रकृति में गतिशील होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। इस प्रकार कंपनी को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता हैरू

क) वेतन वृद्धि (पीएफ को छोड़कर) – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर अनुमानों में वृद्धि से देयता भी बढ़ेगी।

ख) निवेश जोखिम – यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है

ग) छूट दर – बाद के मूल्यांकन में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

घ) मृत्यु और विकलांगता – वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

ड.) निकासी – वास्तविक निकासी जो अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(viii) परिभाषित लाभ देयता और कर्मचारी योगदानरू

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 39.57 वर्ष (पिछले वर्ष 40.18 वर्ष) है। बिना छूट वाली पेंशन, ग्रेच्युटी, अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ और रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभों का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार हैरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक साल से कम	1–2 साल के बीच	2–5 साल के बीच	5 साल से अधिक	कुल
31 मार्च 2021					
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	77.41	73.31	149.02	292.01	591.75
रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ	22.58	28.78	112.44	438.40	602.20
ओडीआरबी	2.37	2.42	5.27	13.41	23.47
अन्य कर्मचारी लाभ (एलएसए)	1.46	1.46	3.42	15.43	21.77
कुल	**103.82**	**105.97**	**270.15**	**759.25**	**1239.19**
31 मार्च 2020					
परिभाषित लाभ दायित्व (ग्रेच्युटी)	74.08	67.03	170.22	290.58	601.91
रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ	20.82	26.55	103.69	391.81	542.87
ओडीआरबी	2.06	1.95	5.37	11.58	20.96
अन्य कर्मचारी लाभ (एलएसए)	1.12	1.11	3.11	11.69	17.03
कुल	**98.08**	**96.64**	**282.39**	**705.66**	**1182.77**

67. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं पर कोविड–19 महामारी की सामग्री के भौतिक प्रभाव का प्रकटीकरण

कंपनी मुख्य रूप से बिजली के प्रसारण के व्यवसाय में कार्यरत है और ट्रांसमिशन सेवाओं के लिए प्रशुल्क को सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है जो प्रणाली उपलब्धता के आधार पर वार्षिक पारेषण शुल्क की वसूली के लिए प्रदान किया जाता हैं।

कोविड–19 महामारी के कारण, केंद्रध्राज्य सरकारोंध्स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर विभिन्न लॉकडाउन घोषित किए गए। हालांकि, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, पारेषण इकाइयों और सेवाओं को उक्त लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। कंपनी ने महामारी के दौरान अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए अपनी विभिन्न इकाइयों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल जारी

67. Disclosure of material impact of COVID–19 pandemic on listed entities under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Contd.)

किए हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के लिए डिजिटल समाधान जैसे ई–ऑफिस, ईआरपी सिस्टम, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि को भी लागू किया है। कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, कंपनी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता पर महामारी के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध विभिन्न आंतरिक और बाहरी सूचनाओं पर विचार किया है।

उपरोक्त के आधार पर, महामारी के कारण वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2020 और मई 2020 के बिल के विरुद्ध डिस्कोम और राज्यों ६ केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को दी गई 1,078.64 करोड़ की एकमुश्त छूट को छोड़कर कंपनी के संचालन या लाभप्रदता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। उक्त समेकित एकमुश्त छूट के कारण, लाभ में कमी आई है और इसका खुलासा "असाधारण मदें" लाभ और हानि के विवरण में, के तहत किया गया है।

कंपनी ने अगले एक वर्ष के लिए चलनिधि की स्थिति का आकलन किया है और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, व्यापार प्राप्य और निवेश सहित अपनी आस्ति की वसूली और वहन मूल्य का आकलन किया है और प्रबंधन किया है जो वित्तीय विवरणों में आवश्यक कोई भौतिक समायोजन नहीं हैं। हालांकि, इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए कोविड 19 का प्रभाव मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी जारी रखेगी।

68. अन्य टिप्पणियां

क. कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समावेश

निदेशक मंडल ने दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए 07.11.2019 को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नीति आयोग के परामर्श से 05.03.2020 को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्य व्यवसाय के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का बंटवारा) विनियम, 2020 के विनियम 8(4) के अनुसार, माननीय आयोग के पूर्व अनुमोदन के लिए 04.05.2020 को सीईआरसी के साथ एक याचिका दायर की गई है। याचिका को सीईआरसी द्वारा 14.07.2020 को स्वीकार किया गया था, आगे की सुनवाई 15.04.2021 को हुई थी और सीईआरसी की मंजूरी की प्रतीक्षा है। कंपनी उक्त व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए कार्यप्रण ाालीध्लेनदेन योजना का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें आस्ति और देयताओं की पहचान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी होने तक कंपनी दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय का संचालन जारी रखेगी। चूंकि उक्त व्यवसाय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे षबिक्री के लिए धारित निपटान कंपनीष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ख. ऊर्जा प्रबंधन सेवाओं और कंपनी के परामर्श व्यवसाय को शुरू करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का समावेश

निदेशक मंडल ने 28.03.2020 को भारत और विदेशों में ऊर्जा प्रबंधन परियोजनाओं को एक निवेशक औरध्या परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में सेवाएं, उत्पाद, ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित निवेश और परामर्श करते हुए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के नीति आयोग के परामर्श से 08.02.2021 को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी परामर्श व्यवसाय के अंतरण के लिए कार्यप्रणालीध्लेनदेन योजना का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें आस्तियों और देयताओं की पहचान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कंपनी नई सहायक कंपनी के शामिल होने तक परामर्श व्यवसाय का संचालन जारी रखेगी।

चूंकि उक्त व्यवसाय अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे षबिक्री के लिए धारित निपटान कंपनीष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ग. प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण

कंपनी को एसपीवी के तहत टीबीसीबी परियोजनाओं में सफल बोलीदाता होने के नाते फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीकर ॥ अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड की संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयकों (आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ६ पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड) से आशय पत्र प्राप्त हुआ है और 31.03.2021 को उपर्युक्त 3 एसपीवी का अधिग्रहण प्रक्रिया में है।

घ. कंपनी से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) के कार्य का स्थानांतरण

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.03.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया कि, 01.04.2021 से, ष्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल), 28.12.2020 को निगमित कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनीष सभी कार्यों को करने और उनका निर्वहन करने के लिए बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों या केंद्रीय आयोग या प्राधिकरण के किसी भी नियम या निर्देश या उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य निर्देश या कार्यों के अनुसार सीटीयू का संदर्भित अधिसूचना के अनुसार, सीटीयू के कार्यों को सीटीयूआईएल को 01.04.2021 से स्थानांतरित कर दिया गया है।

ड. ष्इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) में ट्रांसमिशन क्षमता सीटीयू द्वारा नामित आईएसटीएस ग्राहकों (श्डीआईसीश) को दीर्घकालिक एक्सेस (एलटीए) और मढ़कालिक ओपन एक्सेस (एमटीओए) के रूप में प्रदान की जाती है। एलटीए ग्राहकों ने अप्रत्याशित घटनाओं का

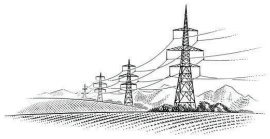

68. Other Notes (Contd.)

हवाला देते हुए अपने एलटीए को छोड़ने के संबंध में सीईआरसी में समय–समय पर याचिकाएं दायर की थीं। सीईआरसी ने याचिका 92ध्एमपीध्2015 में अपने आदेश दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से सीटीयू को एलटीए के त्याग के कारण फंसे हुए क्षमता के लिए त्याग शुल्क निर्धारित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, त्याग शुल्क की गणना सीटीयू द्वारा आदेश में दिए गए तंत्र के अनुसार की गई थी और सभी त्याग किए गए एलटीए ग्राहकों पर मांग उठाई गई है। सीईआरसी कनेक्टिविटी विनियमों के विनियम 18 के खंड (3) के अनुसार, छोड़े गए एलटीए ग्राहकों से त्याग किए गए शुल्क प्राप्त होने पर, इसे डीआईसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, कुछ एलटीए ग्राहकों ने उपरोक्त सीईआरसी आदेश के खिलाफ या सीटीयू द्वारा उठाए गए त्याग शुल्क की मांग के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर की थी और अपीलों का निपटान अभी भी न्यायालय द्वारा किया जाना है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी ष्भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक ढांचेष में दी गई संपत्ति और देयता की परिभाषा के अनुसार उपरोक्त त्याग शुल्क न तो एक संपत्ति है और न ही कंपनी की देनदारी है। इसलिए, कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.03.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया कि, 01.04.2021 से, ष्सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल), कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 28.12.2020 को शुरू करने और निर्वहन करने के लिए सीटीयू के सभी कार्य करने हेतु शामिल किया गयाष

च. तत्काल घोषणाएं

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (ष्एमसीएष) ने दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ष्ष् के खंड ष् में 01.04.2021 को संशोधन किया। कंपनी वित्तीय वर्ष 2021–22 में खंड ष् में संशोधनों का आकलन और कार्यान्वयन करेगी, जैसा लागू हो।

ज. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (श्कोडश) रोजगार के दौरान कर्मचारी हितलाभ और रोजगार पश्चात कर्मचारी हितलाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालांकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

69. क) आंकड़ों को दशमलव के बाद दो अंकों तक करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत ध पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

मृणाल श्रीवास्तव	**मोहम्मद ताज मुकर्रम**	**के श्रीकांत**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड सीओ एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चतरथ एंड सीओ एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स के लिए**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म सं.: 006711एन/एन500028	फर्म सं.: 004453एस	फर्म सं.: 301011ई/ई300025	फर्म सं.: 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी शिवरामकृष्ण प्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. 057986	सदस्य सं. 024860	सदस्य सं. 064305	सदस्य सं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021
स्थानः गुरुग्राम

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी), जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का एकल तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) एकल विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के एकल विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन विवरण, नकद प्रवाह एकल विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसका इसके बाद श्एकल वित्तीय विवरणों" के रूप में उल्लेख किया गया है) का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी इच्छित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2021 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में अन्य व्यापक आय, परिवर्तनों सहित इसके लाभ, इसका नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का आयोजन किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के एकल भारतीय लेखा मानकों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित की गई हैं। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र कंपनी हैं, जो नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमारे एकल भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों के प्रावधानों के तहत संगत हैं। अधिनियम और उसके नियम, तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख मामले

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं ––

– पारेषण आस्तियों में राजस्व की पहचान के संबंध में टिप्पणी सं. 35 (ख) जिनके लिए सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश अभी जारी किए जाने हैंय उपरोक्त मामलों से हमने अपनी राय में संशोधन नहीं किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, 31 मार्च, 2021 के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों के एकल वित्तीय विवरणों को हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में पूरे वित्तीय विवरणों के रूप में संबोधित किया गया था, और इन पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है। भौतिकता सहित श्एक अन्य लेखा परीक्षक के काम का उपयोगश पर लेखापरीक्षा पर मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, धारित कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से नीचे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को पुनरू प्रस्तुत किया गया है।

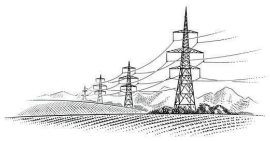

क्रम सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखा परीक्षा ने मुख्य लेखा परीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
1	**पारेषण आय से राजस्व की मान्यता** पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम प्रशुल्क आदेश अभी अधिसूचित किए जाने हैं, पूर्व के मामलों में सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी करने पर अंतर, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन भी शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है यानी बिलरहित राजस्व। यह राजस्व की मान्यता के लिए ग्राहको के साथ सीआरसी प्रशुल्क विनियमों और संविदाओ के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकर्ति और सीमा के कारण प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना जाता हैं द्य (टिप्पणी संख्या 35(ख) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण देखें)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं: हमने विद्युत पारेषण से राजस्व की मान्यता और माप के संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, आदेश, परिपत्र, दिशानिर्देश और कंपनी के आंतरिक परिपत्र और प्रक्रियाओं की समझ से प्राप्त की है। • पारेषण से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रण ों के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों के आधार पर पारेषण राजस्व को सत्यापित करता है। • परीक्षण के आधार पर सत्यापित नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनंतिम आधार पर लगातार आय को मान्यता दी गई आस्ति के लिए जिनके अंतिम आदेश अभी तक सीईआरसी द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए हैं क्षेत्रीय तकनीकी प्रमुखों द्वारा जारी किए गए वाणि ज्यिक प्रचालन (डीओसीओ) पत्रों की तारीख के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित पूंजीगत लागत।
2	**एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर आस्तियां** कंपनी ने भविष्य के वर्षों में देय कर के प्रति समायोजन की प्रत्याशा में एमएटी क्रेडिट पर विचार किया है और वर्ष के दौरान उसी के लिए आस्थगित कर आस्ति बनाई है। उक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता के अनुरूप, सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभार्थियों को बाद की अवधि में देय एक आस्थगित नियामक देयता को मान्यता दी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए इस मामले के महत्व और इसकी भौतिकता और एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ का आकलन करने में निर्णय की आवश्यकता है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 26 देखें।)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैंरू • एमएटी क्रेडिट की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। • भविष्य के कर योग्य लाभ के संबंधित पूर्वानुमानों का आकलन करते हुए, इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारोंध्धारणाओं की तर्कसंगतता और निरंतरता का मूल्यांकन किया। • निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित विनियामक आस्थगित देयता से संबंधि त आस्थगित कर आस्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
3	आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के आकस्मिक देनदारियों के आकलन को मामले के तथ्यों, उस पर कंपनी के फैसले, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें)	• हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया पर विचार किया है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया हैरू • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल के आदेशों औरध्या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्र की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह।

ऊपर संदर्भित प्रमुख लेखापरीक्षा मामले केवल धारित कंपनी के संबंध में हैं। समूह की सभी सहायक कंपनियां असूचीबद्ध इकाइयां हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय कथनों और इसके बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी बोर्ड के निदेशक अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित संविदा की बोर्ड रिपोर्ट व्यावसायिक जिम्मेदारी की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है। लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद हमें उपलब्ध कराने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचानी अन्य जानकारी को पढ़ने की है, जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है तथा ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एएस के साथ वित्तीय असंगतता सहित असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम उन दस्तावेजों को पढ़ते हैं, जिनमें अनुलग्नक, यदि कोई हो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन से आरोपित करने हेतु सूचित करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय कंपनी में आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी तथा नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधन के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की आस्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदनय निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैंय तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो कि स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा स्वतंत्र हैं सामग्री के गलत उपयोग से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने हेतु इसे एक चालू संगठन के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि लागू होने से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए चालू संगठन के आधार पर उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या तरलित करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल का प्रभार रखने वाले लोग भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूरे तौर पर भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह ध ोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाया जाएगा। गलतफहमी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल में, तो इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी रू

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करें और निष्पादित करें, तथा उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

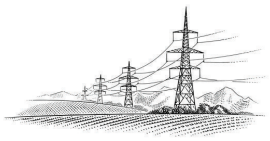

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, जो हमारी राय को संशोधित करने के लिए काफी हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। जबकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू संगठन बनाए रखना रोका जा सकता है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें वित्तीय विवरण भी शामिल हैं, जिसमें प्रकटन भी शामिल हैं, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त करते हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने मेंय तथा (□) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, तथा उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने हेतु जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर वहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

शासन के साथ आरोपित मामलों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणाम होने की उम्मीद हो सकती है।

अन्य मामले

(क) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणोंधवित्तीय सूचनाओं का लेखा–जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2021 को कुल संपत्ति और निवल संपत्ति के लिए नीचे दिए गए विवरण को दर्शाते हैं, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह जिस सीमा तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते हैंरू

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	सहायक कंपनियों का नाम	कुल आस्ति	निवल आस्ति	कुल राजस्व	निवल नकद अंतर्वाहद्य (बहिर्वाह)
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	(19.41)	-	-
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,163.72	252.87	124.95	(0.08)
3	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,141.32	322.76	310.55	0.42
4	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3,614.90	824.78	470.82	16.99
5	पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,789.42	384.56	360.40	48.41
6	पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,132.18	465.06	402.70	44.48
7	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,506.76	256.29	255.19	42.71
8	पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	302.14	83.73	72.94	4.56

(₹ in Crore)

क्र. सं	सहायक कंपनियों का नाम	कुल आस्ति	निवल आस्ति	कुल राजस्व	निवल नकद अंतर्वाहध (बहिर्वाह)
9	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	63.42	21.61	21.79	0.67
10	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	3,106.68	568.78	45.72	-
11	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,161.71	214.44	2.35	(0.12)
12	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	900.87	168.06	0.02	(0.44)
13	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	443.16	78.25	3.57	0.07
14	पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	894.37	161.02	-	-
15	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	531.12	97.71	-	(1.35)
16	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	374.28	49.41	-	(0.14)
17	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	579.10	111.66	-	(1.09)
18	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	621.44	113.41	-	0.21
19	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	141.93	20.64	-	0.05
20	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	241.10	32.01	-	(0.05)
21	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.05	0.02	-	0.05
22	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.34	(0.46)	0.40	-
23	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड'	593.27	455.05	2.46	(5.48)
	कुल	**21309.28**	**4662.25**	**2073.86**	**149.87**

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के निवल लाभध्हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणोंधवित्तीय सूचनाओं की लेखा–परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संयुक्त उद्यमों का नाम	समूह का शेयर निवल लाभध(हानि) (अन्य व्यापक आय सहित)
1	पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	
2	टोरेंट पॉवरग्रिड लिमिटेड	
3	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड'	
4	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	
	कुल	**88.94**

*25.03.2021 तक संयुक्त उद्यम (26.03.2021 से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।

इन वित्तीय विवरणोंध सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें 17 जून, 2021 तक धारित कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संबंधित है इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से रिपोर्ट पर आधारित है। भौतिकता सहित श्एक अन्य लेखा परीक्षक के काम का उपयोगश पर लेखापरीक्षा पर मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, धारित कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से नीचे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को पुनरू प्रस्तुत किया गया है।

(ख) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणोंधवित्तीय सूचनाओं का लेखा–जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को कुल आस्ति और निवल आस्ति के लिए नीचे दिए गए विवरण को दर्शाते हैं, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह जिस सीमा तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते हैंरू

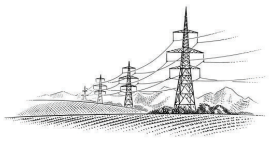

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल आस्ति	निवल आस्ति	कुल राजस्व	निवल नकद अंतर्वाहध्(बहिर्वाह)
1	बीकानेर–ण् भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	24.84	0.01	-	0.01
	कुल	**24.84**	**0.01**	**-**	**0.01**

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के निवल लाभध्हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का हिस्सा शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणोंधवित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है रू

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संयुक्त उद्यमों का नाम	समूह का हिस्सा कुल लाभ (हानि)
1	पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	15.95
2	तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.22
3	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब प्राइवेट लिमिटेड	-3.84
4	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	100.83
5	क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.84
6	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा। सीमितरु	0
7	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड'	2.02
	कुल	**133.02**

*भारत के बाहर स्थित है।

धारित कंपनी के निदेशक मंडल ने संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

संयुक्त उद्यमों के ये वित्तीय विवरणधवित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं और धारित कंपनी के प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रस्तुत की गई हैं, जो इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है। उद्यम, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जो उपरोक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणोंधवित्तीय जानकारी पर आधारित है। ऊपर दिए गए संयुक्त उपक्रमों में से एक भारत के बाहर स्थित है, जिसके संबंध में धारित कंपनी के प्रबंधन ने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण हमें प्रदान किए हैं। हमारी राय में और धारित कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण ध् वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता धारित कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 206 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम "अनुलग्नक 4" में उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट तथ्यों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक श्2श में देते हैं।

3. जैसा कि हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि रू

   क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ व हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यथा संशोधित संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 5 जून, 2015 को अधिसूचना सं. सा. का. नि. 463 (ई) द्वारा दी गई छूट को देखते हुए निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान नियंत्रक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक "3" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

छ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं हैंय और

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य तथ्यों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसाररू

प. कंपनी ने अपने पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है–वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 59 देखेंय

पप. कंपनी ने प्रचलित कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत अपेक्षा अनुसार, जैसा कि व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदा पर निकट भविष्य में होने वाले भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए नियम बनाए हैं।

पपप. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण हेतु अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनःएन006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021

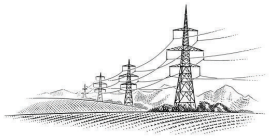

अनुलग्नक 1

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ संलग्न।

कंपनी अधिनियम, 2013 (ष्अधिनियमष्) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद इसे ष्धारित कंपनीष् कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ष्समूहष् कहा जाता है) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियां, जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, छल–कपट और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्व ारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पहलुओं से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस जोखिम जो एक तथ्यात्मक कमजोरी होती है, उसका निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल–कपट या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय कथनों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार एक प्रक्रिया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

(1) रिकॉर्डो, जो उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी संपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं, के रखरखाव से संबंधित होंय

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेनों को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारपत्र के अनुसार ही किए जा रहे हैंय और

(3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय कथनों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सहित, त्रुटि या छल–कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च, 2021 को प्रभावी तरीके से प्रचालन कर रहे थे।

अन्य मामलों

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट में भारत में 23 (तेईस) सहायक कंपनियों और 3 (तीन) निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं, इन कंपनियों की लेखापरीक्षा संगत रिपोर्ट पर आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट में भारत में निगमित एक सहायक और छह संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिसका वित्तीय विवरण ध वित्तीय जानकारी का लेखा–जोखा नहीं किया जाता है और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है क्योंकि समूह के निवल लाभध्हानि (अन्य व्यापक आय सहित) और प्रकटीकरण का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। इन समेकित वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल समूह महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते टी आर चड्ढा एंड कं. एलएलपी	**कृते उमामहेश्वर राव एंड कं.**	**कृते बी एम चटरथ एंड कं.एलएलपी**	**कृते पीएसडी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन:006711एन/एन500028	एफआरएनः 004453एस	एफआरएनः 301011ई/ई300025	एफआरएनरू 004501सी
सीए नीना गोयल	**सीए जी. शिवरामकृष्णप्रसाद**	**सीए संजय सरकार**	**सीए सतीश चंद्र शर्मा**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 057986	एम नं. 024860	एम नं. 064305	एम नं. 072846
स्थानः गुरुग्राम	स्थानः गुरुग्राम	स्थानः कलकत्ता	स्थानः जयपुर

दिनांकः 17 जून, 2021

This page has been left blank intentionally

This page has been left blank intentionally

This page has been left blank intentionally